सत्यमेव जयते

2018-19
वार्षिक रिपोर्ट

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की नींव है जो किसी व्यक्ति के साथ–साथ राष्ट्र की वृद्धि और समृद्धि को बढ़ाती है।इसके लिए, हमें अपने पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को अपने समाज और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए प्रासंगिक बनाने और छोटी उम्र से ही समस्या को हल करने और रचनात्मक सोच, सीखने–करने, जीवन–संदर्भ के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव और आत्मविश्वास से आत्म–अभिव्यक्ति के गुणों का पोषण करने की आवश्यकता है।

एमएचआरडी का उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि यह अक्षरशः लागू हो।
- पूरे देश में शैक्षिक संस्थानों की पहुंच बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार सहित योजनाबद्ध विकास।
- जेंडर समानता और वंचित समूहों को एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।
- समाज के सीमांत वर्गों के छात्रों को योग्य बनाने के लिए छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी, आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- यूनेस्को और विदेशी सरकारों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम करने सहित शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

1. सरकारगुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिएएक नई शिक्षा नीतिबनानेकी प्रक्रिया में है, जिसका लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योग में जनशक्ति की कमी को खत्म करके भारत को अपने छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।
2. परामर्श प्रक्रिया तीन प्रकार की थी: (i) ऑनलाइन परामर्श (ii) गांव/जमीनी स्तर से राज्य स्तर तक परामर्श, और (iii) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के परामर्श सहित विषयगत परामर्श। ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया www.MyGov.in पोर्टल पर 26 जनवरी 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक की गई थी और लगभग 29,000 सुझाव 33 निर्दिष्ट विषयों (स्कूल शिक्षा पर 13 विषयों और उच्च शिक्षा पर 20 विषयों) पर प्राप्त किया गया है। इन 33 विषयों पर संक्षिप्त विवरण www.MyGov.in पोर्टलपर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600

ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक व्यापक, समयबद्ध, भागीदारी, जमीनी स्तर पर परामर्शी प्रक्रिया मई से अक्टूबर, 2015 के बीच की गई थी।

3. भारत सरकार (जीओआई) में हितधारक मंत्रालयों के साथ और राज्य सरकारों के साथ सरकार द्वारा एनईपी पर कई व्यक्तिगत परामर्श किये गए थे। 14.02.2015 को नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया पर चर्चा करने और अन्य मंत्रालयों और विभागों के सुझावों को आमंत्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक ली गई। 21 मार्च 2015 को एक बैठक मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें MyGov पर सिफारिशें अपलोड करने की प्रक्रिया सहित परामर्श प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया था और इस प्रक्रिया पर राज्यों के सुझाव और विषयों को भी आमंत्रित किया गया था।

4. सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और कई केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और संस्थानों, स्वायत्त निकायों, व्यक्तिगत विषयों पर डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले संबद्ध कार्यालयों के माध्यम से विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, नागरिक समाज आदि को शामिल करते हुए कई अन्य हितधारकों को आमंत्रित करके जुलाई–अक्तूबर, 2015 में विषयगत परामर्श भी किया। आगे मंत्रालय ने विषयगत परामर्श आयोजित किये, जिसमें डोमेन विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों को विचार–विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था।

5. परामर्श प्रक्रिया 19 अगस्त 2015 को आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की बैठक में एजेंडा बिंदुओं में से एक थी। सभी राज्यों के विचार और सीएबीई के सदस्यों को परामर्श प्रक्रिया और विषयों पर आमंत्रित किया गया था। सितंबर–अक्टूबर 2015 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हुए पूर्वी, मध्य, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा छह ज़ोनल बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें शिक्षा मंत्रियों और संबंधित राज्यों के अधिकारियों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। अक्तूबर, 2016 में आयोजित 64वीं केब की बैठक में नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हुई।

6. मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के विकास के लिए 31 अक्तूबर 2015 को श्री टी.एस. आर सुब्रमण्यन, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) इसके सचिवालय के रूप में था। समिति ने 27 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की रिपोर्ट और विभिन्न परामर्शों की सिफारिशों के साथ–साथ अन्य विचारों और टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, एमएचआरडी ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट 'तैयार किए। इन दोनों दस्तावेजों को नीति के लिए इनपुट माना जाता है। एचआरडी मंत्री ने संसद के सभी सदस्यों को लिखा है और मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों और

संबंधित राज्य सरकारों को 31 अक्टूबर, 2016 तक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर टिप्पणी/विचार/सुझाव आमंत्रित करते हुए लिखा है। तत्पश्चात, माननीय सांसदों के सुझावों पर चर्चा करने और उनके विचारों को जानने के लिए 10 नवंबर, 2016 को एक 'शिक्षा संवाद' का भी आयोजन किया गया।

7. सरकार ने 24 जून, 2017 को प्रख्यात वैज्ञानिक पद्य विभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

❖ ❖ ❖

कार्य आवंटन नियम

कार्य आवंटन नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 ("भारत सरकार का कार्य संचालन") के खंड (3) में निम्नानुसार है:

"(3) राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यकरण को अधिक सुविधाजनक बनाने और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे"।

उपरोक्त प्रावधान के तहत, राष्ट्रपति ने "भारत सरकार (कार्य–आवंटन) नियम, 1961" बनाए हैं, जिसके नियम 2 में निम्नानुसार कहा गया है:

"2. **कार्य का आवंटन:** भारत सरकार का कार्य इन नियमों की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में (जिनमें से सभी को, इसमें, इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) संव्यवहृत किया जाएगा।"

पुनः, उपरोक्त नियमों के नियम 3 (1) में कहा गया है कि "विभागों में विषयों का वितरण ऐसा होगा जैसा इन नियमों की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट है..."।

एक मंत्रालय या विभाग इसके लिए आवंटित कार्य के संबंध में सरकार की नीतियों के निर्माण और उन नीतियों के निष्पादन और समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) उपरोक्त नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मंत्रालयों में से एक है, और इसमें निम्नलिखित दो विभाग शामिल हैं:

- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (एसई एंड एल)
- उच्चतर शिक्षा विभाग (एचई)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रमुख मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। वर्तमान में, उन्हें दो विभागों में से प्रत्येक में राज्य मंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

क. विभाग को आवंटित विषय

भारत सरकार (कार्य–आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए आवंटित विषय:

1. प्रारंभिक शिक्षा
2. बुनियादी शिक्षा
3. बाल भवन, बाल संग्रहालय
4. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा
5. इस सूची में प्रविष्टियों के संदर्भ में श्रव्य–दृश्य शिक्षा।
6. इस सूची की मदों की बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन–कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर)।
7. इस सूची की मदों की बाबत शैक्षिक अनुसंधान।
8. इस सूची की मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और आंकड़े।
9. इस सूची की मदों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण।
10. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद।
11. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त कार्य व धार्मिक विन्यास।

12. माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन।

13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

ख. भारत सरकार (कार्य–आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए आवंटित विषय:

1. विश्वविद्यालय शिक्षाः केन्द्रीय विश्वविद्यालय; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा; उच्चतर शिक्षा से संबंधित विदेशी सहायता कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा योजना।

2. उच्चतर विद्या (विश्वविद्यालय से भिन्न) की संस्थाएं।

3. इस सूची की मदों की बाबत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन–कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर)।

4. इस सूची की मदों के संदर्भ में श्रव्य–दृश्य शिक्षा।

5. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य–पुस्तकें तैयार करना।

6. शैक्षिक अनुसंधान।

7. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी।

8. बहुभाषीय शब्दकोषों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार।

9. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देना।

10. संस्कृत का प्रचार और विकास।

11. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के पुनर्वास तथा अन्य समस्याएं।

12. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड।

13. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) और यूनेस्को के साथ सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग।

14. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों में विदेशी राष्ट्रों और विदेशी अभिकरणों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों सहित सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित विषय, किन्तु इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचना से निकाले गए यायावर और अर्ध–यायावर जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां तथा साधारण छात्रवृत्ति योजनाएं तथा विभिन्न योजनाओं के अधीन विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं आती हैं।

15. विदेश में भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण; विदेश में भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेश में शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी संगमों को वित्तीय सहायता।

16. शिक्षा आदान–प्रदान कार्यक्रम; अध्यापकों, आचार्यों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, आदि का आदान–प्रदान; भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के आदान–प्रदान का कार्यक्रम।

17. विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्तियां स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना।

18. भारतीय संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश।

19. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में पूर्त–संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास।

20. विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, न्यूक्लियर विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न, तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान।

21. विज्ञान मंदिर।
22. गणित, न्यूक्लियर विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति।
23. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय।
24. योजना और वास्तुकला विद्यालय।
25. प्रादेशिक मुद्रण स्कूल।
26. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं, संघ राज्य क्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता। बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान; मूल विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अनुदान। शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मूल अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; मूल अनुसंधान के लिए व्यष्टियों को अनुदान।
27. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण–पत्र परीक्षाएं संचालित करना भी है।
28. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं।
29. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए वृत्तिक/तकनीकी अर्हता की मान्यता।
30. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्यवृत्ति और अध्येतावृत्ति।
31. भारत में वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन।
32. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
33. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।
34. भारतीय प्रशासनिक कर्मचारीवृन्द महाविद्यालय, हैदराबाद।
35. भारतीय खनि अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान विद्यापीठ, धनबाद।
36. खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहटी और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
37. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
38. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई।
39. भारत में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह।
40. आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्कीमें।
41. इंजीनियरिंग व्यावसायिक सेवाओं का विनियमन।
42. वास्तुविद् अधिनियम, 1972।

❖ ❖ ❖

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

भाग - I

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजनाएं/उप–समन्वयक संस्थान	पृष्ठ
1.	**अध्याय–1:**	
	समग्र शिक्षा	
	क) स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना	1-10
	ख) समग्र शिक्षा के अंर्तगत– पुस्तकालय अनुदान	11 -12
	ग) समग्र शिक्षा के अंर्तगत– खेल अनुदान	12-14
	घ) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)	14-16
	ङ) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवि)	16-17
	च) व्यावसायिक शिक्षा	17-18
	छ) निःशुल्क वर्दी और पुस्तकें	18-19
	ज) ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केन्द्रों (सीआरसी) को सुदृढ़ बनाना और रिपोर्टिंग में उनकी भूमिका	19-20
	ट) ट्रांसपोर्ट और एस्कार्ट सुविधा	20-21
	ङ) स्कूल अवसंचरना ढांचा विकास	21-23
2.	**समग्र शिक्षा के अंर्तगत सीखने के परिणामों और आकलन में सुधार**	23-28
3.	**विश्वसनीय डेटा और जबावदेही**	
	क) कार्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई)	28
	ख) यू–डाइज +	28-29
	ग) स्कूल शिक्षा शगुन – एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन	29-30
	घ) महत्वाकांक्षी जिले	30

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजनाएं/उप–समन्वयक संस्थान	पृष्ठ
4.	**अच्छे प्रदर्शन को पहचान**	30-32
	क) स्वच्छ विद्यालय पहल एसवीआई	30-32
	ख) स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार	32-42
5.	**समग्र शिक्षा के तहत अनुभवात्मक और जॉयफुल शिक्षा का विकास**	43-44
	क) रंगोत्सव	44-48
	ख) भाषा समग्र : ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' के तहत बहुभाषावाद के संवर्धन के लिए एक पहल	48-51
	ग) परीक्षा पे चर्चा	51-53
	घ) रक्षा –समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण	53-54
6.	समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण	54-58
7.	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)	58-59
8.	माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई)	59
9.	एसपीईएमएम योजना (एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई)	59-60
10.	**अध्याय 2: स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याहन भोजन की राष्ट्रीय योजना**	61-74
11.	**अध्याय 3: प्रौढ़ शिक्षा**	75-82
12.	**अध्याय 4: स्कूली शिक्षा के लिए संस्थानिक योजना**	
	क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	84-96
	ख) जवाहर नवोदय विद्यालय (जेनएवी)	96-102
	ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)	102-113
	घ) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)	113-132
	ङ) राष्ट्रीय बाल भवन	132-134
	च) केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	134-137
	झ) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान	137-146
13.	**अनुलग्नक**	147-158

उच्चतर शिक्षा विभाग

भाग - II

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	मंत्रिमंडल के निर्णय और नई पहलें	161-172
2	उच्चतर शिक्षा	173-189
3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	191-201
4	केंद्रीय विश्वविद्यालय	203-205
5	उत्कृष्ट संस्थान, मानित और निजी विश्वविद्यालय	207-211
6	भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान	213-216
7	दूरस्थ शिक्षण	217-237
8	छात्रवृत्ति	239-244
9	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान	245-247
10	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	249-255
11	भाषा संस्थान	257-288
12	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	289-302
13	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	303-310

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
14	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	311-314
15	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान	315-330
16	योजना और वास्तुकला विद्यालय	331-335
17	आईसीसी एवं यूनेस्को	337-360
18	अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान	361-390
19	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	391-395
20	उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी	397-398
21	अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय	399-406
22	प्रौद्योगिकी सक्षम अधिगम	407-415
23	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	417-418
24	पुस्तक संवर्धन	419-428

अनुलग्नक

I.	संस्थानों की सूची	430-443
II.	31.03.2019 को निजी विश्वविद्यालय की राज्यवार सूची	444-467
III.	छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वितरित की गई छात्रवृत्ति (ताजा/नवीनीकरण) (01.01.2018 से 31.03.2019)	468-469

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता और उच्चतर शिक्षा विभाग की सामान्य गतिविधियाँ

भाग - III

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा	473-498
2	अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा	499-514
3	पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य	515-532
4	महिलाओं का शैक्षिक विकास	533-541
5	दिव्यांगों का शैक्षिक विकास	543-553
6	प्रशासन	555-564
7	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	565-572
8	राज भाषा	573-575
9	बजट	577-588

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.

अनुलग्नक

I.	आकांक्षी जिलों/अनारक्षित और असेवित क्षेत्रों में स्थापित मॉडल डिग्री कॉलेजों की सूची	590-592
II.	समग्र शिक्षा 2018–19 के तहत कवर किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	593-594
III.	समग्र शिक्षा 2018–19 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रावधान	595-600
IV.	संगठन चार्ट – उच्चतर शिक्षा विभाग।	601
V.	संगठन चार्ट – स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	602

भाग - I

स्कूल शिक्षा
और
साक्षरता विभाग

01

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा

स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना

केंद्रीय बजट, 2018–19 में स्कूल शिक्षा को प्री–स्कूल से 12 वीं कक्षा तक बिना किसी विभाजन के समग्र रूप से मानने का प्रस्ताव किया गया था। अतः स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसका विस्तृत लक्ष्य स्कूल प्रभावकारिता को सुधारना होगा जिसे स्कूल शिक्षा और समान अधिगम परिणामों के लिए अवसरों के अर्थ में मापा जाएगा। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 मार्च 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, स्कूल शिक्षा की एकीकृत योजना– समग्र शिक्षा को 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक चलाने हेतु प्रारूप को मंजूरी दी थी। तदनुसार, समग्र शिक्षा को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय और परामर्श करके देश भर में स्थित प्री–नर्सरी से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा का शुभारंभ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 24 मई, 2018 को किया गया था। यह एक क्षेत्र–व्यापी विकास कार्यक्रम है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की तत्कालीन मौजूदा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है ताकि जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक कार्यनीतिक योजना की परिकल्पना करते हुए सभी स्तरों पर विशेष रूप से राज्य, जिला और उप–जिला स्तर प्रणाली और संसाधनों का उपयोग करने में, कार्यान्वयन तंत्र और संव्यवहार लागत में तालमेल बनाया जा सके। इसका फ़ोकस,परियोजना के उद्देश्यों के स्थान पर राज्यों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ प्रणाली स्तर के प्रदर्शन और अधिगम परिणामों में सुधार करना होगा।

एकीकृत योजना में 'स्कूल' की परिकल्पना पूर्व स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में की गई है। योजना का विजन शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार प्री–स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है।

> ***एसडीजी–4.1 लक्ष्य*** *में कहा गया है कि "2030 तक, सुनिश्चित करना कि सभी बालक और बालिकाएँ स्वतंत्र, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें जिसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक और प्रभावी अधिगम परिणाम प्राप्त होंगे।"*
>
> *इसके* ***अलावा SDG 4.5*** *में कहा गया है कि "2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना, जिसमें विकलांग व्यक्ति, स्वदेशी लोग और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे शामिल हैं"।*

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाना; स्कूल शिक्षा में सामाजिक और जेंडर अंतराल को कम करना; स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर इक्विटी और समावेशन सुनिश्चित करना; स्कूलिंग प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना; शिक्षा

के व्यावसायिकीकरण को बढ़ावा देना; निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना; और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण (एससीईआरटी) / राज्य शिक्षा संस्थान (एसआईई) और जिला शिक्षा संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के राज्य परिषदों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करना। योजना के मुख्य परिणामों को सर्वसुलभ पहुँच, इक्विटी और गुणवत्ता,शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने और अध्यापक शिक्षण संस्थानों (टीईआई) को मजबूत करने के रूप में परिकल्पित किया गया है।

समग्र शिक्षा को राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (एसआईएस) के माध्यम से विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी परिषद (जीसी) और सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की व्यवस्था की गई है। जीसी को वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों को संशोधित करने और योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को अनुमोदित करने का अधिकार है। इस प्रकार के संशोधनों में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवाचार और कार्यक्रम शामिल होंगे। राज्यों से आशा की जा रही है कि वे संपूर्ण स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक योजना लाएँगे।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2018–19 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर 30780.81 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी, जिसमें से 29349. 10 करोड़ रुपए (95.35%) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय शेयर के रूप में जारी किया गया। वर्तमान में, 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और 3 हिमालयी राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केंद्र और राज्यों के बीच योजना के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न 90:10 के अनुपात में है और विधानमंडल वाले अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 60:40 के अनुपात में हैं। विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 100% केंद्र प्रायोजित है। यह अक्टूबर, 2015 में प्राप्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप–समूह की सिफारिशों के अनुरूप है।

इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं: (i) अवसंरचना विकास और प्रतिधारण सहित सर्वसुलभ पहुँच; (ii) जेंडर और इक्विटी; (iii) समावेशी शिक्षा; (iv) गुणवत्ता; (v) शिक्षक वेतन के लिए वित्तीय सहायता; (vi) डिजिटल पहल; (vii) वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों आदि सहित आरटीई पात्रता; (viii) प्री–स्कूल शिक्षा; (ix) व्यावसायिक शिक्षा; (x) खेल और शारीरिक शिक्षा; (xi) अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण और (xiii) राष्ट्रीय घटक। इन कार्यक्रमों में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, विशेष फोकस जिलों (एसएफडी), सीमा क्षेत्रों और 112 महत्वाकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी गई है।

इस योजना का मुख्य बल अंग्रेजी के दो 'टी' वर्णों – अर्थात टीचर्स (शिक्षक) और टेक्नोलोजी (प्रौद्योगिकी) पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। योजना के अंतर्गत शामिल सभी कार्यक्रमों की कार्यनीति स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम परिण ाामों को बढ़ाने के लिए है। यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को योजनागत मानदंडों और उन्हें उपलब्ध समग्र संसाधनों की सीमा के भीतर अपने कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें प्राथमिकता प्रदान करने के लिए लचीलापन देने का प्रस्ताव करती है। छात्रों के नामांकन, प्रतिबद्ध देयताओं, अधिगम परिणामों और विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर उद्देश्य मानदंड के आधार पर निधि आवंटित की जाती है।

यह योजना स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ट्रांजिशन दर में सुधार करने और बच्चों को स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए सर्वसुलभ पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।अध्यापक शिक्षा के एकीकरण से स्कूल शिक्षा में विभिन्न समर्थन संरचनाओं के बीच एकीकृत प्रशिक्षण कैलेंडर, शिक्षण में नवाचार, मेंटरिंग और निगरानी इत्यादि जैसी पहलों के माध्यम से प्रभावी अभिसरण और संबंधन सुकर होगा। यह एकल योजना एससीईआरटी को सभी सेवा–कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन और निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी बनाएगी जिससे वह आवश्यकता–आधारित और गतिशील बन सके। यह प्रौद्योगिकी के लाभों को अर्जित करने और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में और समाज के सभी वर्गों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के उपयोग को व्यापक बनाने में सक्षम बनाएगी।

समग्र शिक्षा के तहत आरटीई रोडमैप

एक ऐतिहासिक पहल करते हुए, संविधान (छयासिवें संशोधन) अधिनियम, 2002 से भारत के संविधान में अनुच्छेद 21–क को अंतर्विष्ट किया गया जिससे छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कानून द्वारा, राज्य द्वारा यथा निर्धारित रीति के अनुसार एक मौलिक अधिकार के रूप में निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 जो अनुच्छेद 21–ए के तहत परिकल्पित कानून का द्योतक है, 1 अप्रैल, 2010 को प्रभावी हो गया है। यह अधिनियम एक न्यायसंगत कानूनी ढांचे का प्रावधान करता है, जो 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य प्रवेश,उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का अधिकार देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कियह बच्चों को एक ऐसी शिक्षा का अधिकार देता है जो भय, तनाव और चिंता से मुक्त है।

एकीकृत योजना आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। इस योजना में एक समान और समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगीः

(i) ***शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण,*** जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में व्याख्या की गई है, जिसमें पाठ्यचर्या,अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ सहित शिक्षा की सम्पूर्ण विषयवस्तु और प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से पुनः: संशोधित करने हेतु निहितार्थ शामिल हों।

(ii) ***समता*** (इक्विटी) का अर्थ न केवल समान अवसर हो, बल्कि उन परिस्थितियों का सृजन करना भी हो, जिसमें समाज के लाभवंचित वर्ग – एससी, एसटी, मुस्लिम अल्पसंख्यक, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे आदि इस अवसर का लाभ उठा सकें।

(iii) ***पहुँच***, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित न हो कि एक स्कूल निर्दिष्ट दूरी के भीतर सभी बच्चों के लिए सुलभ हो जाता है, बल्कि जिससे परंपरागत रूप से बहिष्कृत श्रेणियों– एससी, एसटी और सबसे अधिक लाभवंचित समूहों के अन्य वर्गों, मुस्लिम अल्पसंख्यक, सामान्य रूप से बालिकाओं और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं और दशा के बारे में समझ पैदा हो।

(iv) ***जेंडर संबंधी*** सरोकार, जिनसे न केवल बालिकाओं को बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखने में सक्षम बनाने का प्रयास किया जाए, बल्कि शिक्षा का उपयोग एक ऐसे निर्णायक हस्तक्षेप के रूप में हो जिससे महिलाओं की स्थिति में मूलभूत बदलाव लाया जा सके।

(v) ***शिक्षक को अधिक*** महत्व देना, उन्हें कक्षा में और कक्षा के बाहर एक संस्कृति बनाने के लिए

प्रेरित करने के लिए, जिससे संभवतः बच्चों के लिए एक समावेशी वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा,विशेषकर उत्पीड़ित और अपवंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिए।

(vi) ***दंडात्मक प्रक्रियाओं*** पर जोर देने के बजाय अभिभावकों,शिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों और अन्य हितधारकों पर आरटीई अधिनियम के माध्यम से नैतिक अनिवार्यता लागू की जाती है।

(vii) ***आरटीई कानून के कार्यान्वयन के लिए शैक्षिक*** प्रबंधन की केंद्राभिमुख और एकीकृत प्रणाली पूर्व–अपेक्षित है। सभी राज्यों को जहां तक संभव हो तेजी से उस दिशा में बढ़ना चाहिए।

पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा – समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व.प्राथमिक स्तर पर सहायता

''स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना– समग्र शिक्षा'' में स्कूल की परिकल्पना पूर्व–विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, जिसे कभी–कभी के से 12 तक भी कहा जाता है,तक एक सातत्य के रूप में की गई है। भारत में प्री–स्कूल कार्यक्रमों को आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री–स्कूल, प्रारंभिक कक्षाएं, किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन (एलकेजी), अपर किंडरगार्टन (यूकेजी), प्ले सेंटर, क्रेच, बालवाटिका आदि के नाम से जाना जाता है।प्री–स्कूल कार्यक्रम सरकारी आंगनवाड़ी केन्द्रों, सरकारी स्कूलों, निजी क्षेत्र के स्कूलों और सिविल सोसायटी संगठनों से जुड़े प्री–स्कूलों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं।वर्ष 2013 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) नीति को अपनाया, जो छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए विजन प्रदान करती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009,जो 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ, की धारा 11 के तहत प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा (ईसीई) का समाधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को तैयार करने के लिए और सभी बच्चों को छः वर्ष की आयु पूरा होने तक प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए, समुचित सरकार इन बच्चों को प्री–स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य 4.2 में कहा गया है कि "वर्ष 2030 तक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बालिकाओं और बालकों की पहुँच में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल विकास, देखभाल और पूर्व–प्राथमिक शिक्षा हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

ईसीई का औचित्य

जीवन के पहले छह वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन वर्षों में विकास की दर किसी भी अन्य चरण की तुलना में अधिक तेजी से होती है। एक व्यक्ति के मस्तिष्क का 90% विकास बालक के छः वर्ष की आयु प्राप्त करने तक हो चुका होता है, जिससे आरंभिक वर्ष किसी भी प्रकार की पहल के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण चरण होता है।

बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम खेल से सीखने पर आधारित है। अध्ययनों के माध्यम से यह देखा गया है कि हमारा मस्तिष्क, जीवन के किसी अन्य चरण की तुलना में जन्म से लेकर पाँच वर्ष तक अधिक तेजी से विकसित होता है, और यह बाहरी वातावरण (जैसे संज्ञानात्मक समझ, भाषा विकास, देखभाल, कल्पना आदि) से प्रभावित होने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील भी तभी होता है।

प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा (ईसीई) आजीवन सीखने के इन बुनियादी वर्षों में एक समर्थकारी और प्रेरणादायक माहौल की सुविधा देकर बच्चों के दीर्घकालिक विकास और सीखने में सकारात्मक योगदान देता है। एक भारतीय अध्ययन के हालिया साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान एक अच्छे गुणवत्तायुक्त ईसीई कार्यक्रम से बच्चे का समग्र विकास

हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल की तत्परता के स्तर में सुधार होता है जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्राथमिक कक्षाओं में उच्च अधिगम स्तर प्राप्त कर पाते हैं। प्री–स्कूल शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की उच्च दर, कम पुनरावृत्ति दर, पढ़ने में अच्छे अंक और गणित और उच्च श्रम बाजार उत्पादकता होती है।

एनएएस परिणाम –2018 रिपोर्ट से यह देखा गया है कि जो छात्र प्री–प्राइमरी स्कूल गए थे उनकी उपलब्धियां बेहतर थीं। उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, 73% छात्र प्री–प्राइमरी स्कूल गए थे।

समग्र शिक्षा प्री–स्कूल शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को पहचानती है, जैसा कि अनेक शोध अध्ययनों में बताया गया है। गुणवत्तापूर्ण प्री–स्कूल शिक्षा से न केवल प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की प्रगति और उपलब्धि बढ़ाती है, यह भावी विकास, अधिगम और विकास की नींव भी रखती है और सकारात्मक दृष्टिकोण और सीखने की इच्छा भी विकसित करती है। इसलिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्री–स्कूल अनुभव प्रदान करना अत्यावश्यक हो जाता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, प्री–स्कूल कार्यक्रम को मौजूदा पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में प्रारंभिक भाषा और साक्षरता और प्रारंभिक संख्यात्मकता के मूलभूत शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, और इस प्रकार प्री–स्कूल से स्कूल की प्रारम्भिक कक्षाओं(कक्षा 1 से 3) तक निरंतरता की पहचान करता है।

समग्र शिक्षा स्कूलों में प्री–स्कूल शिक्षा प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। प्री–स्कूल कार्यक्रम 4–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 2 वर्ष की अवधि तक का होता है। यूडाइस 2015–16 के अनुसार, 41.3 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक स्कूल आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ स्थित हैं। उन सह–स्थित आंगनवाड़ियों के मामले में, जहां 3–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को लिया जाता है, 4–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्री–स्कूल के बच्चों के रूप में माना जाता है। यूडाइस 2016–17 के अनुसार, प्राथमिक कक्षाओं वाले 12.36 लाख स्कूलों में से, 2.94 लाख स्कूलों में, जो 24% होता है, पूर्व–प्राथमिक कक्षा हैं। स्कूलों की पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं (दोनों कक्षाओं) में कुल 1.36 करोड़ बच्चों ने दाखिला लिया, जिनमें से केवल 0.36 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं।

यह योजना स्वच्छता सुविधाओं सहित संरक्षित और सुरक्षित अवसंरचना; विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम, अधिगम गतिविधियाँ, शैक्षणिक अभ्यास और मूल्यांकन; शिक्षकों का व्यावसायिक विकास और सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता पर बल देती है । यह योजना पाठ्यक्रम विकास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण, स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों द्वारा सलाह और सहायता, शिक्षण सामग्री बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित करने पर बल देती है।

ईसीई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यकलाप

- प्री–स्कूल पाठ्यचर्या रूपरेखा के आधार पर एससीईआरटी, केरल ने प्री–स्कूल शिक्षकों के लिए कलीपट्टम हैंडबुक नामक एक कार्यकलाप पुस्तक विकसित और प्रकाशित की है।
- केरल में, प्री–स्कूल के शिक्षकों को प्रभावी कक्षा प्रक्रिया के लिए बच्चों की आयु और विकासात्मक क्षेत्रों पर विचार करते हुए, थीम

के आधार पर अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने और विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, एससीईआरटी द्वारा वर्ष 2017 में एक शिक्षक परिवर्तन कार्यक्रम शुरू किया गया था।

- चंडीगढ़ में, सभी पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं में रंगों के आकर्षक स्पेक्ट्रम के साथ प्रिंट–समृद्ध वातावरण बनाया गया है, जो छात्रों को कार्यात्मक शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने में मदद करता है। पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं वाले 50 स्कूलों में एनिमेटेड वीडियो, नर्सरी राइम्स आदि की स्क्रीनिंग के लिए प्रोजेक्टर सहित कंप्यूटरों के माध्यम से ऑडियो–विजुअल सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2018–19 में राज्य भर के प्राथमिक स्कूलों में प्री–प्राइमरी कक्षाओं का पहला चरण शुरू किया है। एससीईआरटी के साथ, राज्य ने गतिविधि कैलेंडर, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, स्कूल तत्परता पुस्तकें, आओ गाएँ (कविता पुस्तक), आओ खेलें (खेल), वर्कशीट्स, रीडिंग कार्ड और कहानियों की किताबें विकसित की हैं। राज्य ने खेल के माध्यम से सीखने की पद्धति को सफलतापूर्वक अपनाया है और पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं में बाल जिज्ञासा गतिविधियों को शुरू किया है।
- राजस्थान ने प्राथमिक स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को सह–स्थित करने के मॉडल को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है और महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ अभिसरण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
- कर्नाटक में, "मक्कल माने" (बच्चों का घर) नामक प्री–प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की गई थी। राज्य द्वारा यह बताया गया कि प्री–प्राइमरी कक्षाओं वाले ऐसे स्कूलों में नामांकन की संख्या में काफी सुधार हुआ है।
- तमिलनाडु में, एससीईआरटी के साथ, राज्य ने छात्रों के लिए लेखन सामग्री विकसित की है जैसे बच्चों के ग्रोस मोटर स्किल्स विकसित करने के लिए स्ट्रोक बुक्स, ड्राइंग बुक, रंग करने और पेंटिंग की पुस्तकें आदि।
- माता–पिता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, पुदुचेरी यूटी ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा शुरू करने वाले बच्चों का स्वागत करने के लिए सभी स्कूलों में प्री–प्राइमरी शैक्षणिक वर्ष के पुनः शुरू होने पर "प्रवेश उत्सव" मनाया।
- महाराष्ट्र ने एससीईआरटी के सहयोग से "आकार" नामक ईसीई पाठ्यक्रम तैयार किया है और बच्चों का पूर्व–साक्षरता और पूर्व–संख्या कौशल बढ़ाने के लिए गतिविधियां शुरू की हैं।
- सिक्किम ने सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 2 वर्षीय प्री–स्कूल मॉडल का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है।
- असम एससीईआरटी ने'अकोनिर कर्मापुति' नामक अभ्यास–पुस्तक और बिगनेर्स इंग्लिश नामक पाठ्यपुस्तक तैयार की हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष (प्री–स्कूल) शिक्षार्थियों को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के शुरुआती ग्रेड में सुधार हुआ है।
- देश भर में,राज्य और संघ राज्यक्षेत्र गतिविधि–आधारित शिक्षण पद्धति को लागू कर रहे हैं।

प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा संबंधी केस स्टडी
राजकीय एल.पी.एस., पल्लवूर
कोलनकूडु बी.आर.सी., पलक्कड एसएसके, केरल

जीएलपीएस पल्लवूर का प्री–प्राइमरी खंड सरकारी आदेशों के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मौजूदा स्कूल व्यवस्था में कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। यह 2003 में मात्र पांच छात्रों के साथ शुरू हुआ था, और 2019 में, इस खंड में धीरे–धीरे बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 स्टाफ सदस्यों के साथ 125 छात्र हो गए हैं। कहना न होगा कि इस सामाजिक संस्था को स्थायित्व और स्वीकृति का माहौल प्रदान करने में प्री–प्राइमरी खंड ने प्रमुख भूमिका निभाई है।

स्कूल अब भी इस क्षेत्र में मौजूद गैर सहायता प्राप्त सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम स्कूलों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों का धीरे–धीरे और प्रगतिशील रूप से सामना कर रहा है। एससीईआरटी केरल द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तक, 'कल्लीपाटम' ने बाजार में अन्यथा प्रचलित निजी पाठ्यपुस्तक का स्थान ले लिया है।

'अम्माकूडु' नामक नए कार्यक्रम में नन्हें शिक्षार्थियों के साथ अभिभावक अपनी मातृभाषा में सत्र में शामिल हुए। हर महीने अभिभावकों की एक बैठक आयोजित की जाती है (और 90% प्रतिभागी माताएँ होती हैं!)। अभिभावकों द्वारा आयोजित बैठकों में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में माता–पिता को कैसे शामिल किया जाए, इस पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। इसके बाद, स्कूल संसाधन समूह (एसआरजी) ने मॉड्यूल का एक मसौदा तैयार किया। अभिभावकों की एक बैठक में मसौदा फिर से प्रस्तुत किया गया था, और बहुत विचार–विमर्श के बाद, अंतिम मॉड्यूल तैयार किया गया। गतिविधियों को निष्पादित करने का तरीका तय करने के लिए अभिभावक समूह की दो बैठकें बुलाई गई थीं। निष्पादन भाग पूरी तरह से नियोजित, व्यवस्थित और समुचित रूप से किया गया। मॉड्यूल को समझने में शिक्षकों की मदद करने के लिए माताओं का एक पैनल तैयार किया गया। माताओं के समूह के सक्षम नेतृत्व में फील्ड ट्रिप, चित्र बनाना, खेल में प्रशिक्षण, नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करना, व्याकरण कार्ड बनाना, क्ले मॉडलिंग, रेत के गद्दे तैयार करना, विभिन्न बीजों को अंकुरित करना और रोपण करना आदि सभी कार्य किए गए। इन सभी गतिविधियों में आशा कार्यकर्ताओं ने आयोजकों की सहायता भी की। 'अंते ग्रामम' कार्यक्रम के भाग के रूप में, वामाला में कृषि भूमि का दौरा भी किया गया था। बच्चों को उत्सव मैदान में ले जाया गया और पल्लवूर त्रिमूर्ति के गृह में विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों को देखने और समझने के लिए भी ले जाया गया। माताओं के समूह की सहायता से बाल दिवस, ओणम, रमज़ान, क्रिसमस और नव वर्ष सहित स्कूल समारोह आयोजित किए गए थे। माताओं के समूह के लिए खिलौने बनाने और कहानी सुनाने के प्रशिक्षण सत्र विशेष रूप से आयोजित किए गए।

प्राप्त प्रशिक्षण सत्रों के बाद, माताओं के समूह ने कहानियों के लिए चित्र बनाने और कहानियों के कार्ड बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया। अब माताओं के समूह की हर माँ 100 से अधिक कहानियाँ जानती है और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकती है। माताएँ छोटे बच्चों को कहानी सुनाने के लिए स्कूल में जाती हैं और दादीमाँ की कहानियों से भी कई कहानियाँ सुनाती हैं!

पुलिस स्टेशन की यात्रा और केरल पीरवी दीनम को मनाने के लिए स्कूल गार्डन को तैयार करने को भूला नहीं जा सकता। स्कूल ने संस्थान की पहली प्री–प्राइमरी छात्र, कुमारी हसना को भी सम्मानित किया, जो अब तक एमबीबीएस स्नातक हो चुकी हैं।

स्कूल की गतिविधियों के मूल्यांकन के भाग के रूप में, शिक्षकों ने छात्रों के घरों का दौरा किया। एक स्कूल ग्राम सभा और सोशल ऑडिट का भी आयोजन किया गया। पल्लवूर जंक्शन में बरगद के पेड़ के नीचे एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में अम्माकुडु का सामाजिक ऑडिट किया गया। छात्रों द्वारा किए गए कार्यक्रमों के साथ–साथ, समाज के सदस्यों और अभिभावकों के साथ छात्रों के साक्षात्कार भी आयोजित किए गए। स्कूल और किसी विशेष दिन में गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली माताओं को नेनमारा के विधायक, श्री के. बालू द्वारा सम्मानित किया गया।

समग्र शिक्षा के ईसीई घटक के अंतर्गत मुख्य विशेषताएँ 2018–19

- समग्र शिक्षा के तहत, सरकारी स्कूलों में ईसीई के घटक के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 17793.57 लाख रुपए का कुल आवंटन प्रदान किया गया। (स्रोतः पीएमएस समग्र शिक्षा)
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ईसीई गतिविधियों को लागू करने के लिए कुल 1,82,285 स्कूलों की सहायता की गई। (स्रोतः पीएमएस समग्र शिक्षा)
- कुल 3,21,339 सरकारी स्कूलों में प्री–प्राइमरी सेक्शन हैं, जिनमें 97,02,722 (97.02 लाख) बच्चे नामांकित हैं और 2,86,167 (2.86 लाख) प्री–प्राइमरी शिक्षक तैनात हैं। (स्रोतः यू–डाइस 2017–18)
- कुल 7,37,666 (7.37 लाख) आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं। (स्रोतः यू–डाइस 2017–18)
- प्री–स्कूल शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने और समग्र शिक्षा के तहत प्री–स्कूल के दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए जून 2018 में एनसीईआरटी और यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।
- 21 दिसंबर 2018 को प्री–स्कूल शिक्षा पर विश्व बैंक के साथ कार्यशाला आयोजित की गई थी। ईसीई पर विभिन्न मुद्दों पर प्रतिभागियों ने चर्चा की और सिफारिशें की गईं।
- 12 फरवरी 2019 को, एनसीईआरटी, यूनिसेफ और एनसीटीई के साथ सचिव, एमएचआरडी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। प्री–स्कूल शिक्षा पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कार्रवाई बिंदुओं का सुझाव दिया गया।
- इसके अलावा, विभाग ने फ्रेमवर्क विकसित करने और समग्र शिक्षा के तहत ईसीई घटक के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ईसीई पर विषयगत समूह बनाए हैं।

झलकियाँ

;वनतबमरू ैहनद च्वतजंस दक ैजंजम तमचवतजद्ध

समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकालय अनुदान

पढ़े भारत बढ़े भारत (पीबीबीबी) के अंतर्गत गतिविधियों को पूरा करने और सभी उम्र के छात्रों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए, समग्र शिक्षा की योजना के तहत स्कूल पुस्तकालयों को मजबूत किया जा रहा है। पुस्तकों की खरीद के लिए कक्षा I से XII तक के सरकारी स्कूलों को पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया जाता है।

अनेक अकादमिक अध्ययनों से सिद्ध होता है कि पढ़ने की अच्छी आदत अकादमिक प्रदर्शन में सुधार करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से यह देखा गया है कि एक कार्यात्मक पुस्तकालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रभावी है। परिणाम बताते हैं कि उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में, 91% स्कूलों में पुस्तकालय हैं, जबकि कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 62% स्कूलों में पुस्तकालय हैं।

पुस्तकालय, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले संसाधन और वातावरण प्रदान करके एक छात्र को बाल्यकाल से वयस्क तक सफलतापूर्वक तब्दील होने में सहायता करते हैं।

पीबीबीबी की प्रमुख विशेषताएँ

समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुस्तकों की खरीद के लिए 5,000 रु. से लेकर 20,000 रु. तक का अलग पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान निम्नानुसार हैः –

क) प्राथमिक स्कूल के लिए/5000/– रु. तक

ख) उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए/ रु.10,000/– रु. तक।

ग) कम्पोजीट प्राथमिक स्कूलों के लिए/ 1,3,000/– रु. तक (कक्षा पहली से 8 वीं तक)

घ) माध्यमिक स्कूलों (कक्षा 9 वीं और 10 वीं) के लिए /10,000 /– रु. तक।

ङ) कक्षा 6 से 12 तक के लिए/ 15,000 /– रु तक

च) कम्पोजीट माध्यमिक स्कूलों के लिए/ 15,000/– रु. तक (कक्षा 1 से 10 वीं तक)

छ) कम्पोजीट माध्यमिक स्कूलों के लिए/ 15,000/– रु. तक (कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक)

ज) केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए/ 10,000/– रु. तक (कक्षा 11वीं से 12वीं तक)।

झ) कम्पोजिट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के लिए/ 20,000 / –रु. तक (कक्षा 1 से 12 वीं तक)

वर्ष 2018–19 के दौरान, सरकारी स्कूलों में खरीदे जाने वाली पुस्तकों की सांकेतिक सूची तैयार करने और समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, 'पढ़े भारत – बढ़े स्कूल' पहल के तहत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को पुस्तकालय अनुदान के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए, जिसमें एनसीईआरटी, एनबीटी और सरकार द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों की आयु उपयुक्त सूचक/सांकेतिक सूची शामिल थी। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एससीईआरटी सहित अन्य राज्य सरकार प्रकाशकों की सूची से इत्तर

भी बच्चों से संबंधित पुस्तकें खरीदने की अनुमति दी गई।छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपने स्कूल पुस्तकालयों के लिए खरीदी गई पुस्तकों की एक निदर्शी सूची भी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई। दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया कि पुस्तकालय अनुदान से कोई भी समाचार पत्र और पत्रिकाएँ नहीं खरीदी जा सकती।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनसीईआरटी,एनबीटी और अन्य सरकारी प्रकाशनों से उपयुक्त पुस्तकों का चयन करने के लिए एक समिति का गठन करने की सलाह दी गई थी। राज्यों से प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को पुस्तकालय की पुस्तकों को सुरक्षित रखने, उन्हें जारी करने और छात्रों से पुस्तकें वापस प्राप्त करने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी देने के लिए कहा गया। छात्रों द्वारा पुस्तकों के क्षतिग्रस्त होने अथवा फटने पर पुस्तकालय प्रभारी शिक्षक पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए और क्षतिग्रस्त पुस्तकों की मरम्मत के लिए स्कूल में पुस्तकालय अनुदान का 5% निर्धारित किया जा सकता है।

पाठक क्लब

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में रीडर्स क्लब स्थापित करने की सलाह भी दी गई है। स्कूलों में पुस्तक पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। बच्चों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ाने के लिए स्कूल इन गतिविधियों का अनुसरण कर सकते हैं जैसे कि कहानी या कविता पढ़ना, कहानी सुनाना सत्र, कहानी लेखन, एक वाल मैगज़ीन तैयार करना, कहानी या कविता तैयार करना आदि। रीडर्स क्लब दिल्ली और पुदुचेरी के सरकारी स्कूलों में स्थापित किया गया है।

वर्ष 2018–19 में, विभिन्न श्रेणियों के 702250 स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के तहत 47396.14 लाख रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया था।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल अनुदान

स्कूलों में खेल, बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। बच्चे के विकास के संदर्भ में इनके लाभ को कई डोमेनः शारीरिक, जीवनशैली, सामाजिक, सकारात्मक और संज्ञानात्मक, में प्रस्तुत किया जा सकता है।

खेलों में बच्चों के बुनियादी संचलन कौशल और शारीरिक दक्षताओं के विकास में विशिष्ट योगदान देने की क्षमता है, जो जीवन शैली और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए आवश्यक अग्रदूत हैं। खेल भी, जब उचित रूप से खेले जाते हैं, सामाजिक कौशल और सामाजिक व्यवहार, आत्म–सम्मान और स्कूल–समर्थक मनोभावों के विकास और कुछेक परिस्थितियों में, शैक्षणिक और संज्ञानात्मक विकास का समर्थन कर सकते हैं।

खेलों के अनेक लाभ हैं। शारीरिक शिक्षा बच्चों को अपने और दूसरों के शरीर के प्रति सम्मान विकसित करने में सहायता करती है मस्तिष्क और शरीर के एकीकृत विकास में योगदान देती है, स्वास्थ्य में एरोबिक और एनारोबिक शारीरिक गतिविधि की भूमिका के बारे

में समझ विकसित करती है, सकारात्मक रूप से आत्मविश्वास और आत्म–सम्मान को बढ़ाती है और सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ाती है। यह अन्य लोगों के साथ मिलने और उनसे बातचीत करने, विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं को निभाने, दूसरों के प्रति सम्मान और सहयोग जैसे विशेष सामाजिक कौशल सीखने और सहयोग एवं एकजुटता जैसे टीम/सामूहिक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिताने के लिए अवसर प्रदान करती है।

समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बच्चों के ट्रांजिशन को सुविधाजनक बनाने और स्कूल शिक्षा को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्री–स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर तक एक एकीकृत/समग्र स्कूल प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करती है। इस योजना का ध्येय शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार प्री–स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत पहली बार खेल उपकरण के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक सरकारी स्कूल को इनडोर और आउटडोर खेलों हेतु खेल उपकरण खरीदने पर खर्च करने हेतु प्राथमिक स्कूलों के लिए 5000 रुपए, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के लिए 10,000 रु. और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए 25,000 रु तक का खेल अनुदान प्राप्त होगा।

वर्ष 2018–19 के दौरान, सरकारी स्कूलों में खरीदे जाने वाले खेल उपकरणों की एक सांकेतिक सूची तैयार करने और समग्र शिक्षा के अंतर्गत खेल अनुदान के लिए दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। ''खेले इंडिया–खिले इंडिया'' पहल के तहत,कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, खेल अनुदान के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा–निर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में सरकारी स्कूलों के लिए आयु उपयुक्त खेल उपकरणों की एक सांकेतिक सूची शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों को संबंधित राज्य/क्षेत्र के पारंपरिक/क्षेत्रीय खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रत्येक स्कूल में एक जिम्मेदार व्यक्ति/शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) / शिक्षक प्रभारी को खेल उपकरणों की देखभाल और उनके स्टॉक की स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

वर्ष 2018–19 में विभिन्न श्रेणियों के 894307 सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 506.90 करोड़ रुपये के परिव्यय की स्वीकृति दी गई।

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा

सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेशी शिक्षा पूर्ववर्ती एसएसए और आरएमएसए योजनाओं की प्रमुख पहलों में से एक रही है। समग्र शिक्षा के लिए एकीकृत योजना में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है। यह घटक विभिन्न छात्र उन्मुखी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन की पहचान और मूल्यांकन, सहायता, उपकरण, सुधारात्मक सर्जरी, ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें और वर्दियाँ, चिकित्सीय सेवाएं, शिक्षण–अधिगम सामग्री का विकास (टीएलएम), सहायक यंत्र और उपकरण पर्यावरण निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रकृति और सीडब्ल्यूएसएन की प्रकृति और जरूरतों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण और जागरूकता पैदा करने के लिए, अनुदेशात्मक सामग्रियों की खरीद / विकास, पाठ्यक्रम अनुकूलन पर विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों का सेवा प्रशिक्षण, विशेष जरूरतों वाली लड़कियों के लिए वजीफा आदि शामिल हैं। यह घटक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (6–14 वर्ष की आयु के भीतर) के लिए निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर बल देता है। इसके अतिरिक्त, सीडब्ल्यूएसएन की आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए अलग–अलग संसाधन सहायता (विशेष शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता) भी उपलब्ध कराई जाती है।

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पहले 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को कार्यान्वित कर रहा था। एसएसए ने समावेश की अवधारणा के बारे में अधिक विस्तार और एक व्यापक–समझ को अपनाया था, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन को शिक्षित करने का एक बहु–विकल्प मॉडल लागू किया जा रहा था।

आरटीई अधिनियम, 2009 में सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश है। यह अधिनियम एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है जो 6–14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है। आरटीई अधिनियम की धारा 3(2) में दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। 2012 के संशोधन के अनुसार, यह भी अनिवार्य है कि एक से अधिक और / या गंभीर दिव्यांगताओ वाले बच्चों को घर पर शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प चुनने का अधिकार है।

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए माध्यमिक चरण (आईईडीएसएस) में दिव्यांगजनों के लिए एक योजना लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी दिव्यांग छात्रों को आठ वर्ष की प्राथमिक स्कूल शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक समावेशी और समर्थकारी माहौल में चार वर्ष (IX से XII)की माध्यमिक शिक्षा को पूरा करने का अवसर प्रदान करना है।

वर्तमान में, समग्र शिक्षा का उद्देश्य कक्षा I से XII तक एक निरंतरता में सभी सीडब्ल्यूएसएन को कवर करना है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, वर्ष 2018–19 में, 15,909 संसाधन शिक्षकों/विशेष शिक्षकों, और की वित्तीय सहायता (मानदेय/वेतन के लिए) सहित 21,00,918 सीडब्ल्यूएसएन (कक्षा I से XII तक) की शिक्षा के लिए 1323.20 करोड़ रुपये और बीआरसी/सीआरसी/यूआरसी स्तरों पर कार्यरत 11865 संसाधन व्यक्तियों / संसाधन शिक्षकों (सीडब्ल्यूएसएन के लिए) के वेतन हेतु 300 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए कुल 27774 विशेष शिक्षकों और संसाधन शिक्षकों/व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया था। वर्ष 2018–19 में गंभीर/एकाधिक दिव्यांगता वाले कुल 43996 बच्चों को 9.22 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ गृह– आधारित शिक्षा के माध्यम से कवर किया गया था।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत शामिल सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रावधान

i) सहायता को 3000 रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3500 रुपए प्रति बालक प्रति वर्ष किया गया है। बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करने और उनकी स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए विशेष आवश्यकताओं वाली बालिकाओं को पहले कक्षा IX से XII (आरएमएसए) में आवंटित स्टाइपेंड का विस्तार कक्षा I से XII (समग्र शिक्षा) तक किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है।

ii) समग्र शिक्षा योजना के तहत गंभीर/एक से अधिक विकलांगता वाले बच्चों को शामिल करने वाली गृह आधारित शिक्षा के प्रावधान को बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए बढ़ाया गया है।

iii) प्रारम्भिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सीडब्ल्यूएसएन की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं को उचित रूप से हल करने के लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता के लिए अलग से आवंटन किया गया है।

iv) मौजूदा और नए विशेष शिक्षकों के लिए मानदेय/वेतन के लिए वित्तीय सहायता (शिक्षकों के वेतन के लिए समग्र शिक्षा मानदंडों के अनुसार)। यह आवंटन छात्र उन्मुख घटक के लिए किए गए 3500/ रु. के मानदंड के अतिरिक्त है।

सीडब्ल्यूएसएन की आवश्यकताओं को पूरा करना – समग्र शिक्षा के अंतर्गत अन्य घटक

क्र. सं.	सिविल कार्य	आरटीई पात्रता	स्कूल न जाने वाले बच्चे (ओओएससी)/ पहुँच	आईसीटी योजना	अध्यापक शिक्षा	व्यावसायिक शिक्षा	केजीबीवी/ आवासीय स्कूल
	• हैंड रेल वाले रेंप • दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय	• ब्रेल पुस्तकें, बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें • वर्दियाँ	• पहचान • स्कूल तत्परता कार्यक्रम	स्कूलों में सॉफ्टवेयर, अन्य तकनीकी सोलुशन्स और विशेष शिक्षकों / संसाधन व्यक्तियों और सीडब्ल्यूएसएन की निगरानी, मूल्यांकन और अधिगम वृद्धि के लिए संसाधन कक्ष।	संसाधन व्यक्तियों/ संसाधन शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता	विभिन्न लाइन विभागों और संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और समन्वय	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए नामांकन, भत्ते और अन्य मानव संसाधन सहायता।

अभिसरण का परिप्रेक्ष्य

समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, लोक निर्माण विभाग (पीडबल्यूडी), सीपीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) आदि का प्रयास होगा कि उनके द्वारा वित्त पोषित अथवा मान्यताप्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करें और इसके लिए निम्नलिखित कार्य करें:

- उन्हें भेदभाव के बिना दाखिला दें और शिक्षा तथा खेल एवं मनोरंजन गतिविधियों के लिए दूसरों के समान अवसर प्रदान करें।
- भवन, परिसर और विभिन्न सुविधाओं को सुलभ बनाएँ।
- व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास प्रदान करें।
- ऐसे माहौल में व्यक्तिगत या अन्यथा आवश्यक सहायता प्रदान करें जिसमें पूर्ण समावेशन के लक्ष्य के अनुरूप अधिकाधिक शैक्षिक और सामाजिक विकास हो सके।
- यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति दृष्टिहीन अथवा बधिर अथवा दोनों हैं, उन्हें सर्वथा उचित भाषाओं और संचार के साधनों में शिक्षा प्रदान की जाए।
- बच्चों में सीखने की विशिष्ट अक्षमताओं का जल्द से जल्द पता लगाएं और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करें।
- प्रत्येक दिव्यांग छात्र के संबंध में समझने का स्तर और शिक्षा पूरी करने के अर्थ में भागीदारी और प्रगति को मॉनिटर करें।
- दिव्यांग बच्चों और उनके परिचारकों को परिवहन सुविधा प्रदान करना।
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को कम करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूदा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) और माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास की योजना को कक्षा–बारहवीं तक आवासीय और स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया है।

यह योजना छठी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने की इच्छुक 10–18 वर्ष की आयु की वंचित समूहों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए पहुँच और गुणवतापूर्ण शिक्षा का प्रावधान करती है ताकि वे प्रारंभिक से माध्यमिक और जहां संभव हो, कक्षा बारहवीं तक सुचारु रूप से जा सकें। केजीबीवी प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) में कक्षा छठी–बारहवीं तक की बालिकाओं के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय होने की सुविधा प्रदान करता है।

इस योजना को 29 राज्यों में लागू किया जा रहा है जो असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, डी एंड एन हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल हैं।

केजीबीवी को जनशक्ति लागतसहित सभी खर्चों के लिए निम्नानुसार आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है:

i) VI से VIII कक्षा के लिए 60 लाख रूपए प्रतिवर्ष की दर पर टाइप - I;

ii) VI से X कक्षा के लिए 80 लाख रूपए प्रति वर्ष की दर पर टाइप - II;

iii) VI से XII कक्षा के लिए 1 करोड़ रूपए प्रति वर्ष की दर पर टाइप - III;

iv) IX से XII तक की कक्षाओं के लिए 25 लाख रूपए प्रति वर्ष की दर पर टाइप IV मौजूदा स्टैंड– अलोन बालिका छात्रावास।

2018–19 तक समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों को 725700 बालिकाओं की क्षमता वाले कुल 5970 केजीबीवी की मंजूरी दी गई थी। उनमें से, 590276 बालिकाओं के साथ 4841 केजीबीवी संचालनरत हैं। 590276 बालिकाओं के नामांकन में से, 162533 एससी (27.54%), 156087 एसटी (26.44%), 195925 ओबीसी (33.19%) हैं, 31171 मुस्लिम (5.28%) और 44560 बीपीएल श्रेणी (7.55%) हैं। 2018–19 में समग्र शिक्षा के तहत 1,232 केजीबीवी को कक्षा X/XII में अपग्रेड किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया एक घटक है। इस योजना की मंशा अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार के विभिन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षित, रोजगार योग्य और प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से सामान्य शैक्षणिक

व्यावसायिक छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोगशालाएँ

रोल प्ले–ब्युटी एंड वेलनेस

रोल प्ले– सेक्युरिटी

रोल प्ले – रीटेल

रोल प्ले – हैल्थकेयर

रोल प्ले– आटोमोबाइल

शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना है। 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों को एनएसक्यूएफ़ अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। माध्यमिक स्तर पर अर्थात् कक्षा 9 वीं और 10 वीं में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात कक्षा XI और XII में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अनिवार्य (इलेक्टिव) विषय के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना में 19 क्षेत्रों यानी कृषि, एपेरल मेड अप एंड होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज (बीएफएसआई), ब्यूटी एंड वेलनेस, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, हेल्थकेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी/आईटीईएस), मीडिया और मनोरंजन, मल्टी स्किलिंग, शारीरिक शिक्षा और खेल, प्लम्बर, खुदरा, सुरक्षा, दूरसंचार, पर्यटन और आतिथ्य, परिवहन लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में 55 रोजगार भूमिकाओं को शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 24 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के घटक के कार्यान्वयन के लिए 1501 स्कूलों कोअनुमोदित किया गया था। इस घटक के तहत 2018–19 तक स्वीकृत कुल 9623 स्कूलों में से 8,650 स्कूलों में 8,33,041 छात्रों के नामांकन के साथ व्यावसायिक शिक्षा लागू की गई है।

राज्यों के समक्ष आ रहे विभिन्न कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पीएसएस केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल में दिसंबर 2018 से फरवरी, 2019 तक चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

21 – 22 फरवरी, 2019 को एनसीईआरटी में राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजनकिया गया था, जिसमें राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित स्कूल शिक्षा योजना के विभिन्न निगरानी तंत्र के बारे में संवेदनशील बनाया गया।

समग्र शिक्षा के लोगो (प्रतीकचिन्ह) का प्रदर्शन

लोगो स्कूल के उद्देश्य और भावना का प्रतीक है जो कक्षा–कक्ष के अनुदेशों पर ध्यान केंद्रित करता है और समुदाय को एकजुट करने में मदद करता है। किसी स्कूल का लोगो भावना को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर स्कूल, छात्र और समुदाय के बीच एक यह बंधन बनाने में मदद करता है। इस प्रकार, सभी स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपने परिसर में लोगो को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, मध्यान्ह भोजन जैसी सुविधाओं के साथ "समग्र शिक्षा" का लोगो होना चाहिए।लोगो को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद के माध्यम से विकसित किया जा रहा है।

इस प्रयोजनार्थ योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रति स्कूल की राशि प्रदान की जाती है।

निःशुल्क वर्दियां एवं पाठ्यपुस्तकें

प्रारंभिक शिक्षा के प्रति विजन और दृष्टिकोण को नियमित स्कूलों में बच्चे के अधिकारों और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्व एसएसए में दर्शाया गया था। आरटीई अधिनियम सरकारी स्कूलों में 6.14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। योजना के तहत वर्दी, पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्ति और परिवहन सुविधाओं के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करके वित्तीय बाधाओं के मुद्दे को हल करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

स्कूल की वर्दी का उद्देश्य स्कूल सेवाओं का उपयोग करने वाले बच्चों के लिए स्कूल के स्वामित्व और स्वामित्व की भावना को प्रेरित करना है। यूनिफ़ॉर्म में एक खर्च शामिल होता है, जो गरीब परिवार अक्सर

वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं, और इस तरह कई बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए एक बाधा बन जाते हैं। आठवीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए वर्दी के दो सेटों का आवंटन पूर्व के एसएसए के तहत 400 रुपये से बढ़ाकर समग्र शिक्षा के तहत 600 रूपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष कर दिया गया है। ।

पाठय पुस्तकों का उचित उपयोग स्कूलों में प्रदान की जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक प्रमुख संकेतक है। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को भी स्कूल के बाहर बच्चे के जीवन के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए, और इस व्यापक दुनिया के बारे में सीखने के अवसरों को प्रदान करने के साथ–साथ उनकी भाषा, समाज और जीवन के तौर–तरीकों में बच्चे के गौरव को सुदृढ़ करना चाहिए। इस लिए, पाठ्य पुस्तक बनाने में सुधार, जिसमें लेआउट और डिज़ाइन, पाठ और कवर पेपर आकार और विनिर्देशों, स्याही, मुद्रण और जिल्दसाजी आदि शामिल हैं, का व्यापक प्रभाव है।

सभी बच्चों को पाठ्यपुस्तकों के लिए आवंटन तत्कालीन एसएसए के 150/250 रू. से समग्र शिक्षा के तहत प्रति बच्चा 250 से 400 रुपये बढ़ाया गया है। आदिवासी भाषाओं के लिए अंतराल को कम करने संबंधी सामग्री के साथ प्राइमर/पाठ्यपुस्तकें भी विकसित की गई हैं, जिनसे राज्य भाषा और अंग्रेजी माध्यम में जाने में सुविधा हो। सक्रिय पाठ्यपुस्तकों को भी शुरू किया गया है।

2018–19 के दौरान 83266829 बच्चों को मुफ्त वर्दी के लिए समग्र शिक्षा के तहत 479635.17 लाख रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया। सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक की मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। 2018–19 में 308042.25 लाख रु. के परिव्यय के साथ 10.14 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।

ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) का सुदृढ़ीकरण और रिपोर्टिंग में उनकी भूमिका

बीआरसी / यूआरसी और सीआरसी की अवधारणा डीपीईपी, लोक जुंबिश, शिक्षा कर्मी, आदि पहल में उनके अच्छे प्रदर्शन के आधार पर की गई थी। वर्तमान मेंए देश में 81563 कार्यात्मक सीआरसी और 7036 बीआरसी हैं। हालांकि, शैक्षणिक संसाधन केंद्रों के रूप में उनकी क्षमता का अभी उपयोग किया जाना है और उनकी भूमिका और कार्यों को अकादमिक रूप से चैनलाइज किया जाना है। बीआरसी/यूआरसी और सीआरसी को समस्याओं का अध्ययन करने और स्कूलों में शैक्षणिक मुद्दों के समाधान के लिए रणनीति तैयार करने के लिए संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

क्लस्टर संसाधन केंद्र स्कूलों और शिक्षकों को प्रशिक्षण और साइट पर सहायता के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। सीआरसी को नियमित रूप से दौरे करने और बेहतर स्कूल प्रदर्शन के लिए शैक्षणिक मुद्दों और डिजाइन रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कर्मचारियों की अपर्याप्तता और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण स्कूल देखरेख पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। बीआरसी और सीआरसी की स्थापना के माध्यम से पूर्ववर्ती एसएसए के तहत किए गए प्रयासों ने मामलों में मामूली सुधार किया है, लेकिन समग्र स्थिति अनिवार्य रूप से अपरिवर्तित रही है। अवसंरचना और सुविधाओं और प्रशासनिक पहलुओं का निरीक्षण करने के लिए स्कूलों का आवधिक निरीक्षण और पर्यवेक्षण महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक उन्नयन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और यह देखने के लिए कि स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रणाली अपेक्षित रूप से संचालित हो रही है। शैक्षणिक और पाठ्यचर्या सहायता की एक उचित प्रणाली विकसित की जानी है इस संदर्भ में, सीआरसी

के सुदृढ़ीकरण को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाने की आवश्यकता है और सीआरसी समन्वयकों को लगातार निगरानी करनी चाहिए और उन्हें स्कूलों में बार–बार जाना चाहिए और शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए, बेहतर स्कूल प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। इन दौरों का उद्देश्य शिक्षकों को पाठ्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करना होगा – विशेष रूप से पाठ्यक्रम के साथ प्रगति, जिस तरह से पाठ्यपुस्तकों और अन्य सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को विकसित करने में शिक्षकों का मूल्यांकन और सहायता करना है।

ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी लक्षित समूहों, अर्थात्, शिक्षक, प्रधानाचार्य, ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्र के समन्वयक आदि को एक ही मंच पर लाया जाएगा और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके अनुरूप सामग्री से उन्मुख किया जाएगा। निरंतर निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और यह सुनिश्चित करने हेतु कि प्रशिक्षण को कक्षा अध्ययन में उपयोग किया जा रहा है। स्कूल के डीईओ, बीआरसी और सीआरसी द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाएगा। डीईओ को प्रत्येक ब्लॉक से कम से कम एक स्कूल के दौरे पर जाना चाहिए और इसी तरह बीआरसी से प्रत्येक क्लस्टर में एक महीने में एक स्कूल का दौरा करना चाहिए।

सीआरसी से अपेक्षा की जाती है कि वह दो महीने में कम से कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र के सभी स्कूलों का दौरा करे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए तंत्र उपलब्ध होगा और रिपोर्टों के दो भाग होंगे, (i) प्रशासनिक और शासन के मुद्दे (ii) सीखने के परिणामों में सुधार। सीआरसी को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक स्कूल की प्रत्येक वर्ष कम से कम 05 रिपोर्ट इसके लिए तैयार किए जा रहे मोबाइल एप पर अपलोड करनेके लिए 1000/– प्रति स्कूल प्रति वर्ष की राशि प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के तहत, स्कूलों की जनगणना करने का प्रस्ताव है जिसमें ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन व्यक्ति भी शामिल होंगे। एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से संसाधन व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं पर डेटा कैप्चर करेंगे। इस तरह प्राप्त डेटा को यूडाइज – डेटा के साथ क्रॉसचेक किया जाएगा और विसंगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ये रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी जाएंगी।

समग्र शिक्षा के तहत व्यय की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सेवाएँ और सुविधाएँ स्कूलों तक पहुँचती हैं, सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में प्रत्येक हेड मास्टर और प्रिंसिपल और क्लस्टर संसाधन व्यक्तिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों और जिला स्तर के अधिकारियों से उनके तहत स्कूलों की हर दो महीने में रिपोर्ट प्राप्त करने की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना की गई है। रिपोर्टिंग मोबाइल एप्स के माध्यम से की जाएगी जो एक केंद्रीय सर्वर पर संकलित की जाएगी जहां सॉफ्टवेयर विसंगति रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके बाद उसका अनुपालन किया जाएगा।

ट्रांसपोर्ट और एस्कार्ट सुविधा

यह योजना प्राथमिक स्कूलों में कक्षा I-VIII के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए (सीडब्ल्यूएसएन) और विशेष परिस्थितियों में ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट सुविधा के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों तक पहुंच प्रदान करती है। छितरी आबादी वाले सुदूर बस्तियों या दूरदराज के क्षेत्रों या शहरी इलाकों जहांभूमि की उपलब्धता एक समस्या

है या अत्यंत वंचित समूहों या सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित बच्चों को स्कूलों तक पहुंच नहीं मिल पाती है। छितरी आबादी, पहाड़ी/घने जंगलों/रेगिस्तानी इलाकों, साथ ही शहरी क्षेत्रों, जहां भूमि की अनुपलब्धता राज्य के 'पड़ोस' मानदंडों के अनुसार स्कूलों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त है, में बच्चों का एस्कॉर्ट या परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह बहुत छोटे आवासों में रहने वाले बच्चों (दूरदराज, रेगिस्तानी/आदिवासी क्षेत्रों में) की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता हैए जहां स्कूल खोलना व्यवहार्य नहीं है, ऐसे बच्चों की पहुंच को स्कूल से घर तक मुफ्त परिवहन प्रदान करके या आवासीय सुविधा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। आरटीई अधिनियम के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कम दूरी और कम नामांकन के आधार पर स्कूलों में बच्चों को पास के स्कूलों के साथ समेकित कर के ऐसी परिवहन सुविधा प्रदान की जा सकती है।

तत्कालीन एसएसए, के तहत प्रति वर्ष प्रति बच्चे 3000 रु.के वित्तीय प्रावधान को दूरी, इलाके के अनुसार होने वाली वास्तविक लागत परिवहन सुविधा के प्रकार के आधार पर प्रति बच्चा प्रति वर्ष अधिकतम 6000 रू. तक बढ़ाया गया है।

स्कूल अवसंरचना विकास

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 एक मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के लिए मानक और मानदंड प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की अनुसूची में एक स्कूल के लिए अन्य बातों के साथ–साथ मानदंडों और मानकों का उल्लेख है, जिसमें एक सभी मौसम स्कूल भवन का भी प्रावधान है। अनुसूची में चारदीवारी या बाड़ लगाकर स्कूल भवन को सुरक्षित करने की व्यवस्था भी है। केंद्रीय आरटीई नियम, 2010 में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले एक स्कूल विकास योजना तैयार करेगी, जिसे अधिनियम के तहत पहली बार गठित किया जाता है। विद्यालय विकास योजना में अन्यों के साथ–साथ बुनियादी ढांचे और उपकरणों की भौतिक आवश्यकता होगी, जिनकी अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार गणना की जाती हैं। आरटीई नियम यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि जो स्कूल मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप पाए जाते हैं, उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और उन स्कूलों की मान्यता वापस लेनी चाहिए जो आरटीई नियमों में उल्लिखित मानदंडों, मानकों और शर्तों के अनुरूप नहीं हैं।

समुचित सरकारों के पास आरटीई अधिनियम, 2009 और संबंधित राज्य आरटीई नियमों की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा और शौचालयों सहित स्कूल के बुनियादी ढांचे को प्रदान करने की जिम्मेदारी और जनादेश है। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के माध्यम से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के माध्यम से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन के लिए राज्य सरकारों और यूटी प्रशासनों की सहायता की है। स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं की आवश्यकता हर साल संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा वृद्धिशील आधार पर उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर आंकी जाती है और यह उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है।

समग्र शिक्षा मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है।

i) 2017–18 तक पूर्ववर्ती एसएसए के तहत भौतिक प्रगति और 2018–19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के प्राथमिक घटक निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मुख्य घटक	समेकित स्वीकृति	समेकित उपलब्धि 31–12–2018 तक (पूर्ण)
1	प्राथमिक स्कूल	200968	188085
2	उच्च प्राथमिक स्कूल	111779	107730
	कुल स्कूल:	312747	295815
3	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1889689	1810286
4	पेयजल	240564	234017
5	छात्रों के लिए शौचालय	399351	378090
6	छात्राओं के लिए अलग शौचालय	522398	511061
7	सीडब्ल्यूएसएन शौचालय	141415	124458
	कुल शौचालय:	1063164	1013609
8	हैंड रेल के साथ रैम्प	265002	246311
9	इलैक्ट्रिफिकेशन	208215	190638

स्रोत: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त क्यूपीआर

ii) 2017–18 तक पूर्ववर्ती आरएमएसए और 2018–19 से प्रभावी समग्र शिक्षा द्वितीयक घटक के लिए वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मुख्य घटक	समेकित स्वीकृति	समेकित उपलब्धि 31–12–2018 तक (पूर्ण)
1.	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	53,778	37,018
2.	विज्ञान प्रयोगशालाएं	27,414	19,321
3.	कम्प्यूटर कक्ष	19,875	13,821
4.	पुस्तकालय	26,838	19,208
5.	शौचालय ब्लॉक	20,403	14,474
6.	पेयजल सुविधाएं	11,892	10,056

स्रोत: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त क्यूपीआर

iii) समग्र शिक्षा के अंतर्गत 2018–19 से वास्तविक प्रगति इस प्रकार है: –

क्र. सं.	सुविधाएं	प्राथमिक शिक्षा		माध्यमिक शिक्षा	
		पीएबी अनुमोदन (संचयी)	पूर्ण कार्य (संचयी)	पीएबीस्वीकृति (संचयी)	पूर्ण कार्य (संचयी)
1.	पेयजल	382	344	62	0
2.	छात्रों के लिए शौचालय	4595	1330	159	4
3.	छात्राओं के लिए शौचालय	4571	1538	181	12

स्रोत: आज की तारीख में पीएमएस पोर्टल।

समग्र शिक्षा योजना में सभी सरकारी स्कूलों के लिएए छात्रों की संख्या के आधार पर 1,00,000/– रू. तक की वार्षिक आवर्ती समग्र विद्यालय अनुदान की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक विद्यालय को स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के तहत शौचालयों के रखरखाव सहित गतिविधियों पर समग्र विद्यालय अनुदान का कम से कम 10% खर्च करना आवश्यक है। इस योजना में मौजूदा स्कूल भवन, शौचालय और अन्य सुविधाओं की मरम्मत और

वार्षिक रखरखाव का प्रावधान है ताकि अवसंरचना को अच्छी हाल में रखा जा सके।

समग्र शिक्षा के तहत सीखने के परिणामों और आकलन में सुधार

अधिगम परिणाम

प्रारंभिक स्तर के लिए लर्निंग आउटकम दस्तावेज़ को दो रूपों में विकसित किया गया है। पूर्ण दस्तावेज़ में कक्षा I से VIII तक पाठ्यक्रम अपेक्षाएँ, शैक्षणिक प्रक्रियाएँ और सीखने के परिणाम शामिल हैं। यह दस्तावेज़ शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के लिए स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बढ़ाने के लिए है और कॉम्पैक्ट संस्करण में केवल प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय के लिए सीखने के परिणाम हैं। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (बिना विधानसभा वाले यूटी और जम्मू और कश्मीर ने केंद्रीय नियमों को अपनाया है) ने अपने राज्य के नियमों में सीखने के परिणामों को शामिल किया है।

एनसीईआरटीने 190 प्राथमिक और 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में इछावर नामक एक ब्लॉक को अपनाया है ताकि छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाया जा सके। आधारभूत सर्वेक्षण के बादए पिछले एक वर्ष से किट और अन्य सामग्री तथा कला एकीकृत शिक्षण सहित सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं के संबंध में इनपुट प्रक्रिया जारी हैं।

अन्य क्षेत्रों में पांच और ब्लॉक (दक्षिण, पूर्व, उत्तर प्रत्येक में एक और उत्तर पूर्व में दो) एनसीईआरटी द्वारा अधिगम परिणामों को बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी शिक्षण और सामग्री को लागू करने हेतु अपनाया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों कक्षाओं के लिए सीखने के परिणामों की उपलब्धि पर अनुदैर्ध्य अध्ययन करने की योजना बनाई गई है।

एनसीईआरटीने सीखने के परिणामों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए देश के छह ब्लॉकों में शोध अध्ययन किए। अनुसंधान अध्ययन सेः (i) प्रत्येक कक्षा के सीखने के परिणामों की उपलब्धि में एनसीईआरटी द्वारा विकसित रणनीतियों और सामग्रियों की पर्याप्तता का आकलन करने (ii) सीखने के परिणामों की उपलब्धि में एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई कार्यनीतियों और सामग्रियों में सहायक होगी।

अन्य प्रमुख प्रदर्शन संकेतक सहित लर्निंग आउटकम के मुद्दे को हल करने के लिए संबंधित एससीईआरटी और जिला प्रशासन के सहयोग से महत्वाकांक्षी जिलों में कार्यक्रम तैयार करने की भी योजना है।

द्वितीय चरण के लिए सीखने के परिणाम एनसीईआरटी द्वारा विकसित किए जा रहे हैं और अंतिम रूप देने के बाद साझा किए जाएंगे।

2017–18 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण

एनएएस ने कक्षा 3, 5, 8 और 10 में छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन किया। शुरू में जिला रिपोर्ट कार्ड जारी किए गए और बाद में मई, 2018 में कक्षा 3, 5 और 8 और नवंबर, 2018 के महीने में कक्षा 10 के लिए वेबसाइट पर राज्य अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। निम्नलिखित दो स्टेट लर्निंग रिपोर्ट्स के लिंक हैं।

http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/SRC.html
http://www.ncert.nic.in/programmes/NAS/SRCX.html

पोस्ट एनएएस इंटरवेंशन (2018–19) को विभिन्न राज्यों में सभी जिलों तक पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। जिलों को फीडबैक प्रदान करने के लिए पहचाने किए गए सीखने के अंतराल का उपयोग किया गया था। स्कूलों में सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कार्यक्रम फ्रेमवर्क सुझाया जा रहा है। कार्यक्रम फ्रेमवर्क की डिजाइनिंग और कार्यान्वयन में स्कूल नेतृत्व, शिक्षकों और क्लस्टर, ब्लॉक, डाइट, एससीईआरटी और विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों का पूरा नेटवर्क शामिल है।

विभिन्न मध्यम अवधि के पोस्ट एनएएस हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं, जिसमें डायट, बीआरसीसी और अन्य हितधारकों के साथ एनएएस के निष्कर्षों को साझा करना है; विभिन्न ग्रेड स्तरों पर सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए सीखने की रणनीतियों को विकसित करने हेतु बीआरसीसीए सीआरसीसी और शिक्षकों का उन्मुखीकरणय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन आंकड़ों के उपयोग में स्कूल नेतृत्व का उन्मुखीकरण; राज्य के अधिकारियों (एससीईआरटी/एसआईई) के सहयोग के साथ सीखने के अंतराल को कम करने के लिए वैकल्पिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करने में शिक्षकों को सुविधा प्रदान करना और सीखने के स्तर में सुधार के लिए समुदाय से सहयोग प्राप्त करना शामिल है।

एनसीईआरटी द्वारा जिला कार्रवाई योजनाओं के विकास के लिए छत्तीसगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और गोवा के सहयोग से पोस्ट एनएएस हस्तक्षेप शुरू किया गया है।

स्कूल आधारित मूल्यांकन

2017/2018 में आयोजित एनएएस के दौरान 3.7 मिलियन छात्रों के सर्वेक्षण से एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, और बाद में एनसीईआरटी द्वारा सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए एकलक्षित हस्तक्षेपों की रूपरेखा बनाने के लिए, 2019 में इसे स्कूल के आधार मूल्यांकन (एसबीए) पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया हैएजो संबंधित स्कूलों द्वारा छात्रों की गुणात्मक और गैर–विवादास्पद मूल्यांकन प्रक्रिया होगी।

बाहरी मूल्यांकन के साथ मिलकर ये मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन तकनीक, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि वांछित सीखने के परिणाम प्राप्त हो गए हैं। ये दोनों मूल्यांकन आवश्यक हैं और ये एक तार्किक निरंतरता बनाते हैं।

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना

विभाग विभिन्न स्तरों पर स्कूली शिक्षा में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय केंद्र के तहत राज्य स्तर की इकाइयाँ भी होंगी। वे स्वतंत्र रूप से लर्निंग आउटकम के विभिन्न आकलन करेंगे। आयोजित किए गए आकलन अंतरराष्ट्रीय मानकों के होंगे।

सीखने के आकलन छात्रों के सीखने के परिणामों और पृष्ठभूमि और पर्यावरणीय कारकों पर जानकारी प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता को समझने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इन परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह के आकलन पहुंच, गुणवत्ता, दक्षता और समानता के मुद्दों के संबंध में शिक्षा प्रणाली पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। शिक्षण परिणाम अभिमुखी मूल्यांकन न केवल छात्र शिक्षण को शिक्षण सामग्री से क्षमताओं पर ध्यान देने की ओर ले जाने में मदद करेगा, इससे अध्यापक को अपनी शिक्षण–अधिगम को मनचाहे तरीके से परिवर्तित करने में भी मदद मिलेगी और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को, खासतौर पर माता–पिता/अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, समुदाय और राज्य के कार्यकर्ताओं को गुणवत्ता प्रबंधन सुनिश्चित करने में उत्तरदायी बनाएगी। स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण–परिणाम विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को निर्देशित करने और सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी)

- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी) 9 वीं से 12 वीं कक्षा के लिए आईसीटी लैब के साथ–साथ सभी 1,03,942 सरकारी स्कूलों में एक स्मार्ट क्लास रूम प्रदान करने की एक पहल है। यह छात्रों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से व्याख्यान प्राप्त करने और उच्च गुणवत्ता वाली ई–सामग्री तक पहुंचने में सक्षम करेगा जो छात्रों की समग्र सीखने की प्रक्रिया और अनुभव को बढ़ाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीसा) में भारत की भागीदारी

- सामग्री–आधारित मूल्यांकन के विपरीत, पीआईएसए, छात्रों की उस सीमा का आकलन करता है, जिसमें छात्रों ने महत्वपूर्ण दक्षताओं को हासिल कर लिया है, जो आधुनिक समाजों में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक हैं।
- पीआईएसए में भागीदारी से भारत लगभग 80 देशों के साथ बेंचमार्क प्रदर्शन कर सकेगा।
- परीक्षण मदों को परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने से पहले उन्हें भारतीय संदर्भ और भाषा, पायलट परीक्षण और मान्य किया जाएगा।
- भारत केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और चंडीगढ़ के यूटी द्वारा संचालित स्कूलों के माध्यम से पीसा 2021 में भाग लेगा। पीसा 2021 की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस उद्देश्य के लिए 28 जनवरी, 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

पाठ्यवस्तु का युक्तिकरण

शिक्षा का उद्देश्य अच्छे इंसान और नागरिक बनाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, छात्रों को मूल्य शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, रचनात्मक कौशल और शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। आज इन सभी गतिविधियों के लिए कोई समय नहीं है क्योंकि छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ बहुत ज्यादा है। शिक्षाविदों का भी मानना है कि रट्टा शिक्षा शिक्षा नहीं है; बल्कि, शिक्षा समझ, संचार और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का एक संयोजन है।

- एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और तर्कसंगत बनाने का फैसला किया और सभी हितधारकों से विशिष्ट सुझाव आमंत्रित किए।
- घोषणा के प्रति उत्तर में माता–पिता, शिक्षाविदों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और लगभग 1 लाख टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। इनकी जांच की गई थी और इस पर विचार करने के बाद कुछ नई पाठ्यपुस्तकों में जगह देने सहित कुछ

संशोधन किए गए हैं, जिनमें 'स्वच्छ भारत', 'डिजिटल इंडिया', 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ', जीएसटी आदि जैसी राष्ट्रीय पहलों को भी जगह दी गई है। धातुकर्म, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान, भारतीय कलाएं, भारत में शिक्षा प्रणाली, आदि जैसी पाठ्यपुस्तकों में भारत की ज्ञान परंपराओं और अभ्यास आदि को भी स्थान दिया गया है। अब सभी अद्यतन शीर्षक 2018.19 के लिए उपलब्ध हैं। इस समीक्षा के तहत, एनसीईआरटी ने कक्षा IX के लिए अंग्रेजी और संस्कृत में दो वर्कबुक अभ्यास पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की हैं।

एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यपुस्तकों का वितरण

एनसीईआरटी ने व्यक्तियों, स्कूलों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सीधे पाठ्यपुस्तकों की खरीद के लिए अगस्त, 2017 में एक पोर्टल लॉन्च किया। एनसीईआरटी ने जून 2014 तक सत्र 2014–15 के लिए 4.15 करोड़ पाठ्यपुस्तकें, जून 2015 तक 4.17 करोड़ पाठ्यपुस्तकें, सत्र 2015–16 के लिए जून 2016, 4.35 करोड़ पाठ्यपुस्तकें सत्र 2016–17 के लिए, जून, 2017 तक 4.63 करोड़ पाठ्यपुस्तकें सत्र 2017–18 के लिए और सत्र 2018–19 के लिए जून, 2018 तक 5.91 करोड़ पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कीं। पाठ्यपुस्तकों को दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और कोलकाता में पहले से स्थापित चार क्षेत्रीय उत्पादन–सह–वितरण केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाता है। एनसीईआरटीने पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए देश भर में 895 विक्रेताओं को भी शामिल किया है।

ई–पाठशाला

ई–पाठशाला– एक वेब पोर्टल (http://epathshala.nic.in/http://epathshala.gov.in/) और मोबाइल ऐप (Android, iOS और Windows) डिजाइन और शुरू किए गए हैं। कक्षाओं– I से XII तक एनसीईआरटी की सभी पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल कर दिया गया है और उन्हें ई–पाठशाला में रखा गया है। क्यूआर कोड बनाए गए हैं, जो लर्निंग सपोर्ट प्रदान करने के लिए ई–पाठशाला पर ई–रिसोर्स के साथ एकीकृत होंगे

- 15 लाख छात्रों ने ई–पाठशाला ऐप डाउनलोड किया है। एक साल में 30 मिलियन विजिट का आंकड़ा पार किया है।
- ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर 5 में से 4.5, एप्पल स्टोर पर 5 में से 3 और विंडोज स्टोर पर 5 में से 4.5 की रेटिंग है।
- सभी 1.91 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने गूगल प्ले स्टोर सेए ऐप्पल स्टोर से 97,762 उपयोगकर्ताओं और विंडोज स्टोर से 53,078 उपयोगकर्ताओं ने ऐप डाउनलोड किया है।

- ई–पाठशाला ऑडियो–वीडियो के कुल 24,261,383 यूट्यूब वियु आए हैं। यूट्यूब पर कुल फ़ाइलें 3444 हैं (यूट्यूब पर ऑडियो की कुल संख्या = 1666, यूट्यूब पर वीडियो की कुल संख्या = 1778)। इसके अलावा ई–पबके रूप में 698 पुस्तकें हैं और फ्लिपबुक की कुल संख्या 504 है।
- इस पहल के एक भाग के रूप में, राज्य पाठ्य पुस्तकों का डिजिटलीकरण शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम और उत्तर प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया गया है और उन्होंने ई–पाठशाला पर 152 पुस्तकें प्रस्तुत की हैं।
- ई–पाठशाला भारत सरकार के मेयटी का उमंग ऐप पर सूचीबद्ध /साझा/उपलब्ध की गई है। ई–पाठशाला मोबाइल ऐप की ब्रांडिंग की गई है। पांच और ऐप यानी पिंडिक्स, परख, किशोर मंच, एनएएस, स्कैनर ऐप विकसित किए गए हैं।

नो–डिटेंशन पॉलिसी में परिवर्तन

- राज्यों से मांग करने परए आरटीई (संशोधन) अधिनियम, 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी में संशोधन कर संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और 11.1.2019 को अधिसूचित किया गया।
- इसके तहत, यदि कोई छात्र दूसरे प्रयास में असफल हो जाता है, तो उसे कक्षा 5 या 8 या दोनों में डिटेन किया जा सकता है, या राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बच्चे को डिटेन ना करने का फैसला कर सकते हैं।
- इससे बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

- एटीएल सरकारी, स्थानीय निकाय या निजी ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा प्रबंधित स्कूलों (ग्रेड VI - XII) में स्थापित किए जा रहे हैं।
- एटीएल के न्यूनतम 25% सरकार (केंद्रीय/ राज्यों) द्वारा प्रबंधित स्कूलों में स्थापित किए जा रहे हैं।
- एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए स्कूलों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती हैए जिसमें 10 लाख रुपये की एक बार की स्थापना लागत और अधिकतम 5 वर्षों के लिए 10 लाख रुपये के परिचालन खर्च शामिल हैं।
- एटीएल स्थापित करने के लिए देश भर के 5441 स्कूलों का चयन किया गया है और स्वीकृति प्रदान की गई है।

अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

- स्वयम मंच पर लगभग 14 लाख गैर–अर्हता प्राप्त अध्यापकों को डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन के लिए नामांकित किया गया है, जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनकी सीखने की उपलब्धियों का परीक्षण किया जा रहा है।
- यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल है।
- ये प्रशिक्षित और बेहतर ढंग से तैयार शिक्षक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए)

- उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित और विज्ञान की शिक्षण शिक्षा को मजबूत करने और विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी और 6.18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 9 जुलाई 2015 को स्वर्गीय डॉ. एपी जे. कलाम द्वारा राष्ट्रीय अभियान (आरएए) शुरू किया गया था।

- कार्यक्रम की रूपरेखा एक दोहरे ट्रैक दृष्टिकोण पर है (i) स्कूल प्रणाली में प्रणालीगत सुधार (ii) वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से विज्ञान और गणित को प्रोत्साहित करने के लिए पहल।
- इस कार्यक्रम के तहत मुख्य गतिविधियों में उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की मेंटरिंग; स्कूल में बच्चों के लिए गणित और विज्ञान क्लबों का गठन और छात्रों के लिए गणित और विज्ञान के शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों का व्यावसायिक विकास शामिल है।
- 2018–19 में, समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विज्ञान और गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण, गणित और विज्ञान किट का वितरण, छात्रों के लिए विज्ञान केंद्रों और संग्रहालय, भ्रमण यात्रा, जिला स्तर परविज्ञान प्रदर्शनी, वैदिक गणित, विज्ञान और गणित प्रयोगशालाओं को मजबूत करना, विज्ञान मेला, गणित मेला, उच्च शिक्षा संस्थानों आदि का दौरा करना, विभिन्न गतिविधियों के लिए 22745.85 लाख रू. का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

विश्वसनीय डाटा और जवाबदेही

कार्यनिष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई)

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सितंबर–अक्टूबर, 2017 के दौरान एक पायलट प्रयोग किया, जब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एसएसए के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर शगुन मंच पर ऑनलाइन वर्गीकृत किया गया था। पायलट में10 संकेतकों को कवर किया और बहुत सफल रहा। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभागद्वारा विकसित प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) इस पायलट प्रयोग के अनुभव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फीडबैक पर आधारित है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैः

i. सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ग्रेडिंग के उद्देश्य से है जो एक से अधिक राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही ग्रेड पर प्राप्त करने की अनुमति देता है, और इसलिए सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अंततः उच्चतम स्तर तक पहुंचने की संभावना है। पीजीआई को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ऑनलाइन भर्ती और शिक्षकों के स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति आदि जैसे कुछ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में देखा गया है।

ii. पीजीआई के सत्तर (70) संकेतक दो श्रेणियों अर्थात परिणामों और शासन और प्रबंधन में विभाजित हैं। पहली श्रेणी को चार डोमेन में विभाजित किया गया है। सीखने के परिणाम, पहुंच के परिणाम, बुनियादी ढांचे और सुविधाएं और इक्विटी परिणाम; दूसरी श्रेणी में उपस्थिति, शिक्षक पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता आदि शामिल हैं।

पीजीआई के तहत कुल वेटेज हजार अंकों का है। प्रत्येक सूचक को बीस या दस अंक दिए गए हैं।

वर्ष 2017–18 के लिए डेटा सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राप्त और संकलित किया गया था और अंतिम ग्रेडिंग यूनिसेफ द्वारा डेटा के तीसरे पक्ष के सत्यापन के बाद की गई है।

यू.डाइज+

भारत में स्कूल शिक्षा प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े राज्यों में से एक है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक स्कूल, 8.5 मिलियन शिक्षक और 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 250 मिलियन से अधिक छात्र हैं। इसलिए, एक मजबूत, वास्तविक समय और विश्वसनीय सूचना संग्रह तंत्र प्रणाली के उद्देश्यपरक मूल्यांकन के लिए एक पूर्वाग्रह

है, जिसके आधार पर सुधार के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप डिजाइन किए जा सकते हैं।

1990 के दशक की शुरुआत में, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप मेंए एक स्कूल आधारित कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली डिजाइन और विकसित की गई थी। एक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस), जिसे शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डीआईएसई) कहा जाता है, 7 चयनित राज्यों के 42 जिलों में डीपीईपी के कार्यान्वयन की योजना और निगरानी के लिए कक्षा I से V हेतु बनाया गया था। इन वर्षों में इसे कक्षा VIII तक शिक्षा के पूरे प्राथमिक स्तर को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था। 2008–09 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की शुरुआत के साथ, कक्षा IX से XII के लिए एक अलग और समर्पित माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसईएमआईएस) शुरू की गई थी। इसके बाद, 2012–13 में, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडाइज) को प्राथमिक शिक्षा के लिए डाइज और माध्यमिक शिक्षा के लिए एसईएमआईएस को एकीकृत करके शुरू किया गया था।

स्कूल शिक्षा शगुन – एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन

प्रणाली, समय के साथ, कई अंतर्निहित कमजोरियों से ग्रस्त हो गई और इसलिए इसे फिर से शुरू करना पड़ा। यू–डाइज़ डेटा कैप्चर सिस्टम को सरल, अधिक व्यापक, वास्तविक समय और विश्वसनीय बनाना, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का फल है। इसमें हर स्तर पर एक सर्टिफिकेशन सिस्टम भी बनाया गया हैए जिससे अपलोड की गई जानकारी का ऑडिट ट्रेल स्थापित किया जा सकेगा। यू–डाइज. के एक भाग के रूप में, स्कूलों की मैपिंग के लिए एक जीआईएस आधारित ऐप भी विकसित किया गया है। यह अपने आस–पास की स्थलाकृतिक विशेषताओं और एक रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रत्येक स्कूल का स्थान दिखाता है जिसमें स्कूल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यू–डाइज. पर अपलोड की गई सूचनाओं को यादृच्छिक ढंग से क्रॉस चेक करने और कई समूहों (जैसे प्रिंसिपल/हेडमास्टर, स्कूल प्रबंधन समितियां, क्लस्टर संसाधन समन्वयक, ब्लॉक संसाधन समन्वयक, जिला मूल्यांकन अधिकारी) द्वारा नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जियो टैग थर्ड पार्टी ऐप विकसित किया गया है। डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करने के लिएए डेटा एनालिटिक्स पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है। मानक और क्वेरी आधारित रिपोर्टों के कार्यों के अलावाए इस पोर्टल का उपयोग बड़े डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है जो हितधारकों को सूचित नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेंगे। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) के लिए सूचना जो 70 संकेतकों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रेड देती है, बड़े पैमाने पर यूडीआईएसई + डेटाबेस से तैयार की जाती हैं। डेटा बेस के साथ संकेतकों के मानचित्रण ने प्रदर्शन ग्रेडिंग

प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित और तात्कालिक बना दिया है जिससे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप करने में मदद मिली है।

समग्र रूप से स्कूली शिक्षा से संबंधित वेब संसाधनों तक पहुँच को सक्षम करने के लिएए विभाग ने विभाग और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित सभी पोर्टलों और वेबसाइटों का एक जंक्शन लॉन्च किया है। यह जंक्शन स्कूली शिक्षा से संबंधित किसी विशेष मुद्दे पर व्यापक जानकारी तक एकल बिंदु तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए, छात्र इस एकीकृत जंक्शन के माध्यम से सभी प्रकार की ई सामग्री (जैसे एनआरओईआर, ई पाठशाला, दीक्षा) का पता लगाने में सक्षम होंगे। सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस से संबद्ध सभी निजी स्कूलों की वेबसाइटों को भी एक स्थान पर एक्सेस किया जा सकता है। देश में स्थित सभी स्कूलों की जानकारी जीआईएस आधारित स्कूल मैपिंग ऐप पर भी उपलब्ध होगी जो इस जंक्शन का एक हिस्सा है।

विभाग ने राष्ट्रीय एकीकृत स्कूल शिक्षा कोश (आईएनएसईटी) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो देश के छात्रों और शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित सभी मापदंडों के लिए पूरी तरह से एकीकृत, तुरंत सुलभ और सहज सूचना नेटवर्क है। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री का निर्माण करने में भी सक्षम होगा और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीखने के लिए हस्तक्षेप आधारित साक्ष्य डिजाइन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप मशीन जैसी अग्रिम तकनीकों को बनाने में समर्थ होगा।

महत्वकांक्षी जिले

यह 112 पिछड़े जिलों की संख्या पर ध्यान केंद्रित करके और उनके सुधार के लिए प्राप्य परिणामों की पहचान करके अंतर–जिला विविधताओं को कम करने के लिए एक जन–केंद्रित कार्यक्रम है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु 2022 तक एक नए भारत के लिए जनवरी 2018 में कार्यक्रम शुरू किया गया था।

कार्यक्रम के तीन मुख्य सिद्धांत हैं– कन्वर्जेंस (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), सहयोग (नागरिकों और जिला टीमों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच), और जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। जिले सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति के लिए आकांक्षी हैं।

ईजीएसए सहित "आकांक्षात्मक जिलों के परिवर्तन" पर एक पूर्ण दिवस कार्यशाला 19 जून 2018 को विज्ञान भवन में जिला शिक्षा अधिकारियों, डाइट, एससीईआरटी और राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया था। कार्यशाला के बाद, सचिव ने एचआरएम द्वारा राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समापन पर राज्य शिक्षा सचिवों और आकांक्षात्मक जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला आयोजित की।

डीईओ की इस जिम्मेदारी के तहत की जाने वाली गतिविधियों का विवरण देने वाली एक पुस्तिका को सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया। पांच चयनित मापदंडों पर स्कूलों की तस्वीरें अपलोड करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। लगभग एक लाख स्कूलों ने तस्वीरें अपलोड की हैं।

अच्छे प्रदर्शन की पहचान

स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई)

15 अगस्त, 2014 को प्रधान मंत्री द्वारा की गई कॉल के जवाब में, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

(पीएसयू) और निजी कंपनियों के साथ मिलकर सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था के लिए स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) शुरू की। इसमें देश में चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के स्कूल शामिल थे जैसे कि लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म (एलडब्ल्यूई), जंगलों, दूरदराज के पहाड़ी इलाकों और भीड़–भाड़ वाली झुग्गियों का सामना करने वाले जिले।

एसवीआई की एक अनूठी विशेषता– सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल और प्रगति की ऑनलाइन निगरानी के तहत सार्वजनिक उपक्रमों और निजी निगमों की भूमिका थी। निम्नलिखित राज्यों में सबसे बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण या कार्य किया गया; बिहार (56912), आंध्र प्रदेश (49293), ओडिशा (43501), पश्चिम बंगाल (42054), तेलंगाना (36159), असम (35699) और मध्य प्रदेश (33201)।

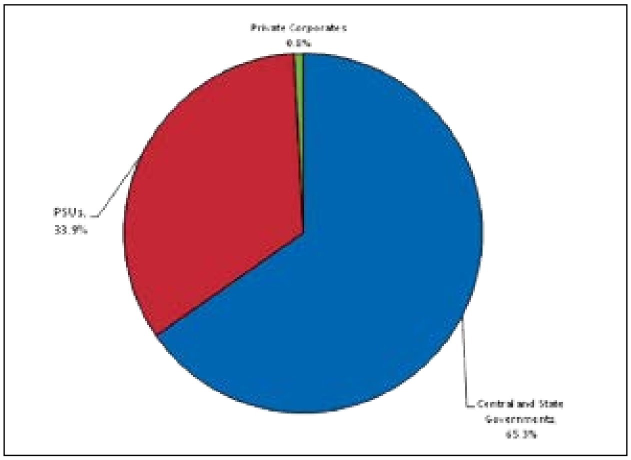

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले मेंए सबसे बड़ा योगदान कोल इंडिया लिमिटेड (51,115), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (24,626), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (12,379), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (9,026), तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (7,958) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (7104) का था। निजी कॉरपोरेट्स के मामले में, प्रमुख योगदान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (1,509), महिंद्रा ग्रुप (1,171), इंश्योरेंस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स ग्रुप (150) और भारतीय उद्योग परिसंघ (138) का था।

आईसीटी का एसवीआई में प्रयोग

डिजिटल इंडिया पहल की भावना को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम ने वास्तविक समय में इस पहल की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और सहयोग के लिए एक वेब पोर्टल की अवधारणा और विकास किया। वेब पोर्टल, अन्य सुविधाओं के अलावा, कॉरपोरेट्स और भागीदारों को आसानी से नेविगेट करने और उन विशिष्ट स्थानों और स्कूलों की पहचान करने में सक्षम बनाता है, जो वे शौचालयों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहयोग करना चाहते थे। इसने उन्हें वित्तीय और अन्य तरह की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति दी। स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम ने न केवल नई भागीदारी कायम कीए बल्कि जवाबदेही और बेहतर सेवा

वितरण को बढ़ाया। डिजिटल समाधान का मतलब था कि हम वास्तव प्रगति देख सकते थे। पोर्टल पर काउंटरर्स और प्रोग्रेस बार के माध्यम से वास्तविक समय की स्थिति दिखाई जाती थी। इस समाधान ने भी जनता को भागीदार बनाने और प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाया।

स्वच्छ विद्यालय पहल 2016 में सिविल सेवा दिवस पर सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पहचाने जाने वाले प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक थी। 2 अक्टूबर, 2017 को, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को अंतर मंत्रालयी सहयोग (आईएमसी) पुरस्कार प्रदान किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय पहल के लिए शुरू की गई गतिविधियों के लिए विभाग को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय का पुरस्कार मिला।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी) को शुरू किया है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जल, स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं में उत्कृष्टता को पहचानने, प्रेरित करने और मनाने के लिए 2016 में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत एक पहल है। एसवीपी के दूसरे संस्करण यानी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार (एसवीपी) 2017–18 के वित्तीय संस्करण में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा निजी स्कूलों ने भी भाग लिया।

एसवीपी 2017–18 को स्कूलों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017–18 के लिए 6,15,152 स्कूलों ने पुरस्कार के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया, जो 2016–17 में भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या (2.68 लाख) से दोगुना है। गहन

मूल्यांकन और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद, 52 स्कूलों को राष्ट्रीय पुरस्कार – एसवीपी 2017–18 के लिए चुना गया। उन्हें प्रत्येक को 50,000/– नकद पुरस्कार और मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जो उन्हें 18 सितंबर 2018 को आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में दिया गया था।

शीर्ष 4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश और 9 जिलों जैसे पांडिचेरी, श्रीकाकुलम, चंडीगढ़, हिसार, कराइकल, लातूर, नेल्लोर, दक्षिण गोवा और वडोदरा में, एसवीपी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले स्कूलों की अधिकतम संख्या के लिए 18 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान मान्यता प्रमाणपत्र भी दिया गया।

रैंक – 1

जीपीएस कुनिछपट्टू, **कुनिछपट्टू, ब्लॉक:** बीआरसी–3
जिला: पांडिचेरी, **पुदुचेरी** –605501, **यूडाइजकोड:** 34020302001
स्तर: प्राथमिक, **क्षेत्र :** ग्रामीण **प्रबंधन:** सरकार

रैंक – 2

जीएचएसटी चेलंदीपलयम थोरनक्कलपट्टी, **ब्लॉक:** थंथोनी
जिला: करूर, **तमिलनाडु**– 639003 **यूडाइजकोड:** 33140201205,
स्तर: माध्यमिक **क्षेत्र :** शहरी **प्रबंधन:** सरकार

रैंक – 3

नगराँव, ब्लॉक : झंडूता

जिला: बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) **हिमाचल प्रदेश** – 174031 **यूडाइजकोड:** 2080311101

स्तर: प्राथमिक **क्षेत्र :** ग्रामीण **प्रबंधन:** सरकार

रैंक – 4

ओलाविक्कल, ब्लॉक: बीआरसी–3

जिला: पांडिचेरी, **पुदुचेरी** – 605502, **यूडाइजकोड:** 34020307604

स्तर: प्राथमिक, **क्षेत्र :** ग्रामीण **प्रबंधन:** सरकार

रैंक – 5

जड़ा प्रि स्कूल जडा, ब्लॉक: देवदार

जिला: बनास कांथा **गुजरात**– 385330, **यूडाइजकोड:** 24020602701

स्तर: प्राथमिक, **क्षेत्र : ग्रामीण प्रबंधन:** सरकार

रैंक – 6

केजीबीवी धनवार धनवार, ब्लॉक : धनवार

जिला: गिरिडीह, **झारखंड**– 825412, **यूडाइजकोड**: 20060707202

स्तर: माध्यमिक और उच्चतर **माध्यमिक, क्षेत्र** : ग्रामीण **प्रबंधन**: सरकार

रैंक – 7

पप्स कोमबाथुजु मैगामलई, ब्लॉक: मयलादुमपराई

जिला: थेनी, **तमिलनाडु** – 625579, **यूडाइजकोड: 33250500404**

स्तर: प्राथमिक **क्षेत्र** : ग्रामीण **प्रबंधन**: सरकार

डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान सम्मानित स्कूलों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और अन्य पहल जैसे कि केजीबीवी मुलुगु, सिदिपेट जिला और केजीबीवी एंडोल, सांगा रेड्डी जिला, तेलंगाना की छात्राओं द्वारा सेनेटरी पैड बनाने की मशीन के लाइव प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन किया गया।

स्वच्छता पखवाडा: 1–15 सितम्बर, 2018

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के समन्वय में 2016 से स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के कैलेंडर के अनुसार, 1–15 सितंबर सभी स्कूलों के लिए स्वच्छता पखवाड़ा है।

सितंबर 2018 में मनाए गए स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान, निजी स्कूलों, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन सहित सभी स्कूलों ने विभिन्न गतिविधियों जैसे हाथ धोने, रोल–प्ले आदि के माध्यम से स्कूलों में स्वच्छता अभियान चलाया, सुझावित दैनिक गतिविधियों की एक सूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई। पखवाड़ा स्कूलों में स्वच्छता और स्वच्छता पर केंद्रित था। स्वछता पखवाड़ा के अंतिम दिन यानि 15 सितंबर, 2018 को ''स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)'' अभियान के शुभारंभ के साथ परिवर्तित किया गया, जो पूरे देश में 2 अक्टूबर, 2018 तक चला। प्रत्येक स्कूल के लिए स्वछता कैप्टन और स्वच्छता मॉनिटर को स्थायी आधार पर छात्रों को स्वछता के काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्त किया गया था। 11.82 करोड़ छात्रों ने 1 सितंबर, 2018 को "स्वच्छता शपथ" ली। 11.61 लाख स्कूलों ने 12 सितंबर, 2018 को स्वच्छ जल दिवसमें भाग लिया।

स्वच्छता शपथ दिवस

जम्मू और कश्मीर

नागालैंड

स्वच्छता जागरुकता दिवस—गुजरात

ग्रीन स्कूल अभियान दिवस—गोवा

स्वच्छता पखवाडा 2018 के दौरान गतिविधियों का ब्यौरा

दिनांक	गतिविधि	भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या
1 सितम्बर, 2018	स्वच्छता शपथ दिवस	9,89,954
2–4 सितम्बर, 2018	स्वच्छता जागरूकता दिवस	9,08,745
5 सितम्बर, 2018	ग्रीन स्कूल ड्राइव दिवस	8,60,343
6 सितम्बर, 2018	स्वच्छता भागीदारी दिवस—पेंटिंग प्रतिस्पर्धा (I-V) और निबंध लेखन प्रतिस्पर्धा (VI-XII)	8,88,500
7 सितम्बर, 2018	हैंड वाश दिवस	11,35,367
8 सितम्बर, 2018	व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस	9,13,163

दिनांक	गतिविधि	भाग लेने वाले स्कूलों की संख्या
9–10 सितम्बर, 2018	सामुदायिक भागीदारी दिवस	8,04,114
11 सितम्बर, 2018	स्वच्छता स्कूल प्रदर्शनी दिवस	8,17,739
12 सितम्बर, 2018	स्वच्छ जल दिवस	11,61,563
13 सितम्बर, 2018	जल संरक्षण दिवस	7,44,052
14 सितम्बर, 2018	पुरस्कार वितरण दिवस	9,04,289
15 सितम्बर, 2018 स्वच्छता ही सेवा दिवस	स्कूल और बाहर की गतिविधियों कक्षा (VI-XII) में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और उन छात्रों की संख्या जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखे (स्वच्छता योगदान के लिए)	9,06,883

स्वच्छता ही सेवा दिवसः 15 सितम्बर, 2018

माननीय प्रधान मंत्री ने सभी नागरिकों को स्वच्छ भारत मिशन की तीसरी वर्षगांठ पर राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान, ''स्वच्छ भारत सेवा (एसएचएस)'' के तहत स्वच्छ भारत मिशन में भाग लेने हेतु आह्वाहन किया। महात्मा गांधी के 150 वें जन्म वर्ष समारोह के शुभारंभ के अग्रदूत के रूप में, स्वच्छता ही सेवा, 2018 अभियान15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक चलाया गया था, इस विभाग ने स्वछता पखवाड़ा के अंतिम दिन का शुभारंभ 15 सितम्बर, 2018 तारीख को स्वच्छता ही सेवा 2018 अभियान के शुभारंभ के साथ हुआ। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूलों में बच्चों ने श्रमदान गतिविधियों और पोस्टकार्ड लेखन में भाग लिया जिसमें भारत के माननीय प्रधान मंत्री को संबोधित किया गया था और उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपने योगदान और भविष्य के योगदान के लिए प्रतिबद्धताओं का वर्णन किया था।

नागालैंड

दिल्ली

चंडीगढ़

दादरा व नगर हवेली

गुजरात

हरियाणा

दमन व दीव

स्वच्छता ही सेवा दिवस के दौरान, 9,06,883 स्कूलों से श्रमदान गतिविधियों में कुल 6,22,27,373 छात्रों ने भाग लिया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री को 20130896 छात्रों ने पोस्टकार्ड लिखे, और राष्ट्रीय स्तर के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 141 पोस्टकार्ड को सूचीबद्ध किया गया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर 2018 को आयोजित एक समारोह में, निम्नलिखित तीन छात्रों को पुरस्कार दिएः

i) पी. संजीव, IV, जीपीएस सेंधनाथम, जोन 5, विलियानुर, जिला पांडिचेरी, पुदुचेरी

ii) सीमा, VII, कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय, वाडकनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़

iii) बानिका नोनग्रम, V, इंग्सॉव गवर्नमेंट आईपी स्कूल इंग्सोव भोई, सीआरसी – टीवाईआरएसओ, मेघालय।

संजीव, कक्षा IV, सरकारी प्राइमरी स्कूल, सेंथनाथम, पुड्डुचेरी

बानिका नोनग्रम, कक्षा V, इंग्सॉव गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी, रिभोई, मेघालय

सीमा, कक्षा VII, केजीबीवी स्कूल,बलरामपुर, छत्तीसगढ़

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

इन पुरस्कारों को 1958 में स्थापित किया गया था। 60 के दशक के मध्य से, 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर समारोह के लिए निश्चित तारीख तय की गई थी। इन वर्षों में, पुरस्कारों की संख्या बढ़कर 378 हो गई।

वर्ष 2018 में योजना के दिशा–निर्देशों को संशोधित किया गया था। अब मूल आधार यह है कि नई योजना पारदर्शी, निष्पक्ष होनी चाहिए, और उत्कृष्टता और प्रदर्शन का प्रतिफल होना चाहिए और प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में हालिया नवाचारों से प्रेरित हो।

नई योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैंः

i) शिक्षकों से ऑनलाइन स्व–नामांकन www.mhrd.gov.in. पर आमंत्रित किए गए थे। वेबपोर्टल को प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) द्वारा विकसित किया गया था और संपूर्ण सॉफ्टवेयर बिना किसी गड़बड़ या शिकायत के आसानी से चला।

ii) देश भर के शिक्षकों से लगभग 6000 आवेदन प्राप्त हुए, जो स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पहल सफल रही।

iii) सभी नियमित शिक्षक पात्र थे और न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं थी। इसने मेधावी युवा शिक्षकों को आवेदन करने में सक्षम बनाया।

iv) पुरस्कारों की संख्या 45 कर दी गई, जिससे पुरस्कारों की प्रतिष्ठा बहाल हुई।

v) अंतिम चयन में किसी राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश या संगठन का कोटा नहीं था। इसने उन्हें पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

vi) राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी ने अंतिम चयन किया। जूरी ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों द्वारा अग्रेषित 152 उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा की। प्रत्येक नामांकित व्यक्ति ने जूरी के समक्ष एक प्रस्तुति दी, जिसने अंतिम मूल्यांकन किया और शिक्षक पुरस्कार के लिए 45 नामों की सिफारिश की।

माननीय प्रधान मंत्री ने 4 सितंबर 2018 को अपने निवास पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के साथ बातचीत की और सम्मानित किया। माननीय प्रधान मंत्री ने भी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में ट्वीट किया।

जबकि झारखंड के अरविंद जजवारे और महाराष्ट्र के विक्रम एडसुल जैसे पुरस्कार विजेताओं ने ड्रॉपआउट्स को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए खेल–खेल में शिक्षा का कार्य किया, गुजरात के राकेश पटेल, राजस्थान के इमरान खान जैसे अध्यापकों ने अपने स्कूलों को सीखने के दायरे में बदलने के लिए आईसीटीऔर चाइल्ड फ्रेंडली एक्टिविटी पर आधारित लर्निंग की शुरुआत की।बाल मित्र गतिविधि अपने विद्यालयों को सीखने के दायरे में बदलने के लिए सीखने पर आधारित है। शिक्षक जैसे सुश्री शैला आर.एन. कर्नाटक ने छात्रों के लाभ के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सामुदायिक सहायता से, जबकि सिक्किम से सुश्री कर्म चोमू भूटिया ने नामांकन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 5 सितंबर 2018 को विज्ञान भवन में पुरस्कार प्रदान किये। समारोह के दौरान प्रत्येक पुरस्कार विजेता की उपलब्धियों पर फिल्में भी दिखाई गईं।

समग्र शिक्षा के तहत अनुभवात्मक और जॉयफुल शिक्षा का विकास

अनुभवात्मक अधिगम अनुभवों के माध्यम से सीखना है, जिसे क्रियामूलक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। सभी गतिविधियाँ जो सीखने वालों को विभिन्न चरणों में ले जाती हैं; (i) रुचि के साथ काम करना, (ii) दूसरों के साथ प्राप्त अनुभवों को साझा करना, (iii) ज्ञान की जांच और विश्लेषण करके इसे प्रोसेस करना, (iv) इसे सामान्य करना और अंत में (v) इसे लागू करना, अनुभवात्मक अधिगम का गठन करना।

कला और खेल बच्चों को संवेदी अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया प्रदान करते हैं। कलाएं अभिव्यक्ति बनाने के लिए विचारों और सामग्रियों के साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जो केवल शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यह इस गैर–मौखिक अभिव्यक्ति को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे यह एक गीत, एक पेंटिंग या एक प्रदर्शन के रूप में हो। यह शिक्षा के लिए एक बहुआयामी और अंत:विषयी दृष्टिकोण भी है।

आर्ट्स करते हुए, शिक्षार्थी विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि अवलोकन करना, विचार करना, कल्पना करना, खोज करना, प्रयोग करना, समर्पण करना, बनाना, पुनः बनाना और व्यक्त करना। इन चरणों को सभी तीन डोमेन की वास्तविक भागीदारी की आवश्यकता हैः संज्ञानात्मक, मनो–मोटर और प्रभावी। अतः, यह प्रकृति में अनुभवात्मक है और प्रत्येक शिक्षार्थी के समग्र विकास की ओर ले जाता है। ऐसे अनुभवात्मक अधिगम का लाभ अन्य विषयों में बेहतर शिक्षण के लिए आधार बनाता है। भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और गणित जैसे विषय कला के साथ संबंध बनाने के लिए बनाए जा सकते हैं। कभी–कभी, कला आसानी से विज्ञान की अवधारणाओं को स्पष्ट कर सकती है। इस प्रकार, विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके विषयों के भीतर अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है। इस तरह से सीखने से विषय क्षेत्र के ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद मिलती है, और यह कला की अधिक सराहना को भी बढ़ावा देता है।

कला किसी की कल्पना और विचारों की मुक्त अभिव्यक्ति के लिए प्राकृतिक माध्यम हैं जहां प्रत्येक शिक्षार्थी को अलग और अद्वितीय होने की स्वतंत्रता है। स्कूल स्तर पर शिक्षाशास्त्र के रूप में एकीकृत कला जजमेंट के बारे में चिंता किए बिना हर शिक्षार्थी को तराशने, अनुभव करने, अभिव्यक्त बनाने के लिए रचनात्मक स्थान प्रदान करता है। यहां सीखने वाले को कला को एक प्रक्रिया के रूप में अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उस उत्पाद के बारे में चिंता नहीं की जाती है जो उन्हें विषय भय को दूर करने में मदद करता है और करने और सीखने की उनकी खुशी को बढ़ाता है। कलाएं विविध शिक्षण आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं और प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिव्यक्ति के वैकल्पिक साधन प्रदान करती हैं जहां वे परिणाम के दबाव के बिना अधिक गहराई से किसी विषय का अन्वेषण और अनुभव कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा आनंददायी होती है।

कला के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। ज्ञान को प्रायोगिक तरीके से प्राप्त किया जाता है। अलग–अलग प्रयोगों में अलग–अलग परिणाम मिलते हैं और अलग–अलग तकनीकें होती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरों के बहिष्कार के लिए सही नहीं है। उस दृष्टिकोण से, कला बहुत समावेशी हैं। साक्षर से निरक्षर,गैर–विकलांग से विकलांग, या लड़कियों से लड़कों के कला कार्य को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कला स्वयं की अभिव्यक्ति है, यह वंचितों को उनकी कला के कार्यों के माध्यम से अपनी अंतरतम भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करती है। कला गतिविधियां बच्चों को एक–दूसरे के साथ जुड़ने में मदद करती हैं, इसलिए धीरे–धीरे बाधाएं टूट जाती हैं, और विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चे संचार और बातचीत का निर्माण करते हैं।

कला गतिविधियाँ एक दूसरे से सीखने का माहौल बना सकती हैं। यह छात्रों में अन्य मनुष्यों के लिए एक स्वस्थ सम्मान पैदा करेगा। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामाजिक रूप से वंचित समूहों और लड़कियों के बच्चों को कला गतिविधियों के माध्यम से शामिल करना संभव है।

रंगोत्सव

रंगोत्सव मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की एक पहल है जो राष्ट्र के युवा शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्यक्रम में इसके तहत सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों का संग्रह था और पूरे देश के स्कूलों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। रंगोत्सव के तहत प्रत्येक बच्चे को विभिन्न संस्कृतियों की जीवंत सुंदरता का अनुभव होता है। रंगोत्सव सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन 7, से 21 दिसंबर, 2018 तक छात्रों, शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों के लिए नॉन जजमेंट प्लेटफार्म तैयार करने के लिए किया गया था ताकि उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। रंगोत्सव के मुख्य उद्देश्य हैं:

- कला और संस्कृति की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के जीवंत और आनंदपूर्ण स्थान में स्कूल के माहौल को बदलना और छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टॉफ सदस्यों सहित स्कूल समुदाय के प्रत्येक सदस्य की कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता को स्वीकार करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करना।
- भारत की अपनी सभी विविधता के साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन और आनंदित होने और सभी बच्चों को आयु उपर्युक्त प्रदर्शन प्रदान करने जिससे वे देश की संस्कृतियों, भौगोलिक, भाषाओं, भोजन और रीति–रिवाजों की विविधता को समझ सकें और उनकी सराहना कर सकें।
- "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- स्कूलों में ज्वायफुल शिक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरे सत्र में स्कूल की दिनचर्या में कला (रंगोत्सव के बाद भी) को एकीकृत करने का नियमित अभ्यास।

रंगोत्सव की प्रतिक्रिया व्यापक और सकारात्मक थी। देश भर के स्कूलों ने छात्रों के साथ–साथ शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक द्वार खोलने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में कलात्मक प्रतिभा का उत्सव मनाया गया। भाषा संगम और अन्य की तरह स्कूल स्तर पर गतिविधियों के अलावा, रंगोत्सव के भाग के रूप में कई क्षेत्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि राष्ट्रीय बाल सभा और एकीकरण शिविर, राष्ट्रीय स्तर के लोक नृत्य, राष्ट्रीय स्तर के रोलप्ले, कला उत्सव, संगीत कला संगम और इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता।

कला उत्सव – 2018

कला उत्सव, 2015 में शुरू किया गया, जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार की एक पहल है, जो देश में स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करके, शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए है, कला (संगीत, रंगमंच, नृत्य, दृश्य कला और शिल्प) की शिक्षा के संदर्भ में, पहल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (एनसीएफ – 2005) की सिफारिशों द्वारा निर्देशित है। कला उत्सव का डिज़ाइन छात्रों को विभिन्न कला रूपों का अभ्यास करके उनकी कलात्मक प्रतिभा का पता लगाने, समझने और दिखाने में मदद करता है। कला उत्सव छात्रों को स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विविधता को समझने और मनाने का अवसर देता है। इसके अलावा, यह स्कूलों के साथ कलाकारों, कारीगरों और स्कूलों के

साथ संस्थानों की नेटवर्किंग को बढ़ावा देने में मदद करता है।

कला उत्सव 2018 में 12–15 दिसंबर को राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), नई दिल्ली में मनाया गया। उत्सव का उद्‌घाटन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के राष्ट्रीय बाल भवन में किया। अपने उद्‌घाटन भाषण में, उन्होंने देश के बच्चों के बीच बहुआयामी प्रतिभा को बढ़ावा देकर सरकार के दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने बेहतर मानव और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए छात्रों के जीवन के अभिन्न अंग के रूप में कला और खेल के महत्व पर भी जोर दिया।

व्यापक ऊर्जा के साथ, राष्ट्रीय बाल भवन संभावनाओं की भूमि, युवा सपनों की उड़ान के लिए एक रनवे बन गया। एनबीबी परिसर के विशाल मैदान में फैले हुए, प्रतिभागियों को अपने संबंधित प्रतियोगिताओं के लिए अपने शिल्प का प्रदर्शन करते देखा गया। यह दृश्य संगीत, नृत्य और चित्रकला के रूप में भारत के सांस्कृतिक लोकाचारों की अभिव्यक्ति का आदर्श उदाहरण था। उत्सव में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित और चयनित बच्चों द्वारा नाटकीय प्रदर्शनों का उत्सव भी शामिल था। कुल मिलाकर आठ टीमें थीं, भारत के छह सांस्कृतिक क्षेत्रों में से छह (प्रत्येक हेतु एक) और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविस) और नवोदय विद्यालय संगठन (नविस) की दो टीमें।

कला उत्सव प्रतियोगिता

इस वर्ष के उत्सव का फोकस प्रदर्शन और दृश्य कला के चार अलग–अलग क्षेत्रों में एकल प्रदर्शन पर था, अर्थात्; (i) संगीत (वोकल), (ii) संगीत (वाद्य), (iii) नृत्य और (iv) चित्रकारी। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से दो प्रविष्टियाँ थीं; एक पुरुष और एक महिला प्रतियोगी।

- **संगीत (वोकल):** इस वर्ष संगीत वोकल में टीमों की कुल संख्या 69 (35 पुरुष और 34 महिला) थी। पुरुष टीमों में असम से एक सीडब्ल्यूएसएन प्रतियोगी था। प्रतिभागियों ने लोक संगीत जैसे सदरी डमक, नागपुरी कर्मा, गढ़वाली, कुमाउनी, मप्पिलापट्‌टु, आदि प्रस्तुत करके देश की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया; कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में क्षेत्रीय और पारंपरिक शैली और शास्त्रीय प्रस्तुतियों में भक्ति गीत थे। पूर्ण वातावरण बनाने के लिए गायकों के साथ मेल खाने वाले वाद्ययंत्र थे।
- **संगीत (वाद्य):** इस वर्ष संगीत वाद्य में कुल टीमों की संख्या 69 (35 पुरुष और 34 महिला) थी। पुरुष टीमों में सिक्किम (बांसुरी बजाई गई) और मेघालय (पैरों से गिटार बजाया गया) दो प्रतिभागी और महिला टीम में पश्चिम बंगाल के एक सीडब्ल्यूएसएन प्रतियोगी थे (जिन्होंने पैरों से कीबोर्ड बजाया)। प्रतिभागियों ने पारंपरिक मृदंगम और चेंडा से लेकर समकालीन की बोर्ड और गिटार तक की प्रस्तुति देकर देश की समृद्ध और विविध विरासत को प्रदर्शित किया। नागालैंड के तेबंग कांगी जैसे देशी और दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्र, मेघालय के पारंपरिक खासी ड्रम, कसिंग (माउथ पीस वाद्य); डारबू, मिज़ोरम का एक पारंपरिक घंटा; गोवा से टैसो और घूमत आदि प्रतियोगिता का हिस्सा थे।
- **नृत्य :** इस साल डांस टीमों की कुल संख्या 71 (36 पुरुष और 35 महिला) थी। महिला टीमों में जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की एक सीडब्ल्यूएसएन प्रतियोगी थी, जिन्होंने डोगरी लोक नृत्य किया था। पारंपरिक लोक से लेकर समकालीन तक की नृत्य शैलियों को प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ प्रस्तुत किया। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्‌यम, कथक, सत्त्रिया और मोहिनीअट्‌टम जैसे सोइरी का एक हिस्सा थे। महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे कुछ

राज्यों ने अपने संबंधित लोक तत्वों जैसे लावनी और गोटीपुआ का प्रदर्शन किया।

- **चित्रकारी** : इस आयोजन में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केवीएस और एनवीएस की कुल 72 टीमें (36 पुरुष और 36 महिला) थीं। प्रतिभागियों को उपयुक्त पेंटिंग सामग्री प्रदान की गई और दो दिनों की अवधि में उनकी पसंद की दृश्य छवियां बनाने की सुविधा दी गई। पेंटिंग के माध्यम का चयन पूरी तरह से उम्मीदवार के विशेषाधिकार का था। चित्रकला शैली पारंपरिक लोककला (वारली, मधुबनी आदि) से लेकर समकालीन तक थी जहां प्रतियोगियों ने विभिन्न रंगों और माध्यमों के साथ अपनी कल्पना खोज की और उसेव्यक्त किया। सभी कृतियों को एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था जो सभी के लिए खुली थी।

उपर्युक्त चार प्रतियोगिताओं के अलावा, कला उत्सव ने अभिव्यक्ति की कला के रूप में रंगमंच को मनाया, जहां भारत के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों की टीमों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया था। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से देश के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों की टीमों का चयन किया गया था। प्रतिभागी टीमें मध्य प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, पुदुचेरी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से थीं। केवीएस और जेएनवी की एक–एक टीम भी इस आयोजन का हिस्सा थी। उन्हें विशेष रूप से उनके लिए आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने का अवसर दिया गया था जहाँ वे पूरे भारत से आमंत्रित थिएटर विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में थियेटर प्रदर्शन हुए। इस आयोजन में कुल 91 छात्रों (42 पुरुष और 49 महिला) ने भाग लिया।

कला उत्सव 2018 का पुरस्कार समारोह 15 दिसंबर को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। सिरी फोर्ट के प्रवेश द्वार पर एक अच्छी तरह से क्यूरेटेड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जहां पेंटिंग में पुरस्कार जीतने वाली प्रविष्टियां प्रदर्शित की गई थीं। संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं के सभी प्रतियोगियों को एक साथ सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के भव्य मंच पर प्रदर्शन करने का मौका मिला। श्रीमती रीना रे, सचिव, डीओएसईएंडएलने अपने समारोह संबोधन में सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केवीएस और एनवीएस द्वारा उत्साही भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने रेखांकित किया कि हर बच्चा संभावनाओं और प्रतिभा से भरा होता है। बाद में उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

अंतर स्कूल बैंड प्रतियोगिता–2018

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक समूह में प्रदर्शन करने वाले स्कूली छात्रों में देशभक्ति और एकता की भावना को विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में अंतर स्कूल बैंड प्रतियोगिता शुरू की। इस वर्ष भी 21.12.2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंतर–विद्यालयीय बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम के

मुख्य अतिथि माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर थे, विशिष्ट अतिथि एडमिरल, आर.के.धवन, नौसेना स्टाफ के पूर्व प्रमुख थे।

प्रतियोगिता का आयोजन तीन स्तरों पर अर्थात् राज्य, आंचलिक और राष्ट्रीय, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से किया गया था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से प्रत्येक लड़के और लड़कियों में से एक, ने जोनल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया। 21 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रत्येक क्षेत्र (मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, उत्तर–पूर्व) की चयनित टीमों ने भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। 12 टीमें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से और प्रत्येक 2 (लड़के और लड़कियां) केवीएस और एनवीएस से थीं।

जोनल स्तर पर विजेता टीमों को क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए रु 10,000/–, रु 7000/– और रु 5,000/– प्राप्त हुए। राष्ट्रीय स्तर पर, लड़कों और लड़कियों की टीमों में विजेता टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार के लिए क्रमशः रु 20,000/–, 15,000/– और रु 10,000/– प्राप्त हुए।

संगीत कला संगम –2018

संगीत कला संगम –2018 एक समान राष्ट्रीय स्तर के मंच पर कला और संगीत शिक्षकों को लाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की अपनी तरह की पहली पहल थी। केवीएस और एनवीएस के कला और संगीत शिक्षकों को, गायकों, चित्रकारों और मूर्तिकारों के रूप में अपनी सिद्ध प्रतिभा और कलात्मक क्षमता दिखाने का शानदार अनुभव एक असाधारण अवसर प्रदान किया गया। उत्सव के मुख्य उद्देश्य थे; (i) संगीत और कला प्रतिभा को बढ़ावा देना (ii) अपने कौशल को बनाए रखने के लिए संगीत और कला शिक्षक को प्रोत्साहित करना और (iii) अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना।

राष्ट्रीय स्तर के लिए एनवीएस और केवीएस ने टीमों का चयन करने के लिए क्लस्टर और क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में देश भर के चयनित कला और संगीत शिक्षक एकत्र हुए, जहां 15 से 18 दिसंबर 2018 तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।

इन चार दिनों के दौरान, कला शिक्षा के 100 शिक्षकों और केवीएस के 150 संगीत (उनके संगतों के साथ) और एनवीएस के 32 कला शिक्षकों और 25 संगीत शिक्षकों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। "ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे" जैसे गीतों ने माहौल को गुंजायमान कर दिया और इसे पूरी तरह से संगीतमय बना दिया, प्रतिभागी विजेताओं में से एक द्वारा राग खमास पर "वैशव जन तो..."धुन बजायी गयी थी। प्रस्तुति के कई रूप थे जैसे सोलो सिंगिंग; वाद्ययंत्रों

की मेडली, मधुर गायन के साथ जुगलबंदी, अंताक्षरी का एक और आकर्षण जिसके द्वारा उसे सजाया गया था। कार्यक्रम का समापन 18 दिसंबर को एक खूबसूरत संगीतमय शाम में हुआ। केवीएस–एनवीएस शिक्षकों के विजेता चित्र, मूर्तियां और उच्च गुणवत्ता के चित्र 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2018 तक अंबेडकर केंद्र नई दिल्ली में प्रदर्शित की गईं और सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को पुरस्कार दिए गए।

मंत्रमुग्ध कर देने वाला उत्सव जयघोष, ऊर्जावान, रंगारंग मेडले प्रस्तुति के साथ समाप्त हुआ।

भाषा संगमः ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' के तहत बहुभाषावाद के संवर्धन के लिए एक पहल

यह कार्यक्रम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" को राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए शुरू किया गया था। "भाषा संगम" हमारे देश की भाषाओं की अनूठी सिम्फनी का प्रतीक है और एक भारत के लिए हमारे साझा सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भाषा संगम पहल के तहत भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में छात्रों को बहुभाषी प्रदर्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई थी।यह पहल सिर्फ यात्रा की शुरुआत थी जो इन भाषाओं में रुचि पैदा करने और अधिक जानने के लिए उत्सुकता पैदा करती थी।

भाषा संगम के उद्देश्यों में शामिल हैंः

- भारत के संविधान की अनुसूची आठवीं की सभी 22 भाषाओं से स्कूली छात्रों को अवगत कराना।
- भाषाई सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना।

सभी वर्गों के छात्रों द्वारा इसके उपयोग के लिए 22 भाषाओं में पांच सरल और आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाक्यों से युक्त एक लघु संवाद डिजाइन किया गया था। इन वाक्यों के अनुवाद के साथ सभी 22 भाषाओं में एक पुस्तिका विकसित की गई और क्विक रेस्पॉन्स कोड्स (क्यूआर कोड) उत्पन्न किए गए और इन भाषाओं के मूल वक्ताओं द्वारा बोली जाने वाली इन वाक्यों की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स क्यूआर कोड्स के साथ जोड़ दी गई। यह इन भाषाओं के बोलने, समझने और अभ्यास करने की सुविधा के लिए किया गया था। इन संसाधनों के दिशानिर्देश और विवरण के साथ एक पुस्तिका e-pathshala.gov.in और mhrd.gov.in/bhasha sangam वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी। यह कार्यक्रम 20 नवम्बर, 2018 में शुरू किया गया था और 21 दिसंबर, 2018 तक सभी 22 भाषाओं को वर्णमाला के क्रम में पेश किया गया था। इसके अलावा, प्रत्येक भाषा के ग्रंथों को सभी संबंधितों के बीच पाठ की उपलब्धता की सुविधा के लिए दिन–प्रतिदिन सोशल मीडिया पर साझा किया गया था।

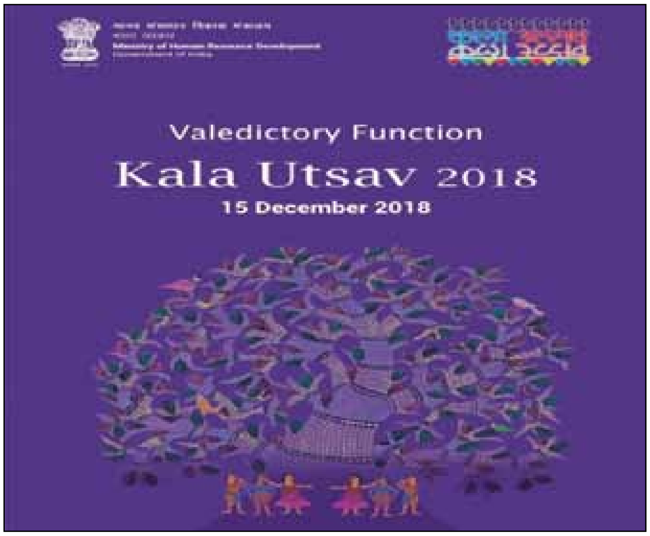

इस पहल ने देश भर में बड़ी संख्या में स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को आकर्षित किया। सुबह की सभा के दौरान भाषा संगम गतिविधियों का आयोजन और कई गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के बोलने, इसे विषय सीखने से जोड़ना स्कूलों द्वारा साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों से दिखाई देता है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों ने सोशल मीडिया और अन्य बड़े सामाजिक संगठनों के माध्यम से भाषा संगम गतिविधियों को प्रसारित करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन प्रयासों का प्रभाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रतीत होता है।

यह जानकर खुशी हुई कि सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1,26,855 वीडियो रिकॉर्डिंग देश भर के स्कूलों द्वारा साझा की गईं। ये वीडियो वीडियो shttp://bhashasangam.ncert.org.in/playlist.php लिंक पर उपलब्ध हैं। सभी सात स्वायत्तशासी निकायों जैसे केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई, सीआईएसई, सीटीएसए, सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (एईईएस) आदि के तहत स्कूलों ने सक्रिय रूप से भाषा संगम में भाग लिया। शीर्ष भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/स्वायत्त निकायों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केवीएस आदि शामिल हैं। सोशल मीडिया (ट्विटर हैंडल) से, यह स्पष्ट है कि भाषा संगम बातचीत पर 2629 लाइक हैं। इनमें से 42,55,109 लोगों ने ट्वीट की सामग्री को खोला और पढ़ा है (ट्विटर पर कुल पहुंच)। विश्वभर में 1,51,50,985 व्यक्तियों को भाषा संगम वार्तालाप/संदेश दिए गए (ट्विटर पर कुल विचार)। विभिन्न स्कूलों से प्राप्त समाचार क्लिपिंग्स और तस्वीरें बाद के पृष्ठों पर प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय बाल सभा और एकीकरण शिविर 2018

राष्ट्रीय बाल सभा और एकीकरण शिविर राष्ट्रीय बाल भवन का एक वार्षिक कार्यक्रम है। हर साल विभिन्न संबद्ध राज्य बाल भवन और बाल केंद्रों के बच्चे इस आयोजन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन में इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को देश की सांस्कृतिक विविधता को समझना और मनाना है। 16 नवंबर, 2018 तक तीन दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां देश भर से 42 राज्य बाल भवन टीमों ने इसमें भाग लिया। आयोजन में कुल मिलाकर लगभग 3000 बच्चों ने भाग लिया।बच्चे जो राष्ट्रीय बाल भवन, जवाहर बाल भवन, मंडी और बाल भवन केंद्रों के सदस्य हैं और स्थानीय स्कूलों के बच्चे भी कार्यक्रम का हिस्सा थे। सुलेख, मिट्टी के बर्तन और क्ले, मेहँदी, पेपर माचे, बांस कला, चरखा, मधुबनी, सांझी कला और बॉक्स बनाना, कठपुतली, चित्रकारी, पर्यावरण, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोग्राफी, एयरो मॉडलिंग, मजेदार खेल, बुनाई, पुस्तक बंधन, लकड़ी शिल्प सिलाई, टाई और डाई आदि बच्चों को विभिन्न कला रूपों और माध्यमों से सीखने और व्यक्त करने के लिए रचनात्मक कार्यशालाएं थीं।

राष्ट्रीय बाल सभा का उद्घाटन श्रीमती रीना रे, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी द्वारा किया गया था। उन्होंने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रदर्शित कला प्रदर्शनी देखी और अपने राज्य /क्षेत्र विशिष्ट पारंपरिक वेशभूषा में सभी बच्चों द्वारा प्रस्तुति का आनंद लिया। माननीय सचिव ने संबोधित करते हुए ''अनेकता में एकता'' और ''यूनिवर्सल ब्रदर'' के हवाले से हमारी संस्कृति की विशिष्टता पर जोर दिया।पहले दिन के दौरान सांस्कृतिक विनिमय गतिविधियाँ जैसे; पार्टनरिंग स्टेट की भाषा में अक्षर, गीत, कहावत और वाक्य सीखना, दो राज्यों की भाषा में समान अर्थ होने वाली कहावतों की पहचान, गाने का अनुवाद आदि आयोजित किए गए थे। कार्यक्रम के दूसरे दिन पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र– I और II के राज्य बाल भवनों द्वारा नृत्य और संगीत के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दिन एचए, मरेडियो का प्रदर्शन, क्रिएटिव इंडिया यूट्यूब वीडियो और भोजन उत्सव की प्रस्तुति भी शामिल थी। दिन का समापन सांस्कृतिक बोनफायर के साथ हुआ।

कार्यक्रम का तीसरा दिन संगीत नृत्य और नाटक में बच्चों द्वारा चयनित प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित था। बच्चों के लिए एक कठपुतली शो था। उन्होंने गणमान्य लोगों के साथ कार्यक्रम के अपने अनुभव भी साझा किए। वैधानिक सत्र का मुख्य आकर्षण सुश्री बबीता कुमारी फोगाट; ओलंपियन भारतीय पहलवान और श्री गुलाब, (एनबीबीके पूर्व सदस्य) जिन्होंने राष्ट्र मंडल चैंपियन शिप में 60 किग्रा वर्ग मेंस्वर्ण पदक जीता था। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान सुश्री बबीता कुमारी फोगाट ने बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए जीवन में अनुशासन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। समापन सत्र के अंत में बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय लोकनृत्य प्रतियोगिता–2018

एनसीईआरटी ने महत्वपूर्ण सोच, अंतर–व्यक्तिगत संचार और सहानुभूति की क्षमता विकसित करनेमें लोक नृत्यों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकारी स्कूलों के माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए 2011 से राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें भाग लेने और राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आमंत्रित किया गया।कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- लोक कलाओं को माध्यम के रूप में उपयोग करके जनसंख्याए शिक्षा और किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी ढंग से व्यक्त करना।
- उन्हें अनुभवात्मक सीखने और उनके जीवन–कौशल को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना।
- जनसंख्या और किशोरावस्था शिक्षा के लेन–देन के लिए कार्यनीति के रूप में लोक नृत्य को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिता– 2018 के विषय थेय

1. लड़कों और लड़कियों के लिए समान अवसरः कन्या भ्रूण हत्या को हटाना
2. बड़ों का सम्मान और देखभाल
3. पर्यावरण का संरक्षण
4. नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम
5. किशोरों के आकर्षण और चुनौतियां

कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो हृषिकेश सेनापति, निदेशक, एनसीईआरटी ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इन जीवन–कौशल को सीखने और उनके दैनिक जीवन में अभ्यास करने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया।

राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने के लिए पाँच स्तर की भागीदारी और प्रतियोगिताएं (स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और क्षेत्रीय स्तर) थीं ।33 एनपीईपी का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों/क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में से 23 टीमों ने क्षेत्रीय स्तर पर भाग लिया ।आयोजन में कुल 333 जिले शामिल हुए। क्षेत्रीय स्तर की सभी विजेता टीमों और प्रत्येक आरआईई के प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूल की शीर्ष टीमों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन किया।

यह कार्यक्रम प्रो. सरोज यादव, डीन (अकादमिक) और डॉ बी रामचंद्र राव, यूनिसेफ की उपस्थिति में एनसीईआरटीए नई दिल्ली में स्मृति चिन्ह और पुरस्कार के साथ विजेता टीमों के सम्मान के साथ 07 दिसंबर, 2018 को समाप्त हुआ।

राष्ट्रीय भूमिका अभिनय प्रतियोगिता–2018

राष्ट्रीय रोल प्ले प्रतियोगिता सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 2009 से एमएचआरडी और एनसीईआरटी की वार्षिक पहल है। रोल प्ले एक ऐसी गतिविधि है जो संभावित वास्तविक जीवन स्थितियों का वर्णन करती है ।राष्ट्रीय रोल प्ले प्रतियोगिता पर एक योजना विकसित की गई और सभी 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना से जोड़ा गया। प्रतियोगिता किशोरावस्था शिक्षा सहित जनसंख्या शिक्षा पर केंद्रित थी। वर्ष के विषय थे:

- किशोरों के बीच स्वस्थ संबंध
- किशोरों के आकर्षण और चुनौतियां
- एचआईवी और एड्सः "कलंक"
- मादक द्रव्यों के सेवन के कारण और प्रभाव

राष्ट्रीय रोल प्ले प्रतियोगिता 6 से 7 दिसंबर 2018 तक एनसीईआरटी,नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी। जहां प्रत्येक आरआईई का प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूल से क्षेत्रीय स्तर की सभी विजेता टीमों और शीर्ष टीमों ने अपना रोल प्ले प्रस्तुत किया। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए पांच स्तर की भागीदारी और प्रतियोगिताएं (स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और क्षेत्रीय स्तर की थी जिसमें 33 एनपीईपी कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों में से 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय स्तर रोल प्ले कार्यक्रम एनसीईआरटीए नई दिल्ली में पुरस्कार और स्मृति चिन्ह के साथ विजेता टीमों के सम्मान के साथ 07 दिसंबर, 2018 को समाप्त हुआ।

परीक्षा पे चर्चा

16 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम "परीक्षा पे चर्चा" आयोजित किया गया।

यह कार्यक्रम एक ''टाउन हॉल'' कार्यक्रम था, जो अपने आप में अनूठा था और पहली बार इसकी योजना बनाई गई थी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री स्टेडियम में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ और पूरे देश में वेब इंटरेक्शन के माध्यम से लाइव बातचीत कर रहे थे। MyGov मंच पर बातचीत कार्यक्रम के लिए देश भर के छात्रों से लिखित सवाल आमंत्रित किए गए थे। लगभग 18,000 लिखित प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनमें से 40 प्रश्नों को पहले संक्षिप्त रूप में दिया गया था। इसके बाद, दूरदर्शन से इन लघु प्रश्नों के वीडियो शूट करने का अनुरोध किया गया और आईआईटी मुंबई, बीएचयू आदि के कुछ छात्रों ने प्रश्न का अपना वीडियो तैयार किया और इसे एमएचआरडी को भेज दिया। अंतिम प्रश्नों के लिए तब बातचीत के लिए विषय को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया।

दूरदर्शन (डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया)/ रेडियो चैनलों पर (ऑल इंडिया रेडियो मीडियम वेव),

2018 को तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद थे और देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक छात्रों ने डीडी/टीवी चैनल/रेडियो चैनल पर कार्यक्रम देखा या सुना।

कार्यक्रम को व्यापक रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कवर किया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर एक रेडिंग हिट बन गया, और नंबर 1 ट्रेंड वार्तालाप था, जिसे ट्विटर पर 2.5 बिलियन से अधिक इम्प्रैशन मिली। इसे वेबकास्टिंग, आदि के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक लाइव पर व्यापक रूप से देखा गया।

आल इंडिया रेडियो, एफएम पर देश भर के छात्रों को कक्षा छठी से बारहवीं तक और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रसारण देखने/सुनने का अनुरोध किया गया था। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों और प्राचार्यों के साथ 2500 छात्रों को तालकटोरा स्टेडियम में लाइव बातचीत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तदनुसार, सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा संस्थाओं को आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश और परामर्श जारी किए गए थे।

माननीय प्रधानमंत्री के एक घंटे के संवाद के रूप में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी, जो लगभग दो घंटे तक जारी रही। स्कूलों और कॉलेजों के 2500 से अधिक छात्र बातचीत के लिए 16 फरवरी,

स्कूल सुरक्षा

बच्चों को गरिमा और ऐसे वातावरण में शिक्षा की पहुंच, जो विकास और वृद्धि के लिए सुरक्षित, सुरक्षात्मक और अनुकूल हो, के साथ जीने का अधिकार है।स्कूल संरक्षा और सुरक्षा को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और केवल बुनियादी ढांचे और भौतिक सुरक्षा तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। स्कूली सुरक्षा का मुद्दा शारीरिक दंड से लेकर धमकाने, शारीरिक हिंसा, यौन, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा से कहीं अधिक जटिल हो गया है, यहां तक कि चरम मामलों में मृत्यु

तक पहुंच गया है। हाल के दिनों में, हत्या, हमले और बलात्कार सहित स्कूलों में हिंसा और दुखद घटनाओं की खबरें आई हैं। ड्रग्स, शराब और सिगरेट की आसान उपलब्धता के साथ हिंसा, अपराध, पोर्नोग्राफी और मादक द्रव्यों के सेवन के लिए बच्चों की इंटरनेट और वीडियो तक आसानी से पहुंच हो रही है। साथ ही बच्चों को भी माता–पिता, शिक्षकों और साथियों से जबरदस्त परीक्षा तनाव और दबाव का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे हताशा और अक्रामकता या अवसाद होता है और कुछ मामलों में आत्महत्या होती है। स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक और स्कूल में कर्मचारियों का दृष्टिकोण सामान्य रूप से उदासीन हो जाता है। एक स्कूल संरक्षा और सुरक्षा ढांचे और कार्य योजना की मांग करना यह चिंता का प्रमुख कारण है। स्कूलों को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से जवाब देही ढांचे के साथ एक व्यापक दिशानिर्देश विकसित किया जा रहा है।

जबकि एक आदर्श स्थिति में, काउंसलर हर स्कूल में प्रदान किए जाएंगे, हालांकि देश में प्रशिक्षित काउंसलरों की कमी के कारण यह संभव नहीं है, स्कूल के भीतर पहले चरण के काउंसलर के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षकों को संवेदनशील बनाया जा सकता है।वे अपने छात्रों की ओर से किसी भी विक्षुब्ध संकेत या व्यवहार की पहचान करने और उनके साथ जुड़ने के लिए उन्मुख हो सकते हैं। इस एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एनसीईआरटी और एनआईईपी, द्वारा वर्ष 2019–20 में हेड टीचर्स, हेड मास्टर्स और बीआरसीए, सीआरसी सहित लगभग 42 लाख सरकारी प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।शिक्षकों को परामर्श, पॉक्सो अधिनियम, जेजे अधिनियम, स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देश, हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबर, शिकायतों के लिए ड्रॉप–बॉक्स आदि के प्रावधानों की ओर उन्मुख किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कक्षा I से XII तक के सभी स्कूलों के शिक्षकों को 1000 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही, प्रत्येक स्कूल को हेल्पलाइन और आपातकालीन नंबरों और संपर्क व्यक्तियों के साथ सुरक्षा पर एक बोर्ड प्रदर्शित करना है, जिसके लिए प्रति स्कूल 500/– रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

तेलंगाना के राज्य शिक्षा विभाग ने पॉक्सो अधिनियम पर पुलिस विभाग के साथ अभिसरण के दौरान एक वर्ष का लंबा अभियान "जागो बदलो भोलो" चलाया था, जिसके तहत सभी हेडमास्टर्स और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

रक्षा–समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण

लिंग आधारित हिंसा देश में किशोर लड़कियों के विकास, वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है।देश में लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को ध्यान में रखते हुए, स्कूलों में उनकी संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन कौशल है जो लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी समय अप्रत्याशित खतरे के लिए तैयार रहने में मदद करता है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से, लड़कियों को मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनना सिखाया जाता है ताकि संकट के समय खुद की रक्षा कर सकें। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तकनीक लड़कियों में आत्म–विश्वास पैदा करती है और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है, खासतौर से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उनके ट्रांजिशन को बढ़ावा देने और स्कूलों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में।

आत्मरक्षा तकनीकों के माध्यम से, लड़कियों को अपनी मुल शक्ति को बढ़ाना सिखाया जाता है। गंभीर परिस्थितियों में, किसी को खुद को बचाने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। एक रणनीतिक

कुहनी के बजाय, एक तेज झटका, एक किक या एक पंच हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त है। लड़कियों को दैनिक वस्तुएं जैसे चाबी का छल्ला, दुप्पटा, स्टोल, मफलर, बैग, पेन/पेंसिल, नोटबुक आदि का अपने हित के लिए आत्मरक्षा के हथियार के रूप में उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत, बालिका नामांकन वाले सरकारी स्कूलों में 3000/– रूपये प्रति माह की दर से तीन महीने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण कक्षा छठी से बारहवीं तक की छात्राओं के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में रहने वाली लड़कियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पुलिस विभाग, होमगाड्‌र्स, एनसीसी या अन्य राज्य सरकार की योजनाओं के तहत निर्भया फंड के तहत आत्म–रक्षा प्रशिक्षण के लिए धन प्राप्त करने के लिए अभिसरण की तलाश कर सकते हैं। वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा योजना के तहत, 16449.09 लाख रुपये के कुल परिव्यय को मंजूरी दी गई, जिसमें से 134835 प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10221.87 लाख रुपये और आत्म–रक्षा प्रशिक्षण के लिए 76581 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 6227.22 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था।

समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण

अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण

आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) में संशोधन कर अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण देने की अवधि को 31 मार्च, 2019 तक करने को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) को अप्रशिक्षित शिक्षकों को 'ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड' में प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। इस पहल की एक अनूठी विशेषता यह है कि एनआईओएस द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री स्व–निर्देशात्मक मोड में थी और इन्हें स्वयंम प्लेटफॉर्म पर चार क्वाड्रंट अर्थात् (1) ऑडियो/वीडियो व्याख्यान, (2) विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री जो डाउनलोड/मुद्रित हो सकती है, (3) परीक्षण और क्विज़ के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण और (4) संदेह को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच में अपलोड किया गया था। सभी शिक्षकों को प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के लिए अलग–अलग व्यवस्था के साथ स्वयंम पोर्टल और स्वयंमप्रभा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन निर्देश दिए गए थे। सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी–गैर–सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 14 लाख अयोग्य शिक्षक पंजीकृत थे और उन्हें डी.एल.एड. पाठ्‌यक्रम में प्रशिक्षत किया गया, जिसे 31 मार्च, 2019 को पूरा किया गया। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल है। ये प्रशिक्षित और बेहतर सुसज्जित शिक्षक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।

शिक्षकों के पूर्व सेवा प्रशिक्षण में सुधार करना

एनसीटीई एक वैधानिक निकाय है जिसे देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को प्राप्त करने का काम सौंपा गया है। यह शिक्षक शिक्षा क्षेत्र के विनियमन और विकास के लिए केंद्र बिंदु सुनिश्चित करने के लिए एनसीटीई को कार्यों का पूरा दायित्व सौंपा गया है। मानव और भौतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को लाने के लिए दिल्ली में एनसीटीई के कामकाज को केंद्रीकृत करने के लिए 2016 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। यह नियमों में परिवर्तन के माध्यम से प्रभावित हुआ था। चार क्षेत्रीय कार्यालयों में से तीन ने दिल्ली के द्वारका में नए एनसीटीई भवन से काम करना शुरू कर दिया है (भुवनेश्वर कार्यालय को अभी

तक कोर्ट केस के कारण स्थानांतरित नहीं किया गया है)। इसके साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से एनसीटीई के कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है।

एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)

सचिवों के समूह की सिफारिशों पर, एनसीटीई को अंतर्निहित विशेषज्ञता के साथ एक एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) विकसित करने के लिए जनादेश सौंपा गया है।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2018) में घोषणा की है: ''शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार से देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हम शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम शुरू करेंगे''

आईटीईपी की मुख्य विशेषताएं

यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और दुनिया भर से और भारत से भी बेहतरीन तत्वों को शामिल करते हुए एक नए पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने की संभावना है। पहले चरण में, शैक्षणिक सत्र 2020–21 में निम्नलिखित दो धाराएँ प्रस्तावित हैं:

i) बीए/बीएससी–प्राइमरी (प्री–प्राइमरी सहित)

ii) बीए/बीएससी–माध्यमिक

अधिसूचित विनियमन

- पाठ्यक्रम और बिस्पोक विनियम काफी समय से तैयारी के अधीन हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि यह कार्यक्रम संसाधनों पर न्यूनतम दबाव का कारण बनता है और साथ ही गुणवत्ता के उत्पादन को अधिकतम करता है। व्यापक विचार–विमर्श के दौरान, 270 से अधिक शिक्षाविद एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियोजित किए गए हैं। शिक्षाविदों में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, एनसीईआरटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और विभिन्न राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- पाठ्यक्रम और विनियमों ने स्नातक कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट के संदर्भ में यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बेंचमार्क का जहां भी लागू हो, कड़ाई से पालन किया है।
- एनसीटीई ने इस कार्यक्रम के लिए दिनांक 02.04.2019 की आधिकारिक अधिसूचना के आधार पर आईटीईपी को मान्यता देने के लिए एनसीटीई अधिनियम, 1993 के तहत अपनी निहित शक्तियों का उपयोग किया है।
- न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की सिफारिशों के बाद, ये कार्यक्रम केवल विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को प्रदान किए जाते हैं।

भारत और विश्वभर की सर्वोत्तम प्रथाएं सम्मिलित

- बच्चों का व्यापक अवलोकन (यूएसए)
- इंटीग्रेटेड करिकुलम– इंटीग्रेटिंग कंटेंट एंड पेडागॉजी (यूएसए, फिनलैंड, सिंगापुर)
- 30%–40% शिक्षक–विद्यार्थियों का मूल्यांकन आंतरिक होगा जो विभिन्न प्रकार के साधनों और प्रथाओं (यूएसए, यूके, फिनलैंड) द्वारा किया जाएगा।
- समुदाय के साथ जुड़ाव–समुदाय और सामुदायिक यात्राओं (यूएसए, फिनलैंड) में मेलों का आयोजन
- कार्यक्रमों में भागीदारी–कार्यक्रम जैसे दृश्य कला मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन (यूएसए, फिनलैंड, सिंगापुर)
- कौशल संवर्धन के कार्यक्रम– शैक्षिक दर्शन के महत्वपूर्ण और तुलनात्मक अध्ययन; समूह प्रस्तुतियाँ, पाठ और मीडिया का विश्लेषण, बच्चे का साक्षात्कार, व्यक्तिगत अनुभवों पर चिंतन (यूएसए, सिंगापुर)

- शिक्षक–शिष्य की अपनी मान्यताओं और विश्वास मान्यताओं का मूल्यांकन (यूएसए, यूके, फिनलैंड)
- 4 चरणों में 24 सप्ताह का एक वृहत्त इंटर्नशिप कार्यक्रम (फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर. विस्तारित इंटर्नशिप)
- वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) और मूल्य शिक्षा– अभिनव पहलु
- स्कूल की स्वच्छता और परामर्श (अकादमिक और व्यावसायिक) – अभिनव पहलु
- लिंग, आईसीटी और समावेशी शिक्षा – भारतीय पहलु

भारतीय लोकाचार पर समृद्ध सामग्री

- भारत में शिक्षा
  - शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य– भारत की प्राचीन बौद्धिक परंपराओं जैसे वैदिक, उपनिषद, बौद्ध और जैन धर्म से लिया गया।
  - मध्ययुगीन काल और औपनिवेशिक काल में शिक्षा प्रणाली।
- प्रसिद्ध भारतीयों जैसेः महात्मा गांधी, आर के नारायण, इस्मत चुगताई, ज्योतिराव फुले, गिजुभाई बधेका, गिरीश कर्नाड, रवींद्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, ताराबाई मोदकए अनुताई वाघ, गोपाल कृष्ण गोखान द्वारा लेखन से शिक्षा में परिप्रेक्ष्य
- योग पर बल सहित भारतीय संदर्भ में स्वास्थ्य पर ध्यान
- उदारवाद के मूल्यों और स्थानीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए हिंदी/आधुनिक भारतीय भाषाओं में संचार कौशल पाठ्यक्रम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत रूपों की शिक्षा
- भारतीय शास्त्रीयए लोक और क्षेत्रीय वाद्ययंत्रए नृत्य और संगीत की शिक्षा
- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजनाएँ और परियोजनाएँः स्वच्छ भारत, नमामि गंगे आदि।

आईटीईपी–सर्वोत्तम से बेहतर

- इस कार्यक्रम को तैयार करने का उद्देश्य उन शिक्षकों से है जो छात्रों के लिए आज की दुनिया की व्याख्या कर सकते हैं और एक कक्षा के रूप में छात्रों के साथ व्यवहार करने के बजाय एक कक्षा में व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों से निपटने के लिए तैयार हैं।
- पाठ्यक्रम के लेन–देन के लिए एक हैंडबुक भी इस पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या पहलुओं को हस्तांतरित करने के लिए हर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षक का मार्गदर्शन करने की तैयारी के तहत है।
- पांडित्य और विषय ज्ञान का सम्मिश्रण इस पाठ्यक्रम की एक अनूठी विशेषता हैए जिसे देश में पहली बार पेश किया जा रहा है।
- कई चरणों में फैली विस्तृत गतिविधियों के साथ एक व्यावहारिक शिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप) निर्धारित है ।यह मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में 24 महीने की अवधि में सावधानीपूर्वक संरचित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार

त्रिपुरा में कार्यान्वित एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल

एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण मॉडल त्रिपुरा राज्य में दिसंबर, 2018 से फरवरी, 2019 तक लागू किया गया था। राज्य ने सत्र 2019–20 से प्रारंभिक स्तर पर सभी वर्गों के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को अपनाने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों

के शिक्षार्थी—केंद्रित शिक्षण पर शिक्षकों के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए, अधिगम परिणाम, शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण को निम्नलिखित चरणों में डिजाइन और संचालित किया गया था:

I. जून, 2018 में सचिव, शिक्षा, त्रिपुरा और अन्य राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

II. शिक्षकों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर— सितंबर, 2018 में त्रिपुरा के राज्य/जिला/ब्लॉक/क्लस्टर संसाधन अधिकारियों के साथ एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

III. निदेशक, एससीईआरटी और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, त्रिपुरा के मार्गदर्शन में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य के दो नोडल अधिकारियों को राज्य द्वारा नामित किया गया था।

IV. एनसीईआरटी द्वारा तैयार मॉड्यूल विकास दिशानिर्देश त्रिपुरा में एससीईआरटी और डीआईईटी के संकाय सदस्यों के साथ साझा किए गए। लर्निंग आउटकम, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, पेडैगोजी ऑफ साइंस, मैथमैटिक्स पेडागोजी, आदि जैसे प्रशिक्षण मॉड्यूल एनसीईआरटी और एससीईआरटी/डायट (त्रिपुरा) संकाय सदस्यों द्वारा कार्यशाला मोड में दिसंबर 2018 के पहले सप्ताह में तैयार किए गए थे।

V. इन मॉड्यूलों को एनसीईआरटी संकाय सदस्यों द्वारा दिसंबर, 2018 के तीसरे सप्ताह में संचालित किया गया था।

VI. 20 दिसंबर, 2018 तक राज्य द्वारा किए गए एससीईआरटी, आईएएसई, सीटीई, डीआईईटी, ब्लॉक संसाधन केंद्र, क्लस्टर संसाधन केंद्र आदि से 284 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के सदस्यों की पहचान की गई और एनसीईआरटी को सूचित किया गया।

VII. एससीईआरटी, त्रिपुरा के सहयोग से एनसीईआरटी द्वारा 26 से 30 दिसंबर, 2018 तक पांच दिनों के लिए 284 केआरपी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

VIII. जो दिसंबर 2018 के अंतिम सप्ताह में एक समय में चार समानांतर सत्र आयोजित करने के लिए पर्याप्त जगह के साथ इन केआरपी की क्षमता के निर्माण के लिए एनसीईआरटी के 14 संसाधन व्यक्तियों व एक राष्ट्रीय संसाधन समूह हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां की गई थीं—

क) प्रशिक्षुओं के पूर्व मूल्यांकन की आवश्यकता

ख) केआरपी के प्रशिक्षण की ट्रैकिंग और मॉड्यूल और ईसंसाधनों— पहुंच के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन।

ग) इंटरएक्टिव और गतिविधि आधारित सत्र— पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों पर; शिक्षार्थी—केंद्रित शिक्षा, शिक्षायी को समक्षना अधिगम परिणाम; स्कूल आधारित मूल्यांकन; भाषाशास्त्र आदि।

घ) ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राज्य संसाधन समूह के रूप में 4 केआरपी का समूह बनाना (विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले एक ही ब्लॉक से संबंधित केआरपी को आरेखित करना)।

ङ) सामाजिक सरोकारों को प्रभावित करने वाले शिक्षार्थी—केंद्रित शिक्षण का उपयोग करके ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने और एक विषय के सिक्षण पर एक योजना बनाने के लिए समूह कार्य किया गया था।

च) समानांतर सत्रों में समूह प्रस्तुतियों को राष्ट्रीय संसाधन समूहों और राज्य के अधिकारियों द्वारा अवलोकन किया गया। प्रत्येक समूह को फीडबैक प्रदान किया गया।

छ) समापन सत्र के दौरान, कार्यक्रम अनुसूची, समय सीमा और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण के संचालन के दिशा निर्देशों को प्रशिक्षणार्थियों के साथ साझा किया गया था।

ज) प्रशिक्षुओं के उत्तर मूल्यांकन की आवश्यकता।

IX. माननीय शिक्षा मंत्री, त्रिपुरा ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और एक सत्र में प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।

X. एनसीईआरटी और त्रिपुरा राज्य से दो सदस्यों को शामिल करते हुए आठ मॉनिटरिंग समूह बनाए गए।

XI. शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर केआरपी की निगरानी और सहायता के लिए निगरानी समूह हेतु फीडबैक फॉर्म बनाया गया था।

XII. त्रिपुरा राज्य ने फरवरी–मार्च 2018 से चरणबद्ध तरीके से सभी आठ जिलों के 31,000 प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

XIII. प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के लिए अलग–अलग पांच दिनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

XIV. निगरानी समूहों ने प्रत्येक जिले का दौरा किया और जिले के ब्लॉक के विभिन्न केंद्रों में एक यादृच्छिक दौरा किया।कुल मिलाकर, शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में अच्छी प्रतिक्रिया मिली।गतिविधि आधारित तरीके का उपयोग करके प्रशिक्षण आयोजित किया गयाए सीखने के परिणामों आदि पर ध्यान दिया गया था।

एससीईआरटी की पुनः संरचना और सुदृढ़ीकरण

आरटीई अधिनियम, 2009 के लागू होने और सभी स्कूलों में समावेशी शिक्षा की बढ़ती मांगों के बाद पिछले एक दशक में स्कूली शिक्षा के विस्तार को देखते हुए, एससीईआरटीका मूल्यांकन संस्था में अंदरूनी अंतरालों के समाधान और अन्य संस्थाओं के साथ अपनी संबद्धता के लिए अपनी शक्तियों और कमजोरियों के विश्लेषण के माध्यम से एससीईआरटी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके मद्देनजर एमएचआरडी ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श में एससीईआरटी की मजबूती के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं।

राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)

केंद्रीय क्षेत्र योजना ''राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना'' मई, 2008 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को प्रति माह 500 रुपये (अर्थात रु. 6000/– प्रति वर्ष) की छात्रवृत्ति प्रदान करने और आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को कम करने और उन्हें बारहवीं कक्षा तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरण में अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। हर साल चयनित छात्रों को कक्षा में अध्ययन के लिए और सरकारीए सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में बारहवीं कक्षा तक अध्ययन जारी रखने के लिए एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से योजना के तहत छात्रवृत्ति की दर 500 रुपये प्रति माह (रु 6000/– प्रति वर्ष) से बढ़ाकर रु 1,000/– प्रति माह (रु 12000/– प्रति वर्ष) कर दी। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति कोटा है। ऐसे छात्र जिनकी सभी स्रोतों से पैतृक वार्षिक आयः 1,50,000/– से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। एनवीएसए केवीएस और आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्रवृत्ति के लिए हकदार नहीं हैं। राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण है। योजना के तहत छात्रवृत्ति के

लिए छात्रों का चयन राज्य सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा योग्य छात्रों की सूची प्रदान की जाती है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से छात्रों के खातों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति सीधे भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से वितरित की जाती है।योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% धनराशि प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर है।

वर्ष 2018–19 के दौरानए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार 280330 छात्रवृत्तियां मंजूर की गईए जिसमें 319.16 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई)

केंद्र प्रायोजित "माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना" (एनएसआईजीएसई) मई 2008 में शुरू की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रॉप आउट को कम करने हेतु समर्थित परिवेश स्थापित करना और माध्यमिक स्कूलों में एससी/एसटी समुदायों से संबंधित बालिकाओं में नामांकन को बढ़ावा देना तथा 18 वर्ष की आयु तक उनकी प्रतिधारणा सुनिश्चित करना है। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की सभी लड़कियों, जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करती हैं और (ii) सभी लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं (भले ही वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ना हों) और कक्षा IX में राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल में दाखिला लेती हैं, को शामिल किया गया है। एनएसआईजीएसई योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसे फिर से डिजाइन किया जा रहा है।

योजना के अनुसार, IX कक्षा में नामांकन पर सावधि जमा के रूप में पात्र अविवाहित लड़कियों के नाम पर रु 3000/– जमा किये जाते हैं। वे 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने और कक्षा 10की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस राशि को ब्याज सहित वापस लेने की हकदार हैं। इण्डियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत आती है।यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर है। वर्ष 2018–19 के दौरान (30 नवंबर, 2018 तक), 69,091 छात्राओं के लिए 20.79 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गयी थी।

भारत सरकार ने पहली जनवरी 2013 को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना/प्रणाली को शुरू किया थाए जिसके तहत 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 43 पायलट जिलों में डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आठ मंत्रालयों/विभागों में से 25 योजनाओं का चयन किया गया था। यह आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है। डीबीटी का दूसरा चरण पहले चरण में शामिल 43 जिलों के अलावा, 1 जुलाई, 2013 से 78 और जिलों में लागू किया गया था। जनवरी 2015 से, डीबीटी योजना को पूरे देश में विस्तारित किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की दो छात्रवृत्ति योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय सह–साधन–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई) डीबीटीके अंतर्गत आती हैं।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई) के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव/लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का संचालन किया गया है।

एसपीईएमएम की योजना (एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई)

- के आर नारायणन संस्थान, जामिया मिलिया इस्लामिया (2013) द्वारा 2013 में योजनाओं

(एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई) का मूल्यांकन किया गया था।

- वर्ष 2017 में एनआईईपीए (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान) को एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया था।
- वर्ष 2018–19 में इन मूल्यांकनों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एसपीईएमएम को संशोधित किया गया।
- वर्ष 2017–18 के लिए एसपीईएमएम के 120 करोड़ रूपये के बजट अनुदान में से 107.89 करोड़ रूपये (89.90%) वर्ष 2017–18 में जारी किये गये हैं।
- वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के तहत 156 अल्पसंख्यक संस्थान, 6204 मदरसे और 15909 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं।
- 2018–19 के लिए एसपीईएमएम के 120 करोड़ रूपये के बजट अनुदान में से वर्ष 2018–19 में 15.2.2019 तक 38 अल्पसंख्यक संस्थान और 8562 मदरसों को लाभान्वित करते हुए 18.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

संशोधित एसपीईएमएम योजना (वर्ष 2018–19 से)

- 100% अनुदान योजना के रूप में जारी रखने के बजाय एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई को सम्मिलित कर एसपीईएमएम एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी।
- जहाँ तक एसपीक्यूईएम घटक का संबंध है, एसपीईएमएम (एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल) के तहत वित्त पोषण पैटर्न अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के समान होगा, यानी एनई राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के लिए 90:10, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100% और शेष राज्यों के लिए 60:40 ।
- आईडीएमआई घटक के लिए, फंडिंग पैटर्न समान होगा अर्थात 75% केन्द्रीय भाग और 25% संबंधित संस्थान द्वारा।
- दोनों योजनाओं के तहत सभी प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सचिव (एसई एंड एल) की अध्यक्षता में पीएबी (परियोजना अनुमोदन बोर्ड) द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में एक उपयुक्त वेब एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है।
- एसपीक्यूईएम के तहत उपलब्ध राशि को शिक्षा के गुणवत्ता घटक को बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा।
- एसपीक्यूईएमके तहत अनुदान के लिए केवल उन मदरसों पर विचार किया जाएगा जोः
  - o किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई आदि से संबद्ध हैं।
  - o जिनके पास यूडाइजकोड है, यूडाइजडेटा भरा है, और जीआईएस मैपिंग विवरण प्रदान करने में सक्षम हैं।
  - o मदरसों को शिक्षकों के वेतन का भुगतान केवल उन बैंकों के माध्यम से करना चाहिए जहाँ खाते अधिमानतः आधार से जुड़े हैं।
  - o फोकस गुणवत्ता संबंधित हस्तक्षेपों पर होगा जो किस मग्रशिक्षा के तहत गुणवत्ता वाले घटकों के मानदंडों के अनुसार माना जाएगा।

❖ ❖ ❖

02

स्कूलों में मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना

स्कूलों में मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना

पृष्ठभूमि

नामांकन उपस्थिति और प्रतिधारण और साथ ही बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार में वृद्धि के मद्देनजर एक केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता काराष्ट्रीय कार्यक्रम' (एनपी–एनएसपीई) 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। वर्ष 2008–09 मेंए इस योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था और इस योजना का नाम बदलकर 'स्कूलों में मिड–डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम' रखा गया था। मिड–डे मील योजना के नाम से प्रसिद्ध सभी योजना में समग्र शिक्षा के तहत सरकारी और सरकारी–सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) और मदरसों और मकतबों में कक्षा I-VIII तक अध्ययनरत सभी बच्चों को शामिल किया गया है। योजना की विषयवस्तु और कवरेज को समय–समय पर संशोधित किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैंः

उद्देश्य

मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की दो महत्वपूर्ण समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा को दूर करना है।

i. समग्र शिक्षा के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र (एसटीसी) और मदरसे और मकतबों में कक्षा एक–आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, शामिल किया जाता है।

ii. वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को स्कूल में अधिक नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना और कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी मदद करना।

iii. गर्मी की छुट्टी के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

औचित्य

i. **कक्षा की भूख को रोकनाः** समाज के वंचित वर्गों से संबंधित कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। यहां तक कि बच्चे, जो स्कूल जाने से पहले भोजन करते हैं, दोपहर तक भूखे हो जाते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन उन परिवारों के बच्चों की मदद कर सकता है जो लंच बॉक्स नहीं खरीद सकते हैं या "कक्षा की भूख" के लिए स्कूलों से दूर रह रहे हैं।

ii. **स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देनाः** मिड–डे मील का स्कूल की भागीदारी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, न केवल रजिस्टरों में अधिक बच्चों को दाखिला दिलाने के मामले में बल्कि दैनिक आधार पर नियमित रूप से विद्यार्थियों की उपस्थिति के संदर्भ में भी।

iii. **बच्चों के स्वस्थ विकास को सुगम बनानाः** बच्चों को उनके स्वस्थ विकास की सुविधा के लिए मध्याह्न भोजन ''पूरकपोषण'' के नियमित स्रोत के रूप में भी काम कर सकता है।

iv. **आंतरिक शैक्षिक मूल्यः** एक सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों को विभिन्न अच्छी आदतों को प्रदान करने के अवसर के रूप

में किया जा सकता है (जैसे कि खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोना) और उन्हें साफ पानी अच्छी स्वच्छता और अन्य संबंधित मामलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना।

v. **सामाजिक समानता को बढ़ावा देना:** मध्याह्न भोजन समतावादी मूल्यों को फैलाने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ बैठना और भोजन साझा करना सिखाता है। विशेष रूप से, मध्याह्न भोजन स्कूली बच्चों के बीच जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। एससी/एसटी समुदायों से रसोइया नियुक्त करना, जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए बच्चों को सिखाने का एक और तरीका है।

vi. **जेंडर समता में वृद्धि:** स्कूल की भागीदारी में जेंडर अंतर कम हो जाता है, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को दूर करने में मदद करता है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती हैं। यह योजना महिलाओं के लिए रोजगार का एक उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है और कामकाजी महिलाओं को दिन में घर पर खाना पकाने के बोझ से मुक्त करने में मद्द करती है। इन और अन्य तरीकों से, मध्यान्ह भोजन योजना में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष हिस्सेदारी है।

vii. **मनोवैज्ञानिक लाभ:** शारीरिक वंचना आत्मसम्मान में कमी फलस्वरूप असुरक्षा, चिंता और तनाव को जन्म देती है। मध्याह्न भोजन योजना इनका समाधान करने और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सहज बनाने में मदद कर सकती है।

कवरेज

वर्ष 2018–19 के दौरान, देश में 11.34 लाख पात्र विद्यालयों में कक्षा I-VIII में पढ़ने वाले 9.12 करोड़ बच्चे इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार कवरेज का विवरण **संलग्नक I** और **II** पर है।

मध्याह्न भोजन योजना के मानदंड

i) मध्याह्न भोजन का कैलोरी मान

प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए प्रति बच्चा पकाए गए मध्याह्न भोजन में 100 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं/पोषक तत्व से भरपूर अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल/वसा होता है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, प्रति बच्चा 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए इसमें 150 ग्राम खाद्य अनाज (गेहूं/चावल/पोषक तत्वों से भरपूर अनाज), 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल/वसा होता है।

ii) खाना पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल, मसालों, ईंधन आदि पर खर्च कवर होता है। खाना पकाने की लागत में पिछले 5 वर्षों में 7.5% की वृद्धि हुई है (वर्ष 2016–17 में 7% को छोड़कर)। वर्ष 2017–18 के लिए खाना पकाने की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई। 2018–19 में खाना पकाने की लागत 5.35% बढ़ गई थी। खाना पकाने की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 आधार पर साझा की जाती है, विधायिका के बिना संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और विधायिका के साथ अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 60:40 आधार पर साझा की जाती है। पिछले वर्षों, वर्तमान वर्ष के दौरान खाना पकाने की लागत के मानदंड, और केंद्र और राज्यों के बीच साझाकरण पैटर्न निम्नानुसार हैं:

तालिका 1:

वर्ष	स्तर	कुल लागत प्रति प्रति भोजन	केंद्र–राज्य शेयर			
			गैर पूर्वात्तर राज्य (75:25)		पूर्वात्तर राज्य (90:10)	
2013-14	प्राथमिक	• 3.34	₹ 2.51	₹ 0.83	₹ 3.01	₹ 0.33
	उच्च प्राथमिक	• 5.00	₹ 3.75	₹ 1.25	₹ 4.5	₹ 0.50
2014-15	प्राथमिक	• 3.59	₹ 2.69	₹ 0.90	₹ 3.23	₹ 0.36
	उच्च प्राथमिक	• 5.38	₹ 4.04	₹ 1.34	₹ 4.84	₹ 0.54
संशोधित निधियन पैटर्न		यूटी (100%)	60:40 (गैर पूर्वोत्तर राज्य)		पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य (90:10)	
2015-16	प्राथमिक	₹ 3.86	₹ 2.32	₹1.54	₹ 3.47	₹ 0.39
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.78	₹ 3.47	₹ 2.31	₹ 5.20	₹ 0.58
2016-17	प्राथमिक	₹ 4.13	₹ 2.48	₹ 1.65	₹ 3.72	₹ 0.41
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.18	₹ 3.71	₹ 2.47	₹ 5.56	₹ 0.62
2017-18	प्राथमिक	₹ 4.13	₹ 2.48	₹ 1.65	₹ 3.72	₹ 0.41
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.18	₹ 3.71	₹ 2.47	₹ 5.56	₹ 0.62
2018-19	प्राथमिक	₹ 4.35	₹ 2.61	₹ 1.74	₹ 3.91	₹ 0.44
	उच्च प्राथमिक	₹ 6.51	₹ 3.91	₹ 2.60	₹ 5.86	₹ 0.65

iii) रसोईया–सह–सहायक की सेवाएं लेना और उन्हें मानदेय:

25 छात्रों तक वाले विद्यालय के लिए एक रसोईया–सह–सहायक, 26 से 100 छात्रों वाले विद्यालयों के लिए दो रसोईया–सह–सहायक और हर अतिरिक्त 100 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त रसोईया–सह–सहायक की सेवाएं ली जा सकती हैं। उनमें से प्रत्येक 1,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम मानदेय का पात्र है। हालांकि, राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से रसोइये–सह–सहायकों के लिए निर्धारित न्यूनतम से अधिक मानदेय देने के लिए स्वतंत्र हैं। 22 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश न्यूनतम अनिवार्य राज्य हिस्से से अधिक अतिरिक्त मानदेय अपने स्वयं के संसाधनों से प्रदान कर रहे हैं (संलग्नक–III)। रसोइया–सह–सहायकों

के मानदेय की राशि केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर साझा की जाती है बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और विधायको वाले अन्य राज्यों एवं संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर साझा की जाती है। सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड– मध्याह्न भोजन द्वारा योजना के तहत 26.09 लाख रसोइया–सह–सहायकों की सेवाएं लेने के लिए अनुमोदन दिया गया है। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने अनुमोदन में से 24.95 लाख रसोइया–सह–सहायकों की सेवाएं ली हैं **(संलग्नक–IV)**।

iv) रसोई–सह–भंडारगृह का निर्माण:

दिसंबर, 2009 से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को प्लिंथ एरिया के नियमों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में प्रचलित दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता दी जा रही है। इस विभाग ने 100 बच्चों तक के स्कूलों में रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर प्लिंथ एरिया निर्धारित किया है। हर अतिरिक्त 100 बच्चों के लिए, अतिरिक्त 4 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र जोड़ा जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के आध ाार पर 100 बच्चों के स्लैब को संशोधित करने की स्वतंत्रता है। रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 आधार पर, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर साझा की जाती है।

2006–07 से 10,11,052 रसोई–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8009.02 करोड़ की केंद्रीय सहायता जारी की गई। इसमें से 8,45,424 (84%) रसोई–सह–भंडारगृहों का निर्माण किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण संलग्नक–V पर हैं।

v) विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता:

11 विशेष श्रेणी राज्यों (अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) में परिवहन सहायता इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर देय है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, खाद्यान्न का परिवहन रु. 75/– प्रति क्विंटल दिया जाता है।

vi) जिला स्तर तक एफसीआई को खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण:

खाद्यान्नों की लागत का भुगतान, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया था, को 01. 04.2010 से जिला स्तर तक प्रभावी रूप से विकेन्द्रीकृत किया गया है ताकि खाद्यान्नों को शीघ्र उठाने , एफसीआई को भुगतान, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने में समय कम हो गया है, सुनिश्चित करने में जिला अधिकारियों की अधिक हिस्सेदारी और भूमिका सुनिश्चित की जा सके।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्यों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादित अनाज खरीदने की अनुमति दी गई है।

केंद्रीय सहायता का पैटर्न

मध्याह्न भोजन योजना के तहत, खाद्यान्न, परिवहन लागत, निगरानी, प्रबंधन और मूल्यांकन (एमएमई) और रसोई उपकरणों की खरीद का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है।

खाना पकाने की लागत, रसोई–सह–भंडारगृह की लागत और रसाईया–सह–सहायकों के मानदेय को केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 60:40 के आधार पर साझा किया जाता है।

मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

i) पात्र बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र स्कूल में पका हुआ और पौष्टिक भोजन नियमित तौर पर दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभार और प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास करना अर्थात योजना के तहत उपलब्ध धन के माध्यम से रसोई–सह–स्टोर का निर्माण, और रसोई उपकरणों की खरीद और अन्य विभागों या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के बजटीय सहायता के अन्य विकास कार्यक्रमों के अभिसरण से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना शामिल है। पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण समग्र शिक्षा, पेयजल मिशन और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अनुरूप किया जाना है।

ii) खाद्यान्न आवंटन अग्रिम में किया जाता है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एक बार में तिमाही आवंटन उठाने की छूट है। एफसीआई अपने डिपो और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में प्रधान वितरण केंद्रों में पर्याप्त खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक महीने पहले खाद्यान्न उठाने की अनुमति है। प्रत्येक स्कूल/कुकिंग एजेंसी को एक महीने की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना है।

खाना पकाने का कार्य

i. दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि, जहां तक संभव हो, मध्याह्न भोजन को पकाने/पकाए गए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी नेहरू युवक केंद्रों से संबद्ध स्थानीय महिलाओं के स्वयं सहायता समूह या स्थानीय युवा क्लब को सौंपी जाए या स्वैच्छिक संगठन या एसएमसी/वीईसी/एसएमडीसी/पीटीए/ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा सीधे सेवा पर लिए गए कर्मियों द्वारा की जाए।

ii. शहरी क्षेत्रों में, जहां किचन शेड के निर्माण के लिए जगह की कमी है, स्कूलों के एक समूह के लिए केंद्रीकृत रसोई के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। खाना एक केंद्रीकृत रसोई में पकाया जा सकता है और पकाया हुआ गर्म भोजन तब विभिन्न स्कूलों में एक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली के माध्यम से स्वच्छ परिस्थितियों में पहुँचाया जा सकता है। शहरी क्षेत्र में एक या अधिक ऐसे नोडल रसोई घर हो सकते हैं, जो बच्चों की संख्या और सेवा प्रदाताओं की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

i. एमडीएम की गुणवत्ता काफी हद तक खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एफसीआई सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। एफसीआई प्रत्येक राज्य के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता

है। जिला पंचायत के जिला कलेक्टर/सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद खाद्यान्न का उठाव किया जाए जिसमें एफसीआई और कलेक्टर के नामिति और/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत हो और उनके द्वारा पुष्टि की जाए कि यह कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है।

ii. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तरों पर एमडीएम के लिए एक प्रभावी प्रबंधन संरचना स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है; जिनमें बच्चों को परोसा जाने से पहले भोजन कम से कम एक शिक्षक सहित 2–3 वयस्कों द्वारा अनिवार्य रूप से चखना; सामग्री का स्कूलों में सुरक्षित भंडारण और आपूर्ति; दालों की खरीद और आपूर्ति और ब्रांडेड और एग्मार्क गुणवत्ता वाली सामग्री।

iii. 13.02.2015 को मिड डे मील के तहत स्कूल स्तर के रसोई के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, तैयारी, परोसना और अपशिष्ट निपटान के सुरक्षा पहलुओं के साथ–साथ छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता और भोजन पकाने और परोसने के पहलू शामिल हैं।

निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **स्थानीय स्तरीय निगरानी के लिए व्यवस्था:** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों, एसएमसी, वीईसी, पीटीए, एसडीएमसी के सदस्यों के साथ–साथ मदर्स समितियों को दैनिक आधार पर (i) बच्चों को पौष्टिक एवं नियमित मध्याह्न भोजन परोसना (ii) मध्याह्न भोजन पकाने एवं परोसने में स्वच्छता, (iii) अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री, ईंधन आदि की खरीद में समयबद्धता, (iv) विविध मेनू का कार्यान्वयन, (v) सामाजिक और जेंडर समता की दैनिक आधार पर निगरानी करना अपेक्षित है।

ii. **सूचना का प्रदर्शन:** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्कूलों और केंद्रों, जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, को आम जनता के नोटिस के लिए परिसर में एक दृश्यमान जगह पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करना आवश्यक है:

क) प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्ति की तिथि।

ख) उपयोग किए गए खाद्यान्नों की मात्रा।

ग) खरीदी, उपयोग की गई अन्य सामग्री।

घ) मध्याह्न भोजन दिए जाने वाले बच्चों की संख्या।

ङ) दैनिक मेनू।

घ) पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए सामुदायिक सदस्यों का रोस्टर।

iii. **ब्लॉक स्तरीय समिति:** एक व्यापक कार्य आधारित संचालन–सह–निगरानी समिति, ब्लॉक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

iv. **राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण:** राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा और

अन्य संबंधित क्षेत्रों के विभागों, जैसे महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य आदि से संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के अधिकारियों को भी स्कूलों और केंद्र का निरीक्षण करना आवश्यक है, जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सिफारिश की गई है कि हर तिमाही में 25% स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का दौरा किया जाए।

v. **जिला स्तरीय समिति:** एमडीएम योजना की निगरानी के लिए एक जिला स्तरीय संचालन–सह–निगरानी समिति के अलावा, त्रैमासिक आधार पर योजना की निगरानी करने के लिए जिले के वरिष्ठतम सांसद (सांसद) की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

यह समिति जिले में समग्र शिक्षा और भारत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

vi. **आवधिक रिटर्न:** राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित पर भारत सरकार को सूचना प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को समय–समय पर रिटर्न देने की भी आवश्यकता होती है, (i) बच्चों और संस्थानों के कवरेज, (ii) स्कूल के दिनों की संख्या (iii) केंद्रीय सहायता के उपयोग में प्रगति (iv) स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता, (v) कोई अप्रिय घटना आदि।

vii. **शिकायत निवारण:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लोक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करना आवश्यक है, जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए और आसानी से सुलभ बनाया जाए।

viii. **राज्य स्तरीय निगरानी:** योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को राज्य स्तर पर एक संचालन–सह–निगरानी समिति स्थापित करने की आवश्यकता होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र संस्थानों की तैनाती की है।

ix. वेब सक्षम एमडीएम–एमआईएस को योजना की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर वार्षिक आधार पर श्रेणी वार नामांकन, शिक्षक (एमडीएम की देखरेख) विवरण, सामाजिक संरचना के साथ रसोईया–सह–सहायक विवरण, रसोई–सह–भंडार और रसोई उपकरण, खाना पकाने के तरीके, पीने के पानी, प्रसाधन सुविधाओं आदि जैसी ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल में मासिक डाटा भी दे रहे हैं, जो एमडीएमएस के महत्वपूर्ण घटकों/संकेतकों की निगरानी में मदद करता है जैसेकि परोसे गए भोजन की संख्या, खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत का उपयोग, कुक–सह–सहायकों को मानदेय, स्कूल निरीक्षण विवरण आदि।

x. स्वचालित निगरानी प्रणाली (एएमएस)

इस विभाग ने एमडीएमएस के वास्तविक समय की निगरानी के लिए डाटा संग्रह की एक स्वचालित प्रणाली की व्यवस्था की है। इस तरह के डाटा (उस विशेष दिन में परोसे जाने वाले भोजन की संख्या और भोजन नहीं परोसे जाने के कारणों) को स्कूल मुख्याध्यापक/शिक्षक को बिना ढील दिए एकत्र किए जा रहे हैं।

स्वचालित निगरानी प्रणाली के तहत, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने दैनिक आधार पर स्कूलों की निगरानी और समय पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से स्कूलों से उपयुक्त डाटा संग्रह

प्रणाली (यानी इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)/एसएमएस/मोबाइल एप्लीकेशन/वेब एप्लिकेशन) स्थापित की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, एनआईसी द्वारा अनुरक्षित केंद्रीय सर्वर के लिए वास्तविक समय के आधार पर पूर्वनिर्धारित प्रारूप में विशिष्ट क्षेत्रों के डाटा डाल रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर डेटा के विश्लेषण और प्रदर्शन के लिए एक केंद्रीय पोर्टल। एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय/राज्य /जिला/ब्लॉक स्तर पर योजना के वास्तविक समय की निगरानी के लिए विभिन्न ड्रिल डाउन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। उन स्कूलों की संख्या के बारे में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को दैनिक ईमेल अलर्ट भेजे जाते हैं जिन्होंने उस विशेष तिथि और उन स्कूलों के संबंध में डाटा दिया है जहाँ भोजन नहीं परोसा गया है। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

xi. स्कूलों में किसी भी, यदि कोई हो अप्रिय घटना से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा योजना।

xii. हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

xiii. **राष्ट्रीय स्तरः**

क) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में पहुंच, सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता पहलुओं की निगरानी के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई है; योजना की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तंत्र मौजूदहै; योजना में सामुदायिक भागीदारी और इसकी प्रभावी निगरानी के लिए तंत्र व्यवस्था है।

ख) मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में समग्र शिक्षा (एसएस) के लिए राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारी परिषद, भी मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करती है।

ग) राष्ट्रीय स्तर की संचालन–सह–निगरानी समिति (एनएसएमसी), सचिव (एसईएण्डएल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)।

घ) एमडीएमएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शिक्षा सचिवों और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के साथ राष्ट्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

xiv. 10वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने 3–9 अक्टूबर, 2017 के दौरान मध्य प्रदेश (देवास और श्योपुर जिलों) 27 नवंबर – 4 दिसंबर, 2017 के दौरान तेलंगाना (करीमनगर और वारंगल जिलों), 14 – 21 दिसंबर, 2017 के दौरान अरुणाचल प्रदेश (पापुमपारे और लोअर सुबनसिरी जिलों), 22–29 जनवरी, 2018 के दौरान, पंजाब (जालंधर और रूपनगर जिलों), 5–12 मार्च, 2018 के दौरान गुजरात (बनासकांठा और वडोदरा जिलों), 5 राज्यों का दौरा किया। 11वें जेआरएम ने 2018–19 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया।

xv. **सामाजिक लेखापरीक्षा**

"सामाजिक लेखापरीक्षा" का अर्थ उस प्रक्रिया से है, जिसमें लोग किसी कार्यक्रम या योजना के नियोजन और कार्यान्वयन की सामूहिक निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। 2012–13 के दौरान

अविभाजित आंध्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात खम्माम और चित्तूर में सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन सोसाइटी फॉर सोशल ऑडिट एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी (एसएसएएटी) द्वारा किया गया था। आंध्र प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण के परिणाम से उत्साहित होकर, विभाग ने मिड डे मील योजना के तहत सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे। अब तक 13 राज्यों अर्थात बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु ने सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है।

योजना का प्रभाव

i. कई अध्ययनों से पता चला है कि एमडीएमएस ने कक्षा की भूख को रोकने; स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक समानता को संपोषित करने और महिला–पुरूष समता बढ़ाने में मदद की है जिससे बच्चों के समग्र स्वस्थ विकास में सुविधा होती है। उच्चतम न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। उन्होंने देखा कि एमडीएम को व्यापक रूप से भारत सरकार की अधिक सफल पात्रता योजनाओं में से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि हुई है।

ii. तृतीय पक्ष मूल्यांकन – 2017–18 के दौरान 20 राज्यों के 70 जिलों में निविदा के माध्यम से चुनी गई स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा जोन वार मूल्यांकन किया गया। राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (एनआईएन), हैदराबाद द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र–वार संसाधित किया गया था। तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

प्रमुख निष्कर्ष:

i. स्कूलों में भाग लेने वाले 92% छात्र एमडीएम का लाभ उठा रहे थे;

ii. 87% छात्रों को एमडीएम का स्वाद पसंद आया;

iii. 58% छात्रों ने भोजन दोबारा परोसने के लिए कहा और प्राप्त किया ;

iv. 72% बच्चों ने कहा कि एमडीएम ने उन्हें कक्षा की पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद की; 96% अभिभावकों ने कहा कि एमडीएम उनके बच्चों के लिए फायदेमंद है;

v. 80% से अधिक माता–पिता ने कहा कि एमडीएम से नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई है, उनके बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ;

vi. 96% शिक्षकों ने बताया किया कि एमडीएम से स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है।

vii. 92% शिक्षकों ने कहा कि एमडीएम से नामांकन में वृद्धि हुई और उपस्थिति में सुधार हुआ है।

viii. 86% शिक्षकों ने यह भी कहा कि एमडीएम से स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद मिली है।

उपलब्धियां

2018–19 के लिए बजट 10500.00 करोड़ था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की वर्षवार उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं: –

तालिका 2: कवरेज और व्यय के रुझान

घटक	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
कवर बच्चे (करोड़ में)	10.22	10.03	9.78	9.52	9.12
आवंटित खाद्यान्न (लाख, एमटी में)	29.33	28.83	27.17	27.01	26.94
बजट आवंटन (रु. करोड में)	13215	9236.4	9700	10,000	10500
कुल व्यय (रु. करोड में)	**10526.97**	**9151.55**	**9483.40**	**9095.91**	**9518.08**

वित्तीय वर्ष के लिए घटक—वार बजट आवंटन 2018—19 (रु. करोड में)

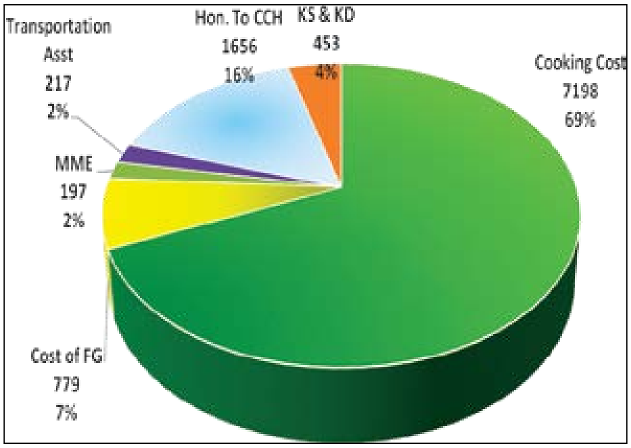

प्रशिक्षण के माध्यम से रसोईया —सह — सहायकों का क्षमता निर्माण

भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगे कर्मचारियों और रसोईया—सह—सहायक के ज्ञान और कौशल के आधार पर एमडीएमएस के तहत स्वास्थ्यकर और पौष्टिक भोजन तैयार करना प्रासंगिक है। स्वयं सहायता समूह और रसोईया—सह—सहायक, जो एमडीएमएस के स्तंभ हैं, मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्गों से आते हैं, जहां उन्हें पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों को तैयार करने, व्यंजनों, परोसने के कौशलों आदि के बारे में सीमित जानकारी होती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि मैदानी स्तर पर कार्यबल की क्षमता निरंतर आधार पर निर्मित हो। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तदनुसार, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स और फूड एंड न्यूट्रीशन इंस्टीट्यूट्स के सहयोग से रसोईया—सह—सहायक के प्रशिक्षण का काम सौंपा है। 31 मार्च, 2019 तक, मध्याह्न भोजन योजना के तहत सेवारत 11,91,225 कुक—सह—सहायकों को प्रशिक्षित किया गया है।

योजना में सुधार

पिछले कुछ वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना में कई सुधार हुए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

क) खाना पकाने की लागत को समय—समय पर संशोधित किया गया है।

ख) 01.12.2009 से रसाईया—सह—सहायकों को/1000/— प्रति माह मानदेय के भुगतान का प्रावधान लागू किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त योगदान देकर इस मानदेय को बढ़ाने की सलाह दी गई है। 22 राज्य पहले से ही

रसाईया–सह–सहायकों के मानदेय के लिए अपने संसाधनों से अधिक योगदान दे रहे हैं।

ग) 11 विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता का इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर भुगतान किया जा रहा है।

घ) 01.04.2010 से एफसीआई को जिला स्तर तक खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन नियमावली, 2015 की अधिसूचना

30.09.2015 को भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत मध्याह्न भोजन नियम, 2015 अधिसूचित किया गया है। नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

i) कक्षा I से VIII तक की कक्षा में अध्ययनरत छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जो सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय स्कूलों और समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में नामांकित हैं, स्कूल की छुट्टी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्रमशः 450 कैलोरी और 700 कैलोरी युक्त और साथ ही क्रमशः 12 ग्राम और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा।

ii. स्कूल में हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को स्कूल में मिड–डे मील स्कीम को जारी रखने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से स्कूल में किसी भी फंड का उपयोग करने का अधिकार होगा।

iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन एमडीएम नियमों द्वारा निर्धारित पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, राज्य का खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित स्कूलों से नमूने एकत्र कर सकता है।

iv. नियम 9 राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले खाद्य सुरक्षा भत्ते के बारे में है, यदि किसी भी स्कूल में लगातार तीन दिन या महीने में पांच दिन एमडीएम प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्ति या एजेंसी के अनुसार जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई करेगी।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त वस्तुएं

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त मदें	
		अतिरिक्त	बारंबारता
1	आंध्र प्रदेश	अंडे	सप्ताह में 5 दिन
2	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3	असम	शून्य	शून्य
4	बिहार	अंडे/फल	सप्ताह में एक बार
5	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त मदें	
		अतिरिक्त	बारंबारता
6	गोवा	शून्य	शून्य
7	गुजरात	दूध (12 जिले)	सप्ताह में 5 दिन
		सुखडी	सप्ताह में एक बार
8	हरियाणा	सुवासित दूध	सत्ताह में तीन बार
9	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
10	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य
11	झारखंड	अंडे/मौसमी फल	सप्ताह में दो बार
12	कर्नाटक	दूध	सप्ताह में पांच दिन
13	केरल	दूध	सप्ताह में दो बार
		अंडे/केले	सप्ताह में दो बार
14	मध्य प्रदेश	दूध	सप्ताह में तीन बार
15	महाराष्ट्र	केले /चिक्की/सोया बिस्किट/राजगिरा लड्डू	सप्ताह में तीन बार
16	मणिपुर	शून्य	शून्य
17	मेघालय	शून्य	शून्य
18	मिजोरम	शून्य	शून्य
19	नगालैंड	अतिरिक्त सब्जियां	सप्ताह में दो बार
20	ओडिशा	अंडे	सप्ताह में दो बार
		सोया बडियां	सप्ताह में दो बार
21	पंजाब	मीठी खीर	सप्ताह में एक बार
22	राजस्थान	दूध	एक सप्ताह में 6 दिन
		मौसमी फल	सप्ताह में एक बार
23	सिक्किम	शून्य	शून्य

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त मदें	
		अतिरिक्त	बारंबारता
24	तमिलनाडु	अंडे/ केले	सप्ताह में 5 दिन
		उबले/अंडे	सप्ताह में एक बार
25	तेलंगाना	अंडे	सप्ताह में तीन बार
26	त्रिपुरा	अंडे	सप्ताह में दो बार
27	उत्तर प्रदेश	दूध और फल	सप्ताह में एक बार
28	उत्तराखंड	अंडे/फल	सप्ताह में एक बार
29	पश्चिम बंगाल	अंडे	सप्ताह में एक बार
		चिकन; (50 ग्रा.) 11 जिलों में	महीने में एक बार
		चीज़, उत्तर दिनाजपुर में	सप्ताह में एक बार
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	उबले अंडे	सप्ताह में दो बार
		पके केले	सप्ताह में एक बार
31	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
32	दादरा और नगर हवेली	सुखडी	सप्ताह में दो बार
		लाप्सी व सुखडी	सप्ताह में एक बार
33	दमन और दीव	केले	सप्ताह में तीन बार
		लप्सी व सुखडी	सप्ताह में एक बार
34	दिल्ली	दूध (6 स्कूल प्रायोगिक आधार)	रोजाना
35	लक्षद्वीप	अंडे, मछली, चिकन, केले, आम, सेब, संतरा	सप्ताह में दो बार/उपलब्धता के अनुसार
36	पुडुचेरी	दूध	रोजाना
		मीठा पायासम	विशेष अवसरों पर
		अंडे/काला चना	सप्ताह में दो बार

❖ ❖ ❖

03

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

कार्यकारी सार

आजादी के समय, भारत की 86% आबादी निरक्षर थी और इस कारण, प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य फोकस अपने सबसे निचले स्तर पर है, अर्थात 'बुनियादी साक्षरता' प्रदान करने पर था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पहली योजना अवधि के बाद से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, इनमें से सबसे प्रमुख 15+ आयु वर्ग के वयस्कों के लिए 1988 में शुरू किया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम को 2009 में ''साक्षर भारत'' के रूप में फिर से शुरू किया गया। देश की साक्षरता दर बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान है। प्रौढ़ शिक्षा का समग्र लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उन्नत गुणवत्ता और मानक के जरिए एक पूर्ण साक्षर समाज की स्थापना करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए), प्रौढ़ शिक्षा में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालनकर्ता और कार्यान्वयनकर्ता संगठन है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एनएलएमए ने साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाने और जेंडर अंतर को 10% से कम करने का प्रयास किया।

कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए योग्य 410 जिलों में से 26 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 404 जिलों में लगभग 1.64 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए ''साक्षर भारत'' कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। 14 भाषाओं और 28 स्थानीय बोलियों में मूल साक्षरता प्राइमरों का मुद्रण किया गया और शिक्षार्थियों के लिए वितरित किया गया। मार्च, 2018 तक लगभग 9.88 करोड़ शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता के तहत नामांकित किया गया था। अगस्त 2010 से मार्च 2018 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) द्वारा किए गए मूल्यांकन परीक्षणों में शामिल होने वाले 10.08 करोड़ शिक्षार्थियों में से 7.64 करोड़ शिक्षार्थी शामिल थे, 5.38 करोड़ महिला शिक्षार्थियों और 2.26 करोड़ पुरुष शिक्षार्थियों ने मूल्यांकन परीक्षण पास किए और उन्हें साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया। समुदाय–वार उपलब्धियों के संदर्भ में, 1.88 करोड़ एससी शिक्षार्थी, 1.08 करोड़ एसटी शिक्षार्थी, 75.01 लाख अल्पसंख्यक शिक्षार्थी और 3.92 करोड़ अन्य समुदाय से संबंधित शिक्षार्थियों को कार्यक्रम के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एनएलएमए को सहायता प्रदान करता है। साक्षरता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, अधिगम अवसरों का प्रचार–प्रसार करने और इस सामाजिक सरोकार के प्रति आम जनता के समर्थन को बढ़ाने के लिए 8 सितंबर, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया।

परिचय

साक्षरता सभी और सभी मानव क्षमताओं के लिए बुनियादी शिक्षा के केंद्र में है। बुनियादी साक्षरता गरीबी उन्मूलन, बाल मृत्यु दर को कम करने, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने, जेंडर समानता हासिल करने और सतत विकास, शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सार्वभौमिक साक्षरता उन लोगों

के लिए भी विशेष महत्व रखती है जो शिक्षा के लिए ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं। प्रौढ़ शिक्षा का एक मूल लक्ष्य विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और वयस्कों को सशक्त बनाने के अलावा, सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता प्राप्त करना है।

साक्षरता प्रोफाइल

नियोजित हस्तक्षेपों और निरंतर प्रयासों से, काफी प्रगति हुई है। 2001 में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी, जो 2011 में 72.98 प्रतिशत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों के मामले में 75.26 से 80.88 प्रतिशत तक 5.62 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर में 10.96 प्रतिशत अंक, 53.67 से 64.63 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

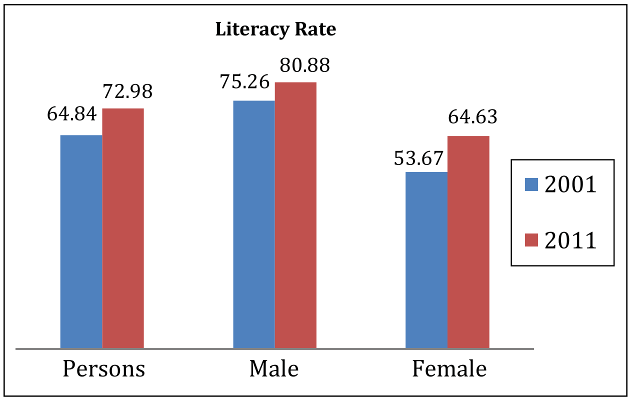

सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में साक्षरता का स्तर असमान है। जहां कुछ राज्यों ने विशेष साक्षरता अभियान शुरू किए जाने और सामुदायिक समर्थन के कारण उच्च साक्षरता स्तर हासिल किया है, वहीं कुछ राज्य अभी भी पिछड़ रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता स्तर में सुधार हुआ है लेकिन मुस्लिम समुदाय का साक्षरता स्तर अभी भी काफी कम है। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और वंचित समूहों पर फोकस करके असमानताओं को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।

लक्ष्य

प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य **"प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उन्नत गुणवत्ता और मानक के माध्यम से एक पूर्ण साक्षर समाज स्थापित करना"** है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

अधिदेश

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) की स्थापना, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक स्वतंत्र और स्वायत्त विंग के रूप में की गई थी। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन और कार्यान्वयन संगठन है और प्रौढ़ शिक्षा के लिए इस तरह की अन्य गतिविधियों का संचालन करना उचित माना जाता है। प्राधिकरण की विविधतापूर्ण भूमिका में प्रौढ़ शिक्षा की नीति और योजना, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, निगरानी, अनुसंधान और मूल्यांकन, एडवोकेसी और पर्यावरण भवन, प्रौद्योगिकी संचार, क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रकाशन शामिल हैं।

संगठनात्मक अवसंरचना

एनएलएमए के दो मुख्य निकाय हैं, अर्थात् परिषद और कार्यकारी समिति। एनएलएमए परिषद के अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। परिषद, प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में की जाने वाली सभी गतिविधियों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। एनएलएमए की कार्यकारी समिति (ईसी)के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव हैं। एनएलएमए की कार्यकारी समिति परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार एनएलएमए के सभी कार्यों को पूरा करती है।

अपने जनादेश के निर्वहन में एनएलएमए की सहायता के लिए, सामान्य प्रबंधन, शिक्षाशास्त्र, सामूहिक जुटाना, निगरानी और मूल्यांकन, आईसीटी, आदि के क्षेत्र में मिशन के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान

करने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) / तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) की स्थापना की गई थी।

साक्षर भारत

11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में सितंबर, 2009 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया संस्करण, साक्षर भारत, शुरू किया गया था और विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के निम्न साक्षरता वाले जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं और अन्य वंचित समूहों पर प्रमुख फोकस है।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम के चार व्यापक उद्देश्य थे :–

i) गैर–साक्षर और गैर– गणितीय योग्यता वाले वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता और संख्याज्ञान प्रदान करना;

ii) नव साक्षर वयस्कों को बुनियादी साक्षरता से परे अपनी शिक्षा जारी रखने और औपचारिक शैक्षिक प्रणाली के लिए समकक्षता हासिल करने में सक्षम बनाना;

iii) अपनी आय और रहन–सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए गैर और नव–साक्षर प्रासंगिक कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना;

iv) निरंतर शिक्षा के लिए नव–साक्षर वयस्कों को अवसर प्रदान करके एक सीखने वाले समाज को बढ़ावा देना।

कवरेज

साक्षर भारत के तहत, 2001 की जनगणना के अनुसार, तत्कालीन 50 प्रतिशत या उससे कम वयस्क महिला साक्षरता दर वाले नए जिले सहित नया जिला कवरेज के लिए पात्र था। इसके अलावा, सभी वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूईए) जिले भी कार्यक्रम के तहत कवरेज के लिए पात्र थे, भले ही उनकी साक्षरता दर कुछ भी रही हो। तदनुसार, 410 जिले कवरेज के लिए योग्य थे, जिसमें 35 एलडब्ल्यूईए जिले शामिल थे। 2009–10 के दौरान 167 जिले शामिल थे। 2010–11 के दौरान 115 जिलों को मंजूरी दी गई, 2011–12 के दौरान 90 जिलों को मंजूरी दी गई और मार्च, 2018 के अंत तक कार्यक्रम में 26 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 404 जिलों को कवर किया गया।

साक्षर भारत कार्यक्रम ने गुणवत्ता पर जोर दिया गया; बड़े पैमाने पर देशव्यापी पर्यावरण निर्माण और बड़े पैमाने पर जुटने के अभियानों के माध्यम से, स्वयंसेवी शिक्षकों/ प्रेरकों को बड़ी संख्या में प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम को बारहवीं योजना अवधि (यानी 31.03.2017 तक) तक बढ़ा दिया गया था। इस योजना अवधि के दौरान, कार्यक्रम ने साक्षरता दर को 80% तक बढ़ाने और महिला–पुरुष अंतर को 10% से कम करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में महिला वयस्कों और स्कूल न जाने वाले किशोरों पर विशेष फोकस किया गया था। बाद में इस योजना को 31.12.2018 तक और बाद में 31.03.2019 तक केवल 31.03.2018 तक प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया था।

शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ और बुनियादी साक्षरता का मूल्यांकन और प्रमाणन

देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 65.57 लाख साक्षरता शिक्षण केंद्र कार्यात्मक हैं। 14 भाषाओं और 28 स्थानीय बोलियों में मूल साक्षरता प्राइमरों का मुद्रण किया गया और शिक्षार्थियों के लिए वितरित किया गया। मार्च, 2018 तक लगभग 9.88 करोड़ शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता के तहत नामांकित किया गया था। भारत में साक्षरता आंदोलन के इतिहास में पहली बार वयस्कों के योग्यता स्तर का वैज्ञानिक मूल्यांकन और प्रमाण ान शुरू किया गया एक अनूठा नवाचार था। केवल एक वयस्क, जो पढ़ने, लिखने और संख्यात्मकता में निर्धारित योग्यता स्तरों के अनुरूप था, को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

प्राधिकरण (एनएलएमए) द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईएमए) के परामर्श से विकसित एक प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था। पढ़ने, लिखने और अंकगणितीय कौशल में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन, सामाजिक मुद्दे और एक कार्यशील जीवन परिवेश सहित शिक्षार्थी की सामान्य जागरूकता का पता लगाने के लिए तैयार किए गए थे। अलग–अलग तीनों घटकों में 40% अंक हासिल करने वाले शिक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया और उन्हें एनएलएमए और एनआईओएस द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र दिया गया। असफल उम्मीदवारों को मूल्यांकन परीक्षणों को फिर से प्रदर्शित करने के लिए और अवसर दिए गए। इस प्रकार के मूल्यांकन ने नव–साक्षरों में आत्मविश्वास में सुधार किया और उनके लिए रास्ते खोले और कार्यक्रम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान की। हर साल द्वि–वार्षिक मूल्यांकन आयोजित किए गए थे।

इस कार्यक्रम के तहत मार्च, 2018 तक एनआईओएस द्वारा आयोजित द्विभाषी मूल्यांकन परीक्षणों के लिए लगभग 10.08 करोड़ शिक्षार्थी उपस्थित हुए। मूल्यांकन परीक्षणों को पारित करने वाले लगभग 7.64 करोड़ शिक्षार्थियों (5.38 करोड़ महिला शिक्षार्थियों सहित) को साक्षर प्रमाणित किया गया। 7.64 करोड़ साक्षरता प्रमाणित शिक्षार्थियों में से, 1.88 करोड़ अनुसूचित जाति (24.62%), 1.08 करोड़ अनुसूचित जनजाति (14.19%) और 75.01 लाख अल्पसंख्यक (9.82%) थे।

निधियों का उपयोग

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए केंद्रीय शेयर के रूप में रु. 320.00 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें से मार्च, 2018 तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एसएलएमए को रु. 213.29 करोड़ की राशि जारी की गई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम को 31.03.2018 तक, कार्यक्रम की प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 31.03.2019 तक विस्तारित किया गया था। तदनुसार, 2018–19 के दौरान केंद्रीय शेयर के रूप में रु. 47.99 करोड़ जारी किया गया था।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई)

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई), भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश में प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है और समय–समय पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तत्वावधान में शुरू किए गए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पेशेवर, शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह निदेशालय शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करता है, प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करता है, मीडिया सामग्री तैयार करता है और सभी प्रकार के मीडिया और शिक्षार्थी मूल्यांकन का उपयोग करता है।

डीएई की प्रमुख गतिविधियों में शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास और उनका प्रकाशन करना; कार्यात्मक साक्षरता पर ऑडियो–वीडियो स्पॉट का उत्पादन और उन्हें दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्राइम स्लॉट पर माउंट करना; अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह का प्रचार और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार और प्रचार कार्य करना; अनुसंधान और मूल्यांकन; क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण; और शिक्षार्थियों के मूल्यांकन परीक्षणों की निगरानी करना शामिल है। यह गैर–साहित्यकारों और नव–साक्षरों के लिए सीखने की सामग्री के विकास के लिए दिशानिर्देश और गुणवत्ता बेंचमार्क को निरूपित करता है और शिक्षण–अधिगम सामग्री की तैयारी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। डीएई द्वारा जनवरी से दिसंबर, 2018 के दौरान की गई मुख्य गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2018 का उत्सव

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 8 सितंबर, 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र (एमईए), 15–ए रिजाल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली –110021 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया।

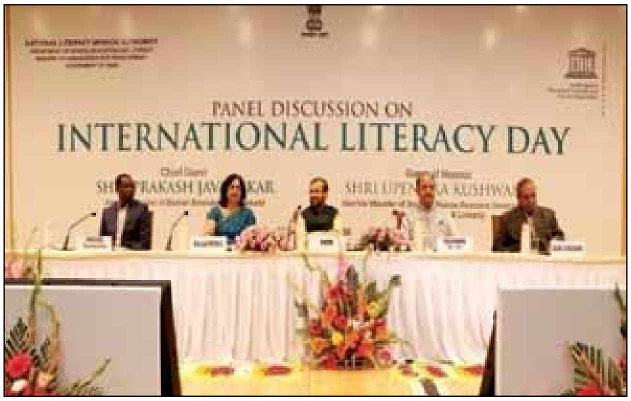

श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार मुख्य अतिथि थे और सुश्री रीना रे, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), श्री सचिन सिन्हा, संयुक्त सचिव, (एई) और महानिदेशक, एनएलएमए, श्री अल अमीन यूसुफ, दक्षिण एशिया, यूनेस्को कार्यालय, नई दिल्ली के वार्ता सलाहकार, श्री शेखर मेहता, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के अध्यक्ष ने इस अवसर पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर यूनेस्को के महानिदेशक सुश्री ऑड्रे अज़ोले का संदेश प्राप्त हुआ।

समारोह के उद्घाटन सत्र के बाद प्रौढ़ साक्षरता के समकालीन मुद्दों पर एक पैनल चर्चा हुई। मुद्दों में 'इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इन अचीविंग एसडीजी रिलेटिंग टू अडल्ट लिटरेसी एंड शेयरिंग ऑफ स्ट्रेटेजीस फोलोव्ड इंटरनेशनली फोर इरेडिकेशन ऑफ अडल्ट इल्लीटेरसी इन 15 एण्ड एबोव एज ग्रुप', रोल ऑफ आईईसी एण्ड आईसीटी इन प्रोमोटिंग लिटरेसी' और 'इश्यूज रिलेटिंग टू मोबिलाईजेशन' शामिल है। शिक्षाजगत से प्रौढ़ शिक्षा के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। इसके अलावा, दर्शकों को प्रेरित एवं उन्मुख करने के लिए 'रोल ऑफ वोलेंटरी एक्शन इन प्रोमोटिंग अडल्ट लिटरेसी' विषय के तहत स्वैच्छिक संगठनों अर्थात् 'रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन' (आरआईएलएम) और 'दिल्ली स्कूल्स लिट्रेसी प्रोजेक्ट' (डीएसएलपी) द्वारा अनुभव भी साझा किए गए थे। समारोह में 550 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि, प्रख्यात विद्वान और देश भर के प्रौढ शिक्षा विभागों के अधिकारी शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन सितंबर 1965 में तेहरान में आयोजित निरक्षरता उन्मूलन संबंधी शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन की सिफारिश के बाद शुरू हुआ। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि 8 सितंबर, सम्मेलन की उद्घाटन तिथि को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित की जाए और इसे प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। नवंबर 1966 में आयोजित अपने 14 वें महाधिवेशन में यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया और वर्ष 1967 से यूनेस्को और कई अन्य देश प्रतिष्ठा और मानव अधिकार के मामले के रुप में साक्षरता के महत्व के बारे में जनता को जागरुक करने और अधिक साक्षर और स्थायी समाज के लिए साक्षरता एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते है। इसका मुख्य उद्देश्य जनमानस को जागरूक करना और प्रेरित करना तथा साक्षरता गतिविधियों के लिए उनकी रुचि और सक्रिय समर्थन को प्राप्त करना है।

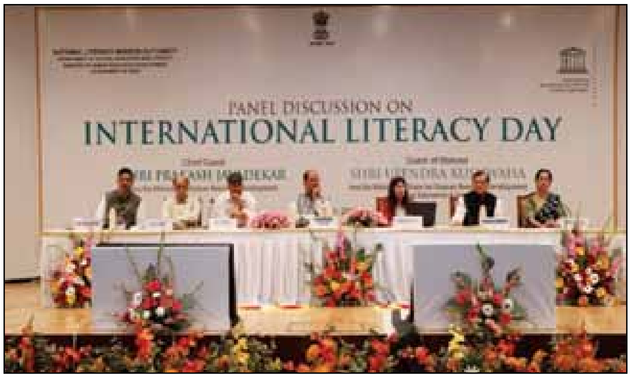

भारत में साक्षरता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, अधिगम अवसरों को सार्वजनिक करने और इस सामाजिक कारण के प्रति आम जनता के समर्थन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।

प्रकाशन

- डीएई ने 'डीएई न्यूज़लैटर' नामक एक द्विभाषी त्रैमासिक समाचार पत्र शुरु करने की पहल की थी। साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न हितधारकों के प्रयासों का संक्षिप्त विवरण देते हुए अब तक डीएई न्यूज़लेटर्स के तीन अंको का प्रकाशन हुआ है।

डिजिटल वर्ल्ड की ओर बढ़ना: प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की पहल

हितधारकों के बीच बेहतर सूचना आदान–प्रदान की सुलभता और सुविधा में सुधार के लिए, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई पहल की हैं जो निम्नानुसार हैं:

- **ऑडियो–वीडियो कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण:** डीएई द्वारा सीआईईटी,एनसीईआरटी के साथ मिलकर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि ऑडियो–वीडियो सामग्रियों को नवीनतम उभरती मीडिया प्रौद्योगिकी में उपयोग करने योग्य बनाया जा सके और उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित भी किया जा सके। 700 से अधिक कार्यक्रमों को अब तक एमपीईजी–4 प्रारूप में परिवर्तित किया गया है।
- डीएई ने डिजीटल सामग्री की गुणवत्ता सुधार, एनआरओईआर पर डीएई सामग्री अपलोड करना, डीएई के YouTube चैनल का निर्माण और इस पर कार्यक्रमों को अपलोड करने से संबंधित कार्य शुरू किया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि डीएई ने 'National Literacy Mission Authority GOI OFFICIAL' शीर्षक के तहत YouTube चैनल पर सभी डिजीटल साक्षरता कार्यक्रमों को अपलोड किया है, जिसमें दर्शकों की संख्या काफी है। एनआरओईआर पर कार्यक्रमों को अपलोड करने से संबंधित प्रक्रिया भी चल रही है और इसे नियत समय में पूरा किया जाएगा।
- **डीएई वेबसाइट का विकास:** तेजी से बदलती सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की दुनिया के बारे में जागरूकता और नवीनतम के साथ तालमेल रखने की उत्सुकता ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत में लगभग सभी सरकारी संगठन पहले से ही अपनी वेबसाइटें चला रहे हैं। डीएई, एनआईसी के सहयोग से अपनी वेबसाइट विकसित कर रहा है। वेबसाइट के लॉन्च के बाद कोई भी व्यक्ति सिंगल क्लिक पर डीएई, उसके उद्देश्यों, कार्य, इसके तहत चलने वाली योजनाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यशाला/सम्मेलन

- राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 14–28 सितंबर, 2018 से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, नोटिंग

और आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देवनागरी लिपि के मानकीकरण और देवनागरी लिपि में अपनाए गए विशेष चिन्हों के मानकीकरण पर 25 सितंबर, 2018 को एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी, जिसमें हिंदी टाइपिंग और लेखन से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

- **डीएई में मनाया गया स्वच्छ्ता अभियानः** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2018 तक स्वच्छता ही सेवा' अभियान मनाया गया। 15 सितंबर को, निदेशक, डीएई के संबोधन के बाद, स्टाफ सदस्यों ने डीएई के समिति कक्ष में डीडी दूरदर्शन पर स्वच्छता के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के योगदान का लाइव टेलीकास्ट देखा। इसके बाद डीएई के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर और इसके आस–पास के स्थानों पर स्वच्छता अभियान को सक्रिय रूप से चलाया। स्वछता ही सेवा' अभियान 2 अक्टूबर, 2018 को संपन्न हुआ।

❖ ❖ ❖

04

स्कूल शिक्षा के लिए सांस्थानिक सहायता

स्कूल शिक्षा के लिए सांस्थानिक सहायता

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

भारत सरकार द्वारा स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए द्वितीय केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय विद्यालय योजना को नवंबर 1962 में अनुमोदित किया गया था। तदनुसार, केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की एक इकाई के रूप में शुरू किया गया था। प्रारंभ में, 20 रेजिमेंटल स्कूलों, जो उस समय रक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या वाले स्थानों पर चल रहे थे, को शैक्षणिक वर्ष 1963–64 के दौरान केंद्रीय विद्यालयों के रूप में अधिग्रहित किया गया।

केंद्रीय विद्यालय संगठन 15 दिसंबर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के XXI) के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत और विदेशों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों को उपलब्ध कराना, स्थापित करना, सहायता देना, नियंत्रण करना और प्रबंधित करना है। भारत सरकार पूर्ण रूप से संगठन का वित्त पोषण करती है।

इन वर्षों में, केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़कर 31.3.2019 तक 1199 हो गई, जिसमें विदेश में तीन केवी (काठमांडू, मास्को, तेहरान) शामिल हैं। डबल शिफ्ट में चलने वाले केवी 70 हैं।

केवीएस प्रशासन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पदेन अध्यक्ष हैं। राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उपाध्यक्ष हैं। आयुक्त, संगठन के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इसके 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता उपायुक्त द्वारा की जाती है जो क्षेत्र में सभी केंद्रीय विद्यालयों के कामकाज की निगरानी करता है। 5 कार्यात्मक जेडआईईटी (क्षेत्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान) हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता एक निदेशक द्वारा की जाती है। केंद्रीय विद्यालय की अध्यक्षता प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य ग्रेड–II द्वारा की जाती है जो विद्यालय के कामकाज का प्रबंधन करता है।

सेक्टर–वार **1199** केवी का **संवितरण (31.3.2019 को)** निम्नानुसार है :

क्र. सं.	सेक्टर	केवी की संख्या
1	रक्षा	351
2	सिविल	704
3	उच्चतर अधिगम संस्थान	34
4	परियोजनाएँ	110
	कुल	1199

दाखिले

केवी में कक्षा –1 में प्रवेश के लिए मूल मानदंड पिछले 7 वर्षों के दौरान अभिभावक की स्थानांतरणीयता है। इसके बाद, भर्ती किए जाने वाले बच्चों की अन्य श्रेणियां गैर– स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय और गैर–स्थानांतरणीय कर्मचारी, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी और अस्थायी आबादी के बच्चे होते हैं, यदि सीटें उपलब्ध हों। 259668 (20.35%) अनुसूचित जाति के छात्रों, 75560 (5.92%) अनुसूचित जनजाति छात्रों, 243277 (19.06%) अन्य पिछड़ा

वर्ग के छात्रों और 4255 (0.33%) दिव्यांग छात्रों के नामांकन सहित केंद्रीय विद्यालय में (31.03.2019 तक) कुल 1275795 छात्र (लड़के 701012 और लड़कियाँ 574783) पढ़ रहे हैं।

बालिका शिक्षा को सशक्त बनाना

सभी लड़कियों को कक्षा I से XII तक के शिक्षण शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। केवी में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है: (i) प्रति सेक्शन 2 सीटें, कक्षा I में और (ii) प्रति कक्षा 2 सीटें, कक्षा VI से आगे। ये सीटें स्वीकृत कक्षा संख्या के अतिरिक्त उपलब्ध हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% सीटें सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए दाखिलें में आरक्षित हैं। जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को आरटीई कोटे के तहत प्रवेश दिया जाता है, उन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है और उन्हें मुफ्त किताबें, वर्दी और परिवहन भी प्रदान किया जाता है। सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को बारहवीं कक्षा तक के शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

दिव्यांग (निःशक्त छात्र) का शैक्षिक विकास

नए दाखिले के लिए कुल उपलब्ध सीटों की 3% सीटें दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के साथ पठित आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग (निःशक्त जन) बच्चों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित की जा रही हैं।

स्कूल में इन बच्चों के आरामदायक रहने की सुविधा के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शौचालय और रैंप अनिवार्य किए गए हैं। इन–सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान शिक्षक शारीरिक के साथ–साथ अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की देखभाल के लिए निरंतर उन्मुख हो रहे हैं।

मुख्य पहलें

प्रकृतिः केन्द्रीय विद्यालय संगठन और आईसीएफआरई के बीच समझौता ज्ञापन

केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (आईसीएफआरई), देहरादून के बीच 15 अक्टूबर 2018 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वन और पर्यावरण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के साथ आईसीएफआरई के 14 अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों को जोड़ने के लिए श्री सी.के. मिश्रा, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उपस्थिति में आयुक्त केवीएस, श्री संतोष कुमार मल्ल, और महानिदेशक आईसीएफआरई, डॉ. एस.सी. गैरोला ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम को 'प्रकृति' नाम दिया गया है। इस सहयोग के माध्यम से, आईसीएफआरई संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान और इंटरैक्टिव सत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन, पर्यावरण सेवाओं और वानिकी अनुसंधान के समकालीन क्षेत्रों पर केवीएस के छात्रों/शिक्षकों को ज्ञान प्रदान किया जाएगा। वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए आईसीएफआरई संस्थानों की प्रयोगशालाओं और फील्ड/प्रयोगों के लिए भी एनवीएस और केवीएस स्कूलों के छात्रों/शिक्षकों का दौरा आयोजित किया जाएगा। 10 वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित एमओयू से देश के युवाओं को पर्यावरण और वन के राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने में सहायता की आशा है।

बिल्डिंग एज लर्निंग ऐड (बाला)

स्कूल के बुनियादी ढांचे में बाल हितैषी, अधिगम और मनोरंजन आधारित भौतिक पर्यावरण निर्माण के माध्यम से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रति बाला एक नवीन अवधारणा है। बाला समग्र रूप से योजना तैयार

करने और स्कूल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का एक तरीका है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए गतिविधि आधारित अधिगम, बाल मित्रता और समावेशी शिक्षा के विचारों को शामिल किया गया है। मूल में, यह माना जाता है कि स्कूल की वास्तुकला शिक्षण–अधिगम प्रक्रियाओं के लिए एक संसाधन हो सकती है। इस अवधारणा को मूल रूप से यूनिसेफ के समर्थन के साथ विन्यास, सेंटर फॉर आर्किटेक्चरल रिसर्च एंड डिज़ाइन द्वारा विकसित किया गया था। केवीएस ने अपने विद्यालय के लिए बाला अवधारणा को अपनाने का निर्णय लिया है।

आनंदवार

यह प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक छात्रों के लिए हैप्पीनेस एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें छात्र सह. पाठ्यक्रम (संगीत, नृत्य, नाटक, रचनात्मक लेखन, वाद्य संगीत, पेंटिंग, थिएटर आदि) क्लब गतिविधियाँ (रीडिंग क्लब, पर्यावरण क्लब, कब और बुलबुल आदि) खेल गतिविधियाँ और कौशल विकास गतिविधियाँ (रेडियो मेकिंग/फिल्म मेकिंग/पॉटरी/ओरिगामी/रिपेयरिंग/गार्डनिंग आदि) जैसे विभिन्न गतिविधियाँ करते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का कम उम्र में पोषण करना और सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना है। यह परियोजना केवीएस जयपुर क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी।

पुस्तकोपहारः

यह एक अकादमिक वर्ष पूरा होने पर कनिष्ठ छात्रों को पुरानी किताबें उपहार में देने की एक अनूठी योजना है, ताकि बड़े पैमाने पर पैसे, कागज और पर्यावरण को बचाया जा सके। यह नोट करते हुए खुशी हो रही है कि सत्र 2016–17 में उपहार में दी गई पुस्तकों की संख्या की तुलना में सत्र 2017–18 में उपहार में दी गई पुस्तकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

क्र. सं.	2016-17	2017-18	2018-19
1.	छात्रों द्वारा उपहार में दी गई पुस्तकों की कुल संख्या 258385 है।	छात्रों द्वारा उपहार में दी गई पुस्तकों की कुल संख्या 504679 है।	वर्ष 2019 में छात्रों द्वारा उपहार में दी गई पुस्तकों की कुल संख्या 846403 है।
2.	प्रत्येक पुस्तक का औसत वजन (लगभग) 200 ग्राम हो सकता है।	प्रत्येक पुस्तक का औसत वजन (लगभग) 200 ग्राम हो सकता है।	प्रत्येक पुस्तक का औसत वजन (लगभग) 200 ग्राम हो सकता है।
3.	जिससे कागज की कुल बचत है = 258385 × 200 = 51677 किलोग्राम अर्थात 51.677 टन 1 टन लगभग 17 पेड़ों के बराबर है। इस प्रकार, **878 पेड़ बचाए गए**।	जिससे कागज की कुल बचत है = 504679 × 200 = 100935.8 किलोग्राम अर्थात 100.935 टन 1 टन लगभग 17 पेड़ों के बराबर है। इस प्रकार, **1716 पेड़ बचाए गए**।	जिससे कागज की कुल बचत है = 846403 × 200 = 169280.6 किलोग्राम अर्थात 169.280 टन 1 टन लगभग 17 पेड़ों के बराबर है। इस प्रकार, **2877 पेड़ बचाए गए**।

छू लो गगन

यह कार्यक्रम केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय स्तर पर केवीएस द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उपस्थित होने/भाग लेने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 2018 के बाद से छात्र हवाई यात्रा का लाभ उठा सकते हैं यदि केवी (शुरुआती बिंदु) और आयोजन स्थल (पहुंच बिंदु) के बीच की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है। दूसरी बात, आपातिक स्थिति, प्राकृतिक खतरों, ट्रेनों के रद्द होने, खराब मौसम और III एसी/II एसी में कन्फर्म टिकट की अनुपलब्धता के मामले में,

वे हवाई जहाज से जाने का निर्णय कर सकते हैं। यह नोट किया जा सकता है कि बच्चों के समग्र विकास के लिए, केवीएस प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में खेल, कला और संस्कृति, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न आयोजन करता है। इस कारण छात्रों ने देश के भीतर लंबी दूरी तक यात्रा की है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत –राष्ट्रीय स्तर

राष्ट्रीय एकता शिविर की बहुत अवधारणा कई मायनों में अनूठी है। सांस्कृतिक विरासत– नृत्य, संगीत, गीत और सामाजिक–आर्थिक प्रगति के संदर्भ में केवीएस के 25 क्षेत्र 25 भारतीय राज्यों और 25 देशों को एक साथ कवर करते हैं। यह मेगा–इवेंट छात्रों के लिए उनकी रचनात्मकता, मौलिकता, कलात्मक कौशल आदि को प्रदर्शित करने का एक व्यापक मंच है। यह उन्हें न केवल भारत के अन्य राज्यों बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपरा, कला और वास्तुकला के बारे में जानने का अवसर देता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, 31 अक्टूबर 2018 को विज्ञान भवन लॉन में तीन दिवसीय केवीएस राष्ट्रीय एकता शिविर– एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घाटन किया गया। केवीएस का यह मेगा इवेंट सभी तीन दिनों के लिए सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जनता के लिए खुला था। सभी 25 क्षेत्रों के केंद्रीय विद्यालयों के कुल 1600 छात्रों और 175 एस्कॉर्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय स्तर के शिविर में भाग लिया। इसमें निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:

- ❖ **राष्ट्रीय एकता शिविर**: समूह गीत, समूह नृत्य (राज्य और अंतर्राष्ट्रीय), रंगमंच, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, सोलो सिंगिंग, सोलो क्लासिकल डांस और प्रदर्शन
- ❖ **लिटफेस्ट**: वाद–विवाद (हिंदी और अंग्रेजी), क्विज, संस्कृत श्लोक सस्वर पाठ, हिंदी काव्य पाठ, अंग्रेजी एलोक्यूशन, क्रिएटिव राइटिंग, स्पेल–बी

सीमा दर्शन

सीमा दर्शन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल हैए जिससे बच्चों को सीमा क्षेत्र का वास्तविक अनुभव प्राप्त हो सके और छात्रों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यक्रम बच्चों को प्रेरित करने और हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों के 100 छात्रों के लिए ''सीमा दर्शन चरण–VII'' का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर, 2018 के दौरान लोंगेवाल/जैसलमेर और ''सीमा दर्शन चरण–VIII में 13 से 17 अक्टूबर, 2018 के दौरान तवांग, अरुणाचल प्रदेश आयोजित किया गया था। कार्यक्रम बहुत सफल रहा और सभी छात्रों और शिक्षकों ने यात्रा का पूरा आनंद लिया। छात्रों और शिक्षकों के लिए भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा क्षेत्रों का दौरा करना एक अनूठा अनुभव था। हालांकि तवांग में तापमान बहुत कम था, फिर भी अधिकारियों और जवानों के साथ प्रत्येक प्रतिभागी ने बहुत गर्मजोशी और लाभकारी बातचीत की। छात्रों को रक्षा बलों में कैरियर बनाने और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया।

केवीएस और एनवीएस का राष्ट्रीय प्रधानाचार्य सम्मेलन

संस्थागत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिएए 6 और 7 फरवरीए 2019 को स्कूल शिक्षा के सभी क्षेत्रों अर्थात शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय पहलू पर विचार–विमर्श के लिए दो दिवसीय सहयोगी राष्ट्रीय

स्तर के प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। केवी से लगभग 1200 प्रधानाचार्य और एनवी से 630 प्रधानाचार्यों ने भाग लिया और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। सम्मेलन का उद्देश्य था ''गुणवत्ता के लिए अग्रणी विद्यालय''। आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव, प्रेरक वक्ता श्री शिव खेरा ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ सभा को संबोधित किया।

फिक्की–इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड

अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ते हुए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सर्वश्रेष्ठ खेल प्रचारक कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) की श्रेणी के लिए फिक्की–इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड–2018 हासिल किया। अपर आयुक्त (अकादमी), केवीएस श्री यू एन. खवारे ने 25 अक्टूबर 2018 को फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में TURF 2018 के दौरान केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री श्री विजय गोयल से पुरस्कार प्राप्त किया। फिक्की ने अप्रैल 2017–मार्च 2018 तक निम्नलिखित श्रेणियों खेलों का समर्थन करने और बढ़ावा देने के तहत प्रमुख संगठनों से नामांकन आमंत्रित किया था।

- खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र)
- खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी (निजी क्षेत्र)
- खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ एनजीओ
- खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक सेवा कंपनी
- सर्वश्रेष्ठ खेल स्टार्ट अप

न्यायमूर्ति मुद्गल की अध्यक्षता वाली प्रतिष्ठित जूरी ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सर्वश्रेष्ठ खेल प्रचारक कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) की श्रेणी के लिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवाड्र्स 2018 के विजेता के रूप में चुना। ये पुरस्कार फिक्की द्वारा भारत में खेल के योगदान को स्वीकार करने और स्पोर्ट्स अचीवर्स, खेल समर्थकों और उन लोगों को सम्मानित करने का एक प्रयास है, जो खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैंए जो राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। फिक्की कई वर्षों से इंडिया स्पोर्ट्स अवाड्र्स का आयोजन कर रहा है।

शैक्षिक प्रदर्शन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में पिछले 5 वर्षों के दौरान केवी का प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

कक्षा X	2015	2016	2017	2018	2019
केवीएस	99.39	98.92	99.74	95.94	99.47
कुल (सीबीएसई)	97.32	96.21	90.95	86.7	91.10
कक्षा XII					
केवीएस	94.75	95.46	95.86	97.78	98.54
कुल (सीबीएसई)	82.00	83.05	82.02	83.01	83.40

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षिक वर्ष 2018–19 में सीबीएसई के सभी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।

केंद्रीय विद्यालय की मुख्य विशेषताएं

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, केंद्रीय विद्यालय प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं और मानदंड हैं :

1. सभी केन्द्रीय विद्यालयों के लिए समान पाठ्यपुस्तकें और शिक्षा का माध्यम द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) ।
2. सभी केन्द्रीय विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हैं।
3. सभी केन्द्रीय विद्यालय सह–शैक्षिक, समग्र विद्यालय हैं।
4. कक्षा छठी से आठवीं तक तीन भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य है। कक्षा IX और X में, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में से किसी भी दो भाषाओं को चुना जा सकता है।

संस्कृत को +2 चरणों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।

5. एक आदर्श और अद्यतित कार्यप्रणाली के माध्यम से, केवीएस अकादमिक गतिविधियों में उत्कृष्टता बनाए रखने का प्रयास करता है।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों, केवीएस कर्मचारियों के बच्चे, वर्ष 1962, 1965, 1971, के युद्धों व 1999–कारगिल युद्ध (चीन और पाकिस्तान के खिलाफ) के दौरान मारे गए या विकलांग हुए सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बच्चों और जवानों के बच्चों के लिए आठवीं कक्षा तक के लड़कों और बारहवीं कक्षा तक के लड़कियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

आईटी–इनेबल्ड स्कूल

केंद्रीय विद्यालय संगठन एक गति निर्धारक संगठन है और इसने विभिन्न ऑडियो और वीडियो डिवाइसों और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग सहित देश में गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

1. **ई–क्लासरूम**– वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय विद्यालयों में कुल 12011 ई–क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। ई–कक्षा में इंटरएक्टिव बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, विजुअल प्रेजेंटर, यूपीएस के साथ नोट पैड और डेस्कटॉप शामिल हैं। 12011 ई–कक्षा में से, 5300 ई–क्लासरूम एप्पल आई–पैड, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से लैस हैं और शेष ई–क्लासरूम इंटरएक्टिव बोर्ड, इंटरएक्टिव पैड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, विज़ुअलाइज़र और डेस्कटॉप कंप्यूटर से लैस हैं।

2. **डिजिटल लैंग्वेज लैब**– 276 डिजिटल लैंग्वेज लैब्स की स्थापना स्वयम अधिगम गति में छात्रों के संचार कौशल को बढ़ाने के लिए की जा रही है। डिजिटल लैंग्वेज लैब व्यापक और संवादात्मक डिजिटल सामग्री के लिए एक मंच है, जो सुनने और बोलने के कौशल को पूरा करता है, जो एक उत्प्रेरक प्रयोगशाला वातावरण में उपयोग करने के लिए है। यह चार कौशलों को पूरा करता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो छात्र को मॉडल उच्चारण सुनने, दोहराने और रिकॉर्ड करने, उनके प्रदर्शन को सुनने और मॉडल के साथ तुलना करने और आत्म–मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। यह डिजिटल लैंग्वेज लैब अंग्रेजी भाषा में किसी के भाषण के अभ्यास और मूल्यांकन के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है।

3. **ई–प्रज्ञा– ई–कंटेंट** से लैस टच.टैबलेट जैसे डिवाइसों के साथ अधिकतम सीमा तक ज्ञान का पता लगाने के लिए छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से सशक्त करने के लिए छात्रों को तेजी से सीखने, बनाए रखने और प्रभावी ढंग से और कुशलता से व्यक्त करने में सक्षम बनाता है। टैबलेट निम्नलिखित को बढ़ावा देता है।

- छात्रों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने का बुनियादी कौशल हासिल कराना
- विषय सामग्री का सुदृढीकरण
- किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अधिगम
- साथ–साथ अधिगम, खुद की गति से गतिविधि आधारित शिक्षण, छात्रों के बीच जॉयफुल अधिगम, फ्लिप अधिगम
- शिक्षकों को ऑनलाइन असाइनमेंट देने और छात्रों के प्रदर्शन का डिजिटल रूप से आकलन करने की सुविधा देता है।

- शिक्षक प्रत्येक छात्र के स्तर के अनुसार शिक्षण.अधिगम कार्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं।

प्रायोगिक परियोजना (ई–प्रज्ञा) में शैक्षिक वर्ष 2017–18 में ई–सामग्री से लैस 6447 टच–टैबलेटों खरीदे गए और 25 केंद्रीय विद्यालयों (प्रत्येक क्षेत्र में एक) के आठवीं कक्षा के छात्रों और शिक्षकों के बीच वितरित किए गए।

छात्रों, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। अभिभावकों के लिए सूचनात्मक सत्र का आयोजन किया गया है।

4. **केवी–शाला दर्पण**– प्रमुख हितधारकों, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन को लिए सेवा वितरण में सुधार हेतु सभी केंद्रीय विद्यालयों में वर्ष 2015 से एक ई–गवर्नेंस प्लेटफॉर्म कार्यान्वित किया गया है।

5. **विज्ञान प्रयोगशाला का आधुनिकीकरणः**

उच्च क्रम और प्रौद्योगिकी संचालित प्रयोगों के लिए एक्सपोजर प्रदान करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच रुचि को ट्रिगर करने की पहल है। 411 केन्द्रीय विद्यालयों की मौजूदा विज्ञान प्रयोगशालाओं को दो चरणों में आधुनिक बनाया गया है। तीसरे चरण में, 363 केवी ने प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण का काम शुरु किया है।

प्रथम चरण में शामिल केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 211
द्वितीय चरण में शामिल केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 200
चरण– III में शामिल किए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 363

6. **ई–ऑफिस**– एनआईसी ई–ऑफिस के माध्यम से ई.गवर्नेंस परियोजना के तहत केवीएस में ई. ऑफिस को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस वातावरण की स्थापना करना।
- इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो में मौजूदा मैनुअल, पेपर संचालित प्रक्रियाओं को बदलना।
- विभिन्न सेवाओं और अनुप्रयोगों के लिए प्रयोक्ता सूचना के संगठन स्तरीय साझा भंडार स्थापित करना
- पारदर्शिता बढ़ाना।
- इंटर/इंट्रा सरकारी सूचना साझा करने को बढ़ावा देना।
- डेटा सुरक्षा और डेटा अखंडता का आश्वासन देना।
- स्थानीय भाषा के लिए यूनिकोड अनुरूप सहायता।
- लीव मैनेजमेंट सिस्टम और टूर मैनेजमेंट सिस्टम को भी इस वर्ष कार्यान्वित किया गया है।

7. **ऑन–लाइन दाखिला**– शैक्षिक सत्र 2016–17 से, कक्षा–I की प्रवेश प्रक्रिया देश भर में क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है। कक्षा I की 1 लाख से अधिक सीटों के लिए 6,56,269 पंजीकरण किए गए और सत्र 2018–2019 में, इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया गया है।

8. **ऑन–लाइन ट्रांसफर**– केवीएस कर्मचारियों का स्थानांतरण वर्ष 2016–17 से ऑनलाइन क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 के दौरान कुल 4087 स्थानांतरण किए गए।

9. दिनांक 31–03–2019 तक केवीएस में आईसीटी अवसंरचना

क्र.सं	मद	संख्या
1	कार्यात्मक केवी की कुल संख्या	1199
2	केवी में उपलब्ध कंप्यूटर की कुल संख्या	74,860
3	केवीएस में छात्रों की कुल संख्या	12,75,795
4	छात्र–कंप्यूटर अनुपात	17:1
5	कंप्यूटर लैब के साथ केवी की संख्या	1164 (97%)
6	इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले केवी की संख्या	1187 (98%)
7	ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाले केवी की संख्या	1146 (95%)
8	अपनी वेबसाइट वाले केवी की संख्या	1196 (99%)

खेल/सह–पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों में उपलब्धियां

- केवीएस को खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) को बढ़ावा देने के लिए फिक्की द्वारा "फिक्की–इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2018" से सम्मानित किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय में केवीएस की उपलब्धियां 2018–19:

खेल	प्रतियोगिता	समूह	परिणाम	नाम और के.वी.
शतरंज	एशियाई शतरंज चैम्पियनशिप 2018	यू–10 वर्ष	कांस्य पदक	सुश्री रंजना दत्ता, कक्षा V केवी सॉल्टलेक, कोलकाता
टेबल टेनिस	दक्षिण एशियाई जूनियर शतरंज चैम्पियनशिप 2018	जूनियर यू–17	स्वर्ण पदक	सुश्री प्राप्ति सेन केवी आईआईएम जोका कोलकाता
जुडो	ओपन नेशनल चैम्पियनशिप 2018	जूनियर यू– 17	स्वर्ण पदक	सुश्री तूलिका मान केवी टैगोर गार्डन दिल्ली
	दक्षिण एशियाई जूडो चैम्पियनश्पि 2017		चयनित	
ताइकवाण्डो	कॉमन वेल्थ स्कूल गेम्स चैम्पियनशिप 2018	जूनियर यू–17	स्वर्ण पदक	1. सुश्री खुशबू केवी वसंत कुंज, नई दिल्ली
			रजत पदक	2. सुश्री वासु केवी दिल्ली कैंट, नई दिल्ली

- **खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018:** केवीएस छात्रों ने कुछ खेलों में अलग–अलग राज्य से भाग लिया और दो स्वर्ण पदक हासिल किए, उन्हें केआईएसजी द्वारा 5,00,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए भी चुना गया।
- **केवीएस परियोजना "स्वस्थ बच्चे–स्वस्थ भारत":** प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए और तैयार किए गए ऐप "फिटकेवीयन" द्वारा फिटनेस आकलन कार्यक्रम" जिसे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा लॉन्च किया गया था। "एसबीएसबी" परियोजना के तहत मास्टर प्रशिक्षण के रूप में सभी 25 क्षेत्रों से एक सहायक आयुक्त, एक प्रधानाचार्य और दो टीजीटी (पीएचई) को प्रशिक्षण दिया गया।
- 12 क्षेत्रों में 26 से 30 जुलाई 2018 को आयोजित राज्य पुरस्कार शिविर 2018 के लिए विभिन्न केवी से 6730 छात्रों (3850 स्काउट्स और 2880 गाइड) ने योग्यता हासिल की।

- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने विभिन्न ओलंपियाड, नामतः, गणित/भौतिकी/रसायन विज्ञान/जीवविज्ञान, आदि में भाग लिया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते।
- प्रत्येक वर्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वर्ष 2018–19 के लिए केवी एनडीए खडकवासला, पुणे ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी जीती।
- केंद्रीय विद्यालयों ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में बच्चों के बीच प्रतिभा का पोषण करने के लिए राष्ट्रीय एकता शिविर–एक भारत श्रेष्ठ भारत का आयोजन किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केवीएस अपने शिक्षकों की सभी श्रेणियों के लिए उनके ज्ञान, कार्यप्रणाली और नवीन प्रथाओं को अद्यतन करने के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों पर यथोचित जोर देता है। सत्र 2018–19 में आयोजित पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं की संख्या इस प्रकार है: –

क्र. सं.	श्रेणी	पाठ्यक्रम/ कार्यशालाओं की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	शिक्षकों के लिए इन सर्विस पाठ्यक्रम	98	3735
2	कार्यशालाओं की संख्या (जेडआईईटी)	213	7186
3	लघु अवधि पाठ्यक्रमों की संख्या (आरओ)	881	32367
	कुल	**1192**	**43288**

मार्गदर्शन और परामर्श

केंद्रीय विद्यालय काउंसलर को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करते हैं और उन शिक्षकों की सेवाओं का भी उपयोग करते हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी और आरआईई से मार्गदर्शन और परामर्श में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ताकि बच्चों को उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता मिल सके और उन्हें अपने समय–समय पर सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक मुद्दे का मुकाबला करने में सहायता मिल सके। परामर्शदाता छात्रों को शैक्षिक और कैरियर विकल्प के विषय में भी मार्गदर्शन करते हैं।

छात्रावास सुविधाएं

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लेह और लद्दाख, कारगिल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, अंडमान एवं निकोबर द्वीप समूह, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को दाखिला देने के लिए छात्रावास की सुविधा शुरू की गई है।

सुदूर क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को हॉस्टल में प्रवेश के मामले में वरीयता दी जाती है। हॉस्टल में 15% और 7.5% सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 3% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

केन्द्रीय विद्यालय में I से XII तक की कक्षाएं हैं लेकिन छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा कक्षा छठी से उपलब्ध है।

छात्रावास की सुविधा वाले केन्द्रीय विद्यालयों का विवरण–

क्र. सं	केवी का नाम	क्षेत्र	31–03–2019 को कुल क्षमता		31–03–19 को छात्रावास में छात्रों का नामांकन	राज्य
			लड़का	लड़की		
1.	कमला नेहरू नगर गाजियाबाद (लड़कों के लिए)	आगरा	140	-	शून्य	उत्तर प्रदेश
2.	लैंसडाउन (लड़कों के लिए)	देहरादून	100	-	41	उत्तराखंड
3.	जवाहरनगर (लड़कों के लिए)	पटना	96	-	35	बिहार
4.	नंबर 1 दिल्ली कैंट (लड़कियों के लिए)	दिल्ली	-	72	40	दिल्ली
5.	झज्जर (लड़कों के लिए)	गुरुग्राम	शून्य	-	शून्य	हरियाणा
6.	नंबर 1 ग्वालियर (लड़कियों के लिए)	भोपाल	-	25	शून्य	मध्य प्रदेश
7.	एएससी केंद्र (दक्षिण) बेंगलुरु (लड़कियों के लिए)	बैंगलोर	-	45	06	कर्नाटक
8.	पचमढ़ी (लड़कों के लिए)	भोपाल	50	-	29	मध्य प्रदेश
9.	सीधी, जिला सीधी मध्य प्रदेश (लड़कियों के लिए)	जबलपुर	-	25	शून्य	मध्य प्रदेश

बजट

केवीएस पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा केवीएस को गैर–योजना और योजना शीर्ष के तहत वर्ष 2016–17 तक का बजट स्वीकृत किया गया और उसके बाद सरकार द्वारा केवीएस को बजट स्वीकृत किया गया। भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय के अधीन राजस्व और पूंजी शीर्ष इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	योजना	गैर योजना
2014-2015	2501.15	742.00
2015-2016	2403.47	875.00
2016-2017	2884.54	1102.71
	राजस्व	पूंजी
2017-2018	4323.01	674.24
2018-2019	4775.40	231.35

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय

77548 (लड़के 40837 और लड़कियाँ 36711) के नामांकन के साथ भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम राज्य सहित) में 109 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। उत्तर–पूर्व क्षेत्र में 109 केवी में से, सिविल में 61, डिफेंस में 22, 17 परियोजना सेक्टर में और 09 उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों में सीबीएसई के दसवीं और बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत निम्नानुसार है: –

राज्य	कक्षा X	कक्षा XII
अरुणाचल प्रदेश	94.68	91.42
असम	98.82	96.76
मणिपुर	99.30	98.92
मेघालय	98.99	96.10
मिजोरम	100	100
नगालैंड	100	97.81
सिक्किम	98.70	100
त्रिपुरा	99.03	98.66

केवीएस द्वारा सिक्किम सहित एनईआर में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जारी धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है:–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	योजना	गैर योजना
2014-2015	रु. 47.03	रु. 126.59
2015-2016	रु. 87.50	रु. 130.13
2016-2017	रु. 110.20	रु. 165.52
	राजस्व	पूंजी
2017-18	113.44	80.29
2018-19	127.89	23.45

चित्रा

केवीएस को खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बढ़ावा देने वाली खेल कंपनी (सार्वजनिक क्षेत्र) को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड–2018 से सम्मानित किया गया था। 25 अक्टूबर 2018 को यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था।

केवीएस–एनवीएस राष्ट्रीय प्रधानाचार्य सम्मेलन–2019

केवीएस–एनवीएस राष्ट्रीय प्रधानाचार्य सम्मेलन–2019

केवीएस–एनवीएस राष्ट्रीय प्रधानाचार्य सम्मेलन–2019

केवीएस–एनवीएस राष्ट्रीय प्रधानाचार्य सम्मेलन–2019

केवीएस में पुस्तकापोहार कार्यक्रम

2 अक्टूबर 2018 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री के. जे. अल्फोंस द्वारा केवी कोन्नी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन। ।

केवी नंबर 1 उप्पल में विज्ञान प्रसार के सहयोग से टेलीस्कोप बनाने संबंधी कार्यशाला

माननीय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नई केंद्रीय विद्यालय, बाओली, बागपत (उत्तर प्रदेश) का शिलान्यास और उद्घाटन समारोह

प्रकृतिः केविएस और आईसीएफआरई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2018 को केवि नबीनगर (बिहार) का उद्घाटन

केविएस राष्ट्रीय एकता शिविर – एक भारत श्रेष्ठ भारत 2018 : माननीय केन्द्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा उद्घाटन

केविएस राष्ट्रीय एकता शिविर : एक भारत श्रेष्ठ भारत – 2018 : राजस्थानी समूह नृत्य

केविएस राष्ट्रीय एकता शिविर – एक भारत श्रेष्ठ भारत – 2018 : असम राज्य का प्रदर्शनी स्टॉल

केविएस राष्ट्रीय एकता शिविर – एक भारत श्रेष्ठ भारत – 2018 : माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर का दौरा

केविएस राष्ट्रीय एकता शिविर – एक भारत श्रेष्ठ भारत – 2018 : छात्रों द्वारा समूह गान की प्रस्तुति

जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवि)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय नवोदय स्कूलों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इसके परिणामस्वरूपए अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु नवोदय विद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य के साथ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का XXI के तहत नवोदय विद्यालय समिति को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था इसके उद्देश्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक परिवेश को ध्यान में न रखते हुए उनके संस्कृतिक मूल्य संवर्धनए पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियाँ और शारीरिक शिक्षा

प्रदान करना शामिल है। ये स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।

शिक्षा का नवोदय मॉडल+–

- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदगी
- आवासीय व्यवस्था और शिक्षकों के साथ रहना।
- आधुनिक शिक्षा के साथ किफायती परिचालन
- प्रतिबद्ध कर्मचारी
- छात्रों के साथ व्यापक विचार–विमर्श
- मानवीय मूल्यों और व्यक्तिगत प्रभावशीलता की एकाग्रता के साथ सभी जीवन कौशल में एक्सपोजर।
- छात्र द्वारा उनकी सभी व्यक्तिगत गतिविधियां करना
- सभी परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन
- स्कूल से प्राप्त करने वाले व्यक्तिगत मूल्यों के स्वरुप पूर्व–छात्र की पहचान
- ग्रामीण क्षेत्रों से बालिकाओं, एससी, एसटी और बच्चों की अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता

जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने हेतु प्रक्रिया/मानदंडः जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाना संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर आधारित है जिसमें लगभग 30 एकड़ उपयुक्त, निशुल्क भूमि का प्रस्ताव शामिल है। राज्य सरकार को 240 विद्यार्थियों और कर्मचारियों के आवास हेतु तीन से चार वर्षों तक अथवा जब तक समिति स्थायी स्थल पर अपने स्वयं के भवनों का निर्माण नहीं कर लेती, पर्याप्त अस्थायी भवन, किराया मुक्त और अन्य अवसंचनाएं उपलब्ध करानी होती हैं।

जेएनवि और कार्यात्मक जेएनवि स्वीकृतः 1985–86 के दौरान झज्जर (हरियाणा) और अमरावती (महाराष्ट्र) में दो विद्यालयों की स्थापना की शुरूआत से लेकर अब तक सरकार द्वारा तमिलनाडु को छोड़कर 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 661 जेएनवि स्वीकृत किए गए हैं। देश में स्वीकृत किए गए कुल 661 जेएनवि में से 636 कार्यात्मक हैं।

जेएनवि में छात्रों का दाखिला

जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा डिजाइन और संचालित चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। चयन परीक्षा लिखित रूप में और कक्षा के प्रति तटस्थ है और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी भेदभाव के प्रतिस्पर्धा कर सकें। केवल उस जिले के अभ्यर्थियों जहां जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है, प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तथापि, जिस जिले में जेएनवि खोला जाता है और बाद में उसका विभाजन हो जाता है, यदि अभी तक बांटे गए जिले में नया विद्यालय शुरू नहीं किया गया है उस स्थिति में जिले की पुरानी सीमाओं को जेएनवि में प्रवेश के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाता है। जेएनवि सह–शैक्षिक और आवासीय हैं और छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय हैं। जेएनवीएसटी के माध्यम से कक्षा छठी और नौवीं में दाखिले दिए जाते हैं। वर्ष 2018–19 में जेएनवीएसटी परीक्षा में बैठने वाले और चुने गए छात्रों का सांख्यिकी विवरण निम्नानुसार हैः

कक्षा	पंजीकृत	चयन किए गए
VI	2777504	45958
IX	128018	4028

जेएनवि में छात्रों के दाखिले संबंधी आरक्षण नीतिः

(क) एक जिले में कम से कम 75% सीटों को ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों और बाकी सीटों को जिले के शहरी इलाकों के बच्चों को प्रवेश देकर भरा जाता है।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि ऐसे जिले में उन्हें दिए जाने वाला आरक्षण राष्ट्रीय औसत (एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%) से कम न हो, लेकिन दोनों श्रेणियों (एससी एवं एसटी) के लिए मिलाकर अधिकतम 50% हो। ये आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है और मुक्त मैरिट के अंतर्गत चुने गए उम्मीदवारों के अतिरिक्त है।

(ग) कुल सीटों के एक तिहाई भाग को बालिकाओं द्वारा भरा जाता है।

(घ) दिव्यांग बच्चों (अर्थातः शारीरिक रूप से विक्लांग, दृश्य एवं श्रृव्य बाधित दिव्यांग) के लिए 3% सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।

31.3.2019 तक छात्रों के नामांकन का आंकड़ा

संख्या	बलक	बालिका	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	एससी	एसटी
267246	160059	107187	209056	58190	146022	67736	53488
% प्रतिशत	59.89	40.11	78.22	21.78	54.64	25.35	20.01

जेएनवि का प्रदर्शन

जेएनवि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका प्रमाण सीबीएसई द्वारा पिछले तीन वर्षों में घोषित किए गए परिणाम हैं।

क) सीबीएसई परीक्षाः– 2019

कक्षा XII	
जेएनवि की संख्या	546
उपस्थित हुए छात्रों की संख्या	30833
उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या	29792
प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	27694
उत्तीर्णता प्रतिशत	96.62
प्रथम श्रेणी	89.82
सेन्टम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	329
100: उत्तीर्णता वाले जेएनवि की संख्या	252
औसत स्कोर	74.91

कक्षा X	
जेएनवि की संख्या	584
उपस्थित हुए छात्रों की संख्या	39885
उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या	39313
प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	35720
उत्तीर्णता प्रतिशत	98.57
प्रथम श्रेणी	89.56
सेन्टम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	1018
100% उत्तीर्णता वाले जेएनवि की संख्या	379
औसत स्कोर	77.75

ख) प्रतियोगी परीक्षाएं : 2019

जेईई – 2019	
जेईई मेन में उपस्थित छात्र	11733
जेईई मेन पास करने वाले	4451
जेजेई एडवांस उत्तीण करने वाले वाले छात्र – प्रथम सूची	966

एनईईटी – 2019	
एनईईटी में उपस्थित होने वाले छात्र	16156
एनईईटी पास करने वाले छात्र	12654

जेएनिव छात्रों के लिए समिति द्वारा अपनाई गई प्रवासन नीतिः नवोदय विद्यालय योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता एक भाषाई क्षेत्र के नवोदय विद्यालय से दूसरे भाषाई क्षेत्र के विद्यालय में छात्रों की प्रवास योजना है। इसका उद्देश्य छात्रों के मध्य भारत की संस्कृति और लोगों की विविधता और बहुलता को बढ़ावा देना और जानकारी देना है। योजना के अनुसार, कक्षा–IX के स्तर पर 30% बच्चे एक जेएनवि से दूसरे जेएनवि में स्थानांतरित किए जाते हैं। प्रवासन आमतौर पर हिंदी भाषी और गैर–हिंदी भाषी जिलों के मध्य किया जाता है।

जेएनवि में छात्रों के लिए सुविधाएं

जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षाए बोर्डिंग और लॉजिंग के साथ–साथ वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल से लेकर घरों आदि तक का रेल/बस का किराया जैसे खर्च सभी छात्रों के लिए निशुल्क हैं। हालांकि, नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों से विद्यालय विकास

निधि के रूप में प्रति माह 600/– रूपये का एक मामूली शुल्क लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों संबंध में, उनसे प्रतिमाह 1500/– रुपये का शुल्क या कर्मचारी द्वारा प्राप्त सीईएए, जो भी कम हो, लिया जा रहा है। हालांकि, प्रति छात्र वीवीएन 600 रु प्रति माह से कम नहीं होगा। एससी/एसटी श्रेणियों से संबंधित छात्र, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों (बीपीएल) की बालिकाओं और बच्चों को इस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। वर्ष 2017–18 के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष औसत परिचालन व्यय 96,190– रुपये था।

कम्प्यूटर शिक्षा

- 600 जेएनवि में कम्पयूटर समर्थित शिक्षा है।
- 554 जेएनवि में लैपटॉप उपलब्ध कराए गए हैं।
- 524 जेएनवि में 29 कलर टीवी से जुड़े कंप्यूटर के साथ स्मार्ट कक्षाएं हैं।
- 554 जेएनवि में प्रत्येक को 2 मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट प्रदान किए जाते हैं।
- 545 जेएनवि में वेब आधारित शिक्षण और अधिगम की सुविधा की शुरूआत की गई है।
- 80% से अधिक शिक्षकों (लगभग 10,000) ने बुनियादी संचालन और कंप्यूटर समर्थित शिक्षा आधारित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- 2–50% गैर शिक्षण कर्मचारियों ने भी कम्पयूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। छात्र और शिक्षक उपलब्ध नेटवर्क सुविधाओं का लाभ उठाकर सहयोगी परियोजनाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा ओलंपियाड में 27912 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और 6 बच्चों ने पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रशिक्षण और विकास

एनविएस एनएलआई, क्षेत्रीय कार्यालयों और बाहरी एजेंसियो के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करता है। वर्तमान में नवोदय लीडरशिप संस्थानों के रूप मं स्थापित 7 एनविएस प्रशिक्षण स्थान हैं जिनका विवरण नीचे दिया है:–

केन्द्र	क्षमता
नोएडा	48
अमृतसर	88
उदयपुर	48
दक्षिण गोवा	88
रंगारेड्डी	88
पुरी	48
कामरूप	48
कुल क्षमता	456

सत्र 2018–19 के दौरान, 229 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और शिक्षण कर्मचारियों सहित 8353 एनवीएस कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विशेष शैक्षणिक गतिविधियां

क) कैरियर के रूप में वैज्ञानिक अभिरूचि और विज्ञान

क) 6000 बच्चों ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शिनयों में हिस्सा लिया।

ख) 50 बच्चों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित नेशनल चिल्ड्रनस साइंस कांग्रेस में भाग लिया।

ग) 41 बच्चों ने होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, टीआईएफआर द्वारा आयोजित क्षेत्र स्तरीय विज्ञान और गणित ओलम्पियाड के लिए क्वालीफाइ किया।

घ) विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन में 24585 बच्चों ने भाग लिया जिनमें से 203 छात्रों को राज्य स्तर पर, 13 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के

लिए और 2 छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया।

ङ) 800 बच्चों ने देश की विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों के साथ बातचीत में भाग लिया। सीएसआईआरए डीआरडीओं इत्यादि जैसे 40 अग्रणी संस्थान इस पहल का समर्थन कर रहे हैं।

च) 14 आईआईटी हर साल 2 दिन के लिए परिसर में 50 जेएनवि छात्रों की मेजबानी करने और प्रयोगशाला के दौरे और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की व्यवस्था कराने पर सहमत हुए हैं।

ख) सृजनात्मता और नवाचार संवर्धन

क) अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना (117 जेएनवि)

ख) औद्योगिक सहयोग से 3 जेएनवी में रोबोटिक्स प्रशिक्षण का कार्यान्वयन।

जेएनवि चिकमगलूर में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला

ग. पर्यावरण और विद्यार्थीः—

क) 2018–19 में 2.26 लाख पेड़ों का वृक्षारोपण।

ख) टेरी के सहयोग से ग्रीन ओलम्पियाड में भागीदारी

ग) 60 जेएनवि में स्कूलों का ग्रीन ऑडिट

घ) जेएनवि कार्यक्रमों के अलावा आस–पास के क्षेत्र में स्वछता अभियान।

ङ) सभी जेएनवि ने पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित पर्यावरण निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया।

घ) वैश्विक परिदृश्य हेतु सहयोगः

5 विद्यार्थियों और 1 शिक्षक ने जापान के स्कूलों और सांस्कृतिक केन्द्रों का दौरा किया।

ङ) मार्गदर्शन और काउंसलिंग

क) 60 शिक्षकों को एनआईएमएसएएनएस के माध्यम से काउंसलिंग पर प्रशिक्षण दिया गया।

ख) 60 मास्टर ट्रेनर को सेंट जोन्हस रिसर्च इंस्टीटयुट, बैंगलोर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

च) समकालीन क्षेत्रों/विषयों के लिए प्रशिक्षण

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से जेएनवि, छत्तीसगढ़ के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए समकालीन शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम को एमआईटीए यूएसए की ओर से तकनीकी सहयोग मिला है।

छ) सिटिजनशिप कार्यक्रम

क) 20919 कैडेट के साथ 409 जेएनवि में एनसीसी की शुरूआत की गई है।

ख) सभी जेएनवी में स्काउट और गाइड की शुरूआत की गई। 35830 स्काउट और गाइड को प्रशिक्षित किया गया ।

ग) 161 जेएनवि में एनएसएस की शुरूआत की गई और इसकी वॉलिन्टियर क्षमता 8534 है।

घ) संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से 64

जेएनवि ने यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता में भाग लिया और जेएनवि, कैमुर, बिहार ने प्रथम पुरस्कार जीता।

परीक्षा पे चर्चा

एक भारत श्रेष्ठ भारत

ज. उद्यमिता कौशल :

दो जेएनवी के 800 छात्रों को आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर अपने सोलर लैम्प को असेंबल करने का प्रशिक्षण दिया गया।

झ. अधिगम संवर्धन अनुभव

भारतीय विज्ञान संस्थानए चित्रदुर्ग के मार्गदर्शन में संवर्धित प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान विषयों की अध्ययन पद्धति।

वन महोत्सव

जेएनवि बैंगलोर का आर्गेनिक किचन गार्डन

क्षेत्रीय सांस्कृतिक समारोह में जेएनवि विद्यार्थियों की प्रस्तुति

ञ) मूल्य उन्मुखीकरण :–

क) रामकृष्ण मिशन की मदद से 475 स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों के लिए नागरिक जागरूकता कार्यक्रम।

ख) 27923 छात्रों ने आईटी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल सिटिजनशिप और साइबर वेलनेस ओलंपियाड में भाग लिया।

ग) सभी जेएनवी में योग कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

ट) जेएनवि छात्र और समाज

क) जेएनवी की पाठयेत्तर गतिविधियों में आस–पास के स्कूलों के छात्रों की भागीदारी।

ख) प्रकृति संरक्षण, सड़क सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, नागरिकता की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों और वैज्ञानिक प्रकृति जैसे मुद्दों पर जागरूकता हेतु पड़ोस के स्कूलों के लिए कार्यक्रम।

ग) पास के स्कूलों के साथ शैक्षणिक और पाठ्येत्तर प्रतियोगिताओं का आयोजन और सहभागिता

घ) जेएनवीएसटी हेतु ग्रामीण बच्चों की कोचिंग

ङ) टीकाकरण शिविरों का आयोजन, स्वास्थ्य जांच शिविर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर, प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान आदि।

च) स्वास्थ्य और स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जनसंख्या शिक्षा, संतुलित आहार पर जागरूकता अभियान का आयोजन

ठ) अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन और ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

वर्तमान में, समिति ने अपने कार्यालयों (मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों) में सभी रिकॉर्डों का डिजिटलाइजेशन शुरू कर दिया है। साथ ही ई ऑफिस के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया है। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जा रहे हैं।

ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में जेएनवि की स्थिति

कुल राज्य	कुल जिले	स्वीकृत जेएनवि		नए बनाए गए जिलों में शामिल न किए गए जेएनवी खोलने का प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवि	गैर–कार्यात्मक जेएनवि
		प्रथम	द्वितीय			
08	119	96	04	19	92	08

एनवीएस और केविएस का संयुक्त प्रधानाचार्य सम्मेलन

नये नवोदय विद्यालय

2018–19 के दौरान एक जेएनवि 'रतलाम–II' को मंजूरी दी गई थी। 2018–19 में छह नए एनवी रतलाम–II, फाजिल्का, रामबन, साबरकांठा, पूर्वी जयंतिया हिल्स और किर 'तवाड़ को कार्यात्मक बनाया गया था। 2018–19 के दौरान रतलाम–II' के नये भवन को मंजूरी दी गई थी और 2018–19 में तीन नई इमारतों झाबुआ–II, मलकानगिरी–2 और रामपुर तीन नये भवनों की शुरूआत की गई। 2018–19 में रतलाम–II के भवन की आधारशिला रखी गई।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष संसाधन संगठन है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र विशेष रूप से स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के संबंध में उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में उनकों सहायता और परामर्श प्रदान करता है। यह स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और शैक्षिक अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रकाशन और सूचना के प्रसार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करता है। एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों हेतु एक कार्यान्वयन एजेंसी है। एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा करने और विकासशील देशों के शैक्षिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।

एनसीईआरटी की घटक इकाइयाँ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईई), नई दिल्ली, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), नई दिल्ली, पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू और उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एनईआरईआई), उमियम (मेघालय) हैं।

शीर्ष संगठन एनसीईआरटी की स्कूल शिक्षा में अपनी यात्रा में वर्ष 2018–19 के दौरान स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के संपूर्ण विस्तार को समृद्ध प्रदान कर रही है। एनसीईआरटी अनुसंधान राज्य स्तर के शिक्षा संगठनों जैसे एससीईआरटी, परिषदों/बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन, डाइट, इत्यादि को मजबूत करने और उनके शैक्षिक प्रयास को मुख्य धारा में लाने के लिए अभिनव पूर्व–सेवा और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्य सामग्री और विस्तार गतिविधियों के आयोजन में शामिल रहा है।

आरंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा

परिषद देश भर में समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों और समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है साथ ही निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन को मजबूती एवं सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रही हैं। निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में, एनसीईआरटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अकादमिक सहायता प्रदान करता रहा है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक ग्रेड में पढ़ने और लिखने के अधिगम परिणामों और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लर्निंग आउटकम के कार्यान्वयन के अध्ययन के बारे में शिक्षकों और शिक्षक शिक्षकों की प्रचलित समझ पर शोध अध्ययन जारी है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट में दी गई शैक्षणिक पद्धतियों के अनुसार परिषद द्वारा प्राथमिक गणित के शिक्षण हेतु ई–लर्निंग सामग्री, गणित की शिक्षा में रुचि पैदा करने के लिए शुरुआती स्कूली गणित पर शिक्षकों के लिए स्रोत पुस्तक "जॉय इन मैथमेटिक्स" संसाधन पुस्तक, प्राथमिक ग्रेड के लिए बच्चों और शिक्षकों के लिए एक संसाधन सामग्री सीखने के परिणाम और सतत और व्यापक मूल्यांकन पर दिशानिर्देश विकसित किए जा रहे हैं।

व्यापक रूप से, एकीकृत स्कूल गणित कार्यक्रम (आईएसएमपी), इंटीग्रेटेड स्कूल लैंग्वेज प्रोग्राम (आईएसएलपी), क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम और प्रीस्कूल एजुकेशन आरंभिक शिक्षा के तहत प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अनुसंधान, सामग्री विकास,

प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों के माध्यम से नियमित रूप से महत्वपूर्ण इनपुट और हस्तक्षेप उपलब्ध कराए गए हैं।

अधिगम परिणामों की प्राप्ति में सुधार को ध्यान में रखते हुए, ईटानगर के एससीईआरटी में अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए स्कूल गणित के विभिन्न पहलुओं पर समझ विकसित करने के लिए एक 12 से 16 नवंबर, 2018 तक एक राज्य–स्तरीय परामर्श बैठक–सह–कार्यशाला का आयोजन किया। यूनिसेफ के सहयोग से सीसीई पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सीबीएसई, केवी संगठन, जेएनवी, विश्व बैंक और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीसीई के प्रभावी कार्यान्वयन पर आम सहमति बनाने के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित सीसीई दिशानिर्देशों को साझा किया। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ''पूर्व स्कूल पाठ्यक्रम और पूर्वस्कूली शिक्षा दिशानिर्देश'' के प्रति शिक्षकों को परिचित करने के लिए, परिषद ने पश्चिम क्षेत्र हेतु 14–15 नवंबर, 2018 को आरआईई भोपाल में और उत्तर क्षेत्र के लिए आरआईई, अजमेर में 28–29 नवंबर, 2018 तक क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

अधिगम आउटकम

राज्य और जिला स्तरों पर हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के बाद एनसीईआरटी ने " लर्निंग आउटकम एट द एलिमेंट्री स्टेज' नाम दस्तावेज विकसित किया है। इसका उद्देश्य स्कूलों में अधिगम गुणवत्ता को बढ़ाने शिक्षकों को सीखने के कौशल को अधिक सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम बनाने और बिना विलम्ब के सुधारात्मक कदम उठाने और सभी छात्रों को प्रभावी सीखने के अवसर प्रदान करने के माध्यम से स्कूलों से अधिगम गुणवत्ता का सुधार करना है। दस्तावेज़ दो सेटों में तैयार किया गया है, पूरा दस्तावेज़ जिसमें पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएँ, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू और कक्षा के साथ–साथ कॉम्पैक्ट संस्करण जिसमें कक्षा I से आठवीं के लिए सीखने के परिणाम और शिक्षण परिणाम पोस्टर रूप में शामिल हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के समर्थन से, दस्तावेज़ का अब तक अंग्रेजी और हिंदी सहित 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसे शिक्षकों के लिए देश भर के सभी सरकारी स्कूलों में प्रसारित किया गया है।

एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम के क्षेत्र में मास्टर ट्रेनरों को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की और राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों, शिक्षक प्रशिक्षकों शिक्षकों और अन्य हितधारकों के बीच अधिगम परिणामों के विकास और जागरूकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

लर्निंग आउटकम ऑफ एलिमेनट्री स्टेज के साथ, सभी स्कूल विषयों के लिए लर्निंग आउटकम फॉर सेकेंडरी स्टेज मसौदा तैयार किया जा रहा है। दस्तावेज़ में विषय, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं, शैक्षणिक प्रक्रियाएं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ योग्यता आधारित अधिगम परिणामों के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। लर्निंग आउटकम ऑफ द सब्जेक्टस (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा) का एक मसौदा तैयार किया गया है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इसे पूरे देश में हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के बाद के हस्तक्षेप

पूरे देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा III, V और VIII के लिए 13 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग कक्षा III और

V के लिए भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन में 45 प्रश्नों के साथ कई परीक्षण पुस्तिकाओं और कक्षा VIII के लिए गणित, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में 60 प्रश्न वाली परीक्षण पुस्तिकाओं का उपयोग किया गया। एनसीईआरटी द्वारा विकसित योग्यता आधारित परीक्षा के प्रश्न लर्निंग आउटकम पर आधारित थे। सर्वेक्षण के परिणाम काउंसिल द्वारा विकसित अधिगम परिणाम और बच्चों के अधिगम स्तर की जानकारी प्रदान करते हैं। स्कूल स्तर पर पहचान किए गए अधिगम अंतराल का उपयोग अब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के जिलों में फीडबैक प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

स्कूलों में शिक्षण और अधिगम गुणवत्ता में सुधार हेतु एक हस्तक्षेप की रूपरेखा का सुझाव दिया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य स्तर के अधिकारियों और डीआईईटी के अधिकारियों के साथ निष्कर्षों को साझा करने और जिलों में अधिगम अंतराल को समझने जैसे अल्पकालिक हस्तक्षेपों को राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में पूरा कर लिया गया है। बीआरसीसी, शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों, अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों और अन्य हितधारकों के साथ निष्कर्षों को साझा करने और अधिगम परिणामों को प्राप्त करने हेतु अधिगम कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए बीआरसीसी, सीआरसीसी और शिक्षकों के उन्मुखीकरण जैसे मध्यम–अवधि के हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। छत्तीसगढ़, सिक्किम, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और गोवा राज्यों के सहयोग से पोस्ट एनएएस हस्तक्षेप आयोजित किए गए हैं।

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाना

छात्रों पर भार को कम करने के लिए, पाठ्यक्रम और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर देश भर में हितधारकों से विचार आमंत्रित किया गया।27 हजार व्यक्तियों से इसके बारे में लगभग एक लाख टिप्पणियां प्राप्त की गई। टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया और स्कूलों में इसका उपयोग विभिन्न विषयों में पाठ्य पुस्तकों की सामग्री को युक्तिसंगत बनाने के लिए किया।

ब्लॉक स्तरीय अनुसंधान अध्ययन

परिषद ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉक स्तरीय अनुसंधान परियोजना शुरू की है, जिसमें ब्लॉक को अपनाया गया है और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए अन्तः क्षेत्रों बनाये गए हैं। जिन ब्लॉक को अध्ययन के लिए अपनाया गया है, पश्चिम में रहे हैं वे इच्छावर, पूर्व में चिलका, पूर्वोत्तर में रिग्वोई, उत्तर में हुर्दा और दक्षिण में हुन्सुई। इसके अलावा, त्रिपुरा में भी एक ब्लॉक लिया गया है, जिसे राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

अनुसंधान अध्ययन

एनसीईआरटी ने स्कूल और शिक्षक शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन किया है जैसे समावेशी शिक्षा, शिक्षा में जेंडर, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा शिक्षा, स्कूलों में कला एकीकृत शिक्षण, स्कूलों में शैक्षणिक नेतृत्व, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए नेटवर्किंग, शिक्षक प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और किशोर छात्रों की चिंताएं, इन–सर्विस संगीत शिक्षकों का योग्यता स्तर, प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रथाओं, निर्माणवाद, आईसीटी, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, आदि। परिषद ने नागालैंड के अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों के चयनित विद्यालयों में विज्ञान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शोध अध्ययन कार्यक्रम अपनाया है।'

अपनी शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (ईआरआईसी) के माध्यम से, एनसीईआरटी डॉक्टरल फैलोशिप और अनुसंधान अनुदान के रूप में पूरे देश में विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।स्कूल शिक्षा पर काम करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में

काम करने वाले विद्वान अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसे ईआरआईसी द्वारा अनुमोदित और वित्तपोषित किया जाता है। वर्ष 2018—19 के दौरान,सात अनुसंधान विद्वानों को एनसीईआरटी डॉक्टरल फैलोशिप से सम्मानित किया गया और आठ शैक्षिक शोधों को ईआरआईसी के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है।

क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विभिन्न पाठयक्रम क्षेत्रों में कक्षा प्रक्रियाओं और छात्रों के सीखने को बेहतर बनाने के लिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, बहुभाषी शिक्षा, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग (एआईएल), समावेशी शिक्षा, विज्ञान किट का उपयोग, पाठ्यक्रम विकास और विश्लेषण, आदि के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम किए गए।

बड़ी संख्या में शिक्षकों और शिक्षक शिक्षाविदों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने स्कूल और शिक्षक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए। वर्ष के दौरान, काउंसिल ने स्कूलों के लिए हेरिटेज मैपिंग, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम, उच्च प्राथमिक चरण में विज्ञान के शिक्षण, आदि पर विशेष पाठ्यक्रम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रबंधन पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, स्कूल सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए। और अन्य प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर पाठ्य सामग्री, भी परिषद् द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं।

शिक्षण अधिगम सामग्री गतिविधियों का विकास

एनसीईआरटी विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम करता है जो स्कूल और शिक्षक शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाता है। प्रमुख विकासात्मक कार्यक्रमों में शामिल हैं: शैक्षिक ऑडियो—वीडियो सीडी का विकास, स्कूल और शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में ई— सामग्री, प्रशिक्षण पैकेज, हैंडबुक, संसाधन सामग्री, विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम सामग्री, छात्रों की कार्यपुस्तिका, मॉड्यूल, शब्दकोशों, मल्टीमीडिया पैकेज, देश में दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोडमैप, समावेशी स्कूलों के लिए सूचकांक का अद्यतन संस्करण, समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाएं, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए संस्कृति विशिष्ट सीखने के संसाधन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में पाठ्यपुस्तक विश्लेषण पर एक मॉड्यूल, आदिवासी भाषाओं से अंतरण के लिए संसाधन सामग्री, स्कूलों में मूल्य शिक्षा के लिए सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (सीएमपी), व्यावसायिक हित इन्वेंटरी, मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रैक्टिकल पुस्तिका, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पैरामनोविज्ञान में ई—संसाधन, शिक्षण और अधिगम आदि में सकारात्मक पहलुओं पर पठन सामग्री।

मार्गदर्शन और परामर्श

मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए उनकी व्यक्तिगत—सामाजिक, शैक्षिक और कैरियर संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एनसीईआरटी देश भर में छह दशकों से अधिक समय से स्कूल की स्थापना करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहा है।डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों, शैक्षिक और मार्गदर्शन कर्मियों को स्कूलों और संबंधित स्थापना में पेशेवर परामर्शदाता/शिक्षक परामर्शदाता के रूप में काम करना है।

मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा कोर्स का दसवां बैच जनवरी 2018 में शुरू हुआ। डिस्टेंस लर्निंग का पहला चरण शुरू हुआ, जिसके तहत जनवरी से जून 2018

तक ट्यूटोरियल आयोजित किए गए। डिप्लोमा कोर्स के दूसरे चरण यानी तीन महीने का संपर्क कार्यक्रम 2 जुलाई से 28 सितंबर 2018 शुरू हुआ है, जिसमें 42 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। 6 जुलाई, 2018 से गहन और देखरेख स्कूल अभ्यास शुरू हुआ।इस अवधि के दौरान इस तरह की गतिविधियों जैसे स्कूल का दौरा, क्षेत्र का भ्रमण और मार्गदर्शन और परामर्श कर्मियों के रूप में प्रशिक्षुओं के कौशल विकास के लिए विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया ।27 सितंबर 2018 को लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा भी आयोजित की गई। डिप्लोमा कोर्स के अंतिम चरण के लिए इंटर्नशिप परियोजनाओं की योजना बनाई गई और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। प्रशिक्षुओं का तीन महीने का इंटर्नशिप प्रगति पर है।

इसके अलावा, 18 से 22 जून 2018 तक एससीईआरटी तेलंगाना में शिक्षकों को ज्ञान और कौशल युक्त करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को समूह मार्गदर्शन गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार की समस्याओं को कम करने के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक पाँच दिन के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

विज्ञान शिक्षा

विज्ञान और गणित शिक्षा में पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम व्यवहार और शिक्षण–अधिगम रणनीतियों से संबंधित शोध परिषद के फोकस क्षेत्रों में से एक है। एमएचआरडी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार,सभी विज्ञान और गणित विषयों के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बारे में विभिन्न हितधारकों की राय एकत्र की गई थी। तदनुसार, विज्ञान और गणित में कक्षा VI–X की पाठ्यपुस्तकों और भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित में XI–XII की कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों को युक्तिसंगत बनाया गया है।परिषद ने 1 सितंबर 2018 को सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन टैकटाइल ग्राफ़िक्स (सीओईटीजी), आईआईटी दिल्ली के सहयोग से "कक्षा VI के लिए विज्ञान टैकटाइल पुस्तक" जारी किया।

परिषद हर साल जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (जेएनएनएसएमईई) का आयोजन करती है, जो जिला, जोनल और राज्य स्तरों पर आयोजित बच्चों के लिए विज्ञान प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला की परिणति का प्रतीक है। चिल्ड्रन–2018 के लिए 45 वें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (जेएनएनएसएमईई) गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग और नगर निगम अहमदाबाद के सहयोग से अहमदाबाद, गुजरात में 23 से 28 नवम्बर 2018 आयोजित किया गया। इसके अलावा, परिषद बच्चों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (एसएलएसएमईई) के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

परिषद ने उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने वाले इन–सर्विस शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित किया है। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में इन–सर्विस शिक्षकों को सशक्त बनाना है, जिन्हें सामग्री को मजबूत करने के साथ–साथ शैक्षणिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। "ओपनएडएक्स" का उपयोग करके एक मूक प्लेटफॉर्म (000http://www.ncertx.in) सेटअप किया गया है और बड़ी संख्या में शिक्षकों को एक साथ पहुंच प्रदान करने के लिए एनआईसी क्लाउड पर पाठ्यक्रम की मेजबानी भी की जा रही है।

शैक्षिक किट

परिषद विज्ञान और गणित में शिक्षण उपकरणों को डिजाइन और विकसित करती है और डिजाइन और उत्पादन के परीक्षण के लिए स्कूलों में प्रयोगात्मक परीक्षण करती है। यह किट के रूप में स्कूल

उपकरणों के डिजाइन, विकास और प्रोटोटाइप उत्पादन द्वारा क्रियात्मक अनुभवों के माध्यम से प्रिंट मीडिया का समर्थन करने वाले स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण– अधिगम में सुधार लाने के लिए जिम्मेदार है। शैक्षिक किट अर्थात् अपर प्राइमरी साइंस किट, सेकेंडरी साइंस किट, सीनियर सेकेंडरी माइक्रो–स्केल केमिस्ट्री लेबोरेटरी किट, सॉलिड स्टेट मॉडल किट, मॉलिक्यूलर मॉडल किट, अपर प्राइमरी मैथमेटिक्स किट, सेकेंडरी मैथमेटिक्स लैब किट, सेकेंडरी साइंस लैब किट (बायोलॉजी, फिजिक्स और रसायन विज्ञान)उपलब्ध कराया गया है।हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स किट और हायर सेकेंडरी बायोलॉजी किट, जॉयफुल लर्निंग साइंस किट, ज्योग्राफी किट के मैनुअल के हिंदी संस्करण भी विकसित किए गए हैं।

शैक्षिक संसाधनों का डिजिटलीकरण

शिक्षण–अधिगम में प्रौद्योगिकी की क्षमता को स्वीकार करते हुए, एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न नवाचारी पाठ्यसामग्री विकसित की गई है। परिषद शिक्षण और अधिगम सहायता के लिए विभिन्न ऑडियो–वीडियो कार्यक्रमों और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कार्यक्रमों के विकास में शामिल है। परिषद, छात्रों के लिए विषयों और सभी भाषाओं में सारे डिजिटल और डिजिटल किये जाने वाले संसाधनों को एक साथ लाने के लिए एनआरओईआर के माध्यम से प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार (एनआरओईआर) विकास और प्रबंधन और चेतना

कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना, डिजिटल संसाधनों के विकास और साझाकरण में समुदाय की भागीदारी को सक्षम बनाना, होस्टेड संसाधनों को मान्य करने और विभिन्न भाषाओं में डिजिटल संसाधनों के अनुकूलन और निर्माण की सुविधा के लिए तंत्र बनाना था।

राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडार (एनआरओईआर) स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के सभी चरणों में सभी डिजिटल और डिजिटाइजेबल संसाधनों को एक साथ लाने की एक पहल है। भंडार सभी विषयों का प्रसार करता है और सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। यह विभिन्न कार्यक्रमों और वार्तालाप के माध्यम से स्कूल समुदाय के सभी सदस्यों तक पहुंचने और उन्हें जोड़ने के लिए इन डिजिटल संसाधनों (ऑडियो, वीडियो, इंटरएक्टिव, इमेज, ई–बुक्स, चार्ट, मैप्स आदि) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है। एनआरओईआर को ऑनलाइन (http://nroer.gov.in/w Welcome) और ऑफ़लाइन (स्कूल सर्वर) दोनों तरीके से डिजाइन किया गया है। अब तक कुल 13,635 फाइलें जिनमें 401 संग्रह, 2721 दस्तावेज, 565 इंटरैक्टिव, 1664 ऑडियो, 2581 चित्र और 6105 वीडियो अपलोड किए गए हैं।

रिपॉजिटरी वर्तमान में छठी से दसवीं कक्षा तक की अवधारणाओं को होस्ट करती है और जल्द ही विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और कला शिक्षा में कक्षा I से XII तक की कक्षाओं का आयोजन करेगी। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईईटी) सहित विभिन्न एजेंसियों से ऑडियो, वीडियो और इंटरैक्टिव संसाधनों का एक स्थिर प्रवाह स्थापित किया गया है।इसके अलावा, एसआईईटी–बिहार और ओडिशा द्वारा उत्पादित कार्यक्रमों को क्यूरेट किया गया है और अपलोड किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 450 सदस्य कोर टीमें स्थापित की गई हैं और सभी कोर टीमों को एनआरओईआर गतिविधियों के लिए उन्मुख किया गया है। शिक्षकों और शिक्षक–शिक्षकों के लिए एनआरईआर (36 राज्यों में 450 एमआरपी/केआरपी को कवर करते हुए) पर नौ क्षमता निर्माण कार्यक्रम और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक कोर ग्रुप का संचालन किया गया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को

एनआरओईआर पर संसाधनों का योगदान करने और अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए ओईआर बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये टीमें एनआरओईआर के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय गतिविधियों को सक्रिय रूप से आयोजित कर रही हैं, विशेषकर उनकी भाषाओं में अनुवाद। एनआरओईआर पर शिक्षकों, रुचि समूहों, स्कूलों और पार्टनर शोकेस पर नया खंड बनाया गया है। भागीदारों में विज्ञान प्रसार, सीसीआरटी, गांधी स्मृति और दर्शन समिति, एससीईआरटी, एसआईईटी, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, आईटी फॉर चेंज, अमेज इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, विद्याऑनलाइन, एकलव्य, अरविंद गुप्ता टॉयज, श्यामची आईफाउंडेशन, आदि हैं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के भाग के रूप में, सीआईईटी, एनसीईआरटी छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के विकास के लिए काम कर रहा है। अब तक, इन 20 पाठ्यक्रमों के स्वयम प्लेटफॉर्म (swayam-gov-in) पर 22 ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित और लॉन्च किए गए हैं, जो ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए हैं।एक कोर्स सामान्य उपयोगकर्ताओं (छात्रों, शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों और माता–पिता) के लिए है, अर्थात, स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य और पोषण।' एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन स्कूल एजुकेशन' का पाठ्यक्रम स्वयम पर अपलोड और लॉन्च किया गया था। इन 22 पाठ्यक्रमों के लिए 32,000 से अधिक छात्र पंजीकृत थे।

पिण्डिक्स मोबाइल ऐप

पिण्डिक्स प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रदर्शन संकेतक के लिए एक मोबाइल ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप की रेटिंग 5 में से 4.8 है और सभी में, 35,000 उपयोगकर्ताओं ने गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया है। ई–पाठशाला की ब्रांडिंग की गई है। चार उप ऐप– पिण्डिक्स (टीचर्स सेल्फ असेसमेंट), किशोरमंच (24×7) डीटीएच–टीवी चैनल), परख (आईसीटी स्कीम का असेसमेंट) और एनएएस (अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट) भी विकसित किया गया है।

स्कूल शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूल के शिक्षकों के लिए 87 राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कारों की स्थापना की है, जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम और विषय शिक्षण में प्रभावी ढंग से और तकनीकी रूप से एकीकृत प्रौद्योगिकी द्वारा छात्र अधिगम को बढ़ाया है।वर्ष 2017–18 के लिए, 43 शिक्षकों को आईसीटी पुरस्कार के लिए चुना गया है।

शिक्षा में जेंडर संबंधी समस्याएं

एनसीईआरटी लड़कियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों, चिंताओं और समस्याओं को देखता है और लड़कियों की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। अनुसंधान अध्ययन अर्थात लड़कियों की छात्रावास योजना की स्थितिः माध्यमिक चरण में अनुसूचित जाति (एससी) की लड़कियों पर केंद्रित एक खोजपूर्ण अध्ययन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना (एनटीएसएस) में लड़कियों की भागीदारी और प्रदर्शनः एक दृष्टिकोण से अस्थायी अध्ययन जेंडर समानता के परिप्रेक्ष्य से शिक्षा और कौशल विकास पर जेंडर अंतर विश्लेषण और नीति अनुसंधान – भारत और कोरिया का तुलनात्मक अध्ययन।परिषद ने जेंडर समानता और सशक्तीकरण पर शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तीन संस्करणों में विकसित की है जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है।शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर दक्षिणी क्षेत्र के एसटी केंद्रित क्षेत्रों से मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करने के लिए माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में एसटी समुदायों से संबंधित लड़कियों की शिक्षा से संबंधित जेंडर मुद्दों पर शिक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित किया गया था।

वोकेशनल शिक्षा

पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पीएसएससीआईवीई), भोपाल, एनसीईआरटी की एक घटक इकाई, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने में एमएचआरडी की सहायता करती है। यह राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को स्कूलों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परामर्श भी प्रदान करता है।

संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में 100 कार्य भूमिकाओं के लिए पाठ्यक्रम और छात्र पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक पुस्तिकाओं का विकास किया है। अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम के सीएसएस के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की पेशकश की व्यावसायिक विषयों के लिए विकसित किया गया है ।जिन क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम और छात्र कार्यपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैंः कृषि, पर्यटन और आतिथ्य, परिधान, मेक अप और सामान, निजी सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, हेल्थकेयर, खुदरा, आईटी—सक्षम सेवाएं, मोटर वाहन, प्लंबिंग, निर्माण, मीडिया और मनोरंजन, बैंकिंग, वित्त और बीमा, दूरसंचार और बिजली ।इन क्षेत्रों में विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गईं।ये पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं और सॉफ्ट कॉपी एनसीईआरटी (http://ncert.nic.in/vocational/vocational.htm) और पीएसएससीआईवीई (http://www.psscive.ac.in) की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। (stud_text_book-html)। शिक्षण—अधिगम की सुविधा के लिए रोजगार कौशल की ई— लर्निंग सामग्री भी विकसित की गई है।

2018—19 के दौरान, घटक इकाई, पीएसएससीआईवीई, भोपाल ने विभिन्न कार्य भूमिकाओं के एनएसक्यूएफ अनुरूप योग्यता पैक (क्यूपी) के लिए छात्र पाठ्यपुस्तकों और शिक्षक पुस्तिकाओं के विकास के लिए आठ कार्यकारी समूह बैठकें आयोजित कीं। संस्थान ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, गुजरात, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की योजना के कार्यान्वयन पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। 2018—19 के दौरान केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, दमन और दीव, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश हरियाणा, और गोवा के व्यावसायिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पूर्व—सेवा शिक्षक शिक्षा

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरऔर नेरी,उमिअम में स्थित एनसीईआरटी की शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थानों में नियमित रूप से पूर्व सेवा पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। (i) चार वर्षीय एकीकृत बी.एससी. बी.एड. (ii) दो वर्षीय एम.एससी. (जीवन विज्ञान) शिक्षा (iii) चार वर्षीय एकीकृत बीए बीएड, (iv) दो वर्षीय बी.एड., (v) दो वर्षीय एम.एड. (vi) एक वर्षीय एम.फिल.शिक्षा और (vii) पूर्व पीएचडी पाठ्यक्रम है। शिक्षा और मार्गदर्शन और में एक साल के डिप्लोमा कोर्स में परामर्श केन्द्रों पर आयोजित की जाती हैं। प्री—सर्विस कोर्स गतिविधियों के घटक के रूप में छात्रों के लिए बहु सांस्कृतिक प्लेसमेंट, इंटर्नशिप—इन—टीचिंग, समुदाय के साथ काम करना और फील्ड वर्क का आयोजन किया गया। आरआईई में पीएचडी कार्यक्रम के लिए भी सुविधाएं हैं और आरआईई, भुवनेश्वर को शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए और शिक्षा में प्री—पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

समावेशी शिक्षा

सभी के लिए शिक्षा की एक समावेशी प्रणाली का कार्यान्वयन प्रणालीगत सुधारों के लिए अधिक महत्व रखता है, विशेष रूप से सामाजिक रूप से वंचित और विकलांगता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में। परियोजनाएं 'दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में दृश्य प्रभाव के साथ छात्रों की भाषा समझ पर आधारित श्रव्य पठन (आईसीटी के प्रभाव का एक अध्ययन'), 'महाराष्ट्र राज्य में माध्यमिक विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा में प्रशिक्षण का प्रभाव', 'विकास देश में कठिन इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का रोडमैप 'ए' समावेशी स्कूलों के लिए सूचकांक का अद्यतन संस्करण 'ए' समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाएँ' हैं।

अल्पसंख्यक सेल गतिविधियाँ

परिषद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 'अल्पसंख्यक सेल' की मेजबानी करती है। अल्पसंख्यक सेल की गतिविधियों के तहत, परिषद हर साल दो बैठकें आयोजित करती है। 3 अक्टूबर 2018 को आरआईई, भुवनेश्वर में अल्पसंख्यक सेल की एक बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, भारत में अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर राज्य संसाधन समूह/प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए जागरूकता–सह–प्रशिक्षण कार्यक्रम नेरी, उमियाम में 18 से 20 सितंबर 2018 तक,आरआईई भुवनेश्वर में 3 से 5 अक्टूबर 2018 तक और आरआईई भोपाल में 10 से 12 दिसम्बर 2018 को आयोजित किए गए थे।

योग ओलंपियाड

एनसीईआरटी स्कूलों में योग को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी पहल कर रहा है। योग ओलंपियाड 'ऐसी ही एक पहल है। स्वास्थ्य पर योग के लाभों और स्वस्थ आदतों के समग्र विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2016 में पहली बार 'योग ओलंपियाड' का आयोजन किया गया था।इस वर्ष के लिए 'राष्ट्रीय योग ओलंपियाड' का आयोजन 18 से 20 जून, 2018 को नई दिल्ली में किया गया था। विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक चरणों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूली छात्रों को ओलंपियाड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। योजना के अनुसार योग ओलंपियाड का आयोजन स्कूल से लेकर ब्लॉक, जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया गया। छात्रों ने पांच योग प्रथाओं पर एक टीम के रूप में प्रतिस्पर्धा की: आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंध और मुद्रा। ओलंपियाड का विषय 'स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए योग' था जिसमें 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और आरईआई के छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया था।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना 1963 से एनसीईआरटी द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य हर साल दो–स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चयनित छात्रों की पहचान करना और उनका पोषण करना है। एनटीएसएस प्रतिभाशाली छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी मदद करता है और उनके लिए पोषण कार्यक्रम भी संचालित करता है। वर्ष 2018 के दौरान मई 2018 में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 1027 छात्रों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिसमें 787 सामान्य, 161 एससी और 79 एसटी श्रेणियां शामिल थीं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग (आईआरडी), एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी की भूमिका के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। ये

गतिविधियाँ, मोटे तौर पर एनसीईआरटी और एजेंसियों और संस्थानों के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान की सुविधा के लिए हैं; एनसीईआरटी और विदेश में इच्छुक एजेंसियों और संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की सुविधाजनक बनाती हैं। वर्ष के दौरान 24 मई 2018 को विदेश मामलों के मंत्रालय से कोरिया गणराज्य के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, में कोरिया गणराज्य दूतावास में परामर्शदाता सुश्री सो यॉनपार्क के साथ, नई दिल्ली में एनसीईआरटी का दौरा किया था। उन्होंने एनसीईआरटी और क्रिवेत, कोरिया के बीच व्यावसायिक क्षेत्र में सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए एनआईई, नई दिल्ली, पीएसएससीआईवीई, और प्रिंसिपल, आरआईई, भोपाल के अन्य संकाय सदस्यों के साथ निदेशक, एनसीईआरटी और आईआरडी प्रमुख के साथ बैठक की ।

दक्षिण एशिया में शिक्षक प्रशिक्षण में एसडीजी 4.7 और वैश्विक नागरिकता शिक्षा एकीकरण पर चार दिवसीय यूनेस्को उप–क्षेत्रीय बैठक एनआईई, नई दिल्ली में 26 से 29जून 2018 को आयोजित किया गया था। कोरियाई व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण शोध संस्थान की ओर से में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरिया–भारत व्यावसायिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए 14 से 24 अगस्त 2018तक एनसीईआरटी का दौरा किया। एनसीईआरटी निदेशक प्रोहृषिकेश सेनापति के नेतृत्व में, एकचार सदस्यीय टीम ने कोरिया गणराज्य का 29 मई से 5 जून, 2018 तक दौरा किया कोरिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे की पूर्व संध्या पर आगे की पहल कोरियाई अध्ययन के अकादमी (एकेएस) के समक्ष उठाये जाने के लिए, क्रिवेत और विशेष शिक्षा के कोरियाई राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएसई) के प्रावधानों के तहत एकेएस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और कोरियाई सहायता के लिए एनसीईआरटी में एक मॉडल व्यावसायिक स्कूल स्थापित करने की भावी योजना को मजबूत किया।

प्रोहृषिकेश सेनापति, निदेशक, एनसीईआरटी के नेतृत्व में एनसीईआरटी से चार सदस्यीय टीम ने कर्टिन विश्वविद्यालय के साथ, इसके प्रावधानों को आगे बढ़ाने के लिए अनुमोदित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु 1 से 5 जुलाई 2018तक ऑस्ट्रेलिया दौरा किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 2 जुलाई 2018को मेलबोर्न में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार,श्री प्रकाश जावडेकरजी की उपस्थिति में कर्टिन विश्वविद्यालय के कुलपति, निदेशक के साथ किया गया।

प्रकाशन और प्रसार

एनसीईआरटी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, पूरक पाठकों, शिक्षक मार्गदर्शकों, प्रयोगशाला पुस्तिकाओं, मूल्यांकन पर स्रोत पुस्तकों, गणित में अनुकरणीय समस्याओं, शोध रिपोर्टों/मोनोग्राफ और शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ जारी है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा एनसीईआरटी पुस्तकों को अपनाने/अनुकूलन और अनुवाद के लिए, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ शासित राज्यों के अनुरोध पर कॉपीराइट अनुमति दी जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों, तिब्बती स्कूलों और देश के सभी राज्यों एवं विदेश के विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयों से संबद्ध विद्यालयों में भी इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

इस वर्ष, परिषद क्यूआर कोड का उपयोग करके, सक्रिय पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशन में लाने की प्रक्रिया में है। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में विभिन्न एनसीईआरटी प्रकाशनों की लगभग छह करोड़ प्रतियां जिनमें

पाठ्यपुस्तक, पूरक पठन सामग्री, शिक्षकों की हैंडबुक, स्रोत पुस्तकें, शोध रिपोर्ट और छह शैक्षिक पत्रिकाएं शामिल हैं, हर साल प्रकाशित की जाती हैं। गैर–पाठ्य सामग्री के अलावा, I से XII तक की विभिन्न कक्षाओं के लिए 364 से अधिक पाठ्य पुस्तकें हर साल छपती हैं। एनसीईआरटी विश्व पुस्तक मेले, दिल्ली पुस्तकमेला, कोलकाता पुस्तक मेला, राजधानी पुस्तक मेला आदि जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक मेलों में भी भाग लेता है। एनसीईआरटी ने 'लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंटरी स्टेज' नामक दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिसकी प्रतियां एसपीडी के सभी शिक्षा सचिवों, और एससीईआरटी के निदेशकों को भेजी गई थीं।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ, 'प्रथमिक शिक्षक '(हिंदी में) और 'प्राथमिक शिक्षक' (अंग्रेज़ी में) देश भर के स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को अपने अनुभव और नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करती हैं। एनसीईआरटी शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, शोधकर्ताओं और शिक्षा के साथ संबधित अन्य व्यक्तियों के लिए विचारों के प्रसार के लिए भारतीय शिक्षा के जर्नल' और 'भारतीय आधुनिक शिक्षा', 'भारतीय शैक्षिक समीक्षा' और 'स्कूल ऑफ साइंस' भी 'प्रकाशित करता है। परिषद द्वारा बच्चों के लिए प्रारंभिक कक्षाओं अर्थात कक्षा I और II के लिए 'फिरकी बच्चों की '(एक अर्ध–वार्षिक पत्रिका), को भी प्रकाशित किया जाता है। एमएचआरडी की एक पहल 'वॉयस ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स' नामक ऑनलाइन पत्रिका को अब एनसीईआरटी द्वारा समन्वित किया जा रहा है। यह हमारी आवाज, विचारों और शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रशासकों, शोधकर्ताओं, आदि के लिए एक नेटवर्क प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करना चाहता है। परिषद द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्पर्श नक्शा पुस्तक तैयार की गई है। डेज़ी प्रारूप में हिंदी और अंग्रेजी में स्पर्श मानचित्र पुस्तक का ऑडियो संस्करण भी एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है। परिषद ने वेदपारिजात (वैदिक साहित्य पर परिचयात्मक पुस्तक), वातायनम (संस्कृत कथाओं का ऑडियो) वातायनम (संस्कृत कहानियों का वीडियो) और छंदो विलास (संस्कृत छंदों का वीडियो) के साथ पूरक पुस्तक और ऑडियो–विजुअल सामग्री भी जारी की।

एनसीईआरटी ने 'स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा' में कक्षा IX (अंग्रेजी) और कक्षा VI (अंग्रेजी और हिंदी) पाठ्यपुस्तकों में और उच्च प्राथमिक (VI से VIII) कक्षा VI की सामग्री और माध्यमिक चरणों (IX और X) अर्थात, योगः जीवन का एक स्वस्थ मार्ग (उच्च प्राथमिक चरण) और योगः स्वस्थ रहने का तरीका (माध्यमिक शिक्षा) के लिए 8 वीं अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की।

उपरोक्त के अलावा, इस तरह के रूप में कुछ सामान्य प्रकाशनों जैसे वीर गाथाः परमवीर चक्र से सम्मानित की कहानियां, भारतः सांस्कृतिक विविधता में एकता, एक ग्रीन स्कूल की ओरः संसाधन पुस्तक और पूर्वोत्तर भारतः लोग, इतिहास और संस्कृति भी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित किया गया है ।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

सीबीएसई देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और इसे सुलभ, सस्ती और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।भौगोलिक प्रसार के मामले में सीबीएसई भारत का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड है।यह देश में शिक्षा की गुणवत्ता, संकाय के शैक्षणिक सशक्तीकरण और सभी परीक्षाओं के सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से निकाय और संबद्ध स्कूलों का संचालन करने वाली परीक्षा है।

बोर्ड परीक्षा

बोर्ड अपने संबद्ध स्कूलों के लिए कक्षा X और XII की परीक्षा आयोजित करता है जिसमें लगभग 27 लाख छात्र हर साल मार्च से अप्रैल के दौरान शामिल होते हैं। बोर्ड जुलाई–अगस्त के महीनों के दौरान कम्पार्टमेंट परीक्षा भी आयोजित करता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, सीबीएसई की सभी प्री और पोस्ट परीक्षा प्रक्रियाएं ऑनलाइन हैं।

2018 में कक्षा दसवीं बोर्ड परीक्षा की बहाली

2017–18 से कक्षा X बोर्ड परीक्षा के हितधारकों (प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों) की प्रतिक्रिया के आधार पर; कक्षा X के लिए योजना–I (स्कूल आधारित) और योजना–II (बोर्ड आधारित) परीक्षा के लिए परीक्षा की दोहरी योजना को बंद कर दिया गया था।

बोर्ड परीक्षा 2018 की विशेषताएं

	कक्षा X	कक्षा XII
परीक्षा की अवधि	05 मार्च से 04 अप्रैल 2018	05 मार्च से 26 अप्रैल 2018
परिणाम घोषणा की तिथि	29 मई 2018	26 मई 2018
स्कूलों की संख्या	17567	11510
केंद्रों की संख्या	4460	4145
उपस्थित अभ्यर्थी	1624682	1106772
अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए	1408594	918763
% उत्तीर्ण	86.70%	83.01
% लड़के उत्तीर्ण	85.32%	78.99
% लड़कियां उत्तीर्ण	88.67%	88.31
उत्तीर्ण % दिव्यांग अभ्यर्थी	92.55	87.52

बोर्ड परीक्षा –2019 की तैयारी

सीबीएसई ने फरवरी 2015 के उत्तरार्ध में कौशल शिक्षा (व्यावसायिक) और संबंधित विषयों के लिए बोर्ड परीक्षा 2019 पहले कराने का निर्णय लिया, ताकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कॉलेजों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रवेश के लिए कट–ऑफ तिथि निर्धारित करते हुए पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को ध्यान में रखा जा सके।

कक्षा	परीक्षा की तिथि
कक्षा XII	15 फरवरी 2019 से 04 अप्रैल 2019 तक
कक्षा X	21 फरवरी 2019 से 29 मार्च 2019

सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे हितधारकों की जानकारी के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

व्यावसायिक/प्रतियोगी परीक्षाएँ

क) जेईई (मेन) – 2018: ऑफ़लाइन परीक्षा पूरे भारत में और विदेशों में 08 अप्रैल 2018 (कलम– कागज आधारित मोड में) को 113 शहरों में आयोजित की गई थी और ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 15 और 16 अप्रैल 2018 (कंप्यूटर आधारित मोड में) को किया गया।

<u>जेईई (मुख्य) 2018 परीक्षा सांख्यिकी</u>

पेपर – I

विवरण	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	ट्रांसजेंडर	संपूर्ण
पेपर 1 के लिए पंजीकृत कुल उम्मीदवार	815005	320077	2	1135084
ऑफलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार	639205	258559	2	897766
ऑफलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए अभ्यर्थी	615242	242321	1	857564
उम्मीदवारों ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकरण किया	175800	61518	--	237318
उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए	161716	55039	--	216755
जेईई (एडवांस्ड) में शामिल होने के लिए पात्र अभ्यर्थी	180331	50693	--	231024
जेईई (मुख्य) –2018 जेईई के रैंक/परिणाम की घोषणा की तारीख			30 अप्रैल, 2018	

पेपर – II

विवरण	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	ट्रांसजेंडर	संपूर्ण
पेपर – 2 के लिए पंजीकृत कुल उम्मीदवार	81934	64083	--	146017
ऑफलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी उपस्थित हुए	68846	53697	--	122543
पेपर 2018 के रैंक/ परिणाम के घोषणा की तारीख	द्वितीय जेईई (मुख्य)		30 मई, 2018	

ख) यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जुलाई – 2018

7 वीं यूजीसी नेट परीक्षा की मुख्य विशेषताएं	
परीक्षा की तिथि	08 जुलाई 2018
शहरों की संख्या	91
विषयों की संख्या	84
पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या	1148235

7 वीं यूजीसी नेट परीक्षा की मुख्य विशेषताएं	
दोनों पत्रों में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या	859498
सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या	55872
(इसमें जेआरएफ के लिए योग्य उम्मीदवार भी शामिल हैं)	
जेआरएफ उत्तीर्ण उम्मीदवार और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्र दोनों	3929
परिणाम घोषणा की तिथि	31 जुलाई 2018

ग. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) (यूजी) – 2018

नीट– यूजी 2018 विशेषताएं		
उम्मीदवार	**संख्या**	**टिप्पणियां**
पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या	13,26,725	**नीट, 2017 से 16.49% की वृद्धि**
उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या	1269922	95.71%
अनुपस्थित उम्मीदवारों की संख्या	56803	(4.28% अनुपस्थित)
भारतीय नागरिक	13,23,673	99.78%
एनआरआई	1842	00.13%
ओसीआई	529	00.04%
पीआईओ	60	2017 से 9 उम्मीदवार कम
विदेशी	621	00.04%
पुरुष	5,80,649	43.76%
महिला	7,46,075	56.23%
ट्रांसजेंडर	1	2017 से 7 कम
अन आरक्षित	4,84,480	36.51%
अनुसूचित जाति	1,81,217	13.66%
अनुसूचित जनजाति	80,868	6.09%
अन्य पिछड़ा वर्ग	5,80,160	43.73%

नीट– यूजी 2018 विशेषताएं		
उम्मीदवार	संख्या	टिप्पणियां
शहरों की संख्या	136	2017 से 32% अधिक
भाषाओं की संख्या	11	.
केंद्रों की संख्या	2255	17.38% (334 अधिक)
कमरों की संख्या	5,60,000+	-
पर्यवेक्षक की संख्या	1,50,000+	-
प्रेक्षकों की संख्या	4500+	-
शहर समन्वयकों की संख्या	153	23.38%

पंजीकृत उम्मीदवारों की भाषा वार संख्याः

भाषा	पंजीकृत अभ्यर्थी	टिप्पणियां
अंग्रेज़ी	10,60,923	79.96%
हिंदी	1,46,542	11.04%
तेलुगू	1,997	00.15%
असमिया	3,848	00.29%
गुजराती	57,299	04.31%
मराठी	1,169	00.08%
तामिल	24,720	01.86%
बंगाली	27,437	03.02%
कन्नड़	818	02.06%
ओड़िया	279	00.02%
उर्दू	1,711	0.13%
अंग्रेजी और हिंदी	12,07,465	91.02%
क्षेत्रीय भाषा	1,19,260	08.98%

नीट (यूजी) –2018 परिणाम सांख्यिकी (04 जून, 2018 को घोषित परिणाम)

वर्ग	पंजीकृत उम्मीदवार	शामिल हुए	अनुपस्थित	उत्तीर्ण
पुरुष	5,80,649	5,53,849	26,800	3,12,399
महिला	7,46,075	7,16,072	30,003	4,02,162
ट्रांसजेंडर	1	1		1
कुल	13,26,725	12,69,922	56,803	7,14,562

उम्मीदवारों की परीक्षा में अर्हता का विवरण नीट –यूजी, 2018 के न्यूनतम योग्यता मानदंडों के आधार पर है:

वर्ग	योग्यता मानदंड	मार्क्स रेंज	उम्मीदवारों की संख्या
अन्य	50 वाँ परसेंटाइल	691-119	6,34,897
अन्य पिछड़ा वर्ग	40 वाँ परसेंटाइल	118-96	54,653
अनुसूचित जाति	40 वाँ परसेंटाइल	118-96	17,209
अनुसूचित जनजाति	40 वाँ परसेंटाइल	118-96	7446
यूआर और पीएच	45 वां परसेंटाइल	118-107	205
ओबीसी और पीएच	40 वाँ परसेंटाइल	106-96	104
एससी और पीएच	40 वाँ परसेंटाइल	106-96	36
एसटी और पीएच	40 वाँ परसेंटाइल	106-96	12
		कुल	7,14,562

योग्य उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	पंजीकृत	शामिल हुए	उत्तीर्ण
जम्मू और कश्मीर	24103	23085	12515
हिमाचल प्रदेश	12954	12295	7528
पंजाब	15606	14825	9774
चंडीगढ़	1344	1309	940
उत्तराखंड	12570	12075	7070
हरियाणा	30542	29476	21398
दिल्ली	28463	27666	20397
राजस्थान	82000	79057	58738
उत्तर प्रदेश	132835	128329	76778
बिहार	66071	63003	37899
सिक्किम	820	785	383
अरुणाचल प्रदेश	3763	3475	1402
नगालैंड	2171	2045	600
मणिपुर	6070	5780	3651
मिजोरम	1398	1292	526
त्रिपुरा	3283	3150	1496
मेघालय	2760	2515	1049
असम	24622	23108	9931
पश्चिम बंगाल	58159	55888	32741

राज्य का नाम	पंजीकृत	शामिल हुए	उत्तीर्ण
झारखंड	15337	14838	9039
ओडिशा	33658	32301	19600
छत्तीसगढ़	25148	23773	10919
मध्य प्रदेश	48774	46406	23638
गुजरात	74115	72351	32625
दमन और दीव	301	294	100
दादरा और नगर हवेली	466	454	187
महाराष्ट्र	182218	177353	70184
आंध्र प्रदेश	51229	49253	35732
कर्नाटक	94808	85288	54163
गोवा	3611	3338	1526
लक्षद्वीप	342	313	155
केरल	114214	108907	72682
तमिलनाडु	1200000	114602	45336
पुडुचेरी	4573	4462	1768
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	942	912	453
तेलंगाना	46245	44877	30912
अन्य	1210	1042	727
कुल	1326725	1269922	714562

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नवंबर 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में अनुमोदित किया गया था। सीबीएसई द्वारा पहले जेईई (मेन), एनईईटी (यूजी), यूजीसी–नेट की तरह परीक्षा भी एनटीए द्वारा आयोजित की जाएगी।

घ. 11वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) 2018

CTET का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कक्षा I-VIII के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का 11वां संस्करण सीबीएसई द्वारा 09 दिसंबर 2018 (रविवार) को देश भर के 92 शहरों में 2296 केंद्रों पर आयोजित किया गया था।

कुल पंजीकृत अभ्यर्थी	पेपर–1 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी	पेपर–2 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी	पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी	ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी	दिव्यांग अभ्यर्थी
16,91,088	12,56,098	10,66,728	7,12,071	9,78,818	199	33,107

आवेदक	संख्या
केंद्रों की संख्या (पेपर–1)	2144
केंद्रों की संख्या (पेपर–2)	1892
शहर समन्वयकों की संख्या	100
केंद्र पर्यवेक्षकों की संख्या	2296
पर्यवेक्षकों की संख्या	3208
अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	730

डिजीलॉकर खातों के माध्यम से पात्रता प्रमाणपत्र और अंकपत्र :

सीबीएसई ने वर्ष 2018 से शुरू करके अभ्यर्थियों के डिजीलॉकर खाते में डिजिटल प्रारूप में 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के अंकपत्र और सफल अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किए। आईटी अधिनियम के अनुसार, अंकपत्र और पात्रता प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और कानूनी रूप से वैध होते हैं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंकपत्र और पात्रता प्रमाणपत्र में एन्क्रिप्टेड क्यूआर कोड होता है। डिजीलॉकर मोबाइल ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन और सत्यापित किया जा सकता है।

सीटेट के परिणाम 4 जनवरी 2019 को 25 दिनों के रिकॉर्ड समय में घोषित किए गए थे। प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए पहली बार 3 लाख से अधिक उम्मीदवार पात्र पाए गए।

सीटेट 2018 परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण :	
प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए पात्र आवेदक (1–5)	17%
माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए पात्र आवेदक (6–8)	15%

सीबीएसई द्वारा सीटीईटी की अगली परीक्षा 7 जुलाई, 2019 को आयोजित की जाएगी।

अन्य परीक्षाएं

जेएनविएसटी (जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा)

वर्तमान में, 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवि) हैं। शैक्षिक सत्र 2019–20 के लिए जेएनवि की कक्षा–6 में प्रवेश के लिए जेएनवि चयन परीक्षा 6 अप्रैल, 2019 को सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में आयोजित की जाएगी।

केविएस भर्ती परीक्षा

सीबीएसई ने प्रधानाचार्य, उप–प्रधानाचार्य, पीजीटी,

टीजीटी, और पीआरटी पदों के लिए केविएस की ओर से भर्ती परीक्षा आयोजित की।

ये परीक्षाएँ केविएस द्वारा प्रदान किए गए पैटर्न, परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई। सीबीएसई की भूमिका इस परीक्षा के संचालन तक सीमित थी जबकि चयन के तरीके और पात्रता शर्तों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार केविएस का होता है।

दिल्ली में 03.11.2018 को परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित 23 केवीएस स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और उप–प्रधानाचार्यों के पदों के लिए परीक्षा का प्रथम चरण आयोजित किया गया।

दिल्ली में केंद्रों की संख्या	कुल पंजीकृत अभ्यर्थी	प्रधानाचार्य के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी	उप प्रधानाचार्य के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी
23	22033	10214 (एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी सहित)	11819 (एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी सहित)

पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी जैसे अन्य पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का दूसरा चरण 22 और 23 दिसंबर, 2018 को 36 शहरों में आयोजित किया गया था।

संबद्धता

31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार पूरे विश्व में बोर्ड से संबद्ध कुल स्कूलों की संख्या 21,263 स्कूल थी।

सीबीएसई से संबद्ध स्कूल (21263)

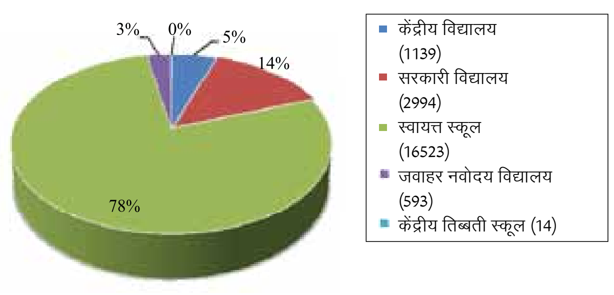

संबद्धन उपनियमों का संशोधन

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने गति, पारदर्शिता, बाधा–मुक्त प्रक्रियाओं और सीबीएसई के साथ कार्य करने में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु 18 अक्टूबर 2018 को नए सीबीएसई संबद्धता कानून जारी किए।

मुख्य विशेषताएँ:

- ❖ प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु अत्यधिक जटिल प्रक्रियाओं से सरलीकृत प्रणाली में बड़ा बदलाव।
- ❖ पूर्व में, आरटीई अधिनियम और एनओसी के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए सीबीएसई और राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती थी। राज्य शिक्षा प्रशासन स्थानीय निकायों, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग आदि से प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न प्रमाणपत्रों का सत्यापन करते हुए और आवेदन प्राप्त होने के बाद सीबीएसई उन्हें पुनः सत्यापित करता है।
- ❖ पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, स्कूलों के लिए संबद्धता हेतु आवेदन करते समय पहले की तरह 12–14 दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के स्थान पर केवल दो दस्तावेज जमा करने अपेक्षित होते हैं। जिला शिक्षा प्रशासन के प्रमुख द्वारा पुनरीक्षित एक दस्तावेज, जिसमें भवन सुरक्षा, स्वच्छता, भू–स्वामित्व, आदि जैसे सभी पहलुओं को वैधता प्रदान की गई है, और दूसरा एक स्व–शपथ पत्र जिसमें स्कूल द्वारा ऐसे फीस मानदंडों, बुनियादी ढाँचे के आदि के अनुपालन को सत्यापित किया गया है।
- ❖ इस बड़े बदलाव के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा निरीक्षण के दौरान, राज्य द्वारा पुनरीक्षित किसी भी पहलू की पुनः जांच नहीं की जाएगी और

दस्तावेजों की जांच और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने में होने वाले विलम्ब में भारी कमी आएगी।

- स्कूलों का निरीक्षण अब स्कूल के बुनियादी ढांचे पर ही ध्यान केंद्रित करने के बजाए परिणाम आधारित और अधिक शैक्षणिक और गुणवत्ता–उन्मुखी होगा। निरीक्षण के दौरान समय गुजरने के साथ–साथ छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता और प्रगति, नवाचारों और शिक्षापद्धति की गुणवत्ता, शिक्षकों की क्षमता और शिक्षक–प्रशिक्षण, स्कूलों में समावेशी प्रथाओं, सह–स्कूल क्रियाकलापों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- आवेदन करने से लेकर निरीक्षण करने और संबद्धता प्रदान करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- इसमें शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। यहां तक कि प्रत्येक स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के लिए भी वार्षिक आधार पर दो दिन के अनिवार्य प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है।
- उन विशिष्ट स्कूलों को जिन्हें इन नियमों में कहीं भी शामिल नहीं है तथा जो कौशल विकास, खेल, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में अभिनव विचारों को क्रियान्वित कर रहे हैं, उन्हें शामिल करने के लिए नवाचारी स्कूलों की एक विशेष श्रेणी बनाई गई है।
- इन नियमों में स्कूलों को सौर ऊर्जा के उपयोग, वर्षा जल संचयन, परिसर को हरा–भरा बनाने, पुनर्चक्रण एवं कचरे के पृथक्करण, परिसर में स्वच्छता आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

पुनर्निर्मित ऑनलाइन संबद्ध स्कूल सूचना प्रणाली (ओएसिस)

ऑनलाइन संबद्धता के सभी नए आवेदनों के लिए पुनर्निर्मित ऑनलाइन स्कूल संबद्धता और निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई।

शैक्षणिक क्रियाकलाप

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा और अद्यतनीकरण

कक्षा X बोर्ड को पुनः प्रारंभ करने के साथ ही, सत्र 2017–18 में, माध्यमिक स्तर के 62 विषयों के पाठ्यक्रम को मूल्यांकन की नई संरचना के अनुरूप बदला गया। इसके अलावा, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के 82 विषयों के पाठ्यक्रमों की भी समीक्षा की गई और जहाँ आवश्यक हुआ, अद्यतन किया गया।

व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

पिछले दशक से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीसीएस), अपने से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण और सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करता है।

सीबीएसई ने स्कूल के शिक्षकों और प्रशासकों की सतत व्यावसायिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना की है।

शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के कार्यक्रमों ने सहयोगात्मक रूप से सीखने, विचारों के विनिमय, शिक्षा पद्धति में नए घटनाक्रम के बारे में नए विचारों को आत्मसात करने, कक्षाओं में परस्पर संवाद को मजबूत बनाने एवं स्कूलों में अधिगम वालों के लिए शैक्षिक अनुभवों की प्रकृति में सुधर करने में सक्रिय मंचों की भूमिका अदा की है।

वर्ष 2018 में, पूरे देश में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) द्वारा 769 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 39972 शिक्षकों ने भाग लिया।

विज्ञान प्रदर्शनी

विज्ञान प्रदर्शनी, बोर्ड द्वारा एनसीईआरटी के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नवाचार की भावना को जगाने और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनों को दिखाने हेतु स्कूलों को एक साझा मंच प्रदान करना है। वर्ष 2018–19 के लिए आयोजित सीबीएसई विज्ञान प्रदर्शनी का विषय 'जीवन में चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान था'।

ऑनलाइन संचालित 18वीं सीबीएसई विरासत भारत प्रश्नोत्तरी

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए, सीबीएसई 2001 से एक अंतर–स्कूल प्रतियोगिता के रूप में विरासत इंडिया प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह एक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है, जो शहर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों में आयोजित की जाती है।

सीबीएसई विरासत इंडिया प्रश्नोत्तरी का 18वां संस्करण पूरे भारत और विदेशों में 20 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था। लगभग 1400 स्कूलों ने सेमी–फाइनल के लिए प्रतियोगिता के प्रथम चरण में भाग लिया था। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रश्नोत्तरी और 1100 से अधिक स्थानों पर एक साथ ऑनलाइन आयोजित की गई। ऑनलाइन विरासत प्रश्नोत्तरी का परिणाम 01 जनवरी, 2019 को घोषित किया गया और इसके सेमीफाइनल और फाइनल जनवरी, 2019 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किए गए।

समावेशी शिक्षा

सीबीएसई, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक केंद्रित तरीके से काम करता है। स्कूलों की और दिव्यांग छात्रों के अभिभावकों की दिन–प्रतिदिन की शिकायतों का समाधान करने के अलावा, समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ विभिन्न अक्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर सहभागी बनाने के उद्देश्य से सीबीएसई के उत्कृष्टता केंद्रों को सक्रिय सहयोग देता है। दिव्यांग छात्रों के लिए बोर्ड का नीति दस्तावेज तैयार कर लिया गया है तथा स्वयम पोर्टल पर शुरू करने के लिए प्रस्तावित समावेशी शिक्षा पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रक्रियारत है।

सीबीएसई, विकलांग आवेदकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता के कारण विकलांग जन अधिकार अधिनियम –2016 में यथा परिभाषित और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2018 को कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जारी बेंचमार्क विकलांगता, 2018 के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु दिशानिर्देश और कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है।

शारीरिक शिक्षा और खेल

सीबीएसई अंतर स्कूल खेल और खेल प्रतियोगिताओं को 24 विषयों में क्लस्टर, जोनल और राष्ट्रीय स्तरों पर 230 स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष, लगभग 3 लाख छात्रों ने विभिन्न खेल आयोजनों में भाग लिया।

वर्ष 2018 में पहली बार, स्कूलों ने खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए और प्रतिभागियों को विशिष्ट पहचान संख्या के साथ पंजीकृत करने के लिए, सीबीएसई स्पोर्ट्स वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया। खेल प्रतियोगिताओं के बाद, सीबीएसई स्पोर्ट्स वेबसाइट पर परिणाम भी अपलोड किए गए।

स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाना:

सीबीएसई ने सत्र 2018–19 से संबद्ध स्कूलों में खेल आदि के लिए अनिवार्य रूप से प्रतिदिन एक घेरा (पीरियड) निर्धारित करके माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल किया है।

स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा अध्यक्ष, सीबीएसई को बधाई पत्र का प्रेषण

बोर्ड के प्रयासों की सराहना करते हुए, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी यह विचार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष सीबीएसई को बधाई दी कि खेल एक बड़ी क्षमता रखता है और एक व्यक्ति के व्यापक विकास में भूमिका निभाता है।

SACHIN TENDULKAR

Dear Ms. Karwal,

Thank you,

Sachin Tendulkar

सीबीएसई द्वारा प्रतिभा–विकस के लिए गति का निर्धारण

वर्ष 2018 में, खेल में प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के सीबीएसई के एक विशेष अभियान के फलस्वरूप निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम का अनुपालन करने की परंपरागत पद्धति से छुटकारा मिला।

भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा पुष्टि किए जाने पर सीबीएसई ने बाद की तारीखों में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए बारहवीं कक्षा के तीन छात्रों और दसवीं कक्षा के चार छात्रों को विशेष अनुमति दी। सभी छात्रों ने संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीते जिनमें उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इस तरह अनुमति दिए जाने को एक नीतिगत निर्णय बनाने और यह सुविधा उन सभी छात्रों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैए जिनके सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदत्त किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी के समय निर्धारित है, ताकि छात्र भारत के प्रतिनिधियों के रूप में भाग ले सकें।

स्कूलों में कौशल विकास

अन्य अग्रणी संस्थानों के सहयोग से बोर्ड ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित कीं। ये कार्यक्रम देश में विभिन्न स्थानों पर वित्तीय बाजार प्रबंधन, यात्रा और पर्यटन, विपणन और बिक्री कार्यों, कार्यालय सचिव संबंधी कामकाज तथा आशुलिपि और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में आयोजित किए गए और इनमें 288 शिक्षकों ने भाग लिया।

कक्षा IX से कक्षा XII के लिए व्यावसायिक विषयों में कुल 25 पाठ्य–पुस्तकें तैयार की गईं।

कक्षा XI और XII के लिए आशुलिपि और कंप्यूटर अनुप्रयोग, कार्यालय सचिव संबंधी कामकाज के पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया।

डिजिटल पहलें

परीक्षार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा पूर्व और परीक्षा पश्चात कार्रवाई के फलस्वरूप सभी क्षेत्रों के परिणामों को एक साथ और निर्धारित तिथियों से पहले घोषित किया गया।

अध्यापक–प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के डेटाबैंक का ऑनलाइन संग्रह

कक्षा X और XII की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का डेटा एकत्र करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है।

परीक्षा केंद्र की अवस्थिति का पता लगाने वाला (एग्जाम सेंटर लोकेटर–ईसीएल) एप्प

यह मोबाइल ऐप सीबीएसई परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विकसित किया गया है ताकि वे रोल नंबर दर्शाकर गूगल मानचित्र पर अपने परीक्षा केंद्रों का पता लगा सकें। इसमें केंद्र तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा मार्ग जानने में और केंद्र तक पहुंचने के लिए अपेक्षित समय को कम करने में भी सहयोग मिलता है।

टीईटीआरएः थ्योरी इवैल्यूएशन ट्रेंड एनालिसिसः यह वास्तविक समय मूल्यांकन निगरानी आधारित एक निर्णय सहायता पद्धति है। बोर्ड ने इस ऑनलाइन प्रणाली का इस्तेमाल किया था। इस प्रणाली के माध्यम से थ्योरी इवैल्यूएशन ट्रेंड की कल्पना, विश्लेषण और निगरानी की जा सकती है।

ऑनलाइन परीक्षा केंद्र प्रबंधन प्रणाली (ओईसीएमएस)

इस ऑनलाइन प्रणाली का विकास परीक्षा केंद्रों से संबंधित सूचनाओं (वास्तविक समय में) जैसेकि प्रश्न पत्रों के वितरण का समय, अनुपस्थिति, पीडब्ल्यूडी, स्क्राइब, अनुचित साधनों, मधुमेह से पीड़ित छात्रों, प्रश्नपत्र (पत्रों) के बारे में प्रतिक्रिया, उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग और प्रेषण एवं पर्यवेक्षकों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए किया गया था।

ई–थ्योरी (आर–2.0): सीएनएस को बैग आवंटन एवं मूल्यांकन की निगरानी तथा नोडल केंद्रों से प्राप्त थ्योरी अंकों के प्रश्नवार अपलोड करने हेतु सिस्टम के लिए विधिमान्य जांच और स्वतः जोड़ने (ऑटो–टोटलिंग) की विशेषता से युक्त, एक पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया था। कक्षा X – XII के लिए लगभग 15 मिलियन थ्योरी डेटा प्राप्त हुआ था।

ई–प्रैक्टिकल (आर–2.0): ई–प्रैक्टिकल पोर्टल को प्रैक्टिकल–परीक्षकों के प्रबंधन और निगरानी एवं स्कूलों द्वारा प्रैक्टिकल का अंक डेटा अपलोड करने के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया था। सभी संभावित विधिमान्य जांच के साथ लगभग 5 मिलियन प्रैक्टिकल डेटा ऑनलाइन प्राप्त हुआ था।

आईएपीएक्स– कक्षा x के लिए ऑनलाइन आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्ट्रिकल अंक संग्रहः स्कूलों द्वारा, सभी संभव विधिमान्य जांच के साथ कक्षा–x के आंतरिक मूल्यांकन अंकों के प्रबंधन और संग्रह के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया था। लगभग 9 मिलियन त्रुटि रहित डेटा समय पर प्राप्त हुआ था।

केंद्रों का सीधा प्रसारणः

पहली बार, 10 चैनलों पर वर्ष 2018 की परीक्षाओं के दौरान केंद्रों का सीधा प्रसारण (प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक) किया गया।

आउटलायर सिस्टम (आर 2.0): परिणामों की घोषणा से पहले के चरण में बेमेल अंकों के मामलों की व्यापक सीमा का पता लगाने के लिए, इस प्रणाली को पुनः निर्मित और कार्यान्वित किया गया।

ऑनलाइन पुनर्जांच/फोटोकॉपी/पुनर्मूल्यांकन प्रणाली (आर 2.0):

उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराने और कक्षा X और XII दोनों की परीक्षाओं के सत्यापन पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकार करने हेतु आवेदन के वास्तविक समय मोड में ऑनलाइन स्थिति की सुविधा सहित एक पूर्ण ऑनलाइन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई थी।

परिणाम मंजूषा– सीबीएसई ऑनलाइन एकेडमिक रिपोजिटरीः एनईजीडी के तकनीकी सहयोग से विकसित अपनी तरह का पहला

नियोक्ताओं और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा सत्यापन के लिए वर्ष 2004 से 2018 तक का कक्षा X और XII (6 करोड़ से अधिक परीक्षार्थियों) का परिणाम डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया।

- ❖ छात्र अपने शैक्षणिक पुरस्कार जैसेकि अंकपत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र भी इस रिपोजिटरी के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
- ❖ प्रत्येक छात्र को शैक्षणिक दस्तावेज डिजिटल लॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ❖ लगभग **3 करोड़** छात्रों ने इस रिपोजिटरी से अपने शैक्षणिक पुरस्कार डाउनलोड किए हैं।
- ❖ लगभग 300 शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं ने शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पंजीकरण किया है।

सीबीएसई डिजिटल लॉकर

कक्षा X और XII के छात्रों के **लगभग 80 लाख डिजिटल** लॉकर खोले जा चुके हैं और इनमें क्यूआर कोड के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अंकतालिकाएं, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र और उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष, छात्रों को परिणामों की घोषणा के दिन ही डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज प्रदान किए गए थे।

एनक्रिप्टेड क्यूआर कोड युक्त डिजिटल अंकपत्र

विदेश मंत्रालय के ई–सनद के साथ सीबीएसई शैक्षणिक रिपोज़िटरी का एकीकरण

सीबीएसई शैक्षणिक रिपोजिटरी "परिणाम मंजूषा" को उच्च अध्ययन या रोजगार के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए विदेश मंत्रालय के **'ई–सनद'** पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

परिणामों का प्रसारः

परिणाम नेशनल क्लाऊड (एनडीसी) और उमंग मंच पर प्रदर्शित किए गए थे। साथ ही एनआईसी एसएमएस गेटवे का उपयोग करके आईवीआरएस, एसएमएस के माध्यमों से सर्च इंजनों–बिंग और गूगल पर, डिजिटल लॉकर और सीबीएसई की अपनी शैक्षणिक रिपॉजिटरी (परिणाम मंजूषा) के माध्यम से प्रदर्शित किए गए थे। प्रमाणित स्कूल के मेल पते पर भी विद्यालयवार परिणाम उपलब्ध कराए गए।

सीबीएसई ने बाढ़ से प्रभावित केरल में स्कूलों और छात्रों को डिजिटल दस्तावेज प्रदान किए

एक विशेष पहल के रूप में, सीबीएसई ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के उन छात्रों को डिजिटल अंकपत्र, स्थानांतरण प्रमाणपत्र और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र प्रदान किए, जिनके बोर्ड की परीक्षाओं के शैक्षणिक दस्तावेज केरल में बाढ़ आ जाने के कारण खो गए थे या क्षतिग्रस्त हो गए थे। केरल में सीबीएसई से संबद्ध 1,300 से अधिक स्कूल थे।

संबद्धता की प्रक्रिया में सहयोग दिया गयाः उपरोक्त के अलावा, यह भी तय किया गया था कि संबद्धता के विस्तार और उन्नयन के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि स्कूल पिछले पांच वर्षों से चल रहा हो और स्कूल के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो। केरल के संबद्ध स्कूलों के लिए ऑनलाइन संबद्ध स्कूल सूचना प्रणाली (ओएसिस) में स्कूलों की जानकारी प्रस्तुत करने की आखिरी तिथि भी बढ़ा दी गई थी।

ओएसिस (आर–2.0) (ऑनलाइन संबद्ध स्कूल सूचना प्रणाली)

संस्करण 2.0 को यूडाईस सूचना के साथ जोड़ा गया, जिससे यह 9–भाग वाला प्रारूप हो गया, जिसमें स्कूल की बुनियादी जानकारी, स्कूल की तस्वीरें और वीडियो, संकाय का विवरण, छात्रों का विवरण, स्कूल में पढ़े जाने वाले विषय, अवसंरचनात्मक विवरण, अवस्थिति का विवरण, शुल्क संरचना, वेतन विवरण, शिक्षक और गैर–शिक्षक कर्मचारियों का विवरण और अतिरिक्त जानकारी (यूडाईस सूचना) दी गई है।

ओएसएएमएस (ऑनलाइन स्कूल संबद्धता एवं निगरानी प्रणाली)

आवेदन जमा करने से लेकर उसके अंतिम निपटान तक की पूरी प्रणाली को स्वचालित बनाकर कार्यान्वित किया गया है। इसमें निरीक्षण रिपोर्टों की प्रस्तुति, वास्तविक समय के आधार पर संबद्धता आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन उपलब्धता संबंधी जानकारी दी गई है और पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है।

संबद्धता, स्कूलों और केंद्रों के लिए उपग्रह–चित्र आधारित निर्णयः उपग्रह मानचित्र पर स्कूलों की अवस्थिति पर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली शुरू की गई है।

प्रशिक्षण पोर्टल (प्रशिक्षण)

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण पोर्टल भी विकसित किया गया है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए भी पोर्टल विकसित किया गया है, जहां वे सीबीएसई के उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा आयोजित किए जा रही विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षक पुरस्कार प्रणाली

पहली बार, उद्देश्यपरक और पारदर्शी तरीके से सीबीएसई शिक्षकों के पुरस्कारों का डेटा एकत्र करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई।

शिराकरण – एक सिंगल विंडो सिस्टम

फ़ाइलों और डाक के शीघ्र निपटान हेतु एक सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया था। आरओ/विभाग/इकाइयाँ, सीबीएसई इस पर संबंधित हितधारकों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुरोध अपलोड करती हैं और विभाग उनके उत्तर देकर अपने पास लंबित अनुरोध का निपटान करके मामले को बंद करता/करते हैं। आरओ/विभाग ऐसे अनुरोधों का अन्य विभागों को भी अग्रेषित करते हैं। संबंधित विभाग द्वारा अनुरोध का निपटन करके मामले को बंद किए जाने पर आवेदक को बंद किए जने के पूर्ण विवरण सहित एक स्वचालित ईमेल प्राप्त होगा। एक रिपोर्ट जनरेशन मॉड्यूल है जिसमें प्रत्येक आरओ/विभाग है और उसके पास लंबित मामले को विवरण दिया गया है जिसमें सभी अनुरोधों पर निगरानी रखने में मदद मिलती है।

आयोजन और कार्यक्रम

गुण गौरव सम्मान समारोह 2018 का तीसरा आयोजन

गुण गौरव सम्मान समारोह का तीसरा आयोजन 4 जून, 2018 को राजधानी में आयोजित किया गया, इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के कक्षा XII के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सम्मानित किया था।

सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालयों के विविध, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के 67 मेधावी छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कठिनाइयों और सफलता की अपनी अनूठी कहानियों को साझा किया।

शिक्षकों को सीबीएसई पुरस्कार

देश और विदेश में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के तैंतीस (3) शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को वर्ष 2017–18 के लिए कक्षा–शिक्षण में शिक्षा और नवाचारों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सीबीएसई पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मेरिट स्कालरशिप स्कीम

सीबीएसई ने एमएचआरडी द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के अंतर्गत 3850 पुरस्कार प्रदान किए गए और एकल बालिका तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को दुसरे पुरस्कार भी प्रदान किए गए। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	योजना	छात्र की सं.
1.	एकल बालिका – X (नवीनतम)	1343
	एकल बालिका – X (नवीकरण)	1500
2.	एससी/एसटी के लिए बोर्ड की मेरिट स्कालरशिप– कक्षा X और XII 2018	कक्षा X के लिए 23 कक्षा XII के लिए @25
3.	केंद्रीय क्षेत्र योजना (नवीनतम)	3580
	केंद्रीय क्षेत्र योजना (नवीकरण)	4238

योग्यता प्रमाणपत्र

2017–18 में जारी योग्यता प्रमाणपत्रों की सं.	
कक्षा XII 2018 के योग्यता प्रमाणपत्रों की कुल संख्या	14,152
कक्षा X 2018 के योग्यता प्रमाणपत्रों की कुल संख्या	18,625

सीबीएसई परामर्श सेवा

सीबीएसई ने इस अग्रणी सामुदायिक कार्य को 1998 में 22 वर्ष पूर्व टेली–काउंसलिंग के साथ शुरू किया था। सीबीएसई शायद देश का एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो X और XII के परीक्षार्थियों को बहुविध तरीकों से मनोवैज्ञानिक परामर्श देता है। टेली–काउंसलिंग दुनिया भर में स्थित सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और प्रधानाचार्यों द्वारा की जाती है। यह प्रतिभागियों द्वारा दो चरणों परीक्षा पूर्व (फरवरी – अप्रैल) और परिणाम पश्चात (मई – जून) में प्रदान की जाने वाली स्वैच्छिक एवं निःशुल्क सेवा है है।

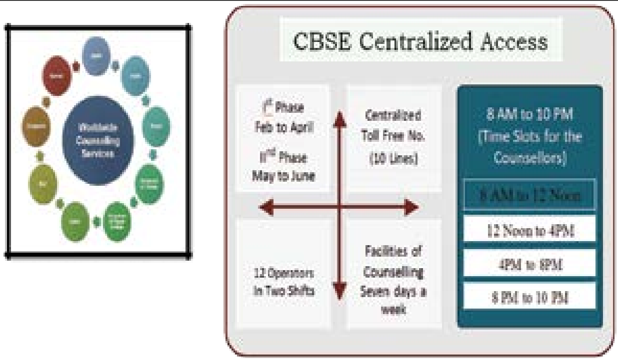

रिपोर्ट की अवधि (2018) के दौरान, भारत में केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 118 स्वयंसेवी प्राचार्यों, परामर्शदाताओं, विशेष शिक्षकों और अन्य देशों के 38 छात्रों ने सहभागिता की एवं छात्रों और अभिभावकों को निःशुल्क सेवा प्रदान की गई थी।

छात्रों, माता–पिता, शिक्षकों और अधिकाधिक लोगों के लिए सीबीएसई वेबसाइट पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के रूप में सहायक सामग्री, परीक्षा से संबंधित तनाव से निपटने हेतु सुझाव अपलोड किए गए थे।

ट्विटरः सोशल मीडिया की उपयोगिता और विस्तार को देखते हुए दिनांक 16.04.2018 को सीबीएसई ट्विटर हैंडल “cbseindia29” तैयार किया गया था और इसका सीबीएसई संबंधी जानकारी का प्रसार

करने में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। बोर्ड के आज 8945 नए अनुयायी हैं। बोर्ड द्वारा कुल 140 ट्वीट पोस्ट किए गए थे।

विस्तारित सार्वजनिक जवाबदेही और व्यवस्थित प्रगति

बोर्ड जन–शिकायतों के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाता है। एक सेवा–उन्मुखी संगठन होने के नाते, सीबीएसई ने बोर्ड की पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अपने अभियान में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र और सूचना प्रदायगी प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ दिया है। बोर्ड ने ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) पोर्टल को भी सक्रिय बनाया है, जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

जनवरी से दिसंबर 2018 तक निपटाई गई कुल शिकायतें और आरटीआई	
	निपटान किए गए
शिकायत के मामले (ऑनलाइन)	4228 में से 4099
आरटीआई मामले (ऑनलाइन और ऑफलाइन)	6889 में से 6599
आरटीआई अपीलें (ऑनलाइन और ऑफलाइन)	1016 में से 943

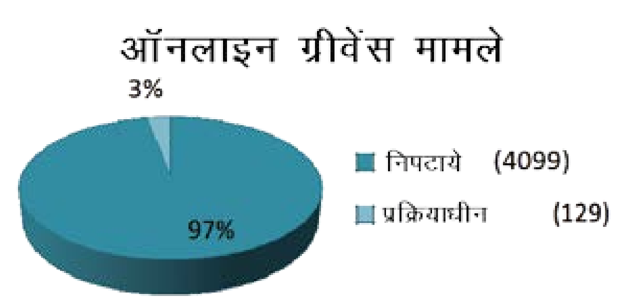

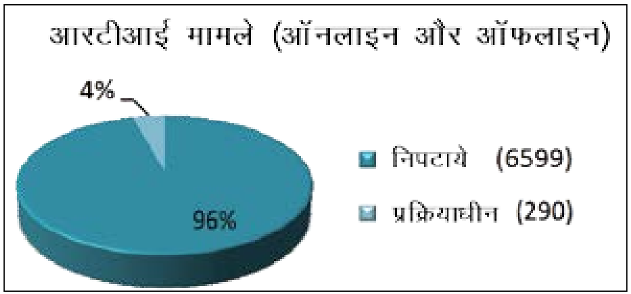

बोर्ड से संबंधित सार्वजनिक प्रश्नों के निपटान के लिए नियमित आधिकारिक ई–मेल के अलावा, मार्च के महीने में दो नए ई–मेल info.cbse और examhelp.cbse भी बनाए गए थे। मार्च से मई, 2018 तक लगभग 11255 ई–मेल प्रश्नों पर तुरंत कार्रवाई की गई और छात्रों/अभिभावकों को व्यक्तिगत रूप से संतोषजनक उत्तर दिए गए।

2018 से निपटाए गए कुल ई–मेल

ई–मेल	निपटाए गए कुल ई–मेल	शामिल की गई अवधि
info.cbse	24626	(मार्च से दिसंबर 2018)
examhelp.cbse	5300	(मार्च से जून 2018)
		यह ई–मेल बंद कर दिया गया है

त्वरित कार्रवाई किए जाने और समस्याओं को हल करने के लिए जनता से लगभग **1595 बधाई मेल** भी प्राप्त हुए।

राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत, एक स्वायत्त निकाय है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। राष्ट्रीय बाल भवन का मुख्यालय मंडीगाँव में जवाहर बाल भवन नई दिल्ली में स्थित है और पूरी दिल्ली में अवस्थित 50 बाल भवन केंद्र राष्ट्रीय बाल भवन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी) 5–16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने में योगदान दे रहा है, विशेष रूप से उन बच्चों में जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं। बच्चे अपनी पसंद की गतिविधियों जैसे शारीरिक शिक्षा, रचनात्मक कला, विज्ञान शिक्षा, साहित्यिक गतिविधियाँ, प्रदर्शन कला, फ़ोटोग्राफ़ी, गृह प्रबंधन, प्रकाशन, संग्रहालय तकनीक इत्यादि का आनंदपूर्ण तरीके से अध्ययन कर सकते हैं।कार्यक्रमों को बच्चों की जन्मजात प्रतिभा और क्षमता का पता लगाने और उन्हें आत्म–अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय बाल भवन और संबद्ध राज्य स्तरीय बाल भवन व्यक्तिगत मतभेदों पर आधारित किसी भेदभाव के बिना समान अवसरों को अपनाकर सभी बच्चों को सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय बाल भवन शहरी और ग्रामीण भारत में विशेष/विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देता है। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक दायित्व का संवर्धन करने और समाज के विभिन्न स्तरों से बच्चों के सामाजिक–समावेशन के लिए बच्चों के शिविर आयोजित किए जाते हैं।

कार्यः

1. विभिन्न गैर–औपचारिक तकनीकों, लर्निंग बाइ डूइंग, कार्यशालाओं, सेमिनार, शिविरों और सम्मेलनों आदि के आयोजन के माध्यम से रचनात्मकता का पोषण, संवर्धन और इसे बनाए रखने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना और कार्यान्वित करना।
2. जवाहर बालभवन, मंडी, दिल्ली में 50 बालभवन केंद्रों और निधियों के विचलन के साथ देश भर में संबद्ध बालभवन और बालभवन केंद्रों से परियोजना प्रस्तावों के प्रसंस्करण की कार्यप्रणाली की निगरानी करना।
3. बच्चों के हित में अन्य सरकारी/अर्ध सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोगी कार्यक्रम आयोजित करना।
4. बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न विषयों पर दिल्ली और अन्य स्थानों में राष्ट्रीय स्तर के शिविर, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना।
5. विभिन्न देशों से प्राप्त सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के लिए आमंत्रणों को संसाधित करना और देश भर के बाल भवन केबच्चों को शामिल करना।

जवाहर बाल भवन, मंडी

साठ के दशक के बीच में, जवाहर बाल भवन (जेबीबी) की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की गई थी। मंडी में जवाहर बाल भवन का विस्तार इसी योजना का भाग था। इस योजना में शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प, सिलाई, काष्ठ–कला, मिट्टी के बर्तन बनाना, नृत्य एवं संगीत शामिल हैं। जनवरी, 2019 तक जेबीबी मंडी की सदस्यता 1011 है। ग्रामीण बच्चों के लिए रचनात्मक लेखन कार्यशाला आयोजित की गई। 9 फरवरी 2019 को मंडी दिवस मनाया गया जिसमें जिसमें 300 से

Reception

अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर रचनात्मक लेखन कार्यशाला के परिणाम पर प्रकाशित एक पुस्तक भी जारी की गई थी जिसमें बच्चों द्वारा लिखे गए लेख, कविताएं, कहानियां शामिल थीं।

बाल भवन केंद्रः– दिल्ली के विभिन्न स्कूलों में 50 बीबीके स्थित हैं जहां स्थानीय क्षेत्रों के बच्चे कला और शिल्प, चित्रकला, सुई शिल्प, संगीत और नृत्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी) वार्षिक कार्यकलाप 2018–19

- एनबीबी के विभिन्न अनुभागों द्वारा अब तक 100 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं।
- दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 6500 छात्रों ने दिसंबर 2018 तक राष्ट्रीय बाल भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से स्कूलों ने भाग लिया है।
- राष्ट्रीय बाल भवन में 5133, जवाहर बाल भवन, मंडी में 1015, दिल्ली में 49 बाल भवन केंद्रों में 8230 बाल सदस्य हैं।
- 160 प्रशिक्षु एनटीआरसी और फोटोग्राफी में प्रशिक्षित किए गए हैं।
- एक लाख से अधिकविजिटर ने बाल भवन का दौरा किया।
- बाल भवन में एमएचआरडी, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के कार्यक्रमः –एक भारत श्रेष्ठ भारत, हिंदी पखवाड़ा,सतर्कता सप्ताह, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई योजना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस,राष्ट्रीय स्वछता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। भारत भर के राज्य बालभवन भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रेरित हुए। पूरे वर्ष गांधीजी के भजन के गायन, लेखन, कठपुतली, गांधी दर्शन की यात्रा आदि जैसी गतिविधियों के साथ महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का उत्सव मनाया गया।
- राष्ट्रपति भवन में तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रम में एनबीबी की गायन और नृत्यमंडलियों को अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- पंचतंत्र गैलरी में कहानी सुनाने वाले सत्र। ग्रीष्म कालीन उत्सव, एनसीए और कला उत्सव के दौरान गतिविधि वर्गों की प्रदर्शनी गौरव गाथा, सूर्य आदि की स्थायी दीर्घाओं के माध्यम से निर्देशित पर्यटन।
- विभिन्न वर्गों में बच्चों द्वारा बनाए गए लेखों को स्मारिका की दुकान में मामूली कीमत पर बेचा जाता है। विभिन्न वर्गों में तैयार सामग्रियों से बनी वस्तुओं को महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उपहार दिए जाते हैं।
- फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत का 105 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज एनबीबी को उपहार में दिया गया था और 15 अगस्त 2018 को फहराया गया था।
- खेल सुविधा को उन्नत बनाया गया है और जिंदल फाउंडेशन की एक सीएसआर पहल द्वारा इनमें एक शूटिंग रेंज को जोड़ा गया है।
- आईआरसीटीसी के जीएम श्री लोहानी द्वारा भाप इंजन का नवीनीकरण और उद्घाटन किया गया था।

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

सीटीएसए की योजना को भारत सरकार द्वारा 1961 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में अनुमोदित किया गया था और इसका कार्यान्वयन 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। बाद में, शिक्षा मंत्रालय भारत

सरकार द्वारा सीटीएसए को स्वायत्त निकाय के रूप में, स्थापित किया गया था और निम्नलिखित अधिदेश के साथ जुलाई 1961 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (XXI) के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था:

I) तिब्बती शरणार्थी बच्चों और/या वयस्कों के शिक्षण और/या प्रशिक्षण के लिए तिब्बती स्कूलों और संस्थाओं की स्थापना तथा भारत में अन्य संगठनों द्वारा स्थापित तिब्बती स्कूलों या संस्थाओं जिन्हें इसके बाद स्कूल या संस्थाएं बनाया गया है, का प्रशासन और प्रबंधन करना;

II) देश के दूरदराज और अविकसित स्थानों में रहने वाले बच्चों सहित तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए स्कूल प्रदान करना, रखरखाव, नियंत्रित और प्रबंधन करना जिन्हें इसके बाद "तिब्बती केंद्रीय विद्यालय" कहा गया है, और वे सभी कार्य करना जो ऐसे स्कूलों के संवर्धन के लिए लिए आवश्यक और अनुकूल हैं;

III) स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और गति बढ़ाना;

IV) सीटीएसए स्कूलों में शिक्षा अनुशासन, बोर्डिंग और लॉजिंग, स्वास्थ्य और स्वच्छता और छात्रों और कर्मचारियों की सामान्य प्रगति को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करना और किसी ऐसी एसोसिएशन, सोसायटी या निकाय से स्कूलों की संबद्धता प्राप्त करना जो ऐसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार कराने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करता है।;

V उचित लेखा–जोखा और अन्य संगत रिकॉर्ड रखना और तुलन पत्र सहित ऐसे प्रपत्र में वार्षिक लेखा–जोखा का विवरण तैयार करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो;

VI केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित सोसायटी के लेखे को ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार को भेजना;

VII ऐसी सभी वैध कृत्यों, कार्यों या चीजों को करना जो उपरोक्त किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक या अनुकूल हों।

सीटीएसए की अवसंरचना

केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन एक छोटा संगठन है और इसकी स्कूल इकाइयाँ पूरे देश में फैली हुई हैं। वर्तमान में देश भर में स्थित 06 मध्य तिब्बती स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 वीं तक के लिए 1860 छात्र अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती स्कूलों के प्रशासन का द्वितीय स्तरीय प्रबंधन है अर्थात इसका मुख्यालय और तिब्बतियों के लिए केंद्रीय विद्यालय। सीटीएसए में 125 शिक्षण श्रेणी कर्मचारी और 104 गैर शिक्षण श्रेणी कर्मचारी है।

वित्तीय प्रबंधन

निम्नलिखित वित्तीय मानकों को ध्यान में रखकर सीटीएसए की वित्तीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण और निगरानी की जाती है: –

➢ भारत सरकार ने भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक को सीटीएसए की लेखापरीक्षा का काम सौंपा है जिनकी ओर से लेखा परीक्षा महानिदेशक कार्यालय (केंद्रीय व्यय) द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ सीटीएसए, के प्रमाणित वार्षिक लेखे को निर्धारित अनुसूची के अनुसार संसद के दोनों सदन के पटल पर रखा जाता है।

➢ सीटीएसए स्कूल इकाइयों की वित्तीय गतिविधियों की देखरेख और निगरानी

सीटीएसए मुख्यालय द्वारा की जाती है और उनके लेखे वार्षिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं। यह सीएसटी स्कूलों का कार्य होता है कि वे आंतरिक साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

➢ सीटीएसए और उसकी सभी 06 स्कूल इकाइयां समय–समय पर यथासंशोधित वित्तीय नियमावली के उपबंधो, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सीवीसी दिशानिर्देशों अन्य वित्तीय निर्देशों का पालन करती हैं ताकि वित्तीय स्वामित्व बनाए रखा जा सके और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, स्वायत्त निकायों की अनुदान–सहायता के रूप में जारी करने से संबंधित जीएफआर में यथानिर्धारित मापदंडों और संपरीक्षित लेखे/निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मानदंडों का सीटीएसए द्वारा अनुसरण किया जाता है।

➢ सीटीएसए और उसके 06 स्कूल इकाइयों ने निधियों के प्रेषण की एकरूप पद्धति को अपनाया। वर्तमान में, निधि प्रेषण के समय को कम करने और निधियों की पार्किंग से बचने के लिए ई–ट्रांसफर अर्थात् एनईएफटी, आरटीजी आदि के माध्यम से अधिकांश प्रेषण किए जा रहे हैं। सीटीएसए मुख्यालय ने पहले ही पीएफएमएस में पंजीकरण करा लिया है और इसकी 06 स्कूल इकाइयों के मैपिंग/पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है।मानव संसाधन विकास मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार ''निधि आधारित लेखांकन'' को बंद करने के लिए सीटीएसए ने वर्ष 2013–14 से अपने वार्षिक लेखा को नए प्रारूप में तैयार करना शुरू कर दिया। इसके वित्तीय विवरणों को भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार "लेखा के क्रमिक आधार" पर तैयार किया जाता है और यह भी लागू लेखांकन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

पिछले 02 वर्षों में प्रमुख परिणाम:

➢ सीटीएसए देश भर के 1860 तिब्बती/भारतीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है।

➢ छात्रों को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से सतर्क करने के लिएमूल्य शिक्षा प्रदान की जाती है, योग और एरोबिक्स नियमित गतिविधियाँ हैं।

➢ एनसीईआरटी और अन्य संगठनों में शिक्षकों के लिए मूल्य आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहे हैं।

➢ अखिल भारतीय माध्यमिक विद्यालय और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में सीटीएसए स्कूल के छात्रों का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक रहा हैं। पिछले 02 वर्षों के दौरान सीटीएसए स्कूल इकाइयां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	X		XII	
	परिक्षा में शामिल छात्रा	उत्तीर्ण %	परिक्षा में शामिल छात्रा	उत्तीर्ण %
2018	418	82.06	453	91.61
2019	231	91.77	269	93.31

वर्तमान फोकस क्षेत्र और विकास

➢ स्कूलों की सुरक्षा, संरक्षा और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने/ करना।

➢ नवीनीकरण और सीएसटी स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना प्रदान करना।

➢ अकादमिक उत्कृष्टता और पाठ्येतर गतिविधियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना जारी रखना।

- संस्कृति के मजबूत घटक को शामिल करके अच्छी गुणवत्तापरक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, पर्यावरण मूल्य जागरूकता शामिल करना, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा।
- आवासीयों स्कूलों में सीएसटी के छात्रों के अवास के लिए छात्रावासों की स्थापना, विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना।
- समाज के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसी सभी चीजों को करना, जिन्हें आवश्यक, आकस्मिक, या अनुकूल माना जा सकता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान:

शैक्षिक विभाग के कार्यक्रम और गतिविधियां

- **प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा**

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोग्राम को एनआईओएस द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और प्रारंभिक स्तर पर अप्रशिक्षित सेवा कालीन शिक्षकों के लिए एनसीटीई द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर, यानी कक्षा I–VIII में पढ़ाने के लिए तैयार करना है।

लगभग 13.78 लाख अप्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों ने एनआईओएस के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया। वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से गुजर रहे थे। एमएचआरडी के स्वयम– द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफ़ॉर्म सहित शिक्षार्थियों को बहु पाठ्यक्रम प्रदाता चैनल उपलब्ध कराए गए थे। लगभग 12000 अध्ययन केंद्र समन्वयक और लगभग 54000 संसाधन व्यक्ति को डी.एल.एड. के एवीआईईडब्ल्यू वीसी और एफ2एफ के माध्यम से देश भर में आयोजित कार्यक्रम में उन्मुख किया गया।

पहली परीक्षा का आयोजन 31 मई, 1 जून और 2 जून, 2018 को किया गया। दूसरी परीक्षा का आयोजन 25 से 29 सितंबर, 2018 तक किया गया था। तीसरी परीक्षा 20 दिसंबर, 2018 से प्रस्तावित है। चौथी और अंतिम परीक्षा मार्च 2019 में आयोजित की गई थी। बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डी. एल.एड. कार्यक्रम एक अनूठी परियोजना थी और इसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। डी.एल.एड. कार्यक्रम के तहत आयोजित कुल 5 परीक्षाओं में कुल 11.98 लाख शिक्षार्थी उपस्थित हुए थे।

- **प्राथमिक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीडीपीईटी)**

बीएड के लिए प्रारंभिक शिक्षा का छह महीने का विशेष व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीडीपीईटी)। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार डिजाइन और विकसित किया गया है। वर्तमान में 10,8582 शिक्षक प्रशिक्षक को कार्यक्रम के तहत नामांकित किया गया था। **मार्च, 2019 में आयोजित परीक्षा के लिए 89000 शिक्षार्थियों का नामांकन किया गया था।**

- **एमओओसी का विकास**

एनआईओएस ने अपने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों की अध्ययन सामग्री के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) तैयार किया है। इस नई पहल के माध्यम से, एनआईओएस की इच्छा यह है कि शिक्षार्थियों को अध्ययन की सुविधा और स्वतंत्रता हो तथा वे कभी भी, कहीं भी, इन–बिल्ट सेल्फ–चेक अभ्यासों के माध्यम से स्व–मूल्यांकन भी कर सके। हालांकि, प्रमाणन के लिए, शिक्षार्थी "ऑन–डिमांड परीक्षा प्रणाली" के माध्यम से अपनी सुविधानुसार परीक्षा में पंजीकृत हो सकेंगे और लिख सकेंगे।

अभी तक, एनआईओएस ने माध्यमिक पाठ्यक्रमों के 14 विषयों और वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों के 16 विषयों में एमओओसी तैयार किए हैं। ई–कंटेंट में ऑडियो और वीडियो का पर्याप्त एकीकरण है, इस प्रकार तैयार किया गया पाठ्यक्रम www.swayam.gov.in पर उपलब्ध हैं।

- **दिव्यांगजनों के समावेशन में वृद्धि**

दिव्यांगजन, एनआईओएस के लिए प्राथमिकता वाले समूहों में से एक हैं। उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में उठाए गए सक्रिय कदमों के परिणामस्वरूप डीएआईएसवाई समर्थित टॉकिंग बुक्स शुरू की गई हैं।

एनआईओएस ने डीएआईएसवाई (डिजिटल एक्सेसिबल इनफार्मेशन सिस्टम) प्रारूप में माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए बात करने वाली पुस्तकों को विकसित किया है, जो विशेष रूप से दृष्टिहीनता खराब दृष्टि और वाकविकार सहित "मुद्रण अक्षमता" वाले लोगों के उपयोग के लिए तैयार की गई है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सबसे पसंदीदा संस्थान के रूप में उभरने की दृष्टि के साथ, एनआईओएस ने श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के लिए सम्प्रेषण और शिक्षा की सुविधा के लिए एक भारतीय संकेत भाषा (आईएसएल) शब्द कोश विकसित किया है। भारतीय सांकेतिक भाषा में माध्यमिक स्तर के 7 विषयों का अनुवाद किया गया है। माध्यमिक स्तर पर 120 विषयों में 70 इनसाईन लेंग्वेज विकसित किए गए हैं। माध्यमिक स्तर के विषयों में सांकेतिक भाषा में वीडियो प्रसारित करने के लिए एनआईओएस द्वारा ज्ञानामृत (डीटीएच चैनल 30) शुरू किया गया है।

समाज को एनआईओएस के बधिर शैक्षिक कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कोच्चि में आरोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

- **भारतीय सेना के लिए एनआईओएस शिक्षा परियोजना (एनईपीआईए)**

एनआईओएस ने भारतीय सेना के जवानों की शैक्षिक योग्यता और मानव संसाधन घटक (कोशेंट) के उन्नयन के लिए सेना शिक्षा कोर (एईसी) के साथ एनआईओएस शिक्षा परियोजना शुरू की गई जिसमें सैन्य इतिहास, सैन्य अध्ययन और शारीरिक शिक्षा और योग जैसे विषयों की शुरूआत की गई है।

- **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) केसाथ समझौता ज्ञापन**

एनआईओएस ने पाठ्यक्रमों को विकसित करने और एनआईओएस के माध्यम से सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विषय के रूप में सिंधी

भाषा को माध्यमिक स्तर के विषय के रुप में शामिल किया गया है।

- **भारतीय ज्ञान परम्परा**

  एनआईओएस ने वैदिक शिक्षा, संस्कृत भाषा और साहित्य, भारतीय दर्शन और प्राचीन भारतीय ज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत माध्यम में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए नए विषय 'भारतीय ज्ञान परम्परा' शुरू की है। संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री संस्कृत भाषा में तैयार की गई है। संस्कृत के पांच विषय नामतः संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य, अध्ययन, भारतीय दर्शन और संस्कृत व्याकरण तैयार किया गया है। मांग आधारित परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक का निर्माण शुरू किया गया है।

  'भारतीय ज्ञान परम्परा' के तहत ओबीई कार्यक्रम के लिए अंग्रेजी माध्यम में स्व–अधिगम सामग्री तैयार करने का काम भी शुरू किया गया है। एनआईओएस ने वेद विद्यालयों की मान्यता के लिए मानदंड बनाए हैं जहाँ पीसीपी का आयोजन किया जाएगा। एनआईओएस द्वारा वेद विद्यालयों की मान्यता के लिए अवसंरचना से संबंधित मानदंड तैयार किए गए हैं।

- **स्वयम और स्वयम प्रभा**

  'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (स्वयम) एचआरडी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और भारत और शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों जैसे पहुंच, समता और गुणवत्ता पर अमल करने के लिए बनाया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी लोगों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अधिगम संसाधन सुलभ कराना है।

स्वयम प्रभा 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीएसएटी–15 उपग्रह का उपयोग करके 24×7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। हर दिन, कम से कम (4) घंटे के लिए नई सामग्री होगी जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी, जिससे छात्रों को अपनी सुविधानुसार समय चुनने में मदद मिलेगी।

32 चैनलों में से, 05 चैनलों को एनआईओएस को सौंपा गया है। विवरण निम्न प्रकार हैः

- माध्यमिक के लिए चैनल नंबर 27 "पाणिनी" और
- वरिष्ठ माध्यमिक के लिए चैनल नंबर 28 "शारदा"
- 30 संकेत भाषा के लिए चैनल नंबर "ज्ञान–अमृत" (दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए)
- डी.एल.एड. कार्यक्रम के लिए चैनल नं 32 "वग्दा"
- क्षेत्रीय माध्यम असमिया, बंगला, तेलुगु और ओडिया के लिए चैनल नंबर 25

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम

एनआईओएस के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को कई औपचारिक स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों, मदरसों, तकनीकी संस्थानों, समुदाय आधारित प्रशिक्षण केंद्रों, विश्वविद्यालयों, पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्रों और कई फाउंडेशन, ट्रस्ट और स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ साझेदारी में प्रस्तुत किया जाता है। एनआईओएस व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के आदान–प्रदान के लिए मोड के रूप में प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों (एवीआई) कहे जाने वाली भागीदार संस्थाओं की अवसंरचना सुविधाओं का उपयोग करता है। अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार, एवीआई की संख्या 1500 से अधिक है।

विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय कुछ पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

शीर्ष पाठ्यक्रम पैन इंडिया 2018–19

ट्रेड	कुल
सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र	33000
कटिंग और टेलरिंग में प्रमाण पत्र	2177
सौंदर्य संस्कृति में प्रमाण पत्र	1729
पूर्व बाल देखरेख और शिक्षा में प्रमाण पत्र	1411
योग शिक्षक प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	1200
बुनियादी कम्प्यूटिंग में प्रमाण पत्र	610
कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाण पत्र	607
कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस बनाना	552
योग में प्रमाण पत्र	423
इलेक्ट्रिकल तकनीशियन	377
कैटरिंग मैनेजमेंट में प्रमाण पत्र	356

2018 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन

स्त्री–पुरुष –वार नामांकन

क्र.सं.	स्त्री–पुरुष	नामांकन	%
1	पुरूष	37409	62.34
2	महिला	22598	37.66
	कुल	**60007**	**100.00**

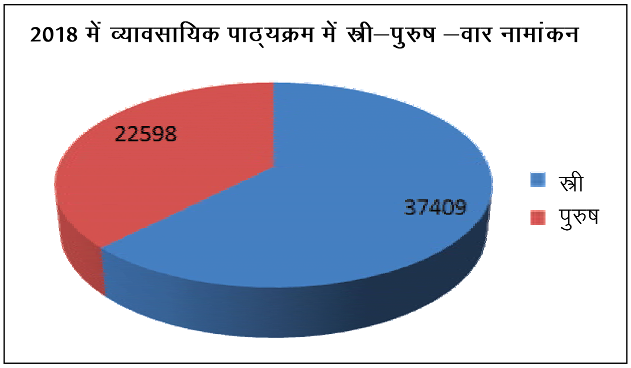

सौंदर्य संस्कृति, कटिंग एंड टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, पूर्व बाल देखरेख और शिक्षा, बेसिक कम्प्यूटिंग, कंप्यूटर अनुप्रयोग, योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जैसे कोर्स शिक्षार्थियों में लोकप्रिय हैं। 2018 में नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने पिछले तीन वर्षों से नामांकन में आई कमी को कम किया है।

एनआईओएस के पास प्रमाणन के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के एकीकरण की योजना है। एक शिक्षार्थी के पास प्रमाणन उद्देश्यों के लिए चार अकादमिक विषयों के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम को संयोजित करने का विकल्प होता है।वर्तमान में, माध्यमिक स्तर पर 15 व्यावसायिक विषय उपलब्ध हैं और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 23 व्यावसायिक विषय उपलब्ध हैं जिन्हें शैक्षिक विषयों के साथ जोड़ा जा सकता है।

सामग्री तैयार करना

व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्व–अधिगम सामग्री को सरकार और उद्योग दोनों से शैक्षिक और व्यावसायिक व्यक्तियों से युक्त विशेषज्ञ टीम की सहायता से स्व–स्थाने तैयार किया जाता है। सामग्रियों को लक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए कार्यशालाओं में विधिवत विचार–विमर्श किए जाने के बाद तैयार किया जाता है। अधिगम परिणामों के साथ मिलान के बाद सामग्री की प्रामाणिकता पर जोर दिया जाता है। स्टडी गाइड और ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल मैनुअल को

भी स्व–अधिगम सामग्री का हिस्सा बनाया जाता है। सामग्री द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में तैयार की जाती है। कुछ सामग्रियों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाता है। सभी एनआईओएस व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ के अनुरूप बनाया जा रहा है और परिणाम आधारित शिक्षण पर फोकस किया गया है।

वर्तमान में, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम छह महीने, एक वर्ष और 1 वर्ष के पैकेज पाठ्यक्रम और 1 वर्ष/2 वर्ष के डिप्लोमा कार्यक्रमों के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ये माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर भी प्रस्तुत किए जाते हैं। विभाग द्वारा 2018–19 के दौरान विकसित किए गए नए पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं:

- सौन्दर्य उपचार;
- बालों की देखभाल और स्टाइलिंग;
- हाथ और पैर की देखभाल;
- मधुमक्खी पालन;
- धान की खेती;
- मुर्गी पालन;
- आयुर्वेद सहायक;
- पंचकर्म सहायक;
- योग सहायक;
- वेब विकास;
- कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और रखरखाव;
- सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस और
- भारतीय कढ़ाई

ऊपर उल्लिखित सभी पाठ्यक्रम एनएसएफक्यू के दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा परिभाषित विभिन्न जॉब भूमिकाओं से जुड़े हैं।

एनएसएफक्यू अनुरूपी व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम

विभिन्न क्षेत्रों के कुल 22 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित और संरेखित किया गया। ये पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ के स्तर 3 या स्तर 4 से मेल खाते हैं। पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं:

- मधुमक्खी पालन में प्रमाण पत्र;
- मुर्गी पालन;
- धान की खेती;
- सौन्दर्य उपचार;
- हाथ और पैर की देखभाल;
- बालों की देखभाल और स्टाइलिंग;
- वेब विकास;
- सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस;
- कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबली और रखरखाव;
- चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा;
- मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा;
- भारतीय कढ़ाई;
- कम्प्यूटर अनुप्रयोग;
- बुनियादी कम्प्यूटिंग (संशोधन किया जा रहा है);
- नलसाज;
- मशरूम उत्पादन;
- सहायक इलेक्ट्रीशियन;
- योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- डेयरी संचालक;
- बुजुर्गों की देखभाल और
- कटिंग और सिलाई

हथकरघा बुनाई पाठयक्रम

बुनकरों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कपड़ा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 10 वीं कक्षा के प्रमाणन के दौरान हथकरघा बुनाई में दक्षता हासिल करने के लिए था। जो लोग बीपीएल, महिला और एससी/एसटी श्रेणियों के हैं, उनसे पाठ्यक्रम शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस योजना के तहत, शिक्षार्थी माध्यमिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए एक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ एक भाषा और तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम ले सकते हैं।

कपड़ा मंत्रालय ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया था। इस वर्ष डॉ. अश्मिंदर सिंह बहल, निदेशक (वोकेशनल), सुश्री अनीता नायर उप निदेशक और डॉ. प्रवीण चौहान, सहायक निदेशक ने जयपुर में चौथे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में भाग लिया। व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने आयोजन स्थल पर स्थापित स्टाल में बुनकरों के लिए अपनी सेल्फ लर्निंग सामग्री प्रदर्शित की। हथकरघा कार्यक्रम में बुनकरों के मौके पर प्रवेश भी किए गए।

(हमारे स्टाल पर बुनकरों की एक बड़ी सभा और डॉ. ए.एस.बहल, निदेशक एनआईओएस ने हैंडलूम बुनाई कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को जानकारी दी)

(कार्यक्रम में एनआईओएस स्टॉल)

हस्तशिल्प कारीगर कार्यक्रम

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान और वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त, हस्तशिल्प ने मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से हस्तशिल्प कारीगरों और उनके बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित लगभग 100 शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, वाराणसी और राष्ट्रीय मुक्त् विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सहयोग से आयोजित एक गहन 30 दिवसीय संपर्क प्रशिक्षण में कार्यात्मक अंग्रेजी, कार्यात्मक हिंदी और उद्यमिता के साथ–साथ भारतीय कढ़ाई शिल्प में प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षकों और मास्टर कारीगरों ने वाराणसी के हराहुआ और लाहंगपुरा दो केन्द्रों में शिक्षार्थियों के चार बैचों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। साक्षर शिक्षार्थियों के लिए भारतीय कढ़ाई संबंधी स्वयं सीखने की सामग्री को रिकॉर्ड समय में रंगीन पुस्तकों में विकसित किया गया, जिन्हें माननीय अध्यक्ष, प्रोफेसर सी बी शर्मा द्वारा वाराणसी में शिक्षार्थियों को वितरित किया गया था।

(केंद्र में हस्तशिल्प कारीगरों का प्रशिक्षण)

पहलें

डेयरी ऑपरेटर कोर्स

भारत में डेयरी उद्योग दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहां दुनिया के दूध उत्पादन का 17% से अधिक दूध उत्पन्न होता है। चूंकि औसत आय में वृद्धि जारी है, इसलिए यह अनुमान लगाया गया है कि दूध की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है। दूध की बढ़ती मांग के साथ, डेयरी उद्योग में कुशल जनशक्ति की आवश्यकता

में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, एनआईओएस भारतीय कृषि क्षेत्र कौशल परिषद के साथ संयुक्त रूप से "डेयरी कार्यकर्ता" की भूमिका पर **"डेयरी ऑपरेटर कोर्स"** तैयार कर रहा है। पाठ्यक्रम संबंधी बैठकें शुरू हो गई हैं और पाठ्यक्रम के जल्द ही तैयार होने की संभावना है।

व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)

वर्ष 2018 में एमओओसी मंच पर चार व्यावसायिक पाठ्यक्रम लॉन्च किए गए थे; अर्थात् ब्यूटी थेरेपी, पंचकर्मा सहायक, मधुमक्खी पालन और योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। वर्ष 2019 में तीन पाठ्यक्रम लॉन्च किए जाने वाले हैं जो बीमा सेवाओं, चौपहिया तकनीशियन और सीआरएम घरेलू आवाज में डिप्लोमा हैं। इन पाठ्यक्रमों को शिक्षार्थियों द्वारा मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है और इन पाठ्यक्रमों में नामांकन बहुत अधिक रहा है।

सामुदायिक स्वास्थय कार्यक्रम

राज्य के 4 लाख अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एनआईओएस ने राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यकम श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। पहले चरण में, इस कार्यक्रम के लिए नामांकित 21812 स्वास्थ्य कर्मियों को जुलाई 2018 से अक्टूबर 2018 तक बिहार के 38 जिलों में फैले 218 पीएचसी/एफआरयू में एक साथ प्रशिक्षित किया गया था। 29530 शिक्षार्थियों ने दूसरे बैच के लिए नामांकन कराया है जिनका प्रशिक्षण 2019 में शुरू होगा।

योगा शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग द्वारा की गई दूसरी प्रमुख पहल फरवरी, 2018 में योगा शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम करना थी। यह एक माह के आवासीय कार्यक्रम और एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। यह भारतीयों और विदेशी दोनों तरह के नागरिकों के लिए खुला है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को योग सिद्धांत, इसके अभ्यास और शिक्षा–विज्ञान के बारे में गहन ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके योग शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करना है। वर्ष 2018 में दो बैचों में 1250 से अधिक शिक्षार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है।

प्राकृतिक चिकित्सा और योगिक विज्ञान में डिप्लोमा

नवंबरए 2018 में प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक विज्ञान में डिप्लोमा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम को उन शिक्षार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में रूचि रखते हैं और इसे उद्यम या स्व–रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं। पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन में योग के लाभ और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम के लिए नामांकन 2019 में किया जाएगा।

वागडा (वीएजीडीए) चैनल पर शिक्षार्थियों के साथ सीधा संवाद

शिक्षार्थियों और सभी हितधारकों के साथ संवाद के लिए हर बुधवार को 2.00 बजे से 3.00 बजे तक, वागडा (वीएजीडीए) चैनल पर मार्च, 2018 से सीधा संवाद शुरू हुआ है। इसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के मुख्य पहलुओं के साथ अधिकांशतः नौकरी के लिए उपलब्ध अवसरों से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर चर्चा होती है। इसमें एक उद्योग विशेषज्ञ या विषय

वस्तु विशेषज्ञ को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाता है और कुछ मामलों में, शिक्षार्थियों या पूर्व छात्रों को चर्चा के लिए दर्शकों के रूप में आमंत्रित किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिएए संपूर्ण मुख्य सामग्री को विशेषज्ञों द्वारा वीडियो में परिवर्तित किया जा रहा है जिससे अधिगम परिणामों में एकरूपता आएगी और उनका मानकीकरण होगा।

जेलों में व्यावसायिक अध्ययन केन्द्रों की स्थापना

दूरदराज के लोगों तक पहुंचने के एनआईओएस के दृष्टिकोण को एक कदम आगे बढ़ाते हुए विभाग ने कई जेलों का दौरा किया और जेलों में व्यावसायिक केंद्रों को खोलने की योजना बनाई, जिनमें बढ़ईगीरी, बेकरी और कन्फेक्शनरी, कटाई एवं सिलाई, बिल्डिंग आदि जैसे परंपरागत जेल अंतः वासियों के लिए शुरू किए जा सकतें हैं जिनसे वे दक्ष बनेंगे और रिहाई उपरांत इस दक्षता का उपयोग कर सकेगें और इस प्रकार अपराध का रास्ता छोड़ देंगे। इसके बारे में 2019 में तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

परिणाम उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के व्यावहारिक घटक को व्यवस्थित करने के लिए विषय विशेषज्ञों के परामर्श से बनाए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिन–बार तैयार किया गया है और इनमें अधिगम परिणामों के साथ सिद्धांत और व्यावहारिक बातों को ब्यौरा दिया गया है। इससे एवीआई में परिणाम आधारित प्रशिक्षण में एकरूपता आएगी और पूरे भारत में एक अधिगम के परिणाम आधारित दृष्टिकोण का पालन होगा।

एवीआई समन्वयक बैठक

एवीआई समन्वयकों के साथ आमने–सामने बैठकें आयोजित की गई। एनआईओएस मुख्यालय के क्षेत्रीय निदेशकों और अधिकारियों ने समन्वयकों के साथ बातचीत की और उनसे प्राप्त सुझावों और सिफारिशों पर विधिवत कार्रवाई की गई थी। ये बैठकें पांच साल से अधिक के अंतर के बाद आयोजित की गईं और इनमें सिस्टम में फिर से एकीकृत एवीआई को महत्वपूर्ण जीवंतता और प्रेरणा मिलीं।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा व्यावसायिक कार्यक्रमों की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा

भारतीय गुणवत्ता परिषद ने एनआईओएस व्यावसायिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का एक प्रारंभिक अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने इन क्षेत्रों के चार क्षेत्रीय केंद्रों और चार व्यावसायिक अध्ययन केंद्रों का दौरा किया। एनआईओएस मुख्यालय में क्यूसीआई अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति की गई। अध्ययन में प्रतिबिंबित किया गया कि शिक्षार्थियों के लिए चलाए जा रहे व्यावसायिक कार्यक्रम विशेषज्ञों की टीम द्वारा बहुत अच्छी तरह से विकसित और लागू किए गए थे, हालांकि, सभी स्तरों पर इन पाठ्यक्रमों की अधिक वकालत की जानी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों से भी जोड़ा जाना चाहिए और एनआईओएस को विभिन्न संगठनों में प्लेसमेंट लेने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए।

आकांक्षा चलों करें कुछ खास

क्षेत्रीय केंद्र गांधीनगर के समन्वय से व्यावसायिक विभाग ने 11 मई 2018 को दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए गांधीनगर में एक दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मुख्य अतिथि गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री ओपी कोहली थे। स्वाभिमानी शिक्षार्थियों ने एक घंटे का शो दिखाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि एनआईओएस ने कैसे उनके जीवन बदल दिया है। दिव्यांग शिक्षार्थी अत्यधिक प्रेरित और ऊर्जस्वित हुए और माननीय राज्यपाल द्वारा भी इस कार्यक्रम की सराहना की गई।

आशा प्रमाणन परियोजना

आशा प्रमाणन परियोजना का उद्देश्य देश भर में लगभग 9 लाख आशा का प्रमाणन करना है। वर्तमान में, यह कार्यक्रम 24 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक एनआईओएस द्वारा कुल 179 राज्य प्रशिक्षकों और 562 जिला प्रशिक्षकों का प्रमाणन किया गया है। कुल 31 राज्य प्रशिक्षण स्थलों और 58 जिला प्रशिक्षण स्थलों को मान्यता दी गई है। 2019 तक आशा प्रमाणन कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। अब तक 16387 आशा का प्रमाणन किया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्वःशिक्षा सामग्री का शिक्षार्थियों के लिए एनआईओएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना

लगभग 70 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की स्व शिक्षा सामग्री को स्कैन किया गया है और शिक्षार्थियों के लिए एनआईओएस वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ताकि वे इसे आसानी से प्राप्त कर सके।

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक

कवरेज : वर्ष 2018–19 के दौरान बच्चों और नामांकन की तुलना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नामांकन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	1761104	1242550	3003654	1539886	946450	2486336	87%	76%	83%
2	अरुणाचल प्रदेश	108502	59063	167565	80564	49584	130148	74%	84%	78%
3	टसम	2798422	1465330	4263752	2718526	1331335	4049861	97%	91%	95%
4	बिहार	11939705	6155453	18095158	7322351	3382257	10704608	61%	55%	59%
5	छत्तीसगढ़	1870682	1170441	3041123	1592345	965167	2557512	85%	82%	84%
6	गोवा	95330	66363	161693	86670	55717	142387	91%	84%	88%
7	गुजरात	3336949	2151370	5488319	2811374	1854299	4665673	84%	86%	85%
8	हरियाणा	889458	601711	1491169	765031	486823	1251854	86%	81%	84%
9	हिमाचल प्रदेश	301782	208022	509804	269563	186183	455746	89%	90%	89%
10	जम्मू और कश्मीर	621380	320174	941554	361666	180772	542439	58%	56%	58%
11	झारखंड	2976834	1425963	4402797	1905681	853987	2759668	64%	60%	63%
12	कर्नाटक	2825843	1807066	4632909	2591915	1689140	4281055	92%	93%	92%
13	केरल	1662998	1065753	2728751	1611174	988980	2600154	97%	93%	95%
14	मध्य प्रदेश	4189849	2619648	6809497	2972829	1892550	4865379	71%	72%	71%
15	महाराष्ट्र	6499672	4289295	10788967	5538059	3452091	8990150	85%	80%	83%
16	मणिपुर	132585	38584	171169	114613	32396	147009	86%	84%	86%
17	मेघालय	537884	178194	716078	384648	142330	526978	72%	80%	74%
18	मिजोरम	94616	42335	136951	87094	38902	125996	92%	92%	92%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	नामांकन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	नगालैंड	126767	41571	168338	120923	39916	160839	95%	96%	96%
20	ओडिशा	2814094	1827499	4641593	2437288	1555583	3992871	87%	85%	86%
21	पंजाब	921738	652703	1574441	856207	577036	1433243	93%	88%	91%
22	राजस्थान	4103422	2161924	6265346	3032733	1655874	4688607	74%	77%	75%
23	सिक्किम	33433	27258	60691	29604	24072	53676	89%	88%	88%
24	तमिलनाडु	2799310	2211473	5010783	2424754	1937971	4362725	87%	88%	87%
25	तेलंगाना	1193149	720719	1913868	1066208	634945	1701153	89%	88%	89%
26	त्रिपुरा	272412	173814	446226	209923	135140	345063	77%	78%	77%
27	उत्तर प्रदेश	12314652	5705194	18019846	7478911	3079298	10558209	61%	54%	59%
28	उत्तराखंड	418464	298446	716910	338605	220567	559172	81%	74%	78%
29	पश्चिम बंगाल	7294946	4284300	11579246	6739765	4137879	10877644	92%	97%	94%
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19072	13265	32337	13200	9123	22323	69%	69%	69%
31	चंडीगढ़	52750	42584	95334	24702	16468	41170	47%	39%	43%
32	डी एंड एन हवेली	28552	14315	42867	22468	10351	32819	79%	72%	77%
33	दमन और दीव	11353	7474	18827	9029	5972	15001	80%	80%	80%
34	दिल्ली	942559	683820	1626379	601171	374015	975186	64%	55%	60%
35	लक्षद्वीप	4658	2823	7481	4604	2280	6884	99%	81%	92%
36	पुडुचेरी	31621	24895	56516	25624	18507	44131	81%	74%	78%
	कुल	**76026547**	**43801392**	**119827939**	**58189708**	**32963960**	**91153668**	**77%**	**75%**	**76%**

कवरेज : संस्थान : 2018–19

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	34896	10687	45583	34896	10687	45583	100%	100%	100%
2	अरुणाचल प्रदेश	2010	1172	3182	1814	1120	2934	90%	96%	92%
3	असम	43464	13776	57240	43327	13776	57103	100%	100%	100%
4	बिहार	42510	30447	72957	39348	30165	69513	93%	99%	95%
5	छत्तीसगढ़	31278	13560	44838	31278	13560	44838	100%	100%	100%
6	गोवा	1041	438	1479	1035	438	1473	99%	100%	100%
7	गुजरात	10705	24054	34759	10682	23962	34644	100%	100%	100%
8	हरियाणा	8754	5638	14392	8739	5652	14391	100%	100%	100%
9	हिमाचल प्रदेश	10734	4767	15501	10734	4770	15504	100%	100%	100%
10	जम्मू और कश्मीर	13360	9781	23141	13339	9781	23120	100%	100%	100%
11	झारखंड	25102	14768	39870	25097	14620	39717	100%	99%	100%
12	कर्नाटक	21484	33355	54839	21478	33352	54830	100%	100%	100%
13	केरल	6804	5537	12341	6804	5537	12341	100%	100%	100%
14	मध्य प्रदेश	82703	31127	113830	82703	30918	113621	100%	99%	100%
15	महाराष्ट्र	46889	39912	86801	46889	39855	86744	100%	100%	100%
16	मणिपुर	2857	1000	3857	2481	1000	3481	87%	100%	90%
17	मेघालय	8436	3411	11847	8256	3403	11659	98%	100%	98%
18	मिजोरम	1441	1091	2532	1437	1088	2525	100%	100%	100%
19	नगालैंड	1186	953	2139	1186	913	2099	100%	96%	98%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ओडिशा	33936	24848	58784	33230	24360	57590	98%	98%	98%
21	पंजाब	13425	6732	20157	13425	6732	20157	100%	100%	100%
22	राजस्थान	32282	34224	66506	32282	34224	66506	100%	100%	100%
23	सिक्किम	496	373	869	496	371	867	100%	99%	100%
24	तमिलनाडु	27073	16210	43283	27073	16210	43283	100%	100%	100%
25	तेलंगाना	20046	8626	28672	20044	8542	28586	100%	99%	100%
26	त्रिपुरा	4471	2127	6598	4402	2127	6529	98%	100%	99%
27	उत्तर प्रदेश	115474	53817	169291	115415	53817	169232	100%	100%	100%
28	उत्तराखंड	12893	5431	18324	12042	5297	17339	93%	98%	95%
29	पश्चिम बंगाल	67739	16432	84171	67739	16432	84171	100%	100%	100%
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	188	150	338	188	150	338	100%	100%	100%
31	चंडीगढ़	9	114	123	9	114	123	100%	100%	100%
32	डी एंड एन हवेली	161	119	280	161	119	280	100%	100%	100%
33	दमन और दीव	53	43	96	49	43	92	92%	100%	96%
34	दिल्ली	1738	1237	2975	1738	1237	2975	100%	100%	100%
35	लक्षद्वीप	15	25	40	14	25	39	93%	100%	98%
36	पुडुचेरी	238	195	433	238	190	428	100%	97%	99%
	कुल	**725891**	**416177**	**1142068**	**720068**	**414587**	**1134655**	**99%**	**100%**	**99%**

वर्ष 2018–19 के दौरान रसोइया–सह–सहायक का मानदेय

क्र.सं.	राज्य	रसोइया–सह–सहायक. मानदेय प्रति माह
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	3000
2	अरुणाचल प्रदेश	1000
3	असम	1000
4	बिहार	1500
5	छत्तीसगढ़	1200
6	गोवा	1000
7	गुजरात	1000
8	हरियाणा	3500
9	हिमाचल प्रदेश	1800
10	जम्मू और कश्मीर	1000
11	झारखंड	1500
12	कर्नाटक	2700
13	केरल	9000
14	मध्य प्रदेश	2000
15	महाराष्ट्र	1000
16	मणिपुर	1000
17	मेघालय	1000
18	मिजोरम	1500
19	नगालैंड	1000
20	ओडिशा	1400
21	पंजाब	1700

क्र.सं.	राज्य	रसोइया–सह–सहायक. मानदेय प्रति माह
1	2	3
22	राजस्थान	1320
23	सिक्किम	1000
24	तमिलनाडु	10083
25	तेलंगाना	1000
26	त्रिपुरा	1500
27	उत्तर प्रदेश	1000
28	उत्तराखंड	2000
29	पश्चिम बंगाल	1500
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1000
31	चंडीगढ़	3000
32	डी एंड एन हवेली	3876
33	दमन और दीव	3721
34	दिल्ली	1000
35	लक्षद्वीप	9500
36	पुडुचेरी	19000

वर्ष 2018–19 के दौरान अनुमोदित– रसोइया–सह–सहायक और सेवायोजित रसोइया–सह–सहायक

क्र. सं.	राज्य	रसोइया–सह–सहायक की सं.– पीएबी अनुमोदन	सेवायोजित रसोइया–सह–सहायक की संख्या
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	88296	85143
2	अरुणाचल प्रदेश	6525	6525
3	असम	118998	118319
4	बिहार	245316	238869
5	छत्तीसगढ़	93420	89101
6	गोवा	2777	2729
7	गुजरात	96329	96329
8	हरियाणा	30423	29980
9	हिमाचल प्रदेश	23476	21753
10	जम्मू और कश्मीर	33268	30583
11	झारखंड	81577	80282
12	कर्नाटक	118130	117927
13	केरल	17673	14389
14	मध्य प्रदेश	231157	215834
15	महाराष्ट्र	175336	171131
16	मणिपुर	7487	6277
17	मेघालय	18547	17882
18	मिजोरम	5220	4936

क्र. सं.	राज्य	रसोइया–सह–सहायक की सं.– पीएबी अनुमोदन	सेवायोजित रसोइया–सह–सहायक की संख्या
1	**2**	**3**	**4**
19	नगालैंड	4695	4695
20	ओडिशा	145522	115543
21	पंजाब	49449	42368
22	राजस्थान	109922	109922
23	सिक्किम	1891	1846
24	तमिलनाडु	128130	128130
25	तेलंगाना	54232	53176
26	त्रिपुरा	11028	11002
27	उत्तर प्रदेश	405353	393431
28	उत्तराखंड	32989	26524
29	पश्चिम बंगाल	248799	238106
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	721	721
31	चंडीगढ़	825	800
32	दादर एवं नगर हवेली	926	926
33	दमन और दीव	320	320
34	दिल्ली	19036	18434
35	लक्षद्वीप	110	110
36	पुडुचेरी	1031	1031
	कुल	**2608934**	**2495074**

किचन–सह–स्टोर के निर्माण की वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07 से 2018–19 के दौरान संस्वीकृत किचन–सह–स्टोर की सं.	किचन–सह–स्टोर के निर्माण की 31.03.2019 तक वास्तविक प्रगति					
			निर्मित		निर्माणाधीन		अभी प्रारंभ नहीं	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	44316	18291	41%	1033	2%	24992	56%
2	अरुणाचल प्रदेश	4085	4085	100%	0	0%	0	0%
3	असम	56795	51146	90%	527	1%	5122	9%
4	बिहार	66550	58363	88%	484	1%	7703	12%
5	छत्तीसगढ़	47266	45166	96%	2100	4%	0	0%
6	गोवा	0	0	0%	0	0%	0	0%
7	गुजरात	25077	24308	97%	2	0%	767	3%
8	हरियाणा	11483	10155	88%	653	6%	675	6%
9	हिमाचल प्रदेश	14959	14829	99%	34	0%	96	1%
10	जम्मू और कश्मीर	11815	7118	60%	0	0%	4697	40%
11	झारखंड	39001	29656	76%	1203	3%	8142	21%
12	कर्नाटक	40477	39237	97%	96	0%	1144	3%
13	केरल	5481	2450	45%	0	0%	3031	55%
14	मध्य प्रदेश	103401	93838	91%	4800	5%	4763	5%
15	महाराष्ट्र	71783	59405	83%	546	1%	11832	16%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07 से 2018–19 के दौरान संस्वीकृत किचन–सह–स्टोर की सं.	किचन–सह–स्टोर के निर्माण की 31.03.2019 तक वास्तविक प्रगति					
			निर्मित		निर्माणाधीन		अभी प्रारंभ नहीं	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%
16	मणिपुर	2966	1083	37%	1883	63%	0	0%
17	मेघालय	9758	9491	97%	0	0%	267	3%
18	मिजोरम	2532	2506	99%	0	0%	26	1%
19	नगालैंड	2223	2223	100%	0	0%	0	0%
20	ओडिशा	69152	44491	64%	24661	36%	0	0%
21	पंजाब	18969	18969	100%	0	0%	0	0%
22	राजस्थान	77298	50595	65%	4143	5%	22560	29%
23	सिक्किम	948	940	99%	8	1%	0	0%
24	तमिलनाडु	28470	27792	98%	344	1%	334	1%
25	तेलंगाना	30408	17483	57%	3698	12%	9227	30%
26	त्रिपुरा'	5304	5565	105%	0	0%	0	0%
27	उत्तर प्रदेश	122572	112808	92%	2	0%	9762	8%
28	उत्तराखंड	15933	15639	98%	83	1%	211	1%
29	पश्चिम बंगाल	81582	77446	95%	4136	5%	0	0%
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	251	165	66%	0	0%	86	34%
31	चंडीगढ़	10	7	70%	0	0%	3	30%

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006–07 से 2018–19 के दौरान संस्वीकृत किचन–सह–स्टोर की सं.	किचन–सह–स्टोर के निर्माण की 31.03.2019 तक वास्तविक प्रगति					
			निर्मित		निर्माणाधीन		अभी प्रारंभ नहीं	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%
32	डी एंड एन हवेली	50	50	100%	0	0%	0	0%
33	दमन और दीव	32	32	100%	0	0%	0	0%
34	दिल्ली	0	0	0%	0	0%	0	0%
35	लक्षद्वीप	0	0	0%	0	0%	0	0%
36	पुडुचेरी	105	92	88%	13	12%	0	0%
	कुल	**1011052**	**845424**	**84%**	**50449**	**5%**	**115440**	**11%**

त्रिपुरा ने संस्वीकृत से 261 अधिक किचन–सह–स्टोर बनाए हैं।

भाग - II

उच्चतर
शिक्षा विभाग

01

मंत्रिमंडल के निर्णय और नई पहलें

मंत्रिमंडल के निर्णय और नई पहलें

मंत्रिमंडल के निर्णय

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में 2018–19 से सात साल की अवधि के लिए कुल 1650 करोड़ रु. की लागत पर 'प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ) का अनुमोदन किया था। इस योजना के तहत, 3000 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी/आईआईएससी/आईआईएसईआर में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश का प्रस्ताव किया जाएगा जिन्होंने आईआईएससी/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएसईआर/ आईआईआईटी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में बी.टेक या इंटीग्रेटेड एम. टेक या एम.एससी पूर्ण कर ली है अथवा इसके अंतिम वर्ष में हैं। पीएमआरएफ दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और इस योजना को भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से पात्र छात्रों के लिए खोला गया है।
- 21 मार्च, 2018 को आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने रूसा की योजना को 31 मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
- 28 मार्च, 2018 को आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने शिक्षा ऋण योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को जारी रखने और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने और संशोधित करने की मंजूरी दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में, आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले के ग्राम जन्थालुरु में आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें पहले चरण के खर्च को पूरा करने के लिए 450 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 सितंबर, 2018 को अपनी बैठक में 3775.42 करोड़ रु. के खर्च पर अमृतसर, बोधगया, नागपुर, संबलपुर, सिरमौर, विशाखापट्टनम और जम्मू में नए आईआईएम के स्थायी परिसरों की स्थापना और इन्हें कार्यात्मक बनाने को मंजूरी दी जिनमें से 2804.09 करोड़ रुपये इन संस्थानों के स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए खर्च किए जाएंगे।

नई पहलें

नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) की स्थापना

वर्ष 2015–16 के दौरान अमृतसर (पंजाब), बोधगया (बिहार), नागपुर (महाराष्ट्र), संबलपुर (ओडिशा), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) और विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में छह नए आईआईएम स्थापित किए गए थे। 2015 में उनके अस्थायी परिसरों से उनके शैक्षणिक सत्र भी शुरू हुए।

2015 में जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के हिस्से के रूप में, 2016 में जम्मू और कश्मीर राज्य में एक भारतीय

प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना की गई थी। आईआईएम जम्मू ने 2016–17 अपने अस्थायी परिसर से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 सितंबर, 2018 को इन सात नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) के स्थायी परिसर की स्थापना और इनके संचालन के लिए 3775.42 करोड़ रुपये (गैर–आवर्ती के रूप में 2999.96 करोड़ रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में 775.46 करोड़ रुपये) की कुल लागत को मंजूरी दी है। इनमें से प्रत्येक आईआईएम 60384 वर्गमीटर क्षेत्र का निर्माण करेगा, जिसमें प्रत्येक आईआईएम में 600 छात्रों के लिए पूरी अवसंरचनागत सुविधाएं होंगी। इन संस्थानों को 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष आवर्ती अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना

अगरतला में एक नया आईआईआईटी स्थापित किया गया है और यह शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से शुरू हो गया है।

नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) की स्थापना

दो नए आईआईएसईआर– एक तिरुपति में (2015) और एक बेरहामपुर (2016) में कार्यात्मक हैं। इन्हें समय–समय पर संशोधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था, आईआईएसईआर, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान हैं। विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान करने और अवरस्नातक स्तर पर एवं स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए इनकी परिकल्पना की गई थी। आईआईएसईआर का केंद्रीय विषय शिक्षा को अनुसंधान के साथ एकीकृत करना है ताकि अवरस्नातक स्तर के शिक्षण के साथ–साथ डॉक्टरेट और पोस्ट–डॉक्टरल अनुसंधान साथ–साथ किए जाएं।

आंध्र प्रदेश पुनः संगठन अधिनियम, 2014 की अगली कड़ी के रूप में, आंध्र प्रदेश के शेष राज्य में तिरुपति में एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की स्थापना की गई। आईआईएसईआर तिरुपति 10.08.2015 से अपने अस्थायी/ट्रांजिट परिसर से कार्यात्मक है। यह 22.02.2016 को आंध्र प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किया गया था। संस्थान को राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है और स्थायी परिसर का निर्माण शुरू हो गया है।

2016 में ओडिशा के बेरहामपुर में एक और आईआईएसईआर स्थापित किया गया था। आईआईएसईआर बेरहामपुर 01.08.2016 के प्रभाव से अपने अस्थायी/ट्रांजिट परिसर से कार्यात्मक हो गया है। इस संस्थान को 18.10.2016 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (ओडिशा) के तहत पंजीकृत किया गया है। ओडिशा सरकार ने संस्थान को भूमि आवंटित की है और शीघ्र ही स्थायी परिसर का निर्माण शुरू होगा। मंत्रिमंडल ने दोनों आईआईएसईआर की पूंजीगत लागत के लिए 2379.77 करोड़ रु. मंजूर किये हैं।

नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) की स्थापना

एनआईटी–वारंगल की मेंटोरशिप के तहत, एक नया एनआईटी – एनआईटी, आंध्र प्रदेश स्थापित किया गया है जिसका पहला शैक्षणिक सत्र 20 सितंबर, 2015 से शुरू हो गया है और आगे इसकी वार्षिक क्षमता 480 छात्र है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू)

अनंतपुर में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय अगस्त, 2018 से कार्यात्मक हो गया हैं।

बिहार के मोतिहारी में एक अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, और फरवरी 2016 से कार्यात्मक कर दिया है।

2015–16 के शैक्षणिक सत्र से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विकल्प आधारित अंक प्रणाली (सीबीसीएस) लागू की गई है, जिससे विश्वविद्यालयों में छात्रों की निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित होगी।

2016–17 के शैक्षणिक सत्र से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऑन–लाइन प्रवेश लागू किया गया जिससे प्रवेश प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत, सभी कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और छात्रों द्वारा लगातार प्रयोग किए जाने वाले स्थानों को सुरक्षित वाई–फाई हॉटस्पॉट के माध्यम से जोडा जाएगा और छात्रों को 24×7 आधार पर शैक्षिक और सूचना संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने सीयू अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित 13 नए सीयू के संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी दे दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ (i) आवश्यक अवसंरचना के निर्माण के लिए 3639.32 करोड़ (गैर–आवर्ती 1782.21 करोड़ रुपये और आवर्ती 1857.11 करोड़) रुपये का व्यय शामिल है और (ii) 1474.65 करोड़ रुपये के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है जो सीयू के लिए 3000 करोड़ रुपये की कैबिनेट की पूर्व की मंजूरी के अतिरिक्त खर्च की जाने वाली राशि है।

योजना और वास्तुकला स्कूल

6500.00 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत से चुनौती विधि के माध्यम से भलीभांति स्थापित आईआईटी और एनआईटी में 18 एसपीए के साथ दो नए स्वतंत्र योजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए) स्थापित किए जा रहे हैं।

शहरों की आयोजना, निर्माण और प्रबंधन के राष्ट्रीय मिशन की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए, भारत को पूरी तरह से प्रशिक्षित योजनाकारों, वास्तुकलाविदों और डिजाइनरों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं अर्थात् स्मार्ट सिटिज और 2022 तक सभी को आवास के लिए भी अत्यधिक कुशल/ प्रशिक्षित वास्तुविदों/ डिज़ाइनरों/योजनाकारों की आवश्यकता होगी। इन नए एसपीए की स्थापना करने पर ही वह सुप्रशिक्षित वास्तुविदों/ डिज़ाइनरों/योजनाकारों की आपूर्ति और मांग चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत सरकार द्वारा भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पर्यटन और जनता के बीच आदान–प्रदान के अन्य रूपों के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षिक संस्थानों और आम जनता के बीच एक समन्वित पारस्परिक भागीदारी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को संपोषित करने के लिए शुरू की गई पहल है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 16 युग्मों में बांटा गया था। योजना की विस्तृत पृष्ठभूमि, इसके उद्देश्य, कार्यान्वयन कार्यनीति/ कार्यप्रणाली और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का युग्मन, इसकी वेबसाइट "ekbharat.gov.in" में उपलब्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके कार्यान्वयन का समन्वय करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए युग्मित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शैक्षिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, पर्यटन, खेल, युवा–संबंधित गतिविधियों में गतिविधियों, विभिन्न प्रथाओं को साझा करने के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने सौ से अधिक सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें युग्मित राज्यों के लोग और कलाकार शामिल थे, बड़ी संख्या में खाद्य उत्सव,

राष्ट्रीय एकता दिवस, रन फॉर यूनिटी, भारत पर्व, कला यात्रा, सदकल गुजरात, गिर मानसून उत्सव, बस्तर महोत्सव, तवांग महोत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, बाथुकम्मा फेस्टिवल आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यों ने भी कुछ मामलों में एक–दूसरे के स्थापना दिवस भी मनाए।

कई युग्मित राज्यों जैसे हरियाणा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर, गोवा और झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, केरल और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने कई छात्र विनिमय, सांस्कृतिक कार्य विनिमय और पर्यटक विनिमय गतिविधियों का निष्पादन किया। बहुत से उच्च शिक्षण संस्थान, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत लगभग 1000 कार्यक्रमों में भाग लिया और उनका आयोजन किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 20 नवंबर से 21 दिसंबर, 2018 तक भाषा संगम, भाषाई विविधता के उत्सव की शुरुआत की, जो हमारे देश की भाषाओं की अद्वितीय समता का उत्सव है। पर्यटन मंत्रालय ने होटल प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से विभिन्न खाद्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसने विभिन्न राज्य सरकारों को शामिल करते हुए भारत पर्व और पर्यटन पर्व का भी आयोजन किया। अखिल भारतीय कार्यक्रमों के विभिन्न स्टेशन युग्मित राज्यों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसी प्रकार, बहुत से दूरदर्शन केंद्र, युग्मित राज्यों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारत की संस्कृति, इतिहास और अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए 77 पुस्तकों का अनुवाद किया। संस्कृति मंत्रालय ने टिहरी में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, मगहर में कबीर महोत्सव "अनहद नाद", जबलपुर में नर्मदा नाट्य महोत्सव, वाराणसी में स्वच्छता की ज्योति, पटना में अतुल्य भारत, मोतिहारी में लोकोत्सव 2018 और उत्तर प्रदेश में जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक आयोजित कुंभ मेले में एक मेगा कार्यक्रम ''कुंभ'' जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। रेल मंत्रालय ने स्टेशनों और ट्रेनों में विभिन्न एलईडी डिस्प्ले में ईबीएसबी के लोगो और इस विषय पर 60 सेकंड के विभिन्न क्लिपों को प्रदर्शित किया। युवा मामला विभाग के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन ने युग्मित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कई अंतर राज्य युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए। खेल विभाग ने युग्मित राज्यों के बीच से कबड्डी, फुटबॉल, हैंडबॉल आदि की टीमों का गठन किया और 'युग्मित राज्य चैंपियनशिप' आयोजित की।

मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने देश में सांस्कृतिक अंतर को पाटने और विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच बातचीत बढ़ाने के लिए समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। अब तक मंत्रियों के समूह की तीन बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें से एक बैठक 2018–19 में आयोजित की गई थी।

विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और मंत्रालयों से प्राप्त रिपोर्टों को न्यूजलेटर के रूप में संकलित किया जाता है। न्यूजलेटर्स, फ़ोटो और वीडियो वेबसाइट "ekbharat.gov.in" पर अपलोड किए गए हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

उच्चतर शिक्षा विभाग, पूर्ण साफ–सफाई और स्वच्छता के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न उपाय करता है। विभाग और विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 1 से 15 सितंबर, 2018 के दौरान आयोजित स्वच्छता पखवाडे के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के अलावा, उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वस्थ कैंपस बनाए

रखने और गाँवों/मोहल्लों में ऑफ कैंपस स्वच्छता की पहल को अपनाने के लिए स्वस्थ शिक्षण दबाव उत्पन्न करने के लिए एक व्यापक स्वच्छ रैंकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 6000 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया। संस्थानों के मूल्यांकन कुछ मापदंडों पर किए गए थे और चयनित संस्थानों को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2018 को सम्मानित किया गया था।

भारत में स्वच्छता प्रक्रिया में ज्ञान इनपुट के आदान–प्रदान के लिए और इसका व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत में करियर विकसित करने के लिए, विभाग ने 2018 में निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम विकसित किए:

i) अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्वच्छता पर एकल सत्र वैकल्पिक पाठयक्रम

ii) ठोस और द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा

iii) अपशिष्ट प्रबंधन में एमबीए

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए परिसर में स्वच्छता अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नियमपुस्तिका भी तैयार की गई।

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा)

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) को 2022 तक राईज के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें हेफा से दस वर्षीय ऋण के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों, स्कूल शिक्षा संस्थानों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की भौतिक अवसंरचना और प्रयोगशालाओं का वित्तपोषण किया जाएगा। सरकार, संस्थान की वित्तीय क्षमता के आधार पर विभिन्न बैंडों में ऋण सेवा दायित्व का कार्य करेगी। यह व्यवस्था सरकार को बहुत से संस्थानों की अवसंरचनागत की जरूरतों को पूरा करने और बजटीय अनुदान की कमी को दूर करने में सक्षम करेगी। सभी संस्थानों को परियोजना मोड में धन मिलेगा न कि अनुदान मोड में। हेफा का तंत्र जहां परियोजना को निष्पादित करने वाले विक्रेता को सीधे ऋण राशि जारी की जाती है, वित्तीय दक्षता सुनिश्चित करता है और इससे संस्थानों के साथ धन अप्रयुक्त पडे रहने की रोकथाम होती है। इससे लागत और अतिरिक्त समय भी समाप्त हो जाता है क्योंकि धन काम पूरा होने के बाद ही दिया जाता है।

हेफा को एनबीएफसी लाइसेंस के साथ धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और केनरा बैंक को वित्तपोषण एजेंसी का प्रबंधन करने के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार नियुक्त किया गया है। हेफा की अधिकृत इक्विटी 10,000 करोड़ रु. है जिसमें सरकारी इक्विटी 6,000 करोड रु. है और केनरा बैंक सरकारी हिस्सेदारी का 10% योगदान देंगे। हेफा, ऋण, फ्लोटिंग बॉन्ड या प्रत्यक्ष उधार द्वारा के माध्यम से अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए भी अधिकृत है।

हैफा को 2022 तक 100,000 करोड़ रु. की परियोजनाओं के लिए निधियन की उम्मीद है। 31 मार्च, 2019 तक, 31,580.25 रु. की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं; जिसके लिए 17, 340.66 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और 2,534.46 करोड़ रु. वास्तव में वितरित किए गए हैं। हेफा के माध्यम से वित्त पोषण का लाभ उठाने वाले शिक्षा संस्थानों की संख्या 56 है।

हेफा–राईज

- 4.07.2018 को 2022 तक 'रिवाईटलाईजिंग ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन (राईज)' की शुरूआत अनुमोदित की गई है।
- इस पहल के तहत, उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा)' के माध्यम से स्कूल, उच्च और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के अवसंरचनागत विकास के वित्तपोषण के लिए एक नया मॉडल रखा गया है। इसका लक्ष्य शिक्षण संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और अन्य अवसंरचना विकास के लिए 2022 तक 1,00,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी देने का है।

- हेफा की अधिकृत पूंजी रु. 10,000 करोड़ है जिसमें से 6000 करोड़ रुपये भारत सरकार का इक्विटी योगदान होगा। 31.03.2019 को भुगतान की गई इक्विटी पूंजी 2512.50 करोड़ रुपये (सरकारी योगदान) और 251.25 करोड़ रु. (केनरा बैंक) है।

इम्प्रिंट इंडिया

इम्प्रिंट इंडिया प्रमुख संस्थानों में सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अनुसंधान का एक प्रयास है। इसके तहत, 10 डोमेन की पहचान की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं: (1) स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, (2) ऊर्जा सुरक्षा, (3) ग्रामीण शहरी आवास डिजाइन, (4) नैनो प्रौद्योगिकी, (5) जल/ नदी प्रणाली, (6) उन्नत सामग्री, (7) कंप्यूटर विज्ञान और आईसीटी, (8) विनिर्माण प्रौद्योगिकी, (9) उन्नत सुरक्षा और (10) पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन। इनमें से प्रत्येक डोमेन एक आईआईटी द्वारा समन्वित है। इम्प्रिंट – I के तहत वर्तमान में एमएचआरडी और विभिन्न भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त निधियन से रु. 320.72 करोड़ लागत की 142 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं।

दस डोमेन हमारे देश के लिए प्रासंगिक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र को सक्षम, सशक्त और मजबूत बनाया जा सके। इम्प्रिंट I का पहला चरण एक नीति दस्तावेज बनाने के लिए समर्पित था जिसमें देश में इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान करने और एक विशिष्ट तकनीकी उत्पाद या प्रक्रिया विकसित न करने के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यनीति और जनादेश को परिभाषित किया जाए।

ईएफसी द्वारा 21.02.2018 को आयोजित अपनी बैठक में इम्प्रिंट –II की सिफारिश की गई है और माननीय वित्त मंत्री और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा वित्त पोषण में थोड़ी संशोधित एप्रोच के साथ इसे अनुमोदित किया गया है। यह योजना एमएचआरडी और डीएसटी (335 करोड़ रु.) द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए 670 करोड़ रु. के कोष के माध्यम से वित्त पोषित की जाएगी, जबकि अन्य प्रतिभागी मंत्रालयों से प्राप्त योगदान का उपयोग अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने या अधिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया जाएगा।

इम्प्रिंट–II के तहत प्रस्तावों की प्रथम मांग में, लगभग 106.13 करोड़ रुपये की लागत से कुल 126 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति

कार्यान्वयन	लाभार्थी
इसके तहत, प्रमुख संस्थानों से प्रत्येक वर्ष 1000 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को पहचाना जाना है। उन्हें आईआईटी, आईआईएससी और आईआईएसईआर में सीधे पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित किया जाएगा।	यह बाजार प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकों से अत्याधुनिक अनुसंधान करने वाले सबसे अच्छे युवा उभरकर सामने आएंगे। भारत के उज्ज्वल छात्रों को बेहतर शोध सुविधाओं की तलाश में विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है।

अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को अंजाम देने के लिए देश के प्रतिभाशाली टैलेंट पूल का उपयोग करने के उद्देश्य से, एमएचआरडी ने कैबिनेट की मंजूरी से 2018–19 से सात वर्ष की अवधि के लिए रू. 1650 की कुल लागत से प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति (पीएमआरएफ) नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, पूरे भारत में सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले 3000 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी/आईआईएससी/आईआईएसईआर में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उन छात्रों को, जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और जिन्हें पीएमआरएफ दिशानिर्देशों

में निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, पहले दो वर्षों के लिए 70,000/– रु. प्रति माह, तीसरे वर्ष 75,000/– रु. प्रति माह और चौथे व पांचवे वर्षों में 80,000/– रु. प्रति माह की अध्येतावृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अपने विदेशी यात्रा के खर्चों को कवर करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक अध्येता 2 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाएगा। तीन वर्षों की अवधि में अधिकतम 3000 अध्येताओं का चयन किया जाएगा।

- अगस्त 2018 में भर्ती हुए छात्रों के पहले बैच में 119 अध्येताओं का चयन किया गया था।
- दिसंबर, 2018 में चुने गए दूसरे बैच में, 57 अध्येताओं का चयन किया गया है।

योजना के तहत अनुसंधान में एक ओर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित किया जाएगा और देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता संकाय की कमी को संबोधित किया जाएगा।

अनुसंधान पार्क

कार्यान्वयन	लाभार्थी
पहले अनुसंधान पार्क आईआईटी मद्रास में चल रहा था। अब सरकार द्वारा कुल रु. 75.00 करोड़ की लागत आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर में में पांच नए रिसर्च पार्क को मंजूरी दी गई है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर को भी अनुसंधान पार्क खोलने के लिए मंजूरी दी गई थी।	अनुसंधान पार्क मॉडल में उद्यमियों और उद्योग के नेताओं को अनुसंधान पार्क में अपने अनुसंधान और विकास इकाइयों की स्थापना करने और संस्थान में छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अनुसंधान पार्क में निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं नवाचार से पैसा कमाने का एक सच्चा उदाहरण हैं

सरकार ने आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर में 6 अनुसंधान पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। वर्तमान में निर्माणाधीन आईआईटी गांधीनगर रिसर्च पार्क को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पूरे वित्तपोषण के साथ 90 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया है।

आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे के अनुसंधान पार्कों में से प्रत्येक को 100 करोड़ रुपये की लागत से अनुमोदित किया गया है।

उच्चतर अविष्कार योजना

कार्यान्वयन	लाभार्थी
इस योजना के तहत, सभी आईआईटी और आईआईएससी को उद्योग के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां नवाचार और ऐसे समाधानों की आवश्यकता है जिन्हें व्यावसायीकरण स्तर तक लाया जा सकता है। दिसम्बर 2017 के अंत तक 376.97 करोड़ रु. की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी।	इससे उद्योग–विशिष्ट आवश्यकता– आधारित अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा जा सके।

उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई) को उद्योग–विशिष्ट आवश्यकता– आधारित शोध को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा जा सके। सभी आईआईटी एवं आईआईएससी को उद्योग के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां नवाचार और ऐसे समाधानों की आवश्यकता है जिन्हें व्यावसायीकरण स्तर तक लाया जा सकता है।

स्टार्ट–अप इनिशिएटिव और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (एसआईएच–2019)

एआईसीटीई स्टार्ट–अप कार्यक्रम का उद्देश्य एक आदर्श उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके और तकनीकी संस्थानों के बीच मजबूत अंतर–संस्थागत भागीदारी को बढ़ावा देकर अगले 10 वर्षों में 1,00,000 टेक–आधारित छात्र स्वामित्व वाले स्टार्ट–अप और रोजगार के एक लाख अवसर पैदा करना है। एआईसीटीई ने अपने स्टार्ट–अप कार्यान्वयन प्रकोष्ठ के माध्यम से कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थकों के साथ कई स्तरों पर नीति और कार्यक्रम के रूपांतरण और पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कई ठोस प्रयास किए। इसने अन्य चीजों के साथ ही नेटवर्किंग के लिए नीति आयोग, एमएसएमई आदि के साथ समझौता ज्ञापन किया है। एआईसीटीई ने स्टार्ट–अप और नवाचार विकास के क्षेत्र में सहयोगी कार्यक्रम बनाते समय सहयोग का समर्थन करने और इसके संवर्धन के लिए फरवरी 2018 में कनाडा–भारत एक्सेलेरेशन प्रोग्राम (सीआईएपी) के तहत में कैरलटन यूनिवर्सिटी, कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अगले 5 वर्षों में कुल मिलाकर 50– कनाडाई और 50– भारतीय महिला नेतृत्व स्टार्ट–अप को सहायता प्रदान की जाएगी।

एआईसीटीई ने एमआईसी (एमएचआरडी नवाचार प्रकोष्ठ), i4c और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के सहयोग से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच 2019) का आयोजन किया। 96 उद्योगों और 18 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ, एसआईएच 2019 अपने पिछले संस्करणों की तुलना में बहुत बड़ा था। एसआईएच में छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है, 'स्टार्टअप इंडिया' अभियान के लिए फ़नल बनाया जाता है, प्रशासन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्रोत समाधान एकत्र किए जाते हैं और भारत की समस्याओं को नवीन समाधान प्रदान करने के लिए छात्रों सहित नागरिकों को अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें 2 उप–संस्करण शामिल हैं– सॉफ्टवेयर संस्करण, जो कि 36–घंटे की सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा है और हार्डवेयर संस्करण, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इसके तहत प्रोटोटाइप का विकास छात्रों द्वारा किया जाता है। एसआईएच–2019 सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले, 2 और 3 मार्च, 2019 को पूरे भारत भर में 49 विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया गया था, जहां 34,000 से अधिक विचारों का मूल्यांकन किया गया था।

नवंबर, 2018 में एनटीयू सिंगापुर में प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हैकाथन का आयोजन किया गया था, यह ''स्मार्ट कैंपस'' पर केंद्रित था और इसमें 40 टीमों (प्रत्येक देश से 3–प्रतिभागियों वाली 20 टीमों) की भागीदारी थी। विजेता टीमों को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

ग्लोबल इनिशिएटिव फोर अकादमिक नेटवर्क (ज्ञान)

कार्यान्वयन	लाभार्थी
ज्ञान कार्यक्रम, विदेशी और भारतीय संकायों को एक शैक्षिक पाठ्यक्रम सिखाने के लिए एक साथ लाता है जो दुनिया के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से चुने गए प्रतिभागी छात्रों को अंक प्रदान करते हैं।	वैज्ञानिकों और उद्यमियों का पूल, यह देश के मौजूदा शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाता है और गुणवत्ता सुधार की गति को तेज करता है।

हमारी शिक्षा प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए, छात्रों और संकायों की दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ अकादमिक और उद्योग विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने को सुगम बनाने के लिए और साथ ही, लोगों को भारतीय समस्याओं पर काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए, इस बात की

आवश्यकता है कि "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान की एक प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसमें न केवल नए आईआईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर बल्कि देश के अन्य संस्थानों के लिए एक व्यापक संकाय विकास कार्यक्रम भी होगा। तदनुसार, 30 नवंबर, 2015 को प्रधान मंत्री द्वारा आईआईटी, गांधीनगर में ज्ञान शुरू किया गया था। ज्ञान कार्यक्रम, विदेशी और भारतीय संकायों को एक शैक्षिक पाठ्यक्रम सिखाने के लिए एक साथ लाता है जो दुनिया के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से चुने गए प्रतिभागी छात्रों को अंक प्रदान करते हैं। अभी तक सरकारी शिक्षण संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए 478 विदेशी शिक्षाविदों ने सहमति दी है और इनका अनुमोदन किया गया। प्रतिभागी छात्रों और संकायों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। यह शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय तालमेल और साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त शिक्षाविदों को पूरे भारत में संस्थानों में लाने के लिए चल रही प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यात्रा और मानदेय की 8000–12000 डॉलर तक की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 2015–16 और 2016–17 के दौरान योजना के लिए क्रमशः 35 करोड़ और 20 करोड़ रुपये जारी किए गए। यह एक वर्ष की अवधि में देश में विदेशी शिक्षाविदों के साथ सबसे बड़ा सहयोग है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा

कार्यान्वयन	लाभार्थी
रूपरेखा में प्रत्येक उच्च शैक्षणिक संस्थान को मुख्य रूप से मानव संसाधन अनुसंधान, प्रत्यायन परिणामों, आउटरीच और समावेशिता और धारणाओं के शिक्षण के लिए व्यापक मापदंडों पर रैंक किया जाता है।	इससे भारत में शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा होती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2016 के लिए रैंक पहले सोमवार अर्थात 4 अप्रैल, 2016 को जारी किया गया था।

पाठ्यक्रमों की वस्तुनिष्ठता और परिणामों का अकादमिक समुदाय और माता–पिता और छात्रों द्वारा स्वागत किया गया है, जो परिणामस्वरूप विवेकपूर्ण विकल्प चुनने में सक्षम हैं। रैंक को मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा और फार्मा संस्थानों की चार श्रेणियों में जारी किया गया था। 5000 संस्थानों ने पंजीकरण किया, जिनमें से 3640 ने संपूर्ण डाटा और स्वयं रिपोर्टिंग के माध्यम से लॉग इन किया। 4 अप्रैल, 2016 को जारी इंडिया रैंकिंग 2016 उच्च शिक्षण संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए सबसे बड़े प्रयासों में से एक है (https://www.nirfindia.org)। यह प्रयास तीसरे संस्करण में बेहतर मेट्रिक्स के साथ जारी रहा है और 5 अप्रैल 2018 को भारत रैंकिंग 2018 घोषित की गई।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

कार्यान्वयन	लाभार्थी
बजट घोषणा 2017–18 के अनुसरण में, सीबीएसई द्वारा आयोजित की जा रही सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को स्थापित किया गया है।	छात्र समुदाय इसके प्रमुख लाभार्थी हैं क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग प्रवेश की समान गतिविधि के लिए एकाधिक परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।

सीबीएसई द्वारा आयोजित की जा रही सभी प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को स्थापित किया गया है। 2019 के बाद से परीक्षा का आयोजन एनटीए करेगा।

एनटीए की मुख्य विशेषताएं हैं:

- एनटीए शुरू में उन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगा जो वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही हैं।
- अन्य परीक्षाएं एनटीए के पूरी तरह से तैयार होने के बाद धीरे–धीरे ली जाएंगी।
- प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी, जिससे उम्मीदवारों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।
- ग्रामीण छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह केंद्रों को उप–जिला/जिला स्तर पर अवस्थित करेगा और जहां तक संभव हो छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

व्यापक भाषा नीति

कार्यान्वयन	लाभार्थी
देश के लिए व्यापक भाषा नीति तैयार करने के लिए 29.12.2014 को भाषा पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने 24.08.2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।	भारतीय भाषा का पुनरुद्धार और प्रोत्साहन

स्टार्स योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2019 में बुनियादी विज्ञानों में अनुसंधान परियोजनाओं को अतिरिक्त निधि प्रदान करने के उद्देश्य से 'स्कीम फॉर ट्रांसफ़ॉमेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेज (स्टार्स)' नामक एक नई योजना शुरू की गई है, जो परिणामों में अंतर–विषयी और स्थानान्तरणीय हैं। यह भी आवश्यक है कि परियोजनाएँ भारत केंद्रित हों। सामाजिक रूप से प्रासंगिक अनुसंधान को सहायता प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से, योजना के मूल बल वाले दायरे में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, नैनो विज्ञान, डाटा विज्ञान और गणित और पृथ्वी विज्ञान शामिल हैं। योजना के लिए कुल बजट 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसका कार्यान्वयन, निगरानी और प्रबंधन भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर द्वारा किया जाना है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण

2011 में अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) शुरू किया गया था, जिसमें वर्ष 2010–11 के आंकड़े एकत्र किए गए थे। सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक था क्योंकि उच्चतर शिक्षा के किसी भी स्रोत ने देश में उच्चतर शिक्षा की पूरी तस्वीर नहीं दी थी। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे, जिन पर नीति बनाने के लिए डाटा की आवश्यकता थी, लेकिन या तो कोई डाटा उपलब्ध नहीं था या अधूरा डाटा उपलब्ध था। पहली बार उच्चतर शिक्षा में सभी प्रमुख हितधारक जैसे कि भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने डाटा संग्रह का कार्य किया है। संपूर्ण सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया था और इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था, इस प्रकार यह कार्य पूरी तरह से पेपररहित हो गया। सर्वेक्षण में देश के सभी संस्थानों को शामिल किया गया है जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करने में लगे हुए हैं। कई मापदंडों पर डाटा एकत्र किया जा रहा है जैसे शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, बुनियादी ढांचा आदि। एआईएसएचई के माध्यम से एकत्र आंकड़ों से शिक्षा विकास के संकेतक जैसे कि संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र–शिक्षक अनुपात, लिंग परिमाण सूचकांक आदि की गणना की जाती है। शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत निर्णय और अनुसंधान करने में ये उपयोगी हैं।

एआईएसएचई 2010–11 से 2017–18: वर्ष 2010–11 के लिए डेटा एकत्र करने के लिए

एआईएसएचई की शुरुआत के बाद से, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिक्रिया में काफी सुधार हुआ है। एआईएसएचई 2017–18 के दौरान, 98% विश्वविद्यालय, 97% कॉलेजों और 91% स्टैंड–अलोन संस्थानों ने पोर्टल पर डाटा अपलोड किया। एआईएसएचई 2010–11 से 2017–18 के लिए अंतिम रिपोर्ट एमएचआरडी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2017–18 के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और वर्ष 2018–19 के लिए सर्वेक्षण 3 दिसंबर, 2018 को शुरू किया गया था।

महिला पुरूष संतुलन में सुधार– आईआईटी में बी. टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार के उद्देश्य से, उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा निदेशक, आईआईटी–मांडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। आईआईटी परिषद ने 28.04.2017 को आयोजित अपनी 51 वीं बैठक में समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अतिरिक्त सीटों का सृजन कर महिला नामांकन को मौजूदा 8% से 2018–19 में 14%, 2019–20 में 17% और 2020–21 में 20% तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

❖ ❖ ❖

02

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में नामांकन–एक तुलनात्मक अध्ययन

(क) वर्ष 2011–12 और 2017–18 (XII योजना के 5वें वर्ष के अंत) के बीच संकाय–वार नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन

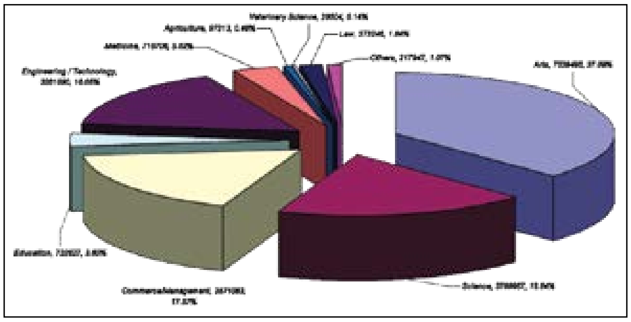

चित्र 1.1: संकाय–वार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय और कॉलेजः 2011–12

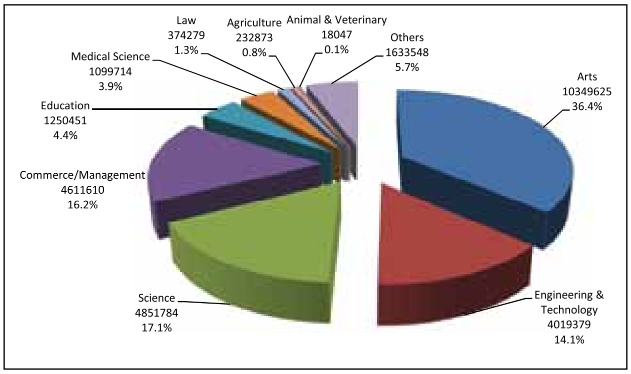

चित्र 1.2: अवर स्नातक में संकाय–वार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय और कॉलेजः 2017–18

** स्रोतः एआईएसएचई*

वर्ष 2011–12 और 2017–18 (चित्र 1.1 और 1.2) के लिए उच्चतर शिक्षा में संकाय–वार नामांकन दर्शाता है कि वर्ष 2017–18 के दौरान सभी संकायों के छात्र नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 के दौरान कला, विज्ञान, वाणिज्य/प्रबंधन, शिक्षा, इंजीनियरिंग/तकनीकी, औषधि, कृषि, पशुचिकित्सा, विज्ञान, विधि और अन्य संकाय में छात्र नामांकन का हिस्सा क्रमशः 36.4%, 17.1%, 16.2%, 4.4%, 14.1%, 3.9%, 0.8%, 0.1%, 1.3%, 5.7% है।

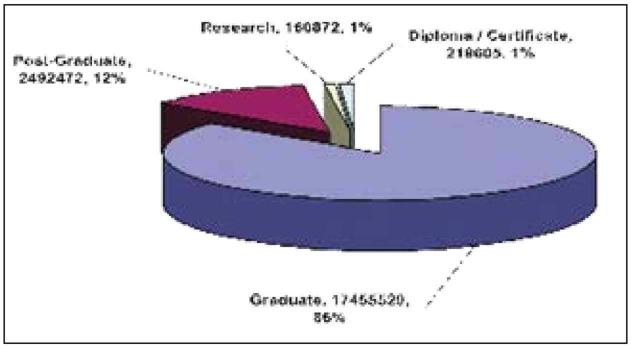

चित्र 2.1: स्तर–वार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कॉलेज और संबद्ध कॉलेज : 2011–12

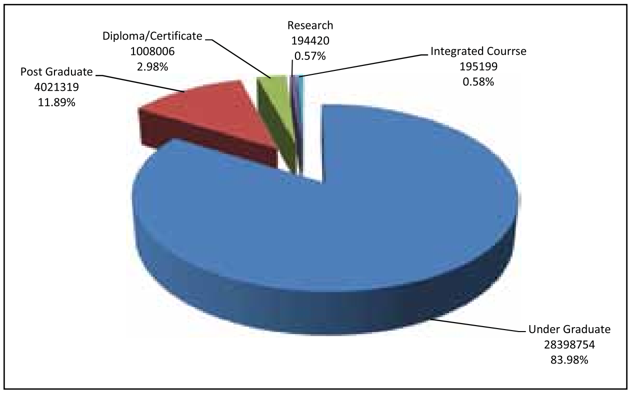

चित्र 2.2: स्तर–वार छात्र नामांकनः विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/ विश्वविद्यालय कॉलेज और संबंध कॉलेजः 2017–18

वर्ष 2011–12 और 2017–18 (चित्र 2.1 और 2.2) के लिए उच्चतर शिक्षा के स्तर वार नामांकन के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों के नामांकन में क्रमशः 62.69% और 61.34% की वृद्धि हुई है। इसमें एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल नहीं है जोकि कुल नामांकन के 0.58% है। इस अवधि के दौरान नामांकन में कुल वृद्धि 66.36% है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2011 में शुरू किया गया जिसमें वर्ष 2010—11 के आंकड़ों को एकत्र किया गया था। सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक था क्योंकि उच्च शिक्षा के आंकड़ों के स्रोतों में से कोई भी देश में उच्च शिक्षा की पूरी तस्वीर नहीं देता था। इसके अलावा, वहाँ कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे जिन पर नीति बनाने के लिए डाटा की आवश्यकता थी लेकिन या तो कोई डाटा उपलब्ध नहीं था या अपूर्ण डाटा उपलब्ध था। पहली बार उच्च शिक्षा में सभी प्रमुख हितधारकों जैसे भारत की चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने डाटा संग्रह कार्य के लिए भाग लिया है। पूरे सर्वेक्षण का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया और इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था, इस प्रकार, यह काम पूरी तरह से कागज रहित हो गया। सर्वेक्षण में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले देश के सभी संस्थानों को शामिल किया गया है। शिक्षक, छात्र नामांकन, कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, अवसंरचना आदि जैसे कई मापदंडों से संबंधित आंकडे एकत्र किए जा रहे हैं। शैक्षणिक विकास के संकेतकों जैसे संस्था के घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र—शिक्षक अनुपात, जेंडर समता आदि की गणना की जाती है। एआईएसएचई द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से ये शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए सूचित नीतिगत फैसलों और अनुसंधान करने में उपयोगी हैं।

एआईएसएचई 2010—11 से 2017—18: सर्वेक्षण के प्रथम वर्ष में, लगभग 90% विश्वविद्यालय, 50% कॉलेजों और 50% स्टेंड अलोन संस्थाओं ने प्रतिक्रिया दी थी। इस सर्वेक्षण हेतु प्रतिक्रिया करने वाली संस्थाओं की संख्या में आने वाले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा हेतु डेटा एकत्रण में सबसे अधिक है। 8 वर्षों हेतु सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। एआईएसएचई 2010—11 से 2017—18 की सभी रिपोर्टें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्ष 2016—17 से आगे सर्वेक्षण से, विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्था में तैनात सभी शिक्षकों के ब्यौरे एकत्रित करने के लिए मुख्य डेटा केपचर फार्मेट (डीसीएफ) के भाग के रूप में शिक्षक सूचना फार्म (टीआईएफ) को नया प्रारूप तैयार किया गया है। एआईएसएचई 2018—19 को 3 दिसंबर, 2018 को शुरू किया गया।

संचालन समिति : XII योजना ने स्पष्ट रूप से साक्ष्य आधारित नीति बनाने और प्रभावी योजना के लिए मजबूत डेटा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। योजना दस्तावेज ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का भी ध्यान रखा और यह उल्लेक किया गया कि यह उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है और एक व्यापक उच्च शिक्षा डाटा प्रबंधन प्रणाली बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, XII पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना उच्च शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) को मंजूरी दी गई है। इन सभी प्रयासों के लिए समन्वयित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से डेटा संग्रह प्रयासों और इस तरह के प्रयासों में तालमेल से लाभ के विचार के साथ, एचईएसपीआईएस के लिए संचालन समिति का गठन सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सदस्यों के रूप में विभिन्न हितधारकों की अध्यक्षता में गठित किया गया है।

एआईएसएचई 2018—19 के मुख्य परिणाम

- इस सर्वेक्षण में देश की समस्त उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को कवर किया गया है। संस्थाओं को तीन व्यापक श्रेणियों; विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंड अलोन संस्थाओं में विभाजित किया गया है।

- एआईएसएचई वेब पोर्टल पर 903 विश्वविद्यालय, 39050 कॉलेज और 10011 स्टैंड अलोन संस्थाएं सूचीबद्ध हैं जिनमें से सर्वेक्षण के दौरान 882 विश्वविद्यालयों, 38061 कॉलेजों और 9090 स्टैंड अलोन संस्थाओं ने प्रतिक्रिया दी है। 298 विश्वविद्यालयों के संबद्ध कॉलेज हैं।
- 343 विश्वविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित हैं। 357 विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।
- 15 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं जिनमें से 4 राजस्थान, 2 तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक है।
- एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय है। 110 दोहरी पद्धति विश्वविद्यालय हैं जो कि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करते हैं और इनमें से अधिकतम (16) तमिलनाडु में स्थित हैं।
- 500 सामान्य, 126 तकनीकी, 70 कृषि और संबद्ध, 58 चिकित्सा, 22 विधि, 13 संस्कृत और 10 भाषा विश्वविद्यालय हैं।
- भारत में कॉलेजों की उच्चतर संख्या वाले शीर्ष 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मध्यप्रदेश शामिल हैं।
- कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाले जिलों में 893 कॉलेजों के साथ बेंगलौर (शहरी) जिला सबसे ऊपर है जिसके बाद 558 कॉलेजों के साथ जयपुर है। शीर्ष 50 जिलों में लगभग 32.6% कॉलेज हैं।
- कॉलेज घनत्व अर्थात कॉलेजों की संख्या प्रति लाख पात्र जनसंख्या (आयु समूह 18–23 वर्ष की जनसंख्या) 28 के अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में 7 से तेलंगाना में 51 तक भिन्न–भिन्न है।
- 60.48% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और 11.04% कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।
- केवल 3.6% कालेजों में पीएच.डी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं और 36.7% कालेज स्नातकोत्तर स्तर कार्यक्रम संचालित करते हैं।
- 33.8% कालेज केवल एक कार्यक्रम संचालित करते है जिनमें से 83.1% कालेज निजी तौर पर प्रबंधित हैं। इनमें से, 55.1% कॉलेज केवल बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।
- 78% कालेज निजी तौर पर प्रबंधित है; 64.7% निजी–गैर–सहायता प्राप्त हैं और 13.3% निजी सहायता प्राप्त है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 82% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं और तमिलनाडु में 76.2% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं जबकि असम में केवल 12% निजी–गैर–सहायता प्राप्त कालेज हैं।
- 18.5% कालेजों में नामांकन 100 से कम है और केवल 3.6% कालेजों में नामांकन 3000 से अधिक है।
- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन अनुमानित 36.6 मिलियन है जिसमें 19.2 मिलियन बालक और 17.4 मिलियन बालिकाएं हैं। कुल नामांकन की 47.6% बालिकाएं हैं।
- भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 25.8% है जोकि 18–23 वर्ष की आयु समूह की गणना के अनुसार है। 25.8% के राष्ट्रीय जीईआर की तुलना में पुरूष जनसंख्या हेतु जीईआर 26.3%, महिलाओं हेतु 25.4%, अनुसूचित जाति हेतु 21.8% और अनुसूचित जनजाति हेतु 15.9% है।

- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का 11% दूरस्थ नामांकन है जिसमें से 42% महिला छात्र हैं।
- लगभग 79.19% छात्र अवर स्नातक कार्यक्रम में नामांकित हैं। 1,61,412 छात्र पीएच.डी हेतु नामांकित हैं जोकि कुल छात्र नामांकन का 0.44% से कम है।
- सबसे अधिक छात्र बी.ए. कार्यक्रम हेतु नामांकित हैं उसके बाद बी.एससी और बी.कॉम कार्यक्रमों का नंबर आता है। उच्चतर शिक्षा में लगभग 191 कार्यक्रमों में से केवल 10 कार्यक्रम कुल नामांकित छात्रों के 84% को कवर करते हैं।
- अवर स्नातक पर कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक (36.4%) छात्र नामांकित हैं उसके बाद विज्ञान (17%), इजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और वाणिज्य प्रत्येक में (14.1%) छात्र नामांकित हैं।
- पीएच.डी. स्तर पर, सबसे अधिक छात्र विज्ञान स्ट्रीम में नामांकित हैं उसके बाद इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में। दूसरी तरफ, स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वाधिक छात्र सामाजिक विज्ञान स्ट्रीम में नामांकित हैं और प्रबंधन नंबर दो पर है।
- सर्वाधिक छात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं।
- कुल नामांकन में से अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन 14.4% और अनुसूचित जनजाति छात्रों का नामांकन 5.2% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र 35%, मुस्लिम अल्पसंख्यक छात्र 5% और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र 2.2% है।
- उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 46144 है।
- विश्वभर के 166 विभिन्न देशों से विदेशी छात्र आते हैं। शीर्ष 10 देशों के कुल विदेशी छात्रों का नामांकन 63% है।
- विदेशी छात्रों की अधिकतम संख्या पड़ोसी देशों से है जिसमें कुल नामांकन में नेपाल 25%, अफगानिस्तान (9.5%), सूडान (4.8%), भूटान (4.3%), नाइजीरिया (4%) हैं।
- प्राइवेट सेक्टर, सहायता प्राप्त और गैर–सहायता प्राप्त कुल 78% से अधिक कॉलेज संचालित हैं, परंतु ये कुल नामांकन के केवल 67.3% की आवश्यकता को पूरा करते हैं।
- शिक्षकों की अनुमानित कुल संख्या 1284755 है जिसमें से आधे से अधिक लगभग 58% पुरूष शिक्षक और 42% महिला शिक्षक हैं।
- अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरूष शिक्षकों की तुलना में मात्र 72 महिला शिक्षक है।
- विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यदि नियमित नामांकन को देखा जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30 है और विश्वविद्यालयों और इसके घटक यूनिटों का नियमित मोड में पीटीआर 20 है।
- गैर–शिक्षण स्टाफ में सर्वाधिक भाग समूह 'ग' पदों का 40% है इसके बाद समूह 'घ' का 28% है। समूह 'क' और समूह 'ख' का भाग क्रमशः 15% और 17% है।
- गैर–शिक्षण स्टाफ में महिलाओं की औसत संख्या प्रति 100 पुरूषों की तुलना में 47 है।
- वर्ष 2017 के दौरान, 34400 छात्रों को पीएच.डी डिग्री अवार्ड की गई जिसमें 20179 पुरूष और 14221 महिलाएं हैं।
- बी.ए (23.89 लाख) डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। बीएससी (11.52 लाख) दूसरे और बी.कॉम (9.39 लाख) तीसरे नम्बर पर है।

- स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए पास करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है इसके बाद एम.एससी और एमबीए है।
- कला पाठ्यक्रमों में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या (23.89 लाख) सर्वाधिक है।
- पीएच.डी स्तर पर, विज्ञान स्ट्रीम डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है जिसके बाद इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी है। दूसरी ओर पीजी स्तर पर सामाजिक विज्ञान स्ट्रीम की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है और उसके बाद प्रबंधन स्ट्रीम दूसरे नंबर पर है।
- **राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों** में पीएच.डी छात्रों की संख्या (31.57%) सर्वाधिक है उसके बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (20.38%), केन्द्रीय विश्वविद्यालय (15.83%) और निजी समवत् विश्वविद्यालय (13.06%) का नंबर आता है।
- राष्ट्रीय महत्व संस्थान में महिला छात्रों की संख्या बहुत कम है इसके बाद राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय, सरकारी समवत् विश्वविद्यालयों का नंबर आता है।

केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (केब)

1. केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (केब) शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। 11 जून, 2015 के संकल्प सं. 2–8/2011–पीएन–I के जरिए इसे तीन वर्षों के लिए पुनर्गठित किया गया था। 15 जनवरी से 16, जनवरी 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की अध्यक्षता में केब की 65वीं बैठक का आयोजन किया गया था।

2. इस दो दिवसीय बैठक में माननीय केंद्रीय मंत्रियों, श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला और बाल विकास मंत्री; श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री; कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. महेश शर्मा, संस्कृति राज्य मंत्री और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; डॉ. सत्य पाल सिंह, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (उच्चतर शिक्षा) ने भाग लिया।

3. केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, केब के सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुखों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ–साथ 22 राज्यों के शिक्षा मंत्री, 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केब के सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रमुख, विश्वविद्यालयों के कुलपति, और श्री के.के. शर्मा, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग और सदस्य सचिव, केब और श्री अनिल स्वरूप सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भी बैठक में उपस्थित थे।

4. बैठक में, कार्यसूची में से और राज्य सरकारों एवं विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए सरोकारों से कुछ निर्णय लिए गए। निम्नलिखित संकल्प अपनाए गए थे: –

   i. केब, नए विश्वविद्यालय, कॉलेज खोलकर, अवसंरचना का अधिक उत्पादक उपयोग करके और ओडीएल एवं ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग करके जीईआर बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगा।

   ii. केब, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करेगा और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा।

iii. केब, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी योग्य छात्र को साधनों की कमी के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए।

iv. केब, गुणवत्ता में सुधार पर अधिक जोर देने, गुणवत्तापरक संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने, और शासन में सुधार, गुणवत्ता और विकल्प बढ़ाने के लिए डिजिटल पहल की शुरुआत करने की पहल की सराहना करता है।

v. केब, सभी हितधारकों को उत्तरदायी बनाने के लिए और अधिक प्रयासरत होगा।

vi. केब ने उन्नत भारत, स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्मार्ट और हरित परिसर जैसे अभिनव कार्यक्रमों में पूरे मनोयोग से भाग लेने का निर्णय लिया है।

vii. केब समता, पहुंच, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए पुनः समर्पण व्यक्त करता है।

राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) :

1. भारत सरकार सभी स्टेकहोल्डरों को प्रभावी सेवाएं प्रदान के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के माध्यम से प्रशासनिक और शैक्षिक सुधार लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। शिक्षा देश के लगभग प्रत्येक नागरिक से जुड़ी है और सरकार की मंशा बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने की है जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं को उनके मुख्य कार्यकलापों को करने में भी सुविधा प्रदान करेगा। इस दिशा में शैक्षिक डिजिटल डिपोजिटरी की राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी (एनएडी) नामक एक पहल है। भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एनएडी की शुरूआत 9 जुलाई, 2017 को की है।

2. एनएडी, शैक्षिक पुरस्कारों (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अंक तालिका इत्यादि) का एक ऑनलाइन भंडारगृह है जिन्हें शैक्षिक संस्थाओं/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा डिजिटल प्रारूप में अपलोड किया गया है। एनएडी, शैक्षिक अवार्ड 24×7 ऑन लाइन पद्धति में उपलब्ध कराता है और उनकी प्रमाणिकता की वैधता, सुरक्षित भंडारण और सहज पुनःप्राप्ति में भी मददगार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी (एनएडी) का प्राधिकृत कार्यान्वयन निकाय है। एनएडी में दो अंतर–संचालित डिजिटल डिपोजिटरी नामतः सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड (सीवीएल) और एनएसडीएल डाटाबेस प्रबंधन लिमिटेड (एनडीएमएल) हैं। एनएडी के संबंध में ब्यौरा www.nad.gov.in पर उपलब्ध है।

3. **एनएडी के उपयोगकर्ता**

- छात्र और अन्य शैक्षणिक पुरस्कार धारक
- शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड/पात्रता मूल्यांकन निकाय
- सत्यापन की मांग करने वाली संस्थाएं अर्थात बैंक, नियोक्ता कंपनियां (घरेलू और विदेशी), सरकारी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान/बोर्ड/पात्रता मूल्यांकन निकाय (घरेलू और विदेशी) आदि।

4. **प्रतिभागी**

- केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय उच्च शैक्षिक

संस्थानों और संसद के एक अधिनियम द्वारा संस्थानों को डिग्री, डिप्लोमा आदि प्रदान करने का अधिकार दिया गया है।

- राज्य विश्वविद्यालय, समवत विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय।
- भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों के तहत स्थापित प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा अनुमोदित संस्थान।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राज्य स्कूल बोर्ड और अन्य बोर्ड।
- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) के लिए यूजीसी और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए सीबीएसई जैसे केंद्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय।

5. एनएडी की विशेषताएं

- पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में चल रही है।
- अकादमिक पुरस्कारों को एक डिजिटल प्रारूप में दर्ज कर सकते हैं, डाटाबेस की पहुंच की अखंडता को बनाए रखता है और डाटाबेस में दर्ज किए गए पुरस्कारों को बनाए रखता है।
- छात्र, किसी भी समय अपने दर्ज अकादमिक पुरस्कार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- नियोक्ता और अन्य व्यक्ति (संबंधित छात्र के पूर्व अनुमोदन से) किसी भी शैक्षणिक पुरस्कार की प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकते हैं।
- डाटाबेस की प्रामाणिकता, अखंडता और गोपनीयता बनाए रखता है।

6. एनएडी के लाभ

शैक्षणिक संस्थानों के लिए:

- जारी किए गए शैक्षणिक पुरस्कारों का स्थायी रिकॉर्ड;
- डुप्लिकेट अकादमिक पुरस्कार जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, छात्र इसे एनएडी से प्राप्त कर सकते हैं;
- नकली और जाली कागज प्रमाण पत्र के लिए प्रभावी रोक;
- सभी शैक्षणिक पुरस्कारों का सत्यापन एनएडी द्वारा आवश्यक किया जा सकता है;
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बचत के परिणामस्वरूप अधिक कुशल और केंद्रित संगठन।

छात्रों के लिए:

- शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपलोड करने पर अकादमिक पुरस्कारों की तत्काल उपलब्धता।
- अकादमिक पुरस्कारों का ऑनलाइन, स्थायी रिकॉर्ड।
- शैक्षिक पुरस्कारों को खोने, खराब होने का कोई जोखिम नहीं।
- अकादमिक पुरस्कारों की कभी भी, सहज पहुँच।

सत्यापन की मांग करने वाले संगठनों (नियोक्ता कंपनियों, बैंकों आदि) के लिए

- शैक्षिक पुरस्कारों का ऑनलाइन, त्वरित और विश्वसनीय सत्यापन (संबंधित छात्र की पूर्व सहमति से)
- अकादमिक पुरस्कारों की अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करना

- नकली और जाली प्रमाण पत्र का कोई जोखिम नहीं।
- सत्यापन के लिए लागत, समय और प्रयासों में कमी

7. कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान, (i) एनएडी के साथ ऑन–बोर्ड किए गए शैक्षणिक संस्थानों की संख्या 247 से बढ़कर 899 हो गई, (ii) एनएडी पर पंजीकृत छात्रों की संख्या 17,443 से बढ़कर 3,93,285 हो गई, (iii) एनएडी पर दर्ज शैक्षणिक अवार्ड (डिग्री, अंक तालिका, प्रमाणपत्र, आदि सहित) की संख्या 75,65,008 से बढ़कर 1,80,15,944 हो गई और (iv) एनएडी पर सत्यापन की मांग करने वाली पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 94 से बढ़कर 171 हो गई।

राष्ट्रीय रैगिंग निवारण कार्यक्रम

लक्ष्य:

शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग पर नियंत्रण और भारत को एक रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाना।

कवरेज:

1. यह कार्यक्रम पूरे देश को कवर करता है।रोकथाम (i) कॉलेज प्राधिकारियों और माता–पिता एवं छात्रों बीच बेहतर संवाद (ii) कारगर निगरानी तथा कानूनों का पालन और (iii) सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से की जाती है। इस कार्यक्रम में छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावकारी कार्यतंत्र का भी प्रावधान है।

2. यूजीसी ने सभी संबंधित द्वारा प्रभावी समन्वित कार्रवाई करने के अलावा, रैगिंग के पीडितों की सहायता हेतु कॉल सेंटर सुविधाओं के साथ 12 भाषाओं में रैगिंग विरोधी टोल फ्री 'हेल्पलाइन' 1800–180–5522 शुरू की है। रैगिंग की शिकायतें ई–मेल के माध्यम से helpline/antiragging.in पर भी दर्ज करवाई जा सकती है।

3. राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन द्वारा दिनांक 18.04.2012 से आज तक रैगिंग की 4402 शिकायतें रिकार्ड की गईं जिनमें से 4319 शिकायतों का निपटान किया गया है।

4. यूजीसी ने रैगिंग रोधी वेबसाइट अर्थात www.antiragging.in भी तैयार की है। इस पोर्टल पर प्राप्त दर्ज शिकायतों का और उन पर की गई कार्रवाई की स्थिति का रिकार्ड उपलब्ध है। पीडित www.amanmovement.org के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा दिनांक 29.05.2017 को रैगिंग की शिकायतें दर्ज करवाने, रैगिंग रोधी शपथपत्र दाखिल करने और टोल फ्री रैगिंग रोधी हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करने के लिए एक रैगिंग रोधी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरूआत की थी।

5. एंटी रैगिंग रोकथाम हेल्पलाइन और इसके सहयोगी तंत्र के क्षेत्र को विस्तारित करके पूरे देश के विद्यार्थियों के बीच नस्लीय और जातीय भेदभाव के मामलों को शामिल किया गया था। अब यह रैगिंग रोधी और जातीय भेदभाव रोधी हेल्पलाइन है।

6. जन जागरूकता अभियानों का भी नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। यूजीसी ने रैगिंग के विरूद्ध, रैगिंग के विभिन्न पक्षों पर वीडियो (आरोपी, पीडित और अभिभावकों) और रैगिंग रोधी वृत्तचित्र अपलोड किए हैं। ये वीडियो यूजीसी वेबपेज http://www.ugc.ac.in/page/ Video-Regarding-Ragging.aspx पर उपलब्ध हैं।

7. शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों वाली समिति द्वारा कार्यक्रम की समग्र निगरानी की जाती है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत

एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत सरकार द्वारा भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पर्यटन और लोगों से लोगों के बीच अन्य रूपों के माध्यम से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षिक संस्थानों और आम जनता के बीच एक समन्वित पारस्परिक भागीदारी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण को संपोषित करने के लिए एक पहल है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 16 युग्मों में बांटा गया था। योजना की विस्तृत पृष्ठभूमि, इसके उद्देश्य, कार्यान्वयन कार्यनीति/ कार्यप्रणाली और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के युग्म इसकी वेबसाइट "ekbharat.gov.in" पर उपलब्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके कार्यान्वयन का समन्वयन करता है।

राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों ने अपने युग्मित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बाद शैक्षिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, पर्यटन, खेल, युवा–संबंधित गतिविधियों में गतिविधियों की श्रृंखला को कवर करने वाले और विभिन्न व्यवहारों को साझा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कार्यक्रम के तहत विभिन्न विषय शामिल हैं। उन्होंने सौ से अधिक सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें युग्मित राज्यों के लोग और कलाकार शामिल थे, बहुत–से खाद्य उत्सवों, कार्यक्रमों का आयोजन किया जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस, रन फॉर यूनिटी, भारत पर्व, कला यात्रा, सदकाल गुजरात, गिर मानसून उत्सव, बस्तर महोत्सव, तवांग महोत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, बाथुकम्मा फेस्टिवल आदि। राज्यों ने भी कुछ मामलों में एक–दूसरे के स्थापना दिवस मनाए।

कई युग्मित राज्यों जैसे हरियाणा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब, तमिलनाडु और जम्मू–कश्मीर, गोवा और झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, केरल और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और सिक्किम और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों ने कई छात्र विनिमय, सांस्कृतिक विनिमय और पर्यटक विनिमय गतिविधियाँ कीं। बहुत–से उच्च शैक्षिक संस्थानों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत आने वाले केंद्रीय स्कूलों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत लगभग 1000 कार्यक्रमों में भाग लिया और इनका आयोजन किया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भाषा संगम की शुरुआत की, जो भाषाई विविधता का उत्सव है, जिसमें 20 नवंबर से 21 दिसंबर, 2018 तक हमारे देश की भाषाओं की अद्वितीय समता की सराहना की गई है। पर्यटन मंत्रालय ने होटल प्रबंधन संस्थानों के माध्यम से विभिन्न खाद्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसने भारत पर्व और पर्यटन पर्व का भी आयोजन किया जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों ने भागीदारी की। आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों के प्रसारण कार्यक्रम, युग्मित राज्यों पर आधारित थे। इसी प्रकार, बहुत– से दूरदर्शन केंद्र, युग्मित राज्यों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 77 पुस्तकों का अनुवाद किया जिनमें भारत की संस्कृति, इतिहास और अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। संस्कृति मंत्रालय ने कई कार्यक्रम आयोजित किए जैसे टिहरी में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, मगहर में कबीर महोत्सव "अनहद नाद", जबलपुर में नर्मदा नाट्य महोत्सव, वाराणसी में स्वच्छता की ज्योति, पटना में अतुल्य भारत, मोतिहारी में लोकोत्सव 2018 और उत्तर प्रदेश में आयोजित कुंभ मेले में जनवरी 2019 से मार्च, 2019 तक एक मेगा कार्यक्रम "संस्कृति कुंभ" आयोजित किए। रेल मंत्रालय ने बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न एलईडी डिस्प्ले में ईबीएसबी लोगो

और स्टेशनों एवं रेलगाडियों में इस विषय पर 60 सेकंड की क्लिप प्रदर्शित की। युवा कार्यक्रम विभाग के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन ने युग्मित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कई अंतर राज्य युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए। खेल विभाग ने युग्मित राज्यों में से टीमें बनाईं और कबड्डी, फुटबॉल, हैंडबॉल आदि में 'पेयर्ड स्टेट चैंपियनशिप' का आयोजन किया।

मानव संसाधन विकास मंत्री की अगुवाई में एक मंत्री समूह ने देशभर में सांस्कृतिक अंतर को पाटने और विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों के बीच अंतक्रिया बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समय–समय पर समीक्षा की। एक वर्ष में मंत्री समूह की तीन बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें से एक बैठक 2018–19 में हुई थी।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों से प्राप्त रिपोर्टों को न्यूजलेटर के रूप में संकलित किया जाता है। न्यूज़लेटर्स, तस्वीरें और वीडियो, वेबसाइट ''ekbharat.gov.in'' पर अपलोड किए गए हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

उच्चतर शिक्षा विभाग, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा संपूर्ण साफ– सफाई और स्वच्छता के लिए शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न उपायों का निष्पादन करता है। विभाग में 1 से 15 सितंबर, 2018 तक स्वच्छता पखवाडे के दौरान और विश्वविद्यालयों एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित की गई बहुत–सी गतिविधियों के अलावा, परिसर में साफ–सफाई बनाए रखने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच स्वस्थ सहकर्मी दबाव सृजित करने और साथ ही गांवों/पड़ोस में परिसर से बाहर स्वच्छता पहल को अपनाने के लिए एक विशाल स्वच्छ रैंकिंग अभ्यास आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में 6000 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया। संस्थानों के मूल्यांकन कुछ मापदंडों पर किए गए थे और 2 अक्टूबर, 2018 को चयनित संस्थानों को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था।

भारत में स्वच्छ्ता प्रक्रिया में ज्ञान का आदान–प्रदान करने और इसका व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत में करियर विकसित करने के लिए, विभाग ने 2018 में निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम विकसित किए:

(i) अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्वच्छता पर एकल सेमेस्टर वैकल्पिक पाठ्यक्रम

(ii) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

(iii) अपशिष्ट प्रबंधन में एम.बी.ए.

परिसर स्वच्छता अपनाने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मैनुअल भी विकसित किया गया था।

उन्नत भारत अभियान 2.0 (यूबीए)

उन्नत भारत अभियान, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समझने और काम करने के लिए प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थानों (केंद्रीय और राज्य; सरकारी और निजी) को शामिल करना है। ग्रामीण भारत को समृद्ध करने के उद्देश्य से, इन चयनित संस्थानों से उपलब्ध तकनीकों को कस्टमाईज करने या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नई तकनीकों का विकास करने और मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करने की आशा की जाती है।

उन्नत भारत अभियान के तहत 2048 उच्चतचर शिक्षा संस्थानों का चयन (सरकारी और निजी दोनों) जिन्होंने यूबीए के माध्यम से उनके विकास के लिए कुल 10325 गांवों को गोद लिया है। साथ ही, प्रतिभागी संस्थानों को संभालने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए 12 विषय विशेषज्ञ समूह सहायता और 40 क्षेत्रीय समन्वयकर्ता संस्थानों की व्यवस्था के लिए कार्यक्षेत्र को सुदृढ किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए, आईआईटी दिल्ली को

राष्ट्रीय समन्वय संस्थान का कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

बहुत– से प्रतिभागी संस्थानों ने ग्रामीणों के साथ संपर्क किया, गांव और घरेलू स्तर पर सर्वेक्षण किये और कार्य–योजनाएं तैयार की। अभिज्ञात गावों में आयोजित विभिन्न ग्राम सभाओं के माध्यम से कुछ चुनौतियों और मुद्दों की कुछ पहचान की गई है (सरकारी भागीदारी) की पहचान गांवों में आयोजित की गई है। उनमें से कुछ संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं: –

कार्यक्षेत्र, जिन पर संस्थानों द्वारा उन्नत भारत अभियान के तहत अपनाए गए गावों में आयोजित ग्रामसभा में चर्चा की गई

क्र. सं.	विषय समूह	संस्थानों की सं.	गावों की सं.	कार्यक्षेत्र (समस्याओं) का प्रकार
1.	स्वच्छता और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन	47	124	जलनिकास पशु अपशिष्ट निपटान, खुले में शौच और शौचालय डिजाइन, अपशिष्ट संग्रह और निपटान
2.	जल संसाधन प्रबंधन	80	129	पेयजल। भूजल स्तर कम हो रहा है। ग्राम जल निकायों का रखरखाव नहीं किया जाता। प्रदूषित पानी। जल भंडारण। जल संसाधनों का पुनर्भरण। वर्षाजल संचयन।
3.	ग्रामीण अवसंरचना	25	73	अल्पविकसित और सडकों की कनेक्टिविटी, मेडिकल, स्कूल, बैंक और बाजार सुविधाएं सुलभ नहीं हैं सार्वजनिक परिवहन का अभाव। अपर्याप्त आवास सुविधाएँ पंचायत घर, पार्क और सामुदायिक केंद्र का अभाव।

क्र. सं.	विषय समूह	संस्थानों की सं.	गावों की सं.	कार्यक्षेत्र (समस्याओं) का प्रकार
4.	ग्रामीण ऊर्जा प्रणाली	10	23	स्ट्रीट लाईट्स। काई बिजली कनेक्शन नहीं। ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों के बारे में जागरूकता।
5.	शिक्षा	19	46	शिक्षकों की कमी बालिका शिक्षा स्कूल उपकरण और कोई पुस्तकालय नहीं। बेरोजगारी। उच्च ड्रॉपआउट उच्च शिक्षा के विकल्पों का अभाव। प्रौढ साक्षरता। कंप्यूटर शिक्षा।
6.	स्थायी कृषि	21	61	उर्वरक, कीटनाशकों और कृमिनाशकों का अधिक उपयोग मृदा क्षारीयता पशुओं से सुरक्षा मृदा स्वास्थ्य कार्ड संबंधी जागरूकता सिचाई की समस्या
7.	स्वास्थ्य सेवा	29	83	चिकित्सा सुविधाएं पहुंच से बाहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अभाव कुपोषण

क्र. सं.	विषय समूह	संस्थानों की सं.	गावों की सं.	कार्यक्षेत्र (समस्याओं) का प्रकार
8.	कौशल विकास और आजीविका	23	61	प्रवासन स्वयं सहायता समूहों की अच्छी स्थिति नहीं है बाजार का स्थान पहुंच में नहीं है। कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार सृजन कौशल
9.	विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्षमता निर्माण, अभिसरण व कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति	34	96	सरकारी योजनाओं की सूचना न होना सामान्य जानकारी का अभाव शराबखोरी, बाल विवाह, पशु पालन जैसे पशु चिकित्सा अस्पताल और पशु अपशिष्ट उपयोग

गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन करके, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न समस्याओं की पहचान की जाती है और तकनीकी हस्तक्षेप से, संस्थान मुद्दों का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।

विजन कथन

उन्नत भारत अभियान, ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण करने में मदद करने के लिए ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन के विजन से प्रेरित है।इसका विचार आत्मनिर्भर और स्थायी ग्राम समूहों के स्वदेशी विकास की प्रक्रिया में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों (तकनीकी/ गैर–तकनीकी / सार्वजनिक / निजी) को शामिल करना है।

उन्नत भारत अभियान का समग्र विचार यह है कि:

- ❖ देश के शैक्षणिक संस्थान गाँवों को गोद लेकर समग्र राष्ट्र विकास में मदद करते हैं।
- ❖ शैक्षणिक संस्थान विकास प्रक्रिया को समझते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों को नियोजित करके उसमें भाग लेते हैं और बदले में शैक्षणिक संस्थानों और संकाय सदस्यों के छात्र स्वयं समृद्ध होंगे।

अवधारणा देश के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रम को समृद्ध करने की है।

कुल मिलाकर, उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके समाज और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच एक जीवंत संबंध बनाना और

उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में सुधार लाने और समाज में सार्वजनिक और निजी दोनों की क्षमताओं को उन्नत करना है।

मिशन

उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को, विकास की चुनौतियों की पहचान करने और स्थायी विकास में तेजी लाने के लिए उपयुक्त समाधानों को विकसित करने के लिए, ग्रामीण भारत के लोगों के साथ काम करने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के जवाब में उभरते व्यवसायों के लिए ज्ञान और व्यवहार प्रदान करके और सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं को उन्नत करके समाज और एक समावेशी शैक्षणिक प्रणाली के बीच एक कल्याणकारी चक्र का सृजन करना है।

उल्लिखित मिशन के अनुसार, उन्नत भारत अभियान निम्नलिखित करने का प्रयास करेगाः

❖ आवश्यक तंत्र विकसित करना और शैक्षिक संस्थानों, कार्यान्वयन एजेंसियों (जिला प्रशासन/ पंचायती राज संस्थानों) और जमीनी स्तर के हितधारकों के बीच उचित समन्वय विकसित करना ताकि क्षेत्र के स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप किया जा सके।

❖ उपयुक्त ग्रामीण समूहों का चयन करें और प्रक्रिया में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने वाले पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इन समूहों के समग्र विकास में प्रभावी रूप से भाग लें, विविध सरकारी योजनाओं का उपयोग करना, मौजूदा तकनीकों का अनुकूलित उपयोग और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान का उपयोग करना, ग्रामीण जनता की आजीविका में सुधार करना महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होगा।

❖ समग्र विकास में लाने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए उच्च शैक्षिक संस्थानों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्यक्रमों को पुनः प्रस्तुत करना।

उद्देश्य

1. उच्च शैक्षणिक संस्थानों के संकाय और छात्रों को ग्रामीण वास्तविकताओं को समझने में शामिल करना।
2. मौजूदा नवीन तकनीकों की पहचान करना और उनका चयन करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, नवीन समाधानों के लिए प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम बनाना या कार्यान्वयन पद्धति का विकास करना।
3. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए संस्थानों के ज्ञान आधार का लाभ उठाना।

अंतक्षेप के प्रमुख क्षेत्र

गांवों के समग्र विकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए, दो प्रमुख डोमेन अर्थात् मानव विकास और सामग्री (आर्थिक) विकास हैं, जिन्हें एकीकृत तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है। इन दो डोमेन के प्रमुख घटक मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति, मूल्य और संवेदन विकास, कौशल और उद्यमिता, आर्थिक विकास, जैविक कृषि और गाय आधारित अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन और संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, कारीगर और ग्रामीण उद्योग, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का विकास और दोहन, बुनियादी सुविधाएं और ई–समर्थन (आईटी–सक्षम) हैं।

स्कीमेटिक्स में यूबीए प्रगति

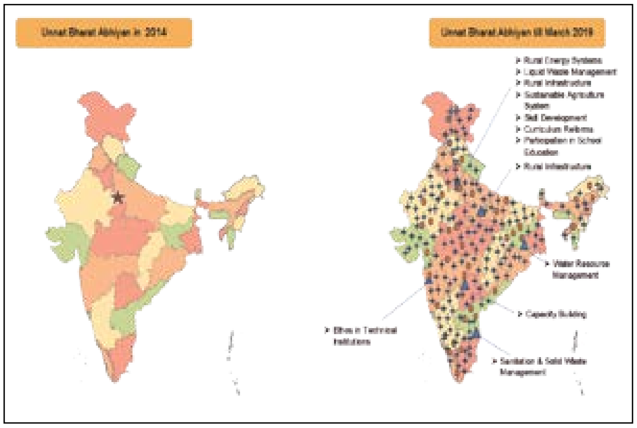

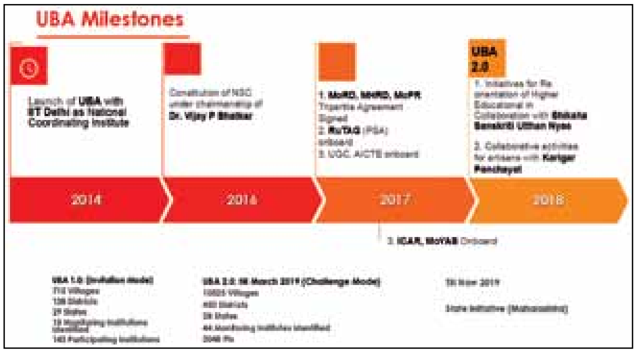

फिल्ड सफलताः

राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल (एनआईडीआई)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2013–14 के दौरान "राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल" योजना शुरू की है। इस पहल के तहत, इन सभी संस्थानों को एक साथ जोड़ते हुए 240 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 20 नए डिज़ाइन नवाचार केंद्र, एक ओपन डिज़ाइन स्कूल और एक राष्ट्रीय डिजाईन नवाचार नेटवर्क की स्थापना की जानी है। इस योजना के तहत, संकाय और भूमि सहित मौजूदा संसाधनों के ईष्टतम उपयोग को सुकर बनाने के लिए मौजूदा सरकारी वित्तपोषित राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में उनकी अवस्थिति निर्धारित कर 20 डीआईसी की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक डीआईसी को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डीआईसी की पहचान देश की लंबाई और चौड़ाई को कवर करने के लिए भौगोलिक प्रसार के आधार पर की जाती है और इनसे विज्ञान और प्रोद्यौगिकी से लेकर लिबरल कलाओं से कवर करने की उम्मीद की जाती है। ओडीएस से विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शिक्षा संस्थाओं के एक बडे स्पेक्ट्रम को जोडकर) और इंटरनेट के जरिये इसकी पाठ्यक्रम की मदों को निःशुल्क साझा करके देश में डिजाइन शिक्षा और व्यवहार की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित होगी। एनडीआईएन, ऐसे स्कूलों को डिजाइन करने का नेटवर्क होगा जो डिजाईन शिक्षा का विस्तार करने एवं उसकी पहुंच बढाने, सभी क्षेत्रों में डिजाइन नवाचार को बढावा देने और संस्थानों के बीच व्यापक सहयोगी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए उद्योग और शिक्षा के अन्य प्रमुख संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों और सरकार के साथ मिलकर काम करते हों।

वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने दस संस्थानों–आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बैंगलोर, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बीएचयू, राजस्थान

विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

वर्ष 2015—16 के दौरान, छह अन्य संस्थानों — स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली, आईआईटी कानपुर, पंजाब यूनिवर्सिटी, जवाहर लाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी काकीनाडा, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर को डीआईसी की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में, डीआईसी की स्थापना के लिए नार्थ ईस्टन हिल यूनिवर्सिटी शिलांग के परियोजना प्रस्ताव के साथ एनडीआईएस और ओडीएस की स्थापना के लिए क्रमशः आईआईएससी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018—19 में, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर, गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की में तीन और डीआईसी की स्थापना की गई है। डीआईसी की कुल संख्या अब 20 है।

जहां तक आउटपुट की बात है, ऐसे लगभग 45 उत्पाद हैं जिन्हें डीआईसी द्वारा पेटेंट कराया गया है और लगभग 200 उत्पाद पेटेंट कराए जाने के प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में, इस योजना के तहत शुरू किए गए पाठ्यक्रमों के लिए 9000 छात्रों ने दाखिला लिया है।

❖ ❖ ❖

03

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

I. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) सांविधिक निकाय है जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के निर्धारण के लिए वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। यूजीसी नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली और बेंगलुरु में स्थित अपने साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

II. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए नियामक सुधार

उच्चतर शिक्षा के मांगों के संबंध में और निर्धारण के अपने आदेश के निर्वहन के लिए यूजीसी ने महत्वपूर्ण विनियामक उपाय किए हैं वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया गया है:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मूल्यांकन और प्रत्यायन एजेंसियों की मान्यता और निगरानी), विनियम 2018
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय), विनियम 2018
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम का कार्यक्रम), विनियम, 2018
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शैक्षिक अखंडता का संवर्धन और उच्चतर प्रशिक्षण संस्थानों में साहित्य चोरी का निवारण), विनियम 2018
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत् विश्वविद्यालय), विनियम, 2019

III. उच्च शिक्षा प्रणाली का विकास

स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2017–18 के अनुसार उच्चतर शिक्षा प्रणाली में नामांकित छात्रों की अनुमानित संख्या 36.6 मिलियन है। वर्ष 2017–18 के लिए भारत में उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 25.8% है जिसकी गणना 18–23 आयु वर्ग के लिए की जाती है।

IV. पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदानों का संवितरण:

1. पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदानों के संवितरण के माध्यम से एक नियामक के

रूप में यूजीसी की भूमिका सुदृढ़ की जाती है। यूजीसी ने 2018–19 के दौरान संस्थानों को 11513.60 करोड़ रूपए की राशि के अनुदान संवितरित किए।

2. **केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता:** 31.03.2019 तक, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 51 थी। इनमें से 42 विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के तहत यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 2018–19 के दौरान 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन, आवर्ती और पूंजीगत आस्तियों के अधीन क्रमशः 414932.00 लाख रूपए, 189922.66 लाख रूपए और 56064.91 लाख रूपए के अनुदान प्रदान किए गए।

3. **सामान्य विकास सहायता योजना:** वर्ष 2018–19 के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत राज्य शासकीय विश्वविद्यालयों को 253.80 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई। यूजीसी ने विकास अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान दस पहचान किए गए समवत् विश्वविद्यालय संस्थानों को 57.97 करोड़ रूपए की राशि जारी की। वर्ष 2018–19 के दौरान पहचाने गए समवत् विश्वविद्यालय संस्थानों को 414.83 करोड़ का अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया गया।

4. **विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी):** विश्वविद्यालयों में बायों–साइंस, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान विभागों को अनुसंधान में उत्कृष्टता प्राप्त करने और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) की योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 31.3.2019 तक एसएपी सहायता प्राप्त विभागों की संख्या 808 थी। 2018–19 के दौरान विभिन्न स्तरों पर विभागों को 74.62 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

5. **उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सीपीई):** शैक्षिक अवसंरचना में सुधार करने, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में नवाचार अपनाने और कॉलेजों में डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रमों के चयन के लिए लचीला दृष्टिकोण लाने हेतु यूजीसी ने उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेजों (सीपीई) की स्कीम शुरू की थी। वर्ष 2018–19 के दौरान सीपीई की योजना के तहत कॉलेजों को 14.61 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई।

6. **विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र (सीपीईपीए):** यूजीसी ने शिक्षण और शोध क्रियाकलापों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता तथा अंतः विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए ''विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना वाले केन्द्र (सीपीईपीए)'' की योजना कार्यान्वित की। वर्ष 2018–19 के दौरान सीपीईपीए योजना के तहत केन्द्रो को 2.45 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की गई।

7. **पात्र कालेजों को अनुदान:** 31.03.2019 तक यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत मान्यता प्राप्त कॉलेजों की कुल संख्या 12,070 थी जिसमें कुल कॉलेजों का 29.81 प्रतिशत शामिल था। 12,070 में से 9,755

कॉलेज यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र थे। 2018–19 के दौरान यूजीसी ने कॉलेजों की सामान्य विकास सहायता, कॉलेजों के लिए महिला छात्रावास का निर्माण, स्वायत्त कॉलेज, कॉलेज के शिक्षकों के सम्मेलन, कॉलेजों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम, कॉलेजों में खेल अवसंरचना का विकास और उपकरण जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र कालेजों को अनुदान प्रदान किए।

उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू की गई पहल

1. विश्वविद्यालयों के लिए स्तरित स्वायत्तता

उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और संस्थागत बनाकर उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने के महत्व को पहचानते हुए इस तरह स्वायत्तता पर यूजीसी विनियम के माध्यम से उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को उनके प्रत्यायन ग्रेड के आधार पर स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालयों की श्रेणी एक और श्रेणी 2 संस्थानों के लिए अधिक स्वायत्तता देने के उद्देश्य से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 विश्वविद्यालयों को 12 विशेषाधिकार दिए गए हैं और श्रेणी 2 विश्वविद्यालयों को 8 विशेषाधिकार दिए गए हैं।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गुणवत्ता अधिदेश

उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में अपने गुणवत्ता अधिदेश को अनुमोदित किया है। यूजीसी के गुणवत्ता अधिदेश के तहत 2022 तक निम्नलिखित 5 उद्देश्यों को पूरा किए जाने का प्रस्ताव है:

1. छात्रों के लिए स्नातक परिणामों में सुधार करना, ताकि उनमें से कम से कम 50% रोजगार/स्वरोजगार तक पहुंच बना सकें या वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें
2. समाज/उद्योग के साथ छात्रों के संपर्क को प्रोत्साहित करना जिससे संस्थानों में छात्रों की अध्ययन अवधि के दौरान सामाजिक रुप से उत्पादक गतिविधियों में कम से कम 2/3 छात्र शामिल हो सकें।
3. आवश्यक व्यवसायिक और सॉफ्ट स्किल जैसे दल कार्य, संचार कौशल, नेतृत्व, कौशल, समय प्रबंधन छात्रों को प्रशिक्षित करना मानव मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता को अंतर्निविष्ट करना और छात्रों में नवाचार/उद्यमशीलता और महत्वपूर्ण सोच की भावना को बढ़ावा देना और इनके लिए अवसरों को बढ़ावा देना।
4. यह सुनिश्चित करना कि किसी भी समय शिक्षक रिक्तियां स्वीकृत संख्या का 10% से अधिक न हो और 100% शिक्षक अपने अपने ज्ञान के क्षेत्रों में नवीनतम और रुझानों के बारे में और ऐसा शिक्षाशास्त्र जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है।

5. प्रत्येक संस्था 2022 तक 2.5 के साथ एनएएसी मान्यता प्राप्त करेंगी।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित दस पहलों को रेखांकित किया है:–

i) छात्रों के लिए भर्ती कार्यक्रम

ii) अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यक्रम कार्य ढांचा– नियमित अंतराल में पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण।

iii) प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आईसीटी आधारित अध्ययन उपकरणों का उपयोग।

iv) छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल।

v) प्रत्येक संस्थान के लिए सामाजिक और उद्योग संपर्क: प्रत्येक संस्थान गांव के समुदायों के ज्ञान के आदान–प्रदान और समग्र सामाजिक/आर्थिक बेहतरी के लिए कम से कम 5 गांवों को गोद लेना।

vi) परीक्षा सुधार– अवधारणा का परीक्षण और प्रयोग; एग्जिट परीक्षाएं।

vii) पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छात्र प्रगति की ट्रैकिंग

viii) सभी नए शिक्षकों के लिए भर्ती प्रशिक्षण और सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण– एनआरसी की भूमिका और सभी शैक्षिक प्रशासकों के लिए अनिवार्य नेतृत्व/ प्रबंधन प्रशिक्षण।

ix) संकाय द्वारा गुणवत्ता युक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना और नए ज्ञान का सृजन।

x) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों की मेंटरिंग जिसे 2022 तक हर संस्थान को प्रत्यायन प्राप्त हो सके।

3. उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर राष्ट्रीय सम्मेलन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर कुलपति और निदेशकों के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें निम्नलिखित 10 प्रस्तावों को अपनाया गया:

i) 2020 तक विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थानों में यूजीसी गुणवत्ता अधिदेश और 2022 तक सभी संस्थानों के लिए एनएएसी मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि;

ii) शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से पाठ्यक्रम को अद्यतन करके एचईआई में अधिगम आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (एलओसीएफ) को अपनाना और लागू करना; शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त सुधार करके प्रशिक्षण केंद्रित शिक्षण अध्ययन प्रक्रियाओं को अपनाना;

iii) स्वयम का उपयोग करते हुए नए भर्ती किए गए शिक्षकों के भर्ती प्रशिक्षण और सभी शिक्षकों के लिए वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भाग लेना और शिक्षकों के प्रेरणा स्तर में सुधार के लिए उपाय करना;

iv) शिक्षकों के अभिमुखीकरण द्वारा संस्थाओं के अनुसंधान उत्पादकता को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा– आधारित शोध निधियां योजनाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी;

v) स्मार्ट इंडिया हैकाथन में भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहायता, शैक्षणिक स्वतंत्रता और लचीलापन सहित नवाचार संस्कृति और इको– प्रणाली सृजित करना; छात्रों द्वारा स्टार्टअप स्थापित करने को सुकर बनाना;

vi) उन्नत भारत अभियान के तहत कम से कम 5 गांव को गोद लेकर छात्रों की सामाजिक/आर्थिक बेहतरी में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें जागरूक करना और प्रोत्साहित करना;

vii) राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) के तहत उच्चतर शिक्षा के छात्रों की आवश्यकताओं के लिए संशोधित और उद्योग के साथ रचनात्मक संबंध भी स्थापित करने के लिए प्रासंगिक योजनाओं में भाग लेकर उच्चतर शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए एक बड़ा अवसर देना;

viii) छात्रों और शिक्षकों के बीच डिजिटल शिक्षण संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और क्रेडिट अंतरण के लिए स्वयं पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना और ई– शोध सिंधु, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी जैसे संसाधनों का उपयोग करना और राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी पर डिग्री अपलोड करना;

ix) साहित्यिक चोरी की जांच के लिए अनुसंधान और प्रावधानों में नैतिकता के बारे में जागरूकता पैदा करना और अवैध पत्रिकाओं को बंद करना;

x) एक स्मार्ट और स्वच्छ परिसर के लिए प्रयास करना और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने हेतु छात्रों/ शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए हमारे संस्थान और संबद्ध कॉलेजों के आसपास के स्कूलों को भी मेंटर करना;

वर्ष 2020 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया था।

4. छात्र भर्ती कार्यक्रम गाइड

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहली बार ''छात्र भर्ती कार्यक्रम गाइड'' तैयार किया है जिसमें उच्चतर शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए एचईआई द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह दिवसीय भर्ती कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि शारीरिक कार्यकलाप, मेंटेरिंग, सृजनात्मक कला और संस्कृति, साहित्यिक कार्यकलाप, पाठ्येत्तर कार्यकलाप के जरिए नए माहौल और संस्थान से परिचित कराने में सहायता करना है।

5. वार्षिक शिक्षण पुनश्चर्या कार्यक्रम

वार्षिक शिक्षण पुनश्चर्या कार्यक्रम (अर्पित) मुख्य मंच का उपयोग करते हुए उच्चतर शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षकों के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की एक अनूठी पहल है, मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर 2018 को स्वयम वार्षिक शिक्षण पुनश्चर्या कार्यक्रम (अर्पित) प्रारंभ किया गया था। अर्पित 40 घंटे का कार्यक्रम है जिसमें 20 घंटे की वीडियो सामग्री अत्यधिक लचीले तरीके से प्रस्तुत की जाती है, जो किसी के भी द्वारा अपनी गति और समय में की जा सकती है।

इस कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में अकादमिक प्रकृति के भाग के रूप में अंतर्निहित मूल्यांकन एक्सरसाइज और कार्यकलाप है। पाठ्यक्रम के अंत में, अंतिम मूल्यांकन का प्रावधान है जो ऑनलाइन या लिखित परीक्षा हो सकती है। यूजीसी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अर्पित कार्यक्रम के तहत प्रॉक्टर्ड परीक्षा सहित 40 घंटे की सामग्री के साथ सफलता पूर्वक किए गए पाठ्यक्रम को रोजगार प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए एक पुनश्चर्या कार्यक्रम के समतुल्य माना जाएगा।

6. शैक्षणिक और अनुसंधान नीति (सीएआरई)

यूजीसी ने यूजीसी अनुमोदित पत्रिकाओं की सूची को परिष्कृत और मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया कि एससीओरपीयूएस और डब्ल्यूओएस में अनुक्रमित अनुसंधान पत्रिकाओं को विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कृषि और जैव चिकित्सा विज्ञान में विषयों के सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है।

यूजीसी ने सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला, संस्कृति, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि विषयों में विश्वसनीय गुणवत्ता युक्त पत्रिकाओं की एक सूची का सुझाव देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान नीति संघ (सीएआरई) की स्थापना की है।

सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कला और ललित कला विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और इंजीनियरिंग में सांविधिक परिषद/सरकारी निकाय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ और आईएनएफएलआईबीएनईटी सहायक एजेंसी के रूप में संघ के सदस्य हैं। सीएआरई के सदस्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने संबंधित विषयों में गुणवत्ता युक्त पत्रिकाओं की सूची तैयार करेंगे। इन सूचियों का गहन विश्लेषण किया जाएगा और परिभाषित मानदंड का उपयोग करके सौंपी गई संस्था में एक विशेष प्रकोष्ठ द्वारा पत्रिकाओं की गुणवत्ता के लिए चयन किया जाएगा।

V. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रारंभ की गई डिजिटल पहल

1. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

यूजीसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत अपनी अध्येतावृत्ति/छात्रवृति योजनाओं को लागू कर रहा है जिसमें अन्य मंत्रालयों की योजनाएं शामिल हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ व्यक्तियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाए, निधि प्रभाव में शामिल स्तरों को कम किया जा सके जिससे भुगतान में

देरी न हो, लाभार्थी की सटीक पहचान हो सके और चोरी एवं दोहराव पर अंकुश लग सके।

2. **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आयोग से सभी प्रकार के अनुदानों के संवितरण के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) लागू की है। पी एफ एम एस सरकारी लेनदेन के भुगतान, लेखांकन और सामंजस्य के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग है और यह विभिन्न मौजूदा एकल प्रणालियों को एकीकृत करता है।

3. **सक्रिय और युवा आकांक्षाओं के अध्ययन वेब (स्वयम) पर व्यापक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक)**

यूजीसी स्वयम कार्यक्रम के तहत गैर तकनीकी स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संयोजक है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्वयम के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट कार्यढांचा), विनियम 2016 को अधिसूचित किया है।

स्वयम पहल को लोकप्रिय बनाने के लिए यूजीसी ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं: बंगाली, तेलुगू, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़ मलयालम, उड़िया, असमिया, अंग्रेजी और हिंदी में 30 सेकंड के 3 रेडियो सपॉर्ट और तीन पीवीसी तैयार किए हैं। यूजीसी ने स्वयम् पहल पर तीन अलग–अलग पोस्टर भी तैयार किए हैं और यह स्वयम् पोस्टर सभी भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस अनुरोध के साथ भेजे गए हैं कि वह क्रमशः स्वयम् संयोजक और मेंटर की पहचान करें।

यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2018–19 के दौरान 45 मूक पाठ्यक्रम शुरू किए थे। स्वयम मंच पर इन यूजीसी गैर तकनीकी मूक पाठ्यक्रम में 40311 शिक्षार्थियों को नामांकित किया गया था। दिनांक 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 2018 को 8 पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में 412 शिक्षार्थी बैठे थे।

4. **लोक शिकायत पोर्टल**

यूजीसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करता है। ऑनलाइन शिकायतों के लिए यूजीसी ने सार्वजनिक शिकायतों का उत्तर देने के लिए विभिन्न ब्यूरो/अनुभागों के लिए **http://pgportal.gov.in** पर 20 यूजर आईडी बनाई है।

5. **छात्र शिकायत पोर्टल (http://www.ugc.ac.in/grievance)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 23 मार्च 2015 को ऑनलाइन छात्र शिकायत निवारण पोर्टल प्रारंभ किया है। यह पोर्टल छात्रों, शिकायत कर्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करने, अनुस्मारक भेजने और उनकी शिकायतों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति को देखने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल का मूल उद्देश्य प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुचित कार्यों को

रोकना और शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी तंत्र उपलब्ध करना है। विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि वे छात्र द्वारा शिकायत दर्ज करते ही छात्र की शिकायतों की निगरानी और जवाब देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। नोडल अधिकारियों के ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य संपर्क विवरण पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।

यूजीसी ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को कुलपति निदेशक डीन प्राचार्य के कार्यालय के पास एक नोटिस बोर्ड फ्लेक्स बोर्ड लगाने की एडवाइजरी जारी की है जिससे शिकायत निवारण तंत्र और छात्र शिकायत पोर्टल स्थापित करने के लिए प्रचार जागरूकता को सुनिश्चित किया जा सके उन्हें विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में यूजीसी के पीजी पोर्टल (**http://www.ugc.ac.in/grievance**) का विवरण देने वाले नोटिस बोर्ड को लगाने को भी कहा गया है।

6. केंद्रीय विश्वविद्यालयों की योजना, वित्त पोषण और समन्वित विकास के लिए एकीकृत पोर्टल (www.ugc.ac.in/cup)

यूजीसी का केंद्रीय विश्वविद्यालय पोर्टल 2017 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की योजना वित्त पोषण और समन्वित विकास के लिए एकीकृत पोर्टल के रूप में विकसित और प्रारंभ किया गया था। पोर्टल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में उत्पादकता में वृद्धि, संचार में सुधार, निधि आवंटन में पारदर्शिता और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच मजबूत संबंध के निर्माण की संभावना शामिल है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न यूजीसी योजनाओं के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों भर्ती पदों योजना बजट में उन्नति के उपयोग आदि जैसे सांख्यिकी आंकड़ों के नियमित अद्यतन को सुविधाजनक बनाया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निधि के आवंटन के लिए योजना बनाने में सहायता करता है।

7. अकादमिक के रोजगार पोर्टल (www.ugc.ac.in/jobportal)

अकादमिक के रोजगार पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई एक नई पहल है जो एनईटी/ एसिईटी/ पीएचडी अहर्ता प्राप्त उम्मीदवारों के अकादमी प्रोफाइल को विश्वविद्यालयों कॉलेजों और अन्य नियुक्तियों के ध्यान में लाने के लिए उन्हें एक उपयुक्त नौकरी दिलाने के अंतिम उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करती है। पोर्टल उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकृत करने और उनको प्रोफाइल बनाने की सुविधा प्रदान करता है।

अकादमिक रोजगार पोर्टल नियोक्ताओं को इस पोर्टल पर उपलब्ध उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रोफाइल को तलाश करने और ब्राउज़ करने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल उम्मीदवारों को इस पोर्टल पर नौकरी रिक्तियों को पंजीकृत करने और पोस्ट करने की सुविधा भी प्रदान

करता है जिससे उम्मीदवार रिक्तियों के लिए आवेदन कर सके।

8. रैगिंग विरोधी मोबाइल ऐप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा रैगिंग रोधी मोबाइल ऐप शुरू की गई है जो छात्रों को देश में रैगिंग के खतरे के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने में मदद करती है।

VI. छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रदान करता है:

1. शिक्षकों के लिए प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

2. अनुसंधान पुरस्कार/ अनुसंधान वैज्ञानिक

(क) अनुसंधान पुरस्कार

(ख) अनुसंधान वैज्ञानिक

3. पोस्ट–डॉक्टरल फैलोशिप

(क) एससी/एसटी छात्रों के लिए पोस्ट–डॉक्टरल अध्येतावृत्ति।

(ख) महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टरल अध्येतावृत्ति।

(ग) भाषाओं सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट–डॉक्टरल अध्येतावृत्ति

(घ) डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति

(ड) यूजीसी–बीएसआर संकाय अध्येतावृत्ति

(च) एमेरिटस अध्येतावृत्ति

4. अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एम. फिल/पीएच. डी के लिए)

(क) नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जेआरएफ)

(ख) विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां (जेआरएफ) और रिसर्च एसोसिएट–शिप (आरए)

(ग) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

(घ) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां

(ङ) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक छात्र अध्येतावृत्ति (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से यूजीसी द्वारा कार्यान्वित योजना)

(च) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्र अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सौंपा गया और वित्तपोषित)।

(छ) राष्ट्रीय दिव्यांग छात्र अध्येतावृत्ति (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, निःशक्तता मामले विभाग द्वारा सौंपा गया और वित्तपोषित)।

(ज) स्वामी विवेकानंद सामाजिक विज्ञान अनुसंधान एकल बालिका अध्येतावृत्ति।

(झ) बीएसआर अध्येतावृत्ति (आरएफएसएमएस)।

5. **स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां**

(क) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

(ख) इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

(ग) विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर मेरिट छात्रवृत्तियां (यूजीसी के बजट के अलावा)

(घ) एम. ई./एम. टेक/एम फार्मा आदि के जीएटीई/जीपीएटी अर्हता प्राप्त छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।

6. **अवर स्नातक छात्रवृत्ति**

(क) पूर्वोत्तर प्रदेशों के लिए 'ईशान उदय' विशेष छात्रवृत्ति योजना।

VII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निष्पादित कौशल विकास पहलें

1. **सामुदायिक कॉलेज**

सामुदायिक कॉलेज की स्कीम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय रूप से कम लागत वाली उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है जिसमें कौशल विकास और परंपरागत पाठ्यक्रम शामिल है ताकि शिक्षार्थी को रोजगार क्षेत्र या उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सीधे जाने का अवसर मिल सके। यूजीसी ने वर्ष 2018–19 के लिए योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए। 2018–19 के दौरान सामुदायिक कॉलेज योजना के अंतर्गत 172 संस्थान अनुमोदित किए गए हैं।

2. **बैचलर ऑफ वोकेशन (बी. वोक.) कार्यक्रम**

कौशल विकास आधारित उच्चतर शिक्षा योजना कॉलेज/ विश्वविद्यालय शिक्षा का एक भाग है जो एनएसएसक्यूएफ के अधीन डिप्लोमा/ एडवांस्ड डिप्लोमा में लेटरल प्रविष्टि और बहुल एग्जिट विकल्पों के साथ बैचलर ऑफ वोकेशन (बी.वोक.) डिग्री तक ले जाती है। यूजीसी ने वर्ष 2018–19 के लिए योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए। 2018–19 में वोकेशनल डिग्री कार्यक्रम की योजना के तहत 330 संस्थान अनुमोदित किए गए हैं।

3. **दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र**

दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र का लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर उद्योग आवश्यकता के लिए कौशल युक्त मानव शक्ति तैयार करने के साथ उद्यमिता प्रवृत्ति विकसित करना भी है। यूजीसी ने वर्ष 2018–19 के दौरान योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से नए प्रस्ताव आमंत्रित किए। 2018–19 में योजना के तहत 28 संस्थान अनुमोदित किए गए हैं।

❖ ❖ ❖

04

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

वर्ष 2018–19 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 17,834 स्वीकृत संकाय पद हैं। 01.04.2018 को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल छात्र नामांकन 2,36,922 था। केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्णतया सरकारी बजटीय सहायता द्वारा वित्त पोषित हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 6498.23 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

विजिटर सम्मेलनः

भारत के माननीय राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर हैं। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और रिक्तियों को भरने जैसे मुद्दों पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए 2 मई, 2018 को माननीय विजिटर की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

वर्ष 2018—2019 के दौरान, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, विश्व भारती और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए।

प्रत्येक वर्ष शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इनके बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एमओयू के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रमुख प्रदर्शन पैरामीटर इस प्रकार हैं:

i) पहुँचः छात्रों का वार्षिक प्रवेश
ii) समानता और विविधता
iii) गुणवत्ताः संकाय का सुदृढ़ीकरण
iv) अकादमिक परिणाम
v) शोध
vi) पेटेंट
vii) रैंकिंग
viii) ई—गवर्नेंस
ix) स्थानीय समाज में योगदान

❖ ❖ ❖

05

उत्कृष्ट संस्थान, मानित और निजी विश्वविद्यालय

उत्कृष्ट संस्थान, मानित और निजी विश्वविद्यालय

उत्कृष्ट संस्थान

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण 2016 में घोषणा की थी कि ''हम उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वे विश्व स्तर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बन सकें। विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में उभरने के लिए दस सार्वजनिक और दस निजी संस्थानों को एक समर्थकारी नियामक ढांचा प्रदान किया जाएगा। इससे आम भारतीयों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक वहनीय पहुँच प्राप्त हो सकेगी। एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।'' बजट घोषणा के अनुसार, सरकार ने 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) की 'उत्कृष्ट संस्थानों (आईओई) नामक विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापना/उन्नयन के लिए विनियामक ढांचा प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। सार्वजनिक संस्थानों के लिए यह विनियामक ढांचा यूजीसी (उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में सरकारी संस्थानों की घोषणा) दिशानिर्देश, 2017 और निजी संस्थानों के लिए यह यूजीसी (विश्वविद्यालय समवत उत्कृष्टता हेतु संस्थान) विनियम, 2017 के रूप में प्रदान किया गया लिए जिसका ब्यौरा यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

इनका चयन इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) द्वारा चुनौती विधि के माध्यम से किया जाएगा। संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थान बनने के लिए अपना मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होगी। यह आशा की जाती है कि चयनित संस्थान 10 वर्षों में विश्व रैंकिंग के शीर्ष 500 में और अंततः कुछ वर्षों में शीर्ष 100 में आ जाएंगे। शीर्ष विश्व रैंकिंग प्राप्त करने के लिए, इन संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी जैसे कि दाखिल किए गए छात्रों में से 30% तक विदेशी छात्रों को दाखिला देना; संकाय संख्या में 25% तक विदेशी संकाय को भर्ती करना; अपने कार्यक्रमों में 20% तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना; यूजीसी की अनुमति के बिना विश्व रैंकिंग संस्थानों में शीर्ष 500 संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग में प्रवेश करना; किसी भी प्रतिबंध के बिना विदेशी छात्रों से फीस लेने और उसे तय करने की स्वतन्त्रता; डिग्री लेने के लिए क्रेडिट घंटे और वर्षों की संख्या के संदर्भ में पाठ्यक्रम संरचना का लचीलापन; पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के निर्धारण में पूर्ण लचीलापन, आदि। 'उत्कृष्ट संस्थान 'के रूप में चुने जाने वाले सार्वजनिक संस्थान को इस योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

ईईसी की सिफारिश और उसपर यूजीसी की सलाह पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में निम्नलिखित 3 सार्वजनिक संस्थानों की घोषणा की:

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे

(iii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित 3 निजी संस्थानों को तीन वर्ष की अवधि के भीतर आईओई की स्थापना के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है:

(i) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी, राजस्थान

(ii) मणिपाल एकेडेमी ऑफ हाइयर एजुकेशन, मणिपाल, कर्नाटक

(iii) जियो संस्थान (रिलायंस फाउंडेशन), पुणे कि वर्ष 2018–19 के दौरान, उपर्युक्त 3 सार्वजनिक संस्थानों को 128.02 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

मानित विश्वविद्यालय

मानित विश्वविद्यालयों की अवधारणा डॉ. राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट 1948–49 की सिफारिशों से उत्पन्न हुई थी। मानित विश्वविद्यालयों की अवधारणा के पीछे उद्देश्य ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देना, मजबूत बनाना और यूजीसी के दायरे में लाना है और उन्हें विश्वविद्यालयों की ही तरह मानना है जो ऐतिहासिक या किसी भी अन्य परिस्थिति के कारण विश्वविद्यालय नहीं हैं, फिर भी किसी विश्वविद्यालय के ही समनुरूप विशेष शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च मानक का काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा किसी भी संस्थान को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सलाह पर, राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है, जबकि अन्य विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम या राज्य विधानसभाओं के अधिनियम के तहत स्थापित किए जाते हैं।

वर्तमान में, 126 संस्थान मानित विश्वविद्यालय हैं (31.3.2019 की स्थिति के अनुसार), 126 मानित विश्वविद्यालयों में से, 37 सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और 89 संस्थाएँ निजी रूप से नियंत्रित हैं, 89 निजी नियंत्रित संस्थानों में से 12 संस्थान यूजीसी/राज्य सरकार से पूर्णतया आंशिक रूप से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और 2 संस्थान पीपीपी मोड के तहत स्थापित किए गए हैं। 31.3.2019 के अनुसार मानित विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची अनुबंध I पर दी गई है।

इन मानित विश्वविद्यालयों को फिलहाल यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों को संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा स्थापित किया जाता है। वर्तमान में, देश में 334 राज्य निजी विश्वविद्यालय (31.03.2019 को) कार्य कर रहे हैं।

यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को समय–समय पर यथासंशोधित यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के अनुसार विनियमित किया जाता है। 31.03.2019 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की राज्य वार सूची **अनुबंध**–II पर दी गई है।

31.03.2019 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों का राज्य–वार वितरण

क्र. सं.	राज्य	निजी विश्वविद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	05
2.	अरुणाचल प्रदेश	08
3.	असम	06
4.	बिहार	07
5.	छत्तीसगढ	11
6.	गुजरात	34
7.	हरियाणा	22
8.	हिमाचल प्रदेश	17
9.	झारखंड	14
10.	कर्नाटक	17
11.	मेघालय	08
12.	मिजोरम	01
13.	मध्य प्रदेश	33
14.	महाराष्ट्र	13
15.	मणिपुर	02
16.	नगालैंड	03
17.	ओडिशा	06
18.	पंजाब	15

क्र. सं.	राज्य	निजी विश्वविद्यालयों की संख्या
19.	राजस्थान	51
20.	सिक्किम	04
21.	त्रिपुरा	01
22.	उत्तर प्रदेश	29
23.	उत्तराखंड	17
24.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	334

❖ ❖ ❖

06

भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान

भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान

1. भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण में 20 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) हैं। इन आईआईएम का विवरण निम्नानुसार हैः –

   क) **पहली जेनरेशन के आईआईएम (1961 और 1996 के बीच स्थापित):** अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड में)।

   ख) **दूसरी जेनरेशन के आईआईएम (2007 और 2011 के बीच स्थापित):** शिलांग, रोहतक, रायपुर, रांची, तिरुचिरापल्ली, उदयपुर और काशीपुर में।

   ग) **तीसरी जेनरेशन के आईआईएम (2015 और 2016 के बीच स्थापित):** अमृतसर, सिरमौर, बोध गया, संबलपुर, नागपुर, विशाखापत्तनम और जम्मू में।

2. आईआईएम अधिनियम, 2017 के अधिनियमन आईआईएम के साथ, आईआईएम ने पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त कर ली है और "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" बन गए हैं।आईआईएम अधिनियम, 2017 के तहत आईआईएम नियम, 2018 को भारत के राजपत्र में दिनांक 05.12.2018 को अधिसूचित किया गया है।

3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 सितंबर, 2018 को सात नए तीसरी जेनरेशन के आईआईएम की स्थापना और संचालन के लिए 3775.42 करोड़ रुपए (गैर–आवर्ती व्यय के रूप में 2999.96 करोड़ रुपए और आवर्ती व्यय के रूप में 775.46 करोड़ रुपए) की कुल लागत को मंजूरी दी। इनमें से प्रत्येक आईआईएम का निर्माण 60384 वर्गमीटर के क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक आईआईएम में 600 छात्रों के लिए पूर्ण ढांचागत सुविधाएं होंगी। इन संस्थानों को 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रति छात्र प्रति वर्ष का आवर्ती अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

4. सभी आईआईएम में छात्रों के लिए पीजीपी, ईपीजीपी, एमडीपी, एफपीएम आदि जैसे अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में इन संस्थानों में 824 की संकाय संख्या के साथ 5158 छात्रों को दाखिला दिया गया है।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरूः

"भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बैंगलोर, जो उच्चतर शिक्षण और अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम,1956 के दायरे में आने वाले धर्मार्थ दान अधिनियम, 1890 के तहत वर्ष 1909 में स्थापित किया गया था। आईआईएससी की परिषद द्वारा शासित, यह

संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी ज्ञान की खोज के साथ साथ औद्योगिक और सामाजिक लाभों के लिए अपने शोध निष्कर्षों के अनुप्रयोग पर भी संतुलित जोर देता है।"

इस संस्थान में देश के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में मौजूद सबसे बड़ी कंप्यूटिंग सुविधा में से एक स्थापित है और विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय संग्रह भी रखता है। संस्थान ने सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रीय नैनो फैब भी है, जो अनुसंधान और विकास के लिए एक विश्व की सबसे अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं में से एक है। इसके अलावा, आईआईएससी परिसर में वृद्ध होते हुए मस्तिष्क की बीमारियों पर शोध करने के लिए एक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बनाया जाएगा। एमएचआरडी के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अनुसार, संस्थान को भारत में नंबर 1 विश्वविद्यालय का रैंक प्राप्त है। इसके अलावा, टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) आईआईएससी को विश्व के शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में और ब्रिक्स और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 200 विश्वविद्यालयों में से 14वां स्थान देता है।''

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) की परिकल्पना मूल विज्ञान पर विशेष बल देने के साथ विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित नए संस्थानों के रूप में की गई है। इन संस्थानों से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित है और यह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान भी करता है। आईआईएसईआर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएसईआर) अधिनियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी घोषित किया गया है।

इस प्रकार के पांच संस्थान पहले ही कोलकाता (2006), पुणे (2006), मोहाली (2007), भोपाल (2008) और तिरुवनंतपुरम (2008) में स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2015 और 2016 में क्रमशः दो और संस्थान– आईआईएसईआर, तिरुपति और आईआईएसईआर, बेरहामपुर स्थापित किए गए हैं। आईआईएसईआर तिरुपति और बेरहामपुर के लिए स्थायी परिसरों का निर्माण अब शुरू हो गया है और कार्य प्रगति पर है। संस्थानों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान और कई अंतर–विषयात्मक विधाओं में अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं हैं।

वर्तमान में विभिन्न आईआईएसईआर में लगभग 10,000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। कुल संकाय की संख्या 583 है। आईआईएसईआर अपनी पाठ्यचर्या को बदलती हुई अकादमिक प्राथमिकताओं के साथ संरेखित कर रहे हैं और शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग को कवर करते हुए डाटा साइंस में पूर्ण–विकसित डिग्री और लघु विकल्प शुरू कर रहे हैं।

आईआईएसईआर वर्तमान में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए और साथ ही शोध को सामाजिक प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए कई अनुप्रयुक्त विज्ञान विषयों में वैकल्पिक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं तथा और भी वैकल्पिक पाठ्यक्रम

प्रदान करेंगे। 7आईआईएसईआर में प्रदान किए जाने वाले कुछ प्रमुख अनुप्रयुक्त विज्ञान विषय हैंः संक्रामक रोग और महामारी विज्ञान, जैव सांख्यिकी, रसायन विज्ञान, ऊर्जा और पर्यावरण, हैंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम कम्प्यूटेशन एंड क्वांटम इन्फॉर्मेशन, जल की शुद्धि के लिए सामग्री, संज्ञान, स्वच्छ पर्यावरण, अंतरिक्ष विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, वायुमंडल और महासागर के भौतिकी, औषधीय रसायन विज्ञान, एप्लाइड प्लांट बायोलॉजी, मिनरलॉजी और पेट्रोलाजी, क्रिप्टोग्राफी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी, कैंसर जीवविज्ञान, कम्प्यूटेशनल द्रव गतिशीलता, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी और लगभग 20 अन्य अनुप्रयुक्त विषय। आईआईएसईआर द्वारा 60 से अधिक अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की गई हैं जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हैं।

❖ ❖ ❖

07

दूरस्थ शिक्षण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) मोड के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर अभिनव और आवश्यकता आधारित कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय शिक्षा को समावेशी बनाकर और देश के सभी हिस्सों में समाज के लाभवंचित और अपवंचित वर्गों तक वहनीय कीमत शिक्षा पर शिक्षा उपलब्ध कराकर शिक्षा को लोकतंत्रवादी बनाता है। इग्नू, एक लचीला और नवीन शिक्षण दृष्टिकोण अपनाकर आजीवन उच्चतर शिक्षा के लिए अवसरों का विस्तार करता रहा है जो देश की विविध आवश्यकताओं के लिए भली–भांति अनुकूल और मानव संसाधन का पूरी तरह से उपयोग करने तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए शिक्षार्थियों को शिक्षा से काम और काम से शिक्षा की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इग्नू तीन स्तरीय छात्र समर्थन नेटवर्क के माध्यम से छात्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करता है, जिसमें नई दिल्ली में मुख्यालय, 67 क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) (पूर्वोत्तर राज्यों में 9 आरसी, शेष भारत में 47 आरसी, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और असम राइफल्स के सहयोग से स्थापित 11 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र (भारतीय सेना में छह, भारतीय नौसेना में चार और असम राइफल्स में एक) शामिल हैं और देश भर में 3,430 से अधिक शिक्षार्थी सहायता केंद्र हैं, जिनमें से 357 अध्ययन केन्द्रों की स्थापना समीक्षाधीन अवधि में की गई थी। इग्नू ने समाज के अपवंचित और लाभवंचित वर्गों तक उच्चतर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों की स्थापना की। विश्वविद्यालय ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष में जेल के कैदियों के लिए 22 विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए, जिनमें से एक अल्पसंख्यक के लिए और एक ग्रामीण क्षेत्र स्थापित किया गया, पूरे देश में विशेष अध्ययन केंद्रों की कुल संख्या लगभग 493 थी। छात्रों को अध्ययन केंद्रों पर नियुक्त 63,869 अंशकालिक परामर्शदाताओं के माध्यम से अलग अलग परामर्श और अकादमिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 1,002 नए परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 52 से अधिक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय में 501 शिक्षक/शिक्षाविद और 1,345 तकनीकी/प्रशासनिक कर्मचारी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 के दौरान 75 करोड़ रुपए के अनुदान स्वीकृत किए।

इग्नू 21 स्कूल ऑफ स्टडीज के माध्यम से डॉक्टरेट, मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर पर 243 शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय

ने चार अकादमिक कार्यक्रम शुरू किए, अर्थात् इवेंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा; एक्यूपंक्चर में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट; कोरियाई भाषा और संस्कृति में सर्टिफिकेट और जापानी भाषा में सर्टिफिकेट।

विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दो वार्षिक शैक्षणिक चक्रों का अनुसरण करता है, जो जनवरी से दिसंबर और जुलाई से अगले जून तक होते हैं। क्षेत्रीय केंद्र प्रवेश के लिए नोडल पॉइंट्स हैं। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2015 के प्रवेश चक्र में ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली शुरू की ताकि प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्रों और बैंक जाएं बिना इग्नू में दाखिला ले सकें। जुलाई 2018 के प्रवेश चक्र में नामांकनों की संख्या 7,33,999 थी; जिनमें से 44.4% महिला छात्र, 16.5% अनुसूचित जाति के छात्र, 11.2% एसटी छात्र, 16.7% ओबीसी छात्र, 38.5% छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, 3.2% छात्र आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं। नामांकन के रुझान दर्शाते हैं कि समीक्षाधीन अवधि में जुलाई और जनवरी में संचयी नामांकन (अंतिम रूप दिया जा रहा है) लगभग 10.5 लाख होगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में लगभग 3.0 मिलियन छात्र ऑन–रोल हैं। विश्वविद्यालय को शिक्षा प्रदान करने और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय ने इस अवधि के दौरान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदेशात्मक सामग्रियों के 169.4 लाख ब्लॉक प्रकाशित किए। विश्वविद्यालय ने मुख्यालय में केंद्रीय प्रेषण प्रणाली के माध्यम से छात्रों को 33 लाख पाठ्यक्रम पैकेट प्रेषित किए। वर्ष में दो बार जून और दिसंबर के महीने में सत्रांत परीक्षा (टीईई) के रूप में छात्रों के प्रदर्शन का योगात्मक असाइनमेंट आयोजित किया जाता है। जुलाई, 2018 की सत्रांत परीक्षा में, 926 परीक्षा केंद्रों में 1,547 पाठ्यक्रमों में 5.6 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए, जिसमें 99 जेल केंद्रों और 18 अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की अपूर्व संख्या शामिल थी। इसी प्रकार, दिसंबर, 2018 में आयोजित सत्रांत परीक्षा में 860 परीक्षा केंद्रों में 1,533 पाठ्यक्रमों में लगभग इतनी ही संख्या में छात्र उपस्थित थे जिसमें 105 जेल केंद्रों और 17 अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की संख्या शामिल थी। विश्वविद्यालय ने समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित 31वें दीक्षांत समारोह में सफल छात्रों को 2,11,129 (198 पीएचडी, 31 एम.फिल, 73,263

ऑनलाइन पाठ्यक्रम के डिजाइन और विकास पर कार्यशाला: क्षमता निर्माण 12–14 नवंबर, 2018

मास्टर, 86,076 स्नातक, 41,665 डिप्लोमा और 9,896 सर्टिफिकेट स्तर) पुरस्कार प्रदान किए।

विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संग्रह में मुख्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 1.51 लाख मुद्रित पुस्तकें और क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों पर स्थित पुस्तकालयों में 2.51 लाख मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं। मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों और अध्ययन केंद्रों में अनुसंधान विद्वान, कर्मचारियों और संकायों के लिए ई–संसाधन (ई–जर्नल/ई–पुस्तकें) सुलभ हैं। विश्वविद्यालय संकाय, शिक्षाविदों, अन्य कर्मचारियों और अनुसंधान विद्वानों सहित 2135 उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रूप में 75 हजार पत्रिकाओं और 1.7 हजार पुस्तकों की रिमोट एक्सेस प्रदान करता है।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों का विकास विश्वविद्यालय का एक नियमित कार्यकलाप है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओडीएल संस्थानों के कर्मचारी और शोधार्थी इस पहल के लाभार्थी हैं। विश्वविद्यालय का स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन (स्ट्राइड) राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जो कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य करता है, इसने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए अनुसंधान क्रियाविधि; मीडिया और प्रौद्योगिकी ओडीएल पर 21 दिवसीय रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित किया। इस रिफ्रेशर कार्यक्रम में इग्नू के 30 शिक्षकों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। स्ट्राइड ने "ऑनलाइन पाठ्यक्रमः क्षमता निर्माण" नामक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जिसमें विश्वविद्यालय के 22 शिक्षकों/शिक्षाविदों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय ने ई–गवर्नेंस और आरटीआई के लिए वित्तीय प्रबंधन पर तीन कार्यशालाओं के माध्यम से 93 प्रशासनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। विशिष्ट स्कूल ऑफ स्टडीज और विश्वविद्यालय के अन्य अकादमिक/अनुसंधान इकाइयों द्वारा विषय विशिष्ट कार्यशाला और सेमिनार नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

मल्टीमीडिया, ज्ञान वाणी और ज्ञान दर्शन

विश्वविद्यालय, देश भर में फैले ज्ञान दर्शन 1 और 2 चैनलों और ज्ञान वाणी एफएम शिक्षा रेडियो स्टेशनों के लिए नोडल केंद्र है। ज्ञान दर्शन और ज्ञान वाणी का प्रबंधन शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया जाता है। छात्रों को ऑडियो/वीडियो शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से मल्टीमीडिया सहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय ने ज्ञानदर्शन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के 100 घंटे और आईआरसी कॉन्फ्रेंसिंग के 334 सत्रों के अलावा समीक्षाधीन अवधि में कुल 2,788 की संख्या के साथ 216 नए ऑडियो कार्यक्रम और 4,859 की संचयी संख्या के साथ 53 नए वीडियो कार्यक्रम विकसित किए। विश्वविद्यालय ने 9 दिसंबर 2016 को 37 शहरों से ज्ञान वाणी 10 केडब्ल्यू एफएम रेडियो स्टेशन के संचालन के लिए आकाशवाणी (एआईआर) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद 18 सितंबर 2016 को संचार और आईटी मंत्रालय 37 ज्ञान वाणी स्टेशनों के लिए वायर लेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) का नवीनीकरण किया गया। ज्ञान वाणी दिल्ली का परीक्षण प्रसारण 10 जनवरी, 2017 को शुरू हुआ, इसके बाद वाराणसी, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, औरंगाबाद और पुणे स्थित छह अन्य रेडियो स्टेशनों से प्रसारण फिर से शुरू किया गया; शेष 30 ज्ञान वाणी स्टेशनों को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने ज्ञान धारा नामक इंटरनेट आधारित इंटरैक्टिव ऑडियो काउन्सेलिंग/वेब रेडियो सेवा की शुरुआत की। ज्ञान दर्शन चैनल (एक शैक्षिक टीवी चैनल) को फिर से सक्रिय करने

की सुविधा के लिए इग्नू और दूरदर्शन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एमएचआरडी ने शिक्षार्थियों की दहलीज़ तक शिक्षा पहुंचाने के लिए के लिए 12 एमईएलटी वाहनों (वीईएसएटी सक्षम मोबाइल लर्निंग टीचिंग टर्मिनल) प्रदान किए। 12 वाहनों में से दो एमईएलटी वाहनों को वाहनों में आवश्यक संशोधन करने के बाद ईएनजी कवरेज के लिए चालू कर दिया गया है।

शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमः

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मुक्त और दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) मोड के माध्यम से सेवारत शिक्षकों को उनके कार्यस्थल और घर से दूर किए बिना प्रशिक्षण देने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अग्रणी है। इग्नू ने सर्व शिक्षा अभियान (जिसे अब समग्र शिक्षा के रूप में जाना जाता है) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक एमओसी किया है, जिसके अंतर्गत समीक्षाधीन अवधि में क्षेत्रीय केंद्र जम्मू के तहत बी.एड. कार्यक्रम प्रदान करके राज्य के लगभग 20,000 अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा; 2018–19 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 19,909 अप्रशिक्षित शिक्षकों ने नामांकन किया और 119 नए अध्ययन केंद्र स्थापित किए। यह पहल राज्य के सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करती है। इससे पहले, विश्वविद्यालय ने पाँच उत्तर–पूर्व राज्यों (मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम) की सरकारों, उत्तराखंड और केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के सहयोग से इन राज्यों और केवीएस के सेवारत शिक्षकों को डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड), डिप्लोमा इन प्राइमरी टीचिंग (डीपीटी) और सर्टिफिकेट इन प्राइमरी टीचिंग (सीपीटी) में प्रशिक्षण प्रदान किया।

दूरस्थ मोड के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का समावेशन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करके विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिला शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए जागरूक प्रयास/कदम उठा रहा है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में विशेष रूप से महिलाओं के लिए 34 अध्ययन केंद्र हैं। द स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का उद्देश्य शैक्षणिक कार्यक्रमों और महिलाओं के जेंडर अध्ययन और जेंडर और विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेंडर न्याय और इक्विटी प्राप्त करना है। जेंडर और विकास अध्ययन मौजूदा जेंडर अंतरालों की जांच करता है और जेंडर असमानता के मुद्दे को संबोधित करता है।

महिला और जेंडर अध्ययन, समाज में महिलाओं और अन्य जेंडेरों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिसका उद्देश्य उन कारकों की गहन वैचारिक समझ को बढ़ावा देना है जो समाज में उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं और सिद्धांत, विवेचनात्मक विश्लेषण, प्रयोग, अनुसंधान और व्यावहारिक प्रयोग के माध्यम से इनका निवारण करना है। विश्वविद्यालय जेंडर न्याय और इक्विटी प्राप्त करने के लिए मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर पर पांच शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा "महिला अध्ययन" और "जेंडर और विकास अध्ययन" में दो शोध कार्यक्रम (पीएचडी) प्रदान करता है। इस क्षेत्र में पीजी सर्टिफिकेट स्तर पर छह शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

स्कूल अभिनव ऑनलाइन (मिश्रित) कार्यक्रमों/पैकेजों/मॉड्यूल्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी–सक्षम अधिगम/प्रशिक्षण पहल को शुरू करने की परिकल्पना करता है जो मौजूदा कार्यक्रमों और जेंडर संवेदीकरण में नए

कौशल आधारित (प्रयोग) मॉड्यूल/पहल से उत्पन्न हुए हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों में अधिगम/प्रशिक्षण की पहल का विस्तार, शिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री का प्रावधान शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने जेंडर और विकास के विषयों में अकादमिक कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों के लिए वेब आधारित अतिरिक्त अकादमिक सहायता की शुरुआत की। विशेषकर सीमित नामांकन वाले क्षेत्रों में शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों में परामर्श के अलावा वेब आधारित अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यनीति विकसित की गई। विश्वविद्यालय ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव फोरम की शुरुआत की।

विश्वविद्यालय ने महिलाओं और जेंडर अध्ययन के क्षेत्र में पुस्तकों, दस्तावेजों, ई–संसाधनों, मोनोग्राफ, रिपोर्ट और ऑडियो–विजुअल सामग्री का उपयोग करने के लिए एक महिला और जेंडर संसाधन (विंग्स) स्पेस बनाया है जो विश्वविद्यालय में सभी के लिए भी खुला होगा। जेंडर संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण सत्र, संगोष्ठी और कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के तत्वावधान में महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

विशेष श्रेणी के राज्यों में शैक्षिक विकास के लिए इग्नू की पहल

इग्नू ने उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए विशेष पहल की है ताकि पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर सहित अल्पविकसित, दुर्गम, सुदूर और अल्पसंख्यक बहुल विशेष श्रेणी के छात्रों तक आसानी से पहुँचा जा सके। इन सभी राज्यों में इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के साथ यह पहल शुरू हुई। तब से, विश्वविद्यालय ने विशेष श्रेणी के राज्यों में शिक्षा के पारंपरिक रूपों को अनुपूरित करते हुए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के एक नेटवर्क की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इग्नू, नई दिल्ली में 27 नवंबर, 2018 को आयोजित एनटीएफ़ सदस्यों की बैठक

पूर्वोत्तर क्षेत्र का शैक्षिक विकास

भारत सरकार (जीओआई) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के शैक्षिक विकास के लिए योजना अनुदान का 10% आवंटित किया है। इग्नू पूर्वोत्तर क्षेत्र इकाई (ईडीएनईआरयू) के शैक्षिक विकास के माध्यम से उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और अन्य पहलों के अवसर प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक विकास के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है। शुरुआत में, इस इकाई की स्थापना एमएचआरडी द्वारा वर्ष 2000 में प्रधान मंत्री गैर–व्यपगत निधि के तहत 8 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ पूर्वोत्तर परियोजना (एनईपी) के अंतर्गत की गई थी। एनईपी की परिकल्पना पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक अवसरों की पहुंच बढ़ाने और समान अवसर प्रदान करने के लिए की गई थी। तब से ईडीएनईआरयू ने 9 क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और एनईआर के 8 राज्यों में 525 अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।वर्तमान में, विश्वविद्यालय का लगभग 6.8 प्रतिशत नामांकन पूर्वोत्तर क्षेत्र से आता है। ईडीएनईआरयू, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग (आरएसडी) के समग्र पर्यवेक्षण के भीतर एक अलग इकाई के रूप में कार्य करता है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पूर्वोत्तर परिषद (एनईसीआईआरसी) पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र शैक्षिक विकास के लिए रणनीतियों को विकसित करने के लिए अनिवार्य होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। एनईसीआईआरसी के लिए एक नोडल कार्यालय आरसी शिलांग में स्थित है और आरसी शिलांग के क्षेत्रीय निदेशक एनसीआईआरसी के संयोजक के रूप में संचालन का समन्वय करते हैं। 27 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक आरसी आइजोल द्वारा बेरोजगार महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 प्रतिभागियों को भोजन/फल प्रसंस्करण के विषय में प्रशिक्षित किया गया था।

ओडीएल संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन संबंधी नीति, एनएएसी की एक पहल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार और यूजीसी ने देश के मुक्त और दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन (ए एंड ए) के लिए एक योजना विकसित करने की पहल की। ओडीएल के मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो नागेश्वर राव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्य बल का गठन किया गया। इस कार्य बल ने इग्नू के सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस (सीआईक्यूए) को दोहरे मोड के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा निदेशालयों के लिए ड्राफ्ट मैनुअल तैयार करने और मैनुअल को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करने का काम सौंपा। सीआईक्यूए, इग्नू ने एनएएसी के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की दो परामर्श बैठकें और एनटीएफ़ की बैठक आयोजित की।

अंतर्राष्ट्रीय संचालन और सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, इग्नू ने छात्रों के नामांकन और सुविधा, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं करने और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के संचालन के लिए विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रवासी अध्ययन केंद्रों (ओएससीएस) के माध्यम से विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी है। 12 विदेशी अध्ययन केंद्रों (ओएससी) के माध्यम से 10 देशों में इग्नू की पहुंच है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का संचयी नामांकन 71,318 है। 2018–19 के दौरान विश्वविद्यालय ने 1,714 विदेशी छात्रों को नामांकित किया और 4.6 करोड़ रु का राजस्व अर्जित किया।

ईरान, रूस और मिस्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने शैक्षणिक सहयोग की संभावना तलाशने के लिए विश्वविद्यालय का दौरा किया। म्यांमार के उच्चतर

शिक्षण संस्थानों के प्रशासकों ने शैक्षिक दौरा किया।

सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना

इग्नू ने सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण, दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्नत भारत अभियानः

उन्नत भारत अभियान ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु कार्यक्रम है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस सहयोगात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार में यथापरिकल्पित 'स्थायी गांव समूहों'के निर्माण के लिए व्यावसायिक और अन्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों और ग्राम समुदायों के बीच संपर्क स्थापित करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण भारत के लोगों के साथ मिलकर विकास चुनौतियों की पहचान करने और स्थायी विकास में तेजी लाने के लिए उचित समाधान विकसित करने में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान और पद्धतियों को प्रदान करके और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की क्षमताओं को उन्नत करके समाज और एक समावेशी शैक्षणिक प्रणाली के बीच एक पूर्ण चक्र बनाना है। प्रौद्योगिकी और संसाधन इनपुट्स के माध्यम से समग्र विकास के लिए उपयुक्त ग्रामीण समूहों का चयन करने के मिशन के अनुरूप, इग्नू ने प्रभावी रूप से कार्य शुरू कर दिया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में किफ़ायती, शिक्षार्थी केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से समाज के ग्रामीण, लाभवंचित और अपवंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एमएचआरडी के निर्देशों के अनुपालन में और उन्नत भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस मिशन में शामिल हो गया है और इसने पूरे भारत में अपने 56 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से 92 गांवों को अपनाया है। अपने शिक्षार्थी सहायता केंद्रों, स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक और जिला प्रशासन आदि के सहयोग से क्षेत्रीय केंद्रों के कार्यकर्ताओं द्वारा गोद लिए गए गांवों में कई तरह की गतिविधियाँ और पहल की गई हैं।

इन गतिविधियों में जिला कलेक्टरों, खंड विकास अधिकारियों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और अन्य नागरिक प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद से,ग्रामीणों की आजीविका का उत्थान, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता अभियान, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, स्वच्छता अभियान, युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए बुजुर्ग लोगों के साथ बैठक, डिजिटल साक्षरता, दिन–प्रतिदिन के कार्यों में स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए महिलाओं के साथ चर्चा करने और उन्हें उन्मुख करने के लिए उनके साथ बैठक आयोजित करना, आजीविका समर्थन, आर्थिक विकास, कृषि और उद्यमिता शामिल है।

बिहार और झारखंड के क्षेत्रीय केंद्रों ने गोद लिए गए गाँवों के स्कूली बच्चों के साथ गांधी जयंती, क्रिसमस आदि जैसे विशेष अवसर मनाए और ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की तथा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। क्षेत्रीय केंद्र ने सफाई अभियान में स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिए जागरूक बनाने हेतु ग्रामीणों को कूड़ेदान और झाड़ू वितरित किए। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रीय केंद्र ने गोद लिए गए

गांवों में 5–12 आयु वर्ग के बच्चों के बीच हाथ धोने और नाखून काटने का अभियान शुरू किया और क्षेत्रीय केंद्रों के अधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बच्चों के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें दोहराने के लिए कहा। बच्चों को हाथ धोने के लिए घर पर उपयोग करने के लिए छोटे साबुन भी दिए गए थे और साप्ताहिक आधार पर बच्चों के नाखून काटने के लिए उपयोग करने के अनुरोध के साथ स्कूल शिक्षकों को 5 नेलकटर दिए गए थे। एक गरीब आदिवासी बहुल गाँव में इस अभियान को आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों में हाथों की स्वच्छता के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय केंद्र ने कृषि क्षेत्र के यार्डों में ग्रामीण महिलाओं के बीच इग्नू कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, ताकि सामान्य रूप से जैविक खेती और विशेष रूप से मधुमक्खी पालन पर जागरूकता पैदा की जा सके। जबकि अन्य क्षेत्रीय केंद्रों ने हस्तकला सहयोग कार्यक्रम में भाग लिया और बीपीपी में बुनकर समुदाय के कई शिक्षार्थियों और इग्नू के अन्य प्रमाणपत्र शैक्षणिक कार्यक्रम में नामांकित हैं। उन्होंने गांवों में विशेष एलएससी की भी स्थापना की और व्यावहारिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमईएलटी वैन का उपयोग किया।

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित क्षेत्रीय केंद्र, अन्य एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर अस्पतालों और डॉक्टरों के समन्वय से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के अलावा शिक्षार्थियों के लिए कौशल आधारित सुविधा कार्यक्रम तैयार करने में लगे हुए हैं। आरसी करनाल के साथ मिलकर आईसीआईसीआई स्किल एकेडमी द्वारा शुरू किए गए 18–30 वर्ष की आयु समूह में 8 वीं कक्षा पास करने वाले छात्रों से लेकर स्नातक तक के छात्रों के लिए प्रो–बोनो पाठ्यक्रम (12 सप्ताह) को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। यह अकादमी, इग्नू के शिक्षार्थियों को निः शुल्क कौशल आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की भी इच्छुक है। अवसर और रोजगार प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर रोजगार मेले (जॉब फेयर) का आयोजन भी किया और शिक्षार्थियों को नौकरी के अवसर प्रदान किए।

क्षेत्रीय केन्द्रों ने सामाजिक आउटरीच बढ़ाने के लिए एलएससी के अपने बड़े नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण भारत के कई हिस्सों, जेल और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता, प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तित्व विकास, अंग्रेजी भाषा और सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि कई विषयों पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके उदाहरण के रूप में आरसी वटकरा का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें कन्नूर में जेल के कैदियों के बीच विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्राथमिक चिकित्सा पर कार्यशाला आयोजित करने के अलावा उनके पारिवारिक मित्रों और पड़ोसियों के साथ सामान्य अभिवादन कराया गया। इसी प्रकार कन्नवम के जंगल के भीतर रहने वाले जनजातीय छात्रों के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षक संवाद मंच (ईएलटीआईएफ) के सहयोग से अंग्रेजी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सांस्कृतिक लक्षणों, गीतों और नाटक का उपयोग करके अंग्रेजी भाषा कौशल प्रदान किया गया। क्षेत्रीय केंद्र वाटकरा ने गैर–सरकारी संगठनों की मदद से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए विशेष कार्यक्रम और परामर्श का आयोजन किया और उनके माता–पिता की काउंसलिंग की।

अपने नेटवर्क के माध्यम से और अन्य एजेंसियों, नागरिक और प्रशासनिक निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करके क्षेत्रीय केंद्र सामान्य

रूप से ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और विशेष रूप से उन्नत भारत अभियान के मिशन और विजन को प्राप्त करने का सर्वोत्तम प्रयास करते हैं।

13 सितंबर 2018 को क्षेत्रीय केंद्र रायपुर के अंतर्गत धमतरी में उन्नत भारत अभियान में भाग लेने वाली गाँव की महिलाएँ

स्वच्छ भारत अभियान

2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के अनुसरण में इन कार्यकलापों में स्वच्छता अभियान में प्रत्यक्ष भागीदारी, गांवों में जागरूकता बैठकें, छात्रों और जनता के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम शामिल हैं।

2 अक्टूबर, 2018 को मोरनी हिल्स, पंचकुला में आयोजित 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान

सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से सामूहिक रूप से शुरू किए गए स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम – 2018 शुरू

किया है; जिसका उद्देश्य स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए छात्रों के कौशल और अभिविन्यास को विकसित करने हेतु छात्रों का नामांकन करना और स्वच्छ भारत मिशन को एक जनांदोलन बनाना है। इसके तहत, छात्रों को उनकी पसंद के एक गांव का चयन करने और गांव की संपूर्ण स्वच्छता और आरोग्यता में सुधार के लिए एक स्थायी प्रणाली बनाने के लिए ग्राम समुदाय के साथ काम करने के लिए बुलाया जाता है। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक छात्र कम से कम 100 घंटे स्वछता को समर्पित करेगा। स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 278 छात्रों ने पंजीकरण कराया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के तहत इंटर्नशिप के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए स्वैच्छिक कार्य किया।

प्रारंभ में क्षेत्रीय केंद्रों ने छात्रों के साथ इंटर्नशिप कार्यक्रम के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता बैठक आयोजित की। अधिकांश क्षेत्रीय केन्द्रों ने सोशल मीडिया और संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने छात्रों के साथ पोस्टर डिजाइन किए हैं और साझा किए हैं। इस पहल के तहत प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. सूचना–शिक्षा–संचार गतिविधियाँ जैसे कि स्वच्छता से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जिनसे स्वच्छता से संबंधित व्यवहार, खुले में शौच को लेकर व्यवहार, आरोग्यता पद्धतियाँ, ठोस / तरल अपशिष्ट प्रबंधन आदि में बदलाव होगा।
2. बेहतर स्वच्छता प्रथाओं जैसे शौचालय का उपयोग करना, हाथ धोना, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता, स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक, गीत और नृत्य प्रदर्शन, स्वच्छता के संबंध में व्यवहार बदलने के लिए घर घर जाकर बैठक करना, स्वच्छता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए ग्राम / स्कूल–स्तरीय रैलियां, वृक्षारोपण कार्यक्रम पर संवेदीकरण अभियान का आयोजन किया।
3. घरों में अपशिष्ट संग्रह अभियान जैसे ठोस अपशिष्ट को नॉन–बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल कचरे में अलग अलग करना।
4. मिश्रित खाद के गड्ढों का निर्माण करने के लिए समुदाय और पंचायत को जुटाना, बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लिए पंचायतों के साथ बातचीत की योजना तैयार करना।
5. जागरूकता अभियान के माध्यम से सड़कों, नालियों और पीछे की गलियों की सफाई, गांवों में कूड़ेदानों का वितरण आदि।

पंजीकृत 278 स्वयंसेवकों में से, 22 प्रशिक्षुओं ने स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा किया था और उन्होंने स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप वेबसाइट (sbsi.mygov.in) पर यूट्यूब वीडियो, तस्वीरें आदि पोस्ट किए हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार हो सके।

इग्नू ने अपने क्षेत्रीय और अध्ययन केंद्रों के सहयोग से अनेक कार्यकलाप शुरू किए हैं। मिशन के एक भाग के रूप में किए गए कुछ विस्तृत कार्यकलाप निम्नानुसार थे:

क्षेत्रीय केंद्र का नाम	ग्राम / जिला	कवर किए गए लोग/ परिवार
अगरतला	1. पश्चिम जिले का हिजामारा ब्लॉक 2. ढलाई जिले का दुर्गा चौमुहानी ब्लॉक, त्रिपुरा	1. पश्चिम जिले का हिजामारा ब्लॉक जनसंख्या–35,628 2. ढलाई जिले का दुर्गा चौमुहानी ब्लॉक, त्रिपुरा, जनसंख्या –10,832
अलीगढ़	काशीमपुर, जिला– अलीगढ़	लगभग 200
बीजापुर	लोहागांव, बीजापुर	लगभग 500
चंडीगढ़	चंडीगढ़ शहर में विभिन्न शिक्षार्थी सहायता केंद्र	लगभग 100
कोचीन	अय्याम्पुज्जा गांव, एर्नाकुलम (जिला) केरल में अंगमाली तालुक	100 परिवारों के करीब 500 लोग
दिल्ली–3	रामपाल चौक और पालम गांव के आसपास के क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम दिल्ली।	सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बताया गया और उन्हें अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए ज़ोर दिया गया।
गंगटोक	चालिसै बस्ती (पूर्व जिला)	300 – (चयनित गाँव की जनसंख्या)
हैदराबाद	तेलंगाना राज्य के मेडचल जिले में स्थित क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय भवन परिसर	20–25 लोग
जबलपुर	जबलपुर जिले का पाछेपेड़ी क्षेत्र	लगभग 600
जयपुर	ग्राम खोरा मीणा, आमेर जिला, जयपुर और ग्राम सिंगवाड़ा, जिला दौसा	ग्राम पंचायत खोरा मीणा, आमेर जिला जयपुर में लगभग 1000 लोग / परिवार, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, वार्ड सदस्य, स्कूल के छात्र आदि स्वच्छ भारत अभियान की विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत सिंगवाड़ा, जिला दौसा में स्वच्छ भारत अभियान की विभिन्न गतिविधियों के तहत 500 सदस्यों, ग्रामीणों, स्कूली छात्रों आदि को कवर किया जाता है।

क्षेत्रीय केंद्र का नाम	ग्राम / जिला	कवर किए गए लोग/ परिवार
जम्मू	कोथे, चाक, जगतू, चाक तारा, रख नागबनी और मनयाल ब्राह्मण (जिला जम्मू) बाटलाद्योनिया, चिल्लाडांगा और धलोट (जिलाः सांबा) एरवान और तरफबला (जिला–कठुआ)	आरसी अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लाभों के बारे में बताते हैं।
करनाल	करनाल और हिसार में स्थित अध्ययन केंद्र	लगभग 100
खन्ना	बुलेपुर, तहसील– खन्ना, जिलाः लुधियाना	लगभग 1000 लोग
कोलकाता	परुलिया, दक्षिण 24 परगना	लगभग 15 परिवार
मदुरै	पुलियांगुलम गाँव, मदुरै जिला और अलंगनल्लुर गाँव, मदुरै जिला	500 के आसपास
मुंबई	घाटकोपर और उल्लासनगर	लगभग 100
नागपुर	क्षेत्रीय केंद्र परिसर, जिला नागपुर	लगभग 40 परिवार
नोएडा	भटियाना, जिला – हापुड़	लगभग 340 परिवार
पटना	गोरेगाँव, दानापुर, जिला के पास, पटना	लगभग 100 लोग
राजकोट	क्षेत्रीय केंद्र परिसर, जिला राजकोट	लगभग 25 लोग
सहरसा	नारियार (जिला– सहरसा), अर्थहा (जिला– मधेपुरा)	लगभग 100 लोग
शिलांग	मवलाई, पूर्वी खासी हिल्स	10
शिमला	पोआबो (ब्लॉक मशोबरा), जिला शिमला	300 (अनुमानित जनसंख्या)
श्रीनगर	कुरसो राज बाग	28
तिरुवनंतपुरम	मुदवनमुगल – स्वास्थ्य केंद्र, त्रिवेंद्रम और मुत्तथारा गाँव	100
वाराणसी	पखनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर	लगभग 50 परिवार

क्षेत्रीय केंद्र का नाम	ग्राम / जिला	कवर किए गए लोग/ परिवार
वातकारा	चेरोड पंचायत सहित क्षेत्रीय केंद्र परिसर और अज़ियूर ग्राम पंचायत (जिला– वातकारा)	150
विजयवाड़ा	क्षेत्रीय केंद्र परिसर	25

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संस्थान द्वारा गोद लिए गए गाँव या नजदीकी इलाके का नाम :

विश्वविद्यालय ने पर्यावरण और पारिस्थितिक स्थिरता पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. राजेंद्र सिंह थे जिन्हें भारत के वॉटरमैन के रूप में जाना जाता है। एक शोधार्थी को राजस्थान के एक अर्ध शुष्क क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और स्थिर आजीविका में पीएच.डी. डिग्री दी गई।

एनवायरनमेंटल और एकोलोजिकल ससटेनेबिलिटीः एंगर्जिंग द स्टेकहोल्डर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4–5 अक्तूबर, 2018

स्वच्छ परिसर रैंकिंग पुरस्कार – 2018

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय (गैर आवासीय) श्रेणी के अंतर्गत उच्चतर शिक्षण संस्थानों की स्वच्छ परिसर रैंकिंग 2018 में पाँचवीं रैंक से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, देश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में स्वच्छता की संस्कृति को बनाए रखने, बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय को स्वच्छ परिसर रैंकिंग 2018 से भी सम्मानित किया गया था।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार से स्वच्छ परिसर रैंकिंग पुरस्कार प्राप्त करते हुए इग्नू के कुलपति प्रो. नागेश्वर राव

नवाचारों के लिए प्रयास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सिफारिशों पर; विश्वविद्यालय ने इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल (आईआईसी) का गठन किया। आईआईसी का उद्देश्य इग्नू में एक नवाचार संवर्धन इको–प्रणाली के लिए अग्रणी बहुउद्देशीय मोड के माध्यम से नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित रूप से बढ़ावा देना है। जनवरी 2019 तक, आईआईसी के तत्वावधान में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। 13 दिसंबर, 2018 को "बौद्धिक संपदा अधिकारों" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई और 17 जनवरी, 2019 को "संज्ञानात्मक कौशल, डिजाइन सोच और विवेचनात्मक सोच" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

विश्वविद्यालय ने "छात्र नवाचार पुरस्कार" संस्थापित किया जिसे देश भर के पहले तीन नवप्रवर्तक छात्रों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2018 में, इस पुरस्कार के लिए एक सांत्वना पुरस्कार के साथ चार सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को चुना गया। 19 नवंबर, 2018 को इग्नू के स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेश पर, विश्वविद्यालय में एक नवाचार क्लब की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य इग्नू मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों, दोनों में संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और इग्नू के छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति का सृजन करना था। इसके उद्देश्यों में इग्नू मुख्यालय और देश भर में फैले क्षेत्रीय केंद्रों के संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और इग्नू के छात्रों के बीच रचनात्मकता, नवाचारों और आईपीआर के बारे में जागरूकता पैदा करना शामिल है। देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों में अठारह (18) स्थापित नवाचार क्लब हैं, जो संकाय और इग्नू के छात्रों द्वारा जमीनी स्तर के नवाचारों की पहचान करने में योगदान

प्रो. ताकवाले, पूर्व कुलपति इग्नू द्वारा छात्र नवाचार पुरस्कार प्राप्त करते हुए छात्र साथ ही, इग्नू के कुलपति प्रो नागेश्वर राव भी मौजूद हैं।

करते हैं, जिससे नवप्रवर्तकों का एक नेटवर्क तैयार होता है और क्षेत्रीय केंद्रों के साथ साथ अध्ययन केन्द्रों में भी नवाचार की संस्कृति पैदा होती है। इग्नू के नवाचार क्लब ने रिपोर्ट की गई अवधि में सदस्यों की आवधिक विचार–मंथन बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। इग्नू छात्रों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए 66 मई 2018 को एक अर्ध दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। 18 जुलाई 2018 को ”नवाचार में नेतृत्व” पर एक अर्ध दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। 26 अक्टूबर, 2018 को ”स्वच्छ भारतः इग्नू की अभिनव पहल” विषय पर चर्चा के मुख्य उद्देश्य के साथ नवाचार क्लब इग्नू की एक विचार मंथन बैठक आयोजित की गई। नवीन विचारों और नवोन्मेषी प्रथाओं को साझा और प्रसारित करने के लिए, केंद्र, एनसीआईडीई संकाय, इग्नू संकाय और प्रख्यात विशेषज्ञों के लेखों / योगदान के साथ ‘एनोवेट’ नामक एक ई न्यूज़्लेटर निकालता है।

विश्वविद्यालय ने सामग्री प्रस्तुत करने की शैलियों में अभिनव शिक्षाशास्त्र विकसित किया, और एक एकीकृत वेब सपोर्ट पोर्टल के विकास सहित स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम में सर्टिफिकेट के लिए निर्देशों, स्व–मूल्यांकन और डिलीवरी की रणनीतियाँ विकसित कीं। छात्रों के लिए ‘इग्नू ई–कंटेंट’ नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया और उन्हें उपलब्ध कराया गया ताकि वे किसी भी समय अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री एक्सैस कर सकें।

स्वयम

डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए स्वयम मूक्स परियोजना के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में इग्नू, स्वयम मूक्स के विकास की सुविधा प्रदान करता है। 320 घंटे के वीडियो कंटेन्ट वाले 24 पाठ्यक्रमों को विकसित किया गया है और स्वयम के माध्यम से 30856 नामांकित शिक्षार्थियों के बीच वितरित किया जा रहा है। 44 एमओओसी पाठ्यक्रम तैयार होने के विभिन्न चरणों में हैं।

विश्वविद्यालय ने इग्नू की वेबसाइट पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) एप्लीकेशन को डिजाइन और विकसित किया तथा इग्नू की वैबसाइट पर होस्ट किया। इसमें ”ईओआई के माध्यम से स्वयम मूक्स के लिए प्रस्ताव कैसे विकसित करें” पर इच्छुक संकाय को प्रशिक्षित भी किया जाता है।

स्वयम प्रभा

इग्नू, भारत सरकार की डीटीएच चैनल पहल स्वयम प्रभा के पांच चैनलों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक भी है। इग्नू को पांच चैनल आबंटित किए गए हैं। 28–29 जून, 2018 के दौरान इग्नू और कृष्णा कान्त हंदीकी राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (केकेएचएसओयू) द्वारा संयुक्त रूप से स्वयम और स्वयम प्रभा पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें केकेएचएसओयू के विभिन्न स्कूलों के 50 संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

चैनल संख्या और चैनल का नाम	अब तक तैयार किए गए कुल विडियो (घंटों में)
चैनल 23: लिबरल आर्ट्स और मानविकी	128
चैनल 24: कृषि (व्यावसायिक) और संबद्ध विज्ञान	86
चैनल 25: संस्कृति	38
चैनल 26: राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (एसओयू)	349
चैनल 32: शिक्षक शिक्षा– वागडा	250

एमएचआरडी के निर्देशानुसार ट्विटर, फेसबुक

और व्हाट्सएप पर नियमित अपडेट फीड करने के लिए स्वयम और स्वयम प्रभा के लिए सोशल मीडिया (एसएम) ग्रुप बनाया गया है।

ई–ज्ञानकोश

इग्नू ने अपने लोकप्रिय शैक्षिक संसाधन पोर्टल ई–ज्ञानकोश को उन्नत फीचर्स के साथ पुनःडिजाइन और पुनः सक्रिय किया है। यह भंडार शिक्षार्थियों को इग्नू द्वारा प्रदान किए जाने वाले 227 से अधिक कार्यक्रमों की स्व–अधिगम सामग्री को खोजने और एक्सैस करने की सुविधा प्रदान करता है। भंडार को ई–ज्ञानकोश पोर्टल (www.egyankosh.ac.in) पर एक्सैस किया जा सकता है।

ज्ञान धारा

ज्ञान धारा इग्नू द्वारा प्रस्तुत की गई एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा है। छात्र उस दिन पढ़ाए गए विषय पर शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा लाइव चर्चा सुन सकते हैं और टेलीफोन के माध्यम से उनसे बातचीत कर सकते हैं।

व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना

विश्वविद्यालय विभिन्न व्यावसायिक और कौशल क्षेत्रों में निरंतर शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम नियोजित छात्रों के ज्ञान और कौशल के अद्यतन के साथ–साथ नए नौकरी ढूंढने वालों के लिए भी लाभकारी हैं। विश्वविद्यालय उद्योगों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता देता है। विश्वविद्यालय ने स्नातक कार्यक्रमों में व्यावसायिक / कौशल–आधारित शैक्षिक हस्तक्षेप के लिए एक कार्य समूह का गठन किया और कार्य समूह के परिण ाामों के आधार पर स्नातक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कर रहा है; यह यूजीसी की विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। विश्वविद्यालय समय–समय पर उद्योगों और रोजगार बाजार की बदलती ज्ञान और कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की समीक्षा और अद्यतन करता है। विश्वविद्यालय ने एनएसक्यूएफ और विकल्प–आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बी.वोक कार्यक्रम विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालय ने जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए डीजीएचएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; इसी प्रकार सशस्त्र बलों, पैरामेडिकल बल और नागरिकों के लिए विशेष तकनीकी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने और पेश करने के लिए इनमास, डीआरडीओ के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किए गए। विश्वविद्यालय ने कौशल आधारित प्रशिक्षण के तहत 10 सर्टिफिकेट कार्यक्रम का विकास करने और उन्हें शुरू करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; इस उद्देश्य के लिए एक कौशल प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

भोपाल में विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने घरेलू कामगारों के रूप में काम कर रहे समाज के वंचित वर्ग के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रयास किया। इस पहल के तहत पहले 25 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। विश्वविद्यालय ने इस प्रकोष्ठ के तहत अस्पताल संचालन में एक वर्ष का पीजी डिप्लोमा भी शुरू किया; इससे विभिन्न वर्गों और विशेष रूप से जनजातीय और वंचित समुदाय के युवा लाभान्वित हुए और बाद में उन्हें नियोजन भी मिला।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एमटीसी) के प्रतिभागी

विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ मिलकर स्वयम के माध्यम से सौर जल पम्पिंग सिस्टम (एपीएसडबल्यूपी) संबंधी जागरूकता कार्यक्रम पर मूक्स कार्यक्रम शुरू किया। कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे मुर्गी पालन, खाद्य कानून और मानक, किण्वित, पनीर, आइसक्रीम और बाय–प्रोडक्ट्स में प्रौद्योगिकी और भारतीय कृषि विकास में पिछले वर्षों में चार मूक्स कार्यक्रम पहले से ही उपलब्ध थे। विश्वविद्यालय ने बुनियादी और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारतीय खाद्य सरुक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के खाद्या सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (एफओएसएसएआई) प्रशिक्षण पहल के तहत चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए।

विश्वविद्यालय ने "डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कृषि विस्तार सामग्री का विकास और वितरण" पर एक मॉडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एमटीसी) का आयोजन किया। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक्सटैन्शन निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। राज्य के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), आईसीएआर संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुल 20 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में स्थित अपनी सभी शाखाओं / कार्यालयों में परिचालित किया है, जिसमें राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन का कार्य कर रहे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को अनुवाद कार्यक्रम में इग्नू के पीजी डिप्लोमा के माध्यम से अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

कौशल विकास के लिए राजस्थान राज्य में इग्नू की पहल

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जयपुर ने राजस्थान सरकार की कौशल विकास पहल के हिस्से के रूप में इग्नू के 26 सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में से एक में छात्रों के नामांकन के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय, राजस्थान सरकार के साथ एक नई पहल की। इस योजना में आरसी जयपुर और जोधपुर के माध्यम से इग्नू के अल्पावधि कार्यक्रमों

के साथ राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के यूजी और पीजी डिग्री छात्रों के कौशल विकास की परिकल्पना की गई है। इस वर्ष इस पहल के तहत 18,944 छात्रों का नामांकन हुआ है और 55 नए अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

कैंपस प्लेसमेंट

विश्वविद्यालय संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए आजीवन शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान करता है; इस प्रकार विश्वविद्यालय के छात्रों का एक बड़े समूह पहले ही कार्यरत है और अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए इग्नू में दाखिल हुए हैं। विश्वविद्यालय अपने सफल छात्रों के लिए बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने कॉर्पोरेट संगठनों के साथ–साथ मानव संसाधन एजेंसियों के साथ मिलकर इग्नू के छात्रों और पूर्व छात्रों के प्लेसमेंट के लिए काम किया और मुख्यालय में आठ कैम्पस प्लेसमेंट अभियानों का आयोजन किया; इन अभियानों में 2354 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 620 को शॉर्टलिस्ट/चयनित किया गया।

कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेते हुए छात्र

इग्नू में दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा के माध्यम से एक ज्ञान समाज बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत कम समय में इग्नू ने शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ मोड के माध्यम से उच्चतर शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार गतिविधियों और निरंतर व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्षों से इग्नू समाज के अपवंचित लोगों को शिक्षा प्रदान करने की देश की उम्मीदों पर खरा उतरा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण भाग दिव्यांग व्यक्तियों का है।वर्तमान में लगभग 4,900 दिव्यांग छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में नामांकित और अध्ययनरत हैं। नामांकित छात्रों की दिवयांगता में दृष्टि बाधित, मूक और बधिर, कम दृष्टि और लोकोमोटर बाधित शामिल हैं। इन छात्रों को नजदीकी अध्ययन केंद्रों की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इग्नू मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

दिवयांगता अध्ययन और पुनर्वास के क्षेत्र में समर्थन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से राष्ट्रीय दिव्यांगता अध्ययन केंद्र (एनसीडीएस) की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय दिवयांगता अध्ययन में पीएच.डी. कार्यक्रम प्रदान करता है; 11 छात्र पीएचडी में नामांकित हैं जिसमें से 4 को डिग्री प्रदान की गई है और अन्य तीन ने थीसिस प्रस्तुत किया गया है। अपने अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा करने में छात्रों की सुविधा के लिए, विश्वविद्यालय दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित छात्रों को चयनित पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है और विभिन्न सॉफ्टवेयरों के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी का उपयोग करने के लिए काउंसलिंग करता है। छात्रों को मांग

पर सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालय ने दिव्यांग छात्रों और अन्य वंचित समूहों की समस्याओं को हल करने वाली प्राथमिकताओं के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की।

भोपाल में विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के प्रशिक्षण के लिए एक नई पद्धति शुरू की है। हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 35 बधिरों और मूक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया।

विश्वविद्यालय ने जागरूकता फैलाने के लिए तीन टेलीकांफ्रेंसिंग कार्यक्रमों का प्रसारण किया और प्रत्येक वर्ष चित्रकला प्रतियोगिता, "विजुअल मेड वर्बल" पर एक दिवसीय कार्यशाला और ''अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस'' पर एक कार्यशाला का आयोजन करके इग्नू में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाता है। श्री जोरीन दाउद सिंघा, पूर्व अध्यक्ष, नेशनल एसोसिएशन फॉर द डेफ ने 6 दिसंबर 2018 को "भारत में बधिर समुदाय के लिए चुनौतियां और अवसर" विषय पर व्याख्यान दिया। इसके अलावा, 27 दिसंबर, 2018 को ज्ञानवाणी चैनल पर "दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए पठन के विकल्प" पर एक लाइव इंटरएक्टिव रेडियो कार्यक्रम और विचार मंथन बैठक का आयोजन किया गया ताकि इग्नू की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट अध्ययन सामग्री की सार्वभौमिक पहुंच बनाई जा सके।

इग्नू द्वारा एससी/एसटी छात्रों को प्रदान किए गए लाभ

विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए इंटरैक्शन विंडो के रूप में अध्ययन केंद्र के साथ छात्रों की सहायता सेवा के तीन स्तरीय नेटवर्क की स्थापना की। विश्वविद्यालय ने एससी/एसटी आबादी वाले क्षेत्रों में 26 विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय केंद्र (छात्रों की सहायता नेटवर्क की मध्य परत) की स्थापना की है, इन राज्यों में एसटी आबादी की संख्या अत्यधिक है। क्षेत्रीय केंद्र नियमित रूप से स्थानीय मेलों, त्योहारों में भाग लेते हैं और अपनी शैक्षणिक, व्यावसायिक और वोकेशनल आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों का चयन करने में छात्रों की सहायता करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते हैं।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष में विश्वविद्यालय ने बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी. और स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए बिना स्नातक कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स) में नामांकित एससी/एसटी छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना प्रदान की जिससे उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भागीदारी बढ़ सके। एससी/एसटी छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति की यह योजना एससीएसपी/टीएसपी अनुदान घटकों के माध्यम से वित्तपोषित है।

कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल)

1. कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल) एक अंतर–सरकारी संगठन है, जो मुक्त शिक्षण/दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रमंडल सरकारों द्वारा बनाया गया है। सीओएल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण की पहुंच में सुधार करने में विकासशील देशों की मदद कर रहा है।
2. सीओएल अपने साझेदार संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण में

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए काम करता है। यह राष्ट्रमंडल के 53 सदस्य देशों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक व्यापक पहुंच प्रदान कर पाने में मदद करता है।

3. सीओएल को स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रमंडल सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। भारत एक प्रमुख दाता देश है। 2018–19 के दौरान, एमएचआरडी ने सीओएल को 8.00 करोड़ रु. जारी किए।

4. सचिव,उच्चतर शिक्षा विभाग सीओएल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और कार्यकारी समिति में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

5. भारत में सीओएल का एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए),नई दिल्ली में स्थित है और दूरस्थ शिक्षा के प्रभारी संयुक्त सचिव सीईएमसीए की एडवाइजरी के सदस्य हैं।

सीओएल ने कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए) की स्थापना की है। सीईएमसीए क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सूचना संसाधन और विनिमय तंत्र में परामर्श प्रदान करता है। सीईएमसीए 10,000 शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों को कवर करने के लिए एक डेटा बेस का प्रबंधन करता है जो पूरे एशियाई क्षेत्र में उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध हैं।

❖ ❖ ❖

08

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के तहत,उन पात्र मेधावी छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो बारहवीं कक्षा में एक विशेष परीक्षा बोर्ड से संबंधित स्ट्रीम में सफल उम्मीदवारों के 80 प्रतिशत सेऊपर हैं, और जिनके परिवार की आय 8 लाख रू. प्रति वर्ष से कम है। हर साल 82000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) और उन्हें राज्य की 18–25 वर्ष की आयु की आबादी के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है।छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 10,000/– रू. प्रति वर्ष और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 20,000/– रू. प्रति वर्ष है।

संवितरण विधि:

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 1.1.2013 से आच्छादित है, जिसमें छात्रवृत्ति लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे संवितरित की जाती है। 01.01.2018 से 31.03.2019 तक छात्रवृत्ति के संवितरण को इंगित करने वाला एक विवरण अनुबंध–III पर है।

'कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना'01.08.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर है। शैक्षणिक वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के पात्र उत्तीर्ण छात्रों को पोर्टल के माध्यम से नई छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना था।शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.10.2018 और संस्थानों और राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा सत्यापन के लिए क्रमशः 20.11.2018 और 30.11.2018 थी।

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य के बाहर शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।प्रत्येक वर्ष 5000 छात्रवृत्ति (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100) प्रदान की जाती हैं।सामान्य डिग्री की संख्या में कमी के अधीन स्लॉट की अंतर–परिवर्तनशीलता का प्रावधान है, यानी अगर सामान्य स्ट्रीम इनटेक में कमी है, तो कमी की संख्या इंजीनियरिंग/मेडिकल स्ट्रीम (1 जनरल स्ट्रीम/0.58 इंजीनियरिंग स्ट्रीम/0.325 मेडिकल स्ट्रीम) के बराबर सीटों में बदल जाती है।

ट्यूशन फीस और रखरखाव भत्ता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशनफीस की छात्रवृत्ति की दर 30,000 रू. प्रतिवर्ष,

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रू.प्रति वर्ष और चिकित्सा अध्ययन के लिए 3.0 लाख रू. प्रति वर्ष है। योजना के तहत सभी छात्रों को 1.0 लाख रू. प्रति वर्ष, नियत रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख के लिए अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया जाता है।

पात्रता मापदंड:

जम्मू और कश्मीर के छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8.0 लाख रु.प्रति वर्ष से कम है और उन्होंने राज्य से बारहवीं कक्षा/समकक्ष परीक्षा पास की है वे योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। जिन छात्रों ने राज्य से बाहर या तो केंद्रीयकृत परामर्श के माध्यम से आवंटित सीटों पर दाखिला लिया है साथ ही साथ वे छात्र जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लिया है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। छात्रों को एआईसीटीईके वेब पोर्टल – http://aicte-jk-scholarship.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

नई पहलें:

- वरीयता के क्रम में छात्रों की योग्यता और पसंदीदा संस्थान के आधार पर सीटों का ऑनलाइन आवंटन।
- प्रत्येक लाभार्थी संस्थान में एक संकाय सदस्य को छात्रवृति की शिकायतों और सुचारू संवितरण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- पैतृक आय सीमा मानदंड को 6 लाख रू. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रू. प्रति वर्ष कर दिया गया है।

वर्ष 2018–19 (01.01.2018 से 31.03.2019) के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को नई और नवीकरण छात्रवृत्ति के लिए 185.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)

योजना का उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से कोई भी, जिसमें अल्पसंख्यक, एससी/एसटी, महिलाएं और विकलांग शामिल हैं, को केवल गरीबी के कारण व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच से वंचित ना रखा जाए।

कवरेज: इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस से संबंधित उन सभी छात्रों को कवर करना है, जिनकी वार्षिक पैतृक/पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। योजना के तहत भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से साढ़े चार लाख रुपये तक की वार्षिक पैतृक आय वाले छात्रों द्वारा लिये गये 7.5 लाख रुपये तक के शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

योग्यता: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों या राष्ट्रीय/प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा प्रत्यायित व्यावसायिक या तकनीकी कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र पात्र हैं। वे पेशेवर संस्थान/कार्यक्रम जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित विनियामक निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अवर स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम कोर्स के लिए ब्याज सब्सिडी केवल एक बार स्वीकार्य है।

नई पहल: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से ब्याज सब्सिडी के दावों का संवितरण।

लक्ष्य/उपलब्धियां: 01.01.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान, 13.86 लाख लाभार्थियों को 1,561.41 करोड़ रू. की राशि का संवितरण किया गया।

शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड: शिक्षा ऋण योजना के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को 17 सितंबर, 2015 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत, किसी भी संपार्श्विक प्रतिभूति और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना छात्रों द्वारा लिए गए, अधिकतम 7.5 लाख रू. की ऋण सीमा तक शिक्षा ऋण पर गारंटी प्रदान की जाती है।फंड डिफ़ॉल्ट में राशि का 75% तक गारंटी कवर प्रदान करता है।क्रेडिट गारंटी फंड के लाभ हैं: –

- यह संस्थानों के गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को कम करेगा और अधिक सरलता की अनुमति देगा, जिससे उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों की संख्या अधिक होगी जो उच्च शिक्षा में जीईआर में वृद्धि में योगदान करेंगे।
- शैक्षिक उद्देश्य के लिए ऋण (आसान और फ्लेक्सी–ऋण सहित) में और संस्थान आगे आएंगे और यह सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता लाएगा।
- यह ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में मामलों को भी कम करेगा, हालांकि बैंकों को क्रेडिट गारंटी फंड का सहारा लेने से पहले सभी विकल्पों का सहारा लेने की उम्मीद है।

शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) की प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक 12.10.2018 को नई दिल्ली में सचिव (एचई)की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। केंद्र सरकार फंड के लिए सेटलर है और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी)ट्रस्टी है।

बाह्य छात्रवृत्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न देशों द्वारा सांस्कृतिक/शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के तहत स्नातकोत्तर/अनुसंधान/पीएचडी करने के लिए प्रदान की गई छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को सुगम बनाता है।छात्रवृत्ति प्रस्ताव के प्रसार और व्यापक प्रचार के लिए, मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और इसे यूजीसी, इग्नू, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को भी प्रसारित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवारों को पोर्टल http://proposal.sakshat.ac.in/scholarship पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

मंत्रालय सुश्री अगाथा हैरिसन मेमोरियल फैलोशिप 'जो इतिहास/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक शोध–सह–शिक्षण फेलोशिप है, का संचालन और वित्तपोषण करता है। चयनित फैलो को सेंट एंटनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूके में रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में, बाह्यछात्रवृत्ति के लिए 1.00 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। बजट का उपयोग चयन समिति की बैठकों के आयोजन, स्टाइपेंड, विमान किराया आदि के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए किया जाता था।

वर्ष 2018–2019 के दौरान विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(01.01.2018 से 31.03.2019 तक)

क्र. सं.	देश का नाम	नामांकित उम्मीदवारों की संख्या	डोनर देश द्वारा स्वीकृत	उपयोगिता
1.	दक्षिण कोरिया	15	06	06
2.	चीन	80	75	53
3.	इटली	20	20	18
4.	इजराइल	14	04	01
5.	यूके (सीएसएफपी) 2019	65	23	18
	यूके (सीएसएफपी) 2020	52	फाइनल रिजल्ट प्रतीक्षित	..
6.	न्यूजीलैंड (सीएसएफपी)	02	01	01

उपर्युक्त छात्रवृत्ति के लिए नामांकन के अलावा, मंत्रालय ने अपने व्यापक प्रचार और भागीदारी के लिए अपने पोर्टल पर और संबंधित विश्वविद्यालयों / संस्थानों के भीतर निम्नलिखित छात्रवृत्ति की जानकारी का प्रसार भी किया।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति/फैलोशिप का नाम	उपलब्धता
1	2018 डीयूओ–स्वीडन फैलोशिप कार्यक्रम	अवरस्नातक और स्नातक छात्र
2	वर्ष 2019 के लिए अवर स्नातक छात्रों (पीईसी.जी) के लिए ब्राजील एक्सचेंज प्रोग्राम	अवरस्नातक डिग्री
3	चीनी सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम (तिआनजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलोजी एंड एजुकेशन) के तहत 2018 सिल्क रोड छात्रवृत्ति	स्नातकोत्तर उपाधि
4	यूएसआईईएफ 2019–20 फुलब्राइट–नेहरू, फुलब्राइट–कलाम, और अन्य नागरिकों के लिए फुलब्राइट फैलोशिप	डिग्री कोर्स
5	जापानी सरकार छात्रवृत्ति (एमईएक्सटी) कार्यक्रम	अवरस्नातक, मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम।

क्र.सं.	छात्रवृत्ति/फैलोशिप का नाम	उपलब्धता
6	2019 कोरियाई सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम (केजीएसपी)	अवरस्नातक डिग्री
7	तुर्की छात्रवृत्ति	अवरस्नातक और स्नातकोत्तर
8	लिंगन विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष प्रवेश और छात्रवृत्ति	अवरस्नातक
9	(एएसईएम–डीयूओ), डीयूओ– बेल्जियम/फ़्लैंडर्स 2019	अवर स्नातक और मास्टर (एक सेमेस्टर या 4 महीने)
10	2019–20 ताइवान सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम और हुवायुसंवर्धन छात्रवृत्ति	मास्टर, डॉक्टरल और मैंडरिन भाषा
11	साइप्रस स्कूल ऑफ मालिक्यूलर मेडिसीन 2019–20 छात्रवृत्ति	मास्टर और डॉक्टरल

भारत लौटने का कोई दायित्व नहीं (एनओआरआई)

भारत लौटने का कोई दायित्व नहीं (एनओआरआई) प्रमाणपत्र की आवश्यकता उस व्यक्ति को नहीं है जो जे–1 वीजा पर यूएसए गया हो। जे–1 वीजा धारकों को अपने विनिमय आगंतुक कार्यक्रम के अंत में कम से कम दो साल के लिए स्वदेश लौटने की आवश्यकता होती है।यदि कोई दो साल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वदेश लौटने में असमर्थ है, तो उसे यूएसए में दूतावास/भारत के महावाणिज्य दूतावास से छूट प्राप्त करनी होगी। आप्रवासन के उद्देश्य के लिए दूतावास को "छूट प्रमाणपत्र" जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, आवेदक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एनओआरआई प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

दिनांक 27.02.2016 से आवेदक को एनओआरआईके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदनों को आमंत्रित करने से पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा की समय पर डिलीवरी होती है। 01.01.2018 से 31.03.2019 तक "नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया" (एनओआरआई) के 1076 पत्र जारी किए गए हैं।

❖ ❖ ❖

09

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

एनआईईपीए की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान एनआईईपीए न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है। वर्ष 1961–62 में शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय केंद्र के रूप में शुरु; और अपनी नाम पद्धति और कार्यक्षेत्र में आगे के बदलावों के माध्यम से इसे 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के रूप में बदल दिया गया। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में संगठन द्वारा किए गए अग्रणी कार्य की मान्यता में, भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसे समवत विश्वविद्यालय का दर्जा देकर अपनी डिग्री प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह, एनआईईपीएपूरी तरह से भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित है।

एनआईईपीए का अधिदेश

एनआईईपीए शैक्षिक नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्रों में शिक्षण, अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं में सक्रिय रूप से शामिल है। विश्वविद्यालय की मुख्य गतिविधियों में शैक्षिक नीति और नियोजन में केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करना; देश के शैक्षिक पेशेवरों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन; एम. फिल और पी. एचडी कार्यक्रमों के साथ ही अन्य क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से युवा विद्वानों के बीच विशेषज्ञता विकसित करना। स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं में अनुसंधान का संचालन; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सलाहकार सेवाएं प्रदान करना; ज्ञान और सूचना के प्रसार के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना; और नीति निर्माताओं, योजनाकारों, प्रशासकों और शिक्षाविदों के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना शामिल है।

कार्यक्रमों/उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

- 2018–19 के दौरान, एनआईईपीए ने नवंबर 2018 तक 59 प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और वरिष्ठ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं, योजनाकारों और प्रशासकों की बैठकों का आयोजन किया गया है।
- एनआईईपीए ने 2018–19 के दौरान शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में 4 शोध अध्ययन पूरे किए हैं और 4 शोध अध्ययन 2018–19 की अवधि के दौरान प्रगति/प्रस्तावित हैं।
- एनआईईपीए ने एमएचआरडी के समर्थन से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए 7–9 जनवरी 2019 और 24–25 जनवरी के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए उच्च शिक्षा में नेतृत्व विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला'का आयोजन किया है।
- एनआईईपीए ने जिला और ब्लॉक स्तर के

शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन में अच्छी प्रथाओं को मान्यता देने, पुरस्कृत करने और प्रसार करने के उद्देश्य से शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक योजना शुरू की थी।

- अब तक, डीईओ और बीईओ के पुरस्कार और राष्ट्रीय सम्मेलन के तीन दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।
- एनआईईपीए ने शैक्षिक प्रशासन और पुरस्कार समारोह में नवाचार पर एक–दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 3–4 जनवरी, 2018 को प्रवासी भारतीय केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में किया। शैक्षिक प्रशासन समारोह में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4 जनवरी, 2019 को आयोजित किया गया था। नवाचार और अच्छे व्यवहार के 37 मामलों के पुरस्कारों के लिए और बहु स्तर मूल्यांकन और मामलों के सत्यापन के आधार पर 12 प्रशंसा प्रमाण पत्र की पहचान की गई।
- विभाग 2014 से भारत के उत्तर पूर्व को' पूर्वोत्तर राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में संविधान की छठी अनुसूची और स्थानीय प्राधिकरण के कार्यकरण' पर छह उन्मुखीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
- वर्तमान वर्ष 2018–19 के दौरान, 14 राज्यों के 30 प्रतिभागियों ने शैक्षिक योजना और प्रशासन (पीजीडीईपीए) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में भाग लिया।

❖ ❖ ❖

10

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के साथ साम्यता, पहुंच और उत्कृष्टता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों की महसूस की गई जरूरतों के कार्यनीतिक रूप से समाधान के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। इसका उद्देश्य मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप और एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाना; ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाते हुए क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना; सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना;और साम्यता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में योजना के कार्यान्वयन में शासन, शिक्षण, संबद्धता और मान्यता सुधार जैसे परिवर्तनकारी सुधार पूर्व–आवश्यकताएं हैं।

I. रूसा के उद्देश्य

क) राज्यों में उच्च शिक्षा की पहुंच में सुधार करना, विशेषकर आकांक्षी जिलों, अपेक्षित और अल्प सेवित जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।

ख) सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए उच्च शिक्षा में साम्यता में सुधार और बालिका छात्रावासों का निर्माण दिव्यांग अनुकूल अवसंरचना आदि के माध्यम से महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजन को शामिल करने को बढ़ावा देना।

ग) राज्य सरकारों के प्रयासों में वृद्धि और समर्थन द्वारा, उच्च शिक्षा में मौजूदा अंतराल को पहचानना और भरना।

घ) गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राज्यों और संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।

ङ) विभिन्न सुधारों के माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार।

II. निगरानी और समीक्षा

क) रूसा के तहत एक चैलेंज लेवल फंडिंग (सीएलएफ) पोर्टल विकसित किया गया है। इस पहल के तहत, संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और इनका पूर्व निर्धारित योग्यता मानदंडों के आधार पर एक चुनौती मोड पर कुछ मापदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है।

ख) पहले चरण में, संस्थान सीएलएफ पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं और पात्रता मानदंडों के अनुसार, वे विशिष्ट घटकों के तहत आवेदन करते हैं। राज्य, तब संस्थानों की साख की पुष्टि करता है और उन घटकों के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है।

ग) दूसरे चरण में, संस्थानों को दिशानिर्देशों में स्पष्ट विभिन्न मापदंडों पर प्राप्त अंकों (शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों के माध्यम से) के आधार पर सीएलएफ पोर्टल पर रैंक किया जाता है।

घ) योजना के तहत विभिन्न घटकों के अनुमोदन के अनुसार, गुणवत्ता के लिए पहुंच, साम्यता और खोज के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है।

III. योजना के तहत प्रगति

रूसा के दूसरे चरण के तहत स्वीकृति

क्र. सं.	घटक का नाम	कुल स्वीकृत इकाईयां	कुल स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) (राज्य शेयर सहित)
1	घटक संख्या 1: मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन के माध्यम से विश्वविद्यालयों का निर्माण	3	165
2	घटक संख्या 2: एक क्लस्टर में कॉलेजों के रूपांतरण द्वारा विश्वविद्यालयों का निर्माण	0	0
3	घटक संख्या 3: विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	27	540
4	घटक संख्या 4: चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना (नया)	10	1000
5	घटक संख्या 5: नए मॉडल कॉलेज (सामान्य)	70	840
6	घटक संख्या 6: मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	75	300
7	घटक संख्या 7: नए कॉलेज (व्यावसायिक और तकनीकी)	8	208
8	घटक संख्या 8: स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना (नया)	59	295
9	घटक संख्या 9: कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	750	1500
10	घटक संख्या 10: अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार (एक इकाई के रूप में राज्य)	17	850
11	घटक संख्या 11: साम्यता पहलें (एक इकाई के रूप में राज्य)	15	75
12	घटक संख्या 12: संकाय भर्ती सहायता	3 राज्यों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। पदों की संख्या अभी तय की जानी है।	0
13	घटक संख्या 13: संकाय सुधार (एक इकाई के रूप में राज्य)	7	49
	कुल योग	**1041**	**5822**

पूर्ण परियोजनाओं के फोटोग्राफ

बालिका छात्रावास और सम्मेलन कक्ष न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, करवरपुकोटा,
जिला पश्चिम गोदावरी 15 दिसंबर, 2018 को लिया गया फोटो

न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, मोन जिला, नागालैंड पूर्ण होने की तिथिः 15.11.2018
स्थानः वेकचिंग न्यू एमडीसी टाउन – वेकचिंग जिला– मोन नागालैंड –798621

सरकारीबोरखोला कछार, असम पूर्णता की तिथिः 02–01–2019
स्थान जिलाः कैचर सदर सिरदे सिलचर गांव – नीलेचर पिन – 788127

सरकारीमॉडल डिग्री कॉलेज करब एंगलोंग स्थानः करब एंगलोंग, सर्कल–सिलोनीजन गांवः डीथोर पिनः 782480
फोटो : 05.12.2018 को लिए गए

न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज लुक्सेत्तिपेट, तेलंगाना स्थान जिलाः लुक्सेत्तिपेट, जिला मानेनचेल तेलंगाना
फोटो 10.12.2018 को लिए गए

इंजीनियरिंग कॉलेज सफपोरा (गांदरबल) जम्मू और कश्मीर की तस्वीरें सफपोरा (गांदरबल) जम्मू और कश्मीर का स्थान
फोटो 26.11.2018 को लिए गए

बालिका और बालक छात्रावास हेमचन्द्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन, गुजरात स्थानः हेमचन्द्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन पीबी 21, विश्वविद्यालय रोड, पाटन, गुजरात, भारत, पिनकोड – 384265

स्मार्ट क्लास एंड प्रयोगशाला एमएन कॉलेज, विसनगर, गुजरात पूर्णता की तिथिः 09.09.2018
स्थान मानेकलाल ननचंद महाविद्यालय विसनगर बस स्टेशन के पास एटी और पीओ – विसनगर –384315
तस्वीर लेने की तारीखः 09.01.2019

मिजोरम इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्ण होने की तिथिः 16.11.2018
स्थानः अर्सि राम पुखपुई, लुंगलेई जिला, लुंगलेई, मिजोरम पिन नं.–7676701

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय रूप से वित्त पोषित समविश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का संशोधनः

मंत्रालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अधीन कॉलेजों और सम विश्वविद्यालयों जिनका रखरखाव व्यय दिनांक 11 जून, 2018 के आदेश सं.1–1 / 2017–यू. II के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है, सेवानिवृत्त शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की पेंशन संशोधित की थी।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजनाः

भारत सरकार ने प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विद्वानों को ज्ञान में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 1949 में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप की योजना शुरू की थी।

वास्तविक प्रतिभा के व्यक्ति जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है और वे अभी भी उत्पादक अनुसंधान में सक्षम हैं उनका राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है। नियुक्ति शुरू में 5 साल की अवधि के लिए की जाती है जो कि 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए बढ़ाई जाती है। इसके बाद, एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर जीवनपर्यंत पेंशन का हकदार है।

परिलब्धियाँ और अन्य लाभः राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर का पद प्रति माह रु. 75,000/– का मानदेय वहन करता है। पहला कार्यकाल पूरा होने या विस्तारित दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद, एक राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक 25,000/– रूपए प्रतिमाह आजीवन पेंशन का हकदार है। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर को दिए जाने वाले मानदेय और पेंशन को आयकर से मुक्त रखा गया है। मानदेय के अलावा, कार्यालय व्यय, सहायक कर्मचारियों के वेतन, उपकरणों की खरीद, आदि जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए एकमुश्त भुगतान भी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के लिए स्वीकार्य है। वर्तमान में, प्रतिवर्ष अधिकतम रु. 1,00,000/– तक की आकस्मिक अनुदान राशि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर को दी जाती है।

एनआरपी की नियुक्ति के लिए चयन, प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री की एक समिति द्वारा किया जाता है। उचित मामलों में, एचआरडी मंत्री नियुक्ति के लिए फाइल पर प्रस्ताव शुरू करता है, जो उसके बाद अन्य मंत्रियों और प्रधान मंत्री द्वारा देखा जाता है। मौजूदा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर की अधिकतम संख्या, किसी भी समय, जो जीवन पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं, को छोड़कर, 12. से अधिक नहीं है। सामान्य परंपरा है कि किसी भी तत्काल आवश्यकताओं से निपटने के लिए कम से कम 2 पदों को खाली रखना है।

एनआरपी अपनी पसंद के विश्वविद्यालय या संस्थान में अपने स्वयं के क्षेत्रों में अपने शोध कार्य को जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों पर सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजने की उम्मीद की जाती है।

❖ ❖ ❖

11

भाषा संस्थान

भाषा संस्थान

केन्द्रीय हिंदी निदेशालय

हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत दिए गए निदेश निम्नानुसार है–

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसके विकास को जिससे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनूसूची में विर्निदिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को भरतें हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके लिए मुख्यतः संस्कृत से और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें''।

उपर्युक्त संवैधानिक आदेश को देखते हुए, दिनांक 01 मार्च, 1960 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (जिसका अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित हैं। केंद्र सरकार का यह शीर्ष निकाय अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक हिंदी को अखिल भारतीयता के लक्षण प्रदान करने, इस भाषा के माध्यम से विभिन्न लोगोंको जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को बहु–आयामी रूप से कार्यान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और हिंदी को वैश्विक स्तर पर एक सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

निदेशालय हिंदी के विकास, संवर्धन और समृद्धिसे संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम लागू कर रहा है जैसे कि निम्नलिखित:

1. पत्राचार पाठ्यक्रम
2. अनुपूरक शैक्षिक सामग्री
3. विस्तार कार्यक्रम– गैर–हिंदी भाषी नव–हिंदी लेखक शिविर, छात्र अध्ययन यात्रा, शोध छात्र यात्रा, अनुदान, प्राध्यापक व्याख्यान माला, राष्ट्रीय संगोष्ठी,गैर–हिंदी भाषी हिंदी लेखकों को पुरस्कार और शिक्षा पुरस्कार।
4. हिंदी को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना और हिंदी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की योजना।
5. प्रकाशन – शब्दकोशों जैसे भाषा वार्षिकी और साहित्यमाला को तैयार करना और उनका प्रकाशन।
6. हिंदी पुस्तकों का निशुल्क वितरण।
7. पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री।

वित्तीय वर्ष 2018–19 केदौरान सीएचडी की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों का लक्ष्य और उपलब्धियां

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1. पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी शिक्षण	गैर–हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को हिंदी शिक्षण की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य है।विदेशों में बसे भारतीयों और विदेशियों ने पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिंदी सीखने की इच्छा जताई। 1. हिंदी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बांग्ला मीडिया) 2. हिंदी में डिप्लोमा कोर्स (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बांग्ला मीडिया) 3. एडवांस डिप्लोमा इन हिंदी 4. सिविल सर्विसेज हिंदी कोर्स 5. प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा कोर्स	अध्यादेश के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम प्रमाण ापत्र, डिप्लोमा (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बांग्ला मीडिया) और एडवांस डिप्लोमा चलाने के लिए विज्ञापन। पाठ सामग्री का संशोध ान और मुद्रण, अध्ययन सामग्री का प्रेषण,वार्षिक परीक्षा और 10 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन। देवनागरी लिपियों का मानकीकरण और विशेषण चिन्हों का विकास।। स्वयं पढ़ा और बातचीत गाइड और सीडी में गाइड के रूपांतरण की तैयारी। विभिन्न अध्ययन सामग्रियों पर ई–बुक तैयार करना।	विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 6,000 छात्रों को दाखिला दिया। प्रमाणपत्र, डिप्लोमा (सभी मीडिया) और एडवांस डिप्लोमा के लिए विज्ञापन प्रकाशित। हिंदी सिविल सेवा पाठ्यक्रम के लिए विज्ञापन प्रक्रियाधीन है। अनुसूची के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ सामग्री के गहन संशोधन/ पुनरीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठकें आयोजित की गई। सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री और पूरक सामग्री तैयार और प्रकाशित। कार्यक्रम के अनुसार कुल 08 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी आयोजित किए गए। 45 राष्ट्रव्यापी केंद्रों के साथ–साथ सभी पाठ्यक्रमों के लिए 05 विदेशी केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई और कैलेंडर के अनुसार परिणाम घोषित किए गए।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
	6. देवनागरी लिपियों का मानकीकरण और विशेषण चिन्हों का विकास 7. व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम 8. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पूरक शिक्षण सामग्री का विकास। (क) स्वयं पढ़ा हुआ (ख) संवादी गाइड (ग) व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम		विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रतिक्रिया पत्रक का मूल्यांकन। कुल 02 संवादी गाइड प्रकाशित। कार्यक्रम के अनुसार, सीआरसी तैयार करना, 02 स्व–शिक्षण पुस्तकों और 01 संवादी गाइड को डीवीडी में बदलना। देवनागरी लिपि के पुस्तक–मानकीकरण का पुनः प्रकाशन और विशेषण चिन्हों का संशोधन तैयार और ई–पुस्तक प्रारूप में 13 संवादी गाइड अपलोड किए गए। **विशेष उपलब्धि** भारतीय और विदेशी शिक्षार्थियों के लिए अभिनव शिक्षण पद्धति की शुरुआत की गई है। तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, निदेशालय ने शिक्षार्थियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। यह ध्यान रखना उचित है कि ऑनलाइन और डिजीटल मोड के माध्यम से अध्ययन सामग्री शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराई गई थी। अध्ययन और अनुपूरक

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
			सामग्री ई–पुस्तक प्रारूप में तैयार की जाती है और वेबसाइट में भी अपलोड की जाती है। हमारे वीडियो प्रोग्राम / डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब, हिन्दी भाषा पाठ चैनल में उपलब्ध हैं।
2. कैसेट्स के माध्यम से हिंदी	कैसेट/डीवीडी के माध्यम से हिंदी शिक्षण और संवर्धन तथा ज्ञान दर्शन चैनल पर प्रसारण–मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक शैक्षिक टीवी।	शैक्षिक सामग्री के आधार पर दृश्य डीवीडी की तैयारी।	2 दृश्य डीवीडी का उत्पादन पूर्ण और उसके बाद चैनल पर प्रसारण की प्रक्रिया। 02 डीवीडी की स्क्रिप्ट और उत्पादन के लिए विभिन्न स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं और इन्हें कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाएगा।
3. विस्तार कार्यक्रम	गैर–हिंदी भाषी राज्यों के 19 हिंदी लेखकों को पुरस्कार और 01 लाख रुपये प्रत्येक के 05 शिक्षा पुरस्कार।	24 लेखक	पुरस्कार की दोनों श्रेणियों में प्राप्त प्रविष्टियों की जांच अर्थात गैर–हिंदी भाषी राज्यों के हिंदी लेखकों और 2018 के लिए शिक्षा पुरुस्कार प्रक्रियाधीन हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा 2002 से 2016 तक सम्मानित किए गए'' लेखकों की विस्तृत चित्रमय पुस्तक'' की तैयारी चल रही है।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
	गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार और प्रसार। गैर–हिंदी भाषी हिंदी उत्साही, विद्वानों, लेखकों, शोधकर्ताओं, छात्रों, शिक्षकों और अनुवादकों के सह–कार्यक्रम द्वारा ये कार्यक्रम अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न भाषा भाषी लोगों को करीब लाते हैं। कुल आठ (8) गैर–हिंदी भाषी नव–हिंदी लेखक शिविर दो (2)गैर–हिंदी भाषी नव–हिंदी लेखक शिविर आज तक आयोजित किए गए हैं।	कुल आठ (8) गैर–हिंदी भाषी नव–हिंदी लेखक शिविर	दो (2) ग्रैर– हिंदी भाषी नव–हिंदी लेखक शिविर आज तक आयोजित किए गए हैं।
		कुल दो (2) छात्रा अध्ययन यात्रा	प्रक्रियाधीन।
		कुल बीस (20) शोध छात्रा यात्रा अनुदान	शोध छात्रा यात्रा अनुदान का लाभ उठाने के लिए छात्रों/विद्वानों को पत्रा जारी किया गया है।
		कुल आठ (8) शिक्षक व्याख्यान श्रृंखला	मार्च 2019 तक शिक्षक व्याख्यान श्रृंखला को पूरा करने के लिए शिक्षकों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों को पत्र जारी किया गया है।
		कुल दो (2) राष्ट्रीय सेमिनार	चार (2) राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए हैं। एक और (1) प्रक्रियाधीन है।
4. (i) हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठन को अनुदान	इस योजना के तहत, संगठनों/शैक्षिक संस्थानों को हिंदी के प्रचार और विकास में अपनी गतिविधियों को जारी रखने और/या नए विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है।यह योजना बहुत उपयोगी साबित हुई है और यह न केवल सहकारिता को लागू करती है बल्कि हिंदी के प्रचार–प्रसार में लगे लोगों की भी मदद करती	जीआईएसी की बैठक वित्त वर्ष 2018–19 के लिए संयुक्त सचिव (एल) की अध्यक्षता में 26–27 नवंबर, 2018 को होगी।	उच्च स्तरीय अनुदान सहायता समिति की बैठक (जीआईएसी) के निर्णय के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए बैठक को अंतिम रूप दिया जाएगा।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
	है। योजना का उद्देश्य हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा का प्रचार है।		
(ii) हिंदी मेंप्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की योजना	प्रकाशन का उद्देश्य विभिन्न लेखक और पांडुलिपियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए जीआईएसी की बैठक संयुक्त सचिव (एल) की अध्यक्षता में 26–27 नवंबर, 2018 को होगी।	उच्च स्तरीय अनुदान सहायता समिति की बैठक (जीआईएसी) के निर्णय के अनुसार वर्ष 2018–19 के लिए बैठक को अंतिम रूप दिया जाएगा।
5. प्रकाश की योजनाएं **(i) शब्दकोश तैयार करना**	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के महत्व, प्रचार और प्रसार को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देशों की भाषाओं के शब्दकोश तैयार किए जा रहे हैं। इन शब्दकोशों की पड़ोसी देशों के साथ अच्छी भावनाओं और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने और उपरोक्त देशों के बीच भाषा और सांस्कृतिक संबंध बनाने में एक महान भूमिका है। हिंदी–हिंदी और क्षेत्रिय भाषा कोश–यह परियोजना मूल रूप से विश्व स्तरीय हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के व्यापक शब्दकोश तैयार करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना	10 शब्दकोशों की तैयारी पर काम जारी रखा जाएगा। 5 शब्दकोशों हिंदी–विभूति कोश, हिंदी–डोगरी कोश, मैथली– हिंदी कोश, हिंदी–चीनी और हिंदी–नेपाली कोश की तैयारी जारी रहेगी।	1. बृहत् हिन्दी कोश प्रकाशित हुआ है। 2. गुजराती हिंदी कोश प्रकाशित हुआ है। 3. कार्यक्रम दिशा निर्देशिका छपी है। 4. भारतीय भाषा कोश को छपाई के लिए भेजा है। 5. हिंदी – सिंधी कोश को छपाई के लिए भेजा है। 6. हिंदी–रूसी शब्दकोश को अंतिम चरण में मुद्रण के लिए भेजा गया है। 7. फारसी – हिंदी शब्दकोश अंतिम चरण में है।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
	भाषा और साहित्य के छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले लोगों की जरूरतों को शामिल करती है। भारत की विभिन्न बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बीच अच्छी भावनाओं और संबंधों को मजबूत करने के लिए क्षत्रिय भाषा कोष योजना शुरू की गई थी। हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना **हिंदी–हिंदी और क्षत्रिय भाषा कोश–यह** परियोजना मूल रूप से विश्व स्तरीय हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के व्यापक शब्दकोश तैयार करने का लक्ष्यरखती है। यह योजना भाषा और साहित्य के छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले लोगों की जरूरतों को शामिल करती है। भारत की विभिन्न बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बीच अच्छी भावनाओं और संबंधों	भाषा द्विमासिक पत्रिका के 6 अंकों का प्रकाशन वार्षिकी वार्षिक पत्रिका का एक अंक।	**<u>विशेष उपलब्धि</u>** 1. गुजराती–हिंदी कोशमाननीय प्रधान मंत्री द्वाराजारीकियागया था। 2. मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय मंत्री द्वारा बृहत्–हिंदी कोश (दो खंडों में) और पंजाबी–हिंदी कोश जारी किए गए। 3. सीएचडी द्वारा प्रकाशित सभी शब्दकोशों का ई–संस्करण तैयार किया गया है और सीएचडी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
	को मजबूत करने के लिए क्षत्रिय भाषा कोष योजना शुरू की गई थी।		
(ii) भाषा वार्षिकी और साहित्यमाला	हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करना और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देना		भाषा पत्रिका के 3 अंक जिनमें 11 विश्व हिंदी सम्मेलन (जुलाई–अगस्त, 2018) पर 2 विशेषांक प्रकाशित किए गए हैं। महात्मा गांधी समग्र विचार–दर्शन (नवंबर–दिसंबर, 2018) के विषय पर एक और प्रकाशित होना बाकी है। वार्षिकी (2017) का एक अंक प्रकाशित किया गया है।
6. वितरण	गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के लिए, हिंदी पुस्तकों / पत्रिकाओं को शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को मुफ्त में आपूर्ति करना जो हिंदी फर्मो से जुड़े हैं।	बैठक के बाद हिंदी में कार्य में लगे लगभग 1000 शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को चयनित पुस्तकों और पत्रिकाओं के वितरण की संभावना है।	विचार के लिए विज्ञापन के जवाब में प्राप्त लगभग 14,000 पुस्तकें और 22 पत्रिकाओंकी चयन समिति द्वारा जांच की गई है।
7. प्रदर्शनी और बिक्री	हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों को रियायती मूल्य पर निदेशालय प्रकाशन उपलब्ध कराना।	पूरे देश में 12 पुस्तक प्रदर्शनी।	11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन की पूर्व संध्या पर मॉरीशस में अर्थात विदेश सहित अब तक 05 पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 1961 को की गई थी। सरकार का संकल्प संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधानों के तहत गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार था। 1960 के संकल्प के अनुसार आयोग के प्रमुख कार्य हैं:–

क) 1960 के राष्ट्रपति आदेशों के पैरा 3 में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आलोक में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्य की समीक्षा।

ख) हिंदी और अन्य भाषाओँ में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों के विकास और समन्वयन से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण।

ग) राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के आग्रहों अथवा सहमति और संबंधित एजेंसियों द्वारा इसे यथाप्रस्तुत किए जाने हेतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपयोग के लिए शब्दावलियों के अनुमोदन से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का समन्वयन।

घ) आयोग स्वयं के द्वारा अनुमोदित या विकसित की गयी नई शब्द्वालियों का उपयोग करते हुए मानक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, विदेशी भाषाओँ में वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओँ में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों और अनुवाद की सामग्री तैयार करना शुरू कर सकता है।

यथा उपरोक्त के अनुसार आयोग की सिफारिशों और तत्पश्चात जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का अनुसरण करते हुए, वर्तमान में सीएसटीटी के कार्यों और उत्तरदायित्वों को निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है।

आयोग के कार्य और उत्तरदायित्वः

क) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावलियों को विकसित और परिभाषित करना एवं शब्दकोशों, पारिभाषिक शब्दावलियों, विश्वकोष प्रकाशित करना।

ख) यह निरीक्षण करना कि विकसित की गयी शब्दावलियां और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, अध्येताओं, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँच रही हो।

ग) उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके किए गए कार्यो पर समुचित उपयोग/अनिवार्य अद्यतनीकरण/शुद्धिकरण/संशोधन को सुनिश्चित करना।

घ) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर संगोष्ठियों/सम्मेलनों/सिम्पोजियम आयोजित करके तकनीकी लेखनों को बढ़ावा देना।

ङ) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावलियों की समनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों के साथ सहयोग करना। (राज्य सरकारों/ग्रन्थ अकादमियों/विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों/शब्दावली क्लब या अन्य एजेंसियों)।

घ) लोकप्रियता और मानक शब्दावलियों के उपयोग हेतु हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को प्रकाशित/प्रोत्साहित करना।

आयोग निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में काम कर रहा है:

- ❖ अंग्रेजी/हिन्दी तकनीकी शब्दावलियों/शब्दकोशों का निर्माण और प्रकाशन
- ❖ अंग्रेजी–क्षेत्रीय भाषा तकनीकी शब्दावलियों/शब्दकोशों का निर्माण और प्रकाशन
- ❖ त्रिभाषी शब्दकोशों का निर्माण और प्रकाशन
- ❖ पारिभाषिक शब्दकोशों का निर्माण और प्रकाशन
- ❖ प्रशिक्षु शब्दकोशों का निर्माण और प्रकाशन
- ❖ विभागीय शब्दकोशों का निर्माण, अनुमोदन/प्रकाशन
- ❖ संयुक्त एवं परिभाषित किए गए शब्दों का प्रचार, विस्तार और महत्त्वपूर्ण समीक्षा
- ❖ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की किताबों की निर्माण रचना
- ❖ मोनोग्राफ का प्रकाशन
- ❖ पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन
- ❖ प्रकाशनों का निःशुल्क वितरण
- ❖ प्रदर्शनियों का आयोजन

सहायता अनुदान : आयोग ने अनुदान और सहायता प्रदान करके विभिन्न ग्रन्थ अकादमियों, विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों, पाठ्यपुस्तक रचना बोर्डों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इस योजना के तहत कुल स्वीकृत बजट (इस वर्ष के लिए) जारी कर दिया है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

केन्द्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक स्वायत्त संगठन है। मंडल अपने तत्वावधान में केंद्रीय हिंदी संस्थान चलाता है। संस्थान को अनुप्रयुक्त हिंदी भाषा विज्ञान और कार्यात्मक हिंदी में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक उन्नत केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके मुख्यालय में 08 शैक्षणिक विभाग और दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में 08 क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं। ये केंद्र स्वतंत्र क्षेत्र के हिन्दी प्रशिक्षुओं की आवश्यकता के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तुलनात्मक और परस्पर विरोधी भाषा विज्ञानों में अनुसंधान और निर्देशात्मक सामग्री की तैयारी में भाग लेते हैं। इसके अलावा, संस्थान के पास 03 संबद्ध कॉलेज हैं, जिनका स्वामित्व और प्रशासन नागालैंड, मिजोरम और असम सरकार द्वारा किया जाता है।

संस्थान हिंदी शिक्षण और प्रशिक्षण के 17 से अधिक पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। वर्ष 2017–18 तक 86438 से अधिक भारतीय और विदेशी छात्रों/शिक्षकों/छात्र–सह–शिक्षक/सेवारत शिक्षकों और अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न देशों से संबंधित मुख्यालय, दिल्ली केंद्र और आईसीसीआर कोलंबो में 6765 विदेशी छात्रों ने "विदेश में हिंदी का प्रसार योजना" कार्यक्रम के तहत केएचएस से हिंदी सीखी है।

वर्ष 2018–19 के सत्र के दौरान संस्थान का योजना–वार प्रदर्शन : (अक्तूबर, 2018 तक) निम्नलिखित है: –

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (शिक्षक शिक्षा विभाग)

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम
1.	**हिन्दी शिक्षण निष्णात (एम.एड के समकक्ष)** यह कार्यकम मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।
2.	**हिन्दी शिक्षण पारंगत (बी. एड के समकक्ष)** यह कार्यकम मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम
3.	**हिन्दी शिक्षण प्रवीण (बीटीसी के समकक्ष) प्रथम वर्ष** यह कार्यकम मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।
4.	**हिन्दी शिक्षण विशेष गहन (पूर्वोत्तर राज्यों केअपात्र प्राथमिक स्कूलों के लिए)** दिमापुर केंद्र में आयोजित किया जाता है
5.	नागालैंड के लिए त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(ख) शिक्षण कार्यक्रम

1. **व्यावसायिक पाठ्यक्रम (सायंकालीन कार्यक्रम)**– ये कार्यक्रम मुख्यालय और दिल्ली केंद्र में आयोजित किए जाते हैं।

   (i) अनुप्रयुक्त हिन्दी भाषाविज्ञान में स्नातकोत्तर एम.ए. पश्च डिप्लोमा

   (ii) अनुवाद में डिप्लोमा : सिद्धांत और व्यवहार

   (iii) मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म में डिप्लोमा

2. **विदेशी छात्रों के लिए हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम :**

   यह कार्यक्रम "विदेश में हिंदी का प्रचार" योजना के तहत प्रदान किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान 137 विदेशी छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इनमें से 88 आगरा मुख्यालय में हैं और 49 दिल्ली केंद्र में हैं।

3. **अल्पकालिक पाठ्यक्रम**

   इस योजना के तहत, अल्पकालिक कार्यक्रम– अभिविन्यास, संवर्धन और भाषा जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

4. **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामग्री उत्पादन विभाग का क्रियाकलाप**

   हिंदी–आदि, हिंदी–सिंगफ़ों, हिंदी–कोंकणी, हिंदी–तेलुगु, हिंदी–मलयालम, हिंदी–सेमा, हिंदी–गोला, हिंदी–गढ़वाली, हिंदी–सिंधी, हिंदी–तमिल, हिंदी–संथाली, हिंदी–राभा, हिंदी–जयंतिया, हिंदी–कुमायूंनी, हिंदी–शीना की तैयारी के लिए रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुल 37 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा उन्नयन परिषद

राष्ट्रीय सिंधी भाषा उन्नयन परिषद (एनसीपीएसएल) की स्थापना दिनांक 26.05.1994 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (धारा 21) के अंतर्गत एक स्वायत्त पंजीकृत संगठन के रूप में वडोदरा, गुजरात में पंजीकरण संख्या 1085 के माध्यम से की गई थी। इस परिषद का मुख्यालय 2006 से दिल्ली में है। परिषद का उद्देश्य सिंधी भाषा को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रचार करना है एवं सिंधी भाषा को वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक संदर्भ में उभरे विचारों को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करना है और सिंधी भाषा से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना है।

❖ **परिषद का उद्देश्य**

- सिंधी भाषा का प्रचार करना, विकास करना और प्रसार करना।
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए करना।

- उसको भेजे गए सिंधी भाषा से जुड़े मुद्दों और शिक्षा पर इसके प्रचार के बारे में भारत सरकार को सुझाव देना।
- सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए अन्य कोई क्रियाकलाप प्रारंभ करना जिसे परिषद द्वारा उचित समझा जाए।

सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार और विकास के उद्देश्य से, निम्नलिखित योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं:–

- सिंधी भाषा से संबन्धित चयनित संवर्धन क्रियाकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहयोग;
- शैक्षिक संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों/सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि में निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान सिंधी पुस्तकें/पत्रिकाएँ/ऑडियो–वीडियो कैसेटो का व्यापक क्रय/प्रकाशन/रचना;
- सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहयोग;
- सिंधी भाषा शिक्षण कक्षाओं का संचालन; और
- साहित्यिक पुस्तकों के लिए सिंधी लेखकों को पुरस्कार।

❖ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहयोग

एनसीपीएसएल सिंधी भाषा से संबंधित कुछ संवर्धन संबंधी क्रियाकलापों के संबंध में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/चैरिटेबल एंडॉवमेंट्स/न्यास जो वर्तमान समय में लागू प्रासंगिक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, इस योजना के तहत सहायता हेतु पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसी सहायता के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व कम से कम तीन पूर्ण कैलेंडर वर्ष पहले ऐसा पंजीकरण किया गया हो,और बशर्ते कि आवेदक संगठन उस प्रकार का नहीं है जो इस रूप में पंजीकृत है या शामिल है या इस तरीके से कार्य करता है कि इसकी गतिविधियों से होने वाला किसी भी प्रकार का लाभ इसके सदस्यों या हितधारकों के बीच बोनस या लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है।

❖ व्यापक क्रय योजना

सिंधी में मानक साहित्य रचना के लिए व्यापक क्रय योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें भारत में सिंधी बोलने वाले लोगों के लिए समुचित साहित्य और अन्य पाठ्य–सामग्री एवं संदर्भ सामग्री प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के स्कूलों/कॉलेजों के पुस्तकालयों/शैक्षणिाक संस्थानों, को चयनित पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं को निःशुल्क उपलब्ध करके सिंधी के अध्ययन में रुचि पैदा करना है, जहाँ सिंधी अनुदेशों का माध्यम है या एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है।

सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार और महत्त्वपूर्ण पुस्तकें/पत्र–पत्रिकाएँ लिखने हेतु लेखकों और ऑडियो–वीडियो कैसेट/सीडी/वीसीडी/डीवीडी आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करने और कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन से व्यापक क्रय समिति की सिफारिशों के परिणाामस्वरूप चयनित पुस्तकों/पत्रिकाओं/

ऑडियो–वीडियोकैसेट्स/सीडी/वीसीडी/डीवीडी की प्रतियों को संपूर्ण भारत में 150 स्कूलों/कॉलेजों/पुस्तकालयों/शैक्षणिक संस्थानों में वितरण हेतु इस योजना के तहत क्रय किया जाता है।

❖ **पुस्तकों/हस्तलिपि के प्रकाशनों के लिए वित्तीय सहयोग ।**

इस योजना के अंतर्गत विचार हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रकाशन पात्र हैं:

1. संदर्भ पुस्तकें जैसे एनसाइक्लोपीडिया, ज्ञान एंथोलॉजी की पुस्तकें और संकलन, ग्रंथसूची और शब्दकोश;
2. दुर्लभ हस्तलिपि की व्याख्यात्मक कैटलॉग;
3. अन्य भाषा मीडिया में लिखी गई सिंधी भाषा के लिए स्व–निर्देशक;
4. भाषाविज्ञान, साहित्यिक रचनाओं, काल्पनिक रचनाओं, नाटक, कविता, वैचारिक, सामाजिक, मानवशास्त्रीय और सांस्कृतिक विषयों पर मौलिक लेखन;
5. अनुवाद के साथ या इसके बिना पुरानी पांडुलिपियों का विश्लेषणात्मक संपादन और/या प्रकाशन (अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में);
6. पुस्तकों का सिंधी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन;

ऐसे स्वैच्छिक संगठन/सोसाइटी/धर्मार्थ ट्रस्ट / चैरिटेबल ट्रस्ट जोकि कुछ समय के लिए संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति जो लेखक, संपादक, अनुवादक हैं या जो प्रश्नों में पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं और जिनका कॉपीराइट है (व्यावसायिक प्रकाशकों को छोड़कर), सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

योजना के अंतर्गत प्रश्न में प्रकाशन हेतु कुल अनुमोदित व्यय का 80: और दुर्लभ पांडुलिपियों के व्याख्यात्मक कैटलॉग के लिए 100% से अधिक सहायता नहीं होगी। इस उद्देश्य हेतु, व्याख्यात्मक कैटलॉग और अन्य प्रकाशनों के लिए 500 प्रतियों तक मुद्रित आदेश सीमित है।

❖ **सिंधी भाषा अधिगम पाठ्यक्रम**

योजना का उद्देश्य उन लोगों के बीच सिंधी भाषा को लोकप्रिय बनाना और प्रसारित करना है,जोस्कूलों में सिंधी भाषा का अध्ययन नहीं किया है। यह योजना एक शैक्षिक संस्थान, सामाजिक सेवा संगठनों/सिंधी पंचायतों, राज्य सिंधी अकादमियों और इस उद्देश्य हेतु एनसीपीएसएल द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संबन्धित संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तीन प्रकार के एसएलएलसी – डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम 12 महीने की अवधि में विस्तृत 100 घंटे की अवधि का होगा। एसएलएलसी परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है।

❖ **पुरस्कार योजना**

- **दो जीवनपर्यंत उपलब्धि पुरस्कार** : नामतः साहित्यकार और साहित्य सम्मान समारोह रु.5,00,000 /–प्रत्येकः साहित्यकार सम्मान सिन्धी साहित्य में उनके उत्कृष्ट जीवनकाल के योगदान के लिए किसी लेखक को दिया जाता है। साहित्य रचना सम्मान एक लेखक को सिंधी भाषा में विषयों पर उसके/उसकी साहित्यिक कार्य जैसेकला/संस्कृति/शिक्षा

और सामाजिक विज्ञान आदिके लिए दिया जाता है।

- **प्रत्येक को 1,00,000 रुपए के दस मेरिट/साहित्यिक पुरस्कार:** सिंधी साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान की पहचान करने वाले योग्य लेखकों को प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रचार–प्रसार के कार्य की देखभाल करता है और यह भारत सरकार को उर्दू भाषा से जुड़े मुद्दों और शिक्षा पर प्रभाव, जैसा संदर्भित किया जाए को लेकर सुझाव देता है।

कम्प्यूटर अनुप्रयोगों और बहुभाषिक डीटीपी केन्द्रों की स्थापना

वर्ष 2018–19 के दौरान, एनसीपीयूएल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित कंप्यूटर अनुप्रयोग, व्यवसाय लेखांकन और बहुभाषिक डीटीपी (सीएबीए–एमडीटीपी) में एक वर्षीय डिप्लोमा हेतु पंजीकृत एनजीओ के साथ 531 केंद्र का संचालन कर रहा है, जिसमें 12149 बालिकाओं सहित 30696 छात्रों को प्रवेश मिला, ताकि उर्दू बोलने वाले छात्रों और छात्राओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें रोजगार योग्य तकनीकी कार्य बल बनाया जा सके। लगभग 1476 संकायों को 30696 छात्रों को शिक्षण एजेंसी एनआईईएलआईटी के माध्यम से पढ़ाने का रोजगार प्राप्त हुआ।

कैलिग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन केंद्र

अतः पारंपरिक कैलिग्राफी को संरक्षित करने एवं उसे बढ़ावा देने हेतु, 69 कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केंद्रों को जारी रखा गया, जिसमें 207 (फ़ैकल्टि + अटेंडेंट) को इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत 1900 बालिकाओं सहित लगभग 3400 छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार प्राप्त हुआ।

अनुदान (उर्दू)

चयनित उर्दू पदोन्नति गतिविधियों को सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें सेमिनार आयोजित करने हेतु 155 एनजीओ / संस्थानों / एजेंसियों, 54 व्याख्यान श्रृंखला, 179 पांडुलिपियों, लेखकों की 78 परियोजनाओं और व्यापक क्रय योजना के तहत बोनाफाइड लेखकों की 399 उर्दू पुस्तकों/पत्रिकाओं के प्रस्ताव शामिल हैं।

उर्दू प्रेस संवर्द्धन

एनसीपीयूएल ने यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया की उर्दू सेवा का लाभ उठाने के लिए 390 लघु और मध्यम उर्दू अखबारों को वित्तीय सहायता प्रदान किया। लगभग 1335 समाचार पत्रों ने भी डीएवीपी की दर पर विज्ञापन प्रदान किया।

प्रकाशन क्रियाकलाप

एनसीपीयूएल भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख उर्दू प्रकाशन केंद्र है। इस वर्ष में किए गए प्रकाशन कार्य जिसमें 29 नए शीर्षक, 37 पाठ्यक्रम पुस्तकें, मासिक पत्रिका उर्दू दुनिया के 08 अंक, मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया के 08 अंक, त्रैमासिक पत्रिका फिक्र–ओ–तहकीक के 03 अंक, 08 ख़वातीन दुनिया प्रकाशित हुए।

पुस्तक संवर्द्धन

बिक्री और प्रदर्शनी के माध्यम से उर्दू पुस्तकों को

बढ़ावा देना वार्षिक उर्दू पुस्तक मेलों को आयोजित करके किया जाता है। पुस्तक मेला वर्ष 2018–19के लिए किशनगंज (बिहार) में 07–15 अप्रैल, 2018 को आयोजित किया गया। एनसीपीयूएल ने लखनऊ, दिल्ली, गुरुग्राम और वाराणसी में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 04 पुस्तक मेलों में हरियाणा, पंजाब और यू.पी.को शामिल करते हुए ऑन व्हील प्रदर्शन के 03 ट्रिपों में भाग लिया था।

शैक्षणिक परियोजनाएं/सहयोग

एनसीपीयूएल ने 02 शब्दकोशों/इनसाइक्लोपीडिया को शामिल करके प्रगतिधीन 03 के पूर्ण होने वाले प्रोडक्शन की विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं को जारी रखा, 02 शब्दावली ने प्रगति के तहत 01, 41 परियोजनाओं/पांडुलिपियों प्रकाशित हुए और 09 को प्रगति के तहत, 03 मोनोग्राफ को 04 प्रक्रिया के तहत प्रकाशित किया गया। प्रगतिधीन वेबसाइट और ई–पब का विकास, 06 बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित की गई, साहित्य, भाषा विज्ञान और सामाजिक भाषाविज्ञान के तहत परियोजनाएं, उर्दू साहित्य और विश्वकोश का इतिहास, यूनानी चिकित्सा, कानूनी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, फारसी, अरबी, इस्लामी अध्ययन और सृजनात्मक लेखन पैनल प्रगति पर हैं।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/सांस्कृतिक आयोजन

03 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 31.07.2018 को दिल्ली में हिंदी के साथ–साथ उर्दू के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती का आयोजन भी शामिल है, गांधी भवन के साथ संयुक्त रूप से गांधी और राष्ट्रीय भाषा के लिए विज़न, 23–24 अक्टूबर, 2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय में और नजीर बनारसी: जीवन और कार्य, 28–29 नवंबर, 2018 को बीएचयू, वाराणसी में। विश्व उर्दू सम्मेलन फरवरी 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

टीवी पर उर्दू दुनिया का प्रॉडक्शन और टेलेकास्ट

राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए शुरू की गई क्रियाकलापों के बारे में उर्दू लोगों के बीच उर्दू भाषा की जागरूकता को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए, एनसीपीयूएल ने ईटीवी (उर्दू) को आधे घंटे के साप्ताहिक एपिसोड के प्रॉडक्शन और टेलीकास्ट के लिए शामिल किया है।

- 32 एपिसोड निर्मित किए गए और उन्हे ईटीवी द्व ारा प्रसारित किया गया।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू)

एनसीपीयूएल मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रत्यक्ष प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है। 531 सीएबीए–एमडीटीपी केंद्रों सहित 1360 अध्ययन केंद्र हैं, जिनमें उर्दू डिप्लोमा कंप्यूटर पाठ्यक्रम करने वाले प्रशिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। लगभग 1962 पार्ट–टाइम उर्दू शिक्षकों ने 87996 छात्रों को पढ़ाने के लिए 1360 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया, जिसमें 40994 छात्राएं शामिल हैं। उर्दू ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसमें कुल 28 विभिन्न देशों से स्वयं पंजीकृत 26588 भारतीय और 2648 विदेशी छात्रों सहित 29236 शिक्षार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया।

अरबी और फारसी का संवर्द्धन

उपरोक्त के अलावा, एनसीपीयूएल को भारत की

सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु शास्त्रीय भाषा अरबी और फारसी को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रत्यक्ष प्रशिक्षार्थियों के माध्यम से कार्यात्मक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित होता है। अरबी के 735 अध्ययन केंद्रों, जिसमें 1745 अल्पकालिक शिक्षकों को 21246 बालिकाओं द्वारा दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश सहित 47233 प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाने हेतु रोजगार मिला। फारसी में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 57 केंद्र भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें फारसी के शिक्षकों को 2079 छात्रों को पढ़ाने हेतु रोजगार मिला, जिसमें 909 छात्राएं भी शामिल हैं।

अनुदान (अरबी/फारसी)

गैर–सरकारी संगठनों/ संस्थाओं/एजेंसियों को 18 पांडुलिपियों, 25 संगोष्ठियों/व्याख्यान श्रृंखलाओं के लिए चयनित अरबी/फारसी पदोन्नति क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने हेतु,लेखकों की 08 परियोजनाओं को मुद्रण सहायता प्रदान करने हेतु एवं बोनाफाइड लेखकों की 13 अरबी/फारसी पुस्तकों को अनुमोदित किया गया।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

जम्मू और कश्मीर राज्य में 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए पेपर मैक में छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 03 केंद्रों पर संचालित किया गया।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), नई दिल्ली

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं के विकास और कुछ विदेशी भाषाओं में भी एवं विशेष रूप से और सामान्यतः भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में व्यापक भूमिका निभाई है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई और कोई भी भारतीय भाषा संस्कृत के भाषाई सहयोग के बिना नहीं पनप सकी। सभी भारतीय भाषाओं का विकास और पोषण संस्कृति की समृद्धि से होता है। संस्कृत प्राचीन विज्ञानों का सैद्धांतिक आधार भी प्रदान करती है। इसलिए, भारत में सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत का संरक्षण और प्रचार आवश्यक हो गया है। भारत सरकार ने इस उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सचेत देश और विदेश में संस्कृत भाषा, साहित्य और पारंपरिक शास्त्रों के प्रचार और संरक्षण के लिए अक्टूबर, 1970 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई और संस्कृत के शिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया गया। यह संस्थान पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है और संस्कृत भाषा एवं संस्कृति से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में काम करती है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का मुख्य लक्ष्य संस्कृत के अधिगम और अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रोत्साहित करना है। जैसाकि संस्कृत प्राथमिक रूप से पालि और प्राकृत भाषाओं से जुड़ा है, संस्थान ने वर्ष 2009–10 से पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं और उनके साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है। संस्थान अपने सभी परिसरों के लिए केंद्रीय, प्रशासनिक और समन्वय मशीनरी के रूप में भी कार्य करता है। भारत सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं और इन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और अन्य

एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और संस्थान अपनी स्थिति के आधार पर, शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य के लिए बहु–परिसर निकाय कार्यों से संबंधित सभी प्रयासों के समन्वय हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को एमएचआरडी, भारत सरकार और यू.जी.सी द्वारा 7 मई 2002 से समवत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

वर्तमान में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली (मुख्यालय), इलाहाबाद (यूपी), पुरी (उड़ीसा), जम्मू (जम्मू–कश्मीर), त्रिशूर (केरल), जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (यूपी), श्रृंगेरी (कर्नाटक), बालाहार (एचपी), भोपाल (एमपी), मुंबई (एमएच), अगरतला (त्रिपुरा) और देवप्रयाग (उत्तराखंड) में स्थित अपने 13 परिसरों का प्रबंधन कर रहा है। परिसर विद्यावारिधि (पीएचडी) की डिग्री प्राप्त करने के लिए शोध कार्य कर रहे हैं और आचार्य और शास्त्री स्तर पर विभिन्न संस्कृत विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) दस परिसरों में भी उपलब्ध है और शिक्षा आचार्य (एमएड) जयपुर, जम्मू, भोपाल और पुरी में 4 परिसरों में उपलब्ध है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान विभिन्न विषयों में जैसे नव व्याकरण, स्तुति व्याकरण, साहित्य, फलज्योतिष, सिद्ध ज्योतिष, सर्व दर्शन, वेद, न्याय ख्नव्य,, मीमांसा, अद्वैत वेदांत, धर्म शास्त्र, वेदांत, सांख्य योग, पौरोहित्य, जैन धर्म, बुद्ध दर्शन, पुराणइतिहास के साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान और पर्यावरण अध्ययनमें शास्त्री (बी.ए.) और आचार्य (एम.ए.) केशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा,एक आधुनिक विषय जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के लिए ट्यूटोरियल सुविधा भी स्नातक स्तर पर प्रदान की जाती है। परिसर में शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) और शिक्षा आचार्य (एमएड) का पाठ्यक्रम भी संचालित किया जाता है। परिसर विद्यावारिधि (पीएचडी) की डिग्री के लिए अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करते हैं। संस्थान की अंतिम परीक्षाओं में लगभग 17,300 छात्र शामिल हुए थे।

मुख्य क्रियाकलाप

i. **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस**– राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 21 जून, 2018 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। संस्थान और इसके परिसर के अधिकारियों और आधिकारिकों ने बड़े उत्साह से भाग लिया था।

ii. **संस्कृत सप्ताहोत्सव** – संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, संस्कृत भारती, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और अन्य संगठन

सभागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से 23 से 29 अगस्त, 2018 तक संस्कृत सप्ताहोत्सव मनाया। इस अवधि के दौरान, प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया और छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संस्कृत सप्ताहोत्सव के दौरान,28–08–2018को महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री आर. सुब्रह्मण्यम,उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने की। समापन समारोह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), नई दिल्ली में दिनांक 29 अगस्त, 2018 को सम्पन्न हुआ जिसमें प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया गया।

iii. **स्वच्छता ही सेवा** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली और देश के विभिन्न स्थानों पर इसके सभी परिसरों ने 01 अक्टूबर से 07 अक्टूबर, 2018 तक स्वच्छ भारत सप्ताह का आयोजन किया। कार्य स्थलों पर स्वच्छता का अभ्यास करने के अलावा, इस अवसर पर निम्नलिखित क्रियाकलाप भी किए गए:

(क) स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में, सामूहिक संकल्प लेना, (ख) अधिकारियों और (ग) छात्रों द्वारा स्वेच्छा से अपने आवास, पड़ोस और सामाजिक नेटवर्क परिसर की स्वच्छता के लिए स्वैच्छिक योगदान करना।

iv. **हिन्दी पखवाड़ा** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने दिनांक 14.09.2018 से 29.09.2018 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों और अधिकारियों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

v. **महात्मा गांधी का 150वां जन्म शताब्दी समारोह**– राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और इसके परिसरों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया। यह समारोह 02 अक्टूबर से 09 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित हुआ। छात्रों के बीच महात्मा गांधी की शिक्षाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ताकि वे अपने जीवन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित और अभ्यास किए गए मूल्यों का अनुकरण कर सकें। समारोह के दौरान, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा "वैष्णव जन" सहित महात्मा गांधी के श्रेष्ठ भजन भी गाए गए।

vi. **स्थापना दिवस** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना 15–10–1970 को हुई थी। स्थापना दिवस दिनांक 15–10–2018 को मुख्यालय,नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा, प्रोफेसर सीतानाथ डे, प्रो रविशंकर मेनन और अन्य विशिष्ट अतिथियों जैसे प्रतिष्ठित विद्वानों ने भाग लिया। प्रोफेसर पी. एन. शास्त्री, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय) ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

vii. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने 29 से 3 नवम्बर, 2018 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह और 31 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया।

इन कार्यक्रमों के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और संस्थान के अधिकारियों, आधिकारिकों एवं छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। उन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए।

viii. उन्नत भारत अभियान– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल के तहत कार्य योजना 17 – बाइ – 17 के संबंध में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने अपने उपयोग के लिए ज्ञान के अनुवाद में ग्रामीण गरीब समुदाय की सहायता करने के लिए "उन्नत भारत अभियान" क्रियाकलाप के अंतर्गत अपने पांच परिसरों के नजदीक पांच गांवों को अपनाया है।

संस्थान के वे परिसर जिन्होने गांवों को अपनाया है और ऐसे अपनाए गए गांव निम्नलिखित हैं –

	परिसर		**अपनाए गए गाँव**
1.	आरएसकेएस (डीयू), एकलव्य कैम्पस, अगरतला (त्रिपुरा)	-	जुबतरा (मोहनपुर)
2.	आरएसकेएस (डीयू),वेद व्यास कैम्पस, बलहार, एच.पी.	-	मसोट (प्रागपुर)
3.	आरएसकेएस (डीयू), राजीव गांधी कैम्पस, श्रृंगेरी, कर्नाटक	-	चिट्टेबाइल (शिमोगा
4.	आरएसकेएस (डीयू), गुरुवायुर कैम्पस, त्रिशूर, केरल	-	अड़त (पुझक्कल)
5.	आरएसकेएस (डीयू), भोपाल कैम्पस, भोपाल, एमपी	-	बरई (हुजूर)

विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता–

(i) **संस्थान निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।**

(क) पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं / स्कूलों / कॉलेजों में संस्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए संस्कृत शिक्षण 8000 रुपए/–प्रति माह की दर से संस्कृत के प्रचार, विकास और संवर्धन में व्यय हुए।

(ख) संस्कृत छात्रों को 300 रुपए प्रति माह की दर से अध्येतावृत्ति।

(ग) भवनों के निर्माण और मरम्मत हेतु।

(घ) फ़र्नीचर और पुस्तकालय की पुस्तकों आदि के क्रय हेतु

वर्ष के दौरान, संस्कृत शिक्षा के विकास योजना के तहत 578 संस्कृत संस्थानों / संगठनों को आवंटित अनुदान सहायता के साथ 999. 64 लाख रु. की सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 21 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और 4 शोध संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसके तहत 95% आवर्ती और 75% गैर–आवर्ती व्यय प्रदान किए जाते हैं। ये संस्थान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। ये संस्थान देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, एसएसएम/एएसएस के लिए 3700.00 लाख रु. की राशि आवंटित की गई है और इन 25 संस्थानों के लगभग 4510 छात्र लाभान्वित हुए हैं। संस्थान शास्त्री चूड़ामणि योजना के तहत कैम्पसों, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं और अन्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए 10,000 / – रु.प्रति माह की दर से 43 अवकाशप्राप्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को मानदेय भी प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के आयोजन; दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों और पांडुलिपियों की खरीद और प्रकाशन एवं अखिल भारतीय पात्रता प्रतियोगिता, आदि के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ii) **संस्कृत शब्दावली परियोजना, पुणे के लिए वित्तीय सहायता**– दक्कन कॉलेज, स्नातकोत्तर और शोध संस्थान, पुणे ने ऐतिहासिक सिद्धांतों पर विश्वकोश संस्कृत शब्दकोश तैयार करने के लिए परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के व्यय का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा कुल 50 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

(iii) **गैर–औपचारिक संस्कृत शिक्षा** – गैर–औपचारिक संस्कृत शिक्षा (एनईआर में 32 केंद्रों सहित) के लिए कुल 129 केंद्र विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं। प्रत्येक केंद्र दो स्तरों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान देश में इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 7000 छात्रों को संस्कृत अधिगम सहित लाभान्वित किया गया है।

(iv) **आधुनिक विषयों के शिक्षकों को वित्तीय सहायता**– संस्थान राज्य सरकार से संबंधित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/

महाविद्यालयों और संस्कृत शिक्षकों में आधुनिक विषयों के शिक्षकों के वेतन के लिए; जहां राज्य सरकारें इस तरह की सुविधा देने की स्थिति में नहीं हैं,वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, संस्थान ने आधुनिक विषय शिक्षकों के लिए 124 संस्थाओं और विभिन्न राज्यों में संस्कृत पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों के 33 संस्कृत शिक्षकों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है। संस्थान ने संस्कृत शिक्षा के विकास की योजनाओं में से एक के तहत कक्षा IX से पीएचडी तक पारंपरिक और आधुनिक विषय के 15349 छात्रों को 534 लाख रुपये की अध्येतावृत्ति आवंटित की है।

(v) **कमजोर परिस्थितियों में संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि** –संस्थान 65 वर्ष से अधिक आयु, जो निर्धन परिस्थिति में हैं,के प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों को 6,000/– रु. प्रति वर्ष सम्मान राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत 219 पंडितों को सम्मान राशि मिल रही है।

(vi) **राष्ट्रपति पुरस्कार योजना** – एनआरआई या विदेशी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, अरबी और फारसी प्रत्येक के लिए 3, पाली और प्राकृत के लिए एक–एक और 60 वर्ष से अधिक आयु के विद्वानों के लिए एक और महर्षि बादरायण व्यास सम्मान के 5 पुरस्कार सहित 16 अध्येताओं के लिए संस्कृत सम्मान के प्रमाण पत्र और 30–45 वर्ष की आयु के युवा विद्वानों को पालि, प्राकृत, अरबी और फारसी में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर घोषणा की जाती है। इसके अलावा, वर्ष 2016 के पश्चात, चार शास्त्रीय भाषाओं अर्थात् शास्त्रीय उड़िया, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय तेलुगु और शास्त्रीय मलयालम में 32 और पुरस्कार दिए गए हैं। उपरोक्त सभी 04 शास्त्रीय भाषाओं के लिए, दो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय और गैर भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए एक और अन्य 05 युवा विद्वानों को महर्षि बादरायण व्यास सम्मान सहित प्रतिष्ठित विद्वानों को 03 प्रतिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक संस्कार समारोह में दिए जाते हैं। प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रमाणपत्र में उत्कृष्ट विद्वानों को 5 लाख रूपए का एक बारगी आर्थिक अनुदान होता है। महर्षि बादरायण सम्मान के तहत 1 लाख रूपए का आर्थिक अनुदान होता है।

(vii) **अष्टादशी (18 परियोजनाएं)**– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्कृत के लिए दस–वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रोड मैप का सुझाव देने हेतु श्री एन. गोपालास्वामी, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की अध्यक्षता में एक (13) सदस्यीय समिति के गठन किया था। समिति के व्यापक सुझावों में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने संस्कृत की आत्मा के विकास के लिए अत्यधिक अपेक्षित अष्टादशी योजना की शुरुआत की है। वर्ष 2018–19 के अनुसार, 2 करोड़ रूपए की राशि इस योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है।

(viii) **विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता** – वर्ष के दौरान, एनजीओ और समवत विश्वविद्यालयों को संस्कृत के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों

के संवर्धन और विकास के लिए 40 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ix) **पालि और प्राकृत के विकास की परियोजना** – मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल पर 2009 में पालि और प्राकृत के विकास की परियोजना प्रारंभ हुई थी। इस परियोजना को राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) की नियमित योजना के रूप में शामिल किया गया है। इस परियोजना के क्रियाकलाप संस्थान के मुख्यालय, नई दिल्ली और इसके परिसरों जयपुर और लखनऊ में चल रही हैं। इस परियोजना में आगे, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया गया था। पालि और प्राकृत साहित्य पर स्व–अध्ययन सामग्री और कार्यों को प्रकाश में लाया गया है। महत्वपूर्ण कार्य भी प्रकाशन के लिए प्रेस में हैं। इस वर्ष के दौरान, पालि और प्राकृत के विकास के लिए 80.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(x) **संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई डेटा बैंक** – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने संस्कृत के विकास के लिए ई–पुस्तकें और पत्रिकाएँ विकसित की हैं। ई–पुस्तकें इसलिए विकसित की गई हैं ताकि छात्रों/विद्वानों को अपने घरों से आसानी से इन पुस्तकों तक पहुंच प्राप्त हो सके। ये पुस्तकें छात्रों/विद्वानों को आवश्यकता के अनुसार संस्कृत अधिगम की सुविधा प्रदान करती हैं। कुल 551 दुर्लभ पुस्तकें हैं जिन्हें स्कैन किया गया है। इनके अलावा, 117 ई–पुस्तकें और एक ई–पत्रिका है जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को यूआरएल www.sanskrit.nic.in पर देखा जा सकता है। संस्थान के संस्कृत वार्ता त्रैमासिक समाचार बुलेटिन और संस्कृत विमर्श (अर्धवार्षिक शोध पत्रिका) को डिजिटल सामग्री के रूप में प्रकाशित और अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा, परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है (क) संस्कृत साहित्य के राष्ट्रीय ई–डेटा बैंक, (ख) विभिन्न विषयों जैसे पुस्तक अनुवाद, संस्कृत मोबाइल ऐप, मशीन अनुवाद और संस्कृत पर वृहद पुस्तक परियोजना आदि।

(xi) **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान (एनईआर)**– संस्थान स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, छात्रों को अध्येतावृत्ति, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय को अनुदान और विभिन्न संगोष्ठियों, पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय संस्कृत नाट्य/महोत्सव के आयोजन के लिए शिक्षकों को वेतन प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 32 गैर–औपचारिक संस्कृत प्रशिक्षार्थियों को संस्वीकृति दी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 403 छात्रों को 11.29 लाख रुपये की अध्येतावृत्ति आवंटित किया गया है। उपरोक्त के अलावा, संस्थान ने त्रिपुरा राज्य में अपने 12वें परिसर की स्थापना की है और इसे एकलव्य परिसर के रूप में नामित किया है। परिसर ने शैक्षणिक वर्ष 2013–14 से पश्चिम त्रिपुरा के अगरतला में कार्य करना शुरू कर दिया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने संस्थान के परिसर के लिए सदर सब डिवीजन के तहत डी.सी. नगर में 3.25 एकड़ भूमि आवंटित की है।

(xii) **मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान)** यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त मुक्त स्वाध्याय

पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान), दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अंतर्गत एक संस्थान है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के परिसरों में अध्ययन केंद्रों को स्वाध्याय केंद्र कहा जाता है। यह प्राक–शास्त्री से लेकर आचार्य स्तर तक के पारंपरिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। वर्ष के दौरान 1765 छात्रों का नामांकन किया गया था। शिक्षण बैठकों, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों द्वारा समर्थित है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ 2018–19

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक समवत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत अध्ययन, पारंपरिक शास्त्र और शिक्षाशास्त्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह पूरी तरह से यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित है। विद्यापीठ का 1961 से संस्कृत शिक्षा की सेवा में एक दीर्घ इतिहास रहा है और वर्ष 1987 में समवत विश्वविद्यालय में अद्यतन किया गया था। एनएएसी द्वारा इसे शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में 4.0 पॉइंट स्केल (चरण.2) में 3.71 स्कोर के सीजीपीए के साथ "ए" ग्रेड की मान्यता प्रदान की गई है। यूजीसी ने श्रेणी–I समवत विश्वविद्यालय, 12 बी का स्टेटस प्रदान किया जोकि विद्यापीठ के क्षेत्र में था।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा लीज़ पर दी गई 41.48 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में, परिसर में नौ छात्रावास, शैक्षणिक भवन, प्रशासनिक भवन, शिक्षा भवन, संस्कृत नेट केंद्र, 22 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया गया है।

विद्यापीठ में चार संकाय यानी शिक्षा संकाय, साहित्य और संस्कार, दर्शन, वेद–वेदांग हैं। संस्थान में 71 शिक्षण कर्मचारी और 80 गैर–शिक्षण कर्मचारी हैं। विद्यापीठ में एक पुस्तकालय है जिसमें 1,11,113 पुस्तकें हैं। विद्यापीठ ने भी उपलब्ध 4,000 दुर्लभ मैनुस्क्रिप्ट में से 1337 की मैनुस्क्रिप्ट को डिजिटल रूप प्रदान किया है। यह छात्रों के हितार्थ 05 अंतर्राष्ट्रीय/150 राष्ट्रीय पत्रिकाओं को भी सब्सक्राइब कर रहा है।

विद्यापीठ ने इन कार्यक्रमों के अलावा 23 विभागों के माध्यम से प्रमाण पत्र से पीएचडी स्तर तक के 45 नियमित कार्यक्रम शुरू किए। विद्यापीठ ने बी.एससी योग और एम.एससी योग पर योग थेरेपी कार्यक्रमों की शुरुआत की और दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत 06 कार्यक्रम डीईबी निधियों की सहायता से प्रारंभ किए जा रहे हैं। विद्यापीठ ने नियमित कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में 1808 छात्रों का नामांकन किया है और 578 छात्र दूरस्थ शिक्षा मोड के अंतर्गत हैं।

विद्यापीठ ने राष्ट्रीय त्योहारों और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के अलावा, छात्रों के लाभार्थ 04 सेमिनार/सम्मेलन और 01 कार्यशाला का आयोजन किया है। 45 संकाय सदस्यों ने अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशालाओं में भाग लिया है। विद्यापीठ ने अखिल भारतीय छात्र प्रतिभा महोत्सव, संस्कृत सप्ताह समारोह, वाग्वारिधिनी परिषद का भी आयोजन किया है। विद्यापीठ ने संस्कृत भाषाभाषी कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु तिरुपति में और बाहर के लोगों के सदस्यों और बच्चों के लिए दस दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। विद्यापीठ ने अपनी 21वीं दीक्षांत में विभिन्न शास्त्रों में पी.एचडी की डिग्री प्रदान की है। यह स्टाफ, छात्रों और सार्वजनिक सदस्यों के लिए योग में कक्षाएं भी संचालित कर रहा है।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस विद्यापीठ को "श्री रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य

में संत श्री रामानुजाचार्य जी से संबंधित पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संपादन और प्रकाशन" नाम से भारत की प्रतिष्ठित परियोजना का निधियन किया जाता है। प्रो.के.ई. देवनाथ, निदेशक, प्रो. सी. रंगनाथन और डॉ. भारत भूषण रथ क्रमशः परियोजना के समन्वयक और अतिरिक्त समन्वयक हैं।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, विद्यापीठ ने आवर्ती अनुदान के तहत 1921 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त किया है।

विद्यापीठ के 2017–18 से संबंधित वार्षिक लेखों की संपरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय), हैदराबाद द्वारा भी की गई है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

- **विद्यापीठ का मिशन :**

  विद्यापीठ का मिशन ''विद्या विन्दे अमृतम'' जिसका आशय ''प्रबोधन के लिए शिक्षा'' है।

- **विद्यापीठ का लक्ष्य :**

  (क) शास्त्रीय परंपरा का संरक्षण करना।

  (ख) शास्त्रों की व्याख्या करना।

  (ग) आधुनिक पाठों में समस्याओं के लिए शास्त्रों के महत्त्व को जोड़ना।

  (घ) आधुनिकता में गहन प्रशिक्षण देने के साथ–साथ शिक्षकों को शास्त्रीय लोकगीतों के लिए साधन प्रदान करना।

  (ङ) अपनी तरह की विशेष चरित्र की दृष्टि से इसके विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

- **कार्य योजना और कार्यनीति की भावी योजनाः**

  1. केंद्रीय पुस्तकालयों सहित कक्षाओं, बहुउद्देश्यीय भवनों के निर्माण
  2. बालक और बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण
  3. श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना।
  4. राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना
  5. सौर शक्ति प्रणाली की स्थापना

- **विद्यापीठ में वर्ष 2018 के दौरान शैक्षणिक क्रियाकलाप**

विद्यापीठ में 5 संकाय और 20 विभाग हैं, जिसमें समय–समय पर विभिन्न सम्मेलन और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। विभाग ने प्रतिभावान छात्रों को वार्तालाप में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सेमिनार और कक्षा प्रस्तुति का भी आयोजन किया है और अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। छात्रों को असाइनमेंट, सामूहिक क्रियाकलापों और परस्पर वार्तालाप के अवसर भी प्रदान किए गए। छात्र कल्याण अधिष्ठाता ने एमएचआरडी और यूजीसी के निर्देशों के अनुसार छात्रों के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए।

- **महत्त्वपूर्ण बोर्ड/परिषद्/समितियां**

प्रबंधन बोर्ड विद्यापीठ का मुख्य कार्यकारी निकाय है जो विद्यापीठ के मामलों के पर्यवेक्षण, दिशा–निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। शैक्षणिक परिषद विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षणिक निकाय है। यह विद्यापीठ में दिशा–निर्देशों, अनुसंधान और परीक्षा के मानकों के रखरखाव और समन्वय हेतु उत्तरदायी है।

उपरोक्त निकायों के अलावा, वित्त समिति, योजना और निगरानी बोर्ड, परीक्षा बोर्ड, विभाग अनुसंधान समीक्षा समिति, विभागों और नीतियों के लिए संकाय और अध्ययन बोर्ड हैं।

- **लाभार्थियों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों, महिलाओं, एससी/एसटी आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह को शामिल करना**

  ➢ यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यापीठ में एससी/एसटी/ओबीसी के हित के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। विद्यापीठ प्रवेश और नियुक्ति में एससी/एसटी/ओबीसी और पीडब्ल्यूडी को आरक्षण प्रदान करता रहा है। प्रकोष्ठ की स्थापना लाइजन अधिकारी के सीधे नियंत्रण में की गई है।

  ➢ विभिन्न विषयों में एससी/एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यक से संबंधित छात्रों की शैक्षणिक, कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार करने हेतु, और उनकी समझ का स्तर ऊपर उठाने एवं भविष्य में शैक्षणिक कार्य हेतु मजबूत बुनियाद प्रदान करने के लिए, यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार, विद्यापीठ द्वारा एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जनवरी 1987 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा, वैदिक सस्वर पाठ की मौखिक परंपरा के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से की गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान विभिन्न गतिविधियों जैसे, पारंपरिक वैदिक संस्थानों और विद्वानों का सहयोग, अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति प्रदान करना, ऑडियो/वीडियो टेप का निर्माण, आदि का संचालन करता है।

प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाएं और क्रियाकलाप

(1) **वैदिक सस्वर पाठ की मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना** – वैदिक सस्वर पाठ की मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना के तहत, देश भर में पारंपरिक वैदिक पाठशालाओं और गुरु शिष्य परम्परा यूनिटों को वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वेद भूषण प्रमाणपत्र (पांच वर्षीय अध्ययन के बाद) और वेद विभूषण प्रमाणपत्र (7 वर्षीय अध्ययन के बाद) प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(2) **वैदिक सम्मलेन (वैदिक सम्मलेन)** –पूरे देश में प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों और वैदिक अध्ययनों एवं ज्ञान का प्रसार करने में सहायता देने में वैदिक सम्मलेन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(3) **संगोष्ठियाँ** – प्रतिष्ठा के मुख्या क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। ये प्रतिष्ठान द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से निधियन किए जाते हैं।

(4) **प्रकाशन अनुसंधान पत्र और मासिक समाचारपत्र का प्रकाशन** – प्रकाशन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वैदिक साहित्य से संबंधित मुद्रण और दुर्लभ ग्रंथ इस कार्यक्रम

के तहत पुनर्मुद्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। कुछ ग्रंथों की विभिन्न भाषाओं में महत्वपूर्ण संस्करणों और अनुवादों की छपाई, महत्वपूर्ण विषयों पर मोनोग्राफ और प्रतिष्ठान के अध्येताओं द्वारा किए गए शोध कार्यों की रिपोर्ट भी की जाती है।

प्रतिष्ठान ने नए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने हेतु एक शोध पत्रिका "वेद विद्या" प्रकाशित की, जिसमें वेद से संबंधित श्रेष्ठ निबंध हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं ताकि इसका लाभ वैदिक अध्येताओं के साथ–साथ आम जनता भी उठा सके। एक मासिक समाचार–पत्र "वेद वार्त्ता" भी प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(5) **अध्येतावृत्ति** – वैदिक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक प्रावधान है। प्रतिष्ठान इस उद्देश्य हेतु अध्येतावृत्ति योजनाएं प्रस्तुत करता है।

(6) **सभी के लिए वैदिक कक्षाएं** – प्रतिष्ठान के पास वैदिक ज्ञान के प्रसार और उन सभी के लिए वैदिक अध्ययन को लोकप्रिय बनाने हेतु वैदिक कक्षाओं के संचालन की एक योजना है भले ही उनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न हो।

(7) **वेद ज्ञान सप्ताह समारोह** – वैदिक साक्षरता को बढ़ावा देने और वेदों, वैदिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति के बारे में देश में जागरूकता पैदा करने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में प्रतिष्ठान द्वारा वेद ज्ञान सप्ताह समारोह का एक सात दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

(8) **नित्याग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता** – प्रतिष्ठान ने उन नित्याग्निहोत्रियों के लिए जो अपनी पत्नियों के साथ अग्निधन के साथ पारंपरिक वैदिक पाठों का अनुपालन करते हैं और प्रक्रियानुसार अपने घरों पर अग्निहोत्र अनुष्ठान में नियमित रूप से पूजा करते हैं, 4000 / –रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है।

(9) **वयस्क वेद पाठियों को वित्तीय सहायता** – प्रतिष्ठान उन वयस्क वेद पाठियों को प्रतिमाह 4000/–रूपए की वित्तीय सहायता देता है जो 65 वर्ष अथवा दिव्यांग वयस्क वेद पाठी की आयु पार कर चुके हैं।

(10) **वैदिक पाठों की टेप रिकॉर्डिंग** – प्रतिष्ठान के मुख्य क्रियाकलापों में से एक है टेप रिकॉर्डिंग सी.डी./डी.वी.डी. के माध्यम से वैदिक पाठों की विभिन्न शाखाओं का मौखिक परंपरा के संरक्षण हेतु रिकॉर्ड का रखरखाव करना।

(11) **घर में वैदिक शिक्षा** – प्रतिष्ठान ने ''घर बैठे वेदों की शिक्षा'' पर एक पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है। उत्तीर्ण हुए वेदानुरागियों को ''वेद निपुण'' प्रमाणपत्र की उपाधि दी जाती है।

(12) **महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद पुरस्कार** – वैदिक अध्ययन और वेदांग साहित्य में मूल लेखन को बढ़ावा देने, हस्तसंबंधी लिपियों के संस्करण, वैदिक शिक्षा, वैदिक संस्कृति में अनुसंधान और दुर्लभ वैदिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा 1,00,000/– के पुरस्कार की शुरुआत की गई है।

(13) वैदिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम – प्रतिष्ठान द्वारा सभी पंजीकृत सहायताप्राप्त वेद पाठशालाओं के वैदिक शिक्षकों के लिए उनके वैदिक शिक्षा के तकनीकी उन्नयन और कौशल की गुणवत्ता के संवर्धन हेतु एक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम शामिल किया गया है।

(14) राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय – प्रतिष्ठान के सामान्य निकाय, शासी परिषद्, शासी बोर्ड, वित्त समिति के अनुमोदन से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के परिसर में 2018–19 से राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 27 सितंबर, 2018 को राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय का उद्घाटन किया गया और 12 नवंबर, 2018 को विद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं।

(15) वेद पारायण योजना – प्रतिष्ठान ने वेद परायण योजना शुरू की है जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न वेद शाखाओं के वेद पारायण किए जाएंगे।

(16) वेद सन्देश यात्रा योजना – प्रतिष्ठान ने वेद सन्देश यात्रा योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत वेद के छात्र अपने शिक्षकों के साथ देश में किसी भी स्थान पर जाकर वेदों के प्रचार–प्रसार के उपकरण के रूप में शैक्षिक यात्रा कर सकते हैं।

(17) वेद अर्थ परंपरा पाठशालाएं/यूनिटे – प्रतिष्ठान की शासी परिषद् ने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रारंभ में 10 ऐसी पाठशालाओं को शुरू करने के लिए वेदों/अर्थ परम्परा पाठशालाओं/इकाइयों की व्याख्या में लगे "पाठशालों/इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।"

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान

वर्तमान वित्तीय वर्ष (2018–19) के दौरान, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान , मैसूर ने कई भारतीय भाषाओं के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम और विकसित सामग्री का आयोजन किया। इस वर्ष भी मलयालम, तेलुगु और ओड़िया की शास्त्रीय भाषाओं के महानुभावों के लिए नए केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई गई। नए अवसंरचना के निर्माण और क्षेत्रीय भाषा केंद्रों के लिए भूमि के अधिग्रहण की योजनाएं भी चल रही हैं।

संस्थान ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में भी प्रवेश कर लिया है और 17 जुलाई, 2019 को अपनी स्थापना का 50वां वर्ष पूरा करेगा। स्वर्ण जयंती वर्ष को धूम–धाम से मनाने की योजना पर काम चल रहा है।

संस्थान की गतिविधियों का योजना/इकाई/परियोजना–वार विवरण इस प्रकार है:

(1) राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एनटीएस)

एनटीएस ने हिंदी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं पर लगभग 11 कार्यक्रम और सामग्री उत्पादन पर तीन 45 दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए तैयार हैं।

(2) भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई डेटा केसोर्टियम (एलडीसी–आईएल)

लघु अवधि के लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रमों और सहयोगी कार्यक्रमों सहित प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण के क्षेत्र में 25 कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, एलडीसीआईएल ने परियोजना

सलाहकार समिति की दो बैठकें आयोजित की और योजना की डेटा रिलीज नीति को अंतिम रूप दिया। मंत्रालय की मंजूरी के बाद लगभग 60 डेटासेट धारी किए जाने के लिए तैयार हैं जो सभी अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देंगे।

(3) राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम)

एनटीएम ने तीन अनुवादकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित लगभग 28 कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एनटीएम ने 8 प्रकाशन और ट्रांसलेशन टुडे जर्नल के दो अंक निकाले। 13 पुस्तकें प्रेस में हैं और 200 से अधिक शीर्षकों के अनुवाद धारी हैं। एनटीएम ने शैक्षिक/ तकनीकी पाठों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार की तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए शब्दावली विकास पर 8 कार्यशालाएं भी आयोजित की।

(4) शास्त्रीय कन्नड़ में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईएससीके)

इस वर्ष केंद्र के लिए एक नए स्थान का आवंटन हुआ क्योंकि संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत मैसूर विश्वविद्यालय ने संस्थान के पास एक नया भवन प्रदान किया जहां से केंद्र ने काम करना शुरु किया। सीईएससीके ने एक सेमिनार, दो प्रशिक्षण कार्यक्रम और कन्नड़ राज्योत्सव समारोह सहित 4 कार्यक्र आयोजित किए हैं। केंद्र का इरादा जनवरी और मार्च 2019 की तिमाही में 4 कार्यक्रम आयोजित करने का है।

(5) शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईएससीटी)

बहुत प्रयास के बाद परियोजना निदेशक, अनुसंधान अध्येताओं और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती के बाद केंद्र ने संस्थान के परिसर के भीतर से काम करना शुरु कर दिया है। केंद्र ने अपनी पहली कार्यशाला दिसंबर माह में आयोजित की थी और इस वर्ष से केंद्र को नई शुरुआत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की गई है।

(6) लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण और संरक्षण के लिए योजना (एसपीपीईएल)

इस वर्ष एसपीपीईएल सूची में तीन नई भाषाएं, निकोबार द्वीप समूह की लुरो और सेनेनिमो और असम की सहरम जोड़ी गई, जिन पर काम शुरु हो चुका है। स्पीति भाषा पर भी काम फिर से शुरु हो गया है। प्रशिक्षित भाषाविदों की कमी को दूर करने के लिए, संस्थान ने तीन गहन कार्यक्रम भी आयोजित किए और 54 प्रतियोगियों को प्रशिक्षित किया। भाषाओं के लिए पहले से प्रस्तुत किए गए कार्य को विशेषज्ञों को मूल्यांकन के लिए दिया गया है और उनमें से कुछ के लिए प्राप्त फीडबैक को अंतिम रुप देने से पहले किसी भी बदलाव के लिए संबंधित पीआई के साथ साझा किया गया है।

(7) भारतवाणी परियोजना (बीवीपी)

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बीवीपी ने नए शीर्षकों को अंतिम रुप देने के लिए पहली संपादकीय समिति का आयोजन किया है जिसे बीवीपी पोर्टल पर डिजिटलीकरण प्रसार के

लिए शामिल किया जा सकता है। बीवीपी पोर्टल में अब 95 भाषाओं में सामग्री है जिसमें 5000 से अधिक शीर्षक हैं। पोर्टल में विभिन्न भाषा युग्मों में 345 से अधिक शब्दकोश है। बीवीपी ने 429 विश्वविद्यालयों सहित 630 संभावित सामग्री योगदानकर्ताओं से संपर्क किया है और पोर्टल पर सार्वजनिक उपयोग के लिए सामग्री साझा करने के लिए उनके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं।

(8) शब्दावली और रचनात्मक लेखन के लिए केंद्र

केंद्र ने 3 कार्यक्रमों का आयोजन किया है और विभिन्न कम ज्ञात और आदिवासी भाषाओं में लगभग 10 शब्दकोश प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, जिसके बाद उन्हें प्रकाशित किया जाएगा।

(9) क्षेत्रीय भाषा केंद्र (आरएलसीएस)

इस वर्ष इन केंद्रों पर पढ़ाई जा रही 20 अनुसूचित भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने वाले प्रशिक्षुओं की कुल संख्या में वृद्धि देखी गई और यह संख्या बढ़कर 142 हो गई। क्षेत्रीय भाषा केंद्रों को अवसंरचना के मामले में भी एक ऊथान की जरूरत है, जिसकी योजना वर्तमान वर्ष में बनाई जा रही है। यूटीआरसी सोलन को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि का एक नया हिस्सा मिला है, जहां केंद्र की सभी जरूरतों के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। भुवनेश्वर और पटियाला केंद्रों के लिए नए भवन के निर्माण की योजना पर भी काम चल रहा है, जिसके लिए सीपीडब्ल्यूडी पहले ही अपनी लेआउट योजना और अनुमान प्रदान कर चुका है।

(10) प्रकाशन इकाई–

इकाई ने 20 से अधिक पुस्तकें छापी हैं और स्वर्ण जयंती वर्ष में 50 पुस्तकों तक पहुंचने की योजना है।

(11) राजभाषा (हिंदी)

राजभाषा (हिंदी) की इकाई ने दो बैठकों, दो कार्यशालाओं और दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

(12) अन्य

उपरोक्त के अलावा, संस्थान ने मैसूर में भाषा विज्ञान (आईसीओएलएसआई–40) का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया और भाषा और भाषा विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों पर विभिन्न सम्मेलनों/ सेमिनारों/ कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ संस्थानों के साथ सहयोग किया।

शास्त्रीय तमिल का केंद्रीय संस्थान

भारत सरकार द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा के रुप में घोषित करने के परिणामस्वरुप, केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई को मान संस्थान विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 19–05–2008 को चेन्नई में एक स्वायत्त संगठन के रुप में स्थापित किया गया था। सीआईसीटी तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

शास्त्रीय तमिल के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित संस्थान विशेष रुप से तमिल भाषा के शास्त्रीय चरण से संबंधित अनुसंधान पर, ध्यान केंद्रित कर रहा है, अर्थात प्रारंभिक काल से 600 ई. तक। संस्थान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण औ, सार्थक है क्योंकि यह प्राचीन तमिल समाज पर शोध करता है और तमिलों

की पुरातनता से संबंधित या प्रतिबिंबित करने वाली वस्तुओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण भी करता है।

600 ई. तक की अवधि से संबंधित इकतालीस प्राचीन तमिल कृतियों की पहचान प्राचीन तमिलों और उनकी सभ्यता की प्राचीनता और विशिष्टता का अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई है।

सीआईसीटी की वित्त समिति की बैठक 5–1–2019 को आयोजित की गई थी। शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने के लिए सीआईसीटी द्वारा अल्पकालिक परियोजनाओं, संगोष्ठियो, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सीआईसीटी ने 2018–19 के दौरान एमएचआरडी से 2.35 करोड़ रु. का अनुदान प्राप्त किया। इसका उपयोग वेतन के भुगतान, जूनियर रिसोर्स फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप, विविध व्यय, सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के आयोजन के लिए किया गया था।

❖ ❖ ❖

12

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी ताकि तकनीकी शिक्षा पर सुविधाओं का सर्वेक्षण किया जा सके और देश में समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा दिया जा सके। वैधानिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 12 मई, 1988 को देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समुचित नियोजन और समन्वित विकास, नियोजित मात्रात्मक विकास और नियमन के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा प्रणाली और उससे जुड़े मामलों के लिए मानदंडों और मानकों के उचित रखरखाव के लिए की गई थी। एआईसीटीई के दायरे में विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और टाउन प्लानिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, एप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड डिजाइन, होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी आदि में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं।

➢ अनुमोदन की स्थिति

एआईसीटीई ने ई–गवर्नेंस के माध्यम से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही बनाकर अनुमोदन प्रक्रिया में बदलाव लाने और सभी हितधारकों के साथ अनौपचारिक और औपचारिक बातचीत के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल और अनुमोदन प्रक्रिया में अधिक आसानी प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं।

परिषद् नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने और पहले से स्वीकृत तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए मंजूरी देती है। संबंधित राज्य सरकारों और संबद्ध विश्वविद्यालयों के परामर्श से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वार्षिक प्रक्रिया पुस्तिका (एपीएच 2018–19) में पेश किए गए कुछ नए प्रावधान इस प्रकार हैं: –

i) संस्थाओं, समवत विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों को स्वीकृति प्रदान करना।

ii) पहली बार अनुमोदन प्राप्त करने वाले मौजूदा संस्थानों और उन संस्थानों के लिए जिनके आवेदन 2017–18 में अस्वीकार कर दिए गए थे, के लिए प्रसंस्करण शुल्क कम किया गया।

iii) पीजीडीएम से एमबीए पाठ्यक्रम तक चलाने वाले प्रबंधन संस्थानों का रूपांतरण।

iv) दूसरी पाली के पाठ्यक्रमों को पहली पाली के पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करना।

v) डिग्री फार्मेसी संस्थानों में डिप्लोमा और इसका विपरीत क्रम शुरू करना ।

vi) जिन संस्थानों में प्रवेश पिछले 5 वर्षों के लिए अनुमोदित इंटेक के 30% से कम था, उन्हें 50% से कम इंटेक के साथ अनुमोदन जारी किया गया था।

vii) ओडीएल मोड के माध्यम से पाठ्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति स्टैंडअलोन संस्थानों को जारी की गई थी।

viii) संस्थानों को आवश्यक संकाय के अधिकतम 10% तक सहायक संकाय/संसाधन व्यक्ति को शामिल करने की अनुमति दी गई थी।

ix) प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए तीन सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण।

x) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ईसीएस के माध्यम से कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं करने वाले (ख) संकाय सदस्यों के मूल शैक्षिक/व्यावसायिक प्रमाण पत्र का संग्रह करने/रोकने वाले संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई।

xi) संस्थान अपनी वेबसाइट पर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क जैसे सभी शुल्क की घोषणा करेंगे।

xii) एनएसक्यूएफ के तहत व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए।

संस्थानों की संख्या का डाटा, जिन्हें 2018–19 के दौरान तकनीकी कार्यक्रमों को चलाने के लिए नई मंजूरी दी गई है, नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

2018–19 के दौरान तकनीकी कार्यक्रम चलाने के लिए नये अनुमोदन किये गये

कार्यक्रम	डिप्लोमा	पीजी	यूजी	विशिष्ट संस्थान
अप्लाइड आर्टस एंड काफ्ट्स	1	2	4	4
वास्तुकला	--	11	28	29
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	60	64	84	154
होटल प्रबंधन और खानपान	2	--	3	5
प्रबंधन	--	86	--	86
एमसीए	--	34	--	34
फार्मेसी	303	7	122	345
नगर नियोजन	--	2	1	2
कुल योग	**366**	**206**	**242**	**659**

2018–19 के दौरान, जिन संस्थानों ने कोई प्रवेश जारी नहीं किया था, वे 162 थे और उनके द्वारा एआईसीटीई के मानदंडों का पालन करने में कमी पाए जाने के बाद 8–संस्थानों को जारी अनुमोदन वापस ले लिया गया था। अब 3393094 के कुल स्वीकृत इंटेक के साथ 10423 एआईसीटीई स्वीकृत संस्थान हैं।

➢ एआईसीटीई की गुणवत्ता पहल

एआईसीटीई परिषद ने 14 मार्च, 2017 को आयोजित अपनी 49 वीं बैठक में देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों के एक पैकेज को मंजूरी दी। परिषद द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता पहलों में से परीक्षा सुधार, अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम, मॉडल पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण आदि कुछेक हैं। 2018–19 के दौरान की गई गुणवत्ता पहलों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

मॉडल पाठ्यक्रम

वर्तमान में शिक्षा शिक्षण पद्धतियाँ संबद्ध विश्वविद्यालयों की नीतियों द्वारा निर्देशित की जा रही हैं, क्योंकि अधिकांश तकनीकी संस्थान विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। ये विश्वविद्यालय ऐसे सभी तकनीकी संस्थानों में पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रथाओं को निर्धारित करते हैं। नवीन शिक्षण तकनीकों और प्रभावी शिक्षण सामग्री से इंजीनियरिंग शिक्षा में उत्कृष्टता।

एआईसीटीई इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा आदर्श रूप से अपनाए जाने वाले मॉडल पाठ्यक्रम को तैयार करता है। इंजीनियरिंग शिक्षा में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम को संशोधित और अद्यतन करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग और पीजीडीएम/एमबीए पाठ्यक्रमों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परिणाम आधारित मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया है। छात्र इंटर्नशिप को अनिवार्य किया जा रहा है चाहे वह कॉरपोरेट जगत में या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या विकास क्षेत्रों में हो। मूल्य शिक्षा को कोर्स पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। यह एक सांकेतिक पाठ्यक्रम है और संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को अपने कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम/क्रेडिट की पुनरावृत्ति में लचीलापन दिया जाता है।

अधिकांश तकनीकी विश्वविद्यालयों ने कुछेक को छोड़कर एआईसीटीई मॉडल पाठ्यक्रम को अपनाया है, जिन्होंने सूचित किया है कि वे इसे शैक्षणिक वर्ष 2019–20 से लागू करेंगे। मॉडल पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इंजीनियरिंग में यूजी स्तर पर क्रेडिट की संख्या 200–220 से घटाकर 160 कर दी गई है और यह इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप है। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के आठ विषयों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम का विकास प्रगति पर है।

प्रेरण कार्यक्रम

यूजी स्तर पर इंजीनियरिंग में प्रथम वर्ष के प्रारंभ में छात्रों के लिए तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रेरण कार्यक्रम तैयार किया गया है और इस प्रेरण कार्यक्रम के बाद कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उनके नए वातावरण में सहज महसूस करना, एक स्वस्थ दैनिक दिनचर्या निर्धारित करना, बैच के साथ–साथ संकाय और छात्रों के बीच संबंध बनाना है। इंडक्शन प्रोग्राम अब एआईसीटीई यूजी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के मॉडल का एक हिस्सा है। इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा 6.00 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया था। प्रेरण गतिविधियों की निगरानी के लिए एआईसीटीई में एक इंडक्शन सेल की स्थापना की गई है और तकनीकी संस्थानों में इसे लागू करने के लिए "छात्र प्रेरण कार्यक्रम" पर संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण के समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समिति का गठन किया गया है। देश भर में 80 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं जिसमें 9000 फैकल्टी ने भाग लिया। एआईसीटीई इंडक्शन प्रोग्राम पर छात्रों, संकाय सदस्यों और संस्थानों का फीडबैक ले रहा है। अब तक 65000 से अधिक छात्रों, 24750 संकाय सदस्यों और 952 संस्थानों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है।

➢ परीक्षा सुधार

भावी इंजीनियरिंग स्नातकों को न केवल अपने विषय का जानकार होने की आवश्यकता है, बल्कि नरम, पेशेवर कौशल और दक्षताओं के एक नए सेट की भी आवश्यकता है। उद्देश्यों और कार्यक्रम के परिणामों की उपलब्धि महत्वपूर्ण है और सटीक और विश्वसनीय आकलन के माध्यम से साबित करने की आवश्यकता है। उन्हें न केवल छात्र की उपलब्धियों (और ग्रेड) का आकलन करना चाहिए, बल्कि यह भी मापना चाहिए कि क्या सीखने के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं। यह महसूस किया गया कि संस्थानों द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं में विद्यार्थियों के विषय ज्ञान पर अधिक जोर देने के बजाय अवधारणाओं और कौशल की समझ का परीक्षण किया जाना चाहिए। एक उपयुक्त परीक्षा प्रारूप के विकास के लिए, एआईसीटीई ने इस संबंध में एक समिति का गठन किया। समिति ने संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाले परीक्षा सुधारों पर नीति को अंतिम रूप दिया।

एआईसीटीई विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के परीक्षा नियंत्रक, डीन और वरिष्ठ संकाय सदस्यों के लिए परीक्षा सुधार पर कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। देश भर में 10 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं जिसमें 1500 संकाय ने भाग लिया। कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित संकाय से अपने संबंधित संस्थानों के संकाय को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है।

➢ परिप्रेक्ष्य योजना

श्री बीवीआर मोहन रेड्डी, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी, हैदराबाद की अध्यक्षता में गठन समिति ने इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए 'मध्यम अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 27 दिसंबर, 2018 को परिषद की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में चर्चा की गई और इसी ने उसे मंजूरी दे दी।

समिति की मुख्य सिफारिशें थीं:

i) इंजीनियरिंग में यूजी / पीजी प्रोग्राम में एआई, आईओटी, ब्लॉक चेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्प्यूटिंग, डेटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, 3 डी प्रिंटिंग एंड डिजाइन और अन्य उभरते तकनीकी क्षेत्रों के पाठ्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए।

ii) पारंपरिक विषयों में सीटों को कम करके और मौजूदा सीटों को इन पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करके बहु–विषयी पाठ्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

तदनुसार, एआईसीटीई ने निर्णय लिया कि अकादमिक वर्ष 2020–21 से कोई नया पारंपरिक विषय नहीं दिया जाएगा और एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ को उपरोक्त 9 (नौ) प्रौद्योगिकियों के पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है और इसे भी एआईसीटीई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

➢ शिक्षकों की प्रशिक्षण नीति

एआईसीटीई ने एक व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण नीति तैयार की है और निम्न आठ मॉड्यूल

के साथ–साथ सेवारत शिक्षकों के लिए भी प्रस्तावित किया हैः

1. तकनीकी शिक्षा के प्रति सामान्य विकास
2. मूल्यों और दृष्टिकोणों का झुकाव
3. संचार कौशल
4. निर्देशात्मक योजना और कक्षा कक्ष डिलिवरी
5. प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा और आजीवन स्वयं शिक्षा
6. छात्र मूल्यांकन के प्रभावी तरीके
7. रचनात्मक समस्या समाधान, नवाचार और सार्थक आरएंडडी
8. संस्थागत प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रिया

एनआईटीटीआर को उपरोक्त आठ मॉड्यूल पर एमओओसी तैयार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने पहले ही चार मॉड्यूल पर एमओओसी तैयार कर लिए हैं जिनमें से दो स्वयम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आठ मॉड्यूल के सफल समापन पर प्रमाण पत्र देने के तौर–तरीकों पर काम किया जा रहा है। यह शिक्षक प्रशिक्षण नीति अब तकनीकी शिक्षकों के लिए 7वें वेतन संशोधन राजपत्र अधिसूचना का अभिन्न अंग है।

➢ अनुसंधान संवर्धन, संस्थागत और संकाय विकास कार्यक्रम

एआईसीटीई तीन स्कीमों नामतः अनुसंधान संवर्धन योजना (आरपीएस), आधुनिकीकरण और अप्रचलन का निष्कासन (एमओडीआरओबी), और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित परियोजनाएं (एनसीपी) संचालित करता है। 2018–19 के दौरान क्रमशः अनुसंधान संवर्धन योजना (आरपीएस) के तहत 61 परियोजनाओं के लिए रु. 7.99 करोड़ रुपए और एमओडीआरओबी योजना के तहत 213 परियोजनाओं के लिए 26.95 करोड़ रुपए की राशि को एआईसीटीई के स्वीकृत संस्थानों के लिए स्वीकृत किया गया है।

➢ पूर्वोत्तर और एनडीएफ केंद्रों के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और एनडीएफ सेंटर्स के लिए रिसर्च प्रमोशन स्कीम के तहत दो नए वेरिएंट पेश किए गए हैं। प्रत्येक के लिए 25.00 लाख रु. प्रति परियोजना की दर से 1250.00 लाख रु. के सहायता अनुदान से कुल 50 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। चूंकि लक्ष्य समूह सीमित थे, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में संकायों/पीआई से ऑफ–लाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आरपीएस–एनईआर और आरपीएस–एनडीएफ के तहत क्रमशः कुल 130 और 80 आवेदन समापन तिथि पर या उससे पहले प्राप्त हुए थे।

➢ राष्ट्रीय डॉक्टरल फैलोशिप (एनडीएफ)

एआईसीटीई ने पीएचडी के लिए पूर्णकालिक मेधावी छात्रों को प्रवेश देने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप (एनडीएफ) की एक योजना एआईसीटीई के 28 पहचान किए गए अनुसंधान संस्थानों में शुरू की। चयनित उम्मीदवार 28,000/– माह रुपये की फेलोशिप और सरकारी मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता के हकदार हैं।

इसके अतिरिक्त रु. 15000/– प्रतिवर्ष की राशि के रूप में आकस्मिक अनुदान भी विद्वानों को उपलब्ध है। योजना की अवधि 3 वर्ष की है और विशेष मामलों में 2 बार में 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। 2018–19 के दौरान इस योजना के तहत भर्ती हुए विद्वानों को फैलोशिप/मकान किराया भत्ता और आकस्मिक अनुदान के रूप में 3.37 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

- **गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी)**

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में डिग्री स्तर के संस्थानों के संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और क्षमताओं का उन्नयन करना है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को मास्टर/डॉक्टोरल डिग्री हासिल करना और अध्ययन के संस्थानों के वातावरण में उन्नयन द्वारा उनमें अनुसंधान की संस्कृति और बेहतर शिक्षण क्षमताओं का शिक्षा विकास करना है 2018–19 के दौरान एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के संकाय द्वारा एम.टेक और पी.एचडी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए 23.20 करोड़ रुपये जारी किए गए।

- **छात्राओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति योजना**

उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना है। दो लड़कियां प्रति परिवार पात्र हैं, जिनकी पारिवारिक आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 8 लाख से अधिक नहीं है (विवाहित लड़की के मामले में, माता–पिता/ ससुराल की आय, जो भी अधिक हो, माना जाएगा)। चयनित उम्मीदवारों को रु. 50,000/– (रु. 20,000/– आकस्मिक राशि 10 महीने के लिए और 30,000/– रु. ट्यूशन शुल्क के लिए)। की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाता है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर 2018–19 के दौरान 5142 छात्रों को प्रगति योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

- **निःशक्तों के लिए सक्षम छात्रवृत्ति योजना**

इसका उद्देश्य 40% से अधिक विकलांग बच्चों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है जिनकी तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पारिवारिक आय रु 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को रु. 50,000/– (रु. 20,000/– आकस्मिक राशि 10 महीने के लिए और 30,000/– रु. ट्यूशन शुल्क के लिए) रुपये की छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जाता है। उम्मीदवार का चयन किसी भी एआईसीटीई द्व ारा अनुमोदित संस्थान से संबंधित तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान इस योजना के तहत 513 छात्रों ने लाभ उठाया।

- **एसी / एसटी छात्रों के लिए प्रेरणा योजना**

इस योजना का उद्देश्य जीएटीई/ जीपैट/ सीएटी/सीएमएटी/टीओईएफएल/ आईईएलटीएस /जीआरई जैसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अंतिम–पूर्व और अंतिम वर्ष के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संस्थान में पिछले 3 वर्षों के दौरान रोल पर औसतन 50 एससी/एसटी छात्रों की संख्या होनी

चाहिए। कार्यक्रम के लिए तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। 2018–19 के दौरान 49 संस्थानों के 2000 छात्रों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

➢ **स्टार्ट–अप की स्थापना के लिए एससी/एसटी छात्रों के लिए समृद्धि योजना**

इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी छात्रों को एआईसीटीई की स्टार्टअप नीति के अनुसार उनकी औपचारिक शिक्षा समाप्त होने के बाद या उनकी शिक्षा के दौरान उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने स्वयं के व्यवसाय/स्टार्टअप की योजना बनाने, लॉन्च करने और चलाने में मदद करना है। इस योजना के तहत 20 लाख रुपये की कुल धनराशि (जिसमें से 1 लाख रु./ वर्ष आवर्ती अनुदान होगा) प्रदान की जाती है। 2018–19 के दौरान 11 संस्थानों के 99 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया।

➢ **एससी/एसटी छात्रों के लिए छात्रावास**

इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी वर्ग से संबंधित छात्रों/शोधकर्ताओं के लिए रिहायसी आवास प्रदान करने के लिए लड़कियों/लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की सहायता करना है। पिछले पाँच वर्षों से विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज/विश्वविद्यालय विभाग और पिछले तीन वर्षों से रोल पर 150 से अधिक एससी / एसटी छात्र अनुदान के लिए पात्र हैं। 2.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा 3 किस्तों में दी जानी है। वर्ष 2018–19 के दौरान, 32.88 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और इसके साथ, 2012–13 के बाद से जब इस योजना को शुरू किया गया था, तो 106 संस्थानों में छात्रावासों के निर्माण के लिए 160.59 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। 31 छात्रावास पहले ही पूरे हो चुके हैं।

➢ **तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए ईएसएस के माध्यम से ई–जर्नल्स**

ई–शोध सिंधु (ईएसएस) के तहत 94 एआईसीटीई समर्थित तकनीकी संस्थानों को ई–जर्नल्स की निःशुल्क पहुंच एआईसीटीई द्वारा सदस्यता का भुगतान करके प्रदान की गई थी। वर्ष 2018–19 के दौरान 8.72 करोड़ रु. ई–जर्नल्स की सदस्यता के लिए जारी किए गए थे।

➢ **मार्गदर्शन योजना**

तकनीकी शिक्षा के मानक को उन्नत करने के उद्देश्य से साझा और संरक्षक (मार्गदर्शन नाम) की योजना वर्ष 2016–17 के दौरान शुरू की गई थी, मार्च 2019 तक सभी 14 प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने के लिए हब के रूप में चुना गया था और प्रवक्ता के रूप में कम से कम दस तकनीकी संस्थानों के साथ संसाधन साझा भी किया गया था।

➢ **मार्गदर्शक योजना**

वर्ष 2018–19 में प्रत्यायन की ओर अग्रसर होने वाले संस्थानों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करने

में मदद करने के लक्ष्य के साथ "मार्गदर्शक" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में तकनीकी संस्थानों के कार्यक्रम मान्यता प्राप्त हो।

➢ अनिवार्य इंटर्नशिप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए अपनी इंटर्नशिप नीति तैयार की है। इंटर्नशिप को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है कि तकनीकी छात्रों को अपने विषयों के लिए प्रासंगिक औद्योगिक वातावरण की वर्तमान तकनीक और वास्तविक समय के तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल को सीखने, समझने और तेज करने के अवसरों से संबंधित है। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बीओएटी), मुंबई, चेन्नई और कानपुर और बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी), कोलकाता ने इंटर्नशिप की सुविधा के लिए हाथ मिलाया है। एआईसीटीई ने पूरे देश में इंटर्नशिप कार्यक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 11 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थी। एआईसीटीई द्वारा 4 क्षेत्रों में चार जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। एआईसीटीई के अनुमोदित संस्थानों और उद्योग के प्रतिनिधियों के लगभग 1500 प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। एक एआईसीटीई नेतृत्व सम्मेलन– 20 नवंबर, 2018 को उद्योग अकादमिक इंटरैक्शन विषय पर आयोजिन किया गया था। इंटर्नशिप की सुविधा के लिए हाथ मिलाने के लिए कुल 130 उद्योग और अकादमिक जगत के अग्रणियों / कुलपतियों आदि ने बैठक में भाग लिया।

➢ यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च पहल (यूकेआईईआरआई) चरण–III

एआईसीटीई ने यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव (यूकेआईईआरआई) फेज–III के तहत गतिविधियों के संयुक्त संचालन पर यूके के डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी (डीबीईआईएस) के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2018 में, काउंसिल ने प्रत्येक 100 टीम के दो समूहों में 200 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। 618 टीमों / संस्थानों से नामांकन प्राप्त हुए जिसमें 1270 आवेदक शामिल थे। इसमें से 200 आवेदकों को एआईसीटीई–यूकेआईईआरआई लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2018 के लिए चुना गया था। पहली और दूसरी कार्यशाला एआईसीटीई मुख्यालय, दिल्ली और आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंगलोर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

➢ राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन (नीम)

राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन (एनईईएम) योजना किसी व्यक्ति की नियोजित वृद्धि के लिए तकनीकी या गैर–तकनीकी स्ट्रीम में उसके पोस्ट ग्रेजुएशन / ग्रेजुएशन / डिप्लोमा करने वाले या 10 वीं कक्षा के बाद पढ़ाई बंद

करने वाले व्यक्ति के रोजगार को बढ़ाने के लिए नौकरी व्यावहारिक प्रशिक्षण पेश करने के लिए है। इस योजना के तहत, एआईसीटीई पंजीकृत एनईईएम फैसिलिटेटर्स न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 36 महीने के लिए एनएसक्यूएफ अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2018–19 के दौरान विभिन्न नीम सुविधाकर्ताओं में 40 नीम प्रोसिलिटेटर्स और कुल 2,07,504 प्रशिक्षुओं ने नामांकन किया।

➢ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई–टीआई)

एआईसीटीई अपने स्वीकृत संस्थानों के माध्यम से पीएमकेवीवाई–टीआई को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को इंजीनियरिंग कौशल प्रदान करना और उन्हें प्लेसमेंट में मदद करना है। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान को इन पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग कॉलेज के कार्य समय में करना पड़ता है। परिषद द्वारा धनराशि जारी की जाएगी, शिक्षण / अधिगम गतिविधियों की लागत को सीधे अनुमोदित संस्थानों में शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुमोदित संस्थान एनएसक्यूएफ के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एमओएस) के अनुसार नौकरी की आवश्यकताओं के आधार पर इंजीनियरिंग कौशल में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पीएमकेवीवाई–टीआई की राष्ट्रीय संचालन समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में 1712 संस्थानों / पॉलिटेक्निक में 3,71,025 छात्रों को प्रशिक्षित करने की मंजूरी दी है। जिसमें से 970 संस्थानों / पॉलिटेक्निक में 2,05,574 छात्र नामांकित हैं।

➢ एआईसीटीई–ईसीआई छात्र विश्वकर्मा पुरस्कार 2018

एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया (ईसीआई) और इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन (आईएसटीई) के सहयोग से, एआईसीटीई के मुख्यालय नई दिल्ली में 21 जनवरी, 2019 को विभिन्न व्यावसायिक स्ट्रीम में असाधारण कौशल का प्रदर्शन करने वाले छात्र और संस्थान/संगठन के अभिनव कार्यों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए ''द्वितीय छात्र विश्वकर्मा अवाड्र्स 2018'' का आयोजन किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति श्री वी. नायडू ने इस अवसर पर टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। 1607–आवेदन प्राप्त हुए थे और उनमें से 118 आवेदनों को प्रोटोटाइप प्रदर्शित करने के लिए चुना गया था। 19 टीमों को विजेता घोषित किया गया।

➢ संसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

एसएजीवाई के तहत हमारे संसद सदस्य (सांसद) द्वारा गोद लिए गए गांवों के विकास और विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले हमारे संस्थानों के प्रयासों को पहचानने के लिए, परिषद ने एआईसीटीई–एसएजीवाई पहल पुरस्कार 2018 देने का निर्णय लिया

है। एसएजीवाई पहल पुरस्कार का उद्देश्य संस्थानों को प्रेरित करने, पहचानने और सम्मानित करने के लिए है, जो विशिष्ट डोमेन में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए और गांवों और देश के विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान में अग्रणी हैं। पुरस्कार समारोह 21 जनवरी, 2019 को एआईसीटीई मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर पुरस्कार प्रदान किये।

विभिन्न संस्थानों से प्राप्त कुल आवेदन –103 थे।

➢ **व्हीबॉक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट 2019**

परिषद ने 'भारत कौशल रिपोर्ट 2019' को बनाने और प्रकाशित करने के लिए एक वैश्विक प्रतिभा मूल्यांकन कंपनी व्हीबॉक्स और इसके कंसोर्टियम पार्टनर्स यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय विश्वविद्यालय संगठन (एआईयू), पीपुल्स स्ट्रॉन्ग और लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के सभी प्री–फाइनल और फाइनल वर्ष के स्नातकों के लिए व्हीबॉक्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट (वेस्ट) आयोजित करता है। परीक्षण के परिणाम से संस्थान को सीआईआई और एआईयू द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित प्रतिलेख और प्रमाणन के रूप में अपने छात्रों की मुख्य ताकत और सुधार क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट –2019 सम्पूर्ण भारत में सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 100 + नियोक्ताओं तक पहुंच गया। भारत कौशल रिपोर्ट 2019 को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, श्री दिनेश शर्मा द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (एआईयू), लिंक्डइन, पीपल स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के सहयोग से लखनऊ में लॉन्च किया गया था।

➢ **वोकेशनल डिग्री / डिप्लोमा प्रोग्राम**

शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में, एआईसीटीई ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत व्यावसायिक शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा के लिए अग्रणी व्यावसायिक डिग्री / डिप्लोमा कार्यक्रम पेश किए। इस योजना के तहत, शिक्षा घटक संस्थान द्वारा पढ़ाया जाएगा और कौशल घटक को इंडस्ट्री पार्टनर या कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी) द्वारा कवर किया जाएगा जो एआईसीटीई या एनएसडीसी या किसी सरकार एजेंसी द्वारा अनुमोदित है। परिषद ने 2018–19 में विभिन्न क्षेत्रों की तेरह विशेषज्ञता की पेशकश की है।

➢ **रोजगार संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी)**

एआईसीटीई ने 2013 में रोजगार संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी) नाम से अपनी फिनिश स्कूल योजना को फिर से शुरू किया, जिसमें परफॉरमेंस करियर की सफलता के लिए बिजनेस और सॉफ्ट स्किल्स प्रदान करने वाले नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बीच रोजगार बढ़ाने और निरंतर करियर की सफलता के लिए और इंडस्ट्री की डिमांड को पूरा करने का विज़न था। कौशल पहल के तहत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, परिषद ने तकनीकी संस्थानों की सुविधा के लिए आईसीटी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के एआईसीटीई अनुमोदित कॉलेजों के छात्रों को अत्याधुनिक आईटी / आईटीईएस और टेलीकॉम कौशल प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देगा। इस वर्ष आईसीटी अकादमी ने ईईटीपी कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर के 6557 छात्रों का नामांकन किया है।

➢ **कैम्ब्रिज मूल्यांकन अंग्रेजी**

एआईसीटीई ने एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों/पॉलिटेक्निक के अंग्रेजी भाषा शिक्षकों के लिए "शिक्षक विकास कार्यक्रम" के कार्यान्वयन के लिए कैम्ब्रिज मूल्यांकन अंग्रेजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशिक्षण अंग्रेजी विषय के शिक्षकों जो बी 1 पर हैं, के लिए एआईसीटीई द्वारा विकसित विषय के मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षा कौशल प्रशिक्षण पर होगा, बाकी के लिए अन्य शिक्षकों के समकक्ष अपने स्तर को लाने के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जो एक साथ चल सकता है। एआईसीटीई मुख्यालय नई दिल्ली में जुलाई, 2018 के महीने में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के लिए एक कार्यक्रम ब्लेंडेड लर्निंग मोड में आयोजित किया गया था।

➢ **प्रधान मंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना–पीएमएसएसएस**

प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) एमएचआरडी, भारत सरकार की अंतर–मंत्रालय समिति (आईएमसी) के निर्देशानुसार शैक्षणिक वर्ष 2018–19 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़री है। प्रोफेशनल

स्ट्रीम (इंजीनियरिंग सहित) में उपलब्ध छात्रवृत्ति 2830 थी। इसके अलावा, जनरल स्ट्रीम कोर्स के लिए 2830 छात्रवृत्तियां और मेडिकल स्ट्रीम के जे.एंड के. के छात्रों के लिए उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए 100 छात्रवृत्तियां थी। एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित काउंसलिंग की ऑन–लाइन प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू–कश्मीर के छात्रों को एनबीए / एनएएसी मान्यता प्राप्त और एनआईआरएफ रैंक के संस्थानों को शामिल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया था। अतिरिक्त सीटों के तहत प्रवेश के लिए पारदर्शी ऑन–लाइन काउंसलिंग जून 2018 से अगस्त, 2018 तक आयोजित की गई थी और 2995 छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। अब तक 2504 छात्रों ने एआईसीटीई के पोर्टल पर सूचना दी और योजना के तहत लाभान्वित हुए, जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा धारकों के लैटरल एंट्री प्रवेश शामिल हैं। एआईसीटीई ने जम्मू और कश्मीर स्कूलों/ कॉलेजों के प्रिंसिपल/ फैकल्टी के लिए इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए, जिनका उद्देश्य दिसंबर, 2018 के महीने में जम्मू और श्रीनगर में पीएमएसएसएस के बारे में जागरूकता पैदा करना था। जम्मू और कश्मीर के आंतरिक स्थानों जैसे कारगिल, लेह, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामुला, डोडा, राजौरी, कठुआ आदि में भी जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से आकांक्षी छात्रों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

➢ **स्टार्ट–अप पहल और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच –2019)**

एआईसीटीई स्टार्ट–अप कार्यक्रम का उद्देश्य एक आदर्श उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके और तकनीकी संस्थानों के बीच मजबूत अंतर–संस्थागत भागीदारी को बढ़ावा देकर अगले 10 वर्षों में 1,00,000 टेक–आधारित छात्र स्वामित्व वाले स्टार्ट–अप और एक मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करना है। एआईसीटीई ने अपने स्टार्ट–अप कार्यान्वयन सेल के माध्यम से कई प्रमुख राष्ट्रीय और उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कई स्तरों पर नीति और कार्यक्रम के रूपांतरण और पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कई ठोस प्रयास किए। इसने अन्य तथ्यों के लिए नेटवर्किंग के लिए नीति आयोग एमएसएमई आदि के साथ समझौता ज्ञापन किया। एआईसीटीई ने स्टार्ट–अप और इनोवेशन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोगी कार्यक्रम डिजाइन करते हुए सहयोग का समर्थन करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कनाडा–भारत एक्सेलेरेशन प्रोग्राम (सीआईएपी) के तहत फरवरी 2018 में कैरलटन यूनिवर्सिटी, कनाडा के साथ एमओयू किया। सभी 50– कनाडाई और 50– भारतीय महिला नेतृत्व वाले टेक स्टार्ट–अप को अगले 5 वर्षों में सहायता की जाएगी।

एआईसीटीई एमआईसी (एमएचआरडी इनोवेशन सेल), आई4सी (i4c) और दृढ़ प्रणाली के सहयोग से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच

2019) का आयोजन किया। 96 उद्योगों और 18 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ, एसआईएच 2019 अपने पिछले संस्करणों की तुलना में बहुत बड़ा था। एसआईएच छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता का उपयोग करता है, स्टार्टअप इंडिया 'अभियान के लिए फ़नल बनाता है, शासन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जनहितैषी समाधान करता है, और भारत की समस्याओं को नवीन समाधान प्रदान करने के लिए छात्रों सहित नागरिकों को अवसर प्रदान करता है। इसमें 2 उप–संस्करण शामिल हैं – सॉफ्टवेयर संस्करण, जो कि 36–घंटे का सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतियोगिता और हार्डवेयर संस्करण है, जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है और छात्र इसके तहत प्रोटोटाइप विकसित करते हैं। एसआईएच 2019 का ग्रैंड फिनाले – सॉफ्टवेयर संस्करण, 2 और 3 मार्च, 2019 को संपूर्ण भारत में एक साथ 49 विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था, जहां 34,000 से अधिक विचारों का मूल्यांकन किया गया था।

एनटीयू सिंगापुर में नवंबर 2018 में फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल हैकथॉन का आयोजन किया गया था, यह "स्मार्ट कैंपस" पर केंद्रित था और इसमें 40 टीमों (प्रत्येक देश से 3–प्रतिभागियों के साथ 20 टीमों) की भागीदारी देखी गई थी। भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विजेता टीमों को सम्मानित किया गया।

❖❖❖

13

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

1. **विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षाः** अत्यधिक कुशल तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, देश में 23 आईआईटी कार्यरत हैं, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। ये आईआईटी, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में नामित किया गया है, सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित हैं और इन्हें 'स्पोर्ट टू आईआईटी' योजना के तहत आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की जाती हैं। इन 23 आईआईटी में कुल छात्र संख्या 91448 है और संकाय की संख्या 8856 है।

2. **गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का विस्तारः** देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, सरकार द्वारा छह नए आईआईटी स्थापित किए गए, जिनमें से जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरुपति और पलक्कड़ में एक–एक था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अस्थायी परिसरों से इन आईआईटी के संचालन के लिए 2015 में 1411.80 करोड़ रुपये मंजूर किए। इन आईआईटी के स्थाई परिसरों के निर्माण के प्रस्ताव को भी चरण–ए (2017–18 से 2019–20) के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नवंबर, 2017 में कुल 7002.42 करोड़ रु. की लागत से अनुमोदित किया गया था। इस चरण के तहत, 1200 छात्रों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, जबकि चरण–II, जिसे चरण–I की समीक्षा के बाद अलग से लिया जाएगा, 2500 छात्रों को समायोजित करने के लिए सुविधा का निर्माण करेगा। इन 6 नये आईआईटी में 487 संकाय सहित संयुक्त छात्र संख्या 2500 है।

3. **अनुसंधान पर फोकसः** सरकार की स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्टअप संस्कृति बनाने पर सरकार द्वारा नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नानुसार कई कदम उठाए गए हैः –

   i) **अनुसंधान पार्कः** सरकार द्वारा स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्टअप संस्कृति बनाने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने हेतु आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर में प्रत्येक के लिए 75.00 करोड़ रु की कुल लागत पर पांच नए अनुसंधान पार्क सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर में 100 करोड़ रुपए प्रत्येक की लागत पर पहले

से अनुमोदित दो अनुसंधान पार्कों की निरंतरता बनाए रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। आईआईटी गांधीनगर में 90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर अनुसंधान पार्क विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

ii) **इंप्रिंट:** इंप्रिट सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है, जिसे 5 नवंबर, 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग की सबसे प्रासंगिक चुनौतियों का समाधान प्रदान करना और 10 चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन में व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में ज्ञान का अनुवाद करना है। स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, स्थायी निवास, नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, जल संसाधन और नदी प्रणाली, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सुरक्षा और रक्षा, और पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन ज्ञान का व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में अंतरण करना है। यह एक सभी आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसंधान की रूपरेखा विकसित करना है इंप्रिंट–। के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विभिन्न भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा संयुक्त वित्त पोषण के साथ 3 वर्षों के लिए रु 320.72 करोड़ की कुल लागत पर 142 अनुसंधान परियोजनाएं वर्तमान में अनुमोदन की प्रक्रिया के तहत निष्पादन में हैं।

इंप्रिंट–II को अब एमएचआरडी और डीएसटी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई कॉर्पस के माध्यम से एक समर्पित फंडिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है। यह योजना सभी सीएफटीआई और सीयू के लिए मुख्य अन्वेषक (पीएल) के रूप में खुली है, जबकि निजी संस्थानों सहित अन्य संस्थान सीओ–पीआइ के रूप में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव की औसत लागत 3 वर्षों की अवधि सहित लगभग 2 करोड़ रुपये होगी। 670 करोड़ के परिव्यय में एमएचआरडी और डीएसटी से प्रत्येक के बराबर 335 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई है। इस पहल में शामिल होने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों का स्वागत है। इंप्रिंट–II को सचिव, एसईआरबी और इंप्रिंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर की अध्यक्षता में इंप्रिंट–एसईआरबी द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

2018–19 में प्रस्तावों की पहली कॉल में, 2100 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 106.73 करोड़ रुपये के 126 प्रस्तावों को जांच के विभिन्न स्तरों के बाद सर्वोच्च समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई): ऐसे उच्च नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर 2015 को आईआईटी परिषद की बैठक में उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई) की घोषणा की गई थी, जो उद्योग की जरूरतों को सीधे प्रभावित करती है और जिससे भारतीय विनिर्माण के प्रतिस्पर्धात्मक स्तर में सुधार होता है। यह परियोजना भारत के भीतर या बाहर– अकादमिया और उद्योग के बीच सहयोग की परिकल्पना करती है। चयनित परियोजनाओं

का वित्त पोषण उद्योग द्वारा 25% होगा; भाग लेने वाले विभाग/मंत्रालय द्वारा 25%; और एमएचआरडी द्वारा 50%। वर्तमान में, एमएचआरडी, संयुक्त मंत्रालयों और उद्योग द्वारा संयुक्त निधि के साथ 370.97 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 139 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं।

4. **नई पहलः**

i) महिला–पुरुषा संतुलन में सुधारः आईआईटी में बी.टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार के उद्देश्य से, संयुक्त दाखिला बोर्ड (जेएबी) द्वारा निदेशक, आईआईटी–मंडी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी ताकि उपयुक्त उपाय सुझाए जा सके। समिति की सिफारिशों पर आईआईटी परिषद ने 28.04.2017 को आयोजित अपनी 51 वीं बैठक में विचार किया और अतिरिक्त सीटें सृजित करके 2018–19 में महिला नामांकन को मौजूदा 8% से बढ़ाकर 14%, 2019–20 में 17% और 2020–21 में 20% करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, आईआईटी में लैंगिक संतुलन बहाल करने की सरकार की नीति के कारण, इस वर्ष अतिरिक्त (840) लड़कियों को आईआईटी के यूजी कार्यक्रम में प्रवेश मिला और छात्राओं के प्रतिशत में 9.15% (2017) से 15.29% (2018) तक सुधार हुआ।

ii) **प्रीमियर परीक्षण सुविधाः** सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर प्रीमियर परीक्षण संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) बनाई है। सरकार ने विशेषज्ञों को वैज्ञानिक तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए एनटीए को अधिदेश दिया है। एनटीए एक आत्मनिर्भर संगठन होगा। हालांकि, इसकी स्थापना और संचालन को शुरू करने के लिए, एकमुश्त अनुदान के रूप में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एनटीए को सोसायटी (पंजीकरण) अधिनियम, 1861 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

iii) **प्रधान मंत्री अनुसंधान फैलोशिपः** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए, बजट भाषण 2018–19 में पीएमआरएफ योजना की घोषणा की गई थी। यह आईआईटी/ आईआईआईटी/ एनआईटी/ आईआईएसईआर से अधिकतम 3,000 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, जिन्हें आईआईटी/आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में नामांकन के लिए पीएमआरएफ दिशानिर्देशों के अनुसार चुना जाएगा जिन्हें पहले दो वर्षों के लिए 70000 रुपए प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए रु. 75,000/– प्रति माह और चौथे और 5वें वर्ष में प्रति माह रु. 80,000/–

प्रति माह की दर से आकर्षक फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक शोधकर्ता को शोध पत्र प्रस्तुत करने की लागत को पूरा करने के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रु. का अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा। इस योजना को ईएफसी द्वारा अनुमोदित किया गया था और 07.02.2018 को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। 31.03.2019 तक 176 छात्रों को योजना के तहत चुना गया है। अब पीएमआरएफ दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और यह योजना भारत में मान्यता प्राप्त सभी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के पात्र छात्रों के लिए खोली गई है। इसके अलावा अब वे आईआईटी/आईआईएससी के साथ—साथ आईआईएसईआर में भी शोध कर सकते हैं।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्व में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज), जिसे केंद्र सरकार द्वारा 14 मई, 2003 से अपने तहत ले लिया गया है, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी स्वायत्त संस्थान हैं और यह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 के तहत 15 अगस्त, 2007 को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है।

2. शैक्षणिक सत्र 2009—2010 तक, बीस एनआईटी अगरतला (त्रिपुरा), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), सिलचर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरतकल (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश) में स्थित थे। वर्ष 2009 में, इन संस्थानों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एनआईटीएसईआर अधिनियम 2007 के तहत 'एनआईटी की प्रथम संविधियां' नामक अधीनस्थ विधान तैयार किए गए थे।

3. XIवीं योजना अवधि के दौरान, सितंबर, 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड में 10 नए एनआईटी की स्थापना की गई है। 10 नए एनआईटी ने वर्ष 2010—11 से अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया। इसके बाद, एनआईटी आंध्र प्रदेश को भी नव निर्मित आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया और इसका पहला शैक्षणिक सत्र 2015—16 से शुरू हुआ है। इस प्रकार, देश में एनआईटी की कुल संख्या 31 अर्थात् सभी राज्यों और प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में एक—एक हो गई है।

4. एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के दायरे में 10 नए एनआईटी और एनआईटी, आंध्र प्रदेश

को शामिल करने के लिए संशोधनों को क्रमशः 07 जून, 2012 और 20 अगस्त, 2015 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली। सभी 11 नए एनआईटी अब एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के दायरे में हैं।

5. वर्ष 2014 में, बंगाल इंजीनियरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू), शिबपुर (पश्चिम बंगाल), जो पहले पश्चिम बंगाल सरकार के तत्वावधान में कार्य कर रहा था, को भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) शिबपुर (पश्चिम बंगाल) में बदल दिया गया है और केंद्र सरकार द्वारा एनआईटीएसईआर (संशोधन) अधिनियम, 2014, जो 4 मार्च, 2014 को लागू हुआ, के माध्यम से एक स्वायत्त 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में अपने तहत ले लिया गया।

एनआईटी और आईआईईएसटी में प्रवेश

6. एनआईटी और आईआईईएसटी, शिबपुर में अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में प्राप्त अंक और हर साल संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएए) द्वारा आयोजित काउंसलिंग पर आधारित हैं। वर्तमान नीति के अनुसार, एनआईटी और आईआईईएसटी में 50% सीटों पर प्रवेश राज्य, जहां संस्थान स्थित है, के छात्रों के लिए चिन्हित हैं, शेष 50% सीटों को अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की अखिल भारतीय रैंक के आधार पर भरा जाता है।

7. यह प्रणाली देश में प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। देश के दूरस्थ क्षेत्रों इंजीनियरिंग शिक्षा के समान अवसर प्रदान करते हुए, एनआईटी और आईआईईएसटी ने गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनाते हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी कार्यबल प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आउटरीच कार्यक्रम के रूप में 11 (ग्यारह) नए एनआईटी की स्थापना के बाद, देश भर के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संभावना मिल रही है।

शासन

8. भारत के माननीय राष्ट्रपति सभी 31 एनआईटी और आईआईईएसटी – शिबपुर के विजिटर हैं और माननीय एचआरएम इन संस्थानों की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था एनआईटीएसईआर परिषद के अध्यक्ष हैं। संस्थानों के मामलों का प्रबंधन उनके संबंधित शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 और इन संस्थानों को नियंत्रित करने वाले उपनियमों के तहत दिए गए कार्यों के अनुसार होता है।

नव गतिविधियां

i) 09 एनआईटी में निदेशक और 05 एनआईटी में अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर नियुक्त किए गए हैं।

ii) 26 मई, 2017 को आयोजित अपनी 10 वीं बैठक में एनआईटीएसईआर की परिषद के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, एमएचआरडी द्वारा संकाय के लिए भर्ती नियम जारी किए गए हैं, जिसके

परिणामस्वरूप, एनआईटी विभिन्न स्तरों पर लगभग 1700 रिक्त संकाय पदों को भरने में सक्षम है। इसी तरह, गैर–संकाय कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम भी पदोन्नति के मार्ग में अंतराल को दूर करने के लिए जारी किए गए हैं।

सांख्यिकीय विवरण

एनआईटी (राशि करोड़ में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
योजना	1353	1474	1503	1627	3024.02	3258.67
गैर–योजना	778	835	935	1117		
योग	2131	2309	2438	2744	3024.02	3258.67

आईआईईएसटी शिबपुर (राशि करोड़ में)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
योजना	5	57	65	99	79.53	130

एनआईटी आंध्र प्रदेश (राशि करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19
योजना	10	50	80.10

छात्र

कुल छात्र (सितम्बर 2018 को)

(i) अवर स्नातक : 71374

(ii) स्नातकोत्तर : 19893

(iii) पीएचडी : 12033

कुल : 103300 (वास्तविक संख्या)

संकाय

(i) स्वीकृत : 7466

(ii) भरी गई : 4471 (संविदा संकाय सहित)

2018–2019 हेतु बजट अनुमान

(i) 30 एनआईटी : 3019.40 करोड़ रुपये (राजस्व)

(ii) आईआईईएसटी शिबपुर : रु. 130.00 करोड़

(iii) एनआईटी – आंध्र प्रदेश : रु. 54.00 करोड़

एनआईटी एवं आईआईईएसटी की सूची

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य का नाम
1.	एनआईटी–अगरतला	त्रिपुरा
2.	एमएनएनआईटी–इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
3.	एमएएनआईटी– भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	एनआईटी–कालीकट	केरल
5.	एनआईटी–दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
6.	एनआईटी–हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
7.	एमएनआईटी–जयपुर	राजस्थान
8.	डॉ बी.आर. अंबेडकर एनआईटी–जालंधर	पंजाब
9.	एनआईटी–जमशेदपुर	झारखंड
10.	एनआईटी कुरुक्षेत्र	हरियाणा
11.	वीएनआईटी–नागपुर	महाराष्ट्र
12.	एनआईटी–पटना	बिहार
13.	एनआईटी–रायपुर	छत्तीसगढ़
14.	एनआईटी राउरकेला	ओडिशा

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य का नाम
15.	एनआईटी सिलचर	असम
16.	एनआईटी–श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
17.	एसवीएनआईटी–सूरत	गुजरात
18.	एनआईटीके–सूरतकल	कर्नाटक
19.	एनआईटी–तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
20.	एनआईटी–वारंगल	तेलंगाना
21.	एनआईटी–अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
22.	एनआईटी–दिल्ली	दिल्ली
23.	एनआईटी–गोवा	गोवा

क्र. सं.	संस्थान का नाम	राज्य का नाम
24.	एनआईटी–मणिपुर	मणिपुर
25.	एनआईटी–मेघालय	मेघालय
26.	एनआईटी–मिजोरम	मिजोरम
27.	एनआईटी–नागालैंड	नगालैंड
28.	एनआईटी–पुदुचेरी	पुदुचेरी
29.	एनआईटी–सिक्किम	सिक्किम
30.	एनआईटी–उत्तराखंड	उत्तराखंड
31.	एनआईटी–आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
32.	आईआईईएसटी–शिबपुर	पश्चिम बंगाल

❖ ❖ ❖

14

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई):

जेईई मेन केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड के माध्यम से भाग लेने वाले एनआईटी, आईआईआईटी और सीएफटीआई में प्रवेश के लिए इस शर्त के अध्यधीन लागू होता है कि उम्मीदवार को 12 वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 75% अंक प्राप्त होने चाहिए, या संबंधित बोर्डों द्वारा आयोजित 12 वीं कक्षा की परीक्षा में शीर्ष 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 12 वीं कक्षा की परीक्षा में अर्हक अंक 65% होंगे।

2. विधायी और नीति सुधार:

वर्तमान चुनौती को पूरा करने और उच्च शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिए, विभिन्न विधायी और नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं, जिसमें शामिल हैं: आईआईआईटी अधिनियम, 2014 जिसे भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II धारा 1 (2014 का अधिनियम 30) में दिसंबर, 2014 में अधिसूचित किया गया था और 5 जनवरी, 2015 को लागू हुआ। यह इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर कांचीपुरम और कुरनूल में पाँच मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को वैधानिक दर्जा देता है और उन्हें एक ही स्थान पर लाता है।

इसके अलावा अगस्त 2017 में अधिसूचित आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम 2017 को गुवाहाटी, चित्तूर, कोटा, वडोदरा, त्रिची, लखनऊ, कल्याणी, ऊना, नागपुर, पुणे, कोट्टायम, रांची, सोनीपत, धारवाड़ और सेनापति में 15 आईआईआईटी को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। और इन आईआईआईटी को न केवल केंद्र सरकार बल्कि संबंधित राज्य सरकारों और उद्योग भागीदारों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान:

आईटी क्षेत्र में उच्च कुशल पेशेवर की मांग को पूरा करने के लिए ग्वालियर (1998), इलाहाबाद (1999), जबलपुर (2005), कांचीपुरम (2007) और कुरनूल (2015) में पाँच केंद्रीय वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किए गए हैं। भारतीय आईटी उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाध ाान करने और घरेलू आईटी बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएचआरडी ने नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (एन–पीपीपी) आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित करने का निर्णय किया है। जैसा कि 26–11–2010 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार, एमएचआरडी ने 20 आईआईआईटी की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

आईआईआईटी चित्तूर (एपी), आईआईआईटी गुवाहाटी (असम), आईआईआईटी धारवाड़ (कर्नाटक), आईआईआईटी कोट्टायम (केरल), आईआईआईटी तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), आईआईआईटी वडोदरा (गुजरात), आईआईआईटी पुणे (महाराष्ट्र), आईआईआईटी, सेनापति (मणिपुर), आईआईआईटी

अगरतला (त्रिपुरा), आईआईआईटी भोपाल (मध्य प्रदेश), आईआईआईटी सोनीपत (हरियाणा), आईआईआईटी लखनऊ (यूपी), आईआईआईटी ऊना (एचपी), आईआईआईटी कल्याणी (पश्चिम बंगाल), आईआईआईटी कोटा (राजस्थान) आईआईआईटी सूरत (गुजरात), आईआईआईटी नागपुर (महाराष्ट्र) और आईआईआईटी रांची (झारखंड) पहले ही इस योजना के तहत स्थापित हो चुके हैं। 3 और आईआईआईटी ने 2017–18 में और एक ने 2018–19 में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया है।

4. आईआईआईटी

सीएफटीआई (केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान) मोड में आईआईआईटी

		वेबसाइट
1.	आईआईआईटी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	http://www.iiita.ac.in/
2.	एबीवी–आईआईआईटी एवं एम ग्वालियर, मध्य प्रदेश	http://www.iiitm.ac.in/
3.	पीडीपीएम–आईआईआईटी डी एवं एम जबलपुर, मध्य प्रदेश	http://www.iiitdmj.ac.in
4.	आईआईआईटीडी एवं एम कांचीपुरम, चेन्नई, टीएन	http://www.iiitdm.ac.in
5.	आईआईआईटीडी एंड एम कुरनूल, आंध्र प्रदेश	http://www.iiitdmkl.ac.in

पीपीपी (सार्वजनकि निजी भागीदारी) मोड में आईआईआईटी

		वेवसाइट
1	आईआईआईटी श्री सिटी चित्तूर, आंध्र प्रदेश	http://www.iiits.ac.in/
2	आईआईआईटी गुवाहाटी, असम	http://www.iiitg.ac.in/
3	आईआईआईटी वडोदरा, गुजरात	http://www.iiitvadodara.ac.in/
4	आईआईआईटी सोनीपत, हरियाणा	http://iiitsonepat.ac.in/
5	आईआईआईटी ऊना, हिमाचल प्रदेश	http://www.iiitu.ac.in/
6	आईआईआईटी धारवाड़, कर्नाटक	https://iiitdwd.ac.in
7	आईआईआईटी कोट्टायम, केरल	http://www.iiitkottayam.ac.in/
8	आईआईआईटी सेनापति, मणिपुर	http://www.iiitmanipur.ac.in
9	आईआईआईटी कोटा, राजस्थान	http://www.iiitkota.ac.in/
10	आईआईआईटी श्रीरंगम तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु	http://www.iiitt.ac.in
11	आईआईआईटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	https://www.iiitl.ac.in/
12	आईआईआईटी कल्याणी, पश्चिम बंगाल	http://www.iiitkalyani.edu.in/

		वेवसाइट
13	आईआईआईटी पुणे, महाराष्ट्र	http://www.iiitp.ac.in/
14	आईआईआईटी रांची, झारखंड	http://iiitranchi.ac.in/
15	आईआईआईटी नागपुर, महाराष्ट्र	http://iiitn.ac.in/
16	आईआईआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश	https://iiitbhopal.co.in
17	आईआईआईटी सूरत, गुजरात	http://www.iiitsurat.ac.in/
18	आईआईआईटी भागलपुर, बिहार	https://iiitbh.ac.in
19	आईआईआईटी अगरतला, त्रिपुरा	https://iiitagartala.ac.in

5. योजना आवंटन–उच्चतर शिक्षा विभाग

राशि करोड़ में

योजना	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
पीपीपी मोड में आईआईआईटी की स्थापना	119.45	177.38	160
आईआईआईटी सीएफटीआई मोड	244.47	263.00	203.34

❖ ❖ ❖

15

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

देश में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए चेन्नई, भोपाल, कोलकाता और चंडीगढ़ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वायत्त सोसायटी के रूप में चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीटीटीआर) की स्थापना की गई थी। इन संस्थानों का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम और संस्थागत संसाधनों का विकास करना, राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और तकनीकी संस्थानों को संबंधित प्रक्रियाओं और उत्पादों, आदि को बेहतर बनाने में सहायता करना है।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, शामला हिल्स, भोपाल

1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक शुरु की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:

1. **प्रशिक्षण कार्यक्रम**– देश में सामान्य रूप से और विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, एनआईटीटीटीआर, भोपाल व्यवस्थित और पेशेवर रूप से उत्कृष्टता के लिए तकनीकी शिक्षकों और प्रशासकों (इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक) के लिए अल्पकालिक संविदा मोड प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ उपलब्ध कराता है।

   क) **संपर्क मोड में**– एनआईटीटीटीआर भोपाल ने कुल 60 प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन की योजना बनाई थी, जिनमें से 01 जनवरी से 31 मार्च के दौरान 38 साप्ताहिक थीं, 16 दो सप्ताह की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए थीं और 05 दो दिन और 01 एक दिवसीय कार्यशालाएं थीं। 2018 और इन प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं में देश भर से कुल 1283 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

   इसी तरह 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच कुल 184 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें से 101 एक सप्ताह के लिए थीं, 71 दो सप्ताह 02 तीन दिवसीय, 04 दो दिवसीय और 06 एक दिन की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं थीं, जिनमें पूरे देश से कुल 5469 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

   ख) **स्वयं एमओओसी परियोजना के माध्यम से**– देश के प्रतिष्ठित सेवारत और आकांक्षी तकनीकी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एनआईटीटीटीआर भोपाल द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्वयं मैसिव ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) के माध्यम से विकसित और प्रस्तावित छह पाठ्यक्रमों में अब तक 17000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग

लिया है। ये छह पाठ्यक्रम "एक्रिडिटेशन फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स (40 घंटे)", "एक्रिडिटेशन फॉर अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स (48 घंटे)", "इंजीनियरिंग शिक्षा में बुनियादी पाठ्यचर्या" (20 घंटे), "आईसीटी में शिक्षण और अधिगम (20 घंटे), "लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन (20 घंटे)", और "एक्रिडिटेशन फॉर पीजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स (20 घंटे)" सहित तकनीकी शिक्षा प्रणाली के व्यापक क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं। इस परियोजना में लगभग सभी संकाय सदस्य ई–सामग्री और वीडियो कार्यक्रमों को विकसित करने में योगदान दे रहे हैं।

2. **अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम– उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर 13–15 फरवरी, 2019 को हनोवर विश्वविद्यालय (एलयूएच) में इंडो–जर्मन कार्यशाला–** 13–15 फरवरी 2019 को एनआईटीटीटीआर, भोपाल और एलयूएच, हनोवर के बीच आगे सहयोग के लिए पहचान किए गए विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया गया। कार्यशाला में चर्चा के दौरान उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण, कार्यान्वयन और पाठ्यचर्या के आधार पर परिणाम आधारित पाठ्यक्रम, ग्रीन टीवीईटी विकास, शैक्षणिक नेतृत्व और संरचना निधि तथा कार्य निधि जैसे कुछ थीम/विषय सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में व्यावसायिक उच्चतर शिक्षा में एलयूएच में उभर कर सामने आए। इस संबंध को मजबूत करने के लिए एलयूएच, हनोवर द्वारा आयोजित कार्यशाला में निदेशक, एनआईटीटीटीआर, भोपाल सहित 05 प्रोफेसर के प्रतिनिधिमंडल और एलयूएच तथा संबंधित संस्थानों के 07 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दीर्घकालिक सहयोग के लिए विचार–विमर्श किया और विचार प्रस्तुत किए तथा संभावनाएँ व्यक्त कीं।

3. **अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रमः** संस्थान ने विदेश मंत्रालय के आईटीईसी के तहत निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं:

क) 24.09.2018 से 12.10.2018 तक 08 देशों के दस प्रतिभागियों के लिए 'इंस्ट्रक्शनल मैटेरियल डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स (ओईआर)'।

ख) 19.11.2018 से 30.11.2018 तक 09 देशों के तेरह प्रतिभागियों के लिए 'ग्रीन टीवीईटी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'।

ग) 10.12.2018 से 21.12.2018 तक 13 देशों के उन्नीस प्रतिभागियों के लिए 'तकनीकी शिक्षकों और प्रशासकों के लिए प्रबंधकीय कौशल'।

दुनिया के 30 देशों से कुल चौतीस प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4. **राष्ट्रीय परियोजनाएँ/कार्यक्रम/गतिविधियाँ**

i) **एमएचआरडी, भारत सरकार के पीएमएमएमएनएमटीटी के तहत शिक्षण अधिगम केन्द्र (टीएलसी)**

परियोजना: एनआईटीटीटीआर भोपाल इस राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य कर रहा है जिसमें शिक्षकों की शैक्षणिक और औद्योगिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की गई है और कार्यक्रमों की आयोजना की गई है। अब तक हमने एक संकाय इंडक्शन प्रोग्राम (एफआईपी), शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), मैकेनिकल, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एलआर विकास, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और आईटीईएस, तथा उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किए गए है। 24 शिक्षण संसाधनों (संदर्भ पुस्तकों) की तैयारी चल रही है। एनआईटीटीटीआर भोपाल के 11 संकाय सदस्य इस परियोजना में पूरी तरह से शामिल हैं। अब तक, 09 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें 434 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

ii) **श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू), गुरुग्राम और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)–** श्री अनंतकुमार हेगड़े, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री की उपस्थिति में 06 मार्च 2019 को एसवीएसयू और एनआईटीटीटीआर, भोपाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग का लक्ष्य विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संकाय, विशेषज्ञों और उद्योग भागीदारों को उद्देश्यपूर्ण रुप से जोड़ना सुनिश्चित करना है। यह सहयोग तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित दोनों संस्थानों के विजन और मिशन का समर्थन करना चाहता है, जो प्रारंभिक कार्यान्वयन और सहायक प्रथाओं के पोषण के माध्यम से विभिन्न क्षमता निर्माण सेवाओं और संसाधनों की पेशकश करता है। श्री अनंतकुमार हेगड़े ने एमओयू का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रयास कौशल भारत के दृष्टिकोण और मिशन को मजबूती प्रदान करने का एक अच्छा कदम है।

iii) **एनआरसी परियोजना:** एनआईटीटीटीआर भोपाल, 40 दिनों के पहले रिफ्रेशर कार्यक्रम के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में ''आकलन और मूल्यांकन' के क्षेत्र में एमएचआरडी की राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी) परियोजना का भी हिस्सा है और दिनांक 01.11.2018 को स्वयं प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। 300 से अधिक प्रतिभागी पहले से ही यह ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 11 संकाय सदस्य विभिन्न मॉड्यूल और संबंधित इकाइयों पर लगातार काम कर रहे हैं।

5. **अनुसंधान और विकास**– अनुसंधान परियोजना अवार्ड और निगरानी समिति की सिफारिशों पर 17 शोध परियोजनाओं को पहले चरण में संस्थागत निधियन प्रदान किया गया। ये 17 शोध परियोजनाएं भारत में तकनीकी शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर रही हैं और संस्थान के घोषित अधिदेश के तहत आती हैं। अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रण का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। अन्य अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मास्टर कार्यक्रम के माध्यम से शुरु की जाती हैं और बढ़ावा दिया जाता है और 6 पीएचडी तैयार हुए हैं तथा 6 पीएचडी शोधकर्ता तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर काम कर रहे हैं। रेलवे के लिए एक डीएसटी परियोजना भी शुरू की जा रही है।

6. **एमओओसी के माध्यम से एआईसीटीई शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना**–

   एनआईटीटी टीआर भोपाल, राष्ट्रीय स्तर की एआईसीटीई तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण परियोजना विकसित कर रहे परियोजना टीम का हिस्सा है, जिसमें निम्नलिखित तीन मॉड्यूल में फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (एफआईपी) की पहली अवधि के दौरान दिए जाने वाले निर्देशात्मक मॉड्यूल की व्यापक सामग्री है:

   मॉड्यूल 2: व्यावसायिक मूल्य, नैतिकता, पारिस्थितिकी और सतत विकास

   मॉड्यूल 4: निर्देशात्मक आयोजना और डिलीवरी

   मॉड्यूल 5: प्रौद्योगिकी सक्षम अधिगम और जीवन पर्यंत स्वाध्याय

7. **पाठ्यक्रम विकास**– एनआईटीटीटीआर, भोपाल ने 17 राज्यों और 153 पाठ्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए पाठ्यक्रम पुनः डिज़ाइन और संशोधन परियोजना के लिए अपने ग्राहक राज्यों को सहायता प्रदान की है। चूंकि ये प्रशिक्षण–सह–विकास कार्यशाला थीं, परिणाम आधारित पाठ्यक्रम के क्षेत्र में महाराष्ट्र में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 436 थी। छत्तीसगढ़ राज्य में, 16 कार्यक्रमों के लिए 146 पाठ्यक्रम फिर से डिज़ाइन किए गए थे और उस प्रक्रिया में परिणाम आधारित पाठ्यक्रम विकास के क्षेत्र में 297 शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया था।

8. **विस्तार सेवाएँ और परामर्श– सामुदायिक विकास परियोजना**– यह संस्थान पश्चिमी क्षेत्र में 97 सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से भारत सरकार की पॉलिटेक्निक योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास का समर्थन कर रहा है। संस्थान ने योजना की आयोजना और निगरानी के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्यों के पॉलिटेक्निक के लिए 4 सीडीटीपी कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिसमें 98 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

9. **दिव्यांग व्यक्ति संबंधी परियोजना**– संस्थान तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा (पीडब्ल्यूडी योजना) की मुख्य धारा में दिव्यांग व्यक्तियों को

एकीकृत करने के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु 14 पॉलिटेक्निकों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस परियोजना के तहत 1 कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 8 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थान ने सूचनाओं तक आसान पहुँच हेतु इस योजना के लिए वेबसाइट भी विकसित की है।

10. **प्रिंट सामग्री**– सभी संकाय सदस्य टीएलसी, एनआरसी और एमओओसी जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रिंट सामग्री के विकास में शामिल हैं। ये सभी अद्वितीय प्रिंट सामग्री भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के संदर्भ में इंजीनियरिंग शिक्षा के संबंध में तैयार की जा रही हैं।

एनआईटीटीटीआर भोपाल– नवंबर 2018 से मार्च 2019 तक संस्थान में गतिविधियां

बीओजी बैठक 03 नवंबर 2018

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2018

छात्रों द्वारा प्रतिभागिता रन फॉर डेमोक्रेसी 17 नवंबर 2018

ग्रीन टीवीईटी पर आईटीईसी टीओटी 19 नवंबर 2018

श्रीलंका प्रतिनिधि दौरा 29 नवंबर 2018

आईटीईसी 3 वेलेडिक्टरी 30 नवंबर 18

आईआईएम इंदौर में आईटीईसी 4 प्रतिभागी दौरा

आईटीईसी 4 और अन्य प्रतिभागी 21 दिसंबर 18

एसपीए भोपाल में हिंदी राजभाषा अर्द्धवार्षिक बैठक 21 दिसंबर 18

नेत्र जांच शिविर 21 जनवरी 19

गणतंत्र दिवस खेल 24 जनवरी 19

अकादमिक परिषद की बैठक 25 जनवरी 19

संगीत संध्या 25 जनवरी 19

ध्वजारोहण 26 जनवरी 19

मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच 26 जनवरी 19

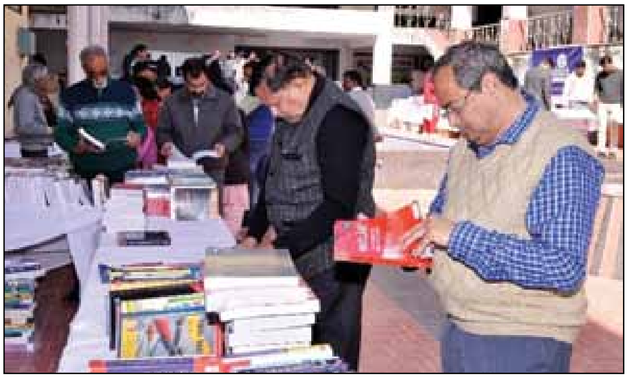

पुस्तक मेला 31 जनवरी 19

प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर लॉन्च 5 फरवरी 19

डॉ रोशन पॉल का दौरा 25 फरवरी 19

स्टूडियो में प्रो. डी एस चौहान की रिकॉर्डिंग 5 मार्च 19

महिला दिवस समारोह 11 मार्च 19

एनआईईपीए प्रतिभागी दौरा 26 मार्च 19

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

1 जनवरी 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान संस्थान की उपलब्धियों का सारांश

संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक के संकाय और उद्योग के कामकाजी पेशेवरों और कर्मचारियों के लिए अनुकूलित संकाय विकास कार्यक्रम चलाता है। जनवरी 2018 से मार्च 2019 तक, **396** अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और **21520** व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थान ने एमओओसी के माध्यम से 4 पाठ्यक्रम लॉन्च किए और इन एमओओसी पाठ्यक्रमों में नामांकित कुल **4539** प्रतिभागियों ने भाग लिया। संस्थान ने **38** सम्मेलन / कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ आयोजित कीं जिनमें **3756** व्यक्तियों ने भाग लिया। संस्थान ने सीपीएससी मनीला के सहयोग से स्किल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दीर्घकालिक कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, संस्थान मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग का संचालन करता है, दोनों नियमित और मॉड्यूलर मोड में, जिसमें **2017–18** में **87** छात्र (नियमित) और **96** छात्र (मॉड्यूलर) पंजीकृत थे। वर्ष **2018–19** के दौरान, नियमित रूप से **53** छात्रों और मॉड्यूलर मोड में **55** छात्रों को पंजीकृत किया गया था।

संस्थान ने तीन उभरते क्षेत्रों– कृत्रिम बुद्धिमत्ता में विशेषज्ञता सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एम.ई., रोबोटिक्स में विशेषज्ञता सहित मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम.ई.; और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में विशेषज्ञता सहित कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एम.ई. में उद्योगों के साथ सहयोग से नए एम.ई. कार्यक्रम शुरू करने हेतु पहल की थी।

इस अवधि के दौरान **164** एम.ई. थीसिस वाइवा आयोजित किए गए थे और पीएचडी कार्यक्रम में, **67** विद्वानों को नामांकित किया गया है तथा **10** को पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। विभिन्न प्रशिक्षणों में छात्रों की सहायता के लिए, **21** कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों से **3012** छात्र लाभान्वित हुए।

राष्ट्र के डिजिटल मिशन का समर्थन करने के लिए, **राष्ट्रीय संसाधन केंद्र** के तहत, 'रियल टाइम पावर सिस्टम विश्लेषण और स्मार्ट ग्रिड' संबंधी स्वयं, अर्पित पाठ्यक्रम के लिए एमओओसी लॉन्च किया गया। पाठ्यक्रम को **1578** नामांकन के साथ **5** में से **4.9** की रेटिंग प्राप्त है।

स्वयं के तहत एमओओसी के लिए और एनसीटीईएल के लिए डिजिटल अधिगम पहल के एक हिस्से के रूप में, **408** वीडियो फिल्मों का निर्माण किया गया। संस्थान ने **12 रीडर्स / मॉड्यूल** और **3 टेक्स्ट बुक / लैब मैनुअल** को भी तैयार किया। इस अवधि के दौरान संस्थान ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय पत्रिकाओं में **165 शोध पत्र** प्रकाशित किए, जिनमें से **48 विज्ञान / थॉमसन / स्कोपस सूचकांक में और 65 यूजीसी द्वारा अनुमोदित पत्रिकाओं** में प्रकाशित हुए। शेष समान तरह की समीक्षा की गई पत्रिकाओं में थे। संकाय सदस्यों ने देश के बाहर सम्मेलनों में **6 पत्र** प्रस्तुत किए।

संस्थान को **14.98 लाख रुपये** का अनुसंधान प्रोत्साहन योजना अनुदान, **5.00 लाख रुपये** का सम्मेलन अनुदान, **3.10 लाख रुपये** का संकाय विकास कार्यक्रम अनुदान और एआईसीटीई, नई दिल्ली से **2.08 लाख रुपये** का अल्पकालिक प्रशिक्षण

कार्यक्रम अनुदान प्राप्त हुआ। संस्थान को मेइटी, नई दिल्ली से तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अग्रिम साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला पर अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए **62.00 लाख रुपये** की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

संस्थान को **एक पेटेंट से सम्मानित** किया गया और संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्य के लिए **एक पेटेंट** दायर किया गया है।

एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ को एआईसीटीई–आईएनएई स्कीम के तहत आईएनएई विशिष्ट विजिटिंग प्रोफेसर होने का सौभाग्य मिला। **समीर (एसएएमईईआर) के पूर्व निदेशक डॉ. एएल दास** को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। उद्योग–अकादमिक संपर्क के साथ एक पहल के रूप में, संस्थान ने सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, मोहाली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

उद्योग के साथ मजबूत संबंध विकसित करने और अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल के रूप में, संस्थान ने विभिन्न संगठनों और वित्तपोषण एजेंसियों को **7 प्रस्ताव** प्रस्तुत किए।

संस्थान के पाठ्यक्रम विकास केंद्र ने **1 एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रम** विकसित किया और **5 पाठ्यक्रम** यूपी और पंजाब राज्यों के लिए और महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, बटिंडा जैसे तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए भी डिज़ाइन किए गए थे। एआईसीटीई नई दिल्ली के अनुरोध पर संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, रोबोटिक्स, ब्लॉक चेन, डेटा साइंस आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर **9** पाठ्यक्रम तैयार किए, जो माननीय सचिव, एमएचआरडी द्वारा जारी किए गए थे।

इस वर्ष के दौरान संस्थान के संकाय अपनी विशेषज्ञता के बल पर **कंसल्टेंसी** के रुप में **4.95 करोड़** की राशि प्राप्त कर चुके हैं।

स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के राष्ट्रीय मिशनों का समर्थन करने के लिए, एनआईटीटीआर, चंडीगढ़ ने पीजी स्तर के एमई/एमटेक/ तकनीकी छात्रों के लिए "टेक स्पर्धा2के18" का आयोजन किया, ताकि उनके ज्ञान का लाभ उठाया जा सके। देश भर से **28 पंजीकृत टीमों ने 30 घंटे** तक प्रतिस्पर्धा की, जिसे उद्योग समूह द्वारा आंका गया था।।

संस्थान में 01 सितम्बर से 30 सितम्बर 2018 तक सितम्बर माह को हिन्दी माह के रूप में मनाया गया। दिनांक 26.9.2018 को वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस माह के दौरान हिन्दी सुलेख, हिन्दी शब्द–ज्ञान, हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी टाइपिंग, हिन्दी नोटिंग, हिन्दी उच्चारण एवं हिन्दी कविता पाठ नामक 07 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें संस्थान के 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कुछ कार्यक्रमों की तस्वीरें

महामहिम वीपी सिंह बदनौर, राज्यपाल, पंजाब संबोधित करते हुए । विकसित गाँव विकसित राष्ट्र (संसद आदर्श ग्राम योजना) की बोर्ड मीटिंग में श्री मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी

डॉ. के.के. तलवार, अध्यक्ष, बीओजीएस, एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर टेकस्पर्धा 2 के 118– प्रोटोटाइप विकास पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए । प्रो. अनिल डी सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष एआईसीटीई ने इस अवसर पर 5–7 सितंबर, 2018 तक दौरा किया

एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ में 18–22 फरवरी, 2019 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकारियों के लिए रोजगार के लिए कौशल विकास पर सीपीएससी–एनआईटीटीटीआर सहयोगात्मक क्षेत्रीय कार्यक्रम

उभरते क्षेत्रों में एआईसीटीई पाठ्यक्रम डिजाइन संबंधी कार्यशाला।

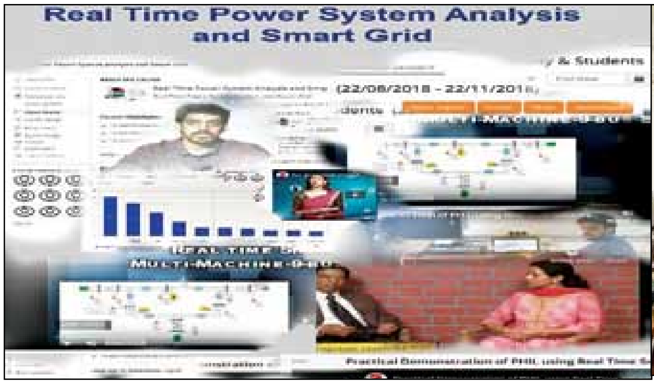

एनआरसी के तहत एमओओसी कोर्स को 5 में से 4.9 की रेटिंग प्राप्त

हरित कौशल विकास कार्यक्रम (एमओईएफ एंड ईसी) के तहत सौर ऊर्जा में तकनीकी ज्ञान को बनाए रखने और बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

संस्थान की गतिविधियों का सार अप्रैल 2018–मार्च 2019

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) चेन्नई कुछ क्षेत्रों नामतः (i) संकाय विकास कार्यक्रम, (ii) ओवरसीज़ प्रशिक्षण कार्यक्रम, (iii) पाठ्यक्रम विकास, (iv) निर्देशात्मक संसाधन विकास, (v) अनुसंधान और परामर्श परियोजना क्षेत्रों में सेवाएं देने की पहल करता है। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में गतिविधियों का सार नीचे दिया गया है:

निर्देशात्मक संसाधन विकास

विकास अधिगम सामग्री इस संस्थान के अधिदेश में से एक है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रिंट और वीडियो प्रारूप के रूप में लगभग 65 पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई हैं। स्वयं एमओओसी संस्थान ने चार चतुर्थांश एप्रोच का उपयोग करके आईआरडी विकसित किया। 40 घंटे की अवधि के कुल पांच पाठ्यक्रम विकसित किए गए थे।

प्रवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम

पिछले 36 वर्षों से, एनआईटीटीटीआर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान 59 देशों के 351 प्रतिभागियों के साथ सोलह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अलावा, संस्थान ने 16 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ देश के कार्यक्रम में सीपीएससी का समन्वय भी किया।

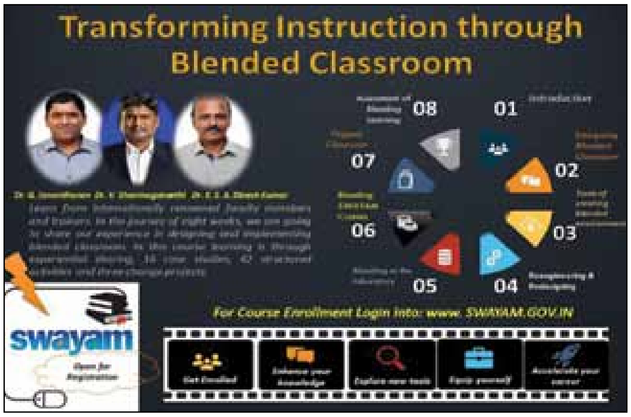

संकाय विकास कार्यक्रम

संस्थान तकनीकी शिक्षकों के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। 18 अप्रैल– मार्च 2019 की अवधि के दौरान, हमने लगभग 4802 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

प्रशिक्षण के अलावा, संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा अनुसंधान में भी शामिल है। वर्तमान में 17 विद्वान कार्यरत हैं।

सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन/संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय

कुल 1890 प्रतिभागियों के साथ राष्ट्रीय, सामाजिक और तकनीकी महत्व के विषय पर 18 क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला और संगोष्ठी आयोजित की गई।

देश के महत्वपूर्ण दिनों से संबंधित कुल 13 दिवस मनाए गए थे

(क) आतंकवाद विरोधी दिवस

(ख) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

(ग) स्वतंत्रता दिवस

(घ) हिंदी पखवाड़ा

(ङ) स्वच्छता ही सेवा

(च) सर्जिकल स्ट्राइक डे

(छ) महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ

(ज) राष्ट्रीय एकता दिवस

(झ) सतर्कता जागरूकता सप्ताह

(ञ) राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

(ट) संविधान दिवस

(ठ) संस्था दिवस

22 जुलाई 2018 को माननीय राज्य मंत्री डॉ. सत्य पाल सिंह द्वारा ''इंटरनेशनल हॉल ऑफ रेजिडेंसी'' के निर्माण की आधारशिला रखी गई।

पाठ्यक्रम विकास

संस्थान समय–समय पर आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम को संशोधित करने संबंधी कार्य से जुड़ा है। अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई के तहत "इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट" विषय पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए मास्टर्स कार्यक्रम को विकसित और पेश किया गया है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम डिजाइन के अलावा, संस्थान ने डीटीई, तेलंगाना राज्य, अन्ना विश्वविद्यालय के लिए भी अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाया।

अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएँ

संस्थान ने ज्ञान समाज के विकास के लिए संकाय सदस्यों की तकनीकी विशेषज्ञता में योगदान करने के लिए विभिन्न अनुसंधान और परामर्श परियोजनाएं शुरू की हैं। इस संबंध में, हमारे संकाय सदस्यों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित चार अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं। हमारे संस्थान को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के लिए स्वयं के तहत एक राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नामित किया गया था और सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के तहत राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के रूप में भी पहचान की गई

थी। कुल अनुसंधान परियोजनाएँ 5.31 करोड़ रुपए की हैं। अनुसंधान परियोजनाओं के अलावा, संकाय सदस्यों ने 41.80 लाख रुपए की परामर्शी परियोजनाएं भी शुरु की थीं, जिसे डीएसटी–एनआईएमएटी, एनआईडब्ल्यूई, यूबीए, तमिलनाडु रोड सेक्टर प्रोजेक्ट, तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड और लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

संस्थान में निष्पादित विभिन्न गतिविधियों पर रिपोर्ट।

I. **प्रशिक्षण उपलब्धि रिपोर्ट:**

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान, संस्थान ने देश भर के विभिन्न पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संगठन के 14305 संकाय सदस्यों, अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 204 शॉर्ट–टर्म, इन–हाउस ट्रेनिंग और ई–लर्निंग (आईसीटी मोड) कार्यक्रम आयोजित किये हैं।

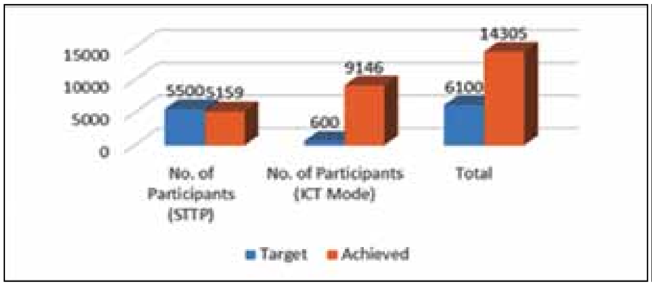

2018–19 में लक्षित बनाम संचालित एसटीटीपी में प्रतिभागी

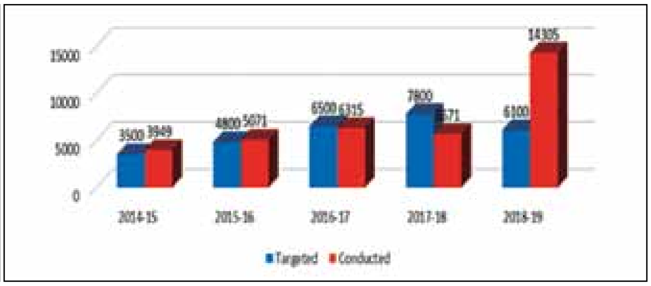

पिछले 5 वर्षों में आयोजित एसटीटीपी में प्रतिभागियों पर तुलनात्मक अध्ययन।

II. **अन्य शैक्षिक उपलब्धि रिपोर्ट:**

क) एनआईटीटीटीआर, कोलकाता ने वार्षिक रुप से तकनीकी शिक्षा पर कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई है। इस उद्देश्य के साथ संस्थान ने 07–09 अप्रैल, 2018 को कोहिमा, नागालैंड में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रणाली पर चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन तकनीकी शिक्षा निदेशकों और/या उनके प्रतिनिधियों, राज्य अधिकारियों, उत्तर पूर्वी राज्यों के पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों, बीओजी सदस्यों, संयुक्त सचिव, एमएचआरडी, भारत सरकार, एनआईटीटीटीआर के संकाय और सहायक कर्मचारी द्वारा किया गया था।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तकनीकी शिक्षा प्रणाली पर चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला	पाठ्यक्रम संशोधन कार्यशाला

ख) नागालैंड राज्य के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 13–15 जून 2018 के दौरान और सीसीसीटी, सिक्किम के लिए 27–29 नवंबर, 2018 के दौरान पाठ्यक्रम संशोधन कार्यशाला आयोजित की गई थी।

ग) पास आउट छात्रों के समुचित प्रशिक्षण और प्लेसमेंट को ध्यान में रखते हुए, 4–5 अक्टूबर 2018 के दौरान "पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में वर्तमान चुनौतियां" (उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष जोर सहित) पर एक विशेष कार्यशाला सरकारी पॉलिटेक्निक, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी।

दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में कार्यशाला, 4–5 अक्टूबर 2018

पॉलिटेक्निक के लिए दूसरी राष्ट्रीय नवाचार प्रतिभा प्रतियोगिता

घ) छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी कर्मचारियों के बीच कौशल प्रशिक्षण में प्रेरणा सुनिश्चित करने और उद्योग में बेहतर अनुप्रवाह नवाचार और उत्पादकता के लिए नवाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 23–24 फरवरी 2019 को पॉलिटेक्निक के लिए दूसरी राष्ट्रीय नवाचार प्रतिभा प्रतियोगिता (एनआईटीसीपी) आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में देश भर के कुल 39 पॉलिटेक्निकों ने भाग लिया।

ङ) तकनीकी शिक्षा प्रणाली के वर्तमान युग में शिक्षकों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) कार्यशाला 12 मार्च 2019 को आयोजित की गई थी।

च) 04–08 फरवरी, 2019 के दौरान अनुप्रयुक्त मशीनी अधिगम पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था

III. विभिन्न गतिविधियों से संबंधित फोटो गैलरी:

आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन 21 मई, 2018

02 जून और 27 नवंबर, 2018 को बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक

डीटीई कार्यशाला 2 जून, 2018

5 जून, 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

30 जून, 2018 को जीएसटी पर वार्ता का आयोजन

15 जून, 2018 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भाग लेते हुए

21 जून, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

15 अगस्त, 2018 को 72 वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन

17 अगस्त, 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में शोक सभा

05 सितंबर, 2018 को शिक्षक दिवस का आयोजन

24 से 25 सितंबर, 2018 तक स्वच्छ भारत पखवाड़ा का आयोजन

26 सितंबर, 2018 को सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा का आयोजन

30 अक्टूबर, 2018 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

31 अक्टूबर, 2018 को सरदार वल्लभभाई पटेल की वर्षगांठ: रन फॉर यूनिटी का आयोजन

11 जनवरी, 2019 को 55 वें स्थापना दिवस पर गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन

26 जनवरी, 2019 को गणतंत्र दिवस समारोह

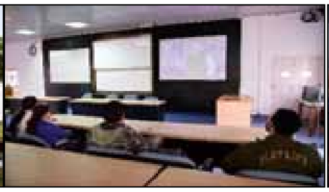

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा विषय पर 29 जनवरी, 2019 को संबोधन

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपने जीवन का बलिदान देने वालों की याद में 30 जून, 2019 को 2 मिनट का मौन धारण करना

04–08 फरवरी, 2019 के दौरान एप्लाइड मशीन लर्निंग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

❖ ❖ ❖

16

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय

वास्तुकला परिषद्

1. भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा अधिनियमित वास्तुविद अधिनियम, 1972 जो 1 सितंबर, 1972 को लागू हुआ था, के प्रावधानों के तहत वास्तुकला परिषद (सीओए) का गठन किया गया है। यह अधिनियम वास्तुकला पंजीकरण और जुड़े हुए मामलों के लिए प्रावधान करता है। सीओए में पंजीकृत कुल वास्तु संख्या लगभग 99301 है।

2. सीओए, वास्तुकला रजिस्टर के अनुरक्षण के अलावा, विशेषज्ञों की समितियों के माध्यम से निरीक्षण करने के जरिए अधिनियम के तहत आवधिक रुप से मान्यता प्राप्त योग्यताओं के मानकों के रखरखाव की देखरेख करता है। निरीक्षणों के आधार पर, सीओए, संस्थानों द्वारा अनुरक्षित मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में उपयुक्त सरकारों को अभ्यावेदन दे सकता है। उपयुक्त जांच के बाद, जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, उपयुक्त सरकारों और वास्तुकला संस्थानों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को वास्तु योग्यता की गैर–मान्यता संबंधी अधिसूचना को अधिसूचित करने से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता है। किसी भी वास्तुकला योग्यता को अधिसूचित करने से पहले सीओए की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता है जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत मान्यता दी गई हैं।

3. इसके तहत तैयार अधिनियम और विनियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, परिषद ने निम्नलिखित सांविधिक समितियों का गठन किया है:

(i) कार्यकारी समिति का गठन अधिनियम की धारा 10 के तहत किया गया है और यह परिषद के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।

(ii) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वास्तुकला नियम परिषद के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अनुशासन समिति का गठन किया जाता है। यह समिति शिकायतों की जांच करती है और वास्तुकला के पेशेवर कदाचार से संबंधित जाँच करती है और वास्तुकला अपराध पर निर्णय लेने के लिए परिषद को अपनी सिफारिशें देती है।

(iii) सलाहकार समिति (अपील) उन आवेदकों की अपीलें सुनती है जिनके पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

(iv) विदेशी योग्यता संबंधी उप–समिति विदेशी योग्यताओं की मान्यता के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच करती है।

(v) जाँच समिति नए संस्थानों से बी. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए और मौजूदा संस्थानों से अनुमोदन/अतिरिक्त इनटेक के विस्तार के लिए प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की जांच करती है।

योजना और वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली

1. वैश्विक प्रतिष्ठा का एक संस्थान, योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), दिल्ली भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्याधुनिक योजना, वास्तुकला तथा डिजाइन समाधान, और परामर्श और अनुसंधान वातावरण प्रदान कर रहा है। एसपीए की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने संसद के योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) अधिनियम, 2014 के तहत स्कूल को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' का दर्जा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके अकादमिक क्षितिज को व्यापक बनाने और वास्तुकला, योजना और संबद्ध गतिविधियों में अनुसंधान और नवाचार शुरु करने में विद्यालय को सक्षम बनाना।

2. स्कूल में दो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ प्लानिंग हैं। इसके अलावा, स्कूल योजना, वास्तुकला और डिजाइन में दस स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। ये स्नातकोत्तर कार्यक्रम वास्तुकला संरक्षण, पर्यावरण योजना, औद्योगिक डिजाइन, आवास, शहरी डिजाइन, क्षेत्रीय योजना, परिवहन योजना, शहरी योजना, लैंडस्केप वास्तुकला और भवन इंजीनियरिंग और प्रबंधन हैं। इसके अलावा, स्कूल के सभी अध्ययन विभाग 1985 से डॉक्टरेट कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। सत्र 2018—19 के दौरान, स्कूल में 114 छात्रों को वास्तुकला में स्नातक, 30 को योजना में स्नातक और विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 214 को प्रवेश दिया गया। योजना और वास्तुकला में विषय क्षेत्रों की विविधता को कवर करते हुए अध्ययन के विभिन्न विभागों में कुल 101 डॉक्टरेट विद्वान काम कर रहे हैं।

3. शिक्षण के अलावा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, स्कूल का दूसरा मुख्य क्षेत्र है। वर्ष 2018—19 में, पिछले वर्षों की तरह, कई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को उल्लेखनीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा डिज़ाइन किया गया था जैसे नॉर्वे रिसर्च काउंसिल द्वारा प्रायोजित डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर, क्लाईमेट्रांस, यूजीसी—यूकीरी द्वारा प्रायोजित एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स और अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आदि।

4. स्कूल का तीसरा मुख्य क्षेत्र व्यावसायिक परामर्श है। स्कूल विभिन्न स्तरों पर राज्य और केंद्र सरकार को और निजी क्षेत्रों को भी कला परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2018— 2019 में, एसपीए नई दिल्ली को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे नदीतट विकास, विरासत प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, राजमार्ग विकास, हर्बल उद्यानों की डिजाइन, आदि से संबंधित कई परामर्शी परियोजनाओं की पेशकश की गई। वर्ष 2018—19 के दौरान विद्यालय को परामर्शी शुल्क के रुप में 3,52,48,361.00 रुपए प्राप्त हुए।

योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा

1. योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा (एसपीएवी) 7 जुलाई, 2008 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना और वास्तुकला के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) अधिनियम, 2014 के तहत, स्कूल को 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है।

2. एसपीए विजयवाड़ा योजना और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में स्कूल दो विभाग (1) वास्तुकला विभाग और (2) योजना विभाग चलाता है। कुल दो अवर स्नातक डिग्री प्रोग्राम,

पांच स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टोरल प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2008–09 में दो अवर स्नातक कार्यक्रमः दो विभागों में प्रत्येक में एक–एक शुरू किया गया था।

3. स्कूल द्वारा अकादमिक वर्ष 2013–14 और 2014–15 में निम्नलिखित तीन स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरु किए गए थेः

   (i) योजना (पर्यावरण आयोजन और प्रबंधन) में मास्टर

   (ii) योजना (शहरी और क्षेत्रीय योजना) में मास्टर और

   (iii) वास्तुकला (सतत वास्तुकला) में मास्टर

   स्कूल द्वारा अकादमिक वर्ष 2018–19 से निम्नलिखित दो नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरु किए गए हैंः

   (i) योजना (परिवहन और अवसंरचना योजना) में मास्टर

   (ii) वास्तुकला (लैंडस्केप वास्तुकला) में मास्टर

4. स्कूल ने अपनी गतिविधियों को हाल ही में अपने स्थायी परिसर में स्थानांतरित कर दिया और नए परिसर में मुख्य शैक्षणिक और प्रशासनिक ब्लॉक के लिए लगभग 30,000 वर्ग मीटर, बॉयज हॉस्टल के लिए 14,000 वर्ग मीटर, गर्ल्स हॉस्टल के लिए लगभग 6200 वर्ग मीटर और लगभग 4300 वर्ग मीटर के एक डाइनिंग कम विजिटिंग गेस्ट हाउस के कुल निर्मित क्षेत्र समायोजित किए गए हैं।

5. एसपीए, विजयवाड़ा का शैक्षणिक फोकस और दृष्टिकोण, सामाजिक उद्देश्य के साथ डिजाइन, रचनात्मकता और वस्तुनिष्ठता का एक अनूठा मिश्रण है। छात्र न केवल आवश्यक कौशल सीखते हैं, बल्कि स्टूडियो, फील्ड ट्रिप और अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से विचारोत्तेजक और बौद्धिक रूप से प्रेरणादायक सत्रों से भी अवगत होते हैं, जो उनमें रचनात्मक श्रेष्ठता को सामने लाता है। संस्थान ज्ञान क्षेत्र की प्रगति के लिए स्वतंत्र और विद्वतापूर्ण योगदान को विकसित करने की दृष्टि से अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

6. एसपीए, विजयवाड़ा के संकाय ने अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों के संवर्धन में योगदान दिया है। स्कूल में योजना, वास्तुकला और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले प्रख्यात शिक्षकों का एक गतिशील मिश्रण है। संकाय सदस्य स्कूल के शिक्षाविदों, अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगातार शामिल होते हैं।

7. एसपीए, विजयवाड़ा ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं और सहायता सुविधाओं की स्थापना की है। मौजूदा अवसंरना जैसे ऑटोकैड लैब, मटीरियल म्यूजियम, ए–व्यू रूम, कंस्ट्रक्शन यार्ड और आर्ट लैब के अलावा कंप्यूटर सेंटर, मटेरियल टेस्टिंग लैब, क्लाइमेटोलॉजी सह पर्यावरण लैब, सेंट्रल लाइब्रेरी, जीआईएस लैब जैसी सुविधाओं को विकसित किया गया है।

योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल

1. एसपीए भोपाल की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में की गई थी। योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) अधिनियम, 2014 के तहत, स्कूल को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में घोषित किया गया है और पहले से ही भौरी, भोपाल में स्थित अपने नए स्थायी परिसर से अपने शैक्षणिक कार्य शुरू कर दिए हैं। स्कूल वैश्विक मानकों के भौतिक और सामाजिक–पर्यावरणीय विकास की चुनौतियों

का सामना करने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद और योजनाकार तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2008—09 के बाद से, एसपीए भोपाल .यूजी स्तर पर वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में स्नातक स्तर के कार्यक्रम चला रहा है और निम्नलिखित स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहा है:

(i) शहरी डिजाइन में एम.आर्क

(ii) शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में एम. प्लॉन

(iii) लैंडस्केप वास्तुकला में मास्टर,

(iv) वास्तुकला संरक्षण में मास्टर

(v) पर्यावरण योजना में मास्टर

(vi) मास्टर ऑफ डिजाइन

(vii) मास्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट

सत्र 2018—19 के दौरान, विद्यालय ने विभिन्न स्नातक कार्यक्रमों में 104 और विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 137 छात्रों को दाखिला दिया।

2. योजना और वास्तुकला विद्यालय,, भोपाल पिछले पांच वर्षों से अनुसंधान और परामर्श कार्य कर रहा है। स्थायी आयोजना, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और सार्वभौमिक डिजाइन के क्षेत्र में अनुसंधान पहल, संस्थान के प्रमुख अनुसंधान डोमेन के रूप में उभरे हैं।

3. वर्ष के दौरान एसपीए, भोपाल द्वारा प्राप्त कुछ अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

(i) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम के साथ पहले मॉडल ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना की तैयारी।

(ii) तमिल मंदिर नगरः संरक्षण और प्रतिवाद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और कला एवं मानविकी अनुसंधान परिषद (एएचआरसी) द्वारा प्रायोजित।

(iii) ईआरसी परियोजना सीमाओं के लिए विदर्भ स्थलः मानसर और भिवेकुंड का सर्वेक्षणः धर्म, क्षेत्र और भाषा तथा स्टेट ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन यूके।

❖ ❖ ❖

17

आईसीसी और यूनेस्को

आईसीसी और यूनेस्को

मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की गतिविधियों में सहयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। यूनेस्को (आईएनसीसीयू) के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग में शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पांच उप–आयोग शामिल हैं। माननीय शिक्षा मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और सचिव (उच्चतर शिक्षा) इसके पदेन महासचिव हैं।

आईएनसीसीयू की शिक्षा पर उप आयोग की बैठक सचिव (एचई) की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर, 2018 शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थीबैठक में महत्वपूर्ण सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय के प्रतिनिधियों और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया।बैठक का प्राथमिक फोकस विचारों और सुझावों को तैयार करना था, क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली यूनेस्को के सहयोग से कैसे लाभान्वित हो सकती है।

यूनेस्को, पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधिमंडल

I. कार्यकारी बोर्ड का 204 वां सत्र।

एजेंडे पर 33 मद के साथ 4–17 अप्रैल 2018तक कार्यकारी बोर्ड का 204 सत्र आयोजित किया गया था। बोर्ड की प्रस्तावना के अनुसार, विभिन्न समिति और परंपराओं की बैठक 4 से 6 अप्रैल और प्लेनरी सत्र 9 अप्रैल 2018को आयोजित किया गया। सुश्री ऑड्रे आजोले, यूनेस्को के महानिदेशक और प्रतिनिधि सदस्य राज्य ने सत्र में भाग लिया।जेएस राजपूत, कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि ने प्लेनरी सत्र में अपना भाषण दिया।प्रोफेसर राजपूत ने अपने भाषण में रणनीतिक परिवर्तन, जिसे यूनेस्को ने स्वीकार किया है और इस संबंध में भारत का दृष्टिकोण के बारे में बात की है,उन्होंने महात्मा गांधी की विरासत के 150 साल पूरे होने के उत्सव के बारे में, गांधीवादी दर्शन के बारे में, यूनेस्को मंडनजीत पुरस्कार के बारे में, भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रम पहल और एसडीजी 2030 के साथ उनकी आस्था, शांति और सतत विकास के लिए महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के योगदान के बारे में बात की। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों के एक श्लोक के साथ अपना हस्तक्षेप समाप्त कर दिया।

सत्र के दौरान 33 एजेंडा मद और कार्यक्रम, प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों की देखरेख करने वाले विभिन्न आयोगों पर चर्चा की गई और उनकी रिपोर्ट को अंतिम प्लेनरी सत्र में अपनाया गया।सत्र का प्रमुख अंश नीचे दिया गए है। ईएक्सबी का 204 सत्र 17 अप्रैल 2018 को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था।

ईएक्सबी के 204वें सत्र की मुख्य बातें

i. मद 31: यूनेस्को के रणनीतिक परिवर्तन (संयुक्त) के चरण

इस मद पर मसौदा प्रस्ताव यूनेस्को के उप महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जारी

बहस में, उन देशों के बीच एक स्पष्ट विभाजन था जो अपने मूल रूप में मसौदा प्रस्ताव का समर्थन करते थे और जो सदस्य राज्यों के साथ परामर्श के लिए स्पष्ट तंत्र सहित प्रमुख संशोधन चाहते थे और इस बात का स्पष्ट ब्रेकडाउन कि धन कैसे खर्च किया जाएगा।

इन मतभेदों के बावजूद, इस तथ्य पर सर्वसम्मति थी कि सचिवालय को परिवर्तन प्रक्रिया में सदस्य राज्यों और उनके राष्ट्रीय आयोगों को सक्रिय और सार्थक तरीके से शामिल करना चाहिए।

ii. **मद 20 भाग II– बी: 38सी/5 व्यय योजना के तहत शेष अनिर्दिष्ट नियमित बजट निधि को आगे ले जाने की स्थिति पर महानिदेशक की रिपोर्ट और अनिर्दिष्ट शेष के उपयोग के लिए प्रस्ताव**

बड़ी संख्या में सदस्यों ने डीजी के प्रस्तावों का स्वागत किया, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टेटिस्टिक्स (यूआईएस) के सुदृढीकरण के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर और जनरल प्रोजेक्ट ऑफ़ अफ्रीका प्रोजेक्ट को 0.58 मिलियन अमरीकी डॉलर का आवंटन किया गया। मद 31 पर बहस और संबंधित निर्णय की मंजूरी के बाद, मद 20 को संशोधनों के साथ अपनाया गया।

iii. **यूनेस्को– विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए कलिंग पुरस्कार (पीएक्स)**

यूनेस्को– कलिंग पुरस्कार सबसे पुराना यूनेस्को पुरस्कार है और 1951 में शुरू किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, उड़ीसा सरकार और कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित है।यह एजेंडा के मद 9 के रूप में जांचा गया था, जिसे बिना किसी बहस के प्रस्तावित किया गया था।

यूनेस्को ने मूल्यांकन के सुझाव के अनुसार, पुरस्कार की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए। भारत सरकार और दानदाताओं के वित्तीय योगदान और पुरस्कार की मात्रा को 20,000 डॉलर से बढ़ाकर + 40,000 दो गुणा करने के लिए आभार व्यक्त किया।

iv. **5-II बी संसाधन जुटाना रणनीति और वार्षिक संरचित वित्त पोषण संवाद (पीजी, ज्वाइंट)**

यह मद यूनेस्को के गहरे वित्तीय संकट और यूनेस्को द्वारा इससे उबरने की योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। महानिदेशक के प्रतिनिधि ने 2018–2019 के लिए अंतिम ड्राफ्ट रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी को कवर करते हुए दस्तावेज पेश किया, जो फंडिंग गैप के भरने और विकास पर एक अपडेट और स्ट्रक्चरड फाइनेंसिंग डायलाग की पार्टनर्स मीटिंग की एक रूपरेखा है।उनकी प्रस्तुति के बाद, और सवालों और अभाव में, आयोग ने निर्णय की जांच की, जिसे संशोधनों के साथ अपनाया गया।

v. **मद 32: मोसुल भावना को पुनर्जीवित करना: संस्कृति और शिक्षा के माध्यम से मोसुल शहर की बहाली – इराक की बहाली के केंद्र में मानव आयाम (पीएक्स)**

वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की निदेशक सुश्री रॉसलर ने संस्कृति के कार्यवाहक एडीजी क्षमता से

सदस्य राज्यों को मोसुल पहल के लिए समर्थन हेतु धन्यवाद दिया, जिसमें सांस्कृतिक विरासत की बहाली, हिंसक चरमपंथ के खिलाफ शिक्षा और रोजगार सृजन करना शामिल है, और मोसुल शहर के भविष्य और समग्र रूप से इराक की बहाली के लिए इसकी महता का स्मरण दिलाया।

आयोग ने घोषणा द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

vi. मद 8: मेमोरी ऑफ़ द वर्ल्ड प्रोग्राम (पीएक्स) की व्यापक समीक्षा के लिए मसौदा कार्य योजना

मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम (एमओडब्ल्यू) की व्यापक समीक्षा के लिए ड्राफ्ट योजना पर मद 8 की शुरुआत करते हुए, उप महानिदेशक, संचार और सूचना ने कार्यवाहक सहायक महानिदेशक की क्षमता से, प्रस्तावित कार्य योजना की पृष्ठभूमि और औचित्य के बारे में विस्तार से बताया।

आगामी बहस में, तेईस सदस्यीय राज्यों ने अपने विचारों और चिंताओं को व्यक्त करने के लिए वे कई बार मंच पर आए। भारत ने और अधिक राजनीतिकरण से बचने के लिए समीक्षा प्रक्रिया में सदस्य राज्योंके नामांकन साथ ही अभिलेख चरण दोनों के साथ अधिक से अधिक भागीदारी और सचिवालय द्वारा प्रस्तावित ऑनलाइन परामर्शों से परे जाकर खुला और विस्तृत परामर्श देने केलिए भी तर्क दिया।

भारत को आगामी महीनों में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की समीक्षा प्रक्रिया में खुद को करीब से शामिल करने की आवश्यकता होगी।

vii. मद 7: नए यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क्स (पीएक्स) के नामांकन

मद 7 को बिना किसी बहस के प्रस्तावित किया गया।विज्ञान के लिए सहायक महानिदेशक ने आयोग को सूचित किया कि इस नेटवर्क में अब 38 देशों में 140 यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क शामिल हैं।

viii. मद 5.1 डी: ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया (यूक्रेन) (पीएक्स) में स्थिति पर अनुवर्ती कार्रवाई

विदेश संबंध के लिए कार्यवाहक सहायक महानिदेशक, श्री निकोलस कासियानाइड्स ने सदस्यों को याद दिलाया कि संबंधित बोर्ड के निर्णय को आगे कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न तंत्रों के माध्यम से सभी संबंधित के साथ निरंतर बातचीत की गई है।

बहस के दौरान बोर्ड के दो सदस्य मंच पर आए।जैसा कि इस मद का स्वरूप रहा है, रूसी प्रतिनिधि ने इस मद पर आयोग की चर्चा को तत्काल बंद करने का अनुरोध किया।यह प्रस्ताव चीन के डेलीगेट द्वारा विधिवत जारी किया गया था।

मसौदा निर्णय इस प्रकार अपनाया गया था: पक्ष में 16 वोट; विरूद्ध में 11 मत और मतदान से अलग रहने के 24 मत। मतदान के समय 7 सदस्य अनुपस्थित थे।

ix. मद 25: अधिकृत फिलिस्तीन (पीएक्स), मद 26: कब्जे वाले अरब क्षेत्रों (पीएक्स) में शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों के

विषय में 39 सी/ रिज़ॉल्यूशन 55 और 202 एक्स/डीईसी 9 का कार्यान्वयन।

महानिदेशक, श्री निकोलस कासिएनीडिज के प्रतिनिधि ने इन मदों पर आयोग द्वारा विचार करने से पहले सचिवालय द्वारा संबंधित पक्षों द्वारा की गई गहन बातचीत और चर्चाओं को याद किया।

चेयरपर्सन के रूप में, और सभी संबंधित पक्षों की इच्छा और सहयोग और परस्पर सहमत विषय पर एक साथ आने को स्वीकार करते हुए यह प्रस्तावित किया गया था कि मसौदा प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अपनाया जाए, जिसे तुरंत हर्ष के साथ स्वीकार किया गया था।

कई सदस्य राज्य और पर्यवेक्षक आम सहमति स्वीकार करने और बातचीत और जिम्मेदारी की भावना का स्वागत करने के लिए मंच पर आए।उन्होंने जॉर्डन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिलिस्तीन, इजरायल, यूरोपीय संघ और सचिवालय सहित संबंधित पक्षों की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका पर जोर दिया।उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि आगामी विश्व विरासत समिति में भी यही भावना प्रबल हो।

II. विश्व बाल न्याय पर 28 से 30मई, 2018 तक वर्ल्ड कांग्रेस

यूनेस्को के संरक्षण में, बच्चों **के लिए न्याय पर विश्व कांग्रेस को** 28–30 मई 2018 तक आयोजित किया गया था, जिसमें तीन प्रमुख मुद्दों अर्थात हिंसक अतिवाद में बच्चों की भागीदारी के लिए वैश्विक रुझान, और संभावित प्रतिक्रियाओं किशोर अपराध को कम करने के लिए और अधिक प्रभावी तरीकों की आवश्यकता और शुरूआती रोकथाम सहित संवेदनशील बच्चों के लिए सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाना शामिल है। कांग्रेस का उद्देश्य दुनिया भर के पेशेवरों और हितधारकों को एक साथ लाने के लिए युवा और पारिवारिक न्याय और अपमानजनक और हिंसक चरमपंथ की रोकथाम पर अपने दृष्टिकोण साझा करना है। कांग्रेस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन सिंह लौजूर के नेतृत्व में कम से कम 14 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ भारत की ओर से अच्छी खासी भागीदारी की। वे फोरम के पैनल स्पीकर भी थे। सहभागिता को बहुत सराहा गया।

III. अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम की अंतर सरकारी परिषद (आईएचपी) का 23वां सत्र पेरिस में 11–15 जून, 2018 तक

इंटरगवर्नमेंटल काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम (आईएचपी) का तेईस वां सत्र 11–15 जून 2018 को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस सत्र में सदस्य राज्यों के अन्य गणमान्य लोगों जैसे गैर–सरकारी संगठन, पानी से संबंधित श्रेणी 2 केंद्र (सी2सी), संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां और पर्यवेक्षक परिषद के सभी 36 सदस्यों ने भाग लिया था।

परिषद ने आईएचपी और वैश्विक जल एजेंडे में इसकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर बहस की।परिषद के कई सदस्यों ने वैश्विक स्तर पर आईएचपी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एसडीजी 6 पर बेहतर संवाद और समन्वय की आवश्यकता को पहचाना।

14 जून 2018 को यूनेस्को मुख्यालय में जल, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु या विदेशी मामलों के ग्यारह मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने पहली जल विज्ञान–नीति संगोष्ठी (एसपीआईसी वाटर) में भाग लिया, जिसमें सदस्य राज्यों और जल विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल थे।संगोष्ठी में जल और स्वच्छता (एसडीजी6) पर सतत विकास

लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लेने का अवसर था। यह सदस्य राष्ट्रों के अनुरोध पर आयोजित किया गया था कि कैसे यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम (आईएचपी) विज्ञान आधारित समाधानों, पानी और स्वच्छता पर प्रभावी नीतियों और प्रथाओं की पहचान करने में सहायता कर सकते हैं और 2030 के एजेंडा को लागू करने के अपने प्रयासों में देशों की सहायता कर सकते हैं। महामहिम सुश्री आंद्रे अजुल यूनेस्को के महानिदेशक, सुश्री जोहोर अलौई, यूनेस्को के महासम्मेलन के अध्यक्ष और महामहिम श्री ली ब्योंग ह्यून, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विज्ञान–नीति संवाद शुरू किया गया।इसका आयोजन आईएचपी की अंतर सरकारी परिषद के 23 वें सत्र के ढांचे में किया गया था।

मंत्रिस्तरीय संदेशों में कहा गया है कि 2030 एजेंडा और देश स्तर पर संस्थानों में सकारात्मक बदलाव और स्थानीय कार्यों को बढ़ावा दे रहा है।हालांकि, कार्यों की स्थिरता एक चुनौती बनी हुई है।उन्होंने वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर गतिविधियों और नीतियों के बीच तालमेल बनाने और स्थानीय संदर्भ के लिए लक्ष्यों को अनुकूलित करने की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। 2030 एजेंडा को पानी के क्षेत्र में लागू किया जाना था, अतः प्रबलित मानव क्षमता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। उन्होंने एसपीआईसी वॉटर जैसे एक मंच के अस्तित्व का स्वागत किया, जहां नीति–निर्माता विशेषज्ञों के साथ दृष्टिकोण का आदान–प्रदान कर सकते हैं, जो उपलब्ध ज्ञान के आधार पर नीतियों को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और जानकारी प्रदान करते हैं।

आईएचपी परिषद ने विज्ञान–नीति इंटरफ़ेस को बढ़ाने और बेहतर नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपने अंतर–सरकारी सत्र के ढांचे के भीतर एसपीआईसी वाटर जैसे उच्च स्तरीय संवादों का आयोजन जारी रखने का निर्णय लिया।

IV. 4 से 6 जून 2018 तक पेरिस में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की सुरक्षा के कन्वेंशन के लिए राज्य दलों कीसातवीं महासभा

2003 के कन्वेंशन के राज्य की पार्टियों की सातवीं (जीए) महासभा 4–6 जून 2018 को पेरिस में 33 एजेंडे के साथ आयोजित की गई थी। प्लेनरी बहस 9 अप्रैल 2018 को एडीजी अर्नेस्टो ओटोन रामिरेज़ द्वारा सत्र के उद्‌घाटन के साथ शुरू हुई।

जीए ने उन 11 राज्यों का स्वागत किया जिन्होंने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कन्वेंशन की पुष्टि की, जिसमें एएसपीएसी के चार सदस्य शामिल थे, जैसे कुक आइलैंड्स, थाईलैंड, तिमोर–लेस्ते और तुवालु, साथ ही तीन राज्य जिन्होंने रिपोर्टिंग अवधि के बाद कन्वेंशन की पुष्टि की, ये सभी एएसपीएसी सदस्य, अर्थात् किरिबाती, सिंगापुर और सोलोमन द्वीप थे।

पहली मद के रूप में, जीए ने अपना ब्यूरो चुना। इटली के विंसेंज़ा लोमोनको को चेयरपर्सन के रूप में और कुवैत के श्री वलीद अलसैफ को रैपर्टोरिटी केरूप में नामित किया गया था।सभा ने सर्बिया, ग्वाटेमाला, गाम्बिया और जॉर्डन के महासभा के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकन को मंजूरी दे दी, जिसमें कजाकिस्तान एएसपीएसी सदस्यों की ओर से समूह में शामिल हुआ।

जीए ने तब प्रति चुनावी समूह आईसीएच की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति में सत्र के एजेंडे और सीट वितरण को मंजूरी दी।जैसा कि अपेक्षित था,

सभा ने एएसपीएसी के लिए 24 में से पांच सीटों के आवंटन की पुष्टि की। जीए ने 2016–17 में शुरू की गई गतिविधियों पर आईसीएच समिति, सचिवालय और तदर्थ कार्य समूह की रिपोर्टों को सुना और उन्हें मंजूरी दी गई। अन्य पहलुओं के अलावा, जीए ने औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा में आईसीएच की सुरक्षा के लिए दिए गए नए विशेष ध्यान की सराहना की और आउटरीच और संचार उपकरण डिजाइन करके कन्वेंशन की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए समिति का ध्यान आकर्षित किया।

जीए ने सचिवालय में तीन नए अतिरिक्त–बजटीय पदों की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया, जिसमें विकासशील देशों को प्राथमिकता दी गई, जैसा कि चीन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रस्तावित और कई एएसएसीएसी प्रतिनिधियों द्वारा उसको समर्थन दिया गया था।

आईसीएच फंड के संसाधनों के उपयोग पर रिपोर्ट की समीक्षा की गई और 2018–19 के लिए धन के उपयोग की योजना को मंजूरी दी गई। कई राज्य दलों द्वारा आईसीएच फंड में स्वैच्छिक पूरक योगदान, जिसमें तीन एएसपीएसी सदस्य शामिल हैं – अर्थात्, चीन, जापान और कोरिया गणराज्य – की सराहना की गई।

कार्यात्मक निर्देशों के लिए कई संशोधन पेश किए गए थे।

29 नए एनजीओ को 2003 कन्वेंशन जीए के पर्यवेक्षकों के रूप में मान्यता दी गई थी।

जीए के एजेंडे पर अंतिम मद – 2018–2022 के कार्यकाल के लिए आईसीएच समिति के नए सदस्यों का चुनाव था। एएसपीएसी को आवंटित चार सीटों के लिए सात उम्मीदवार थे। कमरे में मौजूद 156 राज्य दलों द्वारा डाले गए मतों के परिणामों के अनुसार, एएसपीएसी से चुने गए चीन, श्रीलंका, जापान और कजाकिस्तान थे। जब तक 2020 में इसका जनादेश समाप्त नहीं हो जाता, फिलीपींस कमेटी में बना रहेगा।

जीए ने आईसीएच समिति के निवर्तमान सदस्यों को अपने कुशल कार्य के लिए समर्पित योगदान हेतु आभार व्यक्त किया, जिसमें चार एएसपीएसी सदस्य, अर्थात् अफगानिस्तान, भारत, मंगोलिया और कोरिया गणराज्य शामिल हैं।

इसके अलावा, जीए के दौरान साथ–साथ कई समारोह आयोजित किए गए थे।

7 जून की सुबह, समिति की ब्यूरो की एक बैठक हुई जिसमें फिलीपींस उपराष्ट्रपति की क्षमता में एएसपीएसी का प्रतिनिधित्व किया।अन्य मदों में, आईसीएच फंड से + 100,000 तक अनुदानों की सहायता करने के लिए राज्य दलों के अनुरोधों की समीक्षा की गई और ज्यादातर मामलों में इसे अनुमोदित किया गया।

V. 29/30 जून 2018 को विश्व धरोहर समिति का 42वां सत्र

29/30 जून 2018 को विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के "विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एन्सेम्बल ऑफ मुंबई" के नामांकन को अभिलेखित किया गया था। समिति ने 24 जून से 4 जुलाई 2018 तक मनामा, बहरीन से अपना अधिवेशन आयोजित किया। इस साइट का शिलालेख सूची में भारत की 37वीं प्रविष्टि है।2017 में, भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 'हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद' को अभिलेखित

किया था। फरवरी 2017 में प्रस्तुत "विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेंबल्स ऑफ मुंबई" के नामांकन डोजियर की जांच यूनेस्को नेशनल हेरिटेज सेंटर के एक सलाहकार निकाय, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स (आईआईएमओएसओएस) द्वारा की गई थी।वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को सिफारिश करने से पहले, मार्च 2018 में, सूची के शिलालेख के लिए नामांकन की फिटनेस से पहले, आईआईओएस ने सितंबर 2017 में एक तकनीकी मूल्यांकन यात्रा की थी।

उत्कीर्ण साइट में ओवल मैदान के पूर्वी भाग में 19वीं शताब्दी का विक्टोरियन गोथिक, अधिकतर सार्वजनिक भवन, और इसके पश्चिमी भाग में 20वीं शताब्दी के आर्ट डे को भवनों का एक अन्य समूह, ज्यादातर व्यावसायिक, आवासीय, मनोरंजन भवन शामिल हैं। आईसीओएमओएस मूल्यांकन निकाय ने उल्लेख किया कि19वीं शताब्दी के विक्टोरियन गोथिक शैली से 20वींशताब्दी के आर्ट डेको में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व सदी के इंडो सारसेनिक शैली की कुछ इमारतों और 20 वीं शताब्दी के आरंभिक एजियन नियो–क्लासिकल शैली द्वारा किया गया है। अभिलेखीय स्थल पर प्रस्तुत चार शैलियों ने मुंबई को एक महानगरीय शहर में आधुनिक बनाने और मुंबई की स्थिति को "गेटवे टू इंडिया" के रूप में सुदृढ़ करने के प्रयासों का समग्र वर्णन किया।

यह शहर दो वास्तुशिल्प शैलियों के बीच एक नाटकीय ढंग से शहरी मुकाबले का प्रतिनिधित्व करता है, दो शताब्दियों का फैलाव, इस साइट के लिए अद्वितीय वास्तुशिल्प संवाद से जुड़ा हुआ है।इमारतों के दो सेट यूरोपीय और भारतीय मानवीय मूल्यों को बयान करते है, समय–समय पर, भारत–गोथिक और इंडो–डेको शैलियों जैसे समामेलन को जन्म देते हैं जो बाद में पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए।

इस साइट में अन्य लोगों के अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई विश्वविद्यालय, पुराना सचिवालय, एनजीएमए, एल्फिंस्टन कॉलेज, डेविड ससून लाइब्रेरी, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्राहलय, पश्चिम रेलवे मुख्यालय, महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय, पूर्व में सार्वजनिक भवनों की पंक्ति शामिल होंगी। ओवल मैदान और आर्ट डेको इमारतों में बैकबले रिक्लेमेशन स्कीम की पहली कतार से युक्त इमारतें, जैसे कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और राम महल के साथ दिनशॉ वाचा रोड, इरोस और रीगल के प्रतिष्ठित सिनेमा हॉल और मरीन ड्राइव सहित इमारतों की पहली पंक्ति शामिल है ।

विश्व धरोहर समिति ने स्वीकार किया कि 'विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल्स ऑफ मुंबई' के पास निम्नलिखित कारणों से 'उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य' था:

- विक्टोरियन या आर्ट डेको इमारतों के अलग–अलग समूह दुनिया भर में पाए जा सकते हैं, लेकिन ओवल मैदान में दो शैलियों के नाटकीय मुकाबले के साथ मुंबई समूह सामूहिक रूप से अद्वितीय है;
- विक्टोरियन इमारतें दुनिया में 19 वीं सदी की विक्टोरियन गॉथिक इमारतों के सबसे बेहतरीन और सबसे अधिक एकजुट समूह में से हैं;
- औपनिवेशिक भारत में विक्टोरियन संयोजन सार्वजनिक निजी भागीदारी के शुरुआती उदाहरणों में से था, क्योंकि सार्वजनिक भवनों के लिए शहरी योजना को विभिन्न समुदायों और धर्मों से संबंधित परोपकारी लोगों द्वारा वित्त पोषित किया गया था;

- आर्ट डेको इमारतें एशिया और दुनिया में आर्ट डेको इमारतों के सबसे बड़े और सबसे अधिक समरूप संग्रहों में से एक हैं;
- 1920 के दशक के भूमि सुधार ने भारत में आर्ट डेको के लिए मंच स्थापित किया, ओवल मैदान में विक्टोरियन इमारतों के नक्काशीदार पत्थर के विपरीत आधुनिक निर्माण तकनीक के साथ, शानदार तटीय सैरगाह मरीन ड्राइव – रानी का हार का निर्माण को प्रदर्शित करता है;
- नामांकित संपत्ति ने एक दुर्जेय स्थापत्य संवाद का निर्माण किया जिसने एशिया में आधुनिकतावाद की भाषा को प्रभावित किया, जो एक अलग स्थापत्य शैली के साथ, पश्चिमी रूप और भारतीय आत्मा के रूप में साझा विरासत के उदाहरण के रूप में था।
- शहरी स्वरूप, जो 19 वीं और 20 वीं शताब्दियों के अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक तावादी रुझानों का प्रतीक है, वर्तमान तक बरकरार है, क्योंकि इसकी इमारतों का उपयोग जारी है।

VI. यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 205वें सत्र पर छठी रिपोर्ट

कार्यकारी बोर्ड का **205वां सत्र 3–17 अक्टूबर 2018** से आयोजित किया गया था।महानिदेशक द्वारा उद्घाटन सत्र के साथ प्लेनरी बहस 8 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई।कार्यकारी बोर्ड के 205वें सत्र की प्रस्तावित तिथियां 3 – **17 अप्रैल 2019** (सहायक निकायों की बैठकों सहित) थीं।

कार्यकारी बोर्ड के 205वें सत्र कामुख्य भाग

संयुक्त आयोग

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के संयुक्त वित्त और प्रशासनिक (एफए)/कार्यक्रम और बाहरी संबंध आयोग (पीएक्स) 12 और 15 अक्टूबर 2018 को आयोजित किए गए थे। इसकी अध्यक्षता डॉ. समीरा अल मोजो (ओमान) और अम्बेस्डर मिशेल स्पिनेलिस (ग्रीस) ने की थी।

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के संयुक्त एफए/पीएक्स आयोग ने चार सत्रों और दो 'विस्तारित सत्रों' में आठ मदों पर विचार किया।

1. मद 15 ड्राफ्ट कार्यक्रम और बजट (40सी/5): प्रारंभिक प्रस्ताव।

महानिदेशक के प्रतिनिधि ने इस मद को पेश किया, जिसमें द्विार्षिक 2020–21 को कवर करते हुए 40सी/5 मसौदा तैयार करने के लिए प्रारंभिक प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने जीरो रियल ग्रोथ (जेडआरजी) प्रस्ताव के विस्तार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य धारणाओं और बजट तकनीकों को रेखांकित किया।उन्होंने आगे रेखांकित किया कि एक जीरो रियल ग्रोथ बजट सीमा 39 सी/5 के तहत यूनेस्को को समान क्रय शक्ति प्रदान करके कार्यक्रम और कर्मचारियों की निरंतरता बनाए रखने में सक्षम होगी।

बत्तीस सदस्य इस मद पर मंच पर आए 40 सी / 5 के माध्यम से यूनेस्को की रणनीतिक क्रियाओं में उस निरंतरता को अत्यंत महत्व देते हुए, सदस्यों ने जीरो रियल ग्रोथ मान्यताओं के आधार पर प्रस्तावित बजट सीलिंग पर अलग–अलग राय व्यक्त की।

ऐसे सदस्यों के बीच भिन्न–भिन्न विचार थे, जिन्होंने यूनेस्को की क्रय शक्ति को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, जीरो रियल ग्रोथ के आधार पर प्रस्तावित बजट सीलिंग का समर्थन किया और सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि जीरो रियल ग्रोथ सीलिंग से मूल्यांकन योगदान में वृद्धि होगी।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 38सी/5 व्यय योजना से आगे ले जाए गए अत्यचित शेष की राशि पर चर्चा करना तर्कसंगत था, संयुक्त आयोग ने 38सी/5व्यय योजना के तहत शेष अत्यचित नियमित बजट निधि को आगे ले जाने की स्थिति और अत्ययित निधि के प्रयोग हेतु प्रस्तावों से संबंधित मद 23 की जांच करने के लिए मद संख्या 15 पर निर्णय को अपनाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। एक सदस्य, जिसका अन्य कुछ सदस्यों ने समर्थन किया, ने जोर देकर यह बात कही कि मद 23 की जांच और उस पर निर्णय के बाद संयुक्त आयोग मद 15 पर वापस आया है और कार्यकारी बोर्ड के 206वें सत्र में 04 विभिन्न बजट सीमाओं के आधार पर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अनुरोध सहित संशोधनों के साथ मसौदा निर्णय को अपनाया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीरो नॉमिनल ग्रोथ सीलिंग के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और अपने बजट विकल्पों पर आम सहमति से अलग होने की इच्छा व्यक्त की। मद 23 पर निर्णय फिर भी शून्य नाममात्र वृद्धि (जेडएनजी) के साथ शुरू होने वाले विकल्पों की तैयारी की आवश्यकता को बनाए रखेगा।

2. 38 सी/5 व्यय योजना के तहत शेष अनपेक्षित नियमित बजट फंडों को आगे ले जाने की स्थिति मद 23 और अत्यचित फंड के उपयोग के लिए प्रस्ताव।

इस मद में पैंतीस सदस्य मंच पर आए। तीन सदस्य देशों (भारत सहित) ने "साझा विरासत" के संबंध में गतिविधियों के लिए यूनेस्को फंडिंग का उपयोग करने के लिए मजबूत विरोध व्यक्त किया और इस संबंध में दोनों विकल्पों 1 और 2 का विरोध किया। उनकी स्थिति दो अन्य सदस्य राज्यों द्वारा समर्थित थी।

इसके अलावा, दो सदस्यों नेकिसी भी निर्णय लेने से पहले "साझा विरासत" के सभी उल्लेख को हटाने का अनुरोध किया।

बहुमत सदस्यों ने डायरेक्टर–जनरल, 38 सी / 5 व्यय योजना के तहत शेष अव्ययित कोष से 40 सी /5 में ग्यारह (11) मिलियन अमरीकी डॉलर आगे ले जाने के लिए विकल्प 2 द्वारा प्रस्तावित सतर्क दृष्टिकोण को अपनाने की प्राथमिकता व्यक्त की। शेष 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्तावित आवंटन पर आयोग के सदस्यों ने टिप्पणियों और सवालों को उठाया।

दो सदस्य राज्यों ने गतिविधियों में यूनेस्को के पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार के महत्व को याद दिलाया। विस्तारित सत्र से पहले हमारे सत्र को निलंबित कर दिए जाने के बाद, 40 सी / 5 के लिए 11 मिलियन अमरीकी डालर के उपयोग पर समझौता हुआ।सदस्य राज्यों नेकार्यकारी बोर्ड के 206 वें सत्र में शेष 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उपयोग पर एक संशोधित प्रस्ताव का अनुरोध करने का भी निर्णय लिया, जिसमें आयोजित चर्चाओं और इस 205 वें सत्र में लिए गए निर्णयों के साथ–साथ तैयारी समूह चर्या को भी लिया जाएगा।

निर्णय संशोधनों के साथ अपनाया गया था।

3. यूनेस्को के रणनीतिक परिवर्तन पर मद 5 भाग III. डी

पीएक्स और एफए आयोगों की संयुक्त बैठक ने यूनेस्को के रणनीतिक परिवर्तन पर मद 5 भाग III- डी की जांच की, जिसे श्री क्विंग, उप महानिदेशक द्वारा पेश किया गया था, जिसमें 204वें सत्र और उसके बादजून और सितंबर 2018 की समूह बैठकें तैयारी केदौरान उठे सरोकारों पर फोकस किया गया। डीडीजी ने यूनेस्को के भविष्य के लिए रणनीतिक परिवर्तन की दृष्टि को

वर्तमान चुनौतियों के लिए एक सक्रिय प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सुधार के अनुरूप गहन रणनीतिक समीक्षा और बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी।

डीडीजी ने संगठन के सहयोग और साझेदारी के विस्तार के महत्व पर प्रकाश डाला, साथ ही संगठन के सहयोगियों के पूरे नेटवर्क पर और अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। इस प्रक्रिया में देखी गई प्रगति के बारे में प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था, जो वर्तमान में "कार्रवाई के साधनों की दक्षता को मजबूत करने" पर अपने दूसरे स्तंभ में लागू किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त, श्री क्व ने घोषणा की कि 22 नवंबर 2018 को सचिवालय द्वारा एक सूचना बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्य राज्यों को सूचित करने के लिए 4 विषयगत कार्य समूहों द्वारा की गई प्रगति को प्रस्तुत किया जाएगा।

आगामी बहस में कुछ डेलीगेट्स ने सदस्य राज्यों की भूमिका पर जोर दिया और इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय आयोगों की भूमिका पर अधिक जानकारी का अनुरोध किया।सदस्यों ने इस प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता, खुलेपन और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सचिवालय के प्रयासों पर भी ध्यान दिया, और विभिन्न राज्यों जैसे सूचना बैठकों या कार्यकारी बोर्ड सत्रों के माध्यम से सदस्य राज्यों के साथ बातचीत के महत्व पर बल दिया।

कुछ सदस्य राष्ट्रों ने जनादेश के ओवरलैप से बचाव करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर यूनेस्को की स्थिति के बारे में चिंता जताई।

डीडीजी ने याद किया कि यूनेस्को का कार्यनीतिक परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र सुधार सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप है। यूनेस्को सभी क्षेत्रों के लिए सामान्य मानदंडों और कार्यों के एक सेट के साथ संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय उपस्थिति के लिए एकीकृत क्षेत्र संरचना के साथ एक संरेखण की मांग करता है।यह याद किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुधार यूनेस्को के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के देश की नई पीढ़ी और यूएनडीएएफ में योगदान करने का एक अवसर है।

बोर्ड के कई सदस्यों ने महसूस किया कि उच्च–स्तरीय प्रतिबिंब समूह के जनादेश, रचना और समय सीमा के बारे में और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

उप–महानिदेशक ने स्मरण किया कि उच्च स्तरीय परावर्तन समूह (एचएलआरजी) महानिदेशक को उभरती प्रवृत्तियों और चुनौतियों पर सलाह देगा, जिनमें वैश्विक और अंतः क्षेत्रीय प्रकृति शामिल हैं, जो प्रासंगिक हैं और यूनेस्को के क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। सक्षमता और सतत विकास लक्ष्यों और एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के उनके प्रयासों में सदस्य राज्यों को सर्वश्रेष्ठ समर्थन देने के लिए सबसे उपयुक्त होगा।

उन्होंने सदस्य राज्यों को याद दिलाया कि उन्हें जुलाई की शुरुआत में इस समूह में उम्मीदवारों को प्रस्तावित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। चल रही चयन प्रक्रिया के अंत में सचिवालय समूह की संरचना की घोषणा करेगा।उन्होंने सुनिश्चित किया कि रणनीतिक परिवर्तन भी यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताओं को मजबूत करने का एक अवसर है, विशेष रूप से वैश्विक प्राथमिकता अफ्रीका और लिंग समानता के माध्यम से। यूनेस्को की वैश्विक प्राथमिकताओं में अफ्रीका और जेंडर इक्वैलिटी का उल्लेख कई वक्ताओं द्वारा किया गया जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में उनके सुदृढीकरण

की वकालत की।एक सदस्य ने निर्णय लेने की प्रक्रिया और विषयगत कार्य समूहों के भीतर बाहरी लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में चिंता व्यक्त की।

डीडीजी ने यह भी उल्लेख किया कि कर्मचारी संघ सभी विषयगत कार्य समूह की सह–अध्यक्षों के साथ बातचीत करने के लिए स्वागत हैं। विशेष रूप से परिचालन दक्षता पर डब्ल्यूजी, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन मुद्दे शामिल हैं।उन्होंने इस अवसर पर यह याद दिलाया कि थमैटिक वर्किंग ग्रुप्स में शामिल होने का आह्वान सभी स्टाफ सदस्यों के लिए खुला था, जो अब आंतरिक विशेषज्ञों के रूप में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ योगदान करने के लिए व्यक्तिगत क्षमता से भर्ती हुए थे।एफए और पीएक्स कमिशन की संयुक्त बैठक की सिफारिश है कि बोर्ड मद 5.III डी से संबंधित यथासंशोधित मसौदा निर्णय को अपनाए।

4. इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन (आईबीई) पर मद 11, सबसे पुराना यूनेस्को श्रेणी 1 संस्थान, जो पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता और मूल्यवान संग्रह और अभिलेखागार की मेजबानी करता है।

सहायक महानिदेशक शिक्षा, सुश्री स्टीफनिया गियानिनी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो (आईबीई), जो सबसे पुराना यूनेस्को श्रेणी 1 संस्थान है, जो पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता रखता है और मूल्यवान संग्रह और अभिलेखागार की मेजबानी करता है, पर मद 11 प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मेजबान देश से 2018 में सहायता वापस लेने के कारण इसने इसकी कमजोर वित्तीय स्थिति को बढ़ा दिया है।नतीजतन, यूनेस्को आईबीई के भविष्य के लिए संभावित विकल्पों की खोज कर रहा है, जिसके लिए तीन विकल्प सदस्य राज्यों को प्रस्तुत किए गए थे।

उन्होंने उल्लेख किया कि सचिवालय ने तीसरे विकल्प पर विचार किया, **जिसमें महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमजीआईईपी) के मॉडल का अनुसरण करते हुए एक नए मेजबान देश की खोज करना सबसे अधिक व्यवहार्य है, जिसके तहत मेजबान देश संस्थान के वित्तपोषण के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी उठाएगा।**

आगामी बहस में, दो पर्यवेक्षकों सहित बत्तीस सदस्य राज्य मंच पर आए जिनमें से कई ने पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आईबीई के प्रयासों की सराहना की।

कई डेलीगेट्स ने संस्थान में वित्तीय स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की, और कुछ ने पहले के आईओएस और बाहरी ऑडिटर की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ने वित्तीय पहलुओं के अलावा अन्य आधारभूत मुद्दों की चेतावनी दी थी।

दो सदस्य राज्यों ने जोर दिया कि आईबीई की वित्तीय समस्याएं प्रबंधन के मुद्दों और एक स्पष्ट जनादेश / पाठ्यक्रम पर केंद्र बिंदु के रूप में आईबीई की मान्यता के अभाव में निहित हैं।उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मामलों के अंतरण पर विचार करने से पहले इनका निपटान किया जाना चाहिए।मेजबान देश के रूप में स्विट्जरलैंड ने इन हस्तक्षेपों को प्रतिध्वनित किया, जबकि जोर देकर कहा कि यह सिर्फ उन देशों की श्रृंखला में अंतिम है, जिन्होंने उपरोक्त चिंताओं के कारण आईबीई को वित्त पोषण करना बंद कर दिया था, और इसे जोड़ने से आईआईईपी समर्थन बढ़ा है।

ग्यारह सदस्य राज्यों ने दूसरे विकल्प के समर्थन में मत व्यक्त किया, यह तर्क देते हुए कि श्रेणी 1 की स्थिति यूनेस्को के काम के प्रमुख स्तंभ के रूप में पाठ्यक्रम

की गारंटी देने या बनाए रखने के लिए एक शर्त नहीं है, और मुख्यालय में एकीकरण शिक्षा क्षेत्र के साथ बहुत आवश्यक तालमेल ला सकता है।

कुछ देश तीसरे विकल्प के पक्ष में थे और उनमें से एक ने स्पष्ट रूप से आईबीई की मेजबानी के लिए एक सदस्य राज्य के प्रस्ताव का स्वागत किया, और यह संकेत देते हुए कहा कि अरब राज्य श्रेणी 1 संस्थान के बिना एकमात्र क्षेत्र है।एक अन्य सदस्य राज्य ने कहा कि आईबीई को स्थानांतरित करना चाहिए, यह ऐसे देश के लिए होना चाहिए जो शिक्षा क्षेत्र में भेदभाव नहीं करता है।कुछ डेलीगेट्स ने यह भी उल्लेख किया है कि सचिवालय को आईबीई और श्रेणी 1 संस्थानों की स्थिति को सामान्य रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए, जबकि आईबीई को किसी अन्य संस्थान के साथ विलय करने जैसे आईआईईपी, एक वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जैसा परिदृश्य का बनाना या संयुक्त राष्ट्र निकाय, जैसे संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ एकीकृत करने की संभावना की तलाश करना।

अधिकांश सदस्य राज्यों ने आईबीई पर विकल्पों की खोज जारी रखने और इन विकल्पों पर अधिक विवरण प्रदान करने और अगले सत्र में वापस रिपोर्ट करने के लिए सिफारिश की, यह कहते हुए कि अब निर्णय जल्दबाजी होगा और इस विषय पर खुली बातचीत होनी चाहिए।अपनी अंतिम टिप्पणी में, सहायक महानिदेशक शिक्षा ने दोहराया कि तीन अलग–अलग विकल्पों पर आगे विचार और चर्चा की जानी चाहिए।उन्होंने जोर दिया कि श्रेणी 1 संस्थान वास्तव में शिक्षा क्षेत्र का अभिन्न अंग हैं।

अपनाए गए निर्णय का ऑपरेटिव भाग निम्नानुसार है।

''शिक्षा के क्षेत्र में आईबीई के विशेष योगदान को पेरिस में मुख्यालय में पूरी तरह से एकीकृत करने की सिफारिश करने का निर्णय लेना, आईबीई और सेक्टर की गतिविधियों के बीच अतिरिक्त तालमेल बनाना, और पाठ्यक्रम को संगठन के काम के प्रमुख स्तंभ के रूप में रखना;

जेनेवा में आईबीई परिसर की बिक्री या किराए पर लेने की सिफारिश करने के लिए, प्रासंगिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप, यूनेस्को के लिए एक अतिरिक्त राजस्व लाने का निर्णय लेना, और इसके संबंध में महानिदेशक को 206 वें सत्र में व्यवहार्य अध्ययन प्रस्तुत करने का अनुरोध करना;

महानिदेशक से अनुरोध है कि वह अपने 206 वें सत्र में आईबीई अभिलेखागार के बारे में व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत करे: (i) स्विट्जरलैंड में अभिलेखागार की मेजबानी जारी रखना या; (ii) पेरिस में उनके डिजिटलाइजेशन की संभावना और यूनेस्को की वेबसाइट पर मुफ्त पहुंच के साथ उन्हें स्थानांतरित करना।

अपने 40 वें सत्र में अंतिम निर्णय के लिए महा सभा हेतु इन सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए महानिदेशक को आमंत्रित करना ''

पीएक्स कमीशन

आयोग ने 4 सत्रों के दौरान कुल 20 मदों और उप–मदों के लिए 14 मदों की जांच की और 19 फैसलों पर अपनी सिफारिशें जारी कीं, जो दस्तावेज़ 205 ईएक्स/44 में देखे जा सकते हैं।कार्यकारी बोर्ड की तैयारी समूह, जिसने आयोग के काम को काफी सुविधाजनक बनाया, ने पहले उक्त मदों में से तीन की जांच की।

1. **एसडीजी 4 शिक्षा 2030, पर एजेंडा का मद 6–जिसे आयोग की दूसरी और तीसरी बैठकों में जांचा गया था।**

शिक्षा के लिए सहायक–महानिदेशक, सुश्री स्टेफनिया गियानिनी ने इस मद और इसके चार भागों पर परिचयात्मक टिप्पणी दी। भाग I के बारे में, सुश्री जियानिनी ने 2030 के एजेंडा में शिक्षा के लिए यूनेस्को की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला।उन्होंने सितंबर 2018 में हुई पांचवीं एसडीजी–एजुकेशन 2030 संचालन समिति की बैठक को याद किया, जिसमें अन्य प्रमुख समारोहों की तैयारी में इसके प्रभाव पर जोर दिया गया, विशेष रूप से अगले दिसंबर और साथ ही 2019 की उच्च–स्तरीय पोलिटिकल फोरम एचएलपीएफ में होने वाली वैश्विक शिक्षा बैठक जिसके लिए यूनेस्को इस वर्ष के दौरान क्षेत्रीय परामर्श आयोजित कर रहा है।

आयोग ने उल्लेख किया कि लक्षित कार्यक्रम जैसे कि काफेड कार्यक्रम देश स्तर पर अपने सदस्य देशों को यूनेस्को सहायता का हिस्सा हैं। इसने आगे उल्लेख किया कि प्रवास और विस्थापन पर ध्यान केंद्रित करने वाली तीसरी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट नवंबर में सामने आएगी।

चौबीस सदस्यीय राज्यों ने एसडीजी 4–शिक्षा 2030 पर यूनेस्को के व्यापक दृष्टिकोण और अग्रणी भूमिका को स्वीकार करने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया और अपने स्वयं के राष्ट्रीय प्रयासों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। डेलिगेट्स ने वैश्विक स्तर पर एसडीजी–एजुकेशन 2030 संचालन समिति के काम के लिए प्रशंसा की जिसमें इसकी पिछली बैठक में की गई सिफारिशें शामिल हैं, और इस समिति को उन तरीकों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कार्यान्वयन में पिछड़ रहे देशों को और समर्थन दे सकते हैं।

कई वक्ताओं ने विभिन्न स्तरों पर यूनेस्को की निरंतर मजबूत भागीदारी को प्रोत्साहित किया और कार्यक्रमों और पूल फंडिंग के दोहराव से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और संबंधित हितधारकों के साथ एक व्यापक रणनीति विकसित करने की सिफारिश की। एक प्रतिनिधि ने एक संयोजक और बौद्धिक नेता के रूप में यूनेस्को के तुलनात्मक लाभ को रेखांकित किया, शिक्षा के भविष्य पर यूनेस्को की गतिविधियों के मूल्यांकन की स्थिति पर सवाल उठाया।एसडीजी 4 के मद्देनजर वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट और यूआईएस के महत्वपूर्ण काम को भी इंगित किया गया।

आगामी 2018 की वैश्विक बैठक में चर्चा किए जाने वाले विषयों में प्रवासन और जबरन विस्थापन, साथ ही वित्तपोषण और जवाबदेही को शामिल करने की सराहना करते हुए, कई वक्ताओं ने महानिदेशक सहित उच्च–स्तरीय भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। एडीजी शिक्षा ने अपने निरंतर समर्थन के लिए सदस्य राज्यों का आभार व्यक्त किया, यह दोहराते हुए कि शिक्षा महानिदेशक के लिए प्राथमिकता है। उन्होंने सदस्य को आश्वस्त किया कि क्षेत्रीय / वैश्विक समन्वय तंत्र / परामर्श से सिफारिश पर अनुपालन को एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को बहुत से भागीदारों के साथ काम कर रहा है।

2. 'कब्जे वाले फिलिस्तीन' और 'अधिकृत अरब क्षेत्रों में शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों' पर मद 28 और 29

दोनों मदों को इन पाठों को तैयार करने के मद्देनजर महानिदेशक सहित सभी संबंधित पक्षों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देते हुए एक साथ विचार करने का प्रस्ताव किया गया।महानिदेशक, श्री निकोलस कासाइडाइड्स, विदेश संबंधों और सार्वजनिक सूचना के लिए सहायक महानिदेशक के कार्यवाहक प्रतिनिधि की अपनी परिचयात्मक टिप्पणी में, एक साल पहले स्थापित सकारात्मक गतिशीलता को याद करते हुए, बोर्ड ने इस तरह के संवेदनशील मुद्दे के लिए आम सहमति बनाने की अनुमति दी।

सचिवालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष ने तब प्रस्तावित किया कि इन 2 मदों को आम सहमति से अपनाया जाए।इसी तरह, पीएक्स आयोग के अध्यक्ष ने सभी संबंधित पक्षों के प्रयासों को स्वीकार किया, जो बोर्ड के अंतिम सत्र के बाद से सभी के लिए उपयुक्त एक और निर्णय प्राप्त करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, जिसने अध्यक्ष के समक्ष दस्तावेजों को आयोग द्वारा आम सहमति से अपनाए जाने का प्रस्ताव किया जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया।

3. विश्व कार्यक्रम की स्मृति के संशोधन पर मद 8

इस मद को प्रस्तुत करते हुए सहायक महानिदेशक संचार और सूचना, एडीजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की अपडेटेड एक्शन प्लान में चार एक्शन चरणों के बारे में बताया। इस बात पर प्रकाश डाला कि योजना एक समावेशी परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की गई थी।

सत्रह सदस्य राज्यों और एक पर्यवेक्षक इस मद पर मंच पर आए। परामर्श के ओपन–एंडेड प्रारूप का स्वागत करते हुए, कुछ डेलिगेट्स ने दक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया और इसलिए उन्होंने कार्य समूहों के सदस्यों की संख्या को सीमित करने पर विचार किया।

चयन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की गई जिसके माध्यम से सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (आईएसी) के साथ प्रस्तावित संयुक्त बैठक के लिए विशेषज्ञों को नामित करेंगे।कार्य समूह के भीतर इस मुद्दे को चर्चा के लिए टाल दिया गया था।

अपनी प्रतिक्रिया में, एडीजी सीआई ने एक समावेशी और कुशल प्रक्रिया की वकालत की, जो इस बात पर बल देता है कि एक ओपन–एंडेड वर्किंग–ग्रुप का विचार प्रक्रिया में कुछ तार्किक कठिनाइयों को जोड़ सकता है, खासकर सदस्य राज्यों द्वारा नामित बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का एक्सन स्टेप संख्या 3 के साथ जोडा जाना।

4. पीएक्स आयोग ने स्वायत्त गणराज्य क्रीमिया में स्थिति के अनुवर्ती मद 5–आई–ई की जांच पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

कार्यवाहक सहायक महानिदेशक विदेश संबंध, श्री निकोलस कासी एंडीडस, ने कहा कि सचिवालय विभिन्न संबंधित तंत्रों के माध्यम सेसभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर बातचीत

सुनिश्चित करता है, ताकि इस मामले पर संबंधित बोर्ड के निर्णय को आगे लागू किया जा सके।

बोर्ड के एक सदस्य ने इस पर चर्चा स्थगित करने का अनुरोध किया (रूस, जैसा कि उन्होंने अतीत में किया है), जिसका (चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा) समर्थन किया गया। इसके बाद, रूस ने मसौदा निर्णय पर रोल कॉल द्वारा वेटिंग का अनुरोध किया।

मसौदा निर्णय इस प्रकार अपनाया गयाः पक्ष में 17 वोट (विरू) 11 मत और 24 ने मतदान नहीं किया। वोट के समय 6 सदस्य अनुपस्थित थे।भारत ने उस संकल्प के खिलाफ (रूसी स्थिति के समर्थन में) मतदान किया जैसा उसने अतीत में किया है।

5. **पीएक्स आयोग ने महात्मा गांधी की विरासत की यादगार पर मद 38 की जांच करके अपने कामों के बारे में बताया जिसे बिना किसी बहस के प्रस्तावित भी किया गया।**

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों को याद करते हुए इस मद को पेश किया और इस समय भी प्रासंगिक गांधी के संघर्ष के बारे में सभी को याद दिलाया, जो आज भी हमारे समाजों में प्रतिध्वनित है। आयोग को भारत सरकार की योजना के बारे में भी सूचित किया गया था कि इस आइकन के उत्सव में आने वाले वर्ष भर में कई आयोजन किए जाएंगे।

महात्मा गांधी के जीवन पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।इस संबंध में, पीएक्स कमीशन के अध्यक्ष यह कहने के लिए आगे आएः "ऐसे सिद्धांती व्यक्ति के जीवन का उत्सव मनाने के लिए यूनेस्को के अलावा कोई अन्य जगह नहीं हो सकती है।"

ईएक्सबी के 205वें सत्र को कार्यक्रमों और बाहरी संबंधों (पीएक्स) आयोग, वित्त और प्रशासन (एफए) आयोग, संयुक्त पीएक्स/एफए आयोग की रिपोर्टों को अपनाने के साथ आधिकारिक तौर पर 17 अक्टूबर 2018 को बंद कर दिया गया।विशेष समिति (एसपी) और सिफारिशों संबंधी समिति (सीआर) की रिपोर्ट।

ऑरोविले फाउंडेशन

'ऑरोविले' की स्थापना 28 फरवरी, 1968 को श्री अरबिंदो के आध्यात्मिक सहयोगी, 'मदर' द्वारा की गई थी, जो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के पुदुचेरी के बाहरी इलाके में एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में है, जहाँ भारत सहित 46 देशों के 2166 लोग शामिल हैं। एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं और मानव एकता के उद्देश्य से खुद को सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और अन्य गतिविधियों से जोड़े रहते हैं। यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983 में चार प्रस्तावों के माध्यम से ऑरोविले की परियोजना का समर्थन किया था। टाउनशिप 1980 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और भारत की संसद द्वारा पारित ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित है।

ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ऑरोविले की स्थापना, रखरखाव और विकास पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए फाउंडेशन को अनुदान के रूप में आंशिक धन प्रदान करती है, वर्ष 2018–19 के लिए 18.20 रु करोड़ का प्रावधान किया गया है।

23 नवंबर, 2016 की अधिसूचना में **डॉ. करण सिंह,** माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा को ऑरोविले फाउंडेशन के तहत कोअध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

मोहन वर्गीज चुनकात, आईएएस **(सेवानिवृत्त)** ***को 10 जून, 2016 को ओरोविल फाउंडेशन के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।***

शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और शास्त्री भारत–कनाडाई संस्थान (एसआईसीआई) ने सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 15 जुलाई, 2016 को समझौता ज्ञापन (जिसे मूल रूप से 29 नवंबर, 1968 को हस्ताक्षरित किया गया था, के परिशिष्ट पर 05 वर्षें की अवधि अर्थात 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए। परिशिष्ट के हस्ताक्षर के बाद, भारतीय सलाहकार परिषद और प्रशासनिक समिति का गठन किया गया।दसवीं परिशिष्ट के संबंध में पहली भारतीय प्रशासनिक समिति की बैठक 3 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गयी और भारतीय सलाहकार परिषद की 48वीं बैठक 06 दिसंबर, 2016 को आयोजित की गई।

भारत सरकार वर्ष 2018–19 के लिए 594.00 लाख के आवंटन के साथ संस्थान को अनुदान प्रदान करती है।

विश्व व्यापार संगठन

1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ, सेवाओं में व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के उद्देश्य के साथ सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक व्यापक समझौते के लिए कई दौर की वार्ता हुई है। शुरू में वे गैट्स के तहत काम करते थे और माल व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते थे। 1995 में विश्व व्यापार संगठन के उद्भव के साथ सेवाओं और बौद्धिक संपदा को शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाया गया। शिक्षा को 12 सेवाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है।

गैट्स मूल संरचनाः

- मुख्य पाठ (जैसे एमएफएन) में निहित सामान्य दायित्वों और विषयों।
- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियमों से निपटने वाले परिशिष्ट;
- बाजार पहुंच प्रदान करने किसी भी लागू अनुप्रयोग के लिए व्यक्तिगत सदस्य की विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, (जैसे बाजार पहुंच, राष्ट्रीय उपचार और संदर्भ पेपर का पालन)।

जीएटीएस "सरकारी प्राधिकरण के अभ्यास में आपूर्ति की गई सेवाओं को छोड़कर" सभी सेवा क्षेत्रों में सिद्धांतिक रूप से लागू होता है।ये ऐसी सेवाएं हैं जिनकी न तो वाणिज्यिक आधार पर और न ही अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा आधार पर आपूर्ति की जाती हैं।प्रस्ताव और अनुरोध दृष्टिकोण के तहत वार्ता की जाती है।देश विदेशी सेवा प्रदाताओं को अपने आंतरिक बाजार तक व्यापार पहुंच के लिए प्रस्ताव देते हैं।इसी तरह देश अपने भागीदारों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने बाजारों तक पहुंच प्रदान करें।जीएटीएस उन सेवाओं जो शिक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, के व्यापार को परिभाषित करता है जो आपूर्ति के चार तरीकों से होता है,

जीएटीएस/डब्ल्यूटीओ शिक्षा सेवाओं सहित व्यापार में व्यापार के निम्नलिखित चार तरीके निर्धारित करता हैः

- **सीमा पार आपूर्तिः** – इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा सेवाओं का वितरण (दूरस्थ शिक्षा, दूर–शिक्षा, शिक्षा परीक्षण सेवाएँ)
- **विदेश खपतः** – उच्च शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश में छात्रों की आवाजाही।
- **वाणिज्यिक उपस्थितिः** – अन्य देशों में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय शाखा परिसरों या सहायक कंपनियों की स्थापना, घरेलू निजी कॉलेजों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों जिनसे विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री प्राप्त होती है, तालमेल व्यवस्था, फ्रेंचाइजी।
- **विशेष व्यक्तियों की आवाजाहीः** – विदेशों में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों, व्याख्याताओं और शिक्षा कर्मियों के अस्थायी आवागमन।

इनमें से प्रत्येक मोड में, बाजार पहुंच और राष्ट्रीय कार्यनीति की शर्तों के तहत अपवाद रखे जा सकते हैं।'शिक्षा सेवाओं' के तहत भारतीय संशोधित प्रस्ताव उच्च शिक्षा क्षेत्र के साथ इस शर्त के साथ खुला था कि उच्च शिक्षा संस्थानों को एक उचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क लेने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते ऐसा शुल्क कैपिटेशन शुल्क या मुनाफाखोरी के लिए न हो। उच्च शिक्षासेवाओं का प्रावधानभी ऐसे विनियमों के अधीन होगा, जो पहले से ही उपयुक्त नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या निर्धारित किए गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जीएटीएस के तहत मुख्य उप–क्षेत्र हैंः

क) प्राथमिक शिक्षा (सीपीसी 921)

ख) माध्यमिक शिक्षा (सीपीसी 922)

ग) उच्च शिक्षा (सीपीसी 923)

घ) पोस्ट–माध्यमिक तकनीकी और व्यावसायिक, विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष

ङ) वयस्क शिक्षा और (सीपीसी924)

च) अन्य शिक्षा (सीपीसी 929)

सभी अनुसूचियों के दो खंड होते हैंः (i) क्षैतिज प्रतिबद्ध ता अनुभाग, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों पर लागू होती हैं;और (ii) किसी विशेष क्षेत्र या उप–क्षेत्र पर लागू होने वाली सेवाओं की प्रतिबद्धताओं में विशेष व्यापार, किसी देश की सेक्टर–विशिष्ट प्रतिबद्धता को निर्धारित करने में समग्र क्षैतिज प्रतिबद्धताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सेवा अनुसूची में एक "विशिष्ट प्रतिबद्धता", अनुसूची में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, सूचीबद्ध सेवा के लिए बाजार पहुंच और राष्ट्रीय कार्यनीति प्रदान करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है।प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और एक बार एक विशिष्ट प्रतिबद्धता के बाद, एक सरकार "बाजार पहुंच और राष्ट्रीय कार्यनीति के विशिष्ट स्तर तक बाध्य है और यह बाद में, ऐसे बाजारों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले उपायों को लागू नहीं कर सकता है।"यह अन्य देशों में सेवा प्रदाताओं के लिए गारंटी के रूप में कार्य करता है कि बाजार में प्रवेश की स्थिति कम प्रतिबंधात्मक नहीं होगी, क्योंकि वे केवल सुधार कर सकते हैं।

बाजारों तक पहुंच और राष्ट्रीय कार्यनीति के लिए प्रतिबद्धताओं और सीमाओं को सेवा अनुसूची में आपूर्ति के प्रत्येक मोड के संबंध में दर्ज किया गया है। इसलिए, उच्च शिक्षा सेवाओं के उप–क्षेत्र पर एक प्रतिबद्धता

(जो शिक्षा सेवाओं के उप–क्षेत्र के भीतर समाहित है और यह शिक्षा सेवाओं के व्यापक क्षेत्र वर्गीकरण के भीतर भी समाहित है) में आठ प्रविष्टियां होंगी: 4 बाजार पहुंच के कॉलम के तहत (आपूर्ति के 04 विभिन्न मोड से एक–एक और राष्ट्रीय कार्यनीति पर सीमाए क कॉलम के तहत 4 जिन प्रविष्टियों में "कोई नहीं" पढ़ा जाए उसका मतलब है कि शैक्षिक सेवाओं के राष्ट्रीय उपचार की कोई सीमाएं नहीं हैं क्योंकि यह सीमा पार की आपूर्ति (1) विदेशों में उपभोग (2) और वाणिज्यिक उपस्थिति से संबंधित है। (3) शैक्षिक सेवाओं की आपूर्ति के "विदेश में उपभोग " मोड पर बाजार पहुंच की कोई सीमा नहीं है।

शिक्षा सेवाएं

	बाज़ार पहुंच	**राष्ट्रीय कार्यनीति**
प्राथमिक शिक्षा सेवाएँ (सीपीसी 921) अबाध	अबाध	अबाध
माध्यमिक शिक्षा सेवाएँ (सीपीसी 922)	अबाध	अबाध
उच्च शिक्षा सेवाएँ (सीपीसी 923)	1) इस शर्त के अधीन कि सेवा प्रदाता नियमों के अधीन होंगे, जैसा कि मूल देश में घरेलू उच्च शिक्षा प्रदाताओं के लिएलागू है और भारत में घरेलू प्रदाताओं के लिए प्रयोज्य है। 2) कोई नहीं। 3) कोई भी इस शर्त के अधीन नहीं है कि लिया जाने वाला शुल्क एक उचित प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है और इस तरह की फीस से चार्जिंग शुल्क या मुनाफाखोरी नहीं होती है। इस तरह के पहले से लागू याउचित नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियमों के अध्यधीन 4) क्षैतिज खंड में जैसा उल्लेख है को छोड़कर अनबाउंड।	1) कोई नहीं। 2) कोई नहीं। 3) यूजीसी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी से कोई सहायता या सहायता पाने का कोई अधिकार नहीं होगा या घरेलू सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जाने वाली किसी भी सब्सिडी को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। 4) क्षैतिज खंड में जैसा उल्लेख है को छोड़कर अनबाउंड।
प्रौढ़ शिक्षा सेवाएँ (सीपीसी 924)	अबाध	अबाध
अन्य शिक्षा सेवाएँ (सीपीसी 929)	अबाध	अबाध

हालाँकि, जहाँ भी इसे अनुसूची में "अनबाउंड" निर्दिष्ट किया गया है, वहां इसका अर्थ है कि चिन्हित आपूर्ति से सम्बंधित और उसमें निर्दिष्ट शर्त (जैसे एकाधिकार या क्षैतिज प्रतिबद्धताओं को समाप्त करना) के अध्यधीन बाजार पहुँच और राष्ट्रीय उपचार पर सीमाएं लगा सकता है।

अन्तर्राष्टीय सहयोग

भारत में अध्ययन

- स्टडी इन इंडिया (एसआईआई) कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक प्रमुख पहल जिसे 18 अप्रैल, 2018 को श्रीमती सुषमास्वराज,माननीयविदेश मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। एसआईआई का उद्देश्य भारत में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या को बढ़ाना है।कार्यक्रमका लक्ष्य, शुरू में शैक्षिक वर्ष 2018–19 से 2019–20 तक दो साल की अवधि के भीतर , ब्रांड निर्माण के माध्यम से छात्रों की संख्या को बढ़ाना और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से छात्रों तक पहुंचना है।इस कार्यक्रम में 160 से अधिक चयनित भारतीय संस्थानों / विश्वविद्यालयों के साथ भागीदारी शामिल है और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में 30 से अधिक देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली की ब्रांडिंग की जा सके।विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए, इस कार्यक्रमके अंतर्गत एसआईआईकार्यक्रम केतहत चुने गए शीर्ष 25 प्रतिशत छात्रों को 100 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की ट्यूशन फीस माफी भी प्रदान की जाती है। एसआईआई की कार्यान्वयन एजेंसीएडसिल हैऔर यह बहुत कम समय में आशाजनक परिणाम दिखा रही है।
- कार्यक्रमको अधिक आकर्षक बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 2500 छात्रवृत्ति का प्रावधान भी किया गया है।

शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (स्पार्क)

- भारतीय संस्थानों और सर्वश्रेष्ठ विदेशी संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दो साल की अवधि में 418 करोड़ रुपयेके आवंटन के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल के रूप में स्पार्क का शुभारंभ 28 अक्टूबर 2018 को किया गया है।इसका उद्देश्य 600 संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों का समर्थन करके और भारतीय संस्थानों (एनआईआरएफ में समग्र शीर्ष –100 या श्रेणी–वार शीर्ष –100) और 28 चयनित देशों (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, इटली, चीन, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, रूस, इजरायल, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ताइवान, बेल्जियम, स्पेन, ब्राजील, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड)) से दुनिया के सर्वोत्तम संस्थानों (क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में सूचीबद्ध शीर्ष –500 समग्र और शीर्ष –200 विषय–वार संस्थान) के बीच भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की अनुसंधान परि–प्रणाली में सुधार करना है। इस योजना की परिकल्पना है कि संयुक्त अनुसंधान प्रस्तावों की परिणति राष्ट्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की

समस्याओं को हल करने की दिशा में उठाया गया कदम होगी।

- भारत के 5 प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, कानपुर, आईएसआई, कोलकाता, आईआईटीदिल्ली, बीएचयू, आईआईटी, मद्रास) के पास 5 प्रमुख क्षेत्रों और उप–विषयी (मूलभूत शोध, प्रभाव के इमर्जेंट क्षेत्र, सम्मिलन, कार्रवाई उन्मुखी अनुसन्धान और नूतनता उन्मुखी) का एक सेट है। प्रमुख क्षेत्रों की भूमिका स्पार्क योजना के तहत प्रस्तुत संभावित संयुक्त प्रस्तावों की समीक्षा करना और उनको छांटना है।
- भारत में 25 नोडल संस्थाओं (एनआई) का एक सेट है जिसमे प्रत्येक भाग लेने वाले विदेशी देश के लिए एक है और एनआई की भूमिका शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग के लिए संबंधित विदेशी देश की संस्थाओं के साथ सहयोग बनाने के इच्छुक भागीदार भारतीय संस्थानों (पीआई) की मदद करना, प्रबंधन करना और समन्वय करना है।
- स्पार्क योजना से आशा की जाती है कि प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए भारतीय शिक्षाविदों को विदेशों में सर्वश्रेष्ठ सहयोगियों के लिए उजागर करना, अंतर्राष्ट्रीय संकाय को भारत में अधिक समय तक रहने में सक्षम बनाने, विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं में भारतीय छात्रों को काम करने का अवसर प्रदान करने, अनुसंधान में मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने और भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार करने के लिए इसका सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता प्रदान करने पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा ।
- स्पार्क के तहत कुल 1188 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और अब तक स्पार्क शीर्ष समिति द्वारा कुल 394 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

10–11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम उच्च–स्तरीय भारत–फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत में फ्रांस के दूतावास की सह–मेजबानी से प्रथम उच्च स्तरीय भारत–फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन, 2018 का आयोजन नई दिल्ली में 10–11 मार्च, 2018 को किया गया। एचई श्रीमती फ्रेडरिक विडाल, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचारमंत्री, फ्रांस गणराज्य सरकार और श्री प्रकाश जावड़ेकर, मानव संसाधन विकास मंत्री,भारत गणतंत्र सरकार इस अवसर पर उपस्थित रहे। ज्ञान शिखर सम्मेलन कंपनियों के साथ मिलकर अगले पांच वर्ष के लिए फ्रेंको–भारतीय सहयोग का रोडमैप तैयार करने के व्यापक उद्देश्य के साथ विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए पहला फ्रेंको–भारतीय शिखर सम्मेलन था।
- इस दो दिवसीय कार्यक्रम, में एक साझा लक्ष्य के लिए एक साझा समय की पेशकश की गई; छात्रों की गतिशीलता में वृद्धि, अनुसंधान और विकास सहयोग को बढ़ाने और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करके परिसरों को कंपनियों से जोड़ने की पेशकश की गई ।
- एक लंबे समय से प्रतीक्षित और प्रमुख समझौतों सहित कई समझौतों की घोषणा से दोनों देशों के बीच साझेदारी की नई गतिशीलता का रास्ता खुला।

- इस आयोजन के दौरान, दोनों देशों के आपसी हित के विभिन्न विषयों पर अनेक सत्र और गोलमेज वार्ताएं हुई। प्रतिभागियों ने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया।
- माननीय मंत्री ने समारोह का उद्घाटन करते हुए दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को याद किया और शिक्षा सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शैक्षणिक योग्यता के पारस्परिक मान्यता पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता

- भारत और फ्रांस के बीच परस्पर मान्यता के समझौते पर माननीय मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और महामहिम श्रीमती फ्रेडरिक विडाल, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, फ्रांस गणराज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गएथे। यह समझौता दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा, दोनों देशों के छात्रों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करके उनके लिए दूसरे देश में अपनी पढ़ाई जारी रखने की संभावनाओं को सुगम बनाकर छात्रों को प्रोत्साहित करेगा और सहयोग, विश्वविद्यालय और अनुसंधान के आदान–प्रदान के माध्यम से उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा।
- उच्चत्तर शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में सहयोग के लिए फ्रांसीसी पक्ष द्वारा आयोजित बोंजौर इंडियाप्रोग्राम्स की परिणति के रूप में, इस ज्ञान सम्मेलन में भारत और फ्रांस दोनों के कई संस्थानों और कंपनियों के प्रमुख व्यक्तित्व सम्मिलित हुए।
- इस आयोजन में, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग की संभावनाओं की तलाश में बहुत लाभकारी होगा।

जी –20 बैठकें

- प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक 11–13 अप्रैल, 2018 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित की गई थी। डॉ. एन.सरवानाकुमार, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक में शामिल हुए।
- द्वितीय शिक्षा कार्य समूह की बैठक 11–13 जून, 2018 को आयोजित की गई थी। डॉ. एन. सरवाना कुमार, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठक में शामिल हुए।
- माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉ सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जी –20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक और जी –20 के संयुक्त शिक्षा और श्रम/रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लेने केलिए 03–07 सितंबर, 2018 को मेंडोज़ा, अर्जेंटीना का दौरा किया।

भारत और जर्मनी के बीच तीसरा जेडब्ल्यूजी

- भारत और जर्मनी के बीच उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक 19 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष की अध्यक्षता संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,

एमएचआरडीडॉ. एन. सरवाना कुमार और जर्मन पक्ष की अध्यक्षता उप महानिदेशक, शिक्षा और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बीएमबीएफ द्वारा की गई थी। जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने 20 अप्रैल, 2018 को आईआईटी दिल्ली का दौरा भी किया।

गुयाना की यात्रा

- माननीय विदेश मंत्री, एमएचआरडी ने माननीय विदेश मंत्री के अनुरोध पर, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 7–13 मई, 2018 को गुयाना का दौरा किया।

चौथी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी) की बैठक

- श्री प्रकाश जावडेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के नेतृत्व में चौथी ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी) की बैठक में भाग लेने और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में भी भाग लेने के लिए–एक 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 28 जून से 3 जुलाई 2018 तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया।

ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय

- ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का चौथा वार्षिक महासम्मेलन 5–7 जुलाई, 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयकी वरिष्ठ अधिकारियों कीबैठक (एसओएम) और अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बोर्ड (आईजीबी) की बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व डॉ एसएससंधू, अपर सचिव (टीई), एमएचआरडी और प्रो. रजनीश जैन, सचिव यूजीसी ने किया।
- ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय (एनयू) की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) की बैठक 22 नवंबर, 2018, को शास्त्री भवन में हुई । बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव (टीई) डॉ एसएस संध ूने की।

ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक

- ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की छठींबैठक (ईएमएम) 10.07.2018 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुई। इस बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा) डॉ सत्यपाल सिंह ने किया। इससे पहले 09.07. 2018 को शिक्षा पर वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अपर सचिव (टीई) डॉ एस एससं धूने किया था।

मार्शल द्वीप समूह का दौरा

- माननीयविदेश मंत्रीके अनुरोध पर श्री उपेंद्र कुशवाहा, माननी यराज्य मंत्री (एसई एंड एल) ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 7–13 जुलाई, 2018 को मार्शल द्वीपसमूह का दौरा किया।

एससीओ शिक्षा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम) और शिक्षा सम्बन्धी स्थायी कार्य समूह (पीडब्ल्यूजी) की बैठक:

- माननीय राज्य मंत्री (एचआरडी), डॉ सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा

पर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिक्षा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम) में भाग लेने के लिए अस्ताना, कजाकिस्तान का दौरा किया। इससे पहले 16–17 अक्टूबर, 2018 को एससीओ स्थायी कार्य समूह (पीडब्ल्यूजी) की बैठक हुई थी। 9 जून, 2017 को एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में प्रवेश करने के बाद से भारत ने शिक्षा पर एससीओ बैठक में पहली बार भाग लिया।

भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की द्वितीय बैठक

- डॉ एन सरवण कुमार, संयुक्त सचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने 26–28 फरवरी, 2019को ओटावा, कनाडा में द्वितीय भारत–कनाडा संयुक्त कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

भारत सरकार गणराज्य और मोरक्को सरकार के बीच शैक्षणिक अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन

- भारत और मोरक्को के बीच छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए, एचई खालिद समदी राज्य सचिव, के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मोरक्को सरकार की यात्रा के दौरान, 22.01.2019 को शैक्षिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता सम्बन्धी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन से न केवल दोनों देशों के बीच छात्रों की गतिशीलता में सुधार लाने में मदद मिलेगी बल्कि विदेशी डिग्री को समतुल्यता प्रदान करने की प्रक्रिया भी आसान होगी और फलस्वरूप दोनों पक्षों के छात्रों को एक परेशानी मुक्त गतिशीलता और एक वैध डिग्री प्राप्त होगी।

कुवैत में भारतीय इंजीनियरों की समस्या

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अपर सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों के मुद्दे के सिलसिले में 4–6 मार्च, 2019 तक कुवैत का दौरा किया।

❖ ❖ ❖

18

अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान

अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने वालों से सम्बंधित हैं। यह मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकातामें स्थित शिक्षुता/प्रयोग (बोट/बीओपीटी) के चार क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से लागू की जाती है। एनएटीएस केंद्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) को व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाते हैं, जो सीएसी अपरेंटिस अधिनियम 1961 के तहत गठित एक शीर्ष सांविधिक निकाय है। ये बोर्ड बोट/बीओपीटी जो एमएचआरडी से पूरी तरह से वित्त पोषित स्वायत्त संगठन हैं, को अपने संबंधित क्षेत्रों में समय–समय पर संशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस योजना का मूल उद्देश्य नए ग्रेजुएट इंजीनियर्स, डिप्लोमा धारकों और 10 + 2 व्यावसायिक शिक्षा पास करने वालों के प्रयोगात्मक/अनुभव से सम्बंधित हैं या आज अंतर यदि कोई हो, को पाटना तथा उद्योग की जरूरतों के अनुसार उन्हें नौकरी पाने हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाना है।

अधिनियम के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वृत्ति का भुगतान किया जाता है जो कि केंद्र सरकार और नियोक्ता के बीच 50:50 के अनुपात के आधार पर साझा की जाती है। प्रशिक्षुता की विभिन्न श्रेणियों के लिए देय वृत्ति की दरों का विवरण इस प्रकार है: –

अपरेंटिस की श्रेणी	19 दिसंबर, 2014 से प्रभावीबढ़ी दरें
ग्रेजुएट प्रशिक्षुता	4984
ग्रेजुएट प्रशिक्षुता (सैंडविच)	3542
तकनीशियन प्रशिक्षुता	3542
तकनीशियन प्रशिक्षुता (सैंडविच)	2890

इससे पहले, चारों बोट/बीओपीटी के चार अलग–अलग पोर्टल थे और एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले विशेष बोर्ड के माध्यम से आवेदन करना होता था। इन पोर्टलों को अब एकीकृत किया गया है और एकल राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया गया है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 10 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना राष्ट्रीय वेब पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल को अबपारदर्शी प्रशासन के लिए छात्रों, प्रतिष्ठानों और देश भर के तकनीकी संस्थानों सहित सभी हितधारकों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई है। पोर्टल एक बहुभाषी मंच भी होगा जो वर्तमान में अंग्रेजी, मराठी, बंगाली और हिंदी में उपयोग के लिए सक्रिय है।

कुछ समय बाद, पोर्टल की सेवाएं अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगी।

राष्ट्रीय वेब पोर्टल को उन्नत विशिष्टताओं के साथ बेहतर बनाया गया है जिससे निम्नलिखित कार्य किये जा सकेंगे :

- बोट/बीओपीटी के चारों क्षेत्रीय पोर्टलों के एकीकरण से अब छात्रों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों के साथ–साथ इनके कर्मचारियों के लिए एकल एकीकृत इंटरफ़ेस की व्यवस्था की गई;
- पेपरलेस ऑनलाइन व्यापारिक काम काज होने लगा;
- ऑनलाइन डेटा साझा करने से रिपोर्टिंग क्षमता बेहतर और प्रभावी हुई है ;
- क्षेत्रों में प्रक्रियाओं का मानकीकरण हुआ है और कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित हुई है;
- उचित निर्णय निर्धारण और संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हुआ है; तथा
- प्रशिक्षुओं की मांग, रोजगार और बजट आवश्यकताओं के लघु, मध्यम और दीर्घकालिक पूर्वानुमान सुगम हुआ है।

वर्ष 2018–19 (31 मार्च, 2019 तक) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और जारी करने की स्थिति

(₹ लाख में)

शीर्ष	बजट अनुमान	जारी की गई धनराशि (31 मार्च, 2019तक)
स्थापना शीर्ष	2095.83	2050.83
वृत्ति शीर्ष	12500.00	12500.00

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुंबई, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), एक प्रमुख भारतीय संस्थान है, जो औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंधन शिक्षा के लिए है।यह संस्थान भारत सरकार द्वारा 1963में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से स्थापित किया गया था। इस संस्थान ने पाँच दशकों तक उद्योग की सेवा की है और आज इसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और प्रबंधन विकास कार्यक्रम गर्व से इस सहजीवी संबंधों को दर्शाते हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान परिसर मुंबई के सबसे सुरम्य परिवेश में से एक में स्थित है, जो पवई और विहार झीलों से घिरा हुआ है तथा एक पहाड़ी पर 63 एकड़ जमीन में फैला है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को एक शासी निकाय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, जिसमें उद्योग, सरकार, श्रम और पेशेवर निकायों का प्रतिनिधित्व है। इसमें शासी निकाय के अध्यक्ष प्रो संजय जीधांडे और इसकी निदेशक प्रोफेसर (सुश्री) करुणा जैन हैं।

उत्पादकता में सुधार लाने, संचालन और विनिर्माण प्रबंधन में अग्रणी, आज राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान देश के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिन्होंने प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को सफलतापूर्वक मिश्रित किया है। गुणवत्ता प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग (बीपीआर), एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और प्रोद्योगिकी प्रबंधन में इसकी राष्ट्रीय पहचान है। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी

संस्थान को औद्योगिक इंजीनियरी और संबद्ध क्षेत्रों में प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), पेशेवर औद्योगिक परामर्श और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में लगे एक पहले से –प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान के रूप में भी जाना जाता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान संकाय

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के संकाय सदस्य मानविकी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के विविध बुनियादी के विद्वान् होते हैं। इनमें से अधिकांश के पास व्यापार, उद्योग या सरकार का भी हैंड्स ऑन अनुभव है। कई प्रतिष्ठित पेशेवर, प्रशिक्षक और प्रबंधन के अग्रणी लेखक हैं। अनुदेशकों के रूप में ये नियमित रूप से छात्रों को व्यस्त रखते हैं, प्रबंधकों और प्रशासकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने और अपनी जिम्मेदारियों के शानदार निष्पादन के प्रति प्रेरित करते हैं।

शैक्षणिक गतिविधियाँ

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान निम्नलिखित दो वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करता है:

1. औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई)
2. औद्योगिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)
3. औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम)
4. विनिर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम)
5. परियोजना प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएम)
6. आईआईटी, दिल्ली के साथ संयुक्त रूप सेविज़नरी लीडरशिप फॉर मैन्युफैक्चरिंग (पीजीपीईएक्स– वीएलएफएम) में पोस्ट ग्रेजुएटप्रोग्राम

फेलो कार्यक्रम

प्रवेश का मानदंड

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान, सीए/ आईसीडब्ल्यूए और एसीएस से कुल 60% अंकों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन के मामले में 5% अंक की छूट) के साथ इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान और शुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि। संबंधित विषयों में अंतिम परीक्षा देने वाले भी आवेदन कर सकते हैं।

फेलो प्रवेश विवरण 2018

क्र. सं.	पंजीकृत	वापस लिए गए	प्रदान किए गए
1.	24	1	15

1.1.2018 से 31.12.2018

17 छात्रों ने साहित्य समीक्षा सह पूर्व–पंजीकरण सेमिनार प्रस्तुत किए हैं।

25 छात्रों ने क्रेडिट सेमिनार प्रस्तुत किए हैं।

24 छात्रों ने प्रोग्रेस सेमिनार प्रस्तुत किए हैं।

17 छात्रों ने प्री–सिनोप्सिस सेमिनार प्रस्तुत किए हैं।

18 छात्रों ने मौखिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है।

गेट पर आधारित प्रवेश मानदंड:

औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई) औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष है जो भारत सरकार, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान पीजीडीआईई का 48 वां बैच संचालित कर रहा है।

विनिर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम) और परियोजना प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएम): वर्तमान में, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान पीजीडीएमएम और पीजीडीपीएम के तीसरे बैच का संचालन कर रहा है।

प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाता है जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) और उसके बाद समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करते हैं। प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उद्योग प्रायोजित उम्मीदवारों पर भी प्रवेश के लिए विचार किया जाता है।

कैट के आधार पर प्रवेश मानदंड:

औद्योगिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम) और औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम) अखिल भारतीय परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान **पीजीडीआईएम का** 25 वां बैच और 18 वां बैच आयोजित कर रहा है।

पीजीडीआईएम और पीजीडीआईएसईएम में प्रवेश उन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को दिया जाता है, जो भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा आयोजित साझा प्रवेश परीक्षा (कैट) और उसके बाद आयोजित समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करते हैं।

पीजी प्रवेश विवरण 2018

कार्यक्रम	प्रवेश क्षमता	अनारक्षित	आईएसपी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल योग
पीजीडीआईई	126	63	1	19	9	34	126
पीजीडीआईएम	274	135	0	39	3	70	247
पीजीडीआई एसईएम	39	8	0	3	1	4	16
पीजीडीएमएम	40	12	0	11	1	11	35
पीजीडीपीएम	40	16	0	5	0	9	30

वर्ष 2017 से आईआईटी दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से कार्यपालकों के लिए विनिर्माण हेतु अग्रणी नेतृत्व में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपीईएक्स– वीएलएफएम) संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से 5 से 12 वर्ष के अनुभव वाले इंजीनियरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 30 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले इस कार्यक्रम के पहले बैच में नौ छात्रों ने प्रवेश लिया है।

XXIV दीक्षांत समारोह:

दीक्षांत समारोह 8सितंबर, 2018को आयोजित किया गया था। डॉ गणेश नटराजन, अध्यक्ष – 5 एफ वर्ल्ड एंड सोशल वेंचर पार्टनर्स इंडिया इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर 404 स्नातकोत्तर डिप्लोमा छात्रों और 15 फेलो को सम्मानित किया गया।

1. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप

पीजीडीआईई, पीजीडीआईएम, पीजीडीआईएसईएम, पीजीडीएमएम और पीजीडीपीएम के प्रथम वर्ष के बैचों के कुल 406 छात्रों में से सभी 406 छात्रों को, 26 मार्च, 2018 से शुरू होने वाली 8 सप्ताह की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए देश भर के 112 संगठनों में भेजा गया है।

2. अंतिम नियोजन

औद्योगिक इंजीनियरी (पीजीडीआईई–46), औद्योगिक प्रबंधन (पीजीडीआईएम–23), औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन (पीजीडीआईएसईएम–16), विनिर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम–03) और परियोजना प्रबंधन (पीजीडीपीएम–03) के वर्ष 2017–18 बैच के अंतिम नियोजन सम्बन्धी रिपोर्ट

क्र.म.	विवरण	वर्षः 2017–18					
1	कंपनियों की संख्या	132					
2	नियोजित छात्रों की संख्या	पीजीडी आईई	पीजीडी आईएम	पीजीडीआई एसईएम	पीजीडी एमएम	पीजीडी पीएम	**कुल**
	पीपीओ	25	62	1	2	2	92
	एलआरपी	20	99	3	2	9	133
	सीआरपी	53	51	12	25	18	159
	देशीय	98	212	16	29	29	384
	विदेशी	2	5	0	1	0	8
	विदेशी पीपीओ	0	1	0	0	0	1
	कुल	**100**	**218**	**16**	**30**	**29**	**393**
3	अभी भी नियोजन के लिए बाकी छात्रों की संख्या	0	0	0	0	0	0
4	डीपीपी का विकल्प चुनने वाले छात्रों की संख्या	0	0	0	0	0	0

क्र.म.	विवरण	वर्षः 2017–18					
5	नियोजन का विकल्प नहीं चुनने वाले छात्रों की संख्या	1	3	0	2	2	8
6	बैच में छात्रों की कुल संख्या	101	221	16	32	31	401
7	अधिकतम अर्जित वेतन	पीजीडी आईई	पीजीडी आईएम	पीजीडीआई एसईएम	पीजीडी एमएम	पीजीडी पीएम	**कुल**
i)	अधिकतम वार्षिक वेतन						
	विदेशी	51.66	55.00	-	19.59	-	55.00
	देशीय (लाख रु)	46.50	46.50	25.00	25.00	25.00	46.50
ii)	न्यूनतम सालाना वेतन						
	विदेशी	16.00	16.00	-	19.59	-	16.00
	देशीय (लाख रु)	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00
iii)	औसत वार्षिक वेतन						
	विदेशी	35.63	30.84	-	19.59	-	30.65
	देशीय (लाख रु)	16.98	19.55	15.14	16.28	15.71	18.17
	शीर्ष 10% छात्र	28.96	37.24	23.65	25.00	24.67	33.14
	शीर्ष 20% छात्र	25.48	30.82	22.77	25.00	22.58	28.36
	शीर्ष 50% छात्र	21.88	24.87	19.01	21.06	19.47	23.28
	समग्र औसत वेतन (लाख रुपये)	17.35	19.86	15.14	16.39	15.71	18.46
	समग्र मध्यम वेतन (लाख रु)	16.64	18.04	15.00	15.05	14.50	17.00

सभी वेतनों की गणना एमईपी के अनुसार की गई है

क्षेत्रवार नियोजन 2018 बैच

क्षेत्र	पीजीडी आईई –46	पीजीडी आईएम –23	पीजीडीआई एसईएम –16	पीजीडी एमएम –03	पीजीडी पीएम –03	कुल योग
बीएफएसआई	8	28	0	2	4	42
परामर्श	7	56	2	1	2	68
ई–कॉमर्स	4	17	0	1	0	22
एफएमसीजी	14	24	1	3	0	42
आईटी / आईटीईएस	10	25	0	2	5	42
लॉजिस्टिक्स	7	5	0	1	2	15
विनिर्माण	30	20	6	7	10	73
अन्य	13	27	6	8	4	58
फार्माऔर हेल्थकेयर	3	7	1	4	1	16
खुदरा	4	9	0	1	1	15
कुल योग	100	218	16	30	29	393

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान पुरस्कार और रैंकिंग–2017–2018

स्थापित पुरस्कार

1. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को एनआईआरएफ रैंकिंग 2017 में सभी इंजीनियरी संस्थानों में 36वां स्थान और सभी प्रबंधन संस्थानों में 12 वां स्थान मिला है।

2. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को 23 नवंबर, 2017 को विश्व शिक्षा कांग्रेस द्वारा' डॉ अरुण अरोड़ा भारत का सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

3. संस्थान के असाधारण प्रदर्शन और उत्कृष्टता की मान्यता स्वरुप इसे बीएमए द्वारा वर्ष 2018 के लिए, 'मुंबई – सरकार' में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान का दर्जा दिया गया।

4. परिसर में पर्यावरण सम्बन्धी और हरित पहलों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान ने यस बैंक के प्राकृतिक पूंजी पुरस्कार 2017 के तहत "भारत में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ इको–परिसर" का ख़िताब मिला।

5. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान की टीम 'एए सेल' (आकाश दत्ता और अनीश प्रसाद)

ने नई दिल्ली में 09 नवंबर, 2017 को यस बैंक परिवर्तन श्रृंखला 2017 का ग्रैंड फिनाले जीता।

6. **राजभाषाकीर्तिपुरस्कार**

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को संस्थान में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए 'ख' क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एमवें कैयानाय डूके कर कमलों से विज्ञानभवन, नई दिल्ली में एक गौरवशाली समारोह में 14 सितम्बर, 2018 को प्रो शिरीष सांगले, डीन (एसआरआईसी) ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्तकिया।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान द्वारा आयोजित अल्पकालिक/दीर्घकालिक कार्यक्रम

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान प्रति वर्ष एक सप्ताह की अवधि के 63से अधिक प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित करता है, जो औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किये जाते हैं। यह यूनिट आधारित कार्यक्रम (यूबीपी) भी संचालित करता है जो ग्राहकों/संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान के प्रशिक्षण में एक उद्देश्य के साथ सीखने और मनुष्य से सम्बंधित सरोकारों पर जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण के अलावा राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान में प्रबंधन में अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी होता है और यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की विशेष परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य भी करता है।

वर्ष के दौरान नीति ने औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में **03 एमडीपी आयोजित** किए हैं और विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के 19 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है और विभिन्न संगठनों के लिए **08 यूबीपी** और **196 अधिकारियों** ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान द्वारा आयोजित परामर्श

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान द्वारा औद्योगिक इंजीनियरिंग, संचालन प्रबंधन, व्यवसाय मॉडलिंग, सूचना प्रणाली और आईटी, कॉर्पोरेट पर्यावरण प्रबंधन, विपणन और उत्पादकता और प्रबंधन के अन्य संबंधित क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में व्यावसायिक परामर्श दिया जाता है।

इस गतिविधि से हमें न केवल संसाधन उत्पन्न करने में मदद मिलती है, बल्कि इससे हमारे ज्ञान के भंडार में भी वृद्धि होती है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान ने औद्योगिक इंजीनियरी से संबंधित सभी क्षेत्रों में 07 परामर्श कार्य पूरे किए हैं और 10 परामर्श कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2018–19 (31मार्च, 2019 तक) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और धनराशि जारी किये जाने की स्थिति

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई के लिए किये गए 3725.00 लाख के बजटीय आवंटन की तुलना में मार्च, 2019 तक 3350.00 लाख की राशि जारी की गई है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी), रांची, झारखंड

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी), रांची को भारत सरकार द्वारा 1966 में यूएनडीपी–यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इस संस्थान का प्रबंधन एक शासी निकाय के हाथ में है जिसमे शीर्ष पर एक अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, निजी और सार्वजनिक उद्यमों, तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।

एनआईएफएफटी अपनी स्थापना के समय से सार्वजनिक क्षेत्रों और उद्योगों को फाउंड्री टेक्नोलॉजी, फोर्ज टेक्नोलॉजी और अन्य संबद्ध विनिर्माण क्षेत्रों में योग्य इंजीनियर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेषज्ञ प्रदान करता रहा है। संस्थान ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और इन इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में ख्याति अर्जित की है। यह संस्थान प्रासंगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों का भी सतत और सावधानीपूर्वक संचालन कर रहा है और पूरे देश और विदेशों में उद्योगों को परामर्श और प्रलेखन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

❖ **शैक्षणिक कार्यक्रमः**

एनआईएफएफटी में अध्ययन के पांच विभाग हैं:

- फाउंड्री टेक्नोलॉजी
- फोर्ज टेक्नोलॉजी
- विनिर्माण इंजीनियरी
- सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरी
- अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी।

यह संस्थान निम्नलिखित नियमित कार्यक्रम भी संचालित करता है:

➢ **अनुसंधान स्तर**

I. डॉक्टरल कार्यक्रम

➢ स्नातकोत्तर स्तर (मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम .टेक)

I. फाउंड्री–फोर्ज टेक्नोलॉजी में एम–टेक

II. विनिर्माण इंजीनियरी में एम. टेक

III. पर्यावरण इंजीनियरी में एम. टेक

IV. सामग्री विज्ञान और इंजीनियरी में एम. टेक

➢ स्नातक स्तर (बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.)

I. विनिर्माण इंजीनियरी में बीटेक

II. धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरी में बीटेक पाठ्यक्रम

➢ एडवांस्ड डिप्लोमा स्तर (एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एडीसी)

I. फाउंड्री टेक्नोलॉजी में ए.डी.सी.

II. फोर्ज टेक्नोलॉजी में ए.डी.सी.

सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त है। छात्रों को

प्रवेश बी.टेक. पाठ्यक्रम के लिए, जेईई (मेन) (सीबीएसई द्वारा पूरे भारत में आयोजित) के माध्यम से, एम.टेक. पाठ्यक्रमों के लिए गेट के माध्यम से, एडवांस्ड डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए एनआईएफएफटी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से; और डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों के लिए लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के माध्यम से दिया जाता है।

यह संस्थान अनुसंधान स्तर, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध है। एडवांस्ड डिप्लोमा संस्थान द्वारा ही प्रदान किया जाता है।

❖ सतत् शिक्षा

ब्उद्योग कर्मियों के लिए स्थापित और उभरती प्रथाओं में अंशकालिक अनुसंधान कार्यक्रमों, रिफ्रेशर और विशेष पाठ्यक्रमों जैसे सभी स्तरों पर निरंतर शिक्षा, समाज के विकास में योगदान करने वाली संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है।

ये कार्यक्रम आम तौर पर 1–2 सप्ताह की अवधि के होते हैं जिनमे फाउंड्री और फोर्ज तकनीक, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन, विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री लक्षण–वर्णन के व्यापक विषय और औद्योगिक महत्व के अन्य क्षेत्र शामिल हों ।

गतिविधियों में उद्योग या संगठनों के अनुरोध पर संचालित किये जाने वाले अल्पावधि के यूनिट आधारित कार्यक्रम भी शामिल हैं जो उनकी आवश्यकता के अनुसार या उनके परिसर में या संस्थान में आयोजित किये जाते हैं।

संस्थान को दक्षिण–पूर्व एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों के लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान करने का श्रेय जाता है। बर्मा, श्रीलंका और नाइजीरिया जैसे देशों के छात्रों ने पिछले दिनों संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। संस्थानने नेपाल और श्रीलंका के इंजीनियरों के लिए भी फाउंड्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इकाई आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

❖ अनुसंधान गतिविधियाँ

संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य फाउंड्री, फोर्ज और इनसे संबद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्य करना है। अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए संस्थान में सभी ढांचागत सुविधाएं मौजूद हैं। अनुसन्धान एवं विकास कार्यक्रमों के पैटर्न डिजाइन और विनिर्माण, रेत प्रणाली डिजाइन, पिघलने, कास्टिंग्स कीपद्धति, फोर्जिंग प्रक्रिया सिमुलेशन, डाई जीवन आकलन, स्नेहकों का मूल्यांकन, सीएडी एंड सीएएम ऑफ कास्टिंग एंड फोर्जिंग, विफलता विश्लेषण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, धातु मैट्रिक्स कम्पोजिट्स और पाउडर धातु विज्ञान फोर्जिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। संकाय के अधिकांश सदस्य पीएच.डी. धारक हैं। संकाय सदस्य अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न सेमिनारों / संगोष्ठियों / सम्मेलनों में लगातार भाग लेते हैं। कई शोध पत्र विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

❖ परामर्श सेवाएं

संस्थान फाउंड्री, फोर्ज के क्षेत्र और इनसे सम्बद्ध क्षेत्रों में उद्योगों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता

है। परामर्श सेवाएं व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, तकनीकी परियोजनाओं की तैयारी और निष्पादन, उपकरण और मशीनरी के चयन और मूल्यांकन, कच्चे माल के परीक्षण और उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में दी जाती है।

❖ **प्रायोगिक और परीक्षण सुविधाएं**

संस्थान के पास, छात्रों द्वारा प्रयोगात्मक अध्ययन कार्य करने और भुगतान के आधार पर बाहरी संगठनों को फाउंड्री, फोर्ज, धातुकर्म विश्लेषण और सामग्री लक्षण वर्णन से सम्बंधित परिक्षण सुविधाएँ देने के लिए व्यावहारिक अध्ययन कार्य करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं हैं।

❖ **नियोजन**

संस्थान में बी.टेक. और एडीसी स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में लगभग 100% नियोजन हो जाता है।

- अटलटिंकरिंग लैब भारतीय छात्रों के बीच वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार, रचनात्मकता का वातावरण बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार का एक दृष्टिकोण है। यह एक नए भारत की ओर एक कदम है। प्रोफेसर रत्नेश के गुप्ता को एसएसडोरंडा गर्ल्स प्लस–टू हाई स्कूल रांची कामेंटर ऑफ चेंज बनाया गया है।
- फाउंड्री टेक्नॉलॉजी विभाग द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से रु7.50 लाख की परियोजना लागत से हाई फास्फोरस कास्ट लोहे के विकास और विशेषता की पहचान के लिए एक प्रमुख शोध किया गया था।
- एनआईएफएफटी को भारत सरकार द्वारा बरूईपुर सर्जिकल कलस्टर वेलफेयर एसोसिएशन केलिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना और विकास के लिए परियोजना समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2018–19 (31मार्च, 2019 तक)के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और धनराशि जारी किये जाने की स्थिति

एनआईएफएफटी, रांची को किये गए '4575.95 लाख के बजटीय आवंटन की तुलना में मार्च, 2019 तक '4575.95 लाख रूकी राशि जारी की गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर अरुणाचल प्रदेश

1. परिचय

"उगते सूरज की भूमि" के अदम्य सौन्दर्य स्थल में स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सं. स्थान (एनईआरआईएसटी) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा की गई थी। शुरू में इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से तकनीकी जनशक्ति का आधार बनाने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन पूर्वोत्तर परिषद,शिलांग की पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान का परिसर निर्जुली, ईटानगर में स्थित है जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और यह गुवाहाटी से सड़क, हवाई और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है ।

संस्थान 1 अप्रैल 1994 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे यूजीसी अधिनियम,

1956 की धारा –3 के तहत 31 मई, 2005 को सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

2. शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान में शिक्षा का एक मॉड्यूलर पै. टर्न अपनाया गया है, जिसमें अनेक प्रवेश और निकास प्रणालियां हैं और यह अपने अभिनव शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न स्तरों अर्थात, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री में कुशल मानव शक्ति का सृजन कर रहा है। एनईआरआईएसटी में अपनाई गई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा आठ राज्यों के इस क्षेत्र को इतना सक्षम बनाना है कि वह देश के बाकी हिस्सों के साथ प्रौद्योगिकी अंतर को पाट सके और क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास की गति बढ़ा सके। वर्ष 2006 में सिक्किम को संस्थान के आठवें लाभार्थी राज्य के रूप में शामिल किया गया है।

संस्थान में शिक्षा के मॉड्यूलर पैटर्न का सफल कार्यान्वयन दर्शाया गया है, जो उन नौ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, छह डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और सात डिग्री पाठ्यक्रमों में कुशल मानव शक्ति प्रदान करने में सक्षम रहा है, जो विभिन्न विभागों, अर्थात्, कृषि इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वानिकी द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की भी सहायक विभागों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यद्यपि संस्थान छात्रों को कठिन शैक्षणिक मानदंडों पर कम आयु (कक्षा–10 के बाद) में प्रवेश देता है, लेकिन छात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के विकास सहित उल्लेखनीय विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका अकादमिक और प्रशासनिक ढांचा काफी प्रभावी रहा है।

स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम 1996–97 में दो विषयों, सूचना और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में एआईसीटीई और एमएचआरडी की उचित मंजूरी लेकर शुरू किए गए थे। 2005 में 'सम विश्वविद्यालय ' का दर्जा मिलने के बाद, यहाँ सभी इंजीनियरिंग विभागों में पीजी और पीएच.डी. कार्यक्रम, 2007–08 से एमएससी वानिकी में और 2009–10 सत्र से एम. एससी भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित को अंशकालिक और नियमित दोनों आधार पर शुरू किये गये। एमबीए सहित पीएचडी कार्यक्रमों को पूर्णकालिक और अंशकालिक आधार पर 2006 से सभी 11 विभागों में शुरू कर दिया गया है। एनईआरआईएसटी को एम.टेक. और एमबीए कार्यक्रम शुरू करने वाला, अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला संस्थान होने का गौरव प्राप्त है।

3. संस्थान का विजन

संस्थान का विज़न एक बहुसांस्कृतिक वातावरण में वैश्विक आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करने वाले समाज को विशेषज्ञतापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए नैतिक मूल्यों और सामा. जिक संवेदनशीलता के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमशीलता में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ पेशेवरों का सृजन करना है ।

4. संस्थान का मिशन

1. एक नवीन मॉड्यूलर प्रणाली के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाना।
2. उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में विभिन्न विषयों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति का सृजन करना।
3. हितधार कों, जवाबदेही, पर्यावरण और जनता पर ध्यान केंद्रित करके उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए इंजीनियरों/प्रौद्योगिकीविदों और प्रशिक्षुओं को रचनात्मक माइंड–सेट के लिए प्रेरित करना।
4. शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भारत और विदेशों में विश्व स्तर के अनुसंधान और विकास संगठनों, उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाना।

5. प्रशासनिक व्यवस्था

यह संस्थान 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। वर्तमान में,अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल, एनईआरआईएसटी सोसायटी के पदेन अध्यक्ष हैं।

6. मुख्य विशेषताऐं

- ➢ मॉड्यूलर तकनीकी शिक्षा प्रणाली;
- ➢ बहु स्तरीय प्रविष्टि और निकास प्रणाली;
- ➢ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी जनशक्ति के सृजन के लिए अपरंपरागत और नवाचारी शैक्षणिक कार्यक्रम;
- ➢ ज्ञान, कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास;
- ➢ अत्यधिक योग्य संकाय और समर्पित कर्मचारी;
- ➢ पीजी और पीएचडी कार्यक्रम;
- ➢ अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं;
- ➢ पूरी तरह से आवासीय परिसर;
- ➢ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित सेवा

शैक्षणिक अनुभाग किसी भी शैक्षणिक संस्थान / विश्वविद्यालय की रीढ़ होता है। वर्तमान अकादमिक शाखा को बेहतर कार्य–संचालन के लिए तीन प्रकोष्ठों नामतः, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी.में विभाजित किया गया है। स्नातक प्रकोष्ठ प्रवेश प्रक्रिया, छात्रवृत्ति / अन्य आधारभूत शैक्षणिक मामलों डिप्लोमा और डिग्री मॉड्यूल से सम्बंधित कार्य देखे जाते हैं। स्नातकोत्तर प्रकोष्ठ यूजी और पीजी छात्रों की छात्रवृत्ति सहित एम.टेक,एमबीए, एम.एससी केप्रवेश और अन्य संबंधित मामलों को देखता है और पीएच.डी. प्रकोष्ठ पीएच.डी. छात्रों की छात्रवृत्ति सहित पीएचडी छात्रों के प्रवेश, पीएचडी छात्रों से संबंधित डीपीजीसी, बीपीजीएस और अन्य गतिविधियों के आयोजन जैसे सभी कार्यकलापों से संबंधित है। शैक्षणिक अनुभाग दीक्षांत समारोह, एसी बैठकों, आरटीआई, एआईसीटीई, यूजीसी के साथ पत्राचार आदि से संबंधित मामलों को भी देखता है।

इसके अलावा, शैक्षणिक अनुभाग एमएचआरडी / यूजीसी /एआईसीटीई के साथ संस्थान के शैक्षणिक कार्यों से संबंधित अन्य सभी मामलों और अन्य विविध शैक्षणिक मामलों को भी देखता है। शाखा के प्रमुख सहायक रजिस्ट्रार (शैक्षणिक) हैं।

7. वर्ष 2018 – 19 के दौरान प्रवेश लेने वाले छात्रों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	मॉड्यूल / पाठ्यक्रम				दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या
1.	**बेस मॉड्यूल (प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम)**	एई	36		196
		सीई	40		
		ईसीई	40		
		ईई	40		
		एमई	40		
2.	**डिप्लोमा मॉड्यूल**		**लेटरल**	**वर्टीकल**	
		एई	5	18	194 (63 लेटरल और 131 वर्टीकल)
		सीई	10	30	
		सीएसई	20	3	
		ईसीई	8	20	
		ईई	10	36	
		एमई	10	24	
3.	**ब्रिज कोर्स (लेटरल डिडिग्री टेक.)**	एई		4	66
		सीई		14	
		सीएसई		11	
		ईसीई		12	
		ईई		13	
		एमई		12	

क्र. सं.	मॉड्यूल / पाठ्यक्रम			दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या
4.	**डिग्री मॉड्यूल**		**वर्टीकल**	210 (वर्टीकल)
		एई	22	
		सीई	50	
		सीएसई	19	
		ईसीई	31	
		ईई	44	
		एमई	44	
			वर्टीकल	
5.	**बी.एससी**	वानिकी		17
6.	**एम.टेक**	सीआईएम	7	98
		सिएसई	6	
		ईसीई	9	
		ईएसई	18	
		एफएमपी	4	
		जीटीई	18	
		आईटी	4	
		पीएसई	15	
		एसडब्ल्यूसीई	10	
		टीएफई	7	
7.	**एम.एससी**	पीएच	12	58
		सीएच	10	
		एमए	18	
		एफओ	18	

क्र. सं.	मॉड्यूल / पाठ्यक्रम			दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या
8.	**एमबीए**			25
9.	**पी.एचडी (पूर्णकालिक)**	एई	3	39
		सीई	9	
		सीएसई	1	
		ईसीई	4	
		ईई	2	
		एमई	2	
		पीएच	2	
		सीएच	4	
		एमए	2	
		एफओ	10	
10.	**पी.एचडी (अंशकालिक)**	सीई	5	22
		ईसीई	7	
		ईई	1	
		एमई	6	
		पीएच	1	
		सीएच	1	
		एमए	1	

8. सभी वर्षों के लिए कुल छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:

अवर स्नातक:

बेस मॉड्यूल: 349

डिप्लोमा मॉड्यूल: 366

बीटेक डिग्री: 472
(406 डिग्री + 66 ब्रिज)

वानिकी डिग्री: 59

स्नातकोत्तर:

एम.टेक (सभी विभागों सहित): 177

एमएससी (सभी विभागों सहित): 105

एमबीए: 59

पीएच.डी.(सभी विभागों सहित): 273
[169 (एफटी) + 104 (पीटी)]

यह सूचित किया गया है कि एनईआरआईएसटी का 7 वां दीक्षांत समारोह 19.11.2018 को मुख्य

अतिथि के रूप में प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई, नई दिल्ली के साथ और एच.ई. ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) डॉ. बी.डी मिश्रा के साथ आयोजित किया गया था,अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और एनईआरआईएसटी सोसायटी अध्यक्ष ने 7 वें दीक्षांत समारोहकी अध्यक्षता की। कुल मिलाकर, 1086 छात्र ने सर्टिफिकेट और डिग्री प्राप्त की, जिसमें 50 छात्र शामिल थे, जिन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और 37 विद्वानों ने पीएचडी डिग्री प्राप्त की।

9. 01.01.2018 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग और विज्ञान की विभाग– वार जानकारी

विभाग	अल्पकालिक पाठ्यक्रम/ कार्यशाला का आयोजन	अल्पकालिक पाठ्यक्रम/ कार्यशाला में भाग लिया।	अनुसंधान परियोजनाएं	प्रकाशन	पुस्तकों में शोध लेख, सम्मेलन कार्यवाही
वानिकी	11	22	20	53	12
कृषि इंजीनियरिंग	शून्य	18	02	17	17
सिविल इंजीनियरिंग	शून्य	12	01	05	01
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग	03	23	02	14	13
इलेक्ट्रॉनिक्स औरकॉम. इंजीनियरिंग	04	31	05	19	22
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	शून्य	25	01	14	15
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	01	10	शून्य	31	20
भौतिक विज्ञान	शून्य	15	शून्य	08	04
रसायन विज्ञान	शून्य	02	02	06	08
गणित	शून्य	07	01	16	02
मानविकी और सामाजिक विज्ञान	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य
प्रबंध अध्ययन केंद्र (एमबीए)	शून्य	03	01	05	03

10. चल रही अनुसंधान परियोजनाएं

बीआरएनएस–1, डीबीटी–9, डीएसटी–6, ईएसए–1, जीबी पंत – 7, इसरो – 1, आईटीआरए–1, एमएलए–1, एसईआरबी–3

11. प्रशासनिक इकाइयाँ

निदेशक सेल, रजिस्ट्रार सेल, अकादमिक सेल, एनईआरआईएसटी प्रवेश परीक्षा (एनईई सेल), परीक्षा नियंत्रक (सीओई), स्थापना, वित्त,

स्टोर और खरीद, छात्रावास प्रबंधन परिषद (एचएमसी), केंद्रीय पुस्तकालय, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल (टीएंडपी), इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी सेल (ईटी), प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्श (एसआरआईसी), सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी), उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास केंद्र (सीएटीआरडी), एनएसएस, एनसीसी, संस्थान अभियंता कार्यालय, एस्टेट कार्यालय, परिवहन अनुभाग, जिमखाना, एनईआरआईएसटी स्वास्थ्य इकाई, गेस्ट हाउस संस्थान में कार्य कर रहे हैं।

12. परिसर में अन्य सुविधाएं

परिसर में केजी, केवी, एसबीआई, एसबीआई और केनरा बैंक के एटीएम, पोस्ट ऑफिस और सहकारी स्टोर की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

13. वर्ष 2018–19 के लिए चल रही विकासात्मक गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

1. 1798.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ रजत जयंती हॉल (सभागार) के पहले चरण का निर्माण।
2. 1,671.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ आवासीय क्वार्टर (टी/III, टी/IV, टी/ ट – 6 नग प्रत्येक) का निर्माण।
3. 100.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ रजिस्ट्रार क्वार्टर का निर्माण।
4. 2928.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ केंद्रीय कार्यशाला का निर्माण।
5. 831.52 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ उपयोगिता केंद्र का निर्माण।
6. 783.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ न्यू वीआईपी गेस्ट हाउस के विस्तार का निर्माण।
7. 3604.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ स्थायी प्रशासनिक भवन का निर्माण।
8. 1015.78 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य का निर्माण ।
9. 800.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ 240 एकड़ में सीमा दीवार का निर्माण।
10. 330 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ 24 शिक्षण–कक्षों में साइट डेवलपमेंट ।
11. 330 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ 375 कैप बॉयज़ हॉस्टल में साइट डेवलपमेंट।
12. 350.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ अर्थ फिलिंग का काम ।
13. 189.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ एनईआरआईएसटी कैम्पस के भीतर समेकित जल निकासी नेटवर्क का निर्माण।
14. 438.00 लाख की अनुमानित लागत के साथ आरसीसी रिटेनिंग वॉल का निर्माण ।
15. 100.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ टी/I एनआईआरआईएसटी परिसर के पास सूखा नाला में बाढ़ सुरक्षा कार्य।
16. 549.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ रजत जयंती, केंद्रीय कार्यशाला, विज्ञान ब्लॉक, इंजीनियरिंग ब्लॉक और

24 नग शिक्षण–कक्ष आदि के लिए एप्रोच रोड का निर्माण।

17. स्थायी प्रशासनिक भवन में साइट विकास, जिसकी अनुमानित लागत रु 330.00 लाख रुपए है।

18. 1500.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत के साथ मुख्य द्वार से निर्जुली नदी के पास आरसीसी स्लैब कवर के साथ आउटलेट आरसीसी ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण।

19. 150.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ एनईआरआईएसटी पर आंतरिक सड़क का पुनः कारपेटिंग कार्य।

20. 350.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ मौजूदा छात्रावास भवन का पुनः पेंटिंग कार्य।

21. 95.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ शैक्षणिक और आवासीय भवन की पेंटिंग।

22. 965.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ जल उपचार संयंत्र/ फिल्ट्रेशन यूनिट का निर्माण कार्य।

23. 820 लाख रुपए की अनुमानित लागत के साथ उपकरणों/फर्नीचर आदि की खरीद।

वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और जारी की गई राशि की स्थिति (31मार्च, 2019 तक)

‘10723.09 लाख रुपए के बजटीय आवंटन के लिए मार्च 2019 तक एनईआरआईएसटी, ईटानगर को 10723.09 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी(एसएलआईईटी), लोंगोवाल, पंजाब

1989 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने देश के व्यावसायिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच स्वयं के लिए आला स्थान हासिल किया है।विभिन्न विषयों में सर्टिफिकेट से लेकर डॉक्टरेट तक के कार्यक्रमों के साथ, संस्थान इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों में दृढ़ आधार के साथ सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले लचीले इंजीनियरिंग कौशल का निर्माण करता है, जबकि इंजीनियरिंग पद्धति और दृष्टिकोण को विकसित करते हुए स्नातकों को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने तथा रचनात्मक तथापि व्यावहारिक परिणामों के साथ ”वास्तविक दुनिया” की समस्याओं से निपटने में सक्षम बनाता है। छात्रों को कौशल से सुसज्जित करने में, वैज्ञानिक और तकनीकी समझ और समस्या समाधान के लिए उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच सही संतुलन बनाए रखा जाता है। संचार और बातचीत के विशेष कौशल, टीम वर्क और अंतर–विषयी कामकाज, योजना–लागत और उद्यमशीलता के विचार को सैद्धांतिक समझ, रचनात्मकता और नवाचार, तकनीकी व्यापकता और व्यावसायिक कौशल के साथ संश्लेषित किया जाता है।

चार सौ एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संस्थान में प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का उत्कृष्ट संगम है।यह ताज़ा रंगों के माध्यम से व्यक्त करता है जो पर्यावरण और परिस्थितियों को वास्तव में मानव आत्मा को सच्ची तृप्ति और आराम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।संस्थान में किए गए बड़े वृक्षारोपण संस्थान को एक जीवंत सुंदरता देते हैं – अंतहीन और अनंत प्राचुर्य का संकेत। जीवंत वातावरण कार्य के माहौल को बढ़ाता है, जिससे एक मानवीय और नरम स्पर्श होता है। संस्थान दुनिया में पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की झलक देने के लिए कई प्रवासी पक्षियों की मेजबानी

करता है। प्राकृतिक वातावरण की भव्यता और पक्षियों की सुंदरता आध्यात्मिक और शैक्षिक सौंदर्यप्रेमियों के लिए एकदम सही जगह हैं। संस्थान एक ऐसा माहौल प्रदान करता है जो चिंताओं से दूर रहता है, इच्छाओं को परिवर्तित करता है और सोच और विश्लेषण के मूल्यों को बढ़ावा देता है। संस्थान में छात्र के पास शहरीकृत आवासों में प्रचलित सामान्य आकर्षण उपल्बध नहीं है, जो उसे शारीरिक, नैतिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाता है।

संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (समवत विश्वविद्यालय), लोंगोवाल (एसएलआईईटी) की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौते के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ शिक्षा की मॉड्यूलर प्रणाली की एक नई अवधारणा को अपनाकर विभिन्न स्तरों पर तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम गैर–पारंपरिक, नवीन और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर जोर देने के साथ उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

2018–19 के दौरान छात्रों और संकाय के बारे में स्थिति:

छात्र दाखिला – 2018–19																	
	यूजी और पीजी स्तर पर छात्रों का कुल स्वीकृत दाखिला* (श्रेणी–वार)						यूजी और पीजी स्तर पर छात्रों का कुल वास्तविक दाखिला (श्रेणी–वार)**										
पाठ्यक्रम/ श्रेणी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग	कुल	महिला सामान्य	महिला अनुसूचित जनजाति	महिला अनुसूचित जनजाति	महिला दिव्यांग	कुल
आईसीडी कार्यक्रम*	318	86	42	153	31	630	385	38	07	197	10	637	85	09	02	06	102
आईसीडी लेटरल एंट्री	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
बी.ई. लेटरल एंट्री*#	385	25	12	45	09	476	262	30	16	128	00	436	62	09	04	00	75
बी.ई. चार वर्ष*	130	35	16	61	07	249	59	26	08	80	00	173	06	01	02	00	09
एम.टेक. कार्यक्रम	79	23	11	43	06	162	63	15	00	23	00	101	17	03	00	00	20
एमएससी	36	16	06	19	04	81	36	09	00	11	00	56	18	06	00	00	04
एमबीए प्रोग्राम	25	07	04	13	11	60	07	01	00	05	00	13	04	00	00	00	04
कुल	**973**	**192**	**91**	**334**	**68**	**1658**	**812**	**119**	**31**	**444**	**10**	**1416**	**192**	**28**	**08**	**06**	**214**

नोटः*शिक्षण शुल्क छूट के तहत 5% सीटें शामिल

ऊर्ध्वाधर प्रवेश के लिए सीटें खुली प्रकृति की हैं।

25 सीटें आईसीडी कार्यक्रमों के लिए पीडब्ल्यूडी योजना के तहत उपलब्ध हैं और 10 पुरुष और 06 महिला उम्मीदवारों का दाखिला कराया गया है।

संकाय स्थिति – 2018–19																
संकाय की कुल स्वीकृत सं. (श्रेणी–वार)							पदस्थ संकाय (श्रेणी–वार)**									
पद/ श्रेणी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग	कुल	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	दिव्यांग	महिला सामान्य	महिला एस.सी.	महिला एस.टी.	महिला ओ.बी.सी.	कुल
निदेशक	01	-	-	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
प्रोफ़ेसर	22	-	-	-	-	22	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8
असोशिएट प्रोफेसर	43	-	-	-	-	43	30**	-	-	-	01**	04	-	-	-	34
असिस्टेंट प्रोफेसर	55	17	08	31	04	115	50**	13	02	08	01**	15	03	-	-	91
कुल योग	121	17	08	31	04	181	89	13	02	08	02**	19	03	-		134

** कृपया प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी के लिए दिव्यांग/महिलाओं से संबंधित संकाय की स्थिति भी दर्शाएं।

2018–19 के दौरान संकाय और कर्मचारियों द्वारा सम्मेलन/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रमः –

तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (विदेश में) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (भारत में) राष्ट्रीय सम्मेलनकार्यशाला / एसटीसी आदि।	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (विदेश में)	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (भारत में)	राष्ट्रीय सम्मेलन	कार्यशाला/ एसटीसी आदि
पीडीए (01.01.18 से 30.09.18)	41	09	01	03
टीईक्यूआईपी III / जीआईए	......	......	......	शिक्षण= 29 गैर–शिक्षण = 02 कुल = 31

वर्ष 2018–19 (31 मार्च, 2019 तक) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमानों और जारी की गई राशि की स्थिति

5844.20 लाख रुपएके बजटीय आवंटन के लिए मार्च, 2019 तक एसएलआईईटी, लोंगोवाल को 5833.47लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान(सीआईटी), कोकराझार, असम

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान है, जो असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के कोकराझार जिले के मुख्यालय के पास एक शांत परिदृश्य में स्थित है। संस्थान की स्थापना दिसंबर, 2006 की 6 तारीख को की गई थी। इस संस्थान की उत्पत्ति केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) पर समझौता ज्ञापन से हुई थी। संस्थान एक स्वायत्त निकाय है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है और एक शासी बोर्ड (बीओजी) के तहत कार्य करता है।

सीआईटी, असम के स्थानीय लोगों की आकांक्षाएं पूरा करने के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों के भाग के रूप में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव–प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्योग, व्यवसाय प्रबंनिधि, इत्यादि प्रदान करने के लिए अधिदेशित है।

सीआईटी निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदान करता है:

1. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग
2. कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग
3. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
4. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग
5. सिविल इंजीनियरिंग
6. सूचना प्रौद्योगिकी
7. एनिमेशन और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी
8. एलाइड इंजीनियरिंग
    - i. मैकेनिकल इंजीनियरिंग
    - ii. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
9. बुनियादी विज्ञान
    - i. भौतिक विज्ञान
    - ii. रसायन विज्ञान
    - iii. गणित
10. मानविकी और सामाजिक विज्ञान।

वर्ष 2018–19(31मार्च, 2019तक) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और जारी की गई राशि की स्थिति

सीआईटी, कोकराझार को 5048.55 लाख रुपये के बजटीय आवंटन के विरुद्ध मार्च, 2019 तक 5048.55लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल

गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), मालदा को बहुस्तरीय अंतर–विषयी और अंतर–क्षेत्रीय कुशल व्यावसायिक तकनीकी जनशक्ति बनाने और शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी

क्षमता के विकास और अंतरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में लचीले, मॉड्यूलर, क्रेडिट आधारित बहु–बिंदु प्रवेश कार्यक्रम प्रदान करना और सभी कार्यक्रमों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक तत्व उद्यमिता की शुरुआत करके, छात्रों को स्वरोजगार के उपक्रमों में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रमों प्रदान कर रहा है:

(i) 2010 से मॉड्यूलर कार्यक्रम (2 वर्ष का प्रमाणपत्र +2 वर्ष का डिप्लोमा +2 वर्ष की डिग्री)

(ii) 2018–19 के सत्र से ईई, एफपीटी और एमई में 4–वर्षीय बी.टेक.कार्यक्रम

(iii) डब्ल्यूबीएससीटी और वीई तथा एसडी, कोलकाता के तहत 2018–19 के सत्र से सीई, सीएसटी, ईई, एफपीटी और एमई में 3–वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम

(iv) पीएमकेवीवाई–टीआई योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डीवीओसी और बीओसीओसी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए दीक्षा।

जीकेसीआईईटी, मालदा की विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ/प्रगति निम्नलिखित हैं।

(I) तकनीकी शिक्षा के + 2 + 2 + 2 मॉड्यूलर पैटर्न:

- **डिप्लोमा मॉड्यूल के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर/मॉड्यूलर कार्यक्रम के दूसरे स्तर पर 2016–18 सत्र के डिप्लोमा छात्रों का प्रवेश/पंजीकरण**

इन छात्रों को (2016–18 सत्र के डिप्लोमा) को वर्ष 2017 में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उनके संबंधित 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए वर्टिकली प्रमोट कर दिया गया था। हालांकि, सीएच. टी और एसटीटी के छात्रों के लिए डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश को एआईसीटीई की मंजूरी नहीं मिलने के कारण लंबित किया गया था। जीकेसीआईईटी, मालदा के निदेशक के शामिल होने के बाद; सीएच. टी और एसटीटी के छात्रों को उनके प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए वर्टिकली प्रमोट किया गया था। पाठ्यक्रम–वार छात्रों की संख्या नीचे दी गई है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम	पंजीकृत छात्रों की संख्या
सिविल इंजीनियरिंग	22
कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी	18 + 27 = 45
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	22
खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	21
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	20

उपरोक्त छात्रों को उनके डिप्लोमा कार्यक्रमों के दूसरे, तीसरे और चौथे सेमेस्टर/2018–2019 के वर्ष में मॉड्यूलर कार्यक्रम के दूसरे स्तर के लिए पंजीकृत/भर्ती किया गया है और प्रत्येक सेमेस्टर की समाप्ति अवधि परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं। तदनुसार, 2018–19 के शैक्षणिक वर्ष में निम्नलिखित परिणाम प्रकाशित किए गए थे:

(i) 03/05.07.2018 को प्रथम सेमेस्टर परिणाम प्रकाशित

(ii) 09.07.2018 को दूसरा सेमेस्टर परिणाम प्रकाशित

(iii) तीसरे और चौथे सेमेस्टर के लिए परिणामों का प्रकाशन पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कोलकाता के विचाराधीन है।

- **2017–19 के डिप्लोमा छात्रों के सत्र के प्रवेश/पंजीकरण उनके डिप्लोमा मॉड्यूल के पहले और दूसरे सेमेस्टर/ मॉड्यूलर कार्यक्रम के द्वितीय स्तर के लिए किए गए**

इन छात्रों को (2017–19 सत्र के डिप्लोमा) को वर्ष 2018 में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद उनके संबंधित 2 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए वर्टिकली प्रमोट कर दिया गया था। सीएच. टी और एसटीटी के प्रमाण–पत्र छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए वर्टिकली प्रमोट किया गया था। पाठ्यक्रम–वार छात्रों की संख्या नीचे प्रदान की गई है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम	पंजीकृत छात्रों की संख्या
सिविल इंजीनियरिंग	18
कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी	22
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	15
खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	10
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	14

उनके डिप्लोमा कार्यक्रमों के पहले सेमेस्टर/ मॉड्यूलर कार्यक्रम के द्वितीय स्तर के परिणाम 12.07. 2018 को प्रकाशित किए गए थे। इसके बाद, इन छात्रों को 2018–2019 के वर्ष में डिप्लोमा कार्यक्रमों के दूसरे सेमेस्टर/मॉड्यूलर कार्यक्रम के दूसरे स्तर के लिए पंजीकृत/भर्ती किया गया है।

(II) एमएकेएयूटी, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जीकेसीआईईटी, मालदा में 4 वर्षीय बी. टेक कार्यक्रम शुरू करने में अकादमिक उपलब्धियां/सफलता

अगस्त, 2017 में जीकेसीआईईटी, मालदा के नियमित निदेशक में शामिल होने के बाद सक्षम अधिकारियों (शासी बोर्ड/ सोसायटी) के निर्णयों के अनुसार; संस्थान ने 2018–19 सत्र के लिए (i) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, (ii) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और (iii) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक कार्यक्रमों की संबद्धता के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएकेएयूटी), पश्चिम बंगाल से लगातार संपर्क किया। प्रत्येक पाठ्यक्रम की सेवन क्षमता 60 है। एमएकेएयूटी, पश्चिम बंगाल ने सं. 355/बी.टेक / संबद्धता/2018–19 दिनांक 14.05.2018 के तहत संस्थान के नारायणपुर, माल्दा के पते पर परिवर्तन के साथ 2018–19 के सत्र के लिए पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जीकेसीआईईटी, मालदा के उपरोक्त बी. टेक कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक संबद्धता प्रदान की है। हालाँकि, सरकार के निर्णय के अनुसार, जीकेसीआईईटी की कुल सीटों में से 50% सीटें मेरिट के आधार पर पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और शेष 50% अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी। अखिल भारतीय आधार पर भरी जाने वाली सीटों में से आधी (25%) पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा मेरिट पर भरी जाएंगी और बाकी (25%) पूर्वोत्तर और प. बंगाल के राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी। तदनुसार, संस्थान द्वारा 2018–19

के सत्र के लिए एमएकेएयूटी के तहत जीकेसीआईईटी के 4–वर्षीय बी.टेक कार्यक्रमों में छात्रों/उम्मीदवारों को स्वीकार करने के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं।

- **डब्ल्यूबीजेईई – 2018 काउंसलिंग के माध्यम से जीकेसीआईईटी, मालदा के 4 वर्षीय बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश का आयोजन किया**

संस्थान ने पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए डब्ल्यूबीजेईई –2018 काउंसलिंग के जरिए एमएकेएयूटी, पश्चिम बंगाल के तहत अपने बी. टेक कार्यक्रमों की कुल सीटों के 50% पर प्रवेश पर विचार किया। तदनुसार, संस्थान उपस्थित/आवंटित उम्मीदवारों के लिए एमएकेएयूटी के तहत 4 वर्षीय बी. टेक कार्यक्रमों की काउंसलिंग/प्रवेश–2018 के सुचारू संचालन के लिए सभी सुविधाओं और कर्मचारियों की व्यवस्था करता है।

- **जीकेसीआईईटी, मालदा के 4 वर्षीय बी. टेक कार्यक्रमों के लिए पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर और जेईई (मुख्य) – 2018 में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए प्रत्यक्ष परामर्श/प्रवेश का आयोजन किया।**

चूंकि कुल सीटों का 50: मेरिट के आधार पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में भरा जाएगा, 2018–19 के सत्र के लिए जीकेसीआईईटी, मालदा के बी.टेक कार्यक्रमों के लिए /प्रवेश के संबंध में, पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों, जिनके पास जेईई (सीधी काउंसलिंग मुख्य)–2018 में मान्य रैंक/स्कोर है, के उम्मीदवारों के लिए विचार किया गया था। तदनुसार, पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 11.07.2018 को सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल में सीधी काउंसलिंग की व्यवस्था/आयोजन किया गया था।

2018–19 के सत्र में जीकेसीआईईटी, मालदा के बी.टेक कार्यक्रमों के लिए छात्रों/उम्मीदवारों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शामिल हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या	डब्ल्यूबीजेईई –2018 के माध्यम से	77
	सीधी काउंसलिंग/जेईई (मुख्य) के माध्यम से	01
दाखिला दिए गए कुल उम्मीदवारों की संख्या	डब्ल्यूबीजेईई के माध्यम से	65
	सीधी काउंसलिंग/जेईई (मुख्य) के माध्यम से	01

छात्रों की संख्या जो अंत में एमएकेएयूटी, पश्चिम बंगाल के तहत पंजीकृत है

पाठ्यक्रमों का नाम	**छात्रों की संख्या**
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	16 (जेईई/मेन के माध्यम से 01 उम्मीदवार)
खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	09
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	19
कुल	**44**

(III) जीकेसीआईईटी, मालदा में पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 4 वर्षीय बी.टेक कार्यक्रम शुरू करने में अकादमिक उपलब्धियां/सफलता

सक्षम प्राधिकारियों (शासी बोर्ड/सोसायटी) के निर्णयों के अनुसार, संस्थान ने, 2018–19 के सत्र के लिए (i) सिविल इंजीनियरिंग (60 दाखिला) (ii) कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी (60 दाखिला), (iii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (30 दाखिला), (iv) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी (30 दाखिला) और (v) मैकेनिकल इंजीनियरिंग (30 दाखिला) में 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम में संबद्धता के लिए पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट (पश्चिम बंगाल एससीटी एंड वीई एंड एसडी), कोलकाता से संपर्क किया। पश्चिम बंगाल एससीटी एंड वीई एंड एसडी, कोलकाता ने ज्ञापन सं. 135–टीईटी (पॉली)/14 ए–4/2011 दिनांक 05.02.2018 के तहत 2018–19 सत्र के लिए पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई अनुमोदन के अध्यधीन जीकेसीआईईटी, मालदा के उपरोक्त 3–वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक संबद्धता प्रदान की है। हालाँकि, जीकेसीआईईटी की कुल सीटों का 50% पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जो जेईएक्सपीओ के माध्यम से भरा जाएगा और बाकी की कुल सीटों का 50% पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को जीकेसीआईईटी, मालदा द्वारा संचालित एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। तदनुसार, 2018–19 के सत्र के लिए पश्चिम बंगाल एससीटी एंड वीई एंड एसडी के तहत जीकेसीआईईटी के 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में छात्रों/उम्मीदवारों को स्वीकार करने के लिए संस्थान द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जाती हैं।

- **जेईएक्सपीओ – 2018 काउंसलिंग के माध्यम से, जीकेसीआईईटी, मालदा के 3–वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश का आयोजन**

पश्चिम बंगाल एससीटी एंड वीई एंड एसडी, कोलकाता के संबद्धता आदेश के अधीन; संस्थान ने जेईएक्सपीओ –2018 काउंसलिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए राज्य परिषद के तहत अपने डिप्लोमा कार्यक्रमों की कुल सीटों के 50% तक प्रवेश/ संचालन किया। तदनुसार, संस्थान ने उपस्थित उम्मीदवारों/ संस्थान में आवंटित किए गए राज्य परिषद के तहत 3 साल के डिप्लोमा कार्यक्रमों की काउंसलिंग/ प्रवेश –2018 के सुचारू संचालन के लिए सभी सुविधाओं और कर्मचारियों की व्यवस्था की।

- **पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए जीकेसीआईईटी, मालदा के 3 वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अलग अखिल भारतीय आधार प्रवेश परीक्षा (जीकेसीआईईटी प्रवेश परीक्षा / जीईटी–2018) आयोजित की।**

चूंकि कुल सीटों का 50% अन्य राज्यों के उम्मीदवारों द्वारा एक अलग प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा, इसलिए इस संस्थान ने 2018–19 के सत्र के लिए जीकेसीआईईटी, मालदा के डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों/छात्रों के प्रवेश के लिए 20.05.2018 को अखिल भारतीय आधार प्रवेश परीक्षा: जीकेसीआईईटी प्रवेश परीक्षा/जीईटी–2018 आयोजित की है। तदनुसार, इस संस्थान ने जीईटी –2018 के माध्यम से परीक्षा, परामर्श और प्रवेश के सुचारू संचालन के लिए सभी सुविधाओं और कर्मचारियों की व्यवस्था की।

2018–19 के सत्र में जीकेसीआईईटी, मालदा के डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए छात्रों/उम्मीदवारों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

उपस्थित/ दाखिला दिए गए कुल अभ्यर्थियों की संख्या	जेईएक्सपीओ –2018 काउंसलिंग के माध्यम से	74
	जीईटी–2018 काउंसलिंग के माध्यम से	07
अंत में पश्चिम बंगाल एससीटी एंड वीई एंड एसडी, कोलकाता के तहत पंजीकृत छात्रों की संख्या		
पाठ्यक्रमों के नाम		**छात्रों की संख्या**
सिविल इंजीनियरिंग		22
कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी		20
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग		14
खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी		03
मैकेनिकल इंजीनियरिंग		10
कुल		**69**

(IV) शिक्षा के मॉड्यूलर पैटर्न से संबंधित राजपत्र अधिसूचना

2010–2011 सत्र के बाद से शिक्षा के मॉड्यूलर पैटर्न से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 अगस्त, 2018/बीएचएडीआरए 7, 1940 को एक गजट अधिसूचना (असाधारण, भाग– I और खंड –1) निकाली है। इसके अनुसार, (i) सर्टिफिकेट प्रोग्राम/ पहले स्तर का मॉड्यूलर प्रोग्राम 10 + 2 (वोकेशनल) स्तर के प्रोग्राम के बराबर है, (ii) मॉड्यूलर प्रोग्राम का डिप्लोमा / सेकंड लेवल इंजीनियरिंग में 3–वर्षीय डिप्लोमा प्रोग्राम के बराबर है और (iii) डिग्री मॉड्यूल / मॉड्यूलर कार्यक्रम का तीसरा स्तर 4–वर्षीय बी. टेक कार्यक्रम के बराबर है। जिन लोगों ने इन उपरोक्त पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है वे सभी रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए पात्र हैं।

- **डिग्री मॉड्यूल (2015–17 सत्र) के लंबित दूसरे बैच का उनके डिग्री मॉड्यूल के तीसरे सेमेस्टर/मॉड्यूलर कार्यक्रम के तीसरे स्तर में प्रवेश/पंजीकरण**

उपरोक्त गजट अधिसूचना और उसके बाद के जीकेसीआईईटी, मालदा द्वारा जारी नोटिस (ज्ञापन सं.जीकेसीआईईटी/1328 दिनांक 07.09.2018) के आधार पर निम्नलिखित छात्रों को उनके डिग्री मॉड्यूल के तीसरे सेमेस्टर/मॉड्यूलर कार्यक्रम के तीसरे स्तर के लिए पंजीकृत किया गया था, क्योंकि तीसरे स्तर का उनका द्वितीय वर्ष का अध्ययन 2016 से लंबित है;

डिग्री पाठ्यक्रमों का नाम	पंजीकृत छात्रों की संख्या
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	24
खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	20
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	20

- **2014–16 और 2015–17 बैचों के डिग्री मॉड्यूल/तृतीय स्तर के मॉड्यूलर कार्यक्रम के लंबित परिणामों का मूल्यांकन और प्रकाशन**

मॉड्यूलर कार्यक्रम के तीसरे स्तर के 2014–16 और 2015–17 के डिग्री बैचों के लिए परिणामों का मूल्यांकन और प्रकाशन 2016 से लंबित था। 29 अगस्त, 2018 को एमएचआरडी द्वारा राजपत्र अधिसूचना (असाधारण, भाग –1 और खंड –1) के बाद; 2014–16 बैच के 4 सेमेस्टर का मूल्यांकन और बाद का प्रकाशन 20 नवंबर, 2018 को प्रकाशित किया गया था।

- **डिग्री मॉड्यूल/ मॉड्यूलर कार्यक्रम के तृतीय स्तर के छात्रों के लिए अंक और ग्रेड के साथ मार्क–शीट प्रदान करने का प्रावधान**

शैक्षणिक नियमों और विनियमन –2014 के अनुसार, ग्रेड कार्ड 2014–16 के मॉड्यूलर कार्यक्रम के तीसरे मॉड्यूल/तीसरे स्तर (पहले से तीसरे सेमेस्टर के लिए) और 2015–17 (केवल पहले सेमेस्टर के लिए) बैच के छात्रों को जारी किए गए थे। जैसा कि एमएचआरडी ने 29 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग–एक और खंड –1) में अधिसूचित किया कि 4 साल के बी.टेक कार्यक्रमों के समकक्ष डिग्री मॉड्यूल/तृतीय स्तर के मॉड्यूलर कार्यक्रम। अन्य विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के पारंपरिक बी.टेक कार्यक्रमों के साथ तुलना में, जीकेसीआईईटी के सक्षम अधिकारियों ने डिग्री मॉड्यूल/मॉड्यूलर कार्यक्रम के तृतीय स्तर के छात्रों के लिए अंक और ग्रेड के साथ अंक तालिका जारी करने का निर्णय पारित किया।

- **जीकेसीआईईटी मालदा द्वारा डिग्री मॉड्यूल/मॉड्यूलर कार्यक्रम के तीसरे स्तर के लिए प्रमाणपत्र जारी करना**

एमएचआरडी ने 29 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र (असाधारण, भाग– ⁱऔर खंड –1) में अधिसूचित किया कि डिग्री मॉड्यूल/ मॉड्यूलर कार्यक्रम का तृतीय स्तर 4 साल के बी.टेक के बराबर है। जिन छात्रों ने जीकेसीआईईटी के मॉड्यूलर स्तर के तीसरे स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, वे सभी रोजगार और उच्च शिक्षा के मार्ग के लिए पात्र हैं, जहां इंजीनियरिंग में बी.टेक. (4 वर्ष) योग्यता की आवश्यकता है। तदनुसार, जीकेसीआईईटी (एसी, बीओजी और जीकेसीआईईटी सोसाइटी) के सक्षम अधिकारियों ने डिग्री मॉड्यूल / मॉड्यूलर प्रोग्राम के तीसरे स्तर के पास छात्रों को डिग्री/ मॉड्यूलर प्रोग्राम के तीसरे स्तर के सर्टिफिकेट जारी करने का निर्णय लिया।

(V) जीकेसीआईईटी, मालदा में कौशल विकास कार्यक्रमों में शैक्षणिक उपलब्धियां

2018–19 के शैक्षणिक सत्र में, जीकेसीआईईटी ने पीएमकेवीवाई–टीआइ योजना के तहत 4 पाठयक्रम (प्रत्येक में 25 दाखिले) (i) सहायक इलेक्ट्रीशियन, (ii) फील्ड तकनीशियन–कम्प्यूटिंग और परिधीय, (iii) ऑटोमोटिव सर्विस, और (iv) जैम, जेली केचप प्रसंस्करण तकनीशियन प्रदान किए हैं। इन पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जानकारी नीचे दी गई है।

पाठ्यक्रमों का नाम	प्रवेशितछात्रों की संख्या
सहायक इलेक्ट्रीशियन	25
क्षेत्र तकनीशियन–कम्प्यूटिंग और परिधीय	24
ऑटोमोटिव सर्विस	25
जैम, जेली और केचप प्रसंस्करण तकनीशियन	25

एआईसीटीई, नई दिल्ली ने 2018–19 के सत्र के लिए (i) फूड प्रोसेसिंग और (ii) इलेक्ट्रॉनिक मेनुफैक्चरिंग सर्विसेज में डी.वोक कार्यक्रम (10 वीं कक्षा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एनएसक्यूएफ लेबल 3 से 5) और (i) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और (ii) ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, प्रत्येक में 25 इंटेक, में 3–वर्षीय दो बी.वोक कार्यक्रम (10+2/ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एनएसक्यूएफ लेबल 5 से 7) को भी मंजूरी दे दी है। हालाँकि, डी.वोक और बी.वोक दोनों पाठ्यक्रमों में अकादमिक संबद्धता उपलब्ध नहीं होने के कारण,

जीकेसीआईईटी 2018–19 के सत्र में ये पाठ्यक्रम प्रदान करने में असमर्थ था।

वर्ष 2018–19(31 मार्च, 2019 तक) के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान और रिलीज की स्थिति

801.21 लाख के बजटीय आवंटन के लिए मार्च, 2019 तक जीकेसीआईईटी, मालदा को 787.16 लाख की राशि जारी की गई है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकॉक को सहायता

एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एआईटी) को 1959 में एसईएटीओ सदस्य राज्यों की उन्नत तकनीकी शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से एसईएटीओ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में स्थापित किया गया था। 1967 में, एसईएटीओ ने अपने नियंत्रण को त्याग दिया और संस्थान का नाम बदलकर एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया और प्रबंधन के साथ एक स्वायत्त संस्थान बन गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपा गया। वर्तमान में बैंकॉक में भारत के राजदूत एआईटी, बैंकॉक के न्यासी बोर्ड के सदस्य हैं। संस्थान एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय स्नातकोत्तर संस्थान है जो इंजीनियरिंग, विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत शिक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार विशेषज्ञता के चयनित क्षेत्रों में 16 सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय संकाय की अस्थायी विशेष नियुक्ति के माध्यम से एआईटी को सहायता प्रदान करती है और अस्थायी विशेष नियुक्ति वाले संकाय को प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की जाती है। मंत्रालय ने अगस्त, 2018 सेमेस्टर के लिए 6 और जनवरी, 2019 सेमेस्टर के लिए 2 उम्मीदवारों की प्रतिनियुक्ति की है। भारत सरकार एआईटी को 50 लाख की वार्षिक वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, जिसमें भारतीय उपकरण, पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद के लिए 3 लाख शामिल हैं।

तकनीशियन शिक्षा के लिए कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी), मनीला, फिलीपींस की सहायता।

कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज फॉर टेक्नीशियन एजुकेशन (सीपीएससी), मनीला कोलंबो प्लान की एक विशेषीकृत एजेंसी है। यह 5 दिसंबर, 1973 को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित कोलंबो योजना की 23 वीं परामर्शदात्री समिति की बैठक में स्थापित की गई थी, ताकि उनके तकनीशियन शिक्षा प्रणालियों को विकसित करने और बढ़ाने में कोलंबो योजना के सदस्य देशों की सहायता की जा सके। यह 1974 में सिंगापुर गणराज्य के साथ बारह साल के लिए पहली मेजबान सरकार के रूप में कार्यशील हो गया। 1986 में, सीपीएससी, मनीला, फिलीपींस चली गई। कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज एक अनूठा संगठन है, जो एशिया–पेसिफिक क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों को हल करने वाला एकमात्र क्षेत्रीय संस्थान है। स्टाफ कॉलेज का उद्देश्य कोलंबो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है, तकनीशियन अध्यापक शिक्षकों और प्रशिक्षकों और तकनीशियन शिक्षा में वरिष्ठ कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करना है, जो इन–सर्विस प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम में अधिक सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं।

❖ ❖ ❖

19

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) चरण– III

तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी ईक्यूआईपी) को 2003 में 3 चरणों में लागू होने वाले दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। टीईक्यूआईपी का पहला चरण 2003 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो गया। इसने 13 राज्यों में 127 केंद्रों को कवर किया, जिनमें 18 केंद्र शासित तकनीकी संस्थान (सीएफटीआई) शामिल हैं। अगस्त 2010 में 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और 191 संस्थानों (26 सीएफटीआई सहित) को कवर करते हुए दूसरा चरण शुरू हुआ। टीईक्यूआईपी –II मार्च, 2017 में संपन्न हुआ था। दोनों परियोजनाओं का तकनीकी संस्थानों में अवसंरचना और शैक्षिक मानकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जहां उन्हें लिया गया था। केंद्रीय, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में संस्थानों को समान और विशिष्ट पहल की आवश्यकता है। इस अंतर परियोजना को पूरा करने के लिए टीईक्यूआईपी–III को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया। इसके तहत (100) अन्य संस्थानों के साथ जुड़वाँ प्रयोजनों के लिए अन्य राज्यों से ए.टी.यू. सहित (19) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी), लगभग (100) संस्थान/संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल किए गए हैं।

टीईक्यूआईपी–III भारत सरकार की इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत सरकार की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना का तीसरा चरण है और यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। विश्व बैंक, संकेतकों की उपलब्धि के आधार पर संवितरण मोड के माध्यम से व्यय के 50% के बराबर ऋण का वित्तपोषण करेगा, जिसे संवितरण लिंक्ड संकेतक (डीएलआई) कहा जाता है। 12 सितंबर, 2016 को सरकार ने आईपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में टीईक्यूआईपी –III को मंजूरी दी। परियोजना की अवधि वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2019–20 तक चौदहवीं वित्त समिति चक्र के साथ सह–टर्मिनस है। टीईक्यूआईपी–III आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2017 से शुरू की गई।

परियोजना का उद्देश्य चयनित इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता और इक्विटी को बढ़ाना और फोकस राज्यों (7 कम आय वाले राज्यों (एलआईएस), 3 पहाड़ी राज्यों, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप) में इंजीनियरिंग शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार करना है। परियोजना निम्नलिखित घटकों और उप–घटकों से बनी है:

घटक 1: भाग लेने वाले राज्यों में गुणवत्ता और इक्विटी में सुधार करना:

i) फोकस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी संस्थानों को संस्थागत विकास अनुदान।

ii) फोकस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालयों (एटीयू) के माध्यम से व्यापक प्रभाव

iii) फोकस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिभागी संस्थानों और एटीयू के प्रदर्शन में सुधार के लिए ट्विनिंग व्यवस्था

घटक 2 – सेक्टर अभिशासन और प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए प्रणाली–स्तरीय पहल।

फोकस राज्यों में एआईसीटीई अनुमोदित राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/सहायता प्राप्त सभी इंजीनियरिंग संस्थान/तकनीकी विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर में नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

- फोकस राज्यों केसंबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू)
- ट्विनिंग व्यवस्था के लिए देश भर में उच्च प्रदर्शन करने वाली टीईक्यूआईपी–I/ टीईक्यूआईपी–II राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित/सहायता प्राप्त संस्थान/ गैर–संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय/ केंद्र द्वारा तकनीकी रूप से वित्तपोषित तकनीकी संस्थाएँ और ए.टी.यू.

मुख्य विशेषताएंः

1. फोकस राज्यों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए
2. एटीयू से संबद्ध गैर–मान्यता प्राप्त संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार केलिए एटीयू की भागीदारी
3. फोकस राज्यों में ट्विनिंग व्यवस्था के माध्यम से संस्थानों की मेंटरिंग
    - बेहतर प्रदर्शन करने वाले टीईक्यूआईपी –I और टीईक्यूआईपी –II संस्थानों को मेंटर के रूप में चुना गया
    - चुनौती विधि के माध्यम से
    - फोकस राज्य के प्रत्येक मेंटी इंस्टीट्यूट के लिए एक मेंटर
    - मार्गदर्शन के क्षेत्रों को तय करने के लिए ट्विनिंग समझौता
4. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट ल नग असेसमेंट (एसएलए)
5. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के ईएटी मॉड्यूल पर आधारित प्रत्यक्ष निधि अंतरण प्रणाली (डीएफटीएस)
    - सभी सहभागी संस्थानों द्वारा निधि के उपयोग के लिए एक बैंक खाता (सेंट्रल पूल खाता के रूप में निर्दिष्ट)
    - सभी संस्थानों को वर्चुअल बजट (आवंटन)
    - घटक–वार आवंटन और व्यय की बुकिंग
    - सभी संस्थानों द्वारा सीधे केंद्रीय पूल खाते से ई–भुगतान की शुरूआत
    - डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) का उपयोग करके भुगतान की स्वीकृति
    - संस्थान के विक्रेता / लाभार्थी को प्रत्यक्ष भुगतान / क्रेडिट
    - भुगतानों का जस्ट–इन–टाइम क्रेडिट
    - त्वरित और पारदर्शी प्रणाली
    - डिजिटल इंडिया की भारत सरकार की पहल के साथ संरेखण
6. परियोजना कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए संवितरण लिंक्ड संकेतक (डीएलआई)। विश्व बैंक सहभागी संस्थानों द्वारा डीएलआई की उपलब्धि के आधार पर निधि की प्रतिपूर्ति करेगा। टीईक्यूआईपी –III के लिए डीएलआई निम्नानुसार हैंः –
    - एनबीए प्रत्यायन
    - स्वायत्तता
    - अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्रों की

एग्जिट परीक्षा (जैसे गेट) के लिए प्रशिक्षण

- प्रत्येक संस्थान में निर्धारित संरचना और नियमित बैठकों के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर (शासी बोर्ड) की स्थापना करना।
- समय पर आवंटन और निधि का उपयोग

उल्लेखनीय लाभः

- 13 एटीयू सहित 173 संस्थानों को पहले से ही चयनित किया गया है और परियोजना की गतिविधियों और कार्य योजना की तैयारी की बेहतर समझ के लिए अभिविन्यास कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है।
- सभी संस्थान/एटीयू बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक संरक्षक संस्थान/एटीयू से जुड़ जाते हैं। मेंटर संस्थानों ने मेंटी इंस्टीट्यूट में शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार के लिए जिम्मेदार बनाया, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट में मेंटर इंस्टीट्यूट की निरंतरता निर्भर करेगी।
- राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाइयाँ (एसपीआईयू) सभी फोकस राज्यों के लिए लागू की गई हैं
- सभी एजेंसियों ने निधि की सीधी प्राप्ति के लिए पीएफएमएस के तहत पंजीकरण/मैपिंग की
- सभी प्रतिभागी एजेंसियों द्वारा डीएफटीएस की सफल शुरुआत एवं कार्यान्वयन किया गया
- 1713 अनुबंध संकाय (परियोजना अवधि के लिए सहायक प्रोफेसर) 72 भाग लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती हुए। पहले से भर्ती किए गए 1225 संकायों के लिए प्रेरण कार्यशालाएं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार योजना के तहत भाग लेने वाले विभिन्न आईआईटी में आयोजित की गईः
- कुल आयोजित कार्यशालाएँः 26
- कवर किए गए कुल संस्थानों की संख्याः 53
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कुल शिक्षकों की संख्याः 1200
- टीईक्यूआईपी–III के परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में शामिल 10–सूत्री एआईसीटीई जनादेश और उनकी संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में संस्थानों/ एटीयू द्वारा सम्मिलित और कार्य योजना का हिस्सा
- नए छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम पर संस्थानों और टीईक्यूआईपी समन्वयकों के प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यशाला
- प्रत्येक संस्थान/एटीयू में स्टार्ट–अप गतिविधियों और समन्वयकों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशालाएँ
- कुल आयोजित कार्यशालाएँः 6
- लाभार्थियों की कुल संख्या (स्टार्ट–अप समन्वयक)ः 160
- एटीयू द्वारा संचालित संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी)ः 99
- परिणाम आधारित शिक्षा पर सभी फोकस राज्य संस्थानों में आयोजित कार्यशालाएँ
- शासी बोर्ड चेयरपर्सनऔर निदेशकों/प्राचार्यों के लिए आयोजित सुशासन शिखर सम्मेलन
- आईआईटी/आईआईएम इंटरवेंशनः टीईक्यूआईपी (केआईटी) दिशा–निर्देशों के लिए ज्ञान ऊष्मायन तैयार किया गया,

आईआईएम का प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया। अब तक आईआईएम द्वारा व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण (पीडीटी) के 25 बैचों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 723 संकायों को प्रशिक्षित किया गया। आईआईटी ने 5200 संकायों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया।

- परिणाम आधारित शिक्षा (ओबीई) कार्यशालाएं – मान्यता के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (एबीईटी) मानदंड के लिए प्रत्यायन बोर्ड
- संस्थानों में आयोजित कुल कार्यशालाएँ: 91
- कवर किए गए कुल संस्थान: 91
- एटीयू पर ओबीई कार्यशालाओं की कुल संख्या: 26
- लाभार्थी संकाय की कुल संख्या: 5000
- कवरेज: टीईक्यूआईपी–III कुल मिलाकर 162 राज्य वित्त पोषित/सहायता प्राप्त कॉलेज और सीएफटीआई (फोकस राज्यों से 91 और गैर–फोकस राज्यों से 71) और 12 एटीयू (फोकस राज्यों से 9 और गैर–फोकस राज्यों से 3) सहित कुल मिलाकर 174 संस्थानों (उल्लेखित 173 के बजाय) शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के तहत 37 टीईक्यूआईपी संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ। वर्ष 2019 में, 52 टीईक्यूआईपी संस्थानों के लिए समान सुधार हुआ। चयनित 1700 से अधिक गुणवत्ता संकाय में से, 1497 वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।

परियोजना की स्थापना के बाद से 431.75 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है (वित्त वर्ष 2017–18 में 156. 75 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2018–19 में 275 करोड़ रुपये)।

वर्ष 2017–18 के लिए पांच में से चार डीएलआई प्राप्त किए गए हैं और विश्व बैंक के साथ दावे किए गए।

संवितरण दावे के रूप में विश्व बैंक से 111.99 करोड़ रुपये (+ 16.33 मिलियन) प्राप्त हुए हैं।

एनआईआरएफ 2018 में भाग लेने वाले 37 संस्थानों को शीर्ष 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थान प्राप्त हुआ।

प्रतिभागी संस्थानों के 75 छात्रों ने 1 महीने के प्रशिक्षण के लिए एमआईटीएसीएस आईएनसी कनाडा के साथ समन्वय में कनाडाई विश्वविद्यालयों का दौरा किया।

❖ ❖ ❖

20

उच्चतर शिक्षा निधियन एजेंसी

उच्चतर शिक्षा निधियन एजेंसी

उच्चत्तर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (हेफा) को वर्ष 2022 तक आरआईएसई के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें उच्चत्तर शिक्षा संस्थानों, स्कूल शिक्षा संस्थानों और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के भौतिक बुनियादी ढांचे और प्रयोगशालाओं आदि के वित्तपोषण को हेफा से दस वर्ष के ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। सरकार संस्थान की वित्तीय क्षमता के आधार पर विभिन्न बैंडों में ऋण सेवा दायित्व का कार्य करेगी। यह व्यवस्था सरकार को बड़ी संख्या में संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को पूरा करने और बजटीय अनुदान की कमी को दूर करने में सक्षम बनाएगी। सभी संस्थान परियोजना मोड में निधि प्राप्त करेंगे और अनुदान मोड में नहीं। एचईएफए का तंत्र जहां परियोजना को निष्पादित करने वाले विक्रेता को सीधे ऋण राशि जारी की जाती है, वित्तीय दक्षता सुनिश्चित करता है और संस्थानों के साथ निधि की पार्किंग को रोकता है। इससे लागत और समय भी समाप्त हो जाता है क्योंकि निधियन काम पूरा होने के बाद ही होता है।

हेफा को एनबीएफसी लाइसेंस वाली धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और केनरा बैंक को वित्तपोषण एजेंसी के प्रबंधन के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार नियुक्त किया गया है। हेफा की अधिकृत इक्विटी 10,000 करोड़ रुपये है जिसमें से सरकारी इक्विटी 6,000 करोड़ रुपये है और केनरा बैंक सरकारी हिस्सेदारी का 10% योगदान देगा। हेफा फ्लोटिंग बॉन्ड या प्रत्यक्ष उधार द्वारा ऋण के माध्यम से अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए भी अधिकृत है।

हेफा द्वारा 2022 तक 100,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का निधियन किए जाने की उम्मीद है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, 31,580.25 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है जिसके लिए 17,340.66 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और 2,534.46 करोड़ रुपये वास्तव में वितरित किए गए हैं। हेफा के माध्यम से वित्त पोषण का लाभ उठाने वाले शिक्षा संस्थानों की संख्या 56 है।

❖ ❖ ❖

21

अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय

अनुसंधान परिषद और अन्य निकाय

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित सर्वोच्च सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निकाय है। भारत में उच्च शिक्षा के आकार और पैमाने को ध्यान में रखते हुए और विविध समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना और वित्त पोषण करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आईसीएसएसआर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और कॉलेजों में संकायों/विद्वानों के लिए शोध करता है। यह संकायों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय, वरिष्ठ, पोस्ट–डॉक्टरल और डॉक्टरेट फेलोशिप प्रदान करता है, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिकाओं को प्रकाशन सहायता, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत और विदेशों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करता है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आईसीएसएसआर के पास कई कार्यक्रम और योजनाएँ हैं जो इस प्रकार हैं:

1. अनुसंधान फैलोशिप
2. अनुसंधान कार्यक्रम (अंत:विषय/बहु–विषयक/अंतर–संस्थागत)
3. अनुसंधान परियोजनाएं (प्रमुख और लघु)
4. संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनार / कार्यशालाओं, प्रकाशन आदि गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
6. सहायक अनुसंधान संस्थान
7. क्षेत्रीय केंद्र (क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के मुद्दों पर शोध)
8. अनुसंधान पद्धति और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
9. प्रकाशन और अनुसंधान सर्वेक्षण
10. पुस्तकालय और प्रलेखन (एनएएसएसडीओसी)
11. महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं और सेमिनार /सम्मेलन/कार्यशालाएं

भारत और विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। आईसीएसएसआर का विदेशों में प्रमुख सरकारी स्तर के सामाजिक विज्ञान संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग है। वित्तीय सहायता (आंशिक/पूर्ण) भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक/विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन और विदेश में डेटा संग्रह में भाग लेने के लिए प्रदान की जाती है। आईसीएसएसआर भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देता है और प्रदान करता है।

आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों को रखरखाव और विकास अनुदान प्रदान करता है और देश के

विभिन्न हिस्सों में स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों को पूरी तरह से निधि देता है। परिषद वर्तमान में 24 अनुसंधान संस्थानों, 6 क्षेत्रीय केंद्रों और 5 मान्यता प्राप्त संस्थानों की सहायता कर रही है।

परिषद ने पत्रिकाओं के अलावा, महत्वपूर्ण महत्व के मुद्दों पर पुस्तकों और मोनोग्राफ की एक बड़ी संख्या पहले ही प्रकाशित की है। आईसीएसएसआर अपनी शोध परियोजनाओं, कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संयुक्त परियोजनाओं आदि से उत्पन्न कागजात और पुस्तकों के प्रकाशनों का भी समर्थन करता है। यह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक नृविज्ञान और भूगोल जैसे विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों में अनुसंधान के सर्वेक्षण को भी प्रकाशित करता है।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (एनएएसएसडीओसी) सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना समर्थन सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त अनुसंधान संगठनों, नीति निर्माताओं, सरकारी विभागों और उद्योग की अनुसंधान इकाइयों के संकाय और अन्य विद्वान शामिल हैं।

पिछले वर्ष दी गई निरंतर फैलोशिप और परियोजनाओं के अलावा, आईसीएसएसआर ने 480 डॉक्टोरल फेलोशिप, 224 पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिप, 49 सीनियर फेलोशिप, 7 नेशनल फेलोशिप, 72 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम,डेटा संग्रह और विदेश में सेमिनार/सम्मेलन में भागीदारी के लिए 228 अनुदान, 326 अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सेमिनार, और 273 अनुसंधान परियोजनाएं प्रदान की हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान इम्प्रेस कार्यक्रम के तहत किए गए पहले चरण के अवार्ड शामिल हैं। मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

विद्वानों और बड़ी संख्या में आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों के लाभ के लिए आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान दस्तावेज़ीकरण केंद्र (एनएएसएसडीओसी) द्वारा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ई–संसाधनों की सदस्यता ली जाती है है। लगभग 20,000 से 25,000 सामाजिक विज्ञान के विद्वान, संकाय और शोधकर्ता वार्षिक आधार पर आईसीएसएसआर के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभ (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से) प्राप्त करते हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान आईसीएसएसआर, दिल्ली को अनुदान सहायता के रूप में 124.58 करोड़ रुपये जारी किए गए।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली,

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) एक स्वायत्त संगठन है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 के अधिनियम XXI) के तहत 1972 में स्थापित किया गया था। परिषद के मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को एक उचित दिशा देना और और इतिहास के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक लेखन को बढ़ावा देना है। परिषद के व्यापक उद्देश्य इतिहासकार को एक साथ लाना, उनके बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, इतिहास के एक उद्देश्य और तर्कसंगत प्रस्तुति की व्याख्या को राष्ट्रीय दिशा देना, ऐतिहासिक शोध कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रायोजित करना और ऐतिहासिक अनुसंधान में लगे हुए संस्थानों और संगठनों की सहायता करना है। यह इतिहास का एक व्यापक दृष्टिकोण है, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, दर्शन, एपिग्राफी, न्यूमिज़माटिक्स, पुरातत्व, सामाजिक–आर्थिक गठन प्रक्रियाओं और मजबूत ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और सामग्री वाले संबद्ध विषयों के इतिहास को इसमें शामिल किया जा सके।

कार्यक्रम वर्ष 2018—2019 (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार) के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौराः —

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	लक्ष्य हासिल किया
1.	अनुसंधान परियोजनायें	उपलब्ध नहीं	27
2.	वरिष्ठ शैक्षणिक फैलोशिप	10	11*
3.	विदेश यात्रा अनुदान	उपलब्ध नहीं	27
4.	प्रकाशन सब्सिडी	उपलब्ध नहीं	36
5.	जूनियर रिसर्च फैलोशिप	80	78
6.	पोस्ट—डॉक्टोरल फैलोशिप	10	11*
7.	अध्ययन—सह—यात्रा अनुदान	उपलब्ध नहीं	68
8.	इतिहासकारों के पेशेवर संगठनों द्वारा सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि।	उपलब्ध नहीं	58
9.	राष्ट्रीय फैलोशिप	03	2

** बैकलॉग सहित।*

परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं का भी निष्पादन कर रही है जैसे कि (i) भारतीय शिलालेखों में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दावली की डिक्शनरी (ii) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास (iii) भारत में कस्बों और गांवों का ऐतिहासिक विश्वकोश। (iv) भारत पर विदेशी स्रोतों का अनुवाद (v) आधुनिक भारतः रियासतें। (vi) आधुनिक भारतः राजनीति और जनसांख्यिकी (vii) भारत का पर्यावरण इतिहास (viii) उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर और पश्चिमी भारत में आर्थिक इतिहास पर दस्तावेज़,: जीवन की गुणवत्ता। (ix) उत्तर पूर्व भारत के अभिलेखीय स्रोतों का सर्वेक्षण, संग्रह, प्रलेखन और डिजिटली करण। (x) भारत का व्यापक इतिहास। (xi) 13 अप्रैल 1919 को जलियाँवाला बाग का पुनः भ्रमण।

वित्त वर्ष 2018—19 के दौरान 18.75 करोड़ रुपये आईसीएचआर, दिल्ली को सहायता अनुदान के रूप में जारी किए गए थे।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् (आईसीपी.आर), नई दिल्ली

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत मार्च 1977 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन यह वास्तव में जुलाई 1981 में कार्य करना शुरू कर दिया था।

परिषद भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ स्थापित की गई थीः (1) समय—समय पर दर्शनशास्त्र में शोध की प्रगति की समीक्षा करने के लिए; (2) फिलॉसफी में परियोजनाओं या अनुसंधान के

कार्यक्रमों को प्रायोजित करना या सहायता करना; (3) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के संचालन में लगे संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता देना; (4) दर्शनशास्त्र में व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना, और/या अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत या अन्य व्यवस्था का आयोजन और समर्थन करना; (5) समय–समय पर उन क्षेत्रों और विषयों को इंगित करना, जिन पर दर्शनशास्त्र में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और दर्शनशास्त्र में उपेक्षित या विकासशील क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिए विशेष उपायों को अपनाना चाहिए; (6) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करना और अंतःविषय अनुसंधान के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना; (7) फिलॉस्फी में शोध को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, विशेष पाठ्यक्रम, अध्ययन मंडल, कार्यदल/ दल और सम्मेलन आयोजित करना, और सहायता करना, और एक ही उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित करना; (8) दर्शनशास्त्र में शोध के लिए समर्पित और पत्रिकाओं, जर्नल और पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु अनुदान देने के लिए और उनके प्रकाशन का कार्य करने के लिए; (9) छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों द्वारा दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के लिए फैलोशिप, छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करना और प्रशासित करना; (10) प्रलेखन सेवाओं को विकसित करने और समर्थन करने के लिए, जिसमें डेटा का रखरखाव और आपूर्ति, दर्शनशास्त्र में वर्तमान शोध की एक सूची तैयार करना और दार्शनिकों के एक राष्ट्रीय रजिस्टर का संकलन शामिल है।

वर्ष 2018–19 के दौरान, परिषद ने 01 राष्ट्रीय फैलोशिप, 04 वरिष्ठ फेलोशिप, 14 जनरल फैलोशिप, 53 जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया, जबकि 2 राष्ट्रीय फैलो, 2 वरिष्ठ फैलो, 13 जनरल फैलो और 2017–18 के दौरान उनके शोध कार्य में शामिल हुए 35 जूनियर रिसर्च फेलो।

परिषद ने 56 सेमिनार / सम्मेलन / संगोष्ठी, 8 दर्शन संघ, 12 कार्यशालाएं और 6 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन / संगोष्ठी और 5 शिक्षक मीट के लिए वित्तीय सहायता का आयोजन / विस्तार किया।

परिषद ने 18 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी और पिछले वर्ष में स्वीकृत 7 अनुसंधान परियोजनाओं ने वर्ष 2018–19 में भी अनुसंधान जारी रखा।

व्याख्यान कार्यक्रम के तहत, परिषद ने आईसीपीआर विजिटिंग प्रोफेसरों के 3 व्याख्यान आयोजित किए। 56 कॉलेजों को स्थानीय स्तर पर दर्शन को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर व्याख्यान आयोजित करने के लिए और विश्व दर्शन दिवस समारोह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, परिषद ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 29 विभागों को अनुदान प्रदान किया। भारतीय दार्शनिक दिवस को भी मनाने के लिए, परिषद नेवर्ष 2018–19 केदौरान 22 विश्वविद्यालयों / संस्थानों को वित्तीय सहायता दी।

परिषद ने डोंगकोक विश्वविद्यालय, कोरिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग का प्रस्ताव दिया है। बीजिंग चीन में आयोजित 24वें विश्व दर्शन कांग्रेस 2018 केलिए परिषद ने भारत के एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल की भी समीक्षा की। आईसीपीआर की विदेश यात्रा अनुदान योजना के तहत 10 विद्वानों का आर्थिक रूप से समर्थन किया गया था।

लखनऊ मेंअपनेअकादमिक केंद्र में, परिषद ने 11 विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। परिषद के अनन्य दर्शन संदर्भ पुस्तकालय में 36525 से अधिक पुस्तकें हैं।

परिषद ने अपने दिल्ली और लखनऊ कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आयोजित किया। आईसीपीआर प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर रामजी सिंह, पटना को दिया गया। परिषद ने फेलो के मीट कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रकाशन गतिविधियों के तहत, काउंसिल ने अपने जर्नल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ़ फ़िलासॉफ़िकल रिसर्च के 3 मुद्दे निकाले और एक पुस्तक, 4 मोनोग्राफ को 'ज्ञान का प्रसार' श्रृंखला के तहत प्रकाशित किया और 6 प्रकाशन सब्सिडी अनुदानों को मंजूरी दी।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 1578.509 लाख रुपये आईसीपीआर, दिल्ली को अनुदान सहायता के रूप में जारी किए गए।

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान सोसाइटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का XXI (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के तहत 6 अक्टूबर 1964 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति निवास, शिमला में स्थित संस्थान, मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तर के लिए अनुसंधान के लिए समर्पित है। संस्थान में शैक्षणिक समुदाय में मुख्य रूप से निवास में अध्येता, विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग स्कॉलर्स, और एसोसिएट्स आदि शामिल हैं, जो अपने व्यक्तिगत शोध को आगे बढ़ाते हैं और औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से एक–दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति निवास स्वयं, और प्राकृतिक परिवेश जो संपदा का निर्माण करते हैं, मन अनुकूल जीवन जीने और मानव स्थिति के विभिन्न पहलुओं की खोज के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं।

संस्थान का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शोध पर निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है:

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन करने के लिए जो मौलिक विषयों और जीवन और विचार की समस्याओं की मुक्त और रचनात्मक जांच के लिए एक आवासीय केंद्र होगा।

(ख) जांच के क्षेत्रों को अंतर–अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए;

(ग) चिन्हित क्षेत्रों का गहरा मानवीय महत्व होना चाहिए।

शैक्षिक कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1. रबींद्रनाथ टैगोर मेमोरियल लेक्चर
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल लेक्चर
3. प्रतिष्ठित व्याख्यान श्रृंखला
4. विद्वानों का दर्शन करके विशेष व्याख्यान
5. सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी और राउंड टेबल
6. साथियों द्वारा साप्ताहिक सेमिनार
7. मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए इंटर–यूनिवर्सिटी सेंटर

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, आईआईएएस, शिमला ने 15.05 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद

परिषद ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मद्देनजर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद (एमजीएनसीआरई) में बदलने का संकल्प लिया है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन को प्रभावी करने का अनुरोध किया है। परिषद

एक स्वायत्त संगठन है जो आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1350एफ (1350 एफ का अधिनियम नंबर 1) के तहत पंजीकृत है, जो भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1995 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) –1986 पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पीओए) के अनुसार स्थापित किया गया था।

परिषद उच्चत्तर शिक्षा पहल के माध्यम से लचीले ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। एमजीएनसीआरई भारत में विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाले उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम इनपुट को डिजाइन, विकसित और बढ़ावा देता है और निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ एक उत्प्रेरक संगठन के रूप में ग्रामीण परिवर्तन और समावेशी विकास की शुरूआत करने का प्रयास करता है:

(i) ग्रामीण चिंताओं को कवर करने वाली उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना (ii) भारत में ग्रामीण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करना (iii) उभरते ग्रामीण व्यवसायों के आसपास तृतीयक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करना; (iv) विश्वविद्यालयों के क्षेत्र–उन्मुख पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और (v) सामाजिक और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्रवाई अनुसंधान को बढ़ावा देना और ग्रामीण पहलुओं पर उच्च शिक्षा से संबंधित ऐसे सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना जो समय–समय पर संदर्भित हो सकते हैं।

वर्ष के दौरान, परिषद ने ग्रामीण शिक्षा और पाठ्यचर्या विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया।

वर्ष 2018–19 के दौरान परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है: –

क्र. सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	कार्यक्रमों कीसंख्या	प्रतिभागी/ लाभार्थी की संख्या
1	गोलमेज सम्मेलन	98	912
2	कार्यशालाएं/सेमिनार/ अभिविन्यास कार्यक्रम (1 और 2 दिन)	118	2453
3	संकाय विकास कार्य हम (एफडीपी)	71	2103
4	मास्टर टेनिर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम (एमटीडीपी)	24	703
5	रूरल इमर्सन कैम्प	21	623
6	पीएमएमएमएनएमटीटी प्रोजेक्ट के तहत संकाय प्रवेश कार्यक्रम	3	120

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एनसीआरआई, हैदराबाद को अनुदान सहायता के रूप में 477.81 लाख रुपये जारी किए गए।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली

1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड (आईयूबी) के रूप में स्थापित, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) को 1967 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, और 1973 में इसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (एआईयू) के रूप में अपना नया नाम हासिल हुआ।

एआईयू के मुख्य उद्देश्य (क) अंतर–विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना; (ख) एक सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना और विश्वविद्यालयों के बीच संचार, समन्वय और पारस्परिक परामर्श को सुविधाजनक बनाना; (ग) सामान्य हितों के मामलों में विश्वविद्यालयों और सरकार (केंद्रीय और साथ ही राज्य सरकारों) के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करना और अन्य

विश्वविद्यालयों या निकायों (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) के साथ सहयोग करना; (घ) भारत के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना; (ङ) रोजगार/उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में समक्ष बनाने हेतु विदेशी अर्हताओं के प्रति अकादमिक समतुल्यता जारी करते हुए भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों को सुविधा प्रदान करना है।

अर्हताओं की समकक्षता और मान्यता : एआईयू को उच्चतर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और रोजगार में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री के संबंध में अकादमिक समतुल्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, 1 अप्रैल, 2018 से 15 फरवरी, 2019 के बीच भारतीय और विदेशी छात्रों को 2303 समतुल्यता प्रमाण पत्र जारी किए गए।

सदस्यता : 730 विश्वविद्यालय एआईयू के सदस्य हैं। इनमें केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राज्य निजी विश्वविद्यालय, समवत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा, 16 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी एआईयू के एसोसिएट सदस्य हैं।

कुलपतियों/निदेशकों की वार्षिक और क्षेत्रीय बैठकें : अपनी परंपरा के साथ आगे बढ़ते हुए, एआईयू ने कुलपतियों / निदेशकों के लिए पाँच क्षेत्रीय बैठकों और एक वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन किया।

राष्ट्रीय सेमिनार/ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/ गोलमेज : वर्ष के दौरान, एआईयू ने 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, कुलपतियों के 2 गोलमेज सम्मेलन और 3 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए ।

क्षमता निर्माण सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन : उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार हेतु एआईयू ने 6 क्षमता निर्माण सेमिनार/ सम्मेलन/कार्यशालाओं का आयोजन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग : उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में एआईयू सक्रिय भूमिका निभा रहा है। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अन्य देशों के साथ समझौता ज्ञापनों और शैक्षिक आदान–प्रदान और एवं विकास कार्यक्रमों पर इनपुट और टिप्पणियां प्रदान करके एमएचआरडी को सहयोग प्रदान करता है।

निधियन: सदस्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त वार्षिक सदस्यता शुल्क, अर्हताओं के प्रकाशनों और समकक्षताओं के माध्यम से प्राप्त राजस्व द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, से प्राप्त अनुदान के द्वारा एआईयू का निधियन होता है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, एआईयू को 115.46 रु. का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

❖ ❖ ❖

22

अधिगम समर्थित प्रौद्योगिकी

अधिगम समर्थित प्रौद्योगिकी

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों को कभी भी कहीं भी पद्धति के आधार पर इंटरनेट/इंटरानेट के जरिए उच्च गुणवत्ता युक्त व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव ज्ञान मॉड्यूल प्रदान करने हेतु आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) का संचालन कर रहा है।

सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करके और देश में सभी शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त ई–सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराने के माध्यम से शिक्षा नीति के तीन मुख्य सिद्धांतों अर्थात, पहुंच, समता और गुणवत्ता का भलीभांति पालन किया जा सकता है। एनएमईआईसीटी में तीनों तत्व शामिल हैं।

मिशन के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात् (क) ऑन लाइन शिक्षा और (ख) प्रसार जिसमें संस्थानों और शिक्षार्थियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। यह डिजिटल अंतराल अर्थात उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण और अधिगम के प्रयोजनार्थ शहरी और ग्रामीण शिक्षकों/शिक्षार्थियों के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास करता है और ऐसे लोगों को सक्षम बनाता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं, ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, रोबोटिक्स, ई–लर्निंग के लिए उपयुक्त शिक्षा शास्त्र, वर्चुअल प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने, ऑन–लाइन परीक्षण और प्रमाणन, छात्रों के मार्गदर्शन और मेंटरिंग के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता और पाठ्यक्रमों के वितरण हेतु 24×7 आधार पर 32 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) शैक्षिक चैनल का शुभारंभ की योजना है।

एनएमईआईसीटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को किस प्रकार आकार दिया गया है :

कैम्पस कनेक्टिविटी: एनएमईआईसीटी के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के लिए 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें सभी विश्वविद्यालयों/परिसरों को एनकेएन कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल हैं। यह वर्तमान में कार्यान्वित योजना है। विश्वविद्यालयों/संस्थानों में कनेक्टिविटी की स्थिति निम्नानुसार है :–

	केन्द्रीय	राज्य	समवत	निजी	आईआईटी	आईआईआईटी	एनआईटी	आईआईएम	एसपीए	आईआईएसईआर	कुल
विश्वविद्यालयों/परिसरों की संख्या	49	377	129	240	23	20	30	19	3	6	896
जुड़े हुए	49	312	109	54	17	8	29	14	3	6	601
जुड़े नहीं	0	65	20	186	6	12	1	5	0	0	295

इनमें से 601 विश्वविद्यालय/संस्थान 1 जीबीपीएस ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एनकेएन से जुड़े हुए हैं। 601 में से 438 कनेक्शन एनएमईआईसीटी योजना के तहत दिए गए थे। अब शेष बचे 295 विश्वविद्यालयों / परिसरों में एनकेएन कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाना है।

एमएचआरडी कुल लागत का 75% भाग वहन करता है और विश्वविद्यालय/संस्थान का हिस्सा 25% है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के मामले में यह अनुपात 90:10 है। अब एमएचआरडी ने एनएएसी मान्यता वाले शेष सभी केंद्रीय या राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और निजी और समवत विश्वविद्यालयों के लिए 1 जीबीपीएस एनकेएन कनेक्टिविटी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उन 36 विश्वविद्यालयों के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है जिन्होंने अपने भाग को वहन करने की इच्छा प्रकट की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की 'डिजिटल इंडिया' पहल की तर्ज पर, एमएचआरडी ने निर्णय लिया था कि एनकेएन कनेक्टिविटी वाले विश्वविद्यालयों के परिसरों को चरणबद्ध तरीके से—वाई—फाई समर्थ बनाया जाएगा। 41 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से, 39 केंद्रीय विश्वविद्यालय अब वाई—फाई युक्त हैं। शेष केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द ही वाई—फाई युक्त हो जाएंगे।

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पारिंग माइन्डस (स्वयम) :

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पारिंग माइन्डस (स्वयम) की शुरूआत भारत सरकार द्वारा की गई है और इसे शिक्षा— नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों पहुँच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सर्वाधिक वंचितों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना है। स्वयम उन छात्रों के लिए डिजिटल अंतराल को पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।

ऐसा एक स्वदेशी रूप से विकसित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जिसमें 9 वीं कक्षा से लेकर पोस्ट—ग्रेजुएशन तक पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रम कहीं भी किसी भी समय किसी के भी द्वारा पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। सभी पाठ्यक्रम इंटरैक्टिव हैं, जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और ये निःशुल्क उपलब्ध हैं। देशभर के विशेष रूप से चुने गए 1,000 से अधिक संकाय और शिक्षकों ने इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने में योगदान दिया है।

स्वयम पर मौजूद पाठ्यक्रम 4 भागों में हैं — (1) वीडियो लेक्चर, (2) विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है (3) परीक्षण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व—मूल्यांकन परीक्षण और (4) संदेहों के समाधान हेतु एक ऑनलाइन चर्चा मंच। ऑडियो—वीडियो और मल्टी—मीडिया और अत्याधुनिक शिक्षा शास्त्र/प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अधिगम अनुभव को समृद्ध करने हेतु कदम उठाए गए हैं। सर्वोत्तम गुणवत्तायुक्त सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए, 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। ये हैं, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए यूजीसी, अवर—स्नातक शिक्षा के लिए सीईसी, इंजीनियरिंग के लिए एनपीटीईएल, स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस, स्कूली छात्र के लिए इग्नू, मैनेजमेंट स्टडीज के लिए आईआईएम बैंगलोर, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनआईटीटीटीआर और स्व—चालित पाठ्यक्रम के लिए एआईसीटीई, और विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अर्पित पाठ्यक्रम।

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 09.07.2017 को औपचारिक रूप से स्वयम का शुभारंभ किया गया। मार्च 2017 तक, स्वयम पर कुल 1695 पाठ्यक्रम सूचीबद्ध किए गए हैं और जनवरी 2018 सेमेस्टर में लगभग 483 पाठ्यक्रम प्रदान किए गए। मार्च, 2019

तक स्वयम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 41.26 लाख छात्रों / शिक्षार्थियों ने दाखिला लिया। इसमें से लगभग 26.09 लाख अद्वितीय छात्र / शिक्षार्थी हैं। एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा आवश्यक नियमों के निर्माण के माध्यम से क्रेडिट हस्तांतरण कार्यढांचा (अधिकतम 20% तक) स्थापित किया गया है। इससे पारंपरिक संस्थानों / कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र स्वयम पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को अपने अकादमिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। लगभग 92 संस्थानों / विश्वविद्यालयों ने क्रेडिट ट्रांसफर के लिए स्वयम पाठ्यक्रमों को मान्यता दी है और कई अन्य भी ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।

हाल ही में पंजीकृत छात्र यूजीसी/सीईसी / आईआईएमबी के 90 पाठ्यक्रमों के संबंध में 1–2 दिसंबर, 2018 को क्रेडिट अंतरण हेतु आयोजित स्वयम परीक्षा में उपस्थित हुए। 40% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को क्रेडिट प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

स्वयम के जरिए संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी तैयार किया जा रहा है। स्वयम के माध्यम से प्रदान किए जा रहे एनआईओएस के डीईआईईडी कार्यक्रम के तहत पंद्रह लाख अप्रशिक्षित शिक्षक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर हैं। सरकार ने स्वयम के मूक मंच का उपयोग करते हुए 15 लाख उच्चतर शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यवसायिक विकास हेतु एक प्रमुख और अनूठी पहल के रूप में वार्षिक शिक्षक पुनश्चर्या कार्यक्रम की शुरूआत की है। स्वयम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों में कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से 2500 से अधिक स्थानीय चैप्टर तैयार किए गए हैं।

स्वयम चरण–II के तहत, कुछ मूक सामग्री, जिसमें वीडियो लिप्यांतरण भी शामिल है, का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, ताकि शिक्षार्थी अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकें और अपनी स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रमों को बेहतर ढंग से सीख सकें।

स्वयम पर प्रदान किए जा रहे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल अंतराल को कम रहे हैं। यह एक विघटनकारी तकनीक साबित हो सकती है और उच्चतर शिक्षा के वर्तमान व्यवसाय मॉडल को बदल सकती है। चूँकि स्वमय पर मौजूद मूक पारंपरिक शिक्षा के साथ जुड़ा

चेन्नई में जारी स्वयम परीक्षा

हुआ है, इसलिए यह आने वाले दिनों में अध्ययन के जबरदस्त अवसर लेकर आएगा और शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तनकारी साबित होगा।

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल):

एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ अधिगम संसाधनों का वर्चुअल रिपोजिटरी ढांचा विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (एनडीएल इंडिया) परियोजना शुरू की।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19.06 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया था। इस अवसर पर माननीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा, और माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. सत्य पाल सिंह उपस्थित थे।

एनडीएल को आईआईटी खड़गपुर द्वारा विकसित किया गया है और एक राष्ट्रीय संपदा है। परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों / निकायों की सभी मौजूदा डिजिटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करना है, जो समग्र उपयोगकर्ताओं के विभिन्न समूहों तक एकल–खिड़की पहुंच प्रदान कर सके। एनडीएल सामग्री के मेटाडेटा को प्राप्त करेगा और इन मेटाडेटा को राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी सर्वरों में संग्रहीत और अनुक्रमणित करेगा ताकि सभी ई–सामग्री को एक ही विंडो के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्ण–पाठ में खोजा और एक्सेस किया जा सके। एनडीएल अपने सर्वर में वास्तविक (पूर्ण–पाठ) सामग्री को संग्रहीत नहीं करता है; इसके बजाय यह उपयोगकर्ताओं को खोज परिणामों के भाग के रूप में संबंधित सामग्री होस्टिंग की साइटों के लिंक प्रदान करता है। उपयोगकर्ता इन लिंक पर क्लिक करके संबंधित होस्टिंग साइटों से सामग्री प्राप्त करते हैं।

- ➢ एनडीएल (https://ndl.iitkgp.ac.in) की एक मोबाइल ऐप है और यह उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस) के साथ एकीकृत है।
- ➢ यह स्कूल के छात्रों, यूजी, पीजी छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और आजीवन अध्ययन करने वालों की

मदद कर सकता है। इसमें मौखिक सामग्री भी शामिल है।

- ➢ इसमें एक अद्वितीय खोज सुविधा उपलब्ध है, जहां उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक संसाधनों की उपलब्धता की सटीक जानकारी मिलेगी। यह अलग–अलग रूप से सक्षम उपयोगकर्ताओं को पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।
- ➢ 300 + भाषाओं में 208 स्रोतों से 2.58 करोड़ सामग्री ली गई है,
- ➢ सामग्री विभिन्न रूपों–पाठ/ऑडियो/वीडियो/सिमुलेशन/एनीमेशन में उपलब्ध है।
- ➢ अब तक, प्लेटफॉर्म 8 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी, तमिल, कन्नड़) में काम करता है।
- ➢ दो प्रकाशकों नामत : वर्ल्ड ई–बुक लाइब्रेरी (40 + लाख पुस्तकें) और साउथ एशिया आरकाइव (पत्रिका, लेख) के पास राष्ट्रीय लाइसेंस है।
- ➢ 65% सभी सामग्री निशुल्क डाउनलोड की जा सकती हैं। बाकी कॉपीराइट हैं जिनके लिए संबंधित प्रकाशकों की सदस्यता की आवश्यकता है।
- ➢ 47 लाख से अधिक पंजीकृत उपभोक्ता, 19 लाख से अधिक सक्रिय उपभोक्ता
- ➢ एनडीएलआई ने अब तक कार्यशालाओं के माध्यम से इंस्टीट्यूशन डिजिटल रिपोजिटरी (आईडीआर) स्थापित करने के लिए 1009 संस्थानों के 1862 लाइब्रेरियन और आईटी समर्थित व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।

एनडीएलआई एक पुस्तकालय है जिसका उद्देश्य भारत में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है ताकि वे प्रत्येक नागरिक को उन्हें सशक्त बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान के साथ सक्षम बना सकें। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पत्रिकाओं और 170+ अन्य प्रासंगिक रिपॉजिटरी से सामग्री हेतु प्रमुख लिंक का संग्रह होने से, शिक्षार्थी इस मंच का उपयोग करके मुख्य शैक्षिक स्रोतों से बहु–विषयक और अंतःविषय सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

वर्चुअल प्रयोगशालाएं :

वर्चुअल प्रयोगशाला परियोजना का विज़न ज्ञान प्राप्ति की समझ का आकलन करने के लिए प्रयोगों को करने, डेटा एकत्र करने और सवालों के जवाब देने के लिए एक पूरी तरह से इंटरैक्टिव सिमुलेशन वातावरण विकसित करना है। इस तरह की महत्वाकांक्षी परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, वास्तविक दुनिया के वातावरण और समस्या से निपटने की क्षमता विकसित करने हेतु अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन तकनीक के साथ आभासी प्रयोगशालाओं को विकसित करना आवश्यक है। आईआईटी, दिल्ली अन्य 10 संस्थानों के साथ नोडल संस्थान के रूप में यह पहल कर रहा है।

भौतिक दूरी और संसाधनों की कमी से प्रयोग करने में कठिनाई आती है, खासकर तब जब उनमें परिष्कृत उपकरण शामिल हो दो प्रतिभागी संस्थानों द्वारा संयुक्त प्रयोगों का संचालन करना और महंगे संसाधनों को साझा करना भी हमेशा से एक चुनौती रही है। वर्तमान में इंटरनेट और कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों के कारण उपरोक्त सीमाएं छात्रों और शोधकर्ताओं को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में अधिक बाधा नहीं डाल सकती। इसलिए, वर्चुअल प्रयोगशाला परियोजना, बेहतर प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ–साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की इस समस्या को दूर करता है, जिससे दूरस्थ प्रयोग निशुल्क संभव हो सके। आभासी प्रयोगशालाएं छात्रों और शिक्षकों दोनों को विज्ञान और इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में फैले विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला में गुणवत्ता प्रयोगशालाओं तक पहुंच प्रदान करती हैं; वर्तमान में लगभग 120 ऐसी प्रयोगशालाएं कार्यात्मक हैं, जिनमें 900 से अधिक प्रयोग किए गए हैं और 35 लाख (लगभग) से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। सभी प्रकार की सामग्री एक सामान्य वेबसाइट www.vlab.co.in पर उपलब्ध है।

ई–यंत्रः

ई–यन्त्र आईआईटी बॉम्बे द्वारा भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम्बेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स के संबंध में प्रभावी शिक्षा को सक्षम बनाने हेतु शुरू की गई एक परियोजना है। कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जहां प्रतिभागियों को एम्बेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की आधारभूत बातें सिखाई जाती हैं। प्रतियोगिता–गतिविधियों के माध्यम से रोबोट के साथ अनुभव प्रयोगों में शिक्षकों और छात्रों की सहभागिता आउट–ऑफ–द–बॉक्स समाधान के साथ समस्या–समाधान का एक और अभिनव तरीका है। ई–यन्त्र कॉलेजों को रोबोटिक्स लैब/क्लबों की स्थापना में मदद करता है ताकि वे इसे अपने नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा बना सकें। इस पहल से देश भर के 330 से अधिक कॉलेज लाभान्वित हुए हैं। सभी परियोजनाएँ और कोड ई–यन्त्र वेब–साइट www.e.yantra.org पर उपलब्ध हैं, ये ई–यन्त्र लैब्स के ओपन सोर्स कंटेंट के रूप में हैं।

विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं – ई यंत्र रोबोटिक्स प्रतियोगिता (ईवाईआरसी), ई–यंत्र समर इंटरर्नशिप प्रोग्राम (ई वाईएसआईपी), ई–यंत्र लैब सेटअप पहल (ईएलएसआई), ई–यंत्र सिम्पोसियम (ई–वाईएस) और ई–यंत्र संसाधन विकास केन्द्र (ईवाईआरडीसी)

2018, ईवाईआरसी –2017 फाइनल्स

इस साल रोबोटिक्स प्रतियोगिता में 786 कॉलेजों की ओर से 28692 पंजीकरण कराए गए। पूरे भारत में 331 कॉलेजों में प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। टास्क आधारित प्रशिक्षण नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। पूरे भारत में 374 कॉलेजों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। आईआईटी बॉम्बे में 32 छात्रों के पास इंटर्नशिप कार्यक्रम हैं। संगोष्ठी एक वार्षिक कार्यक्रम है जो नेटवर्किंग और कॉलेजों के छात्रों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने ईएलएसआई के तहत लैब की स्थापना की है और शिक्षकों और छात्रों को अपने ज्ञान का उन्नयन करने का अवसर प्रदान किया है।

शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत साफ्टवेयर (एफओएसएसईई)

आईआईटी बॉम्बे को संस्वीकृत एफओएसएसईई परियोजना शैक्षिक संस्थाओं में साफ्टवेयर के मुक्त स्रोत के प्रयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। इसकी वेबसाइट http://fossee.in है। यह कार्य स्पोकन टयुटोरियल जैसी अनुदेशात्मक सामग्री, पाठ्यपुस्तक अभियान जैसे दस्तावेजीकरण और सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं जैसे जागरूकता कार्यक्रमों और इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है। टेक्स्टबुक कम्पैनियन (टीबीसी) मानक पाठ्यपुस्तकों के हल किए गए उदाहरणों के कोड का संग्रहण है।

लगभग 2000 कॉलेज छात्रों एवं अध्यापकों ने इस कार्यकलाप में भाग लिया और 1000 के करीब टीबीसी को स्किलैब में तैयार किया गया और उन्हें निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाया गया है। स्किलैब और पायथन टीबीसी दोनों क्लाउड पर उपलब्ध हैं और उपभोक्ता को टीबीसी कोड को डाउनलोड करने के लिए केवल एक ब्राउसर की जरूरत होती है। एफओएसएसईई एक सुस्थापित मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहित कर रहा हैः ओपन एफओएएम, स्वामित्व प्राप्त फ्लूएंट सॉफ्टवेयर का विकल्प है जो कम्प्यूटेशनल फल्यूड डाइनेमिक्स के लिए है; डीडब्ल्यूएसआईएम कैमिकल प्रोसेस सिमुलेशन के लिए स्वामित्व प्राप्त ऐस्पेन सॉफ्टवेयर का विकल्प है।

एफओएसएसईई ने कतिपय नई मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर गतिविधियां भी शुरू की हैं: स्किलैब टूलबाक्स को मैटलैब तक ले जाना; ई–सिम एक इलेक्ट्रानिक डिजाइन आटोमेशन सॉफ्टवेयर को तैयार करना; जो ऑरकाड का विकल्प है; संधि को तैयार करना; जो डाटा प्राप्ति और नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर है और लैबवियू का विकल्प। एफओएसएसईई टीम ओपन पीएलसी और आरड्यूनों जैसे मुक्त स्रोत हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर कार्य करता है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से देशभर के बड़ी संख्या में छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

इनफ्लिबनेट केंद्र का ई–शोध सिन्धुः

ई–शोध सिन्धु उच्चतर शिक्षा ई–संसाधनों के लिए एक भागीदारी पहल है जो शैक्षणिक संस्थानों को कम उपभोक्ता दर पर पूर्ण–पाठ, ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डेटाबेस सहित गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ई–शोध सिन्धु के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं: –

- ई–शोध सिन्धु की स्थापना; एमएचआरडी द्वारा वित्त पोषित तीन गतिविधियों और सेवाओं को बढ़ाने और मजबूत बनाने के द्वारा उच्चतर शिक्षा हेतु कंसोर्टिया
- सतत पहुंच आधार पर ई–जर्नल, ई–जर्नल अभिलेखागार और अनौपचारिक रूप से ई–पुस्तकों का एक शानदार संग्रह विकसित करना;
- जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्य भारतीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में ई–संसाधनों के उपयोग की निगरानी और बढ़ावा देना;
- सभी शैक्षणिक संस्थानों को सदस्यता–आधारित विद्वानों की जानकारी (ई–पुस्तकें और ई–पत्रिका) तक पहुंच प्रदान करना;
- विषय पोर्टल और विषय गेटवे के माध्यम से मुक्त पहुचं हेतु उपलब्ध विद्वानों की सामग्री तक पहुंच प्रदान करना;
- डिजिटल अंतराल को पाटना और एक ज्ञान समृद्ध समाज की ओर कदम बढ़ाना।
- मौजूदा कंसोर्टिया में शामिल नहीं किए गए विश्वविद्यालयों और एमएचआरडी द्वारा वित्त पोषित संस्थानों सहित मौजूदा अतिरिक्त संस्थानों को चयनित ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना
- मौजूदा कंसोर्टिया द्वारा न की जा रही और सहयोगी मंच के लिए आवश्यक अतिरिक्त गतिविधियों और सेवाओं का कार्यान्वयन
- अपने प्रमुख खंडों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों के साथ एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में बढ़ना।

इनफ्लिबनेट सेंटर को ई–शोध सिंधु के कार्यान्वयन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई–शोध सिंधु यूजीसी अधिनियम की धारा 12 (ख) और 2 (च) के तहत कवर 217 से अधिक विश्वविद्यालयों और 3,237+ कॉलेजों और आईआईटी, आईआईएससी,एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी सहित 97 केंद्रीय–वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगी। वर्ष 2019 के लिए, कंसोर्टियम ने पात्र विश्वविद्यालयों/सीएफटीईई, जिन्होंने ई–शोध सिंधु पोर्टल, के माध्यम से अपनी आवश्यकता दर्ज कराई थी, के लिए केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से 17 संसाधनों (7038 से अधिक पत्रिकाओं और चार डेटाबेस सहित) को सब्सक्राइब किया है, शेष संसाधनों को व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा अपनी निधियों के उपयोग के माध्यम से कंसोर्टियम के साथ बातचीत के बाद तय दरों पर पर सब्सक्राइब किया जा सकता है। कंसोर्टियम ने विभिन्न

प्रकाशकों से 130 से अधिक संसाधनों के संग्रह के लिए सदस्यता की दरों पर बातचीत की। एन–लिस्ट नामक कंसोर्टियम का कॉलेज घटक एन–लिस्ट कार्यक्रम के तहत 3237 से अधिक कॉलेजों को 6,500+ पत्रिकाओं और 3150000+ ई–पुस्तकों तक पहुंच प्रदान की। एआईसीटीई की ओर से निधियन के साथ कंसोर्टियम 75 संस्थानों को चार ई–संसाधन, अर्थात्, एएससीई, एएसएमई, आईईईई–एएसपीपी, बेंथम फार्मेसी तक पहुंच प्रदान करता है।

ई–शोध सिन्धु ने ई–संसाधनों तक सुचारू पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त विशेषताओं जैसेः क) इनफ्लिबनेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन (आईएनएफईडी) – शिबोलेथ उपयोगकर्ताओं का प्रमाणन और प्राधिकरण ख) इंफीस्टेट्स – कांउटर एंड शुशि – डेटा सेवा उपयोग अनुपालन ग) डॉक्यूमेंट डिलिवरी सर्विस (डीडीएस) हेतु जी गेटस प्लस, मेटा हार्वेस्टिंग और डिस्कवरी सर्विसेज (डीएस) को एकीकृत किया है।

स्वयं प्रभा – डीटीएच शैक्षणिक चैनल

स्वयं प्रभा : स्वयं प्रभा डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से 24×7 आधार पर देश भर में 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है। यह सर्वाधिक किफायती तरीके से ई–शिक्षा देने में सक्षम होगा। अंतरिक्ष विभाग ने इसके लिए जीएसएटी–15 के दो ट्रांसपोंडर आवंटित किए हैं। 9–जुलाई –2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से स्वयं प्रभा का शुभारंभ किया गया।

दूरदर्शन (फ्री डिश) निःशुल्क डीटीएच सेवा के ग्राहक एक ही सेट टॉप बॉक्स और टीवी का उपयोग करके इन शैक्षिक चैनलों को देख सकेंगे। इसके लिए किसी अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।

एमएचआरडी के डीटीएच चैनल पर पाठ्यक्रम–आधारित सामग्री मौजूद है और कार्यक्रम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बिना किसी आवर्ती लागत के शैक्षिक सामग्री को टीवी सेट पर देखा जा सके। डीटीएच पर प्रसारित इन शैक्षिक कार्यक्रमों को अभिलेखीय डेटा के रूप में यू–ट्यूब पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। चैनल शेड्यूल, विषय, अभिलेखीय लिंक आदि से संबंधित जानकारी स्वयं प्रभा पोर्टल (https://swayamprabha.gov.in/) पर उपलब्ध है, जिसे इन्फिलिबनेट गांधी नगर द्वारा विकसित किया गया है। स्वयं प्रभा का एक मोबाइल ऐप है और इसे उमंग (यूएमएएनजी) (यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू–एज गवर्नेंस) के साथ एकीकृत किया गया है।

एमएचआरडी डीटीएच कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा (क) संस्थानों में दी जाने वाली सामग्री के अलावा ई–शिक्षा सामग्री की छात्रों के घरों तक पहुंच; (ख) डीटीएच चैनल उच्च शिक्षा में पढ़ाए जाने वाले लगभग सभी विषयों / विषय क्षेत्रों में संरचित व्याख्यानों की उपलब्धता। इन चैनलों को भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गांधीनगर (बीआईएसएजी) के माध्यम से जीएसएटी –15 उपग्रह के साथ अपलिंक किया जाता है।

इन चैनलों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के चार सबसे लोकप्रिय आईआईटी–पीएएल चैनल हैं जो आईआईटी जैसी संस्थाओं में शामिल होने के इच्छुक कक्षा 11 और 12 में छात्रों में वैज्ञानिक सोच और वैचारिक समझ को प्रोत्साहित करने के माध्यम से जेईई एडवांस्ड जैसे परीक्षा के कठिन प्रश्न के उत्तर देने में उनकी सहायता करने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं।

❖ ❖ ❖

23

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक श्रेणी–I, मिनी–रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एकमात्र सीपीएसई है। कंपनी भारत और विदेशों में संपूर्ण शिक्षा और मानव संसाधन विकास मूल्य श्रृंखला में परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। एडसिल एक आईएसओ 9001–2015 एवं 14001–2015 प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 18–19 में 317 करोड़ रुपये तक के कारोबार के साथ पिछले चार वर्षों में तेजी से वृद्धि दर्ज की है। उक्त अवधि में पीएटी बढ़कर 30 करोड़ रुपये हो गया है।

एडसिल के ग्राहकों में अधिकांश राज्य और केंद्र सरकार शामिल हैं। इनमें एमएचआरडी, पीएसयू और स्वायत्तशासी निकाय जिनमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और सैनिक स्कूल सोसायटी शामिल हैं। कंपनी ने हाल ही में विदेशों में कई परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी किया है, जिसमें मॉरीशस के कक्षा I, II और III के बच्चों के लिए 39680 एजुकेशन टैबलेट्स की आपूर्ति शामिल है। वर्तमान में कंपनी भारत में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्थानों में अध्ययन हेतु अधिक संख्या में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की "स्टडी इन इंडिया" नामक बड़ी योजना को निष्पादित कर रही है।

सर्विस स्पेक्ट्रम एडसिल शैक्षणिक क्षेत्र में शुरूआत की अवधारणा और निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की इष्टतम पूर्ति की निरंतर निगरानी के माध्यम से उद्देश्यों की पहचान के जरिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए टर्नकी आधार पर एंड–टू–एंड परियोजनाएं कार्यान्वित करता है।

तीन दशकों के दौरान सुदृढ़ विशेषज्ञता, मजबूत गठबंधन और समर्पित टीमों की प्रतिबद्धता से कंपनी की मजबूत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि निर्मित हुई है, जिससे शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में हमारी मुख्य क्षमता में मजबूती आई है। वर्तमान में एडसिल निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है :

- ✦ ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस)
- ✦ शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं (ईआईएस)
- ✦ शैक्षणिक खरीद सेवाएं (ईपीएस)
- ✦ डिजिटल शिक्षा सेवाएं (डीईएस)
- ✦ परामर्शी सेवाएं (एएस)
- ✦ विदेश शिक्षा सेवाएं (ओईएस)
- ✦ तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)

❖ ❖ ❖

24

पुस्तक संवर्धन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत (एनबीटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने और उन्हें जनसाधारण को कम दाम पर उपलब्ध कराना अधिदेशित है। ट्रस्ट के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने और देश में लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाना अधिदेशित है।

न्यास की गतिविधियां

क) प्रकाशन

यह ट्रस्ट सामान्य पठन सामग्री का प्रकाशन करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी आयु समूहों के लिए काल्पनिक कथाएं, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रकाशन शामिल होते हैं। यह ट्रस्ट नव साक्षरों, बालकों के लिए पुस्तकें तथा साक्षरता पश्चात उपयोग हेतु एक विस्तृत विविधतायुक्त पठन सामग्री का प्रकाशन भी करता है। एनबीटी प्रकाशन अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मामूली दाम पर होते हैं। एनबीटी द्वारा 21 श्रृंखलाओं के तहत पुस्तकें प्रकाशित होती हैं जैसे कि (क) भारत– भूमि और इसके लोग (ख) लोकप्रिय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान (ग) लोकगीत (घ) उन भारतीयों की राष्ट्रीय जीवनी और आत्मकथा जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया है (ङ) नेहरू बाल पुस्तकालय (च) रचनात्मक अध्ययन (छ) नव साक्षरों के लिए पुस्तकें (ज) विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक साहित्य के आदान–प्रदान से राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए आदान–प्रदान (झ) भारतीय साहित्य (ण) प्रवासी भारतीय अध्ययन (ट) सामान्य श्रृंखलाएं और (ठ) ब्रेल पुस्तकें (ड) वीरगाथा श्रृंखला (ढ़) वूमेन पायनीयर्स (ण) नवलेखन माला।

भारत के प्रकाशन क्षेत्र में वर्तमान में तकनीकी विकास और विशेष रूप से युवाओं में पढ़ने के पैटर्न में बदलाव के कारण तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह ट्रस्ट अपने प्रकाशन और पुस्तकों से संबंधित संवर्धनात्मक गतिविधियों में अभिनव परिवर्तन लाते हुए इसे बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट, सभी विषयों पर सभी आयु समूहों के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें प्रदान करने में सक्षम हो गया है। अपनी वर्तमान गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए, ट्रस्ट ने विभिन्न अल्प भाषाओं जैसे कि धुरबी, डोरली, गोंडी आदि में पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी विशेष प्रयास आरंभ कर दिए हैं। ट्रस्ट प्रकाशन की उन शैलियों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है जिन्हें महत्व के बावजूद भारत के अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ, राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत, ट्रस्ट द्वारा पंजाबी भाषा, इसके साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी में चुनिंदा पुस्तकें प्रकाशित करता है। वर्ष 2018 के दौरान, ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 1172 शीर्षकों का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है:

एनबीटी द्वारा प्रकाशित शीर्षकों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	मूल	अनुवाद	पुनःमुद्रित	संशोधित	कुल
1.	असमिया	0	0	52	0	52
2.	बांग्ला	4	1	83	0	88
3.	बोडो	0	0	25	0	25
4.	अंग्रेजी	16	2	264	7	289
5.	गढ़वाली	0	3	0	0	3
6.	गुजराती	0	0	34	3	37
7.	हिन्दी	62	9	448	1	520
8.	कन्नड़	1	4	2	1	8
9.	कोकबोरोक	6	0	0	0	6
10.	कुमाउंनी	0	3	0	0	3
11.	मलयालम	0	0	26	0	26
12.	मराठी	0	0	26	0	26
13.	उड़िया	4	3	2	1	10
14.	पंजाबी	0	0	19	0	19
15.	संस्कृत	1	0	1	0	2
16.	तमिल	0	9	37	1	47
17.	तेलुगू	0	1	0	6	7
18.	उर्दू	1	0	2	1	4
	कुल	**95**	**35**	**1021**	**21**	**1172**

एनबीटी प्रकाशन का विपणन और वितरण

एनबीटी प्रकाशनों को वर्तमान में प्रत्यक्ष बिक्री, एजेंटों, वितरकों और राज्य सरकारों को थोक आपूर्ति के माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। प्रकाशनों का विक्रय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगलौर में स्थित एनबीटी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एनबीटी पुस्तकें अब कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर भी उपलब्ध हैं। एनबीटी की पुस्तकें संपूर्ण देश के एनबीटी पुस्तक संवर्धन केन्द्रों पर भी बेची जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने 24,60,56,037 (लगभग) रूपए के प्रकाशन की कुल बिक्री दर्ज की है।

भारत में पुस्तक मेलों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (6–14 जनवरी 2018), तिरुनेलवेली पुस्तक मेला (3–11 फरवरी 2018), ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव (10–12 फरवरी 2018), गया पुस्तक मेला

(10–18 फरवरी 2018), राष्ट्रीय पंचायत पुस्तक मेला, श्रीनगर, उत्तराखंड (24–28 फरवरी 2018), आगरा पुस्तक मेला (10–18 मार्च 2018)), ग्वालियर पुस्तक मेला (12–20 मई 2018), इम्फाल पुस्तक मेला (26 मई –3 जून 2018), कुल्लू पुस्तक मेला (9–17 जून 2018), हल्द्वानी पुस्तक मेला (22 जून –1 जुलाई 2018) और सिलवासा पुस्तक मेला (30 सितंबर –7 अक्टूबर 2018) सहित देश भर में 11 पुस्तक मेलों का आयोजन किया।

पूर्वोत्तर में पुस्तक संवर्धन गतिविधियां

ट्रस्ट ने कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के माध्यम से पूर्वोत्तर में भी अपनी पुस्तक संवर्धन गतिविधियों का विस्तार किया है। समीक्षा अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव (9–11 फरवरी 2018), राष्ट्रीय जनजातीय पुस्तक महोत्सव (17–20 मार्च 2018), बोडो भाषा अनुवाद कार्यशाला (24 मार्च 2018), शिलांग के पास मेरंग में बच्चों के लिए रीड–ए–थॉन पर कार्यशाला (24 मार्च 2018) और इम्फाल पुस्तक मेले (26 मई से 3 जून 2018) का आयोजन किया। ।

जम्मू और कश्मीर में विशेष पुस्तक सवंर्धन गतिविधियां

वर्षों से, ट्रस्ट जम्मू–कश्मीर में पुस्तक संबंधी मानसिकता का निर्माण करने और घाटी के लोगों को एनबीटी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गतिविधियां आयोजित कर रहा है। ट्रस्ट ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 28 मार्च 2018 को श्रीनगर और 31 अक्टूबर 2018 को स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर इन कश्मीरी लेंगवेज 'विषय पर एक संगोष्ठी और जम्मू में बच्चों के लिए रचनात्मक लेखन पर कार्यशालाएं आयोजित कीं।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2018 का आयोजन

ट्रस्ट ने 6 से 14 जनवरी, 2018 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, 2018 का आयोजन किया। यह मेला भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से आयोजित किया गया था। श्री प्रकाश जावड़ेकर, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार ने एक वीडियो सम्बोधन के माध्यम से मेले का उद्घाटन किया। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत श्री टॉमाज़ कोज़लोस्की मुख्य अतिथि थे। सुश्री सुनीता नारायण, प्रतिष्ठित पर्यावरणविद् और ग्रीस की जानी–मानी लेखिका और 2017 में साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुश्री कालिया पापाडाकी विशिष्ट अतिथि थीं।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2018 'पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन' विषय पर केंद्रित था। इस थीम मंडप में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ–साथ पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिग, जल प्रदूषण, पर पैनल चर्चा, विचार–विमर्श, पर्यावरणविदों के साथ बातचीत के अलावा अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया। मंडप में विभिन्न शैलियों में अंग्रेजी, हिंदी, भारतीय और विदेशी भाषाओं में 300 से अधिक चुनिंदा पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें आत्मकथाएं, संस्मरण, यात्रा वृतांत, रचनात्मक साहित्य, बाल साहित्य आदि शामिल हैं। पैवेलियन में थीम पर एक विशेष फोटो–प्रदर्शनी, पैनल और पोस्टर भी लगाए गए थे। मेले में 20 देशों जैसे बेल्जियम, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, ईरान, इटली, मैक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान, पोलैंड, स्लोवेनिया,स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, यूएई और ब्रिटेन के विदेशी प्रतिभागियों सहित लगभग 800 प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और वितरकों ने भाग लिया। इसके अलावा, यूनेस्को और डब्ल्यूएचओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी मेले में भाग लिया।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की अन्य प्रमुख विशेषताओं में ऑथर कार्नर, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कॉर्नर, थीम पैवेलियन, विदेशी पैवेलियन, सीईओ स्पीक ओवर चेयरमैन ब्रेकफास्ट, नई दिल्ली राइट्स टेबल, चिल्ड्रन पैवेलियन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आदि थे।

विदेशों में भारतीय पुस्तक संवर्धन

विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा देने हेतु, ट्रस्ट विभिन्न भारतीय प्रकाशकों के भारतीय प्रकाशनों के व्यापक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों मेलों में भाग लेता है। 1970 के बाद से, ट्रस्ट ने 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने 13 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले जैसे, काहिरा इंटरनेशनल बुक फेयर (27 जनवरी –10 फरवरी 2018), बोलोग्ना चिल्ड्रन बुक फेयर (26–29 मार्च 2018), लंदन बुक फेयर (10–12 अप्रैल 2018), अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (25 अप्रैल –1 मई 2018), तेहरान अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (2–12 मई 2018), वारसॉ पुस्तक मेला (17–20 मई 2018), नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (1–9 जून 2018) , बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर (22–26 अगस्त 2018), इंडोनेशिया इंटरनेशनल बुक फेयर (12–16 सितंबर 2018), कोलंबो इंटरनेशनल बुक फेयर (21 – 30 सितंबर 2018)), फ्रैंकफर्ट बुक फेयर (10–14 अक्टूबर 2018), शारजोन इंटरनेशनल पुस्तक मेला (31 अक्टूबर –10 नवंबर 2018) और ग्वाडलजारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (24 नवंबर –3 दिसंबर 2018) और 18 से 20 अगस्त 2018 तक मॉरीशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भी भाग लिया।

एनबीटी एफएपी

विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए, ट्रस्ट ने अनुवाद हेतु सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत, भारतीय पुस्तकों को विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के इच्छुक विदेशी प्रकाशकों को ट्रस्ट द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तकः समहिता आरनी की *द मिसिंग क्वीन* (मूल रूप से जुबान द्वारा प्रकाशित) लिट एडिज़ियोनी एसआरएल द्वारा इतालवी में प्रकाशित; मनोज दास की माई लिटिल इंडिया (मूल रूप से एनबीटी, भारत द्वारा प्रकाशित) कोरियाई भाषा में बुकसी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित; *लुकिंग बैकः इंडिया इन 20 सेंचुरी* (मूल रूप से एनबीटी, भारत द्वारा प्रकाशित) कोरियाई में स्टोरीज़ पब्लिशिंग और अंबाई की *स्टोरी बाय अंबाई* (मूल रूप से कलचुवदु द्वारा प्रकाशित) फ्रेंच में एडिशन जुल्मा द्वारा प्रकाशित को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, ट्रस्ट ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले, 2018 के दौरान प्रकाशकों के लिए छठे राइट टेबल फोरम का आयोजन किया, जिसमें देश और विदेश के 60 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। इसके अलावा, मुख्य प्रकाशकों में मिस्र, जापान, नेपाल, सऊदी अरब, स्लोवेनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रकाशकों सहित भारत के प्रमुख प्रकाशक शामिल थे।

पुस्तक परिक्रमा – ग्राम स्तरीय सचल प्रदर्शनियां

ट्रस्ट देश भर के दूरदराज के क्षेत्रों जहां पुस्तकों की दुकाने पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है, वहां पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तरीय सचल बुक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित अब तक पूरे देश में 16000 से अधिक मोबाइल प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में लगभग 120 स्थानों पर सचल बुक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र (एनसीसीएल)

राष्ट्रीय बाल साहित्यक केन्द्र की स्थापना भारत की सभी भाषाओं में बच्चों के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। एनसीसीएल, देश में बच्चों की पुस्तकों के सृजन और अनुवाद तथा बच्चों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन की निगरानी, संयोजन, योजना और सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनसीसीएल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, बच्चों के साहित्य के तीव्र और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त भारतीय और विदेशी सामग्री और विशेषता को उपलब्ध कराना है। एनसीसीएल स्कूल में

रीडर क्लब के माध्यम से बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित भी करता है और माता–पिता, शिक्षकों, शिक्षाविदों और योजनाकारों के बीच बच्चों के साहित्य पर सूचना को प्रोत्साहित करता है। स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित और विकसित करने की दृष्टि से एनसीसीएल देशभर में स्कूलों में रीडर क्लब स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है और बच्चों के साहित्य से संबंधित सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

अब तक देशभर में 36,000 रीडर क्लब स्थापित किए जा चुके हैं। समीक्षा अवधि के दौरान एनसीसीएल ने देशभर के विभिन्न भागों मीट–दी–आर्थर कार्यक्रम, कहानी सत्र, कार्यशालाएं, सेमिनार, रीडर क्लब अभिमुखी कार्यक्रम और अन्य बाल गतिविधियों के अतिरिक्त 164 रीडर क्लब स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए द्विभाषी पत्रिका *रीडर–क्लब बुलेटिन* के 4 तिमाही संस्करणों का भी प्रकाशन किया गया। इस अवधि के दौरान, देश के विभिन्न स्थानों में 90 कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

एनबीटी का स्थापना दिवस समारोह

दुनिया आज पहले से कहीं ज्यादा जटिल है और आगे और जटिल बनेगी' एनबीटी के सातवें एनबीटी स्थापना दिवस व्याख्यान के अवसर पर 'बुक्स एंड रीडिंग इन टूडे इंडिया' विषय पर आयोजित व्याख्यान में डॉ. के श्रीनिवास राव, सचिव, साहित्य अकादमी ने ये बात कही। यह व्याख्यान 1 अगस्त 2018 को वसंत कुंज, नई दिल्ली में एनबीटी के 61वें स्थापना दिवस समारोह में आयोजित किया गया।

डॉ. श्रीनिवासराव ने कहा कि आज, हम पढ़ने की आदत में गिरावट देख सकते हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे टेलीविजन, इंटरनेट, वीडियो गेम, ऑडियो–विजुअल सामग्री, बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी समय, कुछ तकनीकी जैसे ई–बुक्स का उपयोग बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के एक साधन के रूप में किया जा सकता है।

इस अवसर पर, ट्रस्ट में अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।

विश्व पुस्तक दिवस

विश्व पुस्तक दिवस समारोह के अवसर पर, नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ मिलकर पीजी कॉलेज, पिथौरागढ़ में 'इंटरनेट के युग में मुद्रित पुस्तकों का भविष्य' विषय पर और इंदौर में 'डैमोक्रेटिक वैल्यूस इन चिल्ड्रन्स लिटरेचर' विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया इसके अलावा, एनसीसीएल पुस्तकालय, नई दिल्ली में बच्चों के लिए एक कहानी सत्र का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह

राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने 17 से 18 नवंबर, 2018 तक श्री गंगानगर, राजस्थान में दो दिवसीय साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया। नोसेगे पब्लिक स्कूल और सृजन सेवा संस्थान, श्री गंगानगर के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंटरनेट के युग में पुस्तकों का महत्व' विषय पर कवि सम्मेलन, बच्चों के साहित्य पर संगोष्ठी और यातायात नियमों के बारे में जागरूकता विषय पर नाटक का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र ने 12 नवंबर 2018 को नई दिल्ली के एनबीटी कॉन्फ्रेंस रूम में बच्चों के जाने माने लेखक डॉ. दिविक रमेश के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्वयं सेवक संगठन कंबाइंड एक्शन फॉर प्रोग्रेस के लगभग 50 बच्चों ने भाग

लिया। सत्र के दौरान, डॉ. रमेश ने अपनी पुस्तक *लुलु की सनक* से कहानियां सुनाईं और पुस्तकों के महत्व और पढ़ने की आदत के बारे में बातचीत की।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह समारोह

राष्ट्रीय एकता सप्ताह के अवसर पर, ट्रस्ट ने 22 नवंबर, 2018 को एनबीटी सम्मेलन कक्ष, वसंत कुंज, नई दिल्ली में राष्ट्रीय एकीकरण पर एक व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार सुश्री क्षमा शर्मा इस मुख्य अतिथि थीं। सत्र के दौरान, सुश्री क्षमा शर्मा ने लोगों के बीच वैश्विक भाईचारा, शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता के बारे में बात की।

बुक क्लब

किताबों के प्रचार और आम लोगों के बीच पढ़ने की आदत के संबंध में बुक क्लब योजना एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। ट्रस्ट ने इस अवधि के दौरान 3048 नए बुक क्लब सदस्यों का नामांकन किया। यह योजना सभी एनबीटी प्रकाशनों पर 20% छूट प्रदान करती है।

सेमिनार, कार्यशालाओं और पुस्तक विमोचन समारोह और प्रकाशकों और लेखकों का सम्मेलन जैसी साक्षरता गतिविधियों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने सेमिनार जैसे 100 से अधिक साहित्यिक गतिविधियों मीट – द ऑथर प्रोग्राम, सलाहकार पैनल बैठकें, पुस्तक के प्रचार के लिए कार्यशालाएँ और पंजाबी में दो–दिवसीय अनुवाद कार्यशाला, 'साहित्य में हास्य' और 'पढ़ने और इंटरनेट की संस्कृति' पर चर्चा सहित हाल ही में एनबीटी द्वारा प्रकाशित शीर्षक *अनगढ़ रास्ते : मीडिया क्षेत्र में आगमन एवम् अलविदा, चरैवेति चरैवेति, महामन मदन मोहन मालवीयः व्यक्तिव एवम् विचार;* 'प्राचीन भारतीय साहित्य' पर संगोष्ठी और 'मेरा विज़न–भ्रष्टाचार मुक्त भारत' विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया।

सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती

सरदार वल्लभभाई पटेल की 143 वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को जम्मू में बच्चों के लिए एक रचनात्मक लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय 'जम्मू और कश्मीर की भाषाओं में सार्वभौमिक मूल्य' था।'

पुस्तक संवर्धन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पुस्तक संवर्धन गतिविधियों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन/पुस्तक मेले आयोजित करने के लिए ट्रस्ट को स्वैच्छिक/निजी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना सौंपी थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पुस्तक मेले/प्रदर्शनियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, आदि के आयोजन के स्वीकृत व्यय के 75% को पूरा करने के लिए ट्रस्ट द्वारा 12 संगठनों को कुल 4,65,388/ रू. की राशि का अनुदान जारी किया गया।

पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रकाशन उद्योग के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का एक प्रतिभा समूह तैयार करने के उद्देश्य से ट्रस्ट देश के विभिन्न भागों में पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आगरा (20 – 27 फरवरी 2018), धर्मशाला (8 – 15 मई 2018), इंफाल (28 मई – 4 जून 2018), नई दिल्ली (10 जुलाई – 6 अगस्त 2018), पुदुचेरी (28 सितंबर – 6 अक्टूबर 2018) और पटना (7 – 13 अक्टूबर 2018) में छः प्रकाशन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

भारत–चीन अनुवाद कार्यक्रम

सांस्कृतिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, भारत सरकार और चीन गणराज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अनुवाद कार्यक्रम के लिए आगे आये हैं जिसमें प्रत्येक 25 शास्त्रीय और समकालीन साहित्यिक कृतियों का चीनी भाषा से हिंदी और भारतीय साहित्यिक

कार्यों का चीनी भाषा में अनुवाद शामिल है। इस पहल को प्रभावी करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और चीन गणराज्य के प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविजन सरकारी प्रशासन के बीच शास्त्रीय और समकालीन कार्यों के अनुवाद और प्रकाशन में आपसी सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रीमियर ली केकियांग की भारत यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए।

इस परियोजना को नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना को लागू करने हेतु 25 चीनी कार्यों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के बाह्य प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग, और नेशनल बुक ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

लगभग 20 चीनी साहित्यिक कार्यों के अनुवाद का कार्य सौंपा गया है, जिनमें से छह पर काम किया जा रहा है, जिनमें से प्रो. बी. आर. दीपक द्वारा अनुवादित पुस्तक *कन्फ्यूशियस के चार ग्रन्थ* का प्रकाशन किया गया है।

ब्रह्मपुत्र साक्षरता उत्सव

नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने असम के पब्लिकेशन बोर्ड के सहयोग से गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में 9 से 11 फरवरी, 2018 तक ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जाने–माने लेखक श्री इंद्रनाथ चौधरी और प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डेविड कोलिन, विशिष्ट अतिथि थे। सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री; श्री नाबा कुमार डोली माननीय मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार;, श्री ऋषिकेश गोस्वामी, माननीय मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार श्री संतनु भाराली; श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया, मुख्य सचिव, असम सरकार; श्री वी बी प्यारेलाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, असम सरकार; और असम सरकार के प्रधान सचिव श्री अजय तिवारी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रो. बलदेव भाई शर्मा, अध्यक्ष, एनबीटी ; डॉ. रीता चौधरी, निदेशक, एनबीटी और श्री प्रमोद कलिता, सचिव, असम प्रकाशन बोर्ड, ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

तीन–दिवसीय कार्यक्रम में समकालीन समय के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे मीडिया, लोकतंत्र, बाल लेखन, पूर्वोत्तर साहित्य, हिंदी साहित्य, मौखिक साहित्य, भारतीय सिनेमा जैसे अन्य विषयों पर कई चर्चाएं, वार्तालाप और वाचन सत्र आयोजित किए गए। अनंत विजय, बी. रौलट, अवनिजेश अवस्थी, इरोड तमिलनाडु, वाणी त्रिपाठी, यतींद्र मिश्रा, ओइनम डोरेन, मालिनी अवस्थी, सुरेश रितुपर्णा, डेल्फीम देसलेवा, चार्ल्स चैसी, रवि टेकचंदानी, वायु नायडु, जेमिमाह मैरेक, अशोक फेरी, कुला सैकिया जैसे देश–विदेश के प्रसिद्ध लेखक ने महोत्सव में भाग लिया।

नई पहलें

नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत और आकाशवाणी ने 27 फरवरी 2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। *आकाशवाणी लोक संपदा संरक्षण महापरियोजना* नामक परियोजना के तहत इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना भारत की लोक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण और बढ़ावा देना चाहती है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, आकाशवाणी द्वारा देश भर में विभिन्न अवसरों पर रिकॉर्ड किए गए कई लोक गीतों को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक (आईएसबीएन) के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक(आईएसबीएन), मोनोग्राफिक प्रकाशनों जैसे पुस्तकों, पर्चों, शैक्षणिक किट, सीडी–रोम और अन्य डिजिटल प्रकाशनों की पहचान के संबंध में एक विशेष संख्यात्मक पहचान है। 1 जनवरी 2007 से, राष्ट्रीय आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसियां आईएसबीएन प्रदान कर रही हैं जिसमें 13 अंक शामिल हैं (पहले यह 10 अंकों का था) इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल थे:

- ➢ जीएसआई तत्व
- ➢ पंजीकरण समूह तत्व
- ➢ पंजीकरण तत्व
- ➢ प्रकाशन तत्व
- ➢ चेक अंक

आईएसबीएन ने लंबे ग्रंथसूची वर्णनात्मक अभिलेखों के रख–रखाव का कार्य संभाला है, जिससे समय और कर्मचारी लागत की बचत होती है और नकल त्रुटियों को कम किया जाता है। आईएसबीएन का सही उपयोग विभिन्न उत्पाद रूपों और पुस्तक के संस्करणों, चाहे मुद्रित या डिजिटल, को स्पष्ट रूप से विभेदित करने के लिए है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को वह संस्करण प्राप्त हो, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आईएसबीएन, पुस्तक–व्यापार निर्देशिकाओं और

ग्रंथ सूची जैसे ग्रंथ सूची के डेटाबेस के संकलन और अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करता है। उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

एक पंजीकरण समूह के भीतर आईएसबीएन प्रणाली का प्रबंधन आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसी का दायित्व है और भारत के मामले में, वर्तमान में आईएसबीएन (आरआरआरएनए) के संबंध में जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय एजेंसी है। आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसी प्रकाशकों को आईएसबीएन प्राप्त करने संबंधी सभी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। राजा राममोहन रॉय राष्ट्रीय एजेंसी भारत स्थित प्रकाशकों, लेखकों, सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों आदि को आईएसबीटी आवंटित करती है।

2. समयावधि के दौरान, प्रकाशन उद्योग की वृद्धि और आईएसबीएन के बारे में जागरूकता के साथ–साथ, आईएसबीएन जारी करने के अनुरोधों में तेजी से वृद्धि हुई है। पूरे देश के आवेदकों की आवश्यकता को पूरा करने वाली एजेंसी के संचालन को सुचारू बनाने हेतु समय–समय पर प्रयास किए गए हैं। इस प्रयोजनार्थ और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, वेब पोर्टल http://isbn.gov.in के माध्यम से आईएसबीएन का आवंटन पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रकार, 30 अप्रैल 2016 से, सभी आईएसबीएन अनुप्रयोगों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान, पोर्टल पर **7,908** से अधिक नए उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए, आईएसबीएन संख्या जारी करने के लिए **12,210** आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रकाशक, लेखक, और सेमिनार को उनके शीर्षकों के साथ **1,94,918** आईएसबीएन नंबर जारी किए गए हैं। 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 की अवधि के दौरान आवश्यकता/उपयोग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत आवंटित आईएसबीएन की संख्या इस प्रकार है: –

श्रेणी	आईएसबीएन आंबटित पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की लगभग संख्या
प्रकाशकों को जारी एकल आईएसबीएन	23
प्रकाशकों को जारी 10 आईएसबीएन	3425
प्रकाशकों को जारी 100 आईएसबनीएन	1063
प्रकाशकों को जारी 1000 आईएसबीएन	57
सेमिनार और सम्मेलनों सहित लेखकों द्वारा स्व प्रकाशन	3638

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक

31.3.2019 को संस्थानों की सूची

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
	आंध्र प्रदेश		
1	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान (जीआईटीएएम), गांधी नगर, कैंपस, रुशिकोंडा, विशाखापत्तनम – 530045, एपी	13.08.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
2	कोनेरु लकशमैया शिक्षण फाउंडेशन, कुंचनपल्ली पोस्ट, वडेसवरम, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	20.02.2009	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
3	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति – 517507, एपी	16.11.1987	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4	श्री सत्य साईं उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रशांतिनिलयम –515134, जिला–अनंतपुर, एपी	10.11.1981	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित)
5	विग्नन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संबंधी फाउंडेशन, चेबरोलू मंडल, वडलामुडी, गुंटूर जिला –522213 आंध्र प्रदेश।	19.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व–वित्तपोषित)
	अरुणाचल प्रदेश		
6	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगि की संस्थान, निरजुली, ईटानगर,जिला – पापुम पारे – 791109, अरुणाचल प्रदेश।	31.05.2005	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
	असम		
7	केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), बालागाँव, बीटीएडी, कोकराझार, असम।	13.12.2018	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
	बिहार		
8	नव नालंदा महाविहार, नालंदा – 803111 (बिहार)	13.11.2006	भारत सरकार,संस्कृति मंत्रालय
	चंडीगढ़		
9	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर – 12, चंडीगढ़ –160012	16.10.2003	केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, भारत, भारत सरकार
	दिल्ली		
10	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा संस्थान, पूसा, नई दिल्ली – 110012	22.8.1958	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
11	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान , बी –21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली –110016	20.05.2002	भारत सरकार, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय।
12	भारतीय विधि संस्थान, भगवानदास रोड, नई दिल्ली – 110001	29-10-2004	भारत सरकार, कानून मंत्रालय
13	इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायिलरी साइंसेज (आईएलबीएस), डी 1, वसंत कुंज, नई दिल्ली –110070	10.07.2009	एनसीटी दिल्ली सरकार
14	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली –110062	10.05.1989	निजी तौर पर नियंत्रित (आशिंक रूप से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
15	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, कला इतिहास संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली – 110011	28.04.1989	भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय
16	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, 17 बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016	11.08.2006	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
17	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56, 57, इंस्टीट्यूशनल एरिया , जनकपुरी, नई दिल्ली –110058	07.05.2002	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
18	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110016	16.11.1987	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
19	टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, प्लॉट नंबर 10 इंस्टीट्यूशनल एरिया,वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070	5.10.1999	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
	गुजरात		
20	गुजरात विद्यापीठ, पीओ नवजीवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद –380014, गुजरात	16.07.1963	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्व ारा वित्त पोषित)
21	सुमनदीप विद्यापीठ, गाँव – पिपरिया, तालुका वाघोडिया, जिला – वडोदरा, गुजरात।	17.01.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
22	राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान (एनआरटीआई), नायर कैंपस, लालबाग, वडोदरा, गुजरात	26.07.2018	भारत सरकार, रेल मंत्रालय
	हरियाणा		
23	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अंबाला, हरियाणा।	12.06.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्ववित्तपोषित)
24	लिंगायत विश्वविद्यालय, नचौल, ओल्ड फरीदाबाद–जसाना रोड, फरीदाबाद – 121002।	05.01.2009	निजी तौर पर नियंत्रित (स्ववित्तपोषित)
25	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, एससीओ, 5, 6, 7, सेक्टर 15 (2), एनएच 8, गुड़गांव, हरियाण ॥ –122 050।	20.05.2002	भारत सरकार, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग
26	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल –132001, हरियाणा।	28.03.1989	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, आईसीएआर।

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
27	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर –43, दिल्ली–सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	21.10.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
28	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), प्लॉट नंबर 97, सेक्टर – 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, 131028, जिला– कुंडली, हरियाणा।	08.05.2012	भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय।
	झारखंड		
29	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची –835 215, झारखंड।	28.08.1986	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
	जम्मू और कश्मीर		
30	केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान (सीआईबीएस), चोगलमसर, लेह (लद्दाख), जम्मू और कश्मीर।	15.01.2016	भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय
	कर्नाटक		
31	बीएलडीई, श्रीमती बगारम्मा कैम्पस, बीजापुर –586103, कर्नाटक	29.02.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
32	क्राइस्ट, होसुर रोड, बैंगलोर – 560029, कर्नाटक।	22.07.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
33	भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर–560 012, कर्नाटक।	12.05.1958	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
34	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 26 / सी, इन्फोसिस (गेट–1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बैंगलोर –560100, कर्नाटक।	28.02.2005	पीपीपी मॉडल
35	जैन, 91/2, डॉ। एएन कृष्णा राव रोड, वीवीपुरम, बैंगलोर, कर्नाटक।	19.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
36	जगद्गुरु श्री शिवरात्रिश्वर विश्वविद्यालय, जगद्गुरु डॉ. श्री शिवरात्रि राजेंद्र सर्कल, रामानुज रोड, मैसूर – 570004, कर्नाटक।	28.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
37	जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जक्कुर कैंपस, जक्कुर, बैंगलोर –560064, कर्नाटक।	17.08.2002	भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
38	केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जेएनमेडिकल कॉलेज परिसर, बेलगाम (कर्नाटक)	13.4.2006	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
39	मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माधव नगर, उडुपी,मणिपाल –576104, कर्नाटक।	1.06.1993	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
40	एनआईटीटीई, मंगलौर 575003, कर्नाटक	04.06.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
41	श्री देवराज उर्स एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बीएच रोड, तमका, कोलार – 563101, कर्नाटक।	25.05.2007	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
42	श्री सिद्धार्थ उच्च शिक्षा अकादमी, तुमकुर जिला – 572 102, कर्नाटक।	30.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
43	स्वामी विवेकानंद योग अनुसन्धान संस्थान, नंबर 9, अप्पजप्पा अग्रहारा, चामराजपेट, बैंग. लोर – 560018, कर्नाटक	08.05.2002	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
44	येनेपोया विश्वविद्यालय, मैंगलोर, कर्नाटक	27.02.2008	निजी तौर पर नियंत्रित (स्व वित्तपोषित)
	केरल		

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
45	केरल कलामंडलम,वल्लथोल नगर, चेरुथुर्थी – 679 531, त्रिशूर,केरल के माध्यम से	14.03.2006	केरल की राज्य सरकार
46	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल	03.07.2008	भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
47	चिन्मय विश्वविद्यापीठ, एर्नाकुलम, केरल	16.01.2017	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्वः वित्तपोषण)
	मध्य प्रदेश		
48	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर –474 002, म.प्र	21.09.1995	भारत सरकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय
	महाराष्ट्र		
49	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ कदम प्लाजा, भारती विद्यापीठ परिसर, कतरास, पुणे, महाराष्ट्र 441046	26.04.1996	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
50	केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मत्स्य विश्वविद्यालय रोड, 7 बंगले, अंधेरी पश्चिम, मुंबई –400 061, महाराष्ट्र।	27.03.1989	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
51	डीवाई पाटिल एजुकेशनल सोसाइटी, लाइन बाजार, कस्बा, बावड़ा, कोल्हापुर – 416006, (महाराष्ट्र)	01.09.2005	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
52	दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एट्रे लेआउट, प्रताप नगर, नागपुर –440022 (महाराष्ट्र)	24.05.2005	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
53	डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, यरवदा, पुणे –411 006, महाराष्ट्र	5.03.1990	निजी तौर पर नियंत्रित (आशिंक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित महाराष्ट्र)
54	डॉ. डी. वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे –411 018, महाराष्ट्र	11.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
55	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, बीएमसी कॉलेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे –411004, महाराष्ट्र।	07.05.1993	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (आंशिक रूप से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्त पोषित)
56	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, रेग. कार्यालयः ज्ञान प्रबंधन समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय परिसर, मुंबई –400085, महाराष्ट्र।	03.06.2005	भारत सरकार, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग
57	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व, मुंबई –400065, महाराष्ट्र।	5.12.1995	भारतीय रिजर्व बैंक
58	इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, गिरिनगर, पुणे – 411025, महाराष्ट्र।	10.09.1999	भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
59	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, गोवंडी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई –400088, महाराष्ट्र।	31.07.1985	भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
60	इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र।	12.09.2008	महाराष्ट्र की राज्य सरकार
61	कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मलका पुर, कराड, जिला– सतारा महाराष्ट्र।	24.05.2005	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
62	एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज,एमजीएम कैम्पस, सेक्टर – 18, कमोठे, नवी मुंबई– 410209	30-08-2006	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
63	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई –400056, महाराष्ट्र	13.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
64	पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाट विद्यापीठ, विद्या नगर, सेक्टर 7, नेरुल, नवी मुंबई–400706, महाराष्ट्र	20.06.2002	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
65	परवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पी.ओ. लोनी बीके–413 736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।	29.09.2003	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
66	सिंबॉयोसिस इंटरनेशनल टनल यूनिवर्सिटी, ग्रामः लावले, तालःमूली, जिलाः पुणे– 412115, महाराष्ट्र	6.05.2002	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
67	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, मुंबई – 400005, महाराष्ट्र।	7.05.2002	भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग
68	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूरव मार्ग, देवनार, मुंबई –400 088, महाराष्ट्र।	29.04.1964	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
69	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकेडी, पुणे –411037, महाराष्ट्र।	28.04.1987	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	ओडिशा		
70	कलिंग इन्स्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, एटी / पीओ केआईआईटी पटिया, खुर्दा, भुवनेश्वर – 751024, उड़ीसा।	16.02.2004	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
71	कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, ओडिशा।	25.8.2017	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
72	शिक्षा 'ओ' आनंदनधन, जे – 15, खंडगिरि, भुवनेश्वर, उड़ीसा – 751030	17.07.2007	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	पंजाब		
73	संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (एसएलआईईटी), लोंगोवाल, जिला संगरूर 148106, पंजाब	10.04.2007	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
74	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, थापर टेक्नोलॉजी कैंपस, भादसों रोड, पटियाला – 147004, पंजाब	30.12.1985	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	पांडिचेरी		

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
75	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर, पोंडी–कुड्डालोर मेन रोड, पिल्लईयर्कप्पम – 607402 पांडिचेरी	04.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	राजस्थान		
76	बाणस्थली विद्यापीठ, बनस्थली –304022, राजस्थान।	25.10.1983	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
77	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी –333031, राजस्थान।	27.06.1964	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
78	आईआईएस, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	02.02.2009	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
79	शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान, गांधी विद्या मंदिर, सरदार शहर – 331 401, जिला–चूरू, राजस्थान।	25.06.2002	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
80	जैन विश्व भारती संस्थान, बॉक्स नंबर 6, लाडनूं, नागौर –341306, राजस्थान।	20.03.1991	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित)
81	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर –331401, राजस्थान।	12.01.1987	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
82	एलएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्राम – रूपा की नागल, पोस्ट – सुमेल, वाया कानोता, जिला।. जयपुर – 303012 (राजस्थान)	03.02.2006	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	तमिलनाडु		
83	अकादमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, 5107, एच 2, 2एन डीएवेन्यू, 1 सेंटफ्लोर, अन्ना नगर, चेन्नई – 600 0 40।	21.08.2007	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
84	अमृता विश्व विद्यापीठम, एतिमा ददाई पोस्ट, कोयंबटूर –641 105, तमिलनाडु।	13.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
85	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन, भारती पार्क रोड, कोयंबटूर –641 043, तमिलनाडु।	8.06.1988	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
86	बीएस अब्दुर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वंडलूर, चेन्नई, तमिलनाडु।	16.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
87	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, 173, अग्रम रोड, सेलैयूर, चेन्नई –600 073, तमिलनाडु।	4.07.2002	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
88	चेन्नई मैथमैटिकल इंस्टीट्यूट, प्लॉट ,च 1, , सआईपीसीओटी आईटी पार्क, पाडुर पोस्ट, सिरुसेरी– 603 103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित)
89	चेट्टिनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन (केयर), पाडुर, केलांबक्कम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु।	04.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
90	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल –624302, टीएन।	03.08.1976	भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
91	हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एचआईटीएस), पाडुर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलांबलम, कांचीपुरम	05.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
92	कलालिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, आनंद नगर, कृष्णकोइल, विरुधुनगर – 626190, श्रीविल्लिपुथुर, (टीएन) के माध्यम से।	1984	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
93	करुण्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, करुण्य नगर, कोयंबटूर –641114 (तमिलनाडु)।	23.06.2004	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
94	कर्पगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, पोलाची मेन रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु	25.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
95	एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेरियार ईवीआर सलाई (एनएच 4 हाईवे), मदुरावोयल, चेन्नई –600 095, तमिलनाडु।	21.01.2003	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
96	मीनाक्षी एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, नंबर 12, वेम्बुली अम्मन कोइल स्ट्रीट, वेस्ट केके नगर, चेन्नई –600 078, तमिलनाडु।	31.03.2004	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
97	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन, कुमारकोइल, थुकले, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु – 629 175।	08.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
98	पेरियार मणियामई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वल्लम, तंजावुर –613 403, तमिलनाडु	17.08.2007	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
99	पोन्नैय्या रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (प्रिस्ट), यगप्पा चावड़ी, तंजावुर – 614 904, तमिलनाडु	04.01.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
100	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2, वीरासामी स्ट्रीट, वेस्ट मंबालम, चेन्नई –600 033, (तमिलनाडु)	2.08.2002	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
101	सत्यबामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जपियार नगर, ओल्ड ममल्लपुरम रोड, चेन्नई – 600119 , (तमिलनाडु)	16.07.2001	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
102	सेवथी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नंबर 162, पूनमल्ले हाई रोड, वेलप्पनचवाडी, चेन्नई –600077 तमिलनाडु	18.03.2005	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
103	शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी (सस्त्रा), तिरुमलाई समुद्रम, तंजावुर – 613402, (तमिलनाडु)।	26.04.2001	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
104	श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, श्री जयेंद्र सरस्वती स्ट्रीट, एनाथुर, कांचीपुरम –631561, तमिलनाडु	26.05.1993	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित)
105	श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचंद्र नगर, चेन्नई –600116।	29.09.1994	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
106	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, कोनिकाला कैंप रोड, अवधी, चेन्नई, तमिलनाडु	26.05.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
107	वेल इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज़ (विस्टास), पल्लवरम, चेन्नई, तमिलनाडु	04.06.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
108	वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर – 632 014 तमिलनाडु	19.06.2001	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
109	वेल टेक रंगराजन डॉ। सगुनथला आर एंड डी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु	15.10.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
110	विनायका मिशन का रिसर्च फाउंडेशन, सांकरी मणि रोड, एनएच 47, अरनूर, सलेम –636 308, (तमिलनाडु)।	1.03.2001	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	तेलंगाना		
111	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सर्वेक्षण संख्या 25, गाचीबोवली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद –500 032, तेलंगाना।	21.8.2001	पीपीपी मॉडल
112	आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन, प्लॉट नंबर 52, द्वितीय तल, नागार्जुन हिल्स, पुंजागुट्टा, हैदराबाद – 500 982, तेलंगाना	16.12.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
	उत्तर प्रदेश		

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
113	सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान, डाकघर कृषि संस्थान, इलाहाबाद – 211007,उत्तर प्रदेश।	15.03.2000	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व वित्तपोषण)
114	भातखंडे संगीत संस्थान, 1 कैसरबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	24.10.2000	राज्य सरकार की पूरी बात
115	केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी –221 007, उत्तर प्रदेश।	05.04.1988	भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय
116	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, दयालबाग, आगरा –20005, उत्तर प्रदेश।	16.05.1981	निजी तौर पर नियंत्रित (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)
117	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ईज़तनगर – 243122, उत्तर प्रदेश।	16.11.1983	भारत सरकार, कृषि मंत्रालय
118	जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ए –10, सेक्टर –62, नोएडा–201307 ,उत्तर प्रदेश।	1.11.2004	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व–वित्तपोषण)
119	नेहरू ग्राम भारती विश्व विद्यालय, कोटवा – जमुनीपुर, डबवाली जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व–वित्तपोषण)
120	शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दुल्हेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ – 250010 ,उत्तर प्रदेश	08.11.2006	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व–वित्तपोषण)
121	संतोष विश्वविद्यालय, संतोष नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	13.06.2007	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व–वित्तपोषण)
	उत्तराखंड		
122	वन अनुसंधान संस्थान, डाकघर, आईपीई कौलागढ़ रोड, देहरादून –248195, उत्तराखंड	28.11.1991	भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
123	गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय, हरिद्वार –249404, उत्तराखंड।	19.06.1962	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वारा वित्त पोषित)

क्र. सं.	समवत विश्वविद्यालय	अधिसूचना की तिथि	प्रबंध नियंत्रण करने वाले संगठन का नाम
124	ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, 566/6 बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड।	14.08.2008	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (स्व–वित्तपोषण)
	पश्चिम बंगाल		
125	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा – 711 202, पश्चिम बंगाल।	05.01.2005	निजी तौर पर नियंत्रित किया जाता है (यूजीसी द्वाराआंशिक रूप से वित्त पोषित)
126	भारतीय संस्कृति विज्ञान संघ, जादवपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।	08.05.2018	भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार।

❖ ❖ ❖

31.03.2019 को निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	अरुणाचल प्रदेश	
1	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश – 791102।	10.05.2013
2	अरुणाचल विश्वविद्यालय अध्ययन संस्थान, एनएच –52, नामसाई, जिला – नामसाई – 792103, अरुणाचल प्रदेश।	26.05.2012
3	अरुणोदय विश्वविद्यालय, ई–सेक्टर, निर्जुली, ईटानगर, जिला. पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश –791109	21.10.2014
4	हिमालयन विश्वविद्यालय, 401, ताकर कॉम्प्लेक्स, नाहरलागुन, ईटानगर, जिला – पापम्परे – 791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013
5	नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सिबू–पुई, ऐलो(पीओ), वेस्ट सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश –791001।	03.09.2014
6	ग्लोबल यूनिवर्सिटी, होलोंगी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	18.09.2017
7	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जीरो, अरुणाचल प्रदेश।	26.05.2012
8	वेंकटेश्वर ओपन यूनिवर्सिटी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	20.06.2012
	आंध्र प्रदेश	
9	सेंटुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, गिडिजला जंक्शन, आनंदपुरम मंडल, विशाखापत्तनम– 531173, आंध्र प्रदेश।	23.05.2017
10	केआरईए विश्वविद्यालय, 5655, सेंट्रल, एक्सप्रेसवे, श्री सिटी –517646, आंध्र प्रदेश	30.04.2018
11	सेविथा अमरावती विश्वविद्यालय, 3 आरडी फ्लोर, वैष्णवी कॉम्प्लेक्स, विजय कार्यकारी क्लब, विजयवाड़ा– 520008, आंध्र प्रदेश	30.04.2018

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
12	एसआरएम विश्वविद्यालय, नीरुकोंडा–कुरागल्लू गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुंटूर, जिला– 522502, आंध्र प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	23.05.2017
13	विआईटी–एपी विश्वविद्यालय, अमरावती– 522237, आंध्र प्रदेश (निजी विश्वविद्यालय)	23.05.2017
	असम	
14	असम डॉन बोस्को विश्वविद्यालय, अज़ारा, गुवाहाटी	12.02.2009
15	असम डाउन टाउन यूनिवर्सिटी, शंकर मदाब पथ, गांधी नगर, पनिखैती, गुवाहाटी – 781 036।	29.04.2010
16	कृष्णगुरु अद्वैतमिक विश्व विद्यालय, नासात्र, बारपेटा, असम– 781307	11.04.2017
17	महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्व विद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ परिसर, हलधर भूमि पथ, कलोंगपर, नागांव–7812001, असम	14.08.2013
18	असम काजीरंगा विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम।	11.04.2012
19	असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बेटकुची, ऑप. तिरुपति बालाजी मंदिर, एनएच –37, गुवाहाटी – 781035, असम।	23.08.2013
	बिहार	
20	अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार–पूर्णिया रोड के पास, सिरसा, करीम बाग, कटिहार– 854106, बिहार।	15.06.2018
21	एमिटी यूनिवर्सिटी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना– 801503, बिहार	18.08.2017
22	डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, ब्लॉक– भगवानपुर, एनएच– 77, (पटना–मुजफ्फरपुर हाईवेरी), जिला– वैशाली– 844114, बिहार	29.01.2018
23	गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, जमुहार, पीओ– जमुहार, जिला– रोहतास– 821305, बिहार	15.06.2018
24	माता गुजरी विश्वविद्यालय, पूरबपाली रोड, किशनगंज– 855107, बिहार	20.02.2019
25	संदीप यूनिवर्सिटी, विलेज–सिजौल, जिला–मधुबनी – 847235, बिहार।	08.06.2017
26	केके विश्वविद्यालय, बेरौटी, नेपुरा, बिहा रशरफ, नालंदा, बिहार – 803115।	08.06.2017

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	छत्तीसगढ	
27	एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ़ मीडिया एंड आर्ट्स, विल्ल– माथ, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018
28	एमिटी यूनिवर्सिटी, गाँव–मंथ, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।	21.08.2014
29	डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय, कार्गी रोड, कोटा, बिलासपुर।	03.11.2006
30	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, एनएच –6, रायपुर–भिलाई रोड, ग्राम–चोरहा, आरआई सर्कल, अहिवारा, धामधा, जिला।. दुर्ग, छत्तीसगढ़।	24.03.2011
31	आईएसबीएम विश्वविद्यालय, गाँव – नवापारा (कोसमी) ब्लॉक, तहसील – छुरा, जिला – गरियाबंद – 493996, छत्तीसगढ़।	09.09.2016
32	आईटीएम यूनिवर्सिटी, पीएच नं। 137, उपरवारा, नया रायपुर, डी.ई.रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़।	03.02.2012
33	कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर –492101, छत्तीसगढ़।	24.03.2011
34	महर्षि प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्टः मंगला, बिलासपुर – 495 001	18.04.2002
35	एमएटीएस यूनिवर्सिटी, आरंग खारोरा हाईवे, ग्राम पंचायतः गुल्लू, गाँवः गुल्लू, तहसीलः आरंग, जिलाः रायपुर।	03.11.2006
36	ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, घरघोड़ा रोड, पुंजिपथरा, रायगढ़ –496001, छत्तीसगढ़	21.08.2014
37	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, शादानी दरबार के पास, ग्रामीण– धनेली, डाकघर– मैना, धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़	17.04.2018
	गुजरात	
38	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, एईएस बंगला # 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380 009।	07-07-2009
39	अनंत प्राकृतिक विश्वविद्यालय, संस्कारधाम परिसर, भोपाल–घूमा–सानंद रोड, अहमदाबाद, गुजरात – 382115। (निजी विश्वविद्यालय)	09.05.2016

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
40	अत्मिया विश्वविद्यालय, योगीधाम गुरुकुल, कालवाड़ रोड, राजकोट– 360005, गुजरात	13.04.2018
41	आतिथ्य और प्रबंधन विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात।	12.10.2011
42	कैलोरक्स शिक्षक विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	07.07.2009
43	पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रोड, नरवरंगपुरा अहमदाबाद –380 009 (गुजरात) के लिए केंद्र	12.04.2005
44	चारोटार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चंगा – 388 421, जिला – आनंद	04.11.2009
45	सी.यू. शाह विश्वविद्यालय, सुरेन्द्रनगर–अहमदाबाद स्टेट हाईवे, कोठारिया गाँव के पास, वाधवान सिटी – 363030, डी.वी.सुरेंद्रनगर, गुजरात	22.04.2013
46	धीरूभाई अंबानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स नंबर 4, गांधीनगर – 382 007	06.03.2003
47	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजरिया राजमार्ग, जिला मेहसाणा – 382 711	23.03.2005
48	जीएलएस यूनिवर्सिटी, गुजरात लॉ सोसाइटी कैंपस, लॉ गार्डन के सामने एलिसब्रिज, अहमदाबाद –380006, गुजरात	15.04.2015
49	गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गोकुल एजुकेशनल कैम्पस, जीआरएसएल के पास सुजानपुर, पटिया, सिद्धपुर, जिला– पाटन, गुजरात	23.03.2018
50	जीएसएफसी विश्वविद्यालय, विज्ञान भवन, पीओ फर्टिलाइजरनगर – 391750, जिला. वडोदरा, गुजरात	19.12.2014
51	इंद्रशिल विश्वविद्यालय, रतनपुर, धंधुका, अहमदाबाद . 382465, गुजरात	31.03.2017
52	सिंधु विश्वविद्यालय, सिंधु कैंपस, रांचड़ा, वाया–थलतेज, अहमदाबाद – 382115, गुजरात।	02.05.2012
53	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ–गांधीनगर, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिसर्च कैंपस, ड्राइव–इन–रोड, थलतेज, अहमदाबाद – 380054, गुजरात।	02.05.2015

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
54	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोबा, गांधीनगर – 382007, गुजरात।	12.10.2011
55	आईटीएम–वोकेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमता रोड, रावल तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात।	08.05.2014
56	कादी सर्व विश्व विद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, सेक्टर 15/23, गांधीनगर।	16.05.2007
57	कर्णावती विश्वविद्यालय, 9 0 / ए, उवरसाद – 3 ,2422, डी.वी.गांधीनगर, गुजरात।	31.03.2017
58	लकुलीश योग विश्वविद्यालय, ''लोटस व्यू'' ऑप. निरमा विश्वविद्यालय, एसजी राजमार्ग, छारोड़ी, अहमदाबाद –382481, गुजरात।	16.04.2013
59	मारवाड़ी विश्वविद्यालय, राजकोट–मोरबी राजमार्ग, राजकोट – 360003, गुजरात।	09.05.2016
60	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना–भायली रोड, वडोदरा – 391410, गुजरात	07.07.2009
61	निरमा विश्वविद्यालय, सरखेज, गांधीनगर राजमार्ग, गाँव–छारोड़ी, अहमदाबाद	12.3.2003
62	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, एट रईसन, जिला. गांधीनगर – 382 009	04.04.2007
63	पारुल विश्वविद्यालय, पीओ लिमडा, ताल – वाघोडिया, जिला. वडोदरा –391760, गुजरात	21.04.2015
64	प्लास्ट इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डूंगरा, जीआईडीसी, वीएपीआई, जिला. वलसाड – 396195, गुजरात	09.05.2016
65	पीपी सावनी विश्वविद्यालय, एनएच–8, जीईटीसीओ, बिल्टेक के पास, गाँव – धामनोद, कोसम्बा, टीए – मांगरोल, जिला – सूरत – 394125, गुजरात	31.03.2017
66	आरके विश्वविद्यालय, राजकोट–भावनगर हाईवे, कस्तूरबाधम, राजकोट, गुजरात	14.10.2011
67	राय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद, गुजरात	02.05.2012
68	संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, सांवलचंद पटेल विद्याधाम, विसनगर –384315, गुजरात	09.05.2016

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
69	स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, भोयन राठौड़ राठौड़, ओपी. इफको, अदलज–सरथा रोड, गांधीनगर – 382420, गुजरात	31.03.2017
70	टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी, तारसली–वडोदरा रोड, तारसली बाईपास, वडोदरा – 390009, गुजरात	22.04.2013
71	यूकेए तारसदिया विश्वविद्यालय, मालिबा कैंपस, गोपाल विज्ञान नगर, बरोली–महुवा रोड, जिला. सूरत, गुजरात	14.10.2011
	हरियाणा	
72	अल–फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014
73	एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी एजुकेशन वैली, पंचगांव, मानेसर, जिला. गुड़गांव –122 413, हरियाणा	26.04.2010
74	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गांव, हरियाणा	10.02.2012
75	एपीजे स्त्य विश्वविद्यालय, पलवल रोड, सोहना, गुड़गांव – 122 103, हरियाणा	02.11.2010
76	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली, एनसीआर, सोनीपत, हरियाणा।(निजी विश्वविद्यालय)	02.05.2014
77	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	10.02.2012
78	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय, 67वेंकेएम स्टोन, एनएच –8, सिधरावली, जिला. गुड़गांव – 123 413, हरियाणा	02.05.2014
79	जीडी गोयंका विश्वविद्यालय, जीडी गोयंका एजुकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122 103	03.05.2013
80	आईआईएलएम विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर– 53, गुरुग्राम– 122003, हरियाणा	06.04.2018
81	जगन नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग 22, बहादुरगढ़–झज्जर रोड, झज्जर. 124 507, हरियाणा।	03.05.2013
82	केआर मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122 103	03.05.2013
83	मानव रचना विश्वविद्यालय, सेक्टर – 43, दिल्ली–सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
84	एमवीएन विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा	10.02.2012
85	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, सदोपुर, जिला. अंबाला, हरियाणा	29.10.2010
86	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, 9 केएम माइलस्टोन, एनएच –65, कैथल – 136 027, हरियाणा।	27.09.2011
87	ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत।	10.11.2006
88	पीडीएम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 15, सेक्टर – 3 ए, सराय औरंगाबाद, बहादुरगढ़–124507, हरियाणा	14.01.2016
89	श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिकेंद्र विश्वविद्यालय, फारुख नगर रोड, बुधेरा, जिला. गुड़गांव, हरियाणा	03.05.2013
90	एसआरएम यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली अर्बन कॉम्प्लेक्स, हरियाणा – 131 029	03.05.2013
91	स्टारेक्स विश्वविद्यालय, एनएच –8, गाँव – बिनौला, पीओ – भोराकलां, गुरुग्राम, हरियाणा	25.08.2016
92	द नॉर्थपैक यूनिवर्सिटी, हुडा सेक्टर 23 ए, गुरुगोवन –122107, हरियाणा	21.10.2009
93	वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिज़ाइन, प्लॉट नं– 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राय, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत– 131029, हरियाणा	07.02.2018
	हिमाचल प्रदेश	
94	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक (चाचिऔट), जिला।मंडी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015
95	एपीजी (अलख प्रकाश गोयल) विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	07.06.2012
96	अरनी विश्वविद्यालय, काठगढ़, तहसील इंदोरा, जिला. कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	03.11.2009
97	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला – सोलन,	15.10.2009
98	बहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ, वाकनाघाट, तहसील – कंडाघाट, जिला. सोलन, हिमाचल प्रदेश	21.01.2011
99	कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	03.05.2012

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
100	चितकारा यूनिवर्सिटी, हिम्युडा एजुकेशन हब, कल्लूजंधा (बरोटीवाला), जिला–सोलन –174 103	21.01.2009
101	अनन्त विश्वविद्यालय, बारू साहिब हिमाचल	22.10.2009
102	आईईसी (भारत शिक्षा केंद्र) विश्वविद्यालय, बद्दी, सोलन, हिमाचल प्रदेश।	11.05.2012
103	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, हिमुडा एजुकेशन हब, कालुजिन्धा, पीओ मंडला, वाया बरोटीवाला, बद्दी, सोलन जिला, हिमाचल प्रदेश – 174 103	20.10.2011
104	इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वीपीओ बाथू, तहसील हरोली, जिला. ऊना, हिमाचल प्रदेश–174 301।	01.02.2010
105	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला सोलन–173 215	22.05.2002
106	महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी, सुल्तानपुर रोड, सोलन – 173 229, हिमाचल प्रदेश	19.09.2010
107	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला – सोलन – 1 1034 103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013
108	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, एचपी	22.09.2009
109	शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस, सोलन	15.10.2009
110	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011
	झारखंड	
111	एमिटी यूनिवर्सिटी, रांची सिटी कैंपस, निवारनपुर, मेन रोड, रांची, झारखंड	13.05.2016
112	ऐसेक्ट विश्वविद्यालय, मटवारी चौक, गांधी मैदान, इंफ्रास्ट्रक्चर, हजारीबाग, झारखंड	13.05.2016
113	एआरकेए जैन विश्वविद्यालय, विपक्ष केरल पब्लिक स्कूल, मोहनपुर, गम्हरिया, जिला – सिराइकेला खरसावां – 832108, झारखंड	04.07.2017
114	राजधानी विश्वविद्यालय, रांची–पटना मुख्य मार्ग, जिला– कोडरमा, झारखंड–825410	11.10.2018
115	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची– 835222, झारखंड	02.02.2012

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
116	नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय, पोखरी, डाकघर– भिलाई पहाड़ी, पीएस–एमजीएम, जिला– पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर –831012, झारखंड	19.09.2018
117	प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरियातू रोड, बूटी मोर, डाकघर – आरएमसीएच, रांची – 834009, झारखंड	16.05.2016
118	राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी घाटी, रामगढ़– 829122, झारखंड	11.10.2018
119	रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय, नवाडीहकला, पीओ और पीएस बिश्रामपुर, पलामू– 822132, झारखंड (निजी विश्वविद्यालय)	19.09.2018
120	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012
121	सरला बिरला विश्वविद्यालय, बिड़ला परिसर, गाँव – आरा, पीओ – महिलौंग, रांची–पुरुलिया राजमार्ग, रांची – 835103, झारखंड	20.07.2017
122	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रैंड एमरल्ड बिल्डिंग, रोड नंबर 1 और 2 के बीच, अशोक नगर, रांची – 834 202, झारखंड	17.06.2008
123	उषा मार्टिन विश्वविद्यालय, 12 मील, रांची खुंटी रोड, एनएच –75, रांची – 835221, झारखंड	20.01.2014
124	वाईबीएन विश्वविद्यालय, पंचवटी दक्षिण रेलवे कॉलोनी, रांची – 834001, झारखंड	04.07.2017
	कर्नाटक	
125	अदिचुंचनगिरी विश्वविद्यालय, NH-75, Tq. नागमंगला, जिला– मंड्या, बीजी नागरा, 571448, कर्नाटक	22.01.2018
126	एला;स ूनिवनसटी, बैंगलोर (कर्नाटक)	16.09.2010
127	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 134, डोड्डाकनेली, विप्रो कॉर्पोरेट कार्यालय के बगल में, सरजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक	13.10.2010
128	सीएमआर यूनिवर्सिटी, 2,3 तक, 'सी', 6 जीमेन रोड, 2nd ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर – 560 043, कर्नाटक	16.05.2013

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
129	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, शविगे मल्लेश्वरा हिल्स, कुमारस्वामी लेआउट, बैंगलोर –560078, कर्नाटक	16.05.2014
130	गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी, जीसीसी हाउस, 340, 5वींमेन, इंदिरा नगर डबल रोड, 1 सेंटस्टेज, इंदिरानगर, बैंगलोर – 560038, कर्नाटक	24.06.2013
131	इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांस–डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, 74/2, जराकबांडे कवल, येलहंका, वाया अट्टूर पोस्ट, बैंगलोर –560064, कर्नाटक	26.06.2013
132	जेएसएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जेएसएस तकनीकी संस्थान परिसर, मैसूरु – 570006 कर्नाटक	16.01.2016
133	खाजा बंदनवाज़ विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन, खाजा बंदनवाज़ विश्वविद्यालय परिसर, रौज़ा–आई बुजुर्ग, कलाबुरगी– 585104, कर्नाटक	21.04.2018
134	केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बीवी भूमिराड़ी कॉलेज परिसर, विद्यानगर, हुबली – 580031, कर्नाटक	04.04.2015
135	एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बैंगलोर – 560 054, कर्नाटक	09.07.2013
136	पीईएस यूनिवर्सिटी, 100 फीट रिंग रोड, बीएसके III स्टेज, बैंगलोर – 560 085 (कर्नाटक)	16.05.2013
137	प्रेसीडेंसी (यूनिवसिर्टी कर्नाटक), दिब्बूर और इगलपुर विलेज, हेसराट्टा होबली, बैंगलोर (कर्नाटक)	16.05.2013
138	रेवा विश्वविद्यालय, कट्टिगहल्ली, येलहंका, बैंगलोर – 560 064	16.05.2013
139	राय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, डोड्डाबल्लपुर नेलमंगला रोड, एसएच –74, ऑफ हाईवे 207, डोड्डाबल्लापुर तालुक, बैंगलोर –561204 (कर्नाटक)	17.09.2014
140	शरनबासवा विश्वविद्यालय, कलबुर्गी (गुलाबबागरा)–585103, कर्नाटक	29.07.2017
141	श्रीनिवास विश्वविद्यालय, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेजेज कैंपस, श्रीनिवास नगर, मुक्का, सूरतकल, मंगलौर –574146	20.02.2015

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	मेघालय	
142	सीएमजे विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009
143	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, 13वींमाइल, जीएसरोड, खानापारा, जिला–री–भोई, मेघालय– 793101	04.01.2011
144	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, डोंगकटिह, नोंगरा, ब्लॉक –1, शिलांग –793006, मेघालय	13.07.2005
145	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलिटेक्निक कैंपस, मवलाई, शिलांग – 793 022	02.12.2008
146	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, 4वींमंजिल, नियर सुंदरी होटल, सर्कुलर रोड, तुरा बाजार, तुरा – 794 001	04.11.2009
147	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेघालय टेक्नो सिटी, क्लिंग रोड, बारिदुआ, जीएसरोड, 9वीं माइल, जिला– री–भोई, मेघालय– 793101	02.12.2008
148	प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय	27.05.2011
149	विलियम कैरी विश्वविद्यालय, ज़ोरम विला, बोमफिल्ड रोड, शिलांग – 793 001, मेघालय	13.07.2005
	मिजोरम	
150	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सलेम वेंग, चलतांग, आइज़वल – 798 012, मिज़ोरम	21.03.2006
	मध्य प्रदेश	
151	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश	31.12.2011
152	रबींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (पूर्व में एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय) ग्राम–मेंडुआ, भोपाल–चिकलोद रोड, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	30.12.2010
153	एमिटी यूनिवर्सिटी, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	30.12.2010
154	अवंतिका विश्वविद्यालय, विश्वनाथपुरम, लेकोडा ग्राम, उज्जई – 456 006, मध्य प्रदेश	12.01.2017

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
155	भाभा विश्वविद्यालय, एनएच –12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल–462026, मध्य प्रदेश	11.01.2018
156	डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इंदौर–देवास बायपास रोड, गाँव – अरंडिया, पोस्ट – झालरिया, मध्य प्रदेश – 45206	04.01.2016
157	डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय, खंडवा–इंदौर रोड, पोस्ट– छैगांव माखन, खंडवा– 450771, मध्य प्रदेश	28.07.2018
158	जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, गाँव – साईखेड़ा, ढोडा बोरगाँव, ताह – सौंसर, जिला – छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	27.08.2016
159	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम कैंपस, विपक्ष सिथौली रैली स्टेशन, एनएच–75, झाँसी रोड, ग्वालियर –474 001, मध्य प्रदेश	04.05.2011
160	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगलिया छप, तहसील हुजूर, भोपाल – 462 044, मध्य प्रदेश	24.04.2013
161	जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एबी रोड, राघोगढ़, जिला गुना – 473 226 (एमपी)	13.08.2010
162	एलएनसीटी विश्वविद्यालय, जेके टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल – 462042, मध्य प्रदेश।	08.01.2015
163	मध्यांचल व्यावसायिक विश्वविद्यालय, पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस, रातीबड़, भोपाल– 462044, मध्य प्रदेश	11.01.2018
164	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय, जबलपुर –482 001	29.11.1995
165	मालवांचल विश्वविद्यालय, इंडेक्स सिटी, एनएच - 59।, नेमावर रोड, नियर खुडेल, जिला – इंदौर –452016, मध्य प्रदेश।	04.01.2016
166	मंदसौर विश्वविद्यालय, रेवास डेवडा रोड, एसएच-31, मंदसौर – 458001, मध्य प्रदेश	19.08.2015
167	मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ग्राम गादिया और रत्नाखेडी, ब्लॉक–बिलकिसगंज, सीहोर, मध्य प्रदेश	11.01.2018

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
168	मेडी–कैप्स विश्वविद्यालय, एबी रोड, पिगम्बर, राऊ, इंदौर –453331, मध्य प्रदेश	22.07.2015
169	ओरिएंटल विश्वविद्यालय, विपक्ष. रेवती रेंज गेट नंबर 1, सांवेर रोड, पीओ बॉक्स नंबर 311, विजय नगर पोस्ट ऑफिस, इंदौर – 452 010, मध्य प्रदेश	04.05.2011
170	पीपल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल – 462 03	04.05.2011
171	पीके विश्वविद्यालय, गांव – थानारा, तहसील – करेरा, एनएच – 27, शिवपुरी, मध्य प्रदेश –473551	19.08.2015
172	पुनर्जागरण विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण संख्या –34/2, 51/1/1 ग्राम रेओटी, सांवेर रोड, अरबिंदो अस्पताल के पीछे, इंदौर– 452015, मध्य प्रदेश	24.08.2017
173	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बाय–पास रोड, आरजीपीसी परिसर के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश।	19.07.2011
174	सेज यूनिवर्सिटी, कैलोद करतल, इंदौर–देवास बायपास रोड, राऊ, इंदौर–452020, मध्य प्रदेश	24.08.2017
175	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, सरदार पटेल नॉलेज सिटी, वारसोनी रोड, डोंगरिया, बालाघाट, मध्य प्रदेश	28.07.2018
176	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एनएच-12, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल, मध्य प्रदेश	08.01.2015
177	श्री कृष्ण विश्वविद्यालय, एनएच– 86, ग्राम चौका, सागर रोड, छतरपुर–471001, मध्य प्रदेश	28.07.2018
178	श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्व विद्यालय, सांवेर रोड, इंदौर –453111, मध्य प्रदेश	08.01.2015
179	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, पचमआ ऑयल फेड प्लांट, पचामा, सीहोर – 466001, मध्य प्रदेश	12.02.2014
180	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011
181	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, बड़ा बांगडडा, सुपर कॉरिडोर, इंदौर – 452001, मध्य प्रदेश	27.08.2016
182	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, लेटी रोड, सिरोंज (गोशाला केपास), जिला – विदिशा, मध्य प्रदेश – 464 228	09.01.2013

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
183	वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरीकलां, सीहोर– 466114, मध्य प्रदेश	24.08.2017
	महाराष्ट्र	
184	अजिंक्या डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय, चारोली बदरुक, वाया लोहगाँव, पुणे –412105, महाराष्ट्र	25.02.2015
185	एमिटी यूनिवर्सिटी,मुंबई – पुणे एक्सप्रेसवे, भटान, पोस्ट – सोमनाथ, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र – 410206	25.07.2014
186	छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय, शेडुंग टोल प्लाजा के पास, पुरानी मुंबई पुणे राजमार्ग, पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	09.08.2018
187	डॉ. विश्वनाथ कराड एमआईटी विश्व शांति विश्वविद्यालय, क्र.सं. 124, पौड रोड, कोथरुड, पुणे – 411038, महाराष्ट्र	05.06.2017
188	डीवाईपैटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर –29, प्रधानकरन, अकुर्डी, पुणे 411044, महाराष्ट्र	14.03.2018
189	फ्लेम यूनिवर्सिटी, जीएटी नंबर 1270, गांव लावले, तालुका मुलशी, पुणे –411042, महाराष्ट्र	13.02.2015
190	घर रायसोनी विश्वविद्यालय, बडनेरा, अंजनगांव, बारी रोड, अमरावती–444701 महाराष्ट्र	20.07.2018
191	एमआईटी आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, राजबाग, हडपसर के बगल में, लोनी कलभोर, पुणे – 412201, महाराष्ट्र	13.10.2015
192	संदीप विश्वविद्यालय, 'यंबक रोड, माहिरावाणी, नासिक	09.10.2015
193	संजय घोडावत विश्वविद्यालय, ए / पी – एटिग्रे – 416118, हाटकांगले, डी.यू. कोल्हापुर, महाराष्ट्र	13.07.2017
194	स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, औंध रोड, गंडशिखंड पोस्ट, पुणे –411004, महाराष्ट्र	25.07.2014
195	सिम्बायोसिस कौशल और मुक्त विश्वविद्यालय, गाँव – किवाले, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, ताल – हैवली, पुणे – 412101, महाराष्ट्र	05.05.2017

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
196	विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, सर्वेक्षण संख्या 2 , 3,4 , लक्ष्मीनगर, कोंढवा बुद्रुक, पुणे – 411048, महाराष्ट्र	05.05.2017
	मणिपुर	
197	मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एमआईयू पैलेस, घारी, एयरपोर्ट रोड, इंफाल–795140, मणिपुर	14.02.2019
198	संगई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चुराचंदपुर, मणिपुर	05.05.2015
	नगालैंड	
199	सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, वर्जिन टाउन, खाकीहो–झिमोमी रोड, इकिशे मॉडल विलेज, पीएस–डिप्युपर, दीमापुर – 797115, नागालैंड	16.12.2016
200	ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा – 797 111, नागालैंड।	18.09.2006
201	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, 6वी ंमाइल, सोविमा विलेज, कोहिमा रोड, दीमापुर –797112, नागालैंड	04.11.2009
	ओडिशा	
202	एआईपीएच विश्वविद्यालय, पहाड़ी, भुवनेश्वर–कटक एनएच-5 पर, भुवनेश्वर–752101, ओडिशा	26.02.2018
203	बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आईडीसीओ प्लॉट नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विलेज – गोठपटना, पीएस – चंदका, भुवनेश्वर – 751029, ओडिशा	17.02.2016
204	सेंचुरियन विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी और प्रबंधन, ग्राम अल्लूरी नगर, वाया–उप्पलाडा, पैरालखेमुंडी – 761 211, गजपति, उड़ीसा	27.08.2010
205	गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, गुनूपुर–765022, जिला रायगढ़, ओडिशा	27.12.2018
206	श्री श्री विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	26.12.2009
207	ज़ेवियर यूनिवर्सिटी, ज़ेवियर स्क्वायर, भुवनेश्वर, ओडिशा	13.05.2013
	पंजाब	
208	अदेश यूनिवर्सिटी, एनएच-7, बरनाला रोड, बठिंडा, पंजाब	10.07.2012

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
209	अकाल विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो – 151302, जिला बठिंडा, पंजाब।	04.06.2015
210	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घरुआन, मोहाली – 140413, पंजाब।	10.07.2012
211	चितकारा विश्वविद्यालय, चंडीगढ़–पटियाला नेशनल हाईवे (एनएच-64), ग्राम झांसाला, तहसील राजपुरा, जिला – पटियाला, पंजाब – 140 401	07.12.2010
212	सीटी यूनिवर्सिटी, फिरोजपुर रोड, लुधियाना – 142024, पंजाब	23.12.2016
213	डीएवी विश्वविद्यालय, जालंधर–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग –44, गाँव–सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब	18.02.2013
214	देश भगत यूनिवर्सिटी, अमलोह रोड, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब	18.02.2013
215	जीएनए विश्वविद्यालय, गाँव–श्री हरगोबिंदगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला –144401, पंजाब	21.08.2014
216	गुरु काशी विश्वविद्यालय, तलवंडी साबो, डीए. भटिंडा, पंजाब	26.12.2011
217	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर – लुधियाना, जीटी रोड, नर चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला – कपूरथला, पंजाब – 144 002	26.12.2005
218	रैयत बहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ सहुरन, तहसील – खरार, जिला–मोहाली, पंजाब – 140105	13.08.2014
219	आरआईएमटी विश्वविद्यालय, फ्लोटिंग रेस्तरां, सरहिंद साइड, मंडी गोबिंदगढ़ –147301, पंजाब	08.12.2015
220	संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय, गाँव–खियाला, पीओ–पडिया, जिला–जालंधर –144030, पंजाब	12.02.2015
221	श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व विश्वविद्यालय, श्री लालजीधर निवास, फतेहगढ़ साहिब – 140 406, पंजाब	15.05.2008
222	श्री गुरु राम दास स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मेहता रोड, वल्लाह, श्री अमृतसर–143001, पंजाब	17.11.2016
	राजस्थान	
223	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान एनएच-11सी, कांत कलवार, जयपुर– 303 002	29.03.2008
224	एपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान– 303002	05.10.2018

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
225	भगवंत विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 87, सीकर रोड, अजमेर–305 001	16.04.2008
226	भारतीय कौशल विकास विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर एसआई/आईएनसीटी/001, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर ज़ोन, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ऑफ अजमेर रोड, जयपुर – 302037, राजस्थान	30.03.2017
227	भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप स्टेशन रोड, सेवाश्रम सर्कल, उदयपुर – 313001,राजस्थान	05.10.2015
228	कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012
229	डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट –1, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र पीएच–II, नयाई, जिला टोंक,राजस्थान – 304 021	22.04.2010
230	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011
231	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, सायपुरा, सांगानेर, जयपुर – 302 029, राजस्थान	03.04.2010
232	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, खसरा नंबर 505/1, ग्राम–जामडोली, आगरा रोड, जयपुर – 302 031, राजस्थान	23.08.2011
233	आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, 1, प्रभु दयाल मार्ग, सांगानेर हवाई अड्डे के पास, जयपुर –302 029, राजस्थान	26.02.2014
234	जेईसीआरसी विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012
235	जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, ललिया का वास, पीओ महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर – 302 026, राजस्थान	15.09.2011
236	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, वि.–रामपुरा, तेशिल – चाकसू, जयपुर	16.04.2008
237	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर	21.10..2007
238	जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान घाटी गाँव, झरना महल, जबनेर, लिंक रोड एनएच-8, जयपुर	21.04.2008
239	जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, नारनडी झंवर रोड, जोधपुर –342 00	11.08.2008
240	लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी, अलवर–तिजारा–दिल्ली हाईवे, चिकानी, अलवर, राजस्थान	05.10.2018

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
241	माधव विश्वविद्यालय, माधव विश्वविद्यालय, ''माधव हिल्स'', ओपी. बनास पुल टोल, एनएच-14, ग्राम–वाड़ा / भुजेला, पंचायत समिति – भारजा, तहसील – पिंडवाड़ा, आबू रोड, जिला–सिरोही, राजस्थान – 307026	04.03.2014
242	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012
243	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंडियारसार, बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र के पास, जयपुर –302012, राजस्थान	05.10.2015
244	महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रीको इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर – 302 022	15.09.2011
245	महात्मा ज्योति राव फूल विश्वविद्यालय, एसपी –2 और 3, कांत कलवार, रीको औद्योगिक क्षेत्र, ताला मोड़, एनएच– I, अचरोल, जयपुर	03.02.2009
246	मणिपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इन्फोटेक सिटी, जीवीके टोल प्लाजा के पास, जयपुर अजमेर विस्तार मार्ग, पोस्ट – ठिकारिया, जयपुर – 302 026, राजस्थान	15.09.2011
247	मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय, गाँव–बुज़ावद, तहसील – लूनी, जोधपुर – 342802, राजस्थान	16.09.2013
248	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	22.09.2008
249	मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर राजस्थान	16.09.2013
250	एनआईआईटी विश्वविद्यालय, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010
251	एनआईएमएस विश्वविद्यालय, शोभा नगर, जयपुर – 303 001	29.03.2008
252	ओपीजेएस विश्वविद्यालय, रावतसर, कुंजिला, तहसील–राजगढ़, जिला– चूरू, राजस्थान	16.09.2013
253	पेसिफिक एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, (पीएएचईआर) पैसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर एक्सटेंशन, उदयपुर – 313 003	29.04.2010
254	पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, भीलो का बेदला, बाय पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014
255	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचंद्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
256	प्रताप विश्वविद्यालय, सुंदरपुरा (चंदवाजी) , आमेर, दिल्ली–मुंबई राजमार्ग, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011
257	रैफल्स विश्वविद्यालय, जापानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, नीमराना –2018 705, राजस्थान	27.03.2011
258	आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर –334601, राजस्थान	27.04.2015
259	साई तिरुपति विश्वविद्यालय, अम्बुआ रोड, गाँव – उमर्दा, गिरवा, उदयपुर – 313015, राजस्थान	21.04.2016
260	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012
261	श्री जगदीश प्रसाद झबरामल टिबरेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला, जिला – झुंझुनू	03.02.2009
262	श्री कल्लाजी वैदिक विश्व विद्यालय, कामधेज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), राजस्थान	28.03.2018
263	श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, सूरतगढ़ रोड, टोल प्लाजा के पास, डबलीराथन, हनुमानगढ़– 335801, राजस्थान	05.10.2018
264	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी चिरवा रोड, पिलानी राजस्थान – 333 031	03.04.2010
265	श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, जिला– दौसा, राजस्थान– 303511	05.10.2018
266	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझुनू, राजस्थान	29.03.2008
267	सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय, भटेवार, उदयपुर – 313 601	29.03.2008
268	सनराइज यूनिवर्सिटी, बगद राजपूत, टेक रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011
269	सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, महल जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान	21.04.2008
270	टंटिया विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्री गंगानगर – 335 002, राजस्थान	16.09.2013
271	इंजीनियरिंग और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012
272	प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाटिका, तहसील – सांगानेर, जयपुर, राजस्थान	18.05.2017
273	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर –36, एनआरआई रोड, सीसेवा, जगतपुरा, जयपुर – 303012 , राजस्थान	02.05.2012

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	सिक्किम	
274	श्री रामासामी मेमोरियल यूनिवर्सिटी, 5वीं माइल, तडोंग, रानीपॉल पीओ, गंगटोक, सिक्किम – 1937 102	16.01.2014
275	सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, गंगटोक –737 101	11.10.1995
276	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, (आईसीएफएआई) रांका रोड,लोअर सोची,गंगटोक, सिक्किम – 737101	04.10.2004
277	विनायक मिशनों सिक्किम विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 438, एन –312 सांग फाटक रोड, मध्य तडोंग, पीओ दरगाँव, तडोंग, पूर्वी सिक्किम – 237 102	30.07.2008
	त्रिपुरा	
278	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया अगरतला, त्रिपुरा – 799 001	31.03.2004
	उत्तर प्रदेश	
279	एमिटी यूनिवर्सिटी,सेक्टर –125, नोएडा – 201303 (यूपी)	24.03.2005
280	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55, बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
281	बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली – 243006, उत्तर प्रदेश	16.09.2016
282	बेनेट विश्वविद्यालय, प्लॉट नंबर 8.11, टेक जोन II, ग्रेटर नोएडा – 201301, उत्तर प्रदेश	16.09.2016
283	एरा विश्वविद्यालय, सरफराजगंज, हरदोई रोड, लखनऊ –226003, उत्तर प्रदेश	16.09.2016
284	जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा (उत्तर प्रदेश)	01.09.2010
285	गलगोटिया विश्वविद्यालय, 1, नॉलेज पार्क, चरण– II ग्रेटर नोएडा – 201 306, उत्तर प्रदेश	07.04.2011
286	आईआईएमटी विश्वविद्यालय, ओ पॉकेट, गंगा नगर, मवाना रोड, मेरठ – 250001, उत्तर प्रदेश	16.09.2016

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
287	आईएफटीएम विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद – 244 102, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
288	इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, कुरसी रोड, लखनऊ –226 026 (यूपी)	26.02.2004
289	इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, इन्वर्टिस विलेज, बरेली–लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग –24, बरेली –243 123 (यूपी)	01.09.2010
290	जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम –220 204	06.10.2001
291	जेपी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनोपशहर, जिला– बुलंदशहर – 203 390, उत्तर प्रदेश	04.03.2014
292	जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015
293	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यूपी	30.10.2006
294	महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महर्षि बाल विद्या मंदिर और विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर रोड, पोस्ट–डिबुरिया, लखनऊ – 226 020, उत्तर प्रदेश	24.09.2013
295	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, यूपी	19.06.2006
296	मोनाड विश्वविद्यालय, कस्मादाबाद, पीओ–पिलखुआ, डी.वी.हापुड़, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
297	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी प्लॉट नंबर 1, सेक्टर –17 ए, यमुना एक्सप्रेसवे, गौतमबुद्धनगर, (यूपी)	12.10.2010
298	रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जीटी रोड, मंधना, कानपुर – 209217, उत्तर प्रदेश	10.01.2014
299	संस्कृत विश्वविद्यालय, 28 झड का पत्थर, मथुरा–दिल्ली राजमार्ग, छत्ता, मथुरा, उत्तर प्रदेश	16.09.2016
300	शारदा विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2009
301	शिव नादर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011
302	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श संस्थान क्षेत्र, बाबू विजेंद्र मार्ग, गंगोह, जिला सहारनपुर – 2434341, (उत्तर प्रदेश)	05.07.2012

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
303	श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हडौरी, देवा—लखनऊ रोड, डी.ए. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012
304	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, एनएच –24, रजबपुर, गजरौला, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
305	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, दिल्ली—हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, उ.प्र	05.09.2008
306	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, दिल्ली रोड, मुरादाबाद	05.09.2008
307	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील – बेहट, सहारनपुर – 247001, उत्तर प्रदेश	05.07.2012
	उत्तराखंड	
308	भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विलेज एंड पोस्ट – उत्तर झंडी चौर, तहसील – कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड – 246149	19.12.2016
309	देव संस्कृत विश्व विद्यालय, गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरद्वार –249 411	22.01.2002
310	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डायवर्सन रोड, देहरादून – 248 009, उत्तराखंड	15.02.2013
311	ग्राफिक एरा पार्वती विश्व विद्यालय, 600, बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून – 248 002, उत्तराखंड	28.04.2011
312	हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, धाद गाँव, पोखरा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	07.12.2016
313	हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, शीशमबाड़ा, पीओ—शेरपुर, वाया—सहसपुर, देहरादून –248197, उत्तराखंड	11.07.2003
314	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, मक्कावाला ग्रीन्स, मसूरी डायवर्सन रोड, देहरादून – 248 009, उत्तराखंड	15.02.2013
315	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषकों का संस्थान (आईसीएफएआई), सी -1/103, इंदिरा नगर, देहरादून –248 006 (उत्तराखंड)	10.07.2003
316	मदरहुड विश्वविद्यालय, गाँव – करौंदी, पोस्ट – भगवानपुर, रुड़की, जिला। हरद्वार, उत्तराखंड	19.01.2015

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
317	क्वांटम विश्वविद्यालय, मंडावर (22 किलोमीटर मील का पत्थर), रुड़की–देहरादून राजमार्ग (एनएच–73), रुड़की– 247167, उत्तराखंड	07.04.2017
318	रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम कोटड़ा संतौर, आंवला रोड, पीओ – चंदनवाड़ी, नंद की चौकी, प्रेम नगर, देहरादून –248007, उत्तराखंड	08.12.2016
319	सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, बालावाला, देहरादून– 248161, उत्तराखंड	03.08.2018
320	श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पटेल नगर, देहरादून, उत्तराखंड	
321	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, पीओ – डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड	12.03.2013
322	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006
323	यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, बिऋल्डग नंबर 7, स्ट्रीट नंबर 1, वसंत विहार एन्क्लेव, देहरादून –284 006 (उत्तराखंड)	10.07.2003
324	उत्तरांचल विश्वविद्यालय, अर्काडिया ग्रांट, पीओ चंदनवारी, प्रेमनगर, देहरादून – 248 007, उत्तराखंड	15.02.2013
	पश्चिम बंगाल	
325	अदमस विश्वविद्यालय, बारासात, बैरकपुर रोड, बरबेरिया, पीओ जगन्नाथपुर, पीएस बारासात, कोलकाता – 700126 , पश्चिम बंगाल	11.04.2014
326	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजारहाट, न्यू टाउन, जिला ।उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	21.01.2015
327	ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, 398, रामकृष्णपुर रोड, बारासात, कोलकाता – 700 124, उत्तर 24 पीजी ।, पश्चिम बंगाल	24.02.2016
328	जेआईएस विश्वविद्यालय, अगरपारा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015
329	सीकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी, विलेज – केंद्रडांगा, पीओ – सत्तोर, पीएस – पानुरी, जिला ।. बीरभूम –731236, पश्चिम बंगाल ।	11.04.2014
330	सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, डीजी –1/ 2, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता– 700156, पश्चिम बंगाल	22.02.2018

क्र. स.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
331	सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय, परिसर नंबर आईआईआईबी1, प्लॉट नंबर आईआईआईबी/ 1, एक्शन एरिया आईआईआईबी, पीएस न्यू टाउन, कोलकाता – 700156	16.01.2017
332	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम – 4, सेक्टर–वी, साल्ट लेक, कोलकाता – 700 091, पश्चिम बंगाल	16.08.2012
333	द नियोतिया यूनिवर्सिटी, झिंगा, सरिसा, डीएच रोड, 24 परगना (एस), पश्चिम बंगाल –743368	03.02.2015
334	इंजीनियरिंग और प्रबंधन, विश्वविद्यालय क्षेत्र, प्लॉट नंबर III-B/ 5, मुख्य धमनी रोड (पूर्व–पश्चिम), न्यू टाउन, एक्शन एरिया– III, कोलकाता –700156, पश्चिम बंगाल।	03.02.2015

❖ ❖ ❖

छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए वितरित की गई छात्रवृत्ति (ताजा / नवीनीकरण) (01.01.2018 से 31.03.2019)

क्र.सं.	राज्य	छात्रवृत्ति की संख्या	राशि
1	आंध्र प्रदेश	12193	138340000
2	असम	1749	21020000
3	बिहार	241	2410000
4	सीबीएसई	14298	167080000
5	छत्तीसगढ	3827	43480000
6	सीआईसीएसई	112	1140000
7	गोवा	344	5350000
8	गुजरात	6026	72410000
9	हरियाणा	6070	72020000
10	हिमाचल प्रदेश	65	1240000
11	जम्मू और कश्मीर	1532	17730000
12	झारखंड	1	10000
13	कर्नाटक	15335	191670000
14	केरल	7558	83380000
15	मध्य प्रदेश	15090	167140000
16	महाराष्ट्र	18328	196700000
17	मणिपुर	469	4760000
18	मेघालय	11	110000
19	मिजोरम	1	10000

क्र.सं.	राज्य	छात्रवृत्ति की संख्या	राशि
20	नगालैंड	183	1830000
21	ओडिशा	6002	65580000
22	पुदुचेरी	329	4330000
23	पंजाब	4525	64820000
24	राजस्थान	4863	63090000
25	तमिलनाडु	10121	109440000
26	तेलंगाना	10249	124180000
27	त्रिपुरा	613	6670000
28	उत्तर प्रदेश	8352	85350000
29	उत्तराखंड	986	11540000
30	पश्चिम बंगाल	10728	113930000
	कुल योग	**160201**	**1836760000**

❖ ❖ ❖

भाग - III

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की सामान्य गतिविधियाँ

1

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

शैक्षिक विकास समाज के कमजोर वर्गों जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्ति शामिल हैं, की सामाजिक–आर्थिक बेहतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि करके बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति

सन 1992 में यथासंशोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986, जो एक पथ प्रदर्शक दस्तावेज है, भारत सरकार की इस अप्रतिम प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि 'शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में मूलभूत बदलाव के एक एजेंट के रूप में किया जाएगा। अतीत की संचित विकृतियों को प्रभावहीन बनाने के लिए, महिलाओं का सुविकसित समूह होगा। यह विश्वास और सामाजिक एकजुटता का एक कार्य होगा। महिलाओं की साक्षरता और बाधाओं को दूर करना जिससे उनकी सेवाएँ बाधित होती हैं, समयसीमा और प्रभावी निगरानी निर्धारित करना...'

नई शिक्षा नीति

(i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, समय की कसौटी पर खरी उतरी है। किन्तु पिछले बीस वर्षों में, शिक्षा के परिदृश्य में विस्मरणीय परिवर्तन देखे गए हैं। इसलिए, सरकार वर्तमान नीति की समीक्षा करने और समय की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने का प्रस्ताव करती है। सरकार ने अपने छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करके भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाने और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अकादमियों और उद्योग में जनशक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।

(ii) भारत की नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए परामर्श की प्रक्रिया 26.01.2015 से www.MyGov.in पर शुरू हो गई है। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए पहचाने जाने वाले 33 विषयों पर सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। इन 33 विषयों का विवरण भारत सरकार के पोर्टल www.mygov.in और मंत्रालय के वेबसाइट–लिंक www.mhrd.gov.in/nep पर उपलब्ध है। ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श किए गए हैं।

(iii) नई शिक्षा नीति के अंतर्गत दो विषय सीधे महिलाओं/ बालिकाओं के शैक्षिक विकास से संबंधित हैं। स्कूल शिक्षा का थीम X 'समावेशी शिक्षा को सक्रिय बनाने –बालिकाओं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा' पर केंद्रित है। इसी तरह, उच्चतर शिक्षा के थीम X का शीर्षक 'जेंडर और सामाजिक अंतरालों को पाटना' है।

(iv) मंत्रालय ने अनेक संस्थानों और स्वायत्त निकायों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय स्तर के

परामर्शों के साथ आंचलिक बैठकों के माध्यम से विस्तृत विषयगत परामर्श किए तथा केब में इस पर चर्चा भी की। तत्पश्चात, मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2015 को भारत सरकार के पूर्व मंत्रिमंडल सचिव, स्वर्गीय श्री टी. एस. आर. सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिन्होंने 27 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान में जेंडर और सामाजिक अंतरालों को पाटने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन्हें और तेज़ किए जाने की आवश्यकता है और बालिकाओं तथा अन्य विशेष श्रेणी के बच्चों के प्रभावी समावेशन और भागीदारी के लिए अधिक केंद्रित कार्यनीतियां अपेक्षित हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए 8वीं कक्षा के बाद विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डाइट पूर्ण वित्तीय सहायता और नौकरी के आश्वासन के साथ 5 वर्षीय पाठ्यक्रम (या 10 + 3) चला सकते हैं।

(v) समिति की रिपोर्ट और विभिन्न परामर्शों से प्राप्त सिफारिशों के साथ–साथ अन्य विचारों और टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, 'ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2016 के लिए कुछ इनपुट' तैयार किए गए, जिसमें कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शिक्षा में सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अंतराल को समाप्त किया जाता है और लैंगिक समानता और लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण को पूरे शिक्षा प्रणाली में बढ़ावा दिया जाता है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि स्कूल बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों के सामने आने वाली किशोरावस्था की समस्याओं पर माता–पिता और शिक्षकों को गोपनीय सलाह देने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को शामिल करेंगे।

(vi) तथापि, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की रिपोर्ट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के मसौदे लिए कुछ इनपुट' को नीति निर्माण के लिए इनपुट के रूप में माना जाता है।

(vii) सरकार ने 24 जून 2017 को प्रख्यात वैज्ञानिक पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है।

2. अनुसूचित जाति उप योजना और जनजातीय उप योजना (एससीएसपी और टीएसपी)

योजना की पूर्व प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 2017–18 से योजना और योजनेत्तर व्यय को मिला दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर, नीति आयोग ने विशिष्ट योजनाओं के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय / विभाग द्वारा धनराशि निर्धारित करने के लिए नए दिशानिर्देश परिचालित किए थे। एमएचआरडी के लिए एससीएसपी और टीएसपी के लिए नीति आयोग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रतिशत आवंटन नीचे दिया गया है:

विभाग	एससीएसपी	टीएसपी
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	20%	10.7%
उच्चतर शिक्षा	16.60%	8.60%

"उच्चतर शिक्षा विभाग योजना घटक के तहत नीति आयोग द्वारा यथानिर्धारित एससी और एसटी के लिए प्रतिशत आवंटन अर्थात क्रमशः 16.60% और 8.60% का अनुपालन कर रहा है। इक्विटी सहायता को एससी / एसटी आवंटन से छूट दी गई है। इसी प्रकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत स्कीम घटक के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

लिए प्रतिशत आवंटन क्रमशः 20% और 10.7% रखा गया है। पिछले वर्ष के आवंटन के स्तर पर एससी / एसटी के समग्र आवंटन को बनाए रखने के लिए, दोनों विभागों के योजनेत्तर घटकों में एससी / एसटी आवंटन भी किया गया है।''

सारणीः एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ (2018–19)

(राशि करोड़ रुपए में)

उच्चतर शिक्षा विभाग	कुल		एससीएसपी		टीएसपी	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
योजना घटक	9462.12	8757.46	1115.00	923.20	577.00	471.00
प्रतिशत *			16.61%	15.37%	8.60%	7.84%
योजना घटक के अलावा	25548.17	24754.65	1845.00	1905.13	903.00	932.91
प्रतिशत			7.22%	7.70%	3.53%	3.77%
कुल–उच्चतर शिक्षा	**35010.29**	**33512.11**	**2960.00**	**2828.33**	**1480.00**	**1403.91**

** कुल स्कीम आवंटन से 2750.00 करोड़ रुपए के इक्विटी घटक में कटौती के बाद प्रतिशत की गणना की गई है।*

सारणीः एससीएसपी और टीएसपी के अंतर्गत निर्धारित निधियाँ (2018–19)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	कुल		एससीएसपी		टीएसपी	
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
योजना घटक	42391.06	41460.46	8478.21	8672.71	4535.83	4756.71
प्रतिशत			20.00%	20.92%	10.70%	11.47%
योजना घटक के अलावा	7608.94	8653.29	697.70	787.20	372.48	410.68
प्रतिशत			9.17%	9.10%	4.90%	4.75%
कुल– स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	**50000.00**	**50113.75**	**9175.91**	**9459.91**	**4908.31**	**5167.39**

3. स्कूल शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.9% (जनगणना 2001) से बढ़कर 73% (जनगणना 2011) हो गई है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में 10 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है; एससी और एसटी समुदायों के लिए साक्षरता दर में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन भाग (20.24%) उनकी आबादी (16.60%) से अधिक है और इसमें वर्ष दर वर्ष बढ़ता हुआ रुझान देखा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एसटी बच्चों का नामांकन भाग (8.60%) जनगणना 2011 के अनुसार आबादी (10.85%) में उनके भाग से अधिक है और इसमें वर्ष दर वर्ष बढ़ता हुआ रुझान देखा जा सकता है।

यू–डाईस रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल शिक्षा में एससी/एसटी का सकाल नामांकन अनुपात निम्नानुसार है :

वर्ष	प्रारंभिक (I-VIII)			माध्यमिक (IX-X)			उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)		
	सभी	एससी	एसटी	सभी	एससी	एसटी	सभी	एससी	एसटी
2014-15	96.39	107.5	103.19	76.91	81.95	71.35	52.54	53.83	38.53
2015-16	96.42	107.38	102.42	79.30	84.56	73.71	55.73	56.70	42.83
2016-17	93.55	102.43	99.57	79.35	84.19	73.48	55.40	55.93	42.67

3.1 समग्र शिक्षा:

निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6–14 वर्ष की आयु के कक्षा I से VIII तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान है। एसएसए को 2017–18 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एक साधन कार्यक्रम के रूप में नामित किया गया था, जिसे पूरे देश में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और समन्वय से लागू किया गया था। अब, एसएसए को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की अन्य दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ एक नई योजना–समग्र शिक्षा के अंतर्गत मिला दिया गया है, जिसका शुभारंभ 2018–19 में किया गया है।

यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका विस्तार प्री–स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक है और इसका लक्ष्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। अब, आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों को समग्र शिक्षा के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

केंद्र सरकार, सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने हेतु कार्यक्रम के रूप में एसएसए / समग्र शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। इसके समग्र लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ–साथ सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करना और बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, आरटीई अधिनियम की धारा 6 में अधिदेश दिया गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण इस अधिनियम के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि के भीतर निकटवर्ती क्षेत्र या सीमा के भीतर एक स्कूल स्थापित करेगी, जहां यह पहले से स्थापित नहीं हैं।

नए स्कूल खोलने की प्राथमिकता आदिवासी क्षेत्रों, और उन क्षेत्रों को दी जाती है जहां अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों की सघन आबादी है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर इक्विटी और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए एससी, एसटी और मुस्लिमों की सघन आबादी वाले जिलों की पहचान विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) के रूप में की गई है। 2001 में एसएसए की शुरुआत के बाद से, 3.64 लाख नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और 3,12,747 स्कूल भवनों, 18,89,689 अतिरिक्त कक्षाओं, 2,40,564 पेय जल सुविधाओं और 10,63,164 स्कूल शौचालयों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 30.09.2018 तक 3.59 लाख नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और 2,95,382 स्कूल भवनों, 18,08,452 अतिरिक्त कक्षाओं, 2,33,956 पेय जल सुविधाओं और 10,11,518 शौचालयों के निर्माण की सूचना दी है। इसके अलावा, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए खोले गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) ने देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तदनुसार, 2017–18 तक एसएसए के अंतर्गत 3703 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत केजीबीवी को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड करने का प्रावधान किया गया है। केजीबीवी आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ छात्राओं को बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान 1232 केजीबीवी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों प्रस्ताव / आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड किया गया है। छितरी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए, उन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए जहां भूमि की अनुपलब्धता के कारण स्कूल नहीं खोले जा सकते और उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, 1020 आवासीय विद्यालयों / छात्रावासों के लिए प्रावधान किया गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसएसए/ समग्र शिक्षा के तहत केजीबीवी, आवासीय स्कूलों / छात्रावासों आदि सहित पहलों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर एसएसए / समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक योजनाएं तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। इसके बाद इन योजनाओं को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श और योजना के वित्तीय मानदंडों और बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आकलित और अनुमोदित / अनुमानित किया जाता है। केंद्रीय हिस्सा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त राशि में 2–3 किस्तों में निधियन पैटर्न के अनुसार जारी किया जाता है और कार्यक्रम वार जारी नहीं किया जाता है।

3.2 केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल) :

केंद्रीय विद्यालय संगठन 15 दिसंबर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य सम्पूर्ण भारत और विदेशों में सेंट्रल स्कूल (केंद्रीय विद्यालय) का प्रावधान करना, स्थापित करना, उनका समर्थन करना, नियंत्रण करना और प्रबंधित करना है। यह संगठन पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

सभी केन्द्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित हैं। आरटीई कोटे के तहत दाखिल किए गए एससी/एसटी छात्रों को फ़ीस के भुगतान से छूट दी जाती है और उन्हें किताबें, वर्दी और परिवहन भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सभी एससी / एसटी छात्रों को बारहवीं कक्षा तक ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट दी गई है।

3.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):

एनसीईआरटी, अपनी स्थापना से ही, सामाजिक रूप से वंचित समूहों जैसे एससी,एसटी और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। यह परिषद अल्पसंख्यकों की शिक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नामक एक प्रकोष्ठ चलाता है। यह परिषद मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा करने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करने के लिए अनुसंधान शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और नीति– निर्माताओं के लिए आमने–सामने और एडुसैट के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है जिससे उन्हे एससी/एसटी और अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यनीति बनाने के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है।

3.4 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद:

एनसीटीई अपनी सांविधिक भूमिका में अध्यापक शिक्षण

संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है जैसा उसे उसके अधिनियम के माध्यम से अधिदेशित किया गया है। एनसीटीई ने दिनांक 23.8.2010 और 29.7.2011 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कक्षा I से V के लिए शिक्षकों के लिए डी.एल. एड. (विशेष शिक्षा) और VI से VIII की उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बी. एड. (विशेष शिक्षा) को शामिल किया है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार, कक्षा I से V को पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बी. एड.(विशेष शिक्षा) योग्यता रखने वाला शिक्षक नियुक्ति के बाद, एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का विशेष कार्यक्रम करेगा।

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार आरक्षण नीति भी निर्धारित की गई है। आरक्षण नीति के अनुसार, एसटी / एससी/ ओबीसी / पीएच जैसे आरक्षित वर्गों में उम्मीदवारों को योग्यता के अंकों में 5% तक छूट दी जाएगी।

इसी प्रकार, एनसीटीई विनियमन 2014 (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) के अनुसार केंद्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी लागू हो, के नियमों के अनुसार एसटी / एससी / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अंकों में आरक्षण और छूट का प्रावधान है।

दिनांक 29.5.2017 को अधिसूचित एनसीटीई संशोधन विनियमन 2017 के अनुसार केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की लागू नीति के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति / विभिन्न पिछड़ी जाति / दिव्यांग्जनों के लिए आरक्षण का प्रावधान वही है जैसा कि सरकार की अन्य सभी श्रेणियों में लागू है।

4. उच्चतर शिक्षा

जहां तक उच्चतर शिक्षा में एससी और एसटी के प्रतिशत प्रतिनिधित्व का संबंध है, एससी के सकल नामांकन अनुपात में 2016–17 से 2017–18 तक लगभग 3.32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। एसटी के सकल नामांकन अनुपात में 2016–17 से 2017–18 तक लगभग 3.25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। यह निर्दिष्ट करता है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में दोनों ही के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है।

उच्चतर शिक्षा में जीईआर (18–23 वर्ष)

वर्ष	सभी वर्गों के छात्रों का जीईआर	एससी छात्रों का जीईआर	एसटी छात्रों का जीईआर
2014-15	24.3	19.1	13.7
2015-16	24.5	19.9	14.2
2016-17	25.2	21.1	15.4
2017-18	25.8	21.8	15.9

केंद्रीय शिक्षण संस्थान अधिनियम, 2006, में एससी और एसटी के लिए प्रवेश में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और इस अधिनियम में उनके दाखिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के एक निश्चित प्रतिशत संस्थानों के लिए इसे अनिवार्य बनाते हैं। अधिनियम के निरंतर कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय–समय पर भारत सरकार और अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु निरंतर और विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों पर भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों में सीटों का प्रावधान, छात्रवृत्तियां, फैलोशिप, उपचारात्मक पाठ्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रों में

कॉलेजों को विशेष सहायता आदि शामिल हैं।

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को दिनांक 19.12.2012 के पत्र संख्या.एफ़.1–5/ 2006 (एससीटी) के माध्यम से केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, राजपत्र अधिसूचना 2012 का 31 के अनुसार अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया है।

एआईसीटीई ने शिकायत निवारण के उपाय भी किए हैं। ये नियमन संगठनों को उच्चतर शिक्षा में इक्विटी को बढ़ावा देने और उसके लिए स्थापित इक्विटी मानकों के गैर अनुपालन की शिकायतों से निपटने में मदद करते हैं। इसके अलावा, ये नियमन और कानून उच्चतर शिक्षा में समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन की दर में सुधार करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाएंगे।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों की पहुँच में सुधार करने के लिए, असेवित क्षेत्रों में केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और अन्य योजनाएं जैसे कि सामुदायिक कॉलेज, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों के लिए विकास और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में इग्नू के अध्ययन केंद्र खोलना, सभी समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव डालते हैं।

इनके अलावा, कई अन्य कार्यक्रम/योजनाएँ भी शुरू की गई हैं, जो समान रूप से एससी / एसटी और पीडबल्यूडी छात्रों की शिक्षा के विकास पर जोर देती हैं, जिसमें छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पहल जैसे छात्रवृत्ति, उपचारात्मक कोचिंग कक्षाएँ, विश्वविद्यालयों में समान अवसर कक्ष खोलना, राजीव गांधी फैलोशिप, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, पोस्ट डॉक्टरेट फैलोशिप, नेट/एसएलईटी के लिए उपचारात्मक कोचिंग, आईआईटी के लिए प्रारंभिक कक्षाएं, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, विशेष रूप से लड़कियों के लिए छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा आदि शामिल हैं।

बेरोजगारी की समस्या का सीधे समाधान करने के लिए कौशल विकास की कई योजनाएँ भी बनाई गई हैं। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और नौकरी के क्षेत्र के बीच छात्र के सुगम संचलन के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा स्थापित किया गया है। अन्य योजनाएं जैसे कि नेशनल स्कीम फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कम्युनिटी कॉलेजों की स्कीम व्यावहारिक प्रशिक्षण और समुदाय, कॉलेजों और नौकरी के क्षेत्र के बीच तालमेल बनाने पर केंद्रित है।

5. एससी/एसटी के लिए कार्यक्रम/योजनाएँ

5.1. उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/ योजनाएँ

5.1.1 कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः

दसवीं कक्षा के उन उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिन्होंने किसी विशेष परीक्षा बोर्ड से 80 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रु. प्रति वर्ष से कम है।

वार्षिक लक्ष्य 82000 छात्रवृत्तियां (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) हैं, जो कि राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच 18–25 वर्ष की आयु में राज्य की जनसंख्या के आधार पर विभाजित है। छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 10,000/– रु. प्रति वर्ष और चौथे तथा पांचवें वर्ष के लिए 20,000/– रु. प्रति वर्ष है।

इस योजना के तहत केंद्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जाता है अर्थात एससी के लिए 15% , एसटी के लिए 7.5 % और ओबीसी के लिए 27% और सभी श्रेणियों में दिव्यांगजनों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया जाता है।

नई पहलः

- 'कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना' को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarships.gov.in पर अपलोड किया गया है।
- माता–पिता की आय की उच्चतम सीमा का मानदंड 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष किया गया है।

यह बजट 'ओबीसी (लघु शीर्ष 107), एससीएसपी (लघु शीर्ष 789) और टीएसपी (लघु शीर्ष 796) सहित सामान्य श्रेणी' के लिए विभाजित किया जाता है।

वर्ष	लाभार्थी								
	एससी			एसटी			पीडबल्यूडी		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2017-18	6400	6419	12819	2283	2150	4433	102	60	162
2018-19	5428	5640	11068	1715	1464	3179	102	60	162

5.1.2 जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाः

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य के बाहर शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें देश के शेष हिस्सों में अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा और वे मुख्यधारा का भाग बन सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत, जम्मू–कश्मीर से बाहर पढ़ने वाले उन मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। इन छात्रवृत्तियों को आगे और विभाजित करके सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100 किया गया है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस के लिए छात्रवृत्ति की दर 30,000 रु प्रति वर्ष, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए 1.25 लाख रु. प्रति वर्ष और चिकित्सा अध्ययन के लिए 3 लाख रु. प्रति वर्ष है। सभी छात्रों को 1.0 लाख रुपये का निश्चित रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है।

ट्यूशन फीस के लिए छात्रवृत्ति सीधे संस्थान को दी जाती है और रखरखाव भत्ते के लिए छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।

यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा लागू की गई है। छात्रों को एआईसीटीई के वेबपोर्टल – http://aicte-jk-scholarship.in/ पर आवेदन करना होता है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, नर्सिंग और सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त कोटा सीटें बनाई गई हैं।

नई पहलेंः

- वरीयता के क्रम में छात्रों की योग्यता और संस्थान की पसंद के आधार पर सीटों का ऑनलाइन आवंटन।
- प्रत्येक लाभार्थी संस्थान में एक संकाय सदस्य को शिकायतों और छात्रवृतियों के सुचारू संवितरण के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- माता–पिता की आय की सीमा संबंधी मानदंड को 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है।

मौजूदा वित्त वर्ष में (1.4.2018 से 31.12.2018 तक)

एआईसीटीई को नई और पुनः नवीकृत छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए 124.18 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इस योजना के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य आरक्षण नीति अपनाई जाती है अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 8%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 11% और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 25% अंक निर्धारित किए गए हैं।

वर्ष	लाभार्थी									संवितरित राशि
	एससी			एसटी			पीडबल्यूडी			
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	
2017-18	163	80	243	180	61	241	37	3	40	10.21
2018-19 (31.12.2018 तक)	56	17	73	72	18	90	30	4	34	1.68

5.1.3 शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी:

सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंट्रेस्ट सब्सिडी (सीएसआईएसएस) एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो जो 01.04.2009 से कार्यान्वित एक योजनागत स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ब्याज सब्सिडी दी जाती है, अर्थात् जिन छात्रों की पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, वे भारत में (ना कि विदेशों में) उच्चतर शिक्षा के संबंधित निकायों द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त और अनुमोदित हैं। यह लाभ केवल एक बार ही मिलता है। यह राशि केनरा बैंक अर्थात् नोडल बैंक को संवितरित की जाती है। केनरा बैंक के पास इसके लिए एक समर्पित पोर्टल है। सब कुछ ऑनलाइन किया जाता है। इस योजना के तहत, केनरा बैंक के अलावा, निम्नलिखित संगठन भी भाग लेते हैं:–

i. नेशनल सफाई कर्मचारी फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसकेएफ़डीसी)

ii. नेशनल शैडयूल्ड कास्ट्स फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएससीएफ़डीसी)

iii. नेशनल शैडयूल्ड ट्राइब्स फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसटीएफ़डीसी)

iv. नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फ़ाइनेंस डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनबीसीएफ़डीसी)

v. नेशनल हेंडीकेप्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएचएफ़डीसी)

vi. नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फ़ाइनेंस कार्पोरेशन (एनएमडीएफ़सी)

इन निकायों को सीधे एमएचआरडी द्वारा संवितरण किया जाता है। ब्याज अनुदान, अधिस्थगन अवधि के दौरान दिया जाता है अर्थात कोर्स की अवधि प्लस नौकरी पाने के एक साल बाद, जो भी पहले हो।

उपर्युक्त निकायों के अलावा सभी अनुसूचित बैंक भाग लेने के लिए पात्र हैं। अनुसूची / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के तहत सहकारी बैंक भी भाग लेते हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 2489718 छात्रों को लाभान्वित करते हुए 8131.95 करोड़ रुपये की राशि दी गई है, जिसमें से 2265108 सामान्य हैं, 168617 एससी और 55993 एसटी हैं।

योजना के तहत वर्ष 2018–19 के लिए और ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी फंड के लिए 2510 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ब्याज सब्सिडी योजना के अलावा, एक और योजना है "शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड" जिसे 17 सितंबर, 2015 को अधिसूचित किया गया है। इस

योजना के लाभ इस प्रकार हैं: –

i. यह संस्थानों की गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) को कम करेगा और अधिक तरलता की अनुमति देगा, जिससे उच्चतर शिक्षा के इच्छुक छात्रों की संख्या अधिक होगी जो उच्चतर शिक्षा में जीईआर को बढ़ाने में योगदान करेंगे।

ii. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ऋण (आसान और फ्लेक्सी–ऋण सहित) में, और संस्थान आगे आएंगे जिससे सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता आएगी।

iii. शैक्षिक ऋण में ब्याज सब्सिडी केवल भारत में अध्ययन के लिए है, लेकिन विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट ऋण में ऋण गारंटी अनुमोदित है।

iv. ट्रस्टी कंपनी को हस्तांतरित राशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	सामान्य	एससी	एसटी	कुल
2014-15	-	63,59,13,327	37,50,00,000	101,09,13,327
2015-16	250,00,00,000	75,00,00,000	40,77,03,288	365,77,03,288
2016-17	--	181,97,52,718	97,89,44,092	279,86,96,810
2017-18	--	75,00,00,000	37,50,00,000	112,50,00,000
2018-19	31.12.2018 तक कोई निधि जारी नहीं की गई है।			

केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के लिए एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी का ब्यौरा

वित्त वर्ष	अद्वितीय लाभार्थियों की संख्या (वास्तविक में)								
	एससी			एसटी			पीडब्ल्यूडी		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
2014-15	13184	8081	21265	3122	1913	5035	1210	596	1806
2015-16	6061	4040	10101	1814	1065	2879	121	57	178
2016-17	4681	3390	8071	1758	1242	3000	3393	1491	4884
2017-18	4191	3263	7454	1191	936	2127	2570	1206	3776

5.1.4 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा):

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के वित्तपोषण के लिए मिशन मोड में संचालित एक व्यापक योजना है, ताकि समानता/इक्विटी, पहुंच और उत्कृष्टता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। योजना का उद्देश्य राज्यों में विशेषकर महत्वाकांक्षी जिलो, असेवित और अल्पसेवित जिलों पर ध्यान केंद्रित करके उच्चतर शिक्षा की पहुंच में सुधार करना है। रूसा अवसंरचनात्मक विकास का समर्थन करता है जो गैर–विभाज्य अवसंरचना / संसाधनों के स्वरूप की पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और सीधे लाभार्थी उन्मुख नहीं है। इसलिए, इन मामलों में, एससी / एसटी आबादी को मिलने वाले लाभ कुल आबादी के अनुपात में होते हैं, आकांक्षात्मक जिलों में 70 मॉडल डिग्री कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से कई आदिवासी बहुल जिले हैं।

निगरानी तंत्र जैब कि जियो–टैगिंग ऐप 'भुवन–रूसा', रिफॉर्म ट्रैकर, फंड ट्रैकर और पीएफएमएस जैसे राज्यों और संस्थानों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए रूसा स्कीम के तहत जारी फंडों के संबंध में समग्र रूप से एसटीसी के तहत जारी फंड हैं। आधुनिक कॉलेजों की सूची अनुलग्नक–I पर है।

5.1.5 जनजातीय विश्वविद्यालयः

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के नाम से मध्य प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में प्रत्येक के लिए एक–एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है।

आंध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम वित्तीय वर्ष 2018–19 से एक मेंटर विश्वविद्यालय अर्थात आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा ट्रांजिट कैंपस से काम कर रहा है।

5.1.6 बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालयः

लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय 10 जनवरी 1996 को स्थापित किया गया था। संक्षेप में, विश्वविद्यालय के अधिनियम और विधियों सहित बीबीएयू के सभी शैक्षणिक, अनुसंधान और आउट–रीच कार्यक्रम के लिए शिक्षा को एक समग्र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उपकरण बनाने संबंधी डॉ. अंबेडकर के मूल दर्शन को शामिल किया गया है, जो मूलरूप से हमारे समाज के सबसे वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करता है।अकादमिक सत्र 2019–20 में दाखिले के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, ''विश्वविद्यालय में अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के उद्देश्य से 50% सीटें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी'' और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी ।

5.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम / योजनाएँ

5.2.1 यूजीसी की पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिप/ रिसर्च फैलोशिप/पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के लिए स्नातक छात्रवृत्ति

(i) **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (अब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के रूप में पुनः नामकरण किया गया है):** इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित और यूजीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित बेरोजगार छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में फेलोशिप प्रदान करना है ताकि वे भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और पीएचडी उपाधि (पूर्णकालिक) के लिए उच्चतर अध्ययन कर सकें। यूजीसी अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 2000 स्लॉट और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 750 स्लॉट उपलब्ध करा रहा है।

(ii) **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः** इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त भारतीय

विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 1000 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(iii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिपः इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उन्नत अध्ययन और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/ कॉलेजों में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डॉक्टोरल अनुसंधान का अवसर प्रदान करना है। यूजीसी उन्हें प्रत्येक वर्ष 100 स्लॉट प्रदान करता रहा है।

5.2.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग:

यूजीसी विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में विशेष कोचिंग योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग की सामाजिक समानता और सामाजिक आर्थिक गतिशीलता के लिए योगदान कर रहा है।

(i) **अनुसूचित जाति / एसटीएस / ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए रिमेडियल कोचिंगः** अंडरग्रेजुएट (यूजी) / पोस्ट–ग्रेजुएट (पीजी) छात्रों के लाभ के लिए रिमेडियल कोचिंग, जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान, शैक्षणिक कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार और मजबूत करना और परीक्षा में समग्र प्रदर्शन में सुधार करना है।

उपरोक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की ऊपरी सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रुपए (एक बारगी)
आवर्ती	7.00 रुपए प्रति वर्ष

कॉलेज के लिए अनुदान की ऊपरी सीमा

गैर–आवर्ती	रु. 5.00 लाख (एक बारगी)
आवर्ती प्रति	2.00 रुपए प्रति वर्ष

(ii) **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों के लिए नेट/ सेट के लिए कोचिंगः** राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) परीक्षा के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को तैयार करने के उद्देश्य से नेट/ सेट के लिए कोचिंग, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याख्याता बनने के लिए एक आवश्यक पात्रता शर्त है।

उपरोक्त योजना में से प्रत्येक के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की ऊपरी सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रुपए (एक बारगी)
आवर्ती	7.00 रुपए प्रतिवर्ष

कॉलेज के लिए अनुदान की ऊपरी सीमा

गैर–आवर्ती	3.50 लाख रुपए (एक बारगी)
आवर्ती	1.50 रुपए प्रतिवर्ष

(iii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर– क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाएंः ग्रुप ए, बी या सी केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं या निजी क्षेत्र में समकक्ष पदों पर उपयोगी रोजगार पाने के लिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग योजना बनाई और लागू की है। शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए केंद्रों को उचित सहायता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता निम्नानुसार हैः

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की ऊपरी सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रुपए (एक बारगी)
आवर्ती	7.00 रुपए प्रतिवर्ष

कॉलेज के लिए अनुदान की ऊपरी सीमा

गैर–आवर्ती	5.00 लाख रुपए (एक बारगी)
आवर्ती	2.00 रुपए प्रति वर्ष

5.2.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों की आवासीय कोचिंग अकादमियांः

यूजीसी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय कोचिंग अकादमियों की स्थापना के लिए पांच विश्वविद्यालयों अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द में आवासीय कोचिंग अकादमी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

अल्पसंख्यकों / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी का मुख्य उद्देश्य समतामूलक विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है जो निः शुल्क / नाममात्र शुल्क के साथ हास्टल सुविधा सहित, केंद्रीय / राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र की नौकरियों और आईआईआईटी / मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कोचिंग के लिए उपरोक्त श्रेणी के ट्यूशन शुल्क के बिना छात्रों के लिए कोचिंग कार्यक्रम प्रदान करके अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत पर जोर देता है।

5.2.4 विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में समान अवसर प्रकोष्ठः

वंचित सामाजिक समूहों की जरूरतों और बाधाओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजीसी ने इन समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक तथा अन्य मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने हेतु कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ (ईओसी) स्थापित करने की योजना बनाई थी।

पात्रताः योजना के तहत वित्तीय सहायता ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए उपलब्ध है जो कि यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के दायरे में आते हैं और धारा 12 (बी) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हैं।

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की ऊपरी सीमाः

2.00 लाख रुपए प्रति योजना

कॉलेज के लिए अनुदान की ऊपरी सीमाः

पोस्ट ग्रेजुएट	75,000 / — रुपए प्रति वर्ष
अंडर ग्रेजुएट	55,000 / — रुपए प्रति वर्ष

5.2.5 सामाजिक बहिष्करण और समावेशी नीति के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों में केंद्रों की स्थापनाः

सामाजिक बहिष्कार न केवल तनाव, हिंसा और व्यवधान उत्पन्न करता है, बल्कि समाज में असमानता और अभाव को भी बढ़ाता है। भारत में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्य जैसे कुछ समुदायों को विकास का लाभ प्राप्त करने के मामले में प्रणालीगत बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव शामिल होता हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अनैच्छिक प्रवास जैसे व्यापक आर्थिक कारकों के परिणाम स्वरुप पीड़ित आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों से बाहर हो जाते हैं। प्राथमिक स्थान जहाँ 'बहिष्करण' का अध्ययन किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और पहले स्थानांतरित किया जा सकता है, हमारे विश्वविद्यालय हैं, जो समाज के लिए एक बीकन के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए यूजीसी ने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान का समर्थन करने का निर्णय लिया है, जिसका सैद्धांतिक और नीतिगत महत्व भी है। इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों में कई शिक्षण—सह—अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का विचार है।

उद्देश्यः

- ✓ जाति / जातीयता / धर्म के आधार पर वैचारिक भेदभाव, बहिष्करण और समावेश;
- ✓ भेदभाव और बहिष्करण की प्रकृति और गतिशीलता की समझ विकसित करना;
- ✓ भेदभाव, बहिष्करण और समावेशन को प्रासंगिक विषय और समस्या वाला विषय बनाना;
- ✓ अनुभवजन्य स्तर पर भेदभाव की समझ विकसित करना;
- ✓ इन समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतियों का निर्माण और बहिष्कार और भेदभाव की समस्या का उन्मूलन।

कार्यः

- ✓ एम.ए. और एम.फिल स्तर पर शिक्षण पाठ्यक्रम, परिणाम स्वरुप पूर्ण एम.ए. और यहां तक कि सामाजिक बहिष्कार अध्ययन में एम.फिल कार्यक्रम
- ✓ एम.फिल और पीएचडी पर्यवेक्षण शुरु करना
- ✓ सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के साथ अनुभवजन्य अध्ययनों को शुरु करना तथा तुलनात्मक अध्ययन और नीति / कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए समय श्रृंखला डेटा बैंक का निर्माण करना।
- ✓ सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पन्न सामाजिक—आर्थिक आंकड़ों के आधार पर विस्तृत गहन विश्लेषण करना।
- ✓ सामाजिक बहिष्कार के विषय पर सम्मेलनों, सेमिनारों और संगोष्ठियों का आयोजन।
- ✓ संकाय और छात्रों के शोध निष्कर्षों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।
- ✓ प्रख्यात विद्वानों द्वारा इस विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना
- ✓ विजिटिंग फैकल्टी को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्वान विशेष रूप से युवा विद्वानों तकों तक पहुंचना।
- ✓ सामाजिक बहिष्कार का सामना करने में लगे सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ संबंध

स्थापित करना।

✓ राजनीतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियनों और मीडिया हस्तियों के लिए अल्पकालिक ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम आयोजित करना।

यूजीसी आवर्ती और गैर–आवर्ती मदों के लिए केंद्रों की समुचित कार्यात्मकता के लिए चयनित विश्वविद्यालयों को 100% आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

यूजीसी ने सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में 33 केंद्र स्थापित किए हैं, जो कि सैद्धांतिक और साथ ही नीतिगत महत्व के है। वर्ष 2018–19 के दौरान पांच केंद्रों को 5.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.2.6 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापनाः

पत्र संख्या 43011/153/2010–स्था. (आवासीय), दिनांक 04.01.2013 के माध्यम से भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संस्था में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना अनिवार्य है। इसके अलावा, यूजीसी ने अपने अ.शा. पत्र संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) दिनांक 8 जून, 2015 के माध्यम से पदों और सेवाओं तथा अन्य संबंधित कार्यों में आरक्षण आदेशों के प्रवर्तन के लिए विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु डीओपीटी के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा वित्त पोषित समवत विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है। 27 सितंबर, 2018 को आयोजित अपनी 535वीं बैठक में आयोग ने केंद्रीय रुप से वित्तपोषित नए स्थापित विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित करने का संकल्प लिया, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद नहीं है। प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए, आयोग ने गैर–शिक्षण पदों को मंजूरी दी है।

5.2.7 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशः 8 फरवरी, 2018 को यूजीसी की 529 वीं आयोग की बैठक में मंजूरी के बाद जारी किए गए। मानव संसाधन मंत्रालय ने 15% और 7.5% की सीमा तक एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित धनराशि आवंटित की, परिणामी कदम के रूप में, यूजीसी को यह देखना चाहिए कि एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित सीमा तक निधि कहीं और भेजी गई है। इस प्रयोजन के लिए, एससीएसपी और टीएसपी निधि के लिए अलग से संस्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। यूजीसी तीन घटक अर्थात सामान्य श्रेणी, एससीएसपी और टीएसपी में से प्रत्येक के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ वर्ष के दौरान उपयोग की गई धनराशि को दर्शाया जाता है और अव्ययित शेष राशि को अगले वित्त वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

5.2.8 जातिगत भेदभाव में रोकथामः

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों / कॉलेजों को सलाह दी है कि

1. सरकारी / संकाय सदस्यों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रों के साथ उनके सामाजिक मूल के आधार पर भेदभाव के किसी भी कार्य से दूर रहना चाहिए।

2. विश्वविद्यालय / संस्थान / कॉलेज अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों द्वारा जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए अपनी वेबसाइट पर पेज विकसित कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार / प्रिंसिपल कार्यालय में शिकायत रजिस्टर भी रख

सकते हैं। यदि ऐसी कोई घटना अधिकारियों के संज्ञान में आती है, तो दोषी अधिकारियों / संकाय सदस्य के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

3. विश्वविद्यालय / कॉलेज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी अधिकारी / संकाय सदस्य किसी भी समुदाय या श्रेणी के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव में लिप्त न हो।

4. विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों / शिक्षकों और गैर–शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायत को देखने के लिए एक समिति का गठन कर सकता है।

5.2.9 विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में शिक्षण पदों के लिए नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण: इस संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश सीएमडब्ल्यूपी संख्या 16 का 43260 दिनांक 07.04.2017 में और बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 16515/2017 में पारित दिनांक 21.07.2017 के अपने निर्णय को बरकरार रखा, यूजीसी ने शिक्षण पदों में आरक्षण के मामले पर 10 निर्णयों में संदर्भित सभी पहलुओं से संबंधित मुद्दे की जांच की और एमएचआरडी को विचारार्थ और उचित कार्रवाई हेतु अपनी सिफारिशें सौंप दीं। मुद्दा मुख्य रूप से पूरे विश्वविद्यालय को आरक्षण की एक इकाई मानने का है।

अंतर मंत्रालयी समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की कि (1) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के मामले में, सभी विश्वविद्यालय, समवत विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थान और केंद्र, यथा प्रयोज्य सभी स्तर के शिक्षकों के लिए एक इकाई के रुप में विभाग/विषय को ध्यान में रखते हुए रोस्टर प्रणाली तैयार की जाएगी। (ii) विभागवार / विषयवार रोस्टर प्रत्येक श्रेणी (अर्थात प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर) के पदों की कुल संख्या पर लागू की जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा संख्या 1–7/2017–सीयू–V दिनांक 22.02.2018 के माध्यम से 2006 के यूजीसी दिशानिर्देशों में संशोधन करने और सभी विश्वविद्यालयों को तदनुसार एक महीने के भीतर एक नया रोस्टर तैयार करने के अनुरोध के साथ सहमति व्यक्त की है। तदनुसार, 5 मार्च, 2018 को यीजीसी ने अपने पत्र एफ. 1–5 / 2006 (एससीटी) के माध्यम से उपरोक्त निर्णय को सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया था।

"इकाई के रूप में विश्वविद्यालय" से "इकाई के रूप में विभाग" में बदलने का मामला आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व को कम कर सकता है, विषय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति के माननीय अध्यक्ष द्वारा चर्चा की गई और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की और यूजीसी एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अलग से एसएलपी दायर करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी दायर की। 22 जनवरी, 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को खारिज कर दिया।

विधि एवं न्याय और मानसंसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा **केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 दिनांक 7 मार्च, 2019** प्रकाशित और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) अधिसूचना दिनांक 7.03.2019 को प्रकाशित।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, यूजीसी ने अधिसूचना संख्या 1013 दिनांक 07.03.2019 के साथ मंत्रालय के पत्र

संख्या एफ 38–11 / 2018–सीयू-V दिनांक 07.03. 2019 की एक प्रति भेजी है, जो यूजीसी पत्र संख्या एफ.1–5 / 2006 (एससीटी) दिनांक 07.03.2019 और 8.03.2019 के माध्यम से केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 से संबंधित है, जिसे यूजीसी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है।

केंद्र सरकार ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में अध्यापक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों का आरक्षण होगा, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96–स्था (आवासीय) में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार उस सीमा तक इस प्रकार है, अर्थात्: –

(क) अनुसूचित जातियों के लिए पंद्रह प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए साढ़े सात प्रतिशत, और

(ग) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सत्ताइस प्रतिशत

5.2.10 (नेट परीक्षा) परिणाम घोषित करने के लिए प्रक्रिया और मानदंड

निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:

चरण I: योग्य होने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (सहायक प्रोफेसर के लिए कुल स्लॉट या पात्रता) नेट के दोनों प्रश्नपत्रों में शामिल हुए अभ्यर्थियों के 6% के बराबर हैं।

चरण II: भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कुल स्लॉट अलग–अलग वर्गों को आवंटित किए जाते हैं।

चरण III: 'जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता' के लिए और 'सहायक प्रोफेसर' के लिए विचार करने के क्रम में, अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्नपत्रों में उपस्थित होना होगा और सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक साथ लिए गए दोनों प्रश्नपत्रों में कम से कम 40% कुल अंक और आरक्षित वर्ग से संबंधित सभी अभ्यर्थियों *(अर्थात, एससी, एसटी, ओबीसी (गैर–क्रिमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर से संबंधित) के लिए एक साथ लिए गए दोनों प्रश्नपत्रों में कम से कम 35% कुल अंक* को प्राप्त करना होगा।

चरण IV: किसी विशेष वर्ग के लिए किसी भी विषय में योग्य घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नीचे वर्णित पद्धति के अनुसार ली जाती है, उदाहरण: *अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए 'अर्थशास्त्र' विषय में सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता के लिए योग्य घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या = एससी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या, जो 'अर्थशास्त्र' के लिए एससी वर्ग के लिए एक साथ लिए गए दोनों प्रश्नपत्रों में कम से कम 35% कुल अंक प्राप्त करते हैं (x) चरण II के अनुसार एससी वर्ग हेतु लिए गए कुल स्लॉट (÷) उन सभी विषयों में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या जो एक साथ लिए गए दोनों प्रश्नपत्रों में कम से कम 35% कुल अंक प्राप्त करते हैं।* स्लॉट्स की संख्या के अनुरूप दो प्रश्नपत्रों का कुल प्रतिशत, एससी वर्ग के लिए 'अर्थशास्त्र' में सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता हेतु योग्यता कट–ऑफ निर्धारित करेगा। सभी श्रेणियों के लिए विषय–वार क्वालिफाइंग कट–ऑफ प्राप्त करने के लिए इसी तरह के यार्डस्टिक का उपयोग किया जाता है।

चरण V: सभी अभ्यर्थी, जो दोनों चरण IV के अनुसार प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से 'जेआरएफ के लिए पात्रता और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता' के लिए आवेदन करते हैं, जेआरएफ के लिए विचार किये जाने वाली परिस्थितियों का निर्माण करते हैं।

चरण VI: जेआरएफ प्रदान करने के लिए उपलब्ध स्लॉट की कुल संख्या भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न वर्गों के बीच आवंटित की गई है।

जेआरएफ स्लॉट्स के विषयवार सह वर्ग–वार आवंटन संबंधी प्रक्रिया नीचे दी गई है: उदाहरण: *अनुसूचित जनजाति (एससी) वर्ग = जेआरएफ के लिए योग्य घोषित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और 'अर्थशास्त्र' विषय में सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता = एसटी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने जेआरएफ का विकल्प चुना है और 'अर्थशास्त्र' विषय में सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता हेतु योग्यता प्राप्त की है (x) एसटी वर्ग के लिए उपलब्ध कुल जेआरएफ स्लॉट (÷) सभी विषयों के लिए एसटी वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों की कुल संख्या जिन्होंने जेआरएफ का विकल्प चुना है और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता प्राप्त की है।* जेआरएफ स्लॉट की संख्या के अनुरूप दो प्रश्नपत्रों का कुल प्रतिशत, एसटी वर्ग के लिए 'अर्थशास्त्र' में जेआरएफ के लिए पात्रता हेतु योग्यता कट–ऑफ निर्धारित करेगा ।

5.2.11 अनुसूचित जाति / जनजाति और अल्पसंख्यकों के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात वाले कॉलेज:

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक / अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों की पहुँच को प्रोत्साहित करना है। 3028 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

5.2.12 सामुदायिक कॉलेज योजना:

फरवरी, 2012 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्री के सम्मेलन की एक समिति की सिफारिशों पर उच्च शिक्षा के लिए छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे सामुदायिक कॉलेजों की तर्ज पर मौजूदा कॉलेजों / पॉलीटेक्निकों से शैक्षिक वर्ष 2013–14 से प्रायोगिक आधार पर 200 सामुदायिक कॉलेजों के संचालन की योजना शुरू की गई। ये कॉलेज स्थानीय समुदाय विशेष रूप से, जनसंख्या के हाशिए वाले वर्गों को दाखिला में प्राथमिकता देते हैं। यूजीसी ने 109.90 करोड़ के वित्तीय परिव्यय सहित 199 सामुदायिक कॉलेजों को मंजूरी दे दी है, जो इन संस्थानों में व्यावसायिक कार्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों को सीधा लाभ देगा।

5.2.13 सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फैलो:

यूजीसी ने एक नई योजना, भाषा सहित सामाजिक विज्ञान में डॉ एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फैलो शुरू की हैं। इस योजना के तहत चयनित शोधार्थियों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 प्रति माह + एचआरए आदि की दर से 300 फेलोशिप प्रदान की जाएगी। आरक्षण: अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

5.2.14 ईशान उदय:

यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2014–15 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए "ईशान उदय" विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना में अनुदान की परिकल्पना की गई है जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र के ऐसे छात्रों के लिए 10,000 विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिनकी पैतृक आय 4.5 लाख प्रति वर्ष से कम है और उन्हें देश के कॉलेजों / विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन के लिए प्रति माह 5,400 से 7,800 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। पिछले 2 वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	एससी छात्र	एसटी छात्र
2017-18	1066	2703
2018-19	1240	2702

5.3 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम / योजनाएँ

5.3.1 अनुसूचित जाति / जनजाति योजना के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए एआईसीटीई योजना:

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति / जनजाति

वर्ग से संबंधित छात्रों / शोधकर्ताओं के लिए आवासीय आवास प्रदान करने के लिए लड़कियों / लड़कों के छात्रावास के निर्माण के लिए सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों को सहायता देना है। पिछले पाँच वर्षों से विद्यमान और पिछले तीन वर्षों से नामांकित 150 से अधिक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्र वाले सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय विभाग अनुदान के पात्र हैं। 3.00 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक की राशि 03 किस्तों में संवितरित की जानी है। वर्ष 2012–13 के बाद से, छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुदान जारी किए गए है, 94 संस्थानों को 144.09 करोड़ रुपए जारी किए गए है। 32 छात्रावासों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।

5.3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केंद्र के लिए एआईसीटीई योजना:

इस केंद्र का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों को संस्थानों में सभी स्तरों पर इंजीनियरिंग अवर स्नातक / डिप्लोमा छात्रों में उभरते रोजगार अवसरों को देखते हुए स्वयं को पुनः प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। यह नियमित अध्ययन के अलावा विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों को सशक्त बनाता है। अंग्रेजी भाषा में संचार, व्यक्तित्व विकास और प्रवीणता संबंधी मॉड्यूल की सहायता से अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अभ्यर्थियों के कौशल को बढ़ाना।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और उन्हें बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करेगा ताकि उद्योग में उनकी रोजगार क्षमता बढ़े। अधिकतम निधियन 25 लाख तक सीमित है और परियोजना की अवधि तीन वर्ष है। यह योजना वर्ष 2014–15 के दौरान शुरू की गई थी, जिसके लिए वर्ष 2016–17 के दौरान धनराशि जारी की गई थी।

5.3.3 गेट अर्हता प्राप्त वाले एमई / एम.टेक छात्रों के लिए एआईसीटीई की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रवृत्ति:

पोस्ट ग्रेजुएट छात्रवृत्ति गेट योग्य एमई / एम.टेक छात्रों और जीपीएटी योग्य एम.फार्मा को दी जाती है। छात्र लिंग की परवाह किए बिना पीजी कार्यक्रम में 18 छात्रों के एक बैच के लिए, 2 छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के लिए और 1 छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए आरक्षित है।

5.3.4 तकनीकी शिक्षा पहल में लड़कियों की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना(प्रगति) – एआईसीटीई:

इसका लक्ष्य तकनीकी शिक्षा ले रही लड़कियों की उन्नति हेतु सहायता प्रदान करना है। प्रति परिवार दो बालिकाएं पात्र हैं, जिनकी परिवार की आय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 8 लाख से अधिक नहीं हो (विवाहित लड़की के मामले में, माता–पिता / ससुराल की आय, जो भी अधिक होगी, माना जाएगा)। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी के लिए 27% है। चयनित अभ्यर्थियों को 50,000/– रुपये (10 महीने के लिए 20000 आकस्मिक राशि और ट्यूशन शुल्क के लिए 30,000 रुपये) की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर वर्ष 2018–19 के दौरान प्रगति योजना के तहत 5142 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

5.3.5 एआईसीटीई की ट्यूशन शुल्क छूट योजना:

यह योजना 3/4 वर्षों के बैचलर प्रोग्राम, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाने वाले सभी एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इन दाखिलों के लिए प्रति पाठ्यक्रम संस्वीकृत इनटेक की

अधिकतम 5% सीटें उपलब्ध हैं। ये सीटें अधिसंख्यक प्रकृति की हैं। ऐसे माता–पिता के बेटे और बेटियां, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 6.0 लाख रुपए से कम है, केवल वही इस योजना के तहत पात्र हैं।

5.3.6 सीएसआईआर / डीआरडीओ में पीएचडी करने के लिए एआईसीटीई छात्रवृत्ति:

एआईसीटीई ने सीएसआईआर / डीआरडीओ प्रयोगशालाओं या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पीएचडी करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 1000 छात्रवृत्ति की घोषणा की है: इस उद्देश्य के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान सरकार के मानदंडों के अनुसार किया जाता है। आरक्षण: अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

5.3.7 दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई की सक्षम छात्रवृत्ति:

इसका उद्देश्य 40% से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। एससी के लिए आरक्षण 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी के लिए 27% है। चयनित अभ्यर्थियों को 50,000/– रुपये (10 महीने के लिए 20,000 रुपए आकस्मिकता राशि और ट्यूशन शुल्क के लिए 30,000 रुपये) की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अभ्यर्थियों का चयन किसी भी एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से संबंधित तकनीकी डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम ग्रहण करने के लिए योग्यता परीक्षा के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2018–19 के दौरान 513 छात्रों ने इस योजना के तहत लाभ उठाया है।

5.3.8 प्रेरणा (एआईसीटीई की नई योजना):

इस योजना का उद्देश्य गेट/जीपीएटी/कैट/ सीएमएटी/ टीओईएफएल / आईईएलटीएस और जीआरई जैसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री–फाइनल और फाइनल वर्ष के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। संस्थान में पिछले 3 वर्षों के दौरान औसतन 50 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों की नामांकन संख्या होनी चाहिए। कार्यक्रम के लिए तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करने हेतु अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये है। वर्ष 2018–19 के दौरान 49 संस्थानों के 2000 छात्र इस योजना से लाभान्वित हुए है ।

5.3.9 समृद्धि (एआईसीटीई की नई योजना):

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी औपचारिक शिक्षा समाप्त होने के बाद या उनकी शिक्षा के अनुसार एआईसीटीई की स्टार्टअप नीति के अनुसार उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने व्यवसाय / स्टार्टअप की योजना बनाने, शुरू करने और चलाने में मदद करना है। इस योजना के तहत 20 लाख रुपये की कुल धनराशि (जिसमें 1 लाख / वर्ष का आवर्ती अनुदान होगा) प्रदान की जाती है। 11 संस्थानों के 99 छात्रों ने इस योजना का लाभ उठाया।

5.3.10 गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआपी):

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में डिग्री स्तर के संस्थानों के संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता और क्षमताओं का उन्नयन करना है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को मास्टर/ डॉक्टोरल डिग्री हासिल करना और अध्ययन संस्थानों के परिवेश से जोड़ते हुए उनमें अनुसंधान संस्कृति और बेहतर शिक्षण क्षमता संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2018–19 के दौरान, एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के संकाय द्वारा एम.टेक और पीएचडी करने के लिए 21.71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

5.3.11 राष्ट्रीय डॉक्टोरल फैलोशिप (एनडीएफ):

एआईसीटीई ने एआईसीटीई के 28 चिन्हित शोध

संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रम के लिए पूर्णकालिक मेधावी छात्रों को दाखिला देने के लिए शैक्षिक वर्ष 2018–19 से राष्ट्रीय डॉक्टरल फेलोशिप (एनडीएफ) योजना शुरू की थी। चयनित अभ्यर्थी सरकारी मानदंडों के अनुसार 28,000/– रुपये माह फेलोशिप और मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15000/– रुपए की राशि के रूप में आकस्मिक अनुदान भी विद्वानों को उपलब्ध है। योजना की अवधि 3 वर्ष है। हालांकि, विशेष मामलों में 2 बार 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। फरवरी 2019 तक इस योजना के तहत दाखिला प्राप्त विद्वानों को फैलोशिप / मकान किराया भत्ता और आकस्मिक अनुदान के रूप में 3.26 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

5.4 आईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान किए गए लाभ

क. विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सीटों का आरक्षण।

ख. जेईई के माध्यम से दाखिले के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट।

ग. यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटें पूरी तरह से भरी नहीं गई हैं, तो दाखिला मानदंडों में और ढील देने के आधार पर सीमित संख्या में अभ्यर्थियों को एक साल के तैयारी पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए चयन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा सूची से किया जाता है। जो दाखिला के लिए योग्य नहीं थे। आईआटी में प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर, वे बी.टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और उन्हें दोबारा जेईई में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।

घ. सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों को ट्यूशन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ङ. अधिकांश आईआईटी बी.टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निवास स्थान से संस्थान तक यात्रा के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों को यात्रा भत्ता (द्वितीय श्रेणी ट्रेन किराया / साधारण बस किराया) दे रहे हैं।

च. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनकी पैतृक आय 4.5 लाख प्रति वर्ष से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसमें 250/– प्रति माह रुपये का पॉकेट मनी और मूल मेनू पर मुफ्त मेस सुविधा भी शामिल है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए एक सेमेस्टर के लिए निः शुल्क बुक बैंक सुविधा प्रदान की जाती है।

5.5 एनआईटी द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान किए गए लाभ :

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) केंद्रीय रुप से वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और इसे 15 अगस्त, 2007 को अधिनियमित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 के तहत 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है।

एनआईटी और आईआईईईएसटी शिबपुर के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में छात्रों द्वारा सुरक्षित रैंक और बाद में संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोसा) द्वारा आयोजित काउंसलिंग पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन इन 32 संस्थानों में छात्रों को सीटें आवंटित करते समय किया जाता है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से स्नातक स्तर पर पूर्ण ट्यूशन फीस माफी मिल रही है।

5.6 राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (एनयूईपीए) द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लिए प्रदान किए गए लाभ

i. भारत सरकार के मानकों के अनुसार दाखिले में आरक्षण का पालन एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रमों में दाखिले के लिए किया जाता है।

ii. एम.फिल और पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है।

iii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्कॉलरों को 5% अंकों की छूट, 55% से 50% या ग्रेड के बराबर छूट की अनुमति दी जाती है।

iv. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति स्कॉलरों सहित सभी स्कॉलरों को एनयूईपीए द्वारा 16000/– रुपये– जेआरएफ और 18000/– रुपए–एसआरएफ की फैलोशिप प्रदान की गई।

v. दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहरी स्टेशन से संबंधित सभी महिला स्कॉलरों के लिए छात्रावास की सुविधा

5.7 आईआईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

i. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार सीटों का आरक्षण।

ii. सभी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केंद्रीय रूप से वित्तपोषित आईआईआईटी में शिक्षण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जबकि आईआईआईटी पीपीपी के गवर्निंग बोर्ड को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है।

iii. योग्य छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और दिव्यांगता विभाग की छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

5.8 इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लिए प्रदान किए गए लाभः

क्षेत्रीय सेवा प्रभाग (आरएसडी) की स्थापना फरवरी 1986 में देश भर में क्षेत्रीय केंद्रों, अध्ययन केंद्रों और विश्वविद्यालय की छात्र सहायता सेवाओं के संचालन के लिए की गई थी। वर्तमान में पूरे भारत में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 65 अध्ययन केंद्र चल रहे हैं/ सक्रिय हैं।

इग्नू ने राष्ट्र के उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की है क्योंकि ये राज्य एसटी आबादी के साथ अत्यधिक आबादी वाले हैं।

क्षेत्रीय केंद्र स्थानीय मेलों, त्यौहारों में भी भाग लेते हैं और अपने शैक्षणिक, पेशे और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम / कार्यक्रमों का चयन करने में छात्रों की मदद करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते हैं। विश्वविद्यालय ने एससीएसपी और टीएसपी योजना प्रस्ताव के तहत छात्रों के लिए एससी / एसटी से संबंधित उपचारात्मक शैक्षणिक परामर्श सत्र प्रस्तावित किया है। विश्वविद्यालय सरकार से सामाजिक घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) अनुदान के तहत शुल्क में छूट दे रहा है। यह जुलाई 2018 सत्र तक लागू रहा।

इग्नू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों के छात्रों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुल्क छूट / वित्तीय सहायता योजना लागू कर रहा है। एससी/एसटी के लिए प्रतिपूर्ति योजना जनवरी 2019 से लागू की गई है।

5.9 अन्य मंत्रालयों की छात्रवृत्ति योजनाएं:

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रही है। छात्रवृत्ति योजनाओं में से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजनाएँ:

(i) **एससी छात्र को प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति:** प्री–मैट्रिक योजना का उद्देश्य एससी बच्चों के माता–पिता को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्थन करना है, ताकि इस स्तर पर ड्रॉप आउट की घटना कम से कम हो।

(ii) **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति उन लोगों के बच्चों को दी जा रही है जो सफाई से जुड़े हैं और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से ग्रस्त हैं:** यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना भी है, जिसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिन्हें योजना के तहत कुल खर्च के लिए भारत सरकार से 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है, जो उनकी संबंधित प्रतिबद्ध देयता से अधिक है।

(iii) **अनुसूचित जाति के छात्रों (पीएमएस–एससी) के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति:** इस योजना के तहत, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ट्यूशन और अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के वे छात्र, जिनकी पारिवारिक आय रु. 2.5 लाख प्रति वर्ष तक है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(iv) **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तर की शिक्षा:** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उन्हें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, प्रतिष्ठित मेडिकल/ कानून और अन्य संस्थानों जैसे उत्कृष्ट अधिसूचित संस्थानों में 12 वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संस्थानों में से किसी में प्रवेश पाने के लिए पात्र एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के वे छात्र, जिनकी पारिवारिक आय रु. 6 लाख प्रति वर्ष तक है, छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(v) **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप की केंद्रीय क्षेत्र योजना:** यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल., पीएच.डी. और समकक्ष शोध डिग्री आदि जैसे अनुसंधान अध्ययन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत, अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति वर्ष 2000 अनुसंधान फैलोशिप प्रदान की जाती है।

(vi) नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप: इस योजना के तहत, अध्ययन के निर्दिष्ट क्षेत्र में विदेश से मास्टर स्तर के पाठ्यक्रमों और पीएचडी कार्यक्रमों में अध्ययन के लिए चयनित अनुसूचित जाति, वंचित, घुमंतू, अर्ध–घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से संचालित की जाती है। रु. 6.0 लाख प्रति वर्ष तक की पारिवारिक वाले आय अनुसूचित जाति के छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएँ:

(vii) कक्षा IX और X में अध्ययनरत जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति: इस योजना के उद्देश्य हैं: (क) IX और X कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के बच्चों के माता–पिता की सहायता करना ताकि ड्रॉप–आउट, विशेष रूप से प्राथमिक से माध्यमिक स्तर में अंतरण को कम से कम किया जाए और (ख) प्री–मैट्रिक स्तर की नौवीं और दसवीं कक्षा में एसटी बच्चों की भागीदारी को बेहतर बनाना ताकि वे बेहतर प्रदर्शन करें और शिक्षा के पोस्ट मैट्रिक स्तर तक प्रगति की बेहतर संभावना हो।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति: यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट–सेकेंडरी स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है जिनके माता–पिता/अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

(ix) एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति: पूर्ववर्ती दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं अर्थात् एसटी छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आरजीएनएफ) और एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पूर्व में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शीर्ष स्तर की शिक्षा के लिए "एसटी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति" नामक एक एकल केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय कर दिया गया था। इस विलय योजना के तहत, एसटी छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उच्च अध्ययन जैसे कि एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम करने के लिए फैलोशिप प्रदान की जाती है, अनुसंधान छात्रों को यूजीसी फैलोशिप की तर्ज पर नियमित और पूर्णकालिक आधार पर इस तरह के पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को फैलोशिप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, मेधावी एसटी छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों, उत्कृष्ट संस्थानों, सरकारी और निजी संस्थानों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।

(x) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति: यह योजना विदेश में मास्टर स्तर पर कुछ विषयों और पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम में उच्च अध्ययन के लिए चुने गए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

योजना के तहत शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूदा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

और माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास को कक्षा–बारहवीं तक आवासीय और स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए बढ़ाया गया है।

यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित कक्षा छठी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करने के इच्छुक 10–18 वर्ष की आयु की लाभवंचित समूहों की लड़कियों को प्राथमिक से माध्यमिक और बारहवीं कक्षा तक जहाँ भी संभव हो का सुचारू अंतरण सुनिश्चित करने के लिए पहुँच और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करती है। केजीबीवी प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ईबीबी) में कक्षा छठी–बारहवीं तक की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान करता है।

इस योजना को 29 राज्यों नामतः असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है।

जनशक्ति लागत सहित सभी खर्चों के लिए केजीबीवी को आवर्ती अनुदान निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

i) कक्षा VI से VIII तक के लिए टाइप–I / प्रति वर्ष रु. 60 लाख तक;

ii) कक्षा VI से X के लिए टाइप–II / प्रति वर्ष रु. 80 लाख तक;

iii) VI से XII कक्षा के लिए टाइप–III / प्रति वर्ष 1 करोड़ रु. तक

iv) IX से XII तक की कक्षाओं के लिए टाइप–IV मौजूदा स्टैंड–अलोन गर्ल्स हॉस्टल / प्रति वर्ष 25 लाख रु. तक।

वर्ष 2018–19 तक समग्र शिक्षा के तहत 725700 बालिकाओं की क्षमता वाले कुल 5970 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं। उसमें से 590963 बालिकाओं (क्षमता का 81.34%) के साथ 4841 (81.09%) कार्यात्मक हैं। 590963 बालिका नामांकन में से, 163220 अनुसूचित जाति समुदाय (27.62%), 156087 एसटी (26.41%), 195925 ओबीसी (33.15%), 31171 मुस्लिम (5.27%) और 44560 बीपीएल श्रेणी (7.54%) से हैं। वर्ष 2018–19 में समग्र शिक्षा के तहत 1,232 केजीबीवी का कक्षा XI –XII तक उन्नयन किया गया है।

❖ ❖ ❖

2

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

क. उच्चतर शिक्षा विभागः

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई):

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को हुई थी जिसका कार्य अपनी पसंद और अन्य संबद्ध मामलों की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासित करने तथा संबद्ध मामलों पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना था। इस आयोग की शक्तियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 और 2010 के माध्यम से और अधिक बढ़ाया गया है। यह आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान (1.4.2018 से 31.01.2019 तक) आयोग में कुल 1030 याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। 1030 मामलों में से, 491 मामलों का कोर्ट में निपटान किया गया था जिनमें पुराने मामले भी शामिल थे।

आयोग ने 156 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए हैं। आयोग द्वारा कुल 13551 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाण पत्र जारी किए हैं।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई):

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा निगरानी समिति (एनएमसीएमई) माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 3 अगस्त, 2017 को पुनर्गठित की गई थी। इस समिति में प्रख्यात शिक्षाविद, संसद सदस्य, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

3. मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापनाः

रूसा योजना के पहले चरण के दौरान, 60 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में कुल 60 मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए थे। अल्पसंख्यक केंद्रित जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की कुल संख्या 25 है जहां धनराशि जारी की गई है। इन कॉलेजों में से 14 एमडीसी को यूजीसी द्वारा कार्यान्वित मॉडल डिग्री कॉलेजों की पूर्ववर्ती योजना के तहत रूसा के शुभारंभ से पहले अनुमोदित किया गया था।

वर्ष 2018–20 की अवधि के लिए रूसा योजना के दूसरे चरण के दौरान, 70 मॉडल डिग्री कॉलेजों (एमडीसी) को आकांक्षी जिलों, असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में अनुमोदित किया गया है।

4. महिला छात्रावासः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य को प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावना का लाभ उठाने हेतु छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एवं महिला–पुरूष समानता लाने और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व करने हेतु महिला छात्रावास के निर्माण की योजना कार्यान्वित कर रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर 2291 छात्रावास स्वीकृत थे जिनमें से प्रधानमंत्री के नए 15 बिन्दु कार्यक्रम और सच्चर समिति

की सिफारिशों के तहत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 378 (16.49%) महिला छात्रावास संस्वीकृत किए गए थे।

5. समान अवसर प्रकोष्ठः

चूंकि उच्चतर शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक समानता हेतु एक साधन है, यूजीसी भारत सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करके एवं लाभवंचित समूहों हेतु कई योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करके तथा सामाजिक असमानता को दूर करके पहुंच, साम्यता, समानता के राष्ट्रीय सरोकारों का समाधान कर रही है। लाभावंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाधाओं के लिए कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजीसी ने लाभवंचित समूहों हेतु नीतियों और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और अकादमिक, वित्तीय सामाजिक और अन्य मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की एक योजना प्रारंभ की है।

पात्रताः

इस योजना के तहत उन विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो धारा 2 (च) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12 (ख) के तहत केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की सीमा

2.00 लाख रुपए प्रति योजना

कॉलेज के लिए अनुदान की सीमा

स्नातकोत्तर	प्रति वर्ष 75,000/– रुपए
अवर स्नातक	प्रति वर्ष 55,000/– रुपए

अवधि : 5 वर्ष

XIIवीं योजना (2012–17) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल 5.55 करोड़ रूपये जारी किए गए।

6. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधनः

XIवीं योजना के दौरान उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु अकादमियां शुरू की गई थीं। ये अकादमियां तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, (एएमयू), अलीगढ़ जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), हैदराबाद में स्थापित की गई हैं।

एएमयू में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (पत्र सं0 एफ–49–3/2004 (सीवी) दिनांक 30 अक्तूबर, 2006 एएमयू कैम्पस में स्थापित एक उर्दू अकादमी है। हाल ही में, एएमयू ने अपने संचालन और शिक्षण में सुधार करने के लिए विख्यात संकायों को नियुक्त किया है। अकादमी उर्दू भाषा के व्यावसायिक विकास के लिए उर्दू स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित करती है। यूजीसी द्वारा अकादमी को सौंपे गए मुख्य कार्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है। उर्दू भाषा के विकास और अकादमी के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का प्रस्ताव हैः

- 18.1.2018 से 24.1.2018 तक सात दिनों का रिफ्रेशर कोर्स जिसमें "प्रतिभागियों को भाषा और साहित्य की शिक्षण पद्धति" पर एएमयू स्कूलों के शिक्षकों सहित 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 11.2.2018 से 17.2.2018 तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसमें "भाषा और साहित्य की शिक्षण पद्धति" पर एएमयू स्कूल के शिक्षकों सहित 24 प्रतिभागी शामिल थे।
- सर सैय्यद अहमद खान और उनकी दूरदृष्टि पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

08.01.2018 से 10.01.2018 तक सीपीयूटी उर्दू अकादमी द्वारा राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया।

- सम्मेलन/सगोष्ठी/कार्यशालाओं के संकाय की भागीदारी : 13

एएमयू में आवासीय कोचिंग अकादमी है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना ''अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना'' की संस्वीकृति के अनुपालन में वर्ष 2010 में रजिस्ट्रार, एएमयू की अधिसूचना के माध्यम से तत्कालीन कोचिंग और मार्गदर्शन केंद्र के साथ विलय करके स्थापित किया गया था जो निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित करता है:

I. एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए:

- 87 छात्रों हेतु सिविल सर्विस कोचिंग कार्यक्रम;

  (चयन 8 सितंबर, 2018 को आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा पर आधारित)
- 75 छात्रों हेतु न्यायिक सेवा कोचिंग कार्यक्रम;

  (चयन दिनांक 25 सितंबर, 2018 को आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा पर आधारित)
- आवास: शेरवानी हॉल में 64 लड़के और आरसीए बालिका छात्रावास में 18 लड़कियां।
- 109 छात्रों के लिए कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल/बैंक प्रोबेशनरी अधिकारी कोचिंग कार्यक्रम

  (चयन 25 सितंबर, 2018 को आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा पर आधारित)

II. केवल एएमयू छात्रों के लिए:

- यूजीसी–नेट (पेपर–I) विभिन्न विभागों के 125 छात्रों के लिए कला और मानविकी हेतु।

  मदरसा शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसओई), शिक्षा विभाग, एएमयू, अलीगढ़ (यूपी)

लक्ष्य: एक वर्ष में 1200 मदरसा शिक्षक प्रशिक्षण

उपलब्धि:

भारत के विभिन्न राज्यों से मदरसा शिक्षकों के लिए 06 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (विवरण के अनुसार)

- 2018–19 (18 जुलाई – 19 जनवरी) कार्यक्रमों की संख्या – 16 लाभार्थी – 751
- 2017–18 (18 जनवरी – 18 मार्च) कार्यक्रमों की संख्या – 08 लाभार्थी – 330
- 2018–19 (18 अप्रैल – 15 मार्च) कार्यक्रमों की संख्या – 26 लाभार्थी की संख्या – 942

बजट प्रस्तावित	आवर्ती गैर–आवर्ती	रू.03.87 करोड़ (03 वर्ष) रू.49.00 लाख (03 वर्ष)
बजट प्रस्तावित	आवर्ती गैर–आवर्ती	रू.01.269 करोड़ (प्रति वर्ष) रू.49.00 लाख (03 वर्ष)
एमएचआरडी द्वारा स्वीकृत और जारी अनुदान	आवर्ती गैर–आवर्ती	रू.01.29 करोड प्रति वर्ष) रू. 24.00 लाख (03 वर्ष)
वास्तविक व्यय	आवर्ती गैर–आवर्ती	रू..105.59 लाख रू. 24.47 लाख
प्रतिबद्ध व्यय	आवर्ती गैर–आवर्ती	रू.23.00 लाख (मार्च –2019 तक) रू.24.43 लाख (मार्च–2020 तक)
गतिविधि	10.3.2019 से 15.3.2019 तक मदरसा शिक्षक के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	

क्र. सं.	सत्र	कार्यक्रम	विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों की संख्या
1.	2017-18	8	330
2.	2018-19	16	751
कुल		24	1081
28.02.2019 से 05.03.2019 और 10.03.2019 से 15.03.2019 तक 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए		04	191
कुल योग		**28**	**1272**

उर्दू माध्यम व्यावसायिक विकास अकादमी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली की शुरुआत ग्यारहवीं योजना के दौरान हुई थी (30 अक्टूबर 2006 को पत्र क्रमांक एफ–49–3/2004.(सीयू) द्वारा। इसमें मदरसों सहित उर्दू माध्यम स्कूलों और उन स्कूलों जहाँ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उर्दू को पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, की जिम्मेदारी है।

अकादमी को विभिन्न राज्यों के इन–सर्विस उर्दू शिक्षकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व दिया गया था। अपनी स्थापना के बाद से, अकादमी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उर्दू स्कूल शिक्षकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण देने के कार्य में लिए लगी हुई है।

उपर्युक्त इन–सर्विस उर्दू शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, अकादमी के चार प्रमुख क्षेत्रों में सामग्री उत्पादन, प्रेरणा कार्यक्रम, मार्गदर्शन और सूचना और अन्य पाठ्यक्रम थे। अपने उद्देश्यों के अनुसार, यह वर्षों से कई गुना शैक्षणिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब तक, अकादमी ने निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

(क) शैक्षणिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम	संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1.	दीक्षांत	01	550
2.	ओरिएंटेशन प्रोग्राम	39	1452
3.	कार्यशाला	28	322
4.	प्रेरक कार्यक्रम	02	86
5.	राष्ट्रीय संगोष्ठी	03	67
6.	शिक्षक मुशायरा (शिक्षक दिवस)	01	20

कुल प्रतिभागी: 2497

(ख) उत्पादित सामग्री

क्र.सं.	समग्री	संख्या
1.	पांडुलिपि के रूप में **"राहनुमा–ए–तलफुज़"** (उच्चारण अभ्यास)	01
2.	**''रहनुमा–ए–तलफुज''** (उच्चारण अभ्यास) रिकॉर्ड किए गए रूप में	01
3.	सिविल सर्विसेज पेपर–I के उम्मीदवारों के लिए उर्दू अध्ययन सामग्री	01
4.	सिविल सर्विसेज पेपर–II के उम्मीदवारों के लिए उर्दू अध्ययन सामग्री	01
5.	एससीईआरटी, नई दिल्ली के सहयोग से टी.जी.टी. उर्दू के लिए मैनुअल और कोर्स डिजाइन	01
6.	एससीईआरटी, नई दिल्ली के सहयोग से पी.जी.टी. उर्दू के लिए मैनुअल और कोर्स डिजाइन	01

क्र.सं.	समग्री	संख्या
7.	एससीईआरटी, नई दिल्ली के सहयोग से उर्दू कक्षा VI, VII, VIII के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन पर मैनुअल और पाठ्यक्रम डिजाइन	01
8.	पांडुलिपि के रूप में ''उर्दू में बुनियादी साहित्यिक शब्द'' की तैयारी	01
9.	**रहनुमा–ए–मोटारजिम,** राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, (सीआईआईएल मैसूर) के सहयोग से	01
10.	यूटीआरसी, लखनऊ के सहयोग से यूटीआरसी सोलन के शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए उच्चारण अभ्यास	01
11.	तदरीस नामा का प्रारूप, (त्रैमासिक शैक्षिक पत्रिका)	01
12.	यूटीआरसी, लखनऊ के सहयोग से **''फरहंग–ए–मोरक्कबत–ए–गालिब''**	01
13.	तदरीस नामा	08

यह उल्लेखनीय है कि उर्दू अकादमी, जेएमआई ने अपनी शिक्षण क्षमताओं में सुधार करने के साथ–साथ उर्दू के विद्वानों के लिए और साथ ही साथ उनके शिक्षण कौशल में सुधार के लिए उर्दू शिक्षकों के लिए **12 शिक्षण और पठन सामग्री** (पांडुलिपि प्रपत्र और ऑडियो फॉर्म आदि) तैयार की है।

साहित्यिक और शैक्षिक पत्रिका तदरीस नामा का प्रकाशन भी उर्दू अकादमी के सामग्री उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तदरीस नामा के सात (07) अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। अकादमी इस अवधि के दौरान उसे सौंपी गई गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा जनवरी 1998 में एक अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र के साथ की गई थी। विश्वविद्यालय को निर्देश के माध्यम के रूप में उर्दू के माध्यम से सामान्य, व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करने का एक अनूठा गौरव है। उर्दू मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से की मातृभाषा होने के नाते यह देश में अधिकांश अल्पसंख्यक आबादी की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करती है, स्थापित स्कूलों, केंद्रों, संस्थानों और उपग्रह परिसरों के साथ शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और आउटरीच के माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय यूजीसी के माध्यम से अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए एमएचआरडी द्वारा निधिबद्ध दो केंद्र चला रहा हैं अर्थात:

1. उर्दू माध्यम के शिक्षकों का व्यासायिक विकास केन्द्र (सीपीडीयूएमटी

उर्दू माध्यम के शिक्षकों का व्यासायिक विकास केन्द्र (सीपीडीयूएमटी को प्रभावशाली शिक्षण की कला में सुधार करने और उन्हे शिक्षास्त्र के नवीनतम विकास की जानकारी देने के लिए उर्दू माध्यम के स्कूलों और मदरसों के सेवाकालीन उर्दू शिक्षकों, उर्दू माध्यम के शिक्षकों को समर्थ बनाने के लिए अक्तूबर 2006 में स्थापित किया गया। सीपीडीयूएमटी ने स्कूलों और *मदरसों* के उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लक्ष्य से विभिन्न कार्यकलाप आयोजित किए।

केन्द्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :

1. शिक्षकों को शिक्षास्तर, शैक्षिक मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में नवीनतम विकास और नवाचार की जानकारी देना।
2. मदरसा शिक्षकों को मुख्य धारा के शिक्षकों के समकक्ष प्रशिक्षण देना।

3. नए अनुसंधान और प्रविधिओं के अनुसार शिक्षकों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए उनके संबंधित विषयों में शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना।

4. उर्दू माध्यम के स्कूलों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण, कप्यूटर इंटरनेट आदि में जागरूकता बढ़ाना।

5. उर्दू माध्यम की शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए परस्पर संपर्क बनाने के लिए उर्दू माध्यम शिक्षण समुदाय, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के लिए मंच उपलब्ध करना।

6. केंद्र के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उर्दू अकादमियों, एससीईआरटी, एनसीईआरटी और अन्य सार्वजनिक और निजी एजेंसियों से संपर्क बनाना।

केन्द्र ने अब तक देश भर में इकसठ अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें से बयालीस (42) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शिक्षकों और उन्नीस (19) कार्यक्रम मदरसा शिक्षकों के लिए आयोजित किए गए।

सीपीडीयूएमटी ने 6 राज्यों के 30 से भी अधिक शहरों में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम हैदराबाद और तेलांगना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और ओडिशा के अन्य जिलों में आयोजित किए गए; समग्र रूप से सीपीडीयूएमटी से सैकड़ों स्कूलों और मदरसों के तीस हजार साठ (3060) शिक्षकों को लाभ हुआ। केन्द्र ने उर्दू माध्यम के शिक्षकों की समस्याओं के पहचान कर उसका उपाय करने के लिए सर्वेक्षण भी आयोजित किए। केन्द्र ने आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि आरंभ किए। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने विशेष रूप से सामान्य और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की उर्दू बोलने वाली जनसंख्या के लाभ के लिए उर्दू संस्कृति अध्ययन केन्द्र, उर्दू ज्ञान संवर्धन केन्द्र के सहयोग से सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करवाई।

2) सीएसई – आवासीय कोचिंग अकादमी (सीएसई – आरसीए)

क) पृष्ठभूमिः यूजीसी ने एमएएनयूयू, हैदराबाद कैंपस में अल्पसंख्यकों/एससी/एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया और दिनांक 09 सितंबर, 2009 के पत्र डीओ संख्या एफ 56–1/2009 (सीयू) माध्यम से सितंबर, 2012 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए 828.78 लाख रूपए की राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसलिए, आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरी), भारत सरकार की पहल पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2009 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यकों/एससी/एसटी/महिलाओं के बीच आकांक्षियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूजीसी द्वारा शुरू की गई थी। यूजीसी द्वारा केवल 5 आरसीए को

अनुमोदित किया गया था। ऐसी ही एक अकादमी मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविालय में स्थापित की गई है और इसे सिविल सेवा परीक्षा – आवासीय कोचिंग अकादमी (सीएसई–आरसीए) नाम दिया गया है।

ख) **स्कोपः** विश्वविद्यालयों में आवासीय कोचिंग अकादमी की स्थापना अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अल्पसंख्यक/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला आकांक्षियों को आवासीय सुविधा के लिए विभिन्न अल्पसंख्यक प्रतियोगी परीक्षाओं (यूपीएससी) एसपीएससी, आरआरबी, एसएससी आदि) में सफल होने के लिए उनके कोचिंग अवधि के दौरान की गई थी।

ग) **उद्देश्यः** देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को भारतीय सिविल सेवा जैसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक पदों और विभिन्न सेवाओं में प्रवेश के लिए अन्य परीक्षाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए उचित कोचिंग प्रदान करना।

घ) **लक्ष्य समूहः** वर्ष 2009 में एमएएनयूयू में स्थापित आवासीय कोचिंग अकादमी अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को कोचिंग प्रदान करने और परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित थी। इसने इन वर्गों के उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा किया जो निजी संस्थानों से गुणात्मक कोचिंग और परामर्श नहीं ले सकते। इन उम्मीदवारों में से कई अपने परिवार में पहली पीढ़ी के स्नातक हैं जो विभिन्न सेवाओं के लिए उन्हें तैयार करने के लिए मेंटर नहीं हो सकते थे। उनमें से अधिकांश सुदूर गांवों और समाज की निम्न दर्जे से हैं जिनकी आईसीटी सक्षम सुविधाओं और मार्गदर्शन सेवाओं के अलावा उचित पुस्तकालय तक पहुंच कम हैं।

ङ) **सृजित सुविधाएंः** आरसीए के पास एक अलग भवन है जिसमें अत्याधुनिक सुविधा के साथ एमएएनयूयू, हैदराबाद परिसर में ऑडियो–विजुअल क्लास रूम, सेमिनार हॉल, चौबीसों घंटे पहुंच केंद्रीकृत कंप्यूटर सुविधाएं, पुस्तकालय आदि है। पुस्तकालय में लगभग 3000 पुस्तकों की खरीद की गई है जिनमें पाठ और संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं, और आकाक्षियों की जरूरतों के अनुसार, विभिन्न जर्नल, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों (अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू) की सदस्यता भी ली है। सभागार में एक सार्वजनिक संवर्धन प्रणाली और एक एलसीडी प्रोजेक्टर तथा कक्षाओं में एयर कंडीशन के साथ सहायक शिक्षण युक्त अन्य आवश्यक फर्नीचर हैं।

च) **कार्य निष्पादनः** अकादमी ने 15 कोचिंग कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसके तहत लगभग 882 उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं। अकादमी से कोचिंग प्राप्त करने वाले उम्मीदवार बैंकिंग भर्ती, राज्य लोक आयोग, शिक्षक भर्ती और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में सफल रहे हैं।

सिविल सेवा के लिए कोचिंग कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	कोचिंग कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
1	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2010	62
2	यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स 2010	17
3	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011	46
4	यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स 2011	20
5	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2012	75
6	यूपीएससी सिविल सेवा मेन 2012	45
7	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2013	75
8	यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स 2013	74
9	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2014	79
10	यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स 2014	04
11	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिम्स 2015	72
12	यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स 2015	04
13	यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2016	82
14	यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स 2017	100
15	यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक 2018	127 (24 दिवसीय विद्वान छात्र)
	कुल	**882**

वर्ष 2016–17 के दौरान, अकादमी से बयासी (82) उम्मीदवारों ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग ली, जिसमें से 06 उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। अकादमी ने अल्पसंख्यक छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रख्यात संसाधन व्यक्तियों को अनुबंधित किया।

विश्वविद्यालय ने उच्च स्तर की सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें कई सेवारत सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और प्रशिक्षकों को मूल्यवान इनपुट के लिए और प्रवेशित छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना को सुदृढ़ करने और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रभावी कामकाज के लिए सुझाव दिए गए। एमएएनयूयू–सीएसई–आरसीए ने 2017–18 के लिए छात्रों के एक नए बैच के साथ कोचिंग गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू की जिसमें 6000 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया, 2400 छात्र ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और 499 छात्रों का साक्षात्कार के लिए चयन किया गया और उनमें से 100 का चयन किया गया था। जिनमें से दो उम्मीदवार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में अर्हता प्राप्त कर चुके हैं और एक उम्मीदवार मुख्य परीक्षा मार्च–2018 में उत्तीर्ण होने के बाद साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ और 693 रैंक के साथ यूपीएससी उत्तीर्ण हुआ। दो और उम्मीदवारों ने राज्य सार्वजनिक सेवा समूह/अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण की और लिखित परीक्षाएं दी। विश्वविद्यालय ने उपलब्ध बुनियादी ढांचे से 100 छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की गई है।

समान अवसर प्रकोष्ठ के सहयोग से सीएसई–आरसीए यूजीसी के तहत कवर विभिन्न कोचिंग कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान कर रहा है, इससे कई अल्पसंख्यक छात्रों को यूजीसी–नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद मिली, 24 बैचों को समान संख्या में योग्यता के अलावा अब तक 1379 छात्र और नेट–जेआरएफ

परीक्षा में उत्तीर्ण 47 छात्रों को कवर किया गया। लेक्चरशिप के लिए समूह– I, बैंकिंग और अन्य राज्य सेवाओं में अर्हता प्राप्त करने में सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग से कुछ अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। उपचारात्मक शिक्षा के लिए कोचिंग ने उत्तीर्ण दर में 18% तक की वृद्धि की और विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के 1661 अल्पसंख्यक छात्र लाभान्वित हुए।

वर्ष 2017 में यूजीसी ने अपने कार्यकाल के विस्तार के उद्देश्य से गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा आवासीय कोचिंग अकादमी की समीक्षा की थी। 31 मार्च, 2018 तक एक वर्ष (2017–18) के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कामकाज और प्रगति के वास्तविक निरीक्षण और प्रगति के बाद विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी पत्र संख्या फा.56– 1/2009 (सीयू)ए दिनांक 31.03.2017 द्वारा सूचना दी थी। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रेरणा के लिए सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए माहौल और वातावरण बनाया। एमएएनयूयू – आरसीए में एक विशेष और समर्पित कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है, जिसमें अच्छी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी के अलावा 24 घंटे की उच्च गति नेटवर्क और ऑडियो विजुअल सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। निरंतर संकाय समीक्षा और सहकर्मी वार्तालाप में मदद करने के लिए छात्रों को इंट्रानेट और सोशल मीडिया दोनों जुड़े हुए हैं। तब एमएएनयूयू – आरसीए ने छात्रों और मूल्यवान निविष्टियों और सुझावों के लिए कई सेवारत सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और प्रशिक्षकों के साथ एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति की सलाह और निगरानी के तहत वर्ष 2017–18 के लिए छात्रों के एक नए बैच के साथ प्रवेशित छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को पुष्ट करने के लिए और कोचिंग गतिविधियों के प्रभावी प्रभाव के लिए और एमएएनयूयू / आरसीए के कामकाज की निगरानी के लिए कोचिंग गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू की।।

7. उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनसीपीयूएल):

उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के प्रचार की देख–रेख करती है और यह भारत सरकार को उर्दू भाषा से जुड़े मुद्दों और शिक्षा पर प्रभाव जिसे संदर्भित किया जा सकता है, के संबंध में सलाह देता है।

कंप्यूटर अनुप्रयोग और बहुभाषी डीटीपी केंद्रों की स्थापना:

वर्ष 2018–19 (31.1.2019 तक) के दौरान, एनसीपीयूएल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित कंप्यूटर अनुप्रयोग, व्यवसाय लेखांकन और बहुभाषी डीटीपी (सीएबीए–एमडीटीपी) में एक वर्ष के डिप्लोमा के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ 531 केंद्र चला रहा है जिसमें 12149 बालिकाओं सहित 30696 छात्रों को प्रवेश मिला, ताकि उन्हें उर्दू भाषी बालक और बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा युक्त रोजगार योग्य बनाया जा सकें। लगभग 1476 संकायों को एनआईईएलआईटी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से 30696 छात्रों को शिक्षण के लिए रोजगार प्राप्त किया।

कॉलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केंद्र:

अब तक पारंपरिक कॉलिग्राफी को संरक्षित करने और विकास के लिए, 69 कॉलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केंद्र कार्य कर रहे है, जिसमें 207 (संकाय + परिचर) को इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत 1900 बालिकाओं सहित लगभग 3400 छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला।

अनुदान सहायता (उर्दू)

चयनित उर्दू विकास गतिविधियों की मदद करने के लिए अनुमोदित वित्तीय सहायता, जिसमें सेमिनारों, 56 व्याख्यान श्रृंखला, 168 पांडुलिपियों और लेखकों की 41 परियोजनाओं और थोक खरीद योजना के तहत मूल लेखकों की 435 पुस्तकों/ पत्रिकाओं के लिए 159 एनजीओ / संस्थानों / एजेंसियों के प्रस्ताव शामिल हैं।

उर्दू प्रेस विकासः

एनसीपीयूएल ने यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया की उर्दू सेवा का लाभ उठाने के लिए 390 छोटे और मध्यम उर्दू अखबारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। लगभग 1335 समाचार पत्रों ने भी डीएवीपी दर पर विज्ञापन दिया।

प्रकाशन गतिविधियाँः

एनसीपीयूएल भारत सरकार के अंतर्गत प्रमुख उर्दू प्रकाशन हाउस है। वर्ष में किए गए प्रकाशन कार्य में 29 नए शीर्षक, 37 पाठ्य–पुस्तकें, मासिक पत्रिका उर्दू दुनिया के 08 अंक, बच्चों की दुनिया के मासिक पत्रिका 08 अंक और त्रैमासिक पत्रिका फिक्र–ओ–तहकीक के 03 अंक, 08 ख्वातीन दुनिया प्रकाशित हुए।

पुस्तक विकासः

वार्षिक उर्दू पुस्तक मेलों को आयोजित करके बिक्री और प्रदर्शनी के माध्यम से उर्दू पुस्तकों को बढ़ावा दिया जाता है। 2018–19 के लिए किशनगंज (बिहार) में 07–15 अप्रैल, 2018 तक पुस्तक मेला आयोजित किया गया। एनसीपीयूएल ने लखनऊ, दिल्ली, गुरुग्राम और वाराणसी में अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 04 पुस्तक मेलो में भाग लिया महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और यू.पी. को शामिल करके एक्जिविशन ऑन वील के 03 दौरे आयोजित किये।

शैक्षणिक परियोजना / सहयोगः

एनसीपीयूएल ने 02 शब्दकोशों सहित उत्पादन की विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं को जारी रखा, 03 पूर्ण विश्वकोश प्रगति में हैं, 02 शब्दावली पूर्ण हुई 01 प्रगति में है, 41 परियोजनाओं / पांडुलिपियों को प्रकाशित किया और 09 प्रगति में है, 03 मोनोग्राफ को प्रकाशित किया 04 प्रक्रिया के तहत है। वेबसाइट और ई–पब का विकास प्रगति में है, 06 बैठकें / कार्यशाला आयोजित, यूनानी चिकित्सा के तहत परियोजना, विधायी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, फारसी, अरबी, इस्लामी अध्ययन और रचनात्मक लेखन पैनल प्रगति पर हैं।

राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालाएं / सांस्कृतिक कार्यक्रमः

- 03 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुंशी प्रेमचंद्र, उर्दू के साथ–साथ हिन्दही की एक महान कथाकार की जयंती 31.07.2018 को दिल्ली, और गांधी और राष्ट्रीय भाषा के लिए विज़न संयुक्त रूप से गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ 23 –24 अक्टूबर, 2018 को मनाया गया। और 28–29 नवंबर, 2018 को बीएचयू, वाराणसी में नजीर बनारसी शामिल है। लाइफ एंड वर्क नई दिल्ली में फरवरी, 2019 के महीने में विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित किया गया।

टीवी पर उर्दू दुनिया का निर्माण और प्रसारण

राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई गतिविधियों के संबंध में उर्दू आबादी में उर्दू भाषा की जागरूकता को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए, एनसीपीयूएल ने आधे घंटे के साप्ताहिक एपिसोड के उत्पादन और प्रसारण का कार्य ईटीवी (उर्दू) को दिया।

- ईटीवी द्वारा निर्मित और प्रसारित 32 एपिसोड।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू): एनसीपीयूएल मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। 531 सीएबीए–एमडीटीपी, केंद्रों सहित 1360 अध्ययन केंद्र, जिनमें कंप्यूटर कोर्स करने वाले शिक्षार्थियों के लिए उर्दू डिप्लोमा अनिवार्य है। लगभग 1962 अंशकालिक उर्दू शिक्षकों ने 1360 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया, जिसमें 87996 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें 40994 छात्राएं हैं। उर्दू ऑनलाइन लर्निंग कोर्स शुरू किया गया जिसमें कुल 29236 शिक्षार्थी हैं जिसमें 26588 भारतीय और विभिन्न 28 देशों के 2648 विदेशी छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया ।

अरबी और फारसी का विकास: उपरोक्त के अलावा, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए शास्त्रीय भाषा अरबी और फारसी को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों के माध्यम से डिप्लोमा इन फंक्शनल अरेबिक एंड वन इयर सर्टिफिकेट कोर्स चलता है। अरबी के 735 अध्ययन केंद्रों में, जिसमें 1745 अंशकालिक शिक्षकों को 47233 शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला, जिसमें 21246 बालिकाओंको शामिल किया गया था। फारसी में एक साल के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 57 केंद्र भी चल रहे हैं, जिसमें 54 अंशकालिक फारसी शिक्षक को 909 छात्राओं सहित 2079 छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला है।

अनुदान–सहायता (अरबी / फ़ारसी): गैर–सरकारी संगठनों / संस्थाओं / एजेंसियों को 18 पांडुलिपियों के लिए चयनित अरबी / फ़ारसी विकास गतिविधियों की सहायता करने के लिए, मुद्रण सहायता प्रदान करने के लिए लेखकों की 05 परियोजनाएं और 13 मूल लेखकों की अरबी / फ़ारसी किताबें अनुमोदित करने के लिए वित्तीय सहायता।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम: जेएंडके राज्य में कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 03 केंद्रों पर पेपर मैट्रिक्स में छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ, ताकि 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

ख. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग:

1. मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम):

एसपीईएमएम (एसपीक्यूईएम एवं आईडीएमआई) योजना का मूल्यांकन:

- (एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई) का मूल्यांकन 2013 में के. आर. नारायणन संस्थान, जामिया मिलिया इस्लामिया (2013) द्वारा किया गया था।
- 2017 में एनआईईपीए (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान) को एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई का तृतीय पक्ष मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था।
- इन मूल्यांकनों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 2018–19 में एसपीईएमएम को संशोधित किया गया है।
- 2017–18 के लिए एसपीईएमएम बजट अनुदान से रु 120 करोड़ रुपए 107.89 करोड़ रुपए के (89.90%) वर्ष 2017–18 में जारी किया गया है।
- वर्ष 2017–18 के दौरान इस योजना के तहत 156 अल्पसंख्यक संस्थान, 6204 मदरसे और 15909 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं।
- 120 करोड़ रुपए की एसपीईएमएम बजट अनुदान से 2018–19 के लिए वर्ष 2019–18 में 38 अल्पसंख्यक संस्थानों और 8562 मदरसों को लाभान्वित करते हुए 18.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

संशोधित एसपीक्यूईएमएम योजना (2018–19 से):

- एसपीक्यूईएमएम जिसमें एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल हैं, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना होगी, बल्कि इसे 100% अनुदान योजना के रूप में जारी रखा जाएगा।
- एसपीक्यूईएमएम (एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल) के तहत वित्त पोषण पैटर्न अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के समान होगा, अर्थात, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के लिए 90:10, विधायिका रहित यूटी के लिए 100% और जहाँ तक एसपीक्यूईएम घटक का संबंध है शेष राज्य के लिए 60:40 है।
- संबंधित संस्थान द्वारा आईडीएमआई घटक के लिए, फंडिंग पैटर्न समान होगा यानी 75% सेंट्रल शेयर और 25% संबंधित संस्थान।
- दोनों योजनाओं के तहत सभी प्रस्तावों को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जो सचिव (एसई एंड एल) की अध्यक्षता में पीएबी (परियोजना अनुमोदन बोर्ड) द्वारा विचार और अनुमोदित किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक उपयुक्त वेब एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है।
- एसपीक्यूईएम के तहत, उपलब्ध धनराशि शिक्षा के गुणवत्ता घटक को बढ़ाने पर केंद्रित होगी।

  एसपीक्यूईएम के तहत मकतबों / मदरसों को वित्तीय सहायता निम्नलिखित के अधीन होगी:—

  एसपीक्यूईएम के तहत अनुदान के लिए केवल उन मदरसों पर विचार किया जाएगा जो:
- किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड अर्थात स्टेट बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई इत्यादि से संबद्ध हैं।
- यूडीआईएसई कोड है, यूडीआईएसई डेटा में भरें, और जीआईएस मैपिंग विवरण प्रदान करने में सक्षम है।
- मदरसों को शिक्षकों के वेतन का भुगतान केवल उन बैंकों के माध्यम से करना चाहिए जहाँ खाते अधिमानतः आधार से जुड़े हुए हैं।
- गुणवत्ता संबंधी हस्तक्षेपों पर बल होगा जिन पर समग्र शिक्षा के तहत गुणवत्ता वाले घटकों के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा (आईएसएसई) के लिए एकीकृत योजना अर्थात् समाग्र शिक्षा को लागू किया है। इस योजना में **प्री–स्कूल**, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक निर्वाध 'स्कूल' की परिकल्पना की गई है।

समाग्र शिक्षा के तहत, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए 2018–19 से प्रभावी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना का प्रावधान है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों के रूप में पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत स्वीकृत किए गए थे। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के बालिका छात्रावास घटक, जो वर्ष 2017–18 तक चालू थी, 14–18 वर्ष की आयु वर्ग में छात्राओं जो IX से XII वीं कक्षा में पढ़ती हैं और एससी, एसटी, ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से संबंधित है, के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की गई। केजीबीवी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक

(ईबीबी) में स्थापित किए जाते हैं, जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है।

समग्र शिक्षा के तहत, मौजूदा केजीबीवी को उच्च प्राथमिक स्तर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना उच्च प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके और प्राथमिक से माध्यमिक और बारहवीं कक्षा तक की बालिकाओं के सुगम परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए वंचित समूहों की बालिकाओं तक पहुँच और गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना करती है।

31.03.2019 तक देश में स्वीकृत 5970 केजीबीवी में से, वर्तमान में 88 मुस्लिम विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) में 836 केजीबीवी स्वीकृत हैं, जिनकी 20% से अधिक मुस्लिम आबादी है, जिनमें से 577 केजीबीवी कार्यात्मक हैं जिनमें 21.71% मुस्लिम बालिकाएं नामांकित हैं।

3. जवाहर नवोदय विद्यालय योजना (जेएनवि):

नवोदय विद्यालय योजना आवासीय सह–शैक्षणिक विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना करती है, देश में प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) कहा जाता है, ताकि सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि में बावजूद ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सके। उक्त नीति को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में जेएनवि खोले गए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल जिले (एमसीडी) शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त विवरण के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुता के साथ कुल 90 जिले हैं। जेएनवी 90 जिलों में से 86 जिलों में कार्य कर रहा है। बाकी 4 जिलों में से, कोलकाता पूरी तरह से शहरी आबादी वाला है और इसलिए, एनवीएस की नीति के अनुसार, कोई भी जेएनवि वहां नहीं खोला जाना है। शेष 3 जिलों (नीचे दिए गए) के संबंध में, जेएनवी खोलने को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और स्थिति निम्नानुसार है:

1. त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश – कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ – गैर–कार्यात्मक।
2. मालदा, पश्चिम बंगाल – कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं / गैर कार्यात्मक।
3. नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली – कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं/ गैर कार्यात्मक।

पिछले 5 वर्षों में स्वीकृत जेएनवि:

नवंबर, 2016 के दौरान 62 जेएनवी स्वीकृत किए गए हैं और अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश के रतलाम में एक अतिरिक्त स्वीकृत किया गया है।

4. शिक्षक शिक्षा:

समग्र शिक्षा अभियान के दिशानिदेशों के अनुसार, 81 ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन (बीआईटीआई) को अल्पसंख्यक बहुलजिलों (एमसीडी) और एससी / बहुल डोमिनर जिलों (जिसमें उस ब्लॉक के अलावा एक डीआईईटी है) में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। जिसके लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। बीटीई सेवा–पूर्व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा संस्थान होगा।

81 स्वीकृत बीआईटीई में से 30 बीआईटीई अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में हैं।

वर्तमान में, 19 बीआईटीई कार्यात्मक हैं, जिनमें से केवल दो बीआईटीई: अर्थात: असम में रंगिया, कामरूप और हरियाणा में नगीना मेवात, 50 छात्रों में से प्रत्येक की कुल क्षमता और 100% नामांकन के साथ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कार्यात्मक हैं।

5. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा की गई पहल:

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त

संस्थान है। एनआईओएस बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी लोगों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष सरोकारों के साथ सभी के लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड के माध्यम से शिक्षार्थी केंद्रित गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति सहित, एनआईओएस अल्पसंख्यक समुदायों के बीच गुणवत्तायुक्त स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रहा है। एमएचआरडी के निर्देशों के अनुसार, एनआईओएस ने अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक सेल की स्थापना की है। वर्तमान में कुल छह व्यक्ति (एक अनुभाग अधिकारी, एक अधीक्षक, एक सहायक, एक कनिष्ठ सहायक, एक कार्यकारी सहायक और एक चपरासी) अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में कार्यरत हैं। सेल संयुक्त निदेशक (छात्र सहायता सेवा) और निदेशक (एसएसएस) के समग्र पर्यवेक्षण के तहत कार्यकर रहा है।

एनआईओएस द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष छूट

मुस्लिम समुदाय को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, एनआईओएस द्वारा एनआईओएस के अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु मदरसा को प्रत्यायन प्रदान करके कई छूट दी गई हैं। मदरसों को प्रत्यायन 20,000 /— रुपये के शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है और मान्यता के लिए मानदंड में छूट हैं। वर्ष के दौरान पूरे भारत में 100 अतिरिक्त मदरसों को मानदंड छूट सहित एनआईओएस के अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता दी गई थी।

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) के संचालन के लिए, एनआईओएस पाठ्यक्रमों में मदरसों के माध्यम से नामांकित मुस्लिम शिक्षार्थियों को फीस में पूरी छूट दी गई है। एसपीक्यूईएम योजना के तहत, मदरसा / मकतब / दारुल—उलूम माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के कार्यक्रमों प्रदान करने के लिए एनआईओएस के साथ मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र बनने का विकल्प चुन सकता है। मदरसे जो तीन (03) वर्ष की न्यूनतम अवधि से अस्तित्व में रहे हैं और केंद्रीय या राज्य शिक्षा अधिनियमों या मदरसा बोर्ड से संबद्ध हैं, इस कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। एनआईओएस पाठ्यक्रम ऐसे शिक्षार्थियों के लाभ के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक दोनो पर उर्दू माध्यम में उपलब्ध कराया गया है, जो उर्दू पृष्ठभूमि वाले हैं। भाषा वर्ग में मौजूदा आठ विषयों के अलावा अगले शैक्षणिक सत्र से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में अरबी और फारसी विषयों का शुरू किया गया है।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यान्वयन

एनआईओएस में प्रवेश प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है। एनआईओएस के आधिकारिक पोर्टल www.nios.ac.in के माध्यम से मदरसों के लिए 100% ऑन—लाइन प्रवेश भी लागू किया गया है। इसने मदरसा को अपने शिक्षार्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नामांकन करने में सक्ष्मर्थ बनाया है। एसपीक्यूईएम के तहत, ऑन—लाइन प्रवेश में मान्यता प्राप्त मदरसा के माध्यम से पंजीकृत अल्पसंख्यक शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश और परीक्षा शुल्क से छूट है। जबकि एसपीक्यूईएम के अंतर्गत आने वाले कुल 145 मदरसा एनआईओएस के अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान कुल 7932 अल्पसंख्यक छात्रों ने प्रवेश लिया है, जिसमें से पूरे भारत में 4122 प्रमाणित किए गए हैं।

एडवोकेसी और समानता

एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से पूरे भारत में एसपीक्यूईएम के तहत पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडवोकेसी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पांच मदरसा बोर्ड (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार,

छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल) के पाठ्यक्रमों के लिए समानता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इन मदरसा बोर्डों से माध्यमिक उत्तीर्ण होने वाले अब एनआईओएस के वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के योग्य हैं।

इसके अलावा एनआईओएस ने प्रत्येक मामले में 20,000 /– रुपये की प्रोसेसिंग फीस की छूट सहित जम्मू–कश्मीर राज्य से संबंधित ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए प्रत्यायन के 49 आवेदनों पर भी विचार किया है। 49 मामलों में से 45 मदरसा को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में एनआईओएस के ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के लिए मान्यता दी गई है। वर्तमान वर्ष के दौरान इन मदरसों में शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है।

❖ ❖ ❖

3

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य

वर्तमान में 11 राज्य हैं जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन राज्यों में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। उनके पास अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, पहाड़ी इलाके हैं और अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक विकास के मापदंड हैं। इन राज्यों में ढांचागत विकास के लिए उनके प्रयासों में भौगोलिक कठिनाई भी हैं। राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक व्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वोत्तर राज्य भी देर से विकास की शुरुआत कर रहे हैं। उपरोक्त समस्याओं के मद्देनजर, विशेष श्रेणी राज्यों को योजना गत अनुदान सहायता रूप केंद्र सरकार ने 90 प्रतिशत राशि जारी की है।

विशेष श्रेणी राज्य में शिक्षा का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नामांकन 2017–18	सकल नामांकन अनुपात उच्चतर शिक्षा (18–23 वर्ष) 2017–18	जेंडर पेरेटी सूचकांक उच्चतर शिक्षा (18–23 वर्ष) 2017–18
1	अरुणाचल प्रदेश	47464	29.7	0.88
2	असम	678344	18.2	0.96
3	मणिपुर	104680	31.8	1.03
4	मेघालय	83822	24.7	1.04
5	मिजोरम	29495	22.9	0.85
6	नगालैंड	43557	17.8	1.00
7	सिक्किम	29000	37.4	1.21
8	त्रिपुरा	91681	21.2	0.79
9	जम्मू और कश्मीर	359230	26.4	1.10
10	हिमाचल प्रदेश	275708	34.0	1.24
11	उत्तराखंड	437150	36.3	1.00

स्रोत: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2017–18

कुछ समय से विशेष श्रेणी के राज्यों में उच्च शिक्षा की संभावना में सुधार भारत सरकार की प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि उत्तर पूर्व के समग्र विकास का शैक्षिक नेटवर्क के विस्तार के साथ मजबूत संबंध है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 दिसंबर, 2014 को आयोजित एससी, एसटी, और पीडब्ल्यूडी के शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति की बैठक में भी उत्तर–पूर्व के लोगों के विकास को मुख्यधारा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार बनाने की लंबे समय से प्रतीक्षित आकांक्षा को साकार करने के लिए रोड–मैप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

विशेष श्रेणी राज्यों में केंद्रीय वित्तपोषित उच्च शैक्षणिक संस्थान

राज्य	केंद्रीय विश्वविद्यालय	आईआईएम	आईआईटी	एनआईटी	आईआईआईटी	एनआरआईईएसटी
अरुणाचल प्रदेश	01			01		01
असम	02		01	01	01	
मणिपुर	01			01	01	
मेघालय	01	01		01		
मिजोरम	01			01		
नगालैंड	01			01		
सिक्किम	01			01		
त्रिपुरा	01			01		
हिमाचल प्रदेश	01			01	01	
जम्मू और कश्मीर	02	01	01	01		
उत्तराखंड	01					

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) उच्चशिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार सहित इक्विटी, पहुंच और उत्कृष्टता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की जरूरतों को कार्यनीतिक रूप से पूरा किया जाता है। यह निर्धारित मानक और मानकों के अनुरूप उनकी पहचान सुनिश्चित करके और एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाने के द्वारा मौजूदा राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना चाहता है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना; सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करना; और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी / एसटी / ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने को बढ़ावा देना। राज्य के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में योजना के कार्यान्वयन में शासन, शैक्षणिक, संबद्धता और प्रत्यायन सुधार जैसे परिवर्तनकारी सुधार पूर्व–आवश्यकताएं हैं।

रूसा के उद्देश्य

क. राज्यों में उच्च शिक्षा की पहुंच में सुधार करना, विशेषकर आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करके, असेवित और अल्प सेवित जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।

ख. गर्ल्स हॉस्टल निःशक्तजन अनुकूल बुनियादी ढांचे आदि के निर्माण के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित समुदायों और महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी / एसटी / ओबीसी और दिव्यांगजन को बढ़ावा देने के लिए के लिए उच्च शिक्षा में असेवित में सुधार।

ग. राज्य सरकारों के प्रयासों में वृद्धि और समर्थन करके, उच्च शिक्षा में मौजूदा अंतराल को पहचानना और उसे भरना।

घ. गुणवत्ता और उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राज्यों और संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना।

ङ. विभिन्न सुधारों के माध्यम से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार।

2018–19 के दौरान रूसा के तहत, एनईआर राज्यों में निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

वित्तीय वर्ष 2018–19 (एनईआर राज्य) के लिए जारी केंद्रीय अनुदान

करोड़ में

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक का नाम	केंद्रीय अनुदान
1.	अरुणाचल प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	10.8
		नया कॉलेज (व्यवसायिक)	11.7
		मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन	0.9
		कॉलेजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान	1.8
2.	असम	विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	18
		न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	27
		पूर्व का न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	7.5
		एक मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन	22.5
		कॉलेजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान	82.8
		इक्विटी पहल	3.375
3.	मणिपुर	मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन	9
		कॉलेजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान	1.8
		इक्विटी पहल	2.25
4.	मिजोरम	मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन	7.2
		कॉलेजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान	11.7
		इक्विटी पहल	1.125
		नए कॉलेज (व्यावसायिक)	1.04
5.	मेघालय	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	10.8
		एक मौजूदा डिग्री कॉलेज का मॉडल डिग्री कॉलेज में उन्नयन	1.8
		इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉलेजों को अनुदान	6.75
		इक्विटी पहल	0.75
6.	नगालैंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	5.4
7.	सिक्किम	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	10.8
		नए कॉलेज (व्यवसायिक)	11.7
8.	त्रिपुरा	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	2.11
		कॉलेजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुदान	6.4
		कुल	**276.99**

रूसा के तहत अनुमोदित कॉलेजों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य)	नये कॉलेज (व्यावसायिक और तकनीकी)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	2
2.	असम	5	3
3.	हिमाचल प्रदेश	2	1
4.	जम्मू और कश्मीर	3	2
5.	मणिपुर	0	1
6.	मेघालय	2	2
7.	मिजोरम	0	1
8.	नगालैंड	2	2
9.	सिक्किम	2	2
10.	त्रिपुरा	4	0
11.	उत्तराखंड	3	1

विशेष श्रेणी राज्यों में शैक्षिक विकास के लिए इग्नू की पहलः

इग्नू ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए विशेष पहल की है, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर सहित अविकसित, कठिन, दूरस्थ और अल्पसंख्यक बहुल विशेष श्रेणी राज्यों के छात्रों तक आसानी से पहुँचा जा सके। इन सभी राज्यों में इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के साथ पहल शुरू हुई। तब से, विश्वविद्यालय ने विशेष श्रेणी के राज्यों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा केंद्रों के एक नेटवर्क की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो शिक्षा के पारंपरिक रूपों का पूरक है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का शैक्षिक विकास

भारत सरकार (जीओआई) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के शैक्षिक विकास के लिए योजना अनुदान का 10% आवंटित किया है। इग्नू उत्तर पूर्व क्षेत्र यूनिट के शैक्षिक विकास के (ईडीएनईआरयू) माध्यम से उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और अन्य पहलों के अवसर प्रदान करके एनईआर में शैक्षिक विकास के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है। यूनिट की शुरुआत 8 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ प्रधान मंत्री के आरक्षण फंड के तहत नॉर्थ–ईस्ट प्रोजेक्ट (एनईपी) के तहत वर्ष 2000 में एमएचआरडी द्वारा की गई थी। एनईपी में एनईआर में पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक अवसरों की समानता करने की कल्पना की गई थी। तब से ईडीएनईआरयू ने एनईआर के 8 राज्यों में 9 क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी) और 525 अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय का लगभग 6.8 प्रतिशत नामांकन पूर्वोत्तर क्षेत्र से आता है। ईडीएनईआरयू क्षेत्रीय सेवा प्रभाग (आरएसडी) के समग्र पर्यवेक्षण के भीतर एक

अलग इकाई के रूप में कार्य करता है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसीआईआरसी) पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र शैक्षिक विकास के लिए कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए अनिवार्य होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। एनईसीआईआरसी के लिए एक नोडल कार्यालय आरसी शिलांग में है और आरसी शिलॉन्ग के क्षेत्रीय निदेशक एनसीआईआरसी के संयोजक के रूप में संचालन का समन्वय करते हैं। 27 अगस्त से 31 अगस्त 2018 तक आरसी आइजोल द्वारा बेरोजगार महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य / फल प्रसंस्करण के क्षेत्र में 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

पूर्वोत्तर में पुस्तक संवर्धन गतिविधियाँ

यह न्यास कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के माध्यम से अपनी पुस्तक प्रचार गतिविधियों में भी आगे बढ़ा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न्यास ने ब्रह्मपुत्र साहित्य महोत्सव (9–11 फरवरी 2018), राष्ट्रीय जनजातीय पुस्तक महोत्सव (17–20 मार्च 2018), बोडो भाषा अनुवाद कार्यशाला (24 मार्च 2018), शिलांग के समीप मेरांग में बच्चों के लिए रीड–ए–थॉन कार्यशाला (24 मार्च 2018) और इम्फाल पुस्तक मेले (26 मई से 3 जून 2018) का आयोजन किया।

जम्मू और कश्मीर में विशेष पुस्तक प्रचार गतिविधियाँ

इन वर्षों में, न्यास जम्मू–कश्मीर में गतिविधियों का आयोजन कर रहा है ताकि पुस्तक–मनोस्थिति का निर्माण किया जा सके और घाटी के लोगों को एनबीटी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने 28 मार्च 2018 को श्रीनगर 'कश्मीरी भाषा में बाल साहित्य की स्थिति' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया और 31 अक्टूबर 2018 को जम्मू में बच्चों के लिए सृजनात्मक लेखन पर कार्यशालाएं आयोजित कीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना:

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शैक्षणिक सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना "इशान उदय" शुरू की थी। छात्रवृत्ति की दर सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए रु. 5,400/– प्रतिमाह और तकनीकी और व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए रु.7,800/– प्रतिमाह है।इस पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना के तहत 10,000 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। भुगतान की प्रक्रिया सीधे यूजीसी और केनरा बैंक के बीच किए गए एक समझौते (एमओयू) के अनुसार कैनरा बैंक द्वारा की जाती है। 31 अगस्त, 2017 (2017–18 के दौरान) के दौरान 17901 छात्रवृत्ति धारकों पर रु. 8.13 करोड़ तक व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में, ईशान उदय के तहत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की कुल संख्या 19970 है। एनईआर के छात्रों के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (http://scholarships.gov.in) पर है।

ईशान विकास: ईशान विकास आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा समन्वित है और इस कार्यक्रम के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों के चयनित स्कूली बच्चों को अवकाश अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसएस) और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान (एनआईएएस) के निकट संपर्क में लाया जाता है ताकि वे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का अध्ययन करने के लिए प्रेरित हों और राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसरों की सुविधा हो। वार्षिक लक्ष्य 250 इंजीनियरिंग छात्रों को प्रमुख संस्थानों और ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए 96 स्कूली बच्चों को दौरे उपलब्ध करना है। कार्यक्रम के लिए 605.45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 2014–15 में कार्यक्रम

की शुरुआत से लेकर, 1637 स्कूली बच्चे और 372 इंजीनियरिंग छात्र लाभान्वित हुए हैं।

एआईसीटीई

एआईसीटीई–एनआईएसटीएडीएस–पूर्वोत्तर क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों के लिए विशेष योजना

उद्देश्य:

(क) अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने में छात्रों को हो रही दिन–प्रतिदिन की परेशानियों को देखते हुए, एआईसीटीई ने सामान्य रूप से पानी की समस्या को दूर करने और वैकल्पिक बिजली सहायता और इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर भारत के दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित तकनीकी संस्थानों की कार्यात्मक दक्षता बढ़ेगी। इस योजना को सीएसआईआर–राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (एनआईएसटीएडीएस) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

(ख) पानी की व्यवस्था से संस्थान को गर्मी के मौसम के दौरान पानी की आपूर्ति की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र हैं और पूरे साल पानी की आपूर्ति नियमित नहीं होती और गर्मी के मौसम के दौरान, संस्थानों में पानी की आपूर्ति लगभग शून्य होती है। इस प्रकार की जल संचयन परियोजना से संस्थान और छात्र को गर्मी के मौसम के दौरान भी पानी मिलने में मदद मिलेगी।

(ग) पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश शहरी और ग्रामीण क्षेत्र निरंतर और नियमित बिजली आपूर्ति से वंचित हैं, जिससे न केवल दैनिक जीवन प्रभावित होता है बल्कि उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने पर भी प्रभाव पड़ता है। तकनीकी संस्थानों को अधिक कार्यात्मक बनाने और पारंपरिक बिजली आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए, केप्टिव सौर ऊर्जा का प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे स्थानों में, जहां सौर ऊर्जा प्रभावी नहीं है, जनरेटर की खरीद पर विचार किया जा सकता है।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता/कनेक्शन भी वांछित स्तर तक नहीं है।इस समस्या को दूर करने के लिए, प्रारंभिक कनेक्शन के लिए इंटरनेट कनेक्शन के लिए निधियन पर भी विचार किया जा सकता है। संस्थान द्वारा भविष्य के लिए आवर्ती व्यय दर्शाना होगा।

(ड.) एआईसीटीई द्वारा शुरू की गई ये योजनाएं इस मायने में विशेष हैं कि इससे इस क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों में पूर्वोत्तर छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

निधियन की सीमा

(क) प्रति संस्थान पानी की समस्या को हल करने के लिए रु. 15.00 लाख

(ख) प्रति संस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र या जनरेटर की खरीद के लिए रु. 20.00 लाख।

(ग) इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा के लिए अधिकतम रु. 5.00 लाख।

एआईसीटीई–आईसीटी अकादमी: एआईसीटीई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के एआईसीटीई अनुमोदित कॉलेजों के छात्रों के लिए अत्याधुनिक आईटी/आईटीईएस और टेलीकॉम कौशल की जरूरत पर प्रतिक्रिया के लिए तकनीकी संस्थानों की सुगमता के लिए 22 फरवरी, 2017 को आईसीटी अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

पूर्वोत्तर और एनडीईएफ केंद्रों के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर प्रदेश और एनडीएफ केंद्रों के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन योजना के तहत दो नई योजनाओं का विस्तार किया गया है। प्रत्येक योजना के लिए, रु 25.00 लाख प्रति परियोजना की दर से रु. 1250.00 लाख के सहायता अनुदान से कुल 50 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।चूंकि लक्ष्य समूह सीमित थे, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में संकायों/पीआई से ऑफ लाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंतिम तारीख को या उससे पहले आरपीएस–एनईआर और आरपीएस–एनडीएफ के तहत कुल 130 और 80 आवेदन प्राप्त हुए थे। 27 और 28 फरवरी, 2019 को मूल्यांकन समितियों के समक्ष परियोजना की अपनी प्रस्तुति के लिए एआईसीटीई प्रधान कार्यालय में सबंधित संकाय आमंत्रित किए गए थे।

नियोजनीयता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी)

एआईसीटीई ने नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए रोजगार बढ़ाने, निरंतर करियर की सफलता के लिए और उद्योग की मांग पूरा करने की दृष्टि से व्यवसाय और सॉफ्ट कौशल प्रदान करने की दृष्टि से 2013 में नियोजनीयता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी) नाम के अपनी फिनिश स्कूल योजना फिर से तैयार की है।

कौशल पहल के तहत रोजगार के अवसरों को लागू करने और बढ़ाने के लिए, परिषद ने पूर्वोत्तर प्रदेश के एआईसीटीई अनुमोदित कॉलेजों के छात्रों को अत्याधुनिक आईटी/आईटीईएस और दूरसंचार कौशल प्रदान करने की आवश्यकता की प्रतिक्रिया में तकनीकी संस्थानों की सुविधा के लिए आईसीटी अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस वर्ष में आईसीटी अकादमी ने ईईटीपी कार्यक्रम के तहत उत्तर पूर्व के 6557 छात्रों का नामांकन किया है।

सुविधाओं में कमी वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए डिग्री/डिप्लोमा स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की योजना

1. भारत सरकार के पास ऐसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग/तकनीकी/वास्तुकला/फार्मेसी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की एक कार्यात्मक योजना है, जिनमें तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा के लिए और विदेशी छात्रों सहित कुछ श्रेणियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हैं या शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है।

2. सिक्किम सहित निम्नलिखित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, योजना के तहत अन्य बातों के साथ–साथ आवंटित अतिरिक्त सीटों का आरक्षण है।

3. इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और विदेशी और छात्रों की अन्य श्रेणियों को आवंटित सीटों की संख्या 1087 है। एनईआर राज्यों के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार है:

(डिग्री स्तर के लिए)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017–18 के दौरान आवंटन	2018–19 के दौरान आवंटन
1.	त्रिपुरा	50	50
2.	मिजोरम	121	121
3.	मणिपुर	113	113
4.	नागालैंड	150	150
5.	अरुणाचल प्रदेश	150	150
6.	असम	19	19
7.	मेघालय	100	100
8.	सिक्किम	40	40

(डिप्लोमा स्तर के लिए)

क्र. सं.	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018–19 के दौरान आवंटन	2019–20 के लिए प्रस्तावित आवंटन
1.	त्रिपुरा	25	25
2.	मिजोरम	18	18
3.	मणिपुर	35	35
4.	नगालैंड	50	50
5.	अरुणाचल प्रदेश	162	162
6.	असम	30	30
7.	मेघालय	27	27
8.	सिक्किम	30	30
9.	दमन और दीव	25	25
10.	दादरा और नगर हवेली	30	30
11.	लक्षद्वीप	50	50
12.	अंडमान और निकोबार	30	30
13.	केंद्रीय; तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)	5	5
14.	भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू)	3	3
15.	एम/ओ विदेश मामलों (कल्याण)	10	10
16.	एम/ओ बाहरी मामलों (शिक्षा)	60	0
	कुल	**590**	**530**

4. 2014–15 से सीटों के आवंटन की प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए, प्रत्येक वर्ष इन सीटों को जेईई (मेन) परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक के आधार पर केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी–एनईयूटी) द्वारा आवंटित किया जाता है। एमएनआईटी – जयपुर को सीएसएबी – 2017 और सीएसएबी –2018 की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सीटें अतिरिक्त प्रकृति की हैं और संस्थान की स्वीकृत संख्या से अधिक हैं।इस योजना के तहत संस्थान/कॉलेज/राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा सीधे कोई अतिरिक्त सीट नहीं भरी जा सकती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) अरुणाचल प्रदेश में निरंजुली, ईटानगर में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्मुखी उच्च शिक्षा संस्थान है।1984 में स्थापित, यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और नियंत्रित, एक समवत विश्वविद्यालय है। संस्थान प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें एमएचआरडी के प्रतिनिधि, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ लाभार्थी राज्य, एआईसीटीई और शिक्षाविद् शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सर्वोच्च निकाय, एनईआरआईएसटी सोसाइटी के पास प्रमुख हैं, जिसमें सभी पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षा मंत्री शामिल हैं। प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. उमेश चंद्र रे हैं।

इंजीनियरिंग के स्नातक कार्यक्रम राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित हैं।

उद्देश्य: –

1. विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सामान्य रूप से देश के विकास के तीन स्तरों अर्थात्, तकनीशियन, पर्यवेक्षी और कार्यकारी स्तर पर मानव संसाधन विकसित करना।
2. क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीली बहु–प्रवेश/निकास प्रणाली के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

3. क्षेत्र में उद्यमशीलता का आधार विकसित करना।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्षमता निर्माण की सुविधा करना।
5. क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को मजबूत करना।
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाना।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी): –ट्रस्ट ने कई बुक फेयर, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के माध्यम से पूर्वोत्तर में अपनी पुस्तक प्रचार गतिविधियों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा, ट्रस्ट ने अगरतला और गुवाहाटी में अपना बुक प्रमोशन सेंटर भी खोला।ट्रस्ट ने जम्मू–कश्मीर में अपनी गतिविधियों को व्यापक बनाया ताकि पुस्तक–मानसिकता बनाई जा सके और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान घाटी में लोगों को एनबीटी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में विशेष रूप से पुस्तकों और पठन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत, ट्रस्ट बच्चों के लिए शिक्षा शिविरों का आयोजन करता रहा है।

जम्मू और कश्मीर

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए छूट: देश के अन्य हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए कुछ रियायतों की अनुमति दी गई थी। चूंकि कश्मीरी प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए देश के अन्य हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में कश्मीर के प्रवासी छात्रों को निम्नलिखित रियायतें भी प्रदानकी गई हैं।

(i) न्यूनतम पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन कट–ऑफ प्रतिशत में 10% तक छूट।

(ii) प्रवेश क्षमता में पाठ्यक्रम–वार 5% तक वृद्धि।

(iii) तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में मेरिट कोटे में कम से कम एक सीट का आरक्षण।

(iv) अधिवास अपेक्षाओं में छूट देना।

जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अतिरिक्त सीटें

सभी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए अतिरिक्त कोटे के तहत 2 सीटों का सृजन किया जाए।

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर के युवाओं को राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें देश के बाकी हिस्सों से अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान मिलेगा, जिससे उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

प्रतिवर्ष 5000 नई छात्रवृत्ति प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इनमें से 2070 छात्रवृत्ति सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए, 2830 व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए और 100 मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए हैं। यदि सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों का विकल्प लेने वाले छात्रों की संख्या में किसी भी कमी से होने वाली बचत के अध्यधीन, सामान्य, चिकित्सा और व्यावसायिक/तकनीकी विषयों के बीच स्लॉट की अंतर–परिवर्तनशीलता का प्रावधान है।

विषय	शैक्षणिक शुल्क सीमा	रखरखाव प्रभार सीमा	छात्रवृत्ति की संख्या
सामान्य डिग्री	30000/– रुपये तक	समान रूप से सभी के लिए 1.00 लाख रु.	2070
प्रोफेशनल/इंजीनियरिंग/नर्सिंग/ फार्मेसी/ आर्किटेक्चर/ एचएमसीटी डिग्री	1.25 लाख तक		2830
मेडिकल डिग्री– एमबीबीएस/ बीडीएस/ बीएएमएस/बीएचएमएस	3.00 लाख तक		100
छात्रवृत्ति की कुल संख्या			5000

जम्मू और कश्मीर में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	स्वीकृत जेएनवी की कुल संख्या			विचाराधीन असेवित जिलों के लिए प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर– कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर– कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	संपूर्ण		अस्थायी साइट	प्रति साइट		
20	15+1	05	21	00	03	15	03	.

जम्मू–II एससी केंद्रित

अरूणाचल प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थिति

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	जेएनवि की कुल/स्वीकृत संख्या			31.03.2018 को नए बनाए गए जिलों के कारण विचाराधीन जिलों के लिए प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर– कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर– कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	संपूर्ण		अस्थायी साइट	प्रति साइट		
18	16	02	18	05	06	10	02	.

अरुणाचल प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति

क्र. सं.	जेएनवी (जिला) का नाम	स्वीकृत वर्ष	अस्थायी/स्थायी साइट	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियों
1	अंजाव	2004-05	अस्थायी साइट	कार्यात्मक	
2	चांगलांग	1997-98	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
3	राजधानी परिसर	2016-17		गैर कार्यात्मक	भूमि का प्रस्ताव प्रतीक्षित है
4	दिबांगभाटी (अन्नानी)	2004-05	अस्थायी साइट	कार्यात्मक	
5	पूर्वी कामेंग	1987-88	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
6	पूर्वी सियांग	2003-04	अस्थायी साइट	कार्यात्मक	

क्र. सं.	जेएनवी (जिला) का नाम	स्वीकृत वर्ष	अस्थायी/स्थायी साइट	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियों
7	के खुमी	2005-06	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
8	लोहित (अब नामसाई)	1987-88	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
9	निचलीदिबांगघाटी	1986-87	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
10	लोअर सुबनसिरी	1995-96	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
11	पापमपरे	2001-02	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
12	तवांग	1993-94	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
13	लांगडिंग	1987-88	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
14	तिरप	2016-17		गैर कार्यात्मक	1. निरीक्षण के लिए उपयुक्त और वैकल्पिक साइट नहीं मिली। 2. एनवीएस मुख्यालय के अधिकारियों की एक टीम द्वारा साइट का निरीक्षण किया जा रहा है।
15	अपर सियांग	2003-04	अस्थायी साइट	कार्यात्मक	
16	ऊपरी सुबनसिरी (नया नाम कमले)	1987-88	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
17	पश्चिम कामेंग	2003-04	अस्थायी साइट	कार्यात्मक	
18	पश्चिम सियांग	1999-00	स्थायी साइट	कार्यात्मक	

असम में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थिति

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	जेएनवी की कुल/स्वीकृत संख्या			31.03.2018 को नए बनाए गए जिलों में विचाराधीन जिलों के लिए प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर–कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर–कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	संपूर्ण		स्थायी साइट	स्थायी साइट		
27	27+1*	00	28	06	01	26	01	जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

** जेएनवी करबियांगलांग एसटी केंद्रित*

1. **जेएनवी कामरूप (मेट्रो)** –राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अस्थायी साइट प्रदान नहीं की गई है। वन विभाग ने आवंटित स्थान पर निर्माण कार्य को इस तथ्य पर रोक दिया है कि साइट एक वन भूमि है।राज्य सरकारसे वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

असम में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति

क्र.सं.	जेएनवी (जिला) का नाम	साल का संवत	अस्थायी / स्थायी साइट	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियों
1	बैथालैंग्सो (करबियांगलांग I)	1994-95	अस्थायी साइट	कार्यात्मक	
2	बक्सा	2005-06	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
3	बारपेटा	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
4	बोंगईगांव	2005-06	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
5	कछार	1993-94	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
6	चिरांग	1999-00	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
7	दरांग	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
8	धेमाजी	1999-00	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
9	धुबरी	2005-06	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
10	डिब्रूगढ़	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
11	गोलपाड़ा	1996-97	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
12	गोलाघाट	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
13	हैलाकांडी	1997-98	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
14	जोरहाट	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
15	कामरूप	1993-94	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
16	कामरूप– (मेट्रो)	2007-08	..	गैर कार्यात्मक	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
17	करबियांगलांग II	2008-09	स्थायी साइट	कार्यात्मक	एसटी केंद्रित
18	करीमगंज	1992-93	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
19	कोकराझार	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
20	लखीमपुर	1996-97	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
21	मोरीगांव	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
22	एनसी हिल्स	2005-06	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
23	नगांव	2005-06	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
24	नलबाड़ी	1993-94	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
25	शिवसागर	1993-94	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
26	सोनितपुर (अब बिश्वनाथ)	1992-93	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
27	तिनसुकिया	1994-95	स्थायी साइट	कार्यात्मक	
28	उदलगुड़ी	2006-07	स्थायी साइट	कार्यात्मक	

मणिपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को जिलों की कुल सं.	स्वीकृत जेएनवी की कुल सं.			विचाराधीन असेवित जिलों के लिए प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की सं.		अकार्यात्मक जेएनवी की सं.	अकार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	कुल		अस्थायी साईट	स्थायी साईट		
09	09+2**	00	11	07	02	09	00	-

*** जेएनवी सेनापति–II और जेएनवी उखरूल II विशेष जेएनवी*

मणिपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थिति

क्र. सं.	जे,नवी का नाम'जिला)	स्वीकृति वर्ष	अस्थायी/स्थायी वर्ष	कार्यात्मक/ अकार्यात्मक	टिप्पणी
1	बिश्नुपुर	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
2	सी. सी. पुर	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
3	चंदेल	1988-89	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
4	पूर्वी इम्फाल	2001-02	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
5	सेनापति–I	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
6	सेनापति–II	2013-14	स्थायी साईट	कार्यात्मक	**विशेष जेएनवी
7	तामेंगलांग	1989-90	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
8	थौबल	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
9	उखरूल–I	1988-89	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
10	उखरूल–II	2013-14	स्थायी साईट	कार्यात्मक	**विशेष जेएनवी
11	डब्ल्यू इम्फाल	1988-89	स्थायी साईट	कार्यात्मक	

मेघालय में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को जिलों की कुल सं.	स्वीकृत जेएनवी की कुल सं.			विचाराधीन असेवित जिलों के लिए प्रस्ताव	अकार्यात्मक जेएनवी की सं.		अकार्यात्मक जेएनवी की सं.	अकार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	कुल		अस्थायी साईट	स्थायी साईट		
11	07+1*	04	12	00	02	07	03	जैसा नीचे उल्लेखित है

** जेएनवी ईस्ट खासी हिल्स एसटी बहुत*

मेघालय में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थिति

क्र. सं.	जेएनवी का नाम (जिला)	स्वीकृति वर्ष	अस्थायी/स्थायी वर्ष	कार्यात्मक/ अकार्यात्मक	अभ्युक्ति
1	स्थायी साईट	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
2	ईस्ट जैंतिया हिल्स	2016-17	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
3	ईस्ट खासी हिल्स	2008-09	स्थायी साईट	कार्यात्मक	एसटी बहुल
4	जयंतिया हिल्स	1991-92	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
5	मावसिनराम (पूर्व खासी हिल्स II)	2009-10	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
6	री–भोई	1986-87	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
7	दक्षिण गारो हिल्स	1986-87	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
8	उत्तर गारो हिल्स	2016-17		अकार्यात्मक	प्रस्ताव प्राप्त नहीं
9	वेस्ट गारो हिल्स	2016-17		अकार्यात्मक	साईट प्रस्ताव पर्याप्त नहीं
10	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	2016-17		अकार्यात्मक	अस्थायी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया।
11	साउथ वेस्ट गारो हिल्स	1994-95	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
12	पश्चिम खासी हिल्स	1993-94	स्थायी साईट	कार्यात्मक	

मिजोरम में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को जिलों की कुल सं.	स्वीकृत जेएनवी की कुल सं.			विचाराधीन असेवित जिलों के लिए प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की सं.		अकार्यात्मक जेएनवी की सं.	अकार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	कुल		अस्थायी साईट	स्थायी साईट		
08	08	00	08	00	02	06	00	-

मिजोरम में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

क्र. सं.	जेएनवी का नाम (जिला)	स्वीकृति वर्ष	अस्थायी/स्थायी स्थल	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियां
1	आइजोल	2002-03	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
2	चंपपाई	2006-07	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
3	कोलासिब	1992-93	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
4	लवंगतलई	1992-93	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
5	लुंगलई	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	
6	ममित	2003-04	अस्थायी साईट	कार्यात्मक	
7	साइहा	2006-07	अस्थायी साईट	कार्यात्मक	
8	सरचिप	1987-88	स्थायी साईट	कार्यात्मक	

नागालैंड में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	जेएनवी की कुल स्वीकृत संख्या			गैर–कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर– कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर– कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	कुल	अस्थायी साईट	स्थायी साईट		
11	11	00	11	01	10	00	-

नागालैंड में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति

क्र. सं.	जेएनवी का नाम (जिला)	स्वीकृति का वर्ष	अस्थायी/ स्थायी स्थल	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियां
1	दीमापुर	2005-06	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
2	कोहिमा	1986-87	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
3	लोंगलेंग	2006-07	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
4	किफरे	2005-06	अस्थायी स्थल	कार्यात्मक	आग लगने की घटना के कारण शैक्षणिक सत्र 2016–17 के दौरान स्कूल को बंद कर दिया गया था, जो अपने अस्थायी स्थल पर हुआ था और मार्च, 2018 में फिर से खोल दिया गया था। स्थायी स्थल के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
5	मोकोकचुंग	2001-02	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
6	मोन	2001-02	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
7	पेरेन	2005-06	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
8	फेक	1994-95	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
9	तुएनसांग	1993-94	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
10	वोखा	1991-92	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
11	जुन्हबोतो	2005-06	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	

सिक्किम में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	स्वीकृत जेएनवी की कुल संख्या			असेवित जिलों के लिए विचाराधीन प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर– कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर– कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	संपूर्ण		अस्थायी स्थल	स्थायी स्थल		
04	04	00	04	00	00	04	00	-

सिक्किम में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति

क्र.सं.	जेएनवी (जिला) का नाम	स्वीकृति का वर्ष	अस्थायी/स्थायी स्थल	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियां
1.	पूर्वी सिक्किम	2003-04	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
2.	उत्तर सिक्किम	1993-94	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
3.	दक्षिण सिक्किम	1997-98	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
4.	पश्चिम सिक्किम	1987-88	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	

त्रिपुरा में जवाहर नवोदय विद्यालय का विवरण

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	स्वीकृत जेएनवी की कुल संख्या			31.03.2018 को नए बनाए गए जिलों के कारण असेवित जिलों के लिए विचाराधीन प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर–कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर– कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	संपूर्ण		अस्थायी स्थल	स्थायी स्थल		
08	04	04	08	शून्य	02	04	02	जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

1. **जेएनवी उनाकोटि प्रस्ताव** को स्थल के निर्माण हेतु उपयोगी ना पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया क्योंकि यह पूर्णतः वन भूमि है और बिल्कुल एकांत में है तथा भूमि का अधिकतर क्षेत्र खुले तालाबों से घिरा हुआ है और भूमि के ठीक पीछे कुछ बस्तियां हैं जो यहां 28 से 30 वर्ष पहले बसी थी। राज्य सरकार से वैकल्पिक प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
2. **जेएनवी त्रिपुरा पश्चिम:** हाल ही में भूमि आवंटित की गई है। एनवीएस के पक्ष में भूमि अंतरण की प्रतीक्षा है।

त्रिपुरा में जेएनवी की स्थिति

क्र.सं.	जिला	अनुमोदन वर्ष	स्थायी / अस्थायी स्थल	कार्यात्मक / गैर कार्यात्मक	टिप्पणियां
1	खोवाई	1988-89	स्थायी	कार्यात्मक	
2	गोमती	1991-92	स्थायी	कार्यात्मक	
3	धलाई	1994-95	स्थायी	कार्यात्मक	
4	उत्तर त्रिपुरा	2002-03	स्थायी	कार्यात्मक	
5	सिपाहीजला	2016-17	अस्थायी	कार्यात्मक	
6	दक्षिण त्रिपुरा	2016-17	अस्थायी	कार्यात्मक	
7	पश्चिम त्रिपुरा	2016-17	–	गैर–कार्यात्मक	जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है
8	उनाकोटी	2016-17	–	गैर कार्यात्मक	

लद्दाख में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थिति

31.05.2014 को कुल जिलों की संख्या	स्वीकृत जेएनवी की कुल संख्या			असेवित जिलों के लिए विचाराधीन प्रस्ताव	कार्यात्मक जेएनवी की संख्या		गैर–कार्यात्मक जेएनवी की संख्या	गैर–कार्यात्मक जेएनवी का विवरण
	अक्टूबर 2016 तक	नवंबर 2016 तक	कुल		अस्थायी स्थल	स्थायी स्थल		
02	02	00	02	00	00	02	00	-

लद्दाख में जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थिति

क्र.सं.	जेएनवी (जिला) का नाम	स्वी ति का वर्ष	स्थायी / अस्थायी स्थल	कार्यात्मक / गैर–कार्यात्मक	टिप्पणियां
1.	करगिल	1987–88	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	
2.	लेह	1986–87	स्थायी स्थल	कार्यात्मक	

❖ ❖ ❖

4

महिलाओं का शैक्षिक विकास

महिलाओं का शैक्षिक विकास

वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 के नीति दस्तावेज पथप्रदर्शक दस्तावेज हैं जो भारत सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता कि ''शिक्षा को महिलाओं के दर्जे में मूल परिवर्तन के कारक के रूप में उपयोग किया जाएगा। विगत विरूपण को समाप्त करने के लिए इसमें महिलाओं का सुविचारित स्थान होगा ... ... यह विश्वास और सामाजिक संरचना (इंजीनियरिंग) का कार्य होगा .... महिलाओं की साक्षरता और उनके कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करना, समय लक्ष्य निर्धारित करना और प्रभावी निगरानी ......''

उच्चतर शिक्षा विभाग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि वह महिलाओं की बड़ी भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं बनाए। इसलिए, उच्चतर शिक्षा में महिला–पुरूष अंतराल को कम करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बालिका नामांकन,जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कुल नामांकन का 10% से कम था, उसमें बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है। जीईआर में जेंडर अंतराल भी 2010 से 2017 के बीच कम रहा है।

क) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

नीचे दी गई सारणी में दोनों जीईआर (सामान्य), जीईआर (एससी) और जीईआर (एसटी)के महिला–पुरूष दोनों के नामांकन में गत 04 वर्षों के समय–श्रृंखला परिवर्तनों को दर्शाया गया है।

सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	सभी श्रेणियां		
	पुरुष जीईआर	महिला जीईआर	कुल जीईआर
2012-13	22.7	20.1	21.5
2013-14	23.9	22.0	23.0
2014-15	25.3	23.2	24.3
2015-16	25.4	23.5	24.5
2016-17	26.0	24.5	25.2
2017-18	26.3	25.4	25.8

(स्रोतः एआईएसएचई 2012–13 से आईएसएचई 2017–18)

महिला जीईआर

वर्ष	कुल महिला जीईआर	एससी महिला जीईआर	एसटी महिला जीईआर
2012-13	20.1	15.0	9.8
2013-14	22.0	16.4	10.2
2014-15	23.2	18.2	12.3
2015-16	23.5	19.0	12.9
2016-17	24.5	20.2	14.2
2017-18	25.4	21.4	14.9

(स्रोतः एआईएसएचई 2012–13 से एआईएसएचई 2017–18)

जहां तक जीईआर (महिला) का संबंध है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

जेंडर बजटीय सेल : जेंडर बजटीय सेल का जेंडर एवं बाल बजट सेल (जीएंडसीबीसी) के रूप में पुनर्गठन और पुन:नामकरण किया गया है। इसका आशय मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों में इस तरह से प्रभावी परिवर्तन करने के उद्देश्य के साथ विभिन्न जेंडर

प्रक्रियात्मक बजटीय (जीआरबी) पहलों का कार्यान्वयन और उनकी प्रतिबद्धता करना है जो महिला–पुरुष असंतुलन को कम कर सके, जेंडर समानता और विकास को बढ़ावा दे और मंत्रालय बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधन सुनिश्चित करें। मंत्रालय में जेंडर बजट सेल का ईए (एचई) की अध्यक्षता में 27 मई, 2019 को पुनर्गठन किया गया है।

केवल महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय : केवल महिलाओं के लिए 15 विश्वविद्यालय – 04 राजस्थान में, 02 तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक–एक विश्वविद्यालय है।

जेंडर संवितरण: एआईएसएचई रिपोर्ट –2017–18 के अनुसार, अवर स्नातक स्तर पर छात्र नामांकन 51.9% और छात्रा नामांकन 48.1% हैं। डिप्लोमा में 68% पुरुष और 32% महिला नामांकन है। पीएच.डी. 57.4% पुरुष और 42.6% महिला नामांकन है। एकीकृत स्तर पर 58.4% पुरुष और 41.6% महिला नामांकन है। डिप्लोमा के छात्र नामांकन में 54% पुरूष और 46% महिला छात्र हैं।

भारत में सबसे अधिक छात्र नामांकन वाले उत्तर प्रदेश में 51.2% पुरुष और 48.8% महिला छात्र हैं। महाराष्ट्र में लगभग दूसरा सर्वाधिक छात्र नामांकन है। 55% पुरुष और लगभग 45% महिलाएँ।इसके बाद, तमिलनाडु में 50.5% पुरुष और 49.5% महिलाएं, पश्चिम बंगाल में 52.1% पुरुष और 47.9% महिला छात्र हैं। कर्नाटक में, नामांकित महिलाओं का प्रतिशत 50% है, जबकि राजस्थान में महिला छात्रों की तुलना में अधिक पुरुष छात्रों का नामांकन है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

घटकों पर प्रगति – रूसा के विभिन्न घटक महिलाओं और महिलाओं के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लाभान्वित करने की गुंजाइश रखते हैं। इनमें से प्रत्येक घटक पर निम्नलिखित प्रगति हुई है:

मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन–कुल 11 स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालयों (2016–19) में परिवर्तित करने की मंजूरी दी गई है। गौरतलब है कि स्वायत्तशासी महाविद्यालय के रूपांतरण द्वारा ओडिशा में जो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, वह एक महिला विश्वविद्यालय होगा।

कॉलेजों का क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतरण–20 कि.मी. की परिधि में वर्ष 2016–19 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ कॉलेजों की पहचान करके 10 क्लस्टर विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। इन कॉलजों में अंतर विषयक और बहु–विषयक पाठ्यक्रम होंगे और यह और अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक तथा समग्र शिक्षण के लिए पारिस्थितकीय उपलब्ध करवाएगा। 05 राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर तथा कर्नाटक के 05 महिला कॉलेज इन क्लस्टर विश्वविद्यालयों के भाग हैं।

विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान–200 राज्य विश्वविद्यालयों के लक्ष्य में से इस घटक के तहत 142 राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता दी जा रही है। तमिलनाडु का मदर टेरेसा विश्वविद्यालय और हरियाणा का बीपीएसएम विश्वविद्यालय 02 महिला विश्वविद्यालयों को इस घटक के तहत सहायता दी जा रही है।

नए मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य)– शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने का उद्देश्य उच्च शिक्षा में पहुंच और उचित गुणवत्ता चेतना में सुधार करना है।इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाने और उच्च शिक्षा के अवसरों को उनके करीब लाकर पिछड़ेपन के मुद्दों का समाधान करना है।इस घटक के तहत 130 एमडीसी पहले ही बनाए जा चुके हैं।मध्य प्रदेश में, श्योपुर जिले में एक महिला कॉलेज को घटक के तहत सहायता दी जा रही है।

मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेजों मेंउन्नयनः रूसा के इस घटक में गैर–शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) को कवर किए जाने की अवधारणा है। अब तक 125 ऐसे कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है। इनमें बिहार, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना में स्थित महिला कॉलेज हैं।उपर्युक्त समता संबंधित मुद्दों का समाधान करेंगे और समुचित गुणवत्तापरक जिससे ये वंचित रहे हैं, भी उपलब्ध करवाएंगे। तेलंगाना में, 04 करोड़ रूपये की रूसा निधि से 03 मौजूदा महिला कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पश्चिम), करीम नगर, पिंगेल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पश्चिम), वारांगल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज (पश्चिम), हुसैनियालम, हैदराबाद को मॉडल कॉलेज में अपग्रेड किया गया है।

कॉलेजों को अवसंरचना अनुदानः 4250 कॉलेजों के लक्ष्य में से 1977 कॉलेजों को इस योजना के तहत सहायता दी जा रही है। इस घटक के तहत 25 राज्यों में 293 महिला कॉलेजों को सहायता दी जा रही है।

उच्चतर शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा – सरकार द्वारा लाभकारी रोजगार के लिए कौशल सुधार और अवसर सृजन पर बल दिए जाने को ध्यान में रखते हुए, यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सरकार के कौशल को प्राथमिकता दिए जाने के बड़े फ्रेमवर्क में अर्थपूर्ण कार्यकलापों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए 12वीं योजना में निर्धारित 20 के लक्ष्यों में से वर्ष 2016 में इस पहल के तहत 07 राज्यों को सहायता दी गई है। जम्मू एवं कश्मीर तथा तमिलनाडु राज्य में इस घटक के तहत क्रमशः 3 और 7 महिला कॉलेजों को सहायता दी जा रही है।

समता पहलें –स्कीम के व्यापक उद्देश्यों में से एक समान पहुंच के अवसर प्रदान करना और उसमें सुधार करना है। इस घटक ने अब 28 राज्यों को कवर किया है। यह महत्वपूर्ण है कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, पुदुचेरी और तमिलनाडु आदि राज्यों के इस योजना का समर्थन किया गया है, गुजरात में इस घटक के तहत सहायता प्राप्त तीन कॉलेज महिला कॉलेज हैं। हरियाणा और मणिपुर में बालिका छात्रावास के निर्माण का सहयोग किया जा रहा है। पंजाब में लड़कियों के कॉमन रूम के नवीनीकरण / उन्नयन और लड़की के शौचालयों के निर्माण / नवीनीकरण और आवश्यक आत्मरक्षा तकनीकों के साथ छात्राओं को युक्त करने और माफ्टिअल अफ्स का समर्थन किया जा रहा है। तेलंगाना में सरकार ने प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए कम से कम एक मॉडल आवासीय डिग्री कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया है। 22 महिला छात्रावास पहले से ही सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हैं।

रूसा के तहत महिला संस्थानों को सहायता का सारांश

घटक का नाम	महिला कॉलेजों / संस्थानों की संख्या	राज्यों की संख्या / नाम
मौजूदा स्वायत्त कॉलेज का विश्वविद्यालयों उन्नयन	2	झारखंड, ओडिशा
कॉलेज का क्लस्टर यूनिवर्सिटी में रूपांतरण	10	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर
विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	5	आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य)	5	झारखंड, मध्य प्रदेश
मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल कॉलेज में उन्नयन	16	असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, तेलंगाना

घटक का नाम	महिला कॉलेजों / संस्थानों की संख्या	राज्यों की संख्या / नाम
कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	293	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक
उच्च शिक्षा का व्यावसायिककरण	16	गुजरात, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर
इक्विटी पहल	26	अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, पंजाब, पुदुचेरी, तमिलनाडु
अनुसंधान नवाचार और गुणवत्ता में सुधार	1	महाराष्ट्र
चुनिन्दा स्वायत्त कॉलेजों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना	5	आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र
कुल योग	**379**	आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

महिला शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा को संचालित करने वाली एक शीर्ष संस्था है ।इस उद्देश्य के लिए, उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने कई योजनाएं शुरू की हैं। यूजीसी द्वारा चलाई जा रही ऐसी योजनाएँ निम्नानुसार हैं:

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डे केयर सेंटर: इस योजना का उद्देश्य 03 महीने से 06 वर्ष के बच्चों को उनके माता–पिता (विश्वविद्यालय/कॉलेज कर्मचारी/छात्रों/विद्वानों) जब वे दिन के समय काम के लिए बाहर होते हैं, की मांग के आधार पर डे केयर सुविधा प्रदान करना है और कार्यालयीन समय के दौरान उनके बच्चों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना है।

समाज विज्ञान में शोध के लिए स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति :– (http://www.ugc.ac.in/svsgc/): यह योजना 2014–15 के दौरान शुरू की गई थी। प्रस्तावित योजना के उद्देश्य हैं:

(i) सामाजिक विज्ञान में एकल बालिका की उच्च शिक्षा को सहायता करना।

(ii) छोटा परिवार आदर्श के पालन के मूल्य को पहचानना

(iii) समाज में एकल बच्चा आदर्श को पहचानना

(iv) एकल बच्चा अवधारणा का प्रचार

(v) समाज में एकल बालिका को प्रोत्साहन देना

2018–19 के दौरान योजना के तहत 4.74 करोड़ का प्रावधान किया गया था ।इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 142 है।

एकल बालिका के लिए छात्रवृत्ति: –

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) मेधावी सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लागू कर रहा है, जो उनके माता–पिता की एकमात्र संतान हैं। यह एकल बालिका को प्रति माह पांच सौ रुपये (500/–रु.) प्रदान करता है जो कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई कर रही है और जिसने 60%/

6.2 सीजीपीए या अधिक अंक / ग्रेड के साथसीबीएसई दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है।

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता निर्माण की योजना: यह कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य से जुड़ी महिलाओं पर फोकस करता है ताकि उन्हें सुग्राही बनाया जा सके और उन्हें प्रेरित किया जा सके और इस तरह इन्हें उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निर्णय–निर्धारक पदों के लिए सक्षम बनाना है, जहां इस समय ये बहुत कम ऐसे पदों पर हैं। इस योजना का उद्देश्य जेंडर सेन्सिटाइज्ड (महिला–पुरूष संवेदीकरण) महिला प्रशासकों के महत्वपूर्ण समूह को तैयार करना है जिससे महिला–पुरूष अनुकूल परिवेश का निर्माण हो और इनके बीच के मत–भेद दूर हों।

इस कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है:

- संवेदीकरण, जागरूकता, प्रेरण कार्यशालाएं आवासीय कार्यशाला।
- संवेदीकरण, जागरूकता, प्रेरण कार्यशालाएं गैर–आवासीय कार्यशाला।
- यात्रा अवधि को छोड़कर 06 दिनों की ट्रेनर प्रशिक्षण /मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला
- प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं
- यात्रा अवधि के छोड़कर 05 दिनों की पुनःश्चर्या कार्यशाला पाठ्यक्रम

कॉलेजों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण: यूजीसी महिलाओं की स्थिति को सुधारने और समाज के विकास के लिए संभावित उपलब्धता का दोहन करने जेंडर समता और महिलाओं के समान प्रतिनिधत्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष योजना 'महिलाओं के छात्रावास के निर्माण' के माध्यम से छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता रहा है। एआईएसएचई की रिपोर्ट के अनुसार, लड़कियों के लिए छात्रावासों की संख्या 2013–14 में 2025 से बढ़कर 2017–18 में 2651 हो गई है, जो 15.9% (2013–14 में 518455 से बढ़कर 2017–18 में 600928) वृद्धि है। महिला छात्रों/ शोधकर्ताओं/शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए एक आवासीय स्थान प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सभी पात्र कॉलेजों की सहायता करना मुख्य उद्देश्य है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं के अध्ययन का विकास: इस योजना में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभागों के रूप में करके और उन्हे परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य घटक के साथ उनकी अपनी क्षमता में नेटवर्क में मदद करके नए महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना के साथ–साथ 10वीं योजना तक स्थापित विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केंद्रों को सुदृढ़ करने और जारी रखने की परिकल्पना की गई है। इन केंद्रों की प्राथमिक भूमिका शिक्षण और शोध के माध्यम से कार्रवाई और प्रलेखन तक ज्ञान सिमुलेशन और ज्ञान संचरण करना है।

महिलाओं के लिए पोस्ट–डॉक्टरल फैलोशिप: यह योजना उनके अपने विषयक्षेत्र में पीएचडी धारक बेरोजगार महिला उम्मीदवारों के लिए लागू की जाती है जिसका उद्देश्य उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए महिला उम्मीदवारों की प्रतिभाशाली प्रवृत्ति में तेजी लाना है। योजना के तहत उपलब्ध स्लॉट की संख्या प्रति वर्ष 1000 है। पुरस्कार का कार्यकाल पांच वर्ष है जिसमें आगे विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन के वर्ष की पहली जुलाई को सामान्य / खुली श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 55 वर्ष और एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच/ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 60 वर्ष है। 2018–19 के दौरान योजना के तहत 32.72 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 591 है।

उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्तिः योजना का उद्देश्य ऐसी लड़कियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना है जो अपने परिवारों में एकमात्र बच्चा हैं और छोटे परिवार के मानदंडों के पालन के मूल्यों को समझाना भी हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय 30 वर्ष की आयु तक की छात्राएं ही पात्र हैं। योजना के तहत उपलब्ध छात्रवृत्ति के लिए स्लॉट की संख्या 1200 प्रतिवर्ष है। छात्रवृत्ति राशि रु. 3100/–प्रति माह है। योजना के तहत 2018–19 के दौरान, 9.96 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

यौन उत्पीड़नः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2 मई, 2016 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थान में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण विनियम, 2015 (सक्षम दिशानिर्देश) अधिसूचित किए हैं। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि महिला कर्मचारियों और छात्राओं के हित के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईआईसी) का गठन किया जा रहा है।

दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की समावेशिता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित करके विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए जागरूक प्रयास/कदम उठा रहा है। वर्तमान में, विश्वविद्यालय में विशेष रूप से महिलाओं के लिए 34 अध्ययन केंद्र हैं। द स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज का उद्देश्य शैक्षणिक कार्यक्रमों और महिलाओं के जेंडर अध्ययन और जेंडर और विकास अध्ययन के क्षेत्र में जेंडर न्याय और समता प्राप्त करना है। जेंडर और विकास अध्ययन मौजूदा जेंडर अंतर की जांच करते हैं और जेंडर असमानता के मुद्दे को संबोधित करते हैं। महिला और जेंडर अध्ययन, समाज में महिलाओं और अन्य जेंडर की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, जिसका उद्देश्य उन कारकों की गहन वैचारिक समझ को बढ़ावा देना है जो समाज में उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं और सिद्धांत, महत्वपूर्ण विश्लेषण, प्रैक्सिस, अनुसंधान और व्यवहार के माध्यम से इनका निवारण करते हैं। विश्वविद्यालय जेंडर न्याय और समता प्राप्त करने के लिए मास्टर्स, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर पर पांच शैक्षणिक कार्यक्रमों के अलावा "महिला अध्ययन" और "जेंडर और विकास अध्ययन" में दो शोध कार्यक्रम (पीएचडी) प्रदान करता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में पीजी सर्टिफिकेट स्तर पर छह शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित किए जा रहे हैं।

स्कूल नवीन ऑनलाइन (मिश्रित) कार्यक्रमों/पैकेजों/मॉड्यूल्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षण/प्रशिक्षण पहल के शुभारंभ की परिकल्पना करता है और जेंडर संवेदीकरण में नए कुशल आधारित (प्रैक्सिस) मॉड्यूल/पहल करता है। शिक्षा/प्रशिक्षण की पहल का विस्तार, शिक्षण सामग्री का डिजिटलीकरण और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री का प्रावधान प्रमुख क्षेत्रों का गठन करेगा। विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से सीमित नामांकन के साथ क्षेत्रों में जेंडर और विकास के अनुशासन में अकादमिक कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों के लिए वेब आधारित अतिरिक्त शैक्षणिक समर्थन की शुरुआत की, लर्नर सपोर्ट सेंटरों में परामर्श के अलावा वेब आधारित अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यनीति विकसित की गई। विश्वविद्यालय ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव फोरम की शुरुआत की।

विश्वविद्यालय ने महिलाओं और जेंडर अध्ययन के क्षेत्र में पुस्तकों, दस्तावेजों, ई–संसाधनों, मोनोग्राफ, रिपोर्ट और ऑडियो–विजुअल सामग्री का उपयोग करने के लिए एक महिला और जेंडर संसाधन (वाईआईएनजीएस) स्पेस बनाया है जो विश्वविद्यालय में किसी के लिए भी खुला होगा। जेंडर संबंधी मुद्दों पर

प्रशिक्षण सत्र, संगोष्ठी और कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। विश्वविद्यालय ने क्षेत्रीय सेवा प्रभाग के तत्वावधान में महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए, एआईसीटीई ने नए महिला तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए नियमों में विशेष रियायतें दी हैं। इनमें भूमि की उपलब्धता के लिए मानदंडों में छूट, प्रसंस्करण शुल्क में रियायत, जमा आदि शामिल हैं। कमजोर वर्गों के लिए ट्यूशन फीस छूट योजना का कार्यान्वयन सभी एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में अनिवार्य किया गया है।

प्रगति (बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति) (http://www.aicte-india.org/pragathiSaksham.php)

प्रगति एआईसीटीई की एक योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करना है। विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। यह प्रत्येक युवा महिलाओं को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और ”तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण” करके एक सफल भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. प्रति वर्ष छात्रवृत्ति की संख्या: 4000
2. 'एक बालिका' प्रति परिवार, जहां परिवार की आय 6 लाख/वर्ष रुपए से कम हो।
3. ऐसे उम्मीदवारों में से तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा में उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को शैक्षणिक वर्ष 2015–16 के दौरान एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान में डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाना चाहिए: 30000 /– का शिक्षण शुल्क या वास्तविक पर, जो भी कम हो और प्रत्येक वर्ष 10 महीने के लिए 2000/– प्रति माह, आरक्षण – एससी के लिए 15%, 7.5% एसटी और ओबीसी उम्मीदवार/आवेदक के लिए 27% प्रत्येक योजना में छात्रवृत्ति की कुल संख्या में से 50% छात्रवृत्ति प्रत्येक डिग्री/डिप्लोमा स्तर और साथ ही डिग्री/डिप्लोमा स्तर कार्यक्रम में से किसी में पात्र आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हस्तांतरणीय हैं।

प्रगति (डिग्री) छात्रवृत्तियों की संख्या – 2000 (2018–19)

क्र स.	श्रेणियाँ	मेरिट सं.	छात्रों की संख्या
1.	ओपन	0001-1010	1010
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1020-2091	540
3.	अनुसूचित जाति	1019-4474	300
4.	अनुसूचित जनजाति	1304-6148	150

अतिरिक्त सीटों का सृजन करके आईआईटी में महिला नामांकन को 2020–21 तक बढ़ाकर 20% किया जाएगा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में महिला नामांकन के कम प्रतिनिधित्व की समीक्षा संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा गठित एक समिति द्वारा की गई थी और समिति की सिफारिशों पर, आईआईटी में महिला नामांकन को 2016 में 8% से 2018–19 में 14%, 2019–20 में 17% और 2020–21 में 20% अतिरिक्त सीटों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई)

केंद्र प्रायोजित "माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के लिए प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना" (एनएसआईजीएसई) मई 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ड्रॉप आउट को कम करने और संबंधित बालिकाओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण स्थापित करना है। माध्यमिक विद्यालयों में एससी/एसटी समुदाय और 18 वर्ष की आयु तक उनकी अवधारण सुनिश्चित करना है। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की सभी लड़कियों को शामिल किया गया है जो आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करती हैं और (ii) सभी लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती हैं (भले ही वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की हों) और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल में कक्षा IX में दाखिला लेती हैं। एनएसआईजीएसई योजना का प्रभावी कार्यान्वयन और विदित करने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है।

योजना के अनुसार, IX कक्षा में नामांकन पर सावधि जमा के रूप में पात्र अविवाहित लड़कियों के नाम पर 3000 / — रुपए जमा किये जाते है। वे 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने और 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ब्याज सहित इसे वापस लेने के पात्र हैं। इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के अंतर्गत आती है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध है। 2018—19 के दौरान, 69091 छात्राओं को कवर करते हुए 20.79 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई।

❖ ❖ ❖

5

दिव्यांगो का शैक्षिक विकास

दिव्यांगो का शैक्षिक विकास

शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का सबसे प्रभावी वाहन है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य करता है। हाल के वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि दिव्यांग लोगों के बहुमत के जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सकती है यदि उनके पास समान अवसर हैं और पुनर्वास उपायों के लिए प्रभावी पहुंच है।

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986** (1992 में यथासंशोधित) दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा पर विशेष जोर देती है। नीति में कहा गया है कि उद्देश्य सामान्य समुदाय के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांगो को समान विकास के साथ तैयार करने और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए होना चाहिए।

2. **स्कूल शिक्षा**

   निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। बशर्ते कि निःशक्तजन (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के भाग 2 (खंड) (i) में यथा परिभाषित दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे को उक्त अधिनियम के अध्याय V के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। आरटीई (संशोधन) अधिनियम, 2012, जो 1 अगस्त, 2012 से प्रभावी हुआ है, में दिव्यांग बच्चों से संबंधित निम्नलिखित उपबंध हैं:

   (i) आरटीई अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में 'अपवंचित समूह से संबंधित' बच्चे की परिभाषा में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना।

   (ii) दिव्यांग बच्चों के लिए, जिनमें मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता, आत्मकेंद्रित और कई दिव्यांग बच्चे शामिल हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण) (पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय V के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को आगे बढ़ाने का अधिकार होगा।

   (iii) "बहुल दिव्यांगता" और गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों को भी घर–आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार हो सकता है।

यू–डाईज रिपोर्ट के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे का नामांकनः

वर्ष	प्रारंभिक (I-VIII)		माध्यमिक (IX-X)		उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)	
	सभी	सीडब्ल्यूएसएन	सभी	सीडब्ल्यूएसएन	सभी	सीडब्ल्यूएसएन
2014-15	197666909	2317863	38301599	219571	23501798	61046
2015-16	196716511	2285531	39145052	218455	24735397	60869
2016-17	189887015	2097315	38823854	218261	24397536	62649

2.1 समग्र शिक्षाः

वर्ष 2018–19 में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, एमएचआरडी ने कक्षा I से XII तक के बच्चों को कवर करने वाली स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना शुरू की है, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं। इस योजना में दिव्यंगों के अधि. कार (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016) की निःशक्तता सूची में उल्लिखित सभी सीडब्ल्यूएसएन को एक या एक से अधिक दिवयांगता के साथ शामिल किया गया है। यह योजना निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम,2009 के कार्यान्वयन पर जोर देती है। आरटीई अधिनियम की धारा 3 (2) में 6–14 वर्ष की आयु के भीतर सभी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को कवर किया गया है। 2012 के संशोधन के अनुसार, आरटीई अधिनियम में अनेक और/या गंभीर दिव्यांगो को घर पर आधारित शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार है। इस योजना में सभी बच्चों के लिए स्कूलों में बाधा मुक्त पहुंच के लिए रैंप, हैंडरेल और दिव्यांग अनुकूल शौचालय के प्रावधान हैं। 22.44% शौचालय दिव्यांग अनुकूल हैं और 61.31% स्कूल में रैंप सुविधाएं हैं। (अनंतिम यूडाइज 2016–17)।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ) 2005 में कहा गया है कि, "समावेशी शिक्षा सभी को अपनाने वाली है" और इस बात पर जोर देती है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को विद्यालय प्रणाली में शामिल करना होगा। इसके अलावा, समग्र शिक्षा एक समावेशी शिक्षाशास्त्र को अपनाती है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं/अक्षमताओं की परवाह किए बिना, एक ही कक्षा में एक साथ भाग लेते हैं और सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक सक्षम शैक्षिक वातावरण निर्मित होता है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए–आरटीई) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं के समान, समग्र शिक्षा के हिस्से के रूप में विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित समावेशी घटक है। योजना के तहत 3000 / – प्रति बच्चा प्रति वर्ष की सहायता को बढ़ाकर 3500 / – रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष किया गया है। सहायक छात्र उन्मुख उपाय जैसे सहायक और उपकरण, सहायक उपकरण, शिक्षण–शिक्षण सामग्री, ब्रेल और बड़ी प्रिंट पुस्तकें, और आईसीटी संसाधनों जैसे कि जेएडब्ल्यूएस और एसएएफटीए आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का उचित रूप से समाधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाली लड़कियों के लिए स्टाइपेंड का विस्तार कक्षा I से XII तक किया गया है ताकि लड़कियों को अपनी

स्कूली शिक्षा में दाखिला लेने और पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता, प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सीडब्ल्यूएसएन की सीखने की जरूरतों का उचित रूप से समाधान करने के लिए है।

वर्ष 2018–19 के लिए, सीडब्ल्यूएसएन की स्कूली शिक्षा के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को मंजूरी दी गई है जैसे कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 1, 98,741 सीडब्ल्यूएसएन और 44,777 सीडब्ल्यूएसएन के लिए सहायक उपकरणों का प्रावधान, और 2, 75,572 और 2,44, 868 (कक्षा I से XII तक) के लिए परिवहन और एस्कॉर्ट सहायता। इसके अलावा, दृष्टिहीनता वाले बच्चों के लिए 43,340 ब्रेल किताबें, और प्रारंभिक स्तर पर कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए 1,15,065 बड़े प्रिंट वाली किताबें और 1, 29,191 बड़े प्रिंट वाली किताबें, क्रमशः कम दृष्टि और दृश्य हानि वाले बच्चों के लिए ब्रेल किताबें और स्टेशनरी अनुमोदित हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षा I से XII तक की विशेष आवश्यकताओं वाली 6,51,595 लड़कियों के लिए 200 / – प्रति माह (10 महीने के लिए) के वजीफे का प्रावधान है ताकि सामान्य स्कूलों में उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

समावेशी शिक्षा के तहत वर्ष 2018–19 में **2100918 सीडब्ल्यूएसएन** को मंजूरी दी गई, जिसके लिए **102350.91 लाख रुपए** अनुमानित परिव्यय है। कवर किए गए सीडब्ल्यूएसएन और उनके स्वीकृत उपायों का विवरण क्रमशः **अनुबंध II** और **III** के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त, संसाधन व्यक्ति प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं और शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के उन्मुखीकरण और क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। एनसीईआरटी ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पाठयक्रम अनुकूलन पर अनुकरणीय सामग्री विकसित की है। इसके अलावा, एनसीईआरटी ने *बरखा* – एक समावेशी डिजाइन दृष्टिकोण के साथ एक पूरक रीडिंग श्रृंखला तैयार की है। एमएचआरडी ने विशेष शिक्षकों, शिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों के लिए विभिन्न दिव्यांगो पर प्रशिक्षण मॉड्यूल की एक श्रृंखला विकसित की जिसका उद्देश्य सभी क्षमताओं के बच्चों के साथ कार्य करने के लिए शिक्षकों को तैयार करना है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पहले 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को लागू कर रहा था। एसएसए ने समावेश की अवधारणा के बारे में अधिक विस्तार और एक व्यापक–समझ को अपनाया था, जिसमें सीडब्ल्यूएसएन को शिक्षित करने का एक बहु–विकल्प मॉडल लागू किया जा रहा था।

आरटीई अधिनियम, 2009 सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो सभी बच्चों को 6–14 वर्ष की आयु के बीच निःशुल्क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है। आरटीई अधिनियम की धारा 3 (2) में दिव्यांग बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। 2012 के संशोधन के अनुसार, यह भी अनिवार्य है कि अनेक और/या गंभीर दिव्यांग बच्चों को घर पर शिक्षा का विकल्प चुनने का अधिकार है।

सीडब्ल्यूएसएन की आवश्यकता का समाधान – समग्र शिक्षा के तहत अन्य घटक

क्र. सं.	सिविल कार्य	आरटीई पात्रता	स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे/पहुंच	आईसीटी योजना	अध्यापक शिक्षा	व्यावसायिक शिक्षा	केजीबीवी/ आवासीय स्कूल
1.	◆ हैंडरेल के साथ रैंप ◆ दिव्यांग अनुकूल शौचालय	◆ ब्रेल पुस्तकें, बड़ी प्रिंट पुस्तकें ◆ वर्दी	◆ पहचान ◆ स्कूल तत्परता कार्यक्रम	सॉफ्टवेयर, विशेष शिक्षकों/ संसाधन व्यक्तियों और सीडब्ल्यूएसएन की निगरानी, मूल्यांकन और सीखने में वृद्धि के लिए स्कूलों और संसाधन कक्ष में अन्य तकनीकी समाधान	संसाधन व्यक्तियों / संसाधन शिक्षकों के वेतन के लिए वित्तीय सहायता	विभिन्न समनुरूप विभाग और संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और सहयोग	विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए नामांकन, भत्ते और अन्य मानव संसाधन सहायता

2.2 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई):

बोर्ड में स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करने और विशेष शिक्षकों को नियुक्त करने के उद्देश्य से एक समावेशी सेल स्थापित किया गया है।

बोर्ड ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए बोर्ड की नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है और स्कूलों को भी अपने सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है। समिति निम्नलिखित के संबंध में नीति बनाएगी:

➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)

➢ सीडब्ल्यूएसएन के लिए समावेश (समावेशन बनाम एकीकरण) का स्तर

➢ सीडब्ल्यूएसएन की परीक्षा

➢ 'स्लो लर्नर' के लिए दिशानिर्देश

समावेशी शिक्षा

सीबीएसई, समावेशी शिक्षा के कारण पर केंद्रित तरीके से कार्य करता है। दिव्यांगो के साथ स्कूलों और अभिभावकों के छात्रों की दिन–प्रतिदिन की शिकायतों को संबोधित करने के अलावा, समावेशी शिक्षा सेल सक्रिय रूप से विभिन्न दिव्यांगताओं और प्रशिक्षणों के माध्यम से शामिल करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सीबीएसई उत्कृष्टता केंद्र की सहायता करता है। दिव्यांग छात्रों (दिव्यांगजन) के लिए बोर्ड का नीति दस्तावेज तैयार किया गया है, जबकि स्वयम पोर्टल पर प्रस्तावित समावेशी शिक्षा पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

दिव्यांग छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने के चलते सीबीएसई दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कई छूट/रियायतें प्रदान कर रहा है जैसा कि निःशक्तजन अधिकार अधिनियम –2016 में परिभाषित किया गया है और कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त,

2018 के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बेंचमार्क दिवयांगता 2018 के लिए व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।

2.3 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

2.3.1 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति के साथ, पूर्व और स्तर तक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से स्थायी और शिक्षार्थी केंद्रित गुणवत्ता शिक्षा, कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करता है। एनआईओएस अपने प्राथमिकता वाले लक्षित समूहों को पूर्व–डिग्री तक अकादमिक और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो अन्यथा आमने–सामने की शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एनआईओएस आवश्यकता के आधार पर, मांग आधारित व्यावसायिक पाठ्क्रमों को प्रमाणन के लिए प्रेरित कर रहा है और इस तरह कौशल को उन्नत कर रहा है और विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में छात्रों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने का अवसर भी प्रदान कर रहा है।

2.3.2 एनआईओएस ने लक्षित समूहों को प्राथमिकता दी है जो औपचारिक प्रणाली से ड्रॉप आउट और आबादी के वंचित वर्ग से संबंधित हैं, जो अन्यथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और भावनात्मक कारणों से औपचारिक शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे प्राथमिकता वाले लक्षित समूहों में से एक अलग–अलग तरह से सीखने वाले शिक्षार्थी हैं, जिन्हें विशेष जरूरतों वाले बच्चों के रूप में जाना जाता है। वार्षिक रूप से यह अकादमिक (माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर) और व्यावसायिक धाराओं दोनों में लगभग 10,000 से अधिक शिक्षार्थियों को दाखिला देता है। एनआईओएस अपवंचितों की शिक्षा के लिए 85 विशेष मान्यता प्राप्त संस्थानों (एसएआईईडी) की सहायता के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, जो विशेष स्कूलों में पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में स्थित है और क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों के परिसर में है। शिक्षार्थियों को सरकार भारत की नियमावली के अनुसार फीस में छूट दी जाती है। शिक्षा को अपनी आजीविका के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए, बच्चों को 11वीं और 12वीं करते समय व्यावसायिक विषय लेने के लिए दृढ़ता से सहायता की जाती है। चूंकि सिस्टम शिक्षार्थियों की क्षमता के अनुसार उनके अध्ययन को गति देने के लिए लचीलेपन के साथ बनाया गया है, इसलिए उनके द्वारा चुना गया विषय भी उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप होता हैं।

2.3.3 दिव्यांग शिक्षार्थियों की परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे अपना पेपर पूरा करने के लिए एक एमन्यून्सिस (या एक लेखक) और एक अतिरिक्त घंटे का समय ले सकते हैं। उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को ब्रेल टाइपराइटर या कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति है। इसके अलावा, उन्हें उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि कैलकुलेटर, एबेकस, टेलर फ्रेम और ज्यामिति ड्राइंग किट। एक दुभाषिया (सांकेतिक भाषा व्यक्ति) को सवालों को समझने के लिए श्रव्य बाधित परीक्षार्थियों की सहायता के लिए कमरे में अनुमति दी जाती है।

2.3.4 माउस के बजाय ट्रैकबॉल जैसे अनुकूलित हार्डवेयर वाले कंप्यूटर, संवर्धित बोर्ड की भी अनुमति दी जा सकती है। गंभीर रूप से अक्षम बच्चों (कई दिव्यांगता/सेरेब्रल पाल्सी के साथ) के लिए परीक्षा कक्ष में उपयुक्त कुर्सी, मेज, बिस्तर, आदि की अनुमति दी जा सकती है, यदि उन्हें आवश्यकता हो। यहां तक कि कुछ चरम मामलों में शिक्षार्थियों के निवास पर एक विशेष मामले के रूप में परीक्षा आयोजित की जाती है। इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान में मानचित्र

प्रश्नों के स्थान पर एक वैकल्पिक प्रश्न दिया जाता है।

2.3.5 दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करना एनआईओएस के लिए प्राथमिकता वाले समूहों में से एक है। उनकी शिक्षा को सुविधाजनक बनाने की दिशा में सक्रिय कदमों के परिणामस्वरूप डीएआईएसवाई सक्षम टॉकिंग पुस्तकें शुरू की गईं। एनआईओएस ने डीएआईएसवाई (डिजिटल एक्सेसिबल इनफ़ॉर्मेशन सिस्टम) प्रारूप में माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए टाकिंग किताबें विकसित की हैं, जो विशेष रूप से "प्रिंट डिसएबिलिटी" वाले लोगों के उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई हैं जिनमें अंधापन, बाधित दृष्टि और डिस्लेक्सिया शामिल हैं।

2.3.6 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सबसे पसंदीदा संस्थान के रूप में उभरने की दृष्टि के साथ, एनआईओएस ने श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के संचार और शिक्षा की सुविधा के लिए एक भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) शब्दकोश विकसित किया है। माध्यमिक के 7 विषयों का भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुवाद किया गया है। माध्यमिक स्तर पर 7 विषयों में सांकेतिक भाषा में 120 वीडियो विकसित किए गए हैं। माध्यमिक स्तर पर विषयों में सांकेतिक भाषा में वीडियो प्रसारित करने के लिए एनआईओएस द्वारा ज्ञानामृत (डीटीएच चैनल 30) शुरू किया गया है।

एनआईओएस के शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में बहरे समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए कोच्चि में आरोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

2.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:

एनसीईआरटी सभी बच्चों के लिए एक समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने का प्रयास करता है जो विशेष रूप से सामाजिक रूप से अपवंचित और दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के संदर्भ में प्रणालीगत सुधारों के लिए अधिक महत्व मानता है।

परिषद मौजूदा गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए नई पहल करने के लिए शोध करती है और सुझाव देती है जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, आमने–सामने और ईडीयूएसएटी के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षक शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए संवेदीकरण और उन्हें, प्रशिक्षित करना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समावेशी पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता, समावेशी कक्षाओं के लिए यूडीएल आधारित रीडिंग सामग्री के विकास के लिए इनपुट प्रदान करना, समावेशी पाठ्यपुस्तकें, सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) का संवर्धन करके विशेष जरूरतों के लिए समूहों के परिप्रेक्ष्य से परीक्षा प्रक्रियाओं में उपयुक्त शिक्षाशास्त्र और सुझाए गए सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों की मार्गदर्शिका, नियमावली, समावेश के लिए सूचकांक, प्रशिक्षण दिशानिर्देश और साक्षरता पाठ्यक्रम (ब्रेल और अन्य) और शिक्षा में सीडब्ल्यूएसएन समावेशन के लिए केंद्र, राज्यों, गैर–सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को सहायता प्रदान करने और इनके शिक्षा के बुनियादी आधारभूत अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को शिक्षा, सलाह और सहायता का अधिकार और विभिन्न फ़ोकस समूहों की शिक्षा में शामिल विभिन्न विभागों, संगठनों और लोगों के बीच संबंध बनाने और संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए सीडब्ल्यूएसएन के लिए एसएसए और आरएमएसए के तहत गतिविधियाँ शामिल हैं।

परिषद ने समावेशी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भी शोध किया है। दृश्य की दुर्बलता वाले छात्रों की भाषा की समझ पर आधारित तंत्रिका संबंधी पठन (आईसीटी आधारित), विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के संदर्भ में विज्ञान शिक्षण की स्थिति का अध्ययन माध्यमिक विद्यालय स्तर पर समावेशी

शिक्षा में दिव्यांगता और प्रशिक्षण के प्रभाव वाले छात्रों के लिए माध्यमिक विद्यालय, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला पर्यावरण की पहुंच। नियमित विज्ञान शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए और विज्ञान प्रयोगशाला की गतिविधियों में दृश्य बाधित बच्चों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, परिषद विज्ञान प्रयोगशाला की गतिविधियों में दृश्य बाधित (VI) बच्चों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की प्रक्रिया में है। प्राथमिक विद्यालयों में समावेशन के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने में स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने शिक्षा समावेशी प्रबंधन 'पर एक मैनुअल तैयार किया है। इसके अलावा, समावेशी पूर्व–सेवा शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री कार्यक्रमों के लिए समावेशी शिक्षा परिप्रेक्ष्य दिशानिर्देशों से प्राथमिक स्तर पर अधिगम शिक्षण सामग्री का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख संकेतकों पर एक मैनुअल तैयार किया गया है। उच्च प्राथमिक चरण में विज्ञान और गणित में स्पर्श पुस्तकें और प्राथमिक स्तर पर सीडब्ल्यूएसएन के लिए कौशल–आधारित शिक्षा पर संसाधन पुस्तक भी तैयार की जा रही हैं।

2.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदः

एनसीटीई इसके अधिनियम के माध्यम से यथा अधिदेशित इसकी सांविधिक भूमिका में अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करती है। एनसीटीई ने इसकी अधिसूचना दिनांक 23.8.2010 और 29.7.2011 के तहत कक्षा V I से VIII मे उच्च प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्यता बना कर इन अधिसूचनाओं में कक्षा I से V और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए पहले से ही डी.एल. एड.(विशेष शिक्षा) को शामिल कर लिया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, I से V तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बी. एड (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले शिक्षक को, नियुक्ति के बाद, प्राथमिक शिक्षा में एक एनसीटीई मान्यता प्राप्त 6 महीने के विशेष कार्यक्रम करने होंगे।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आरक्षण नीति भी निर्धारित की गई है। आरक्षण नीति के अनुसार, आरक्षित वर्गों, जैसे एसटी/एससी/ओबीसी/पीएच से संबंधित उम्मीदवारों को योग्यता अंक में 5% तक छूट दी जाएगी।

दिनांक 29.5.2017 को संशोधित एनसीटीई नियमावली 2017 के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/अन्यथा समर्थ व्यक्ति और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है जैसा कि सरकार की अन्य सभी श्रेणियों में लागू है।

3. उच्चतर शिक्षाः

निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 को 19.04. 2017 से लागू किया गया है और 28 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित किया गया है, अधिनियम का सार नीचे दिया गया हैः

- ✓ उच्चतर शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च शिक्षण संस्थान अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पांच प्रतिशत से कम सीटें आरक्षित नहीं करेंगे।
- ✓ बेंचमार्क डिसएबिलिटी वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश के लिए पांच वर्ष की ऊपरी छूट दी जाएगी।
- ✓ प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापना में जो प्रत्येक पद के समूह में संवर्ग की रिक्तियों की कुल संख्या का 4% से कम की नियुक्ति नहीं करेगी, जो बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों से भरा जाना है।

उच्चतर शिक्षा में दिव्यांग का नामांकन:

वर्ष	सभी श्रेणियां	दिव्यांग छात्र
2014-15	34211637	64298
2015-16	34584781	74435
2016-17	35705905	70967
2017-18	36642378	74317

स्रोत: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण,एमएचआरडी

3.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

यूजीसी, दिव्यांगों से संबंधित भारत सरकार ने दाखिला और रोजगार में आरक्षण सहित विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालयों को समय–समय पर नीति निर्णयों के संबंध में सूचनाएँ दे रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में आयोग के स्तर पर लिए गए निर्णय और तैयार किए गए दिशा निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को भी भेज दिया गया है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को निःशक्तता (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 भी परिचालित किया था जिसमें उनसे इसमे निहित उपबंधों का सख्ती से अनुपालन का अनुरोध किया गया था।

यूजीसी ने इस कार्यालय के पत्र संख्या एफ. 6–5/2017 (एससीटी) दिनांक 19.01.2018 के तहत निःशक्तजन के अधिकार की राजपत्रित अधिसूचना के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है जिसमें निम्नलिखित सिफ़ारिशों से कार्रवाई की गई रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :– (i) अधिनियम की धारा 32 के अनुपालन में प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के 5% आरक्षण के कार्यान्वयन समुचित निर्देश जारी करना (ii) धारा 39 (2) के अनुपालन में निःशक्तजन के अधिकार के संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय में स्तर पर उन्मुखीकरण और सुग्राहीकरण के लिए तंत्र तैयार करना और साथ ही अधिनियम की धारा 39 (2) (च) के अनुपालन में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या में निःशक्तजन के अधिकार को शामिल करना (iii) अधिनियम के अन्य उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में इसके नियंत्रण के तहत सभी स्थापनाओं को समान्य निर्देश जारी करना।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

- ✓ विश्वविद्यालयों में दृष्टिहीन छात्रों के लिए कैसेट रिकॉर्डर
- ✓ उचित समय सीमा के भीतर बाधा मुक्त वातावरण बनाना अर्थात विश्वविद्यालयों के लिए दो वर्ष और कॉलेज और स्कूलों के लिए तीन वर्ष,
- ✓ ब्रेल बुक्स और टॉकिंग बुक्स की सुविधा प्रदान करने के लिए,
- ✓ श्रवण बाधिता से प्रभावित छात्रों वाली संस्था में संकेत भाषा और दुभाषिया प्रदान करना

3.1.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) निःशक्तजनों के लाभ के लिए योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है। **(क) विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन)**– इस योजना का आधारभूत उद्देश्य अन्यथा समर्थ व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा अधिगम अनुभवों को समृद्ध करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में वातावरण निर्मित करना है। अन्यथा समर्थ व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में जागरूकता निर्मित करना, पहुँच में सुधार करने के उद्देश्य से निर्माण, अधिगम को समृद्ध बनाने के लिए उपकरण की खरीद आदि इस योजना के तहत सहायता की मुख्य श्रेणियाँ हैं। **(ख) विशेष शिक्षा में अध्यापक तैयारी (टीईपीएसई)** –इस योजना का उद्देश्य विशेष और समवेशी दोनों में निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापकों को तैयार करने के लिए विशेष शिक्षा अध्यापक तैयारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग की सहायता करना है। यह योजना निःशक्तता के क्षेत्रों में से एक में विशेषज्ञता के साथ बी.एड और एम.एड

डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यूजीसी ने विशेष शिक्षा में अध्यापक तैयारी योजना के तहत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में दो केंद्रों को अनुमोदित किया है। **(ग) दृष्टि–दिव्यांग शिक्षकों को वित्तीय सहायता** – इस योजना को दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों को रीडर की सहायता से शिक्षण और अनुसंधान करने और ब्रेल किताबें, रिकॉर्ड की गई सामग्री आदि की खरीद के लिए रीडर भत्ता और निधियां प्रदान करने के माध्यम से शिक्षण और अधिगम सहायता का उपयोग करने और शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान के लिए विभिन्न सहायता का उपयोग करके आत्म–निर्भरता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए तैयार किया गया है। दृष्टिबाधित स्थायी शिक्षकों के लिए भत्ता 36000/–रुपए प्रति वर्ष है।

3.1.2 यूजीसी द्वारा नेट परीक्षा में दिव्यांगजनों को छूट प्रदान करनाः

(I) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.सं. 34–02 / 2015–डीडी–III के माध्यम से जारी ''बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा संबंधी दिशानिर्देश'' के अनुपालन में, निम्नलिखित प्रावधान बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम,2016 की धारा 2 (द) में परिभाषित किया गया है।

(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2 (द) में निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है, निर्दिष्ट दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति, जबकि निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य अर्थ में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जहां दिव्यांगता निर्दिष्ट को मापक योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, प्रमाणितकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित है।

(iii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 2 (जेडसी) में परिभाषित एक निर्दिष्ट दिव्यांगता का अर्थ है, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगता, जिसमें शामिल हैंः (क) लोकोमोटर दिव्यांगताः कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, पेशी डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स; (ख) दृश्य बाधिकताः दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ग) श्रृव्यः बहरापन और सुनने में कठिनाई; (घ) बोलने और वाचन संबंधी दिव्यांतगता; (ड.) बौद्धिक अक्षमताः विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केलेकिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक एपैसिया), ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार; (च) मानसिक बीमारी; (छ) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियांः मल्टीपल स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग; (ज) रक्त विकारः हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग; (i) एकाधिक दिवयांगता : बहरा अंधापन सहित निर्दिष्ट विकलांगता में एक से अधिक

(v) बेंचमार्क दिव्यांगजनों की अन्य श्रेणी के मामले में (उक्त अधिनियम की अनुसूची का संदर्भ लिया जा सकता है), इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की सीमा है, और सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक से उसकी ओर से (यदि वे चाहें तो) परीक्षा लिखने के लिए आवश्यक है, स्क्राइब/रीडर के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है।

(vi) ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा में अपने स्वयं के स्क्राइब/रीडर, को लाने या परीक्षा में शामिल

किसी भी अधिकृत संस्थान / एजेंसी या एनटीए के माध्यम से स्काइब/रीडर को चुनने का विवेकाधिकार होगा।

(vii) एक पात्र पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थी, जो स्क्राइब/रीडर की सुविधा का इच्छुक है, उसे आवेदन पत्र से संबंधित कॉलम में अपनी उचित पीडब्ल्यूडी श्रेणी का उल्लेख करना होगा और यह भी प्रविष्ट करना होगा कि क्या वह स्क्राइब/रीडर की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा एनटीए द्वारा या किसी अधिकृत संस्थान / एजेंसी / कार्मिक के माध्यम से व्यवस्था करेगा ।

(viii) स्क्राइब की पात्रता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की पात्रता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जो अपने स्वयं के स्क्राब/रीडर का चयन करते हैं उन्हें अपने स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(ix) यदि कोई पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार जिसने एनटीए से या उसके किसी अधिकृत संस्थान / एजेंसी / कार्मिक के माध्यम से, स्क्राइब/रीडर का चयन किया है, तो उसके लिए केंद्र अधीक्षक उसे जाँचने / सत्यापित करने का मौका देने के लिए कि स्क्राइब/ पाठक उपयुक्त है या नहीं, परीक्षा से एक दिन पहले, स्क्राइब/रीडर के साथ अभ्यर्थी की मुलाकात की व्यवस्था करेगा।

(x) स्क्राइब/रीडर का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रति घंटे कम से कम 20 मिनट का प्रतिपूर्ति समय दिया जाएगा। यदि परीक्षा की अवधि 03 घंटे है, तो प्रतिपूरक समय 01 घंटे होगा। यदि परीक्षा की अवधि 03 घंटे से कम या अधिक है, तो प्रतिपूरक समय यथा अनुपात पर आधारित होगा।

(xi) जहां तक संभव हो, विकलांगों व्यक्ति (ओं) की परीक्षा भूतल पर आयोजित की जानी चाहिए।

3.2 सक्षम छात्रवृत्ति योजना

इसका उद्देश्य 40% से अधिक विकलांगता वाले बच्चों और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। तकनीकी शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है चयनित उम्मीदवारों को 50,000 /— रुपये (10 महीने के लिए रु. 20000 आकस्मिक राशि और ट्यूशन शुल्क हेतु 30,000 रुपये) की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उम्मीदवार का चयन किसी भी एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में तकनीकी डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने हेतु पात्रता परीक्षा की मैरिट के आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2018—19 के दौरान 513 छात्रों ने इस योजना के तहत लाभ उठाया है।

3.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू):

समावेशी शिक्षा के माध्यम से ज्ञान समाज के निर्माण के लिए इग्नू लगातार प्रयासरत है। बहुत कम समय में इग्नू ने शिक्षा के मुक्त और दूरस्थ मोड के माध्यम से उच्च शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार गतिविधियों और निरंतर व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्षों से इग्नू देश में समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को शिक्षा प्रदान करने की उम्मीदों पर खरा उतरा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण समूह विकलांग व्यक्तियों का है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में लगभग 6,700 विकलांग छात्र नामांकित हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नामांकित छात्रों की दिव्यांगता के प्रकार में दृश्य बाधिता, वाचन और श्रवण बाधिता, कम दृष्टि और लोकोमोटर दिव्यांगता शामिल हैं। इग्नू मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा इन छात्रों को नजदीकी अध्ययन केंद्रों की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

❖ ❖ ❖

6

प्रशासन

प्रशासन

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का समग्र प्रभार मानव संसाधन विकास मंत्री के क्षेत्राधिकार में है, जिसमें राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग नामतः स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग हैं।

2. प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव करते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की सहायता के लिए 5 संयुक्त सचिव और 1 आर्थिक सलाहकार और 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) हैं। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव को 1 अपर सचिव, 5 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार और 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 1 संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं जो दोनों विभागों के लिए हैं।

3. विभागों को ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्क, अनुभागों और इकाइयों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक ब्यूरो की अध्यक्षता अपर सचिव / संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जाती है जिनकी सहायता निदेशक / उप सचिव / उप शैक्षिक सलाहकार के स्तर पर प्रभागीय प्रमुखों द्वारा की जाती है।

4. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्रमशः **अनुबंध–IV** और **अनुबंध–V** पर दिया गया है।

5. दोनों विभागों के सचिवालय में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में स्थापना और सेवा संबंधी मामले उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासन ब्यूरो द्वारा देखे जाते हैं। वर्ष 2018 की गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क) सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत नियुक्त दोनों विभागों के अधिकारियों और दोनों विभागों के केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और संवर्ग–बाह्य पदों अर्थात सलाहकार संवर्ग, सांख्यिकी संवर्ग आदि के अधिकारियों के स्थापना संबंधी मामले।

ख) संबंधित कैडर नियंत्रण अधिकारियों को कैलेंडर वर्ष 2018 (01.01.2019 को) के लिए अचल संपत्ति रिटर्न भेजना।

ग) वेतन और लेखा कार्यालय के परामर्श से आगामी महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले इस मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवा पुस्तकों का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।

घ) राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना और मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के तत्वावधान में, इस मंत्रालय ने कॉम्प डीडीओ के माध्यम से ई–ऑफिस (फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, ई–लीव, ई–टूर,) लीगल / कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम और कर्मचारी भुगतान प्रणाली के माध्यम से काम करना शुरू कर दिया है। ई–सेवा पुस्तकों में रूपांतरण के साथ–साथ ई–फाइलिंग प्रणाली पर सक्रिय विचार–विमर्श और प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, इस मंत्रालय में सभी आईएएस / आईएफओएस अधिकारियों और सीएसएस / सीएसएसएस के एएसओ / पीएस और ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए ''स्पैरो'' (स्मार्ट परफॉरमेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एक ऑन–लाइन

प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इन अधिकारियों के एपीएआर मामलों पर भी इस पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई की जा रही हैं। इसके अलावा, पेंशन अनुमोदन और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली के लिए "भविष्य" नामक ऑन–लाइन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

ड.) ब्रांच में उनकी प्राप्ति पर वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट [एपीएआर] का डाटाबेस अपडेट किया जाता है। सभी मामलों में, शाखा में प्राप्त वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का रिटेंशन हेतु संबंधित कैडर नियंत्रक प्राधिकारियों को भेजे जाने से पूर्व संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रकटीकरण किया गया था।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

1. स्थापना प्रभाग के अंतर्गत ई IV अनुभाग (तत्कालीन प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय के दोनों विभागों अर्थात स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सदस्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्रबंधन, लोक प्रशासन, सतर्कता, नकद और लेखा, कार्मिक आदि क्षेत्रों में दोनों विभागों के कर्मचारियों / अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी), सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद, इत्यादि जैसे संस्थानों के साथ संपर्क किया जाता है।

2. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक मामले संबंधी विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के प्रत्युत्तर में विदेश में प्रशिक्षण हेतु घरेलु निधियन, कोलम्बों योजना, द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम आदि के अंतर्गत लघु और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए पात्र और उपयुक्त अधिकारियों के नामांकन भी भेजता है।

3. वर्ष 2018–19 (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के दौरान, विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों /कर्मचारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किया / नामांकन भेजे गए, जिसका विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम और प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संस्थान	भेजे गए / नामित अधिकारियों की संख्या
I.	विदेशों में प्रशिक्षण का घरेलु निधियन की डीओपीटीकी योजना के तहत /समूह 'क' के अधिकारियों का लघु कालिक प्रशिक्षण	एलएसई समर स्कूल, लंदन, यूके, जेएफके स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एलकेवाई स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूएसए।	4
II.	विदेशों में प्रशिक्षण का घरेलु निधियन की डीओपीटी की योजना के अंतर्गत /समूह 'क' के अधिकारियों का अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम	कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूएसए।	1

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम और प्रशिक्षु	प्रशिक्षण संस्थान	भेजे गए / नामित अधिकारियों की संख्या
III.	आईएएस / आईईएस अधिकारियों / समूह 'क' अधिकारियों की अन्य श्रेणी के लिए अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	एलबीएसएनएए, मसूरी,	2
IV.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	बार्कले विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया	1
V.	सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम, नई दिल्ली	17
VI.	डीओपीटी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी, डी, ई, स्तर II, स्तर III, आदि)	आईएसटीएम, नई दिल्ली	80
VII.	विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए विभिन्न पहलुओं पर अभिविन्यास कार्यक्रम, अर्थात पहली बार सीएसएस में शामिल होने वाले निदेशकों / उप सचिव स्तर के लिए 3 दिनों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम, पेंशन मामले पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम, आदि।	आईएसटीएम, नई दिल्ली।	8
VIII.	वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।	एनआईएफएम, फरीदाबाद	1
IX.	एआईएस अधिकारियों, सीएसएस / सीएसएसएस के तहत काम करने वाले अधिकारियों के लिए 1 सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस, पंचगनी।	1
X.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए ई–ऑफिस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।	एनआईसी, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली।	25
XI.	क्षमता निर्माण / उन्नत प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशाला	आईएसटीएम, नई दिल्ली और एनआईएफएम, फरीदाबाद	5

सतर्कता गतिविधियाँ

सचिव (उच्चतर शिक्षा) की समग्र निगरानी के अंतर्गत मंत्रालय में सतर्कता व्यवस्था है जिसमें अपर सचिव रैंक के अंश कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी, अवर सचिव और सहयोगी स्टॉफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले सहित सतर्कता विंग में विभिन्न स्रोतों से कुल 663 मामले प्राप्त हुए थे। लोक हित प्रकटीकरण प्रस्ताव के तहत तेरह (13) शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी विभिन्न स्तरों पर जांच जारी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से 56 शिकायतों का निपटान किया गया। कई शिकायतों की जांच उन्नत स्तर पर है।

मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में विभिन्न स्वायत्त संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

"– भ्रष्टाचार मिटाओं–एक नया भारत बनाओं" के विषय के साथ 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर, 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सभी सार्वजनिक कामकाज में ईमानदारी बनाए रखने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार महिला कर्मचारियों की शिकायतें सुनने और उनके समाधान हेतु मंत्रालय में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न शिकायत समिति मौजूद है।

सूचना और सुविधा केन्द्र (आईएफसी)

आम लोगों और एचआरडी मंत्रालय में आने वाले गैर–सरकारी संगठनों को त्वरित और सुविधाजनक जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए जून 1997 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क (एनआईसीएनईटी) आधारित सूचना और सुविधा केंद्र (आईएफसी) की स्थापना की गई थी। सूचना और सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी, उत्तरदायी और नागरिक–अनुकूल प्रशासन को बढ़ावा देना है। यह केन्द्र उच्च अध्ययन के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों, आगंतुकों, गैर–सरकारी संगठनों, भारतीय छात्रों को मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और सेवाओं अर्थात विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों लाभ उठाने हेतु प्रक्रिया और आवेदन फॉर्म को आवेदन प्रपत्रों को मंत्रालय की वेब–साइट पर उपलब्ध कराया गया है। इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर के माध्यम से डेटा / सूचना तक पहुँचा जा सकता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.mhrd.gov.in है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की कार्यान्वयन रिपोर्ट :

12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम की शुरूआत की गई है। इस अधिनियम के तहत आवेदन, जब और जैसे ही वे प्राप्त होते हैं, को उसी दिन सूचना सुविधा केन्द्र द्वारा संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है।विभाग के कैशियर के पास 10 / – प्रति आवेदन का आवेदन शुल्क जमा किया जाता है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों (ऑनलाइन सहित) की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और सूचना के आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में अधिकारियों को नामित करने की समीक्षा की गई है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 (2) के तहत अवर सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत विभागीय प्रमुखों

को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों विभागों अर्थात स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस सूचना को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आधार पर भी अद्यतन किया जाता है।

विभाग ब्यूरो प्रमुखों के माध्यम से अपने स्वायत्त संगठन द्वारा आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है। वर्ष 2010–2011 से, केंद्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए प्रणाली को उनके द्वारा संशोधित किया गया है। इसे त्रैमासिक आधार पर और ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। मंत्रालयों के तहत स्वायत्त संगठनों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई हैं। उद्देश्य की पूर्ति हेतु, सभी संगठनों को पासवर्ड प्रदान किए गए हैं और उन्हें स्वयं सीआईसी की साइट पर जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया है।

निम्नलिखित विवरण मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन / अपील की वर्ष–वार प्राप्ति दर्शाता है:

साल	प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों की कुल संख्या और उस पर कार्रवाई की गई
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235
2011	4833
2012	3940
2013	11028
2014	17681
2015	16643
2016	16336
2017	13645
2018-19	16311 (31.03.2019 तक के ऑफ़लाइन और ऑनलाइन आवेदन और अपील सहित)

लोक शिकायतें

निदेशक लोक शिकायत, जोकि शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की रैंक के हैं, के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में एक शिकायत निवारण प्रणाली कार्यरत है। रिपोर्टाधीन **अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कैबिनेट सचिवालय (लोक शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सहित विभिन्न स्रोतों से भौतिक रूप में और पीजी पोर्टल अर्थात केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) के माध्यम से और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) के माध्यम से कुल 37,368 शिकायत याचिकाएँ प्राप्त हुई जिनका निपटान किया गया और शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।**

मंत्रालय के शिकायतों के निदेशक को कर्मचारियों के साथ–साथ जनता के सदस्यों को उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हर बुधवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच उपलब्ध रहने के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, कार्यालय समय के दौरान निदेशक (पीजी) से कोई भी मिल सकता है। लोक शिकायतों के उनके समग्ररूप से निवारण के संबंध में सरकार की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त / अधीनस्थ संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों ने भी अपने अधिकारियों को शिकायत के निदेशक रूप में नामित किया है।

नागरिक / ग्राहक चार्टर

नागरिकों को संदेय सेवाओं के संबंध में सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ ही उन्हें ऐसी प्रदान की जा रही सेवा के प्रति इस मंत्रालय की प्रतिबद्धता के साथ, नागरिक प्रशासन इंटरफेस के वास्तविक माध्यमों के रूप में चार्टरों सुर्पुदगी के माध्यम से नागरिक और सरकारी अधिकारियों के मध्य सेतु का निर्माण करने के लिए मंत्रालय के दोनों विभागों (अर्थात स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग) ने उत्तम अभिशासन पर बल देने के लिए अपने नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) प्रकाशित किए हैं। सीसीसी को 13. 02.2019 को अद्यतन किया है और 19.02.2019 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में जनसंख्या की आवश्यकता की बदलती गतिशीलता को पूरा करने के लिए सरकार एक नई शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया में है, जिसका लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षाविदों और उद्योग में जनशक्ति की कमी को समाप्त करके, भारत को अपने छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त करके एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है।

2. परामर्श प्रक्रिया तीन प्रकार की थी: (i) ऑनलाइन परामर्श (ii) गांव / जमीनी स्तर से राज्य स्तर तक परामर्श, (iii) क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के परामर्श सहित विषयगत परामर्श। 26 जनवरी 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक www.MyGov.in पोर्टल पर ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया की गई थी और पहचान किए गए 33 विषयों (स्कूल शिक्षा के 13 विषयों और उच्च शिक्षा के 20 विषयों) पर लगभग 29,000 सुझाव प्राप्त हुए। इनका सार www.MyGov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा, मई से अक्टूबर, 2015 के बीच लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक व्यापक, समयबद्ध, भागीदारी, बॉटम–अप परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई।

3. सरकार द्वारा एनईपी पर भारत सरकार (जीओआई) के हितधारक मंत्रालयों और राज्य

सरकारों के साथ सरकार द्वारा कई व्यक्तिगत स्तर पर परामर्श किए गए थे। नई शिक्षा नीति तैयार करने हेतु परामर्श प्रक्रिया पर चर्चा करने और अन्य मंत्रालयों और विभागों के सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 14.02. 2015 को शिक्षा मंत्री द्वारा एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 21मार्च 2015 को एक बैठक आयोजित की गई , जिसमें MyGov पर सिफारिशों को अपलोड करने की प्रक्रिया सहित परामर्श प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया था और राज्यों के सुझावों और साथ ही विषयों को भी आमंत्रित किया गया था।

4. सरकार ने जुलाई–अक्टूबर, 2015 में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, नागरिक समाज आदि को शामिल करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और कई केंद्रीय वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और संस्थानों, स्वायत्त निकायों, व्यक्तिगत विषयों की विशेषज्ञता वाले कार्यालयों के माध्यम से विषयगत परामर्श भी किया। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने विषयगत विचार–विमर्श किया जिसमें क्षेत्र विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञों को विचार–विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था।

5. 19 अगस्त 2015 को हुई केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार–विमर्श प्रक्रिया एजेंडा बिन्दु में से एक था। विचार–विमर्श प्रक्रिया और विषयों पर सभी राज्यों और सीएबीई सदस्यों के विचार आमंत्रित किए गए। शिक्षा मंत्री द्वारा सितंबर–अक्टूबर 2015 में सभी राज्यों और संघ राज्य मंत्री को कवर करते हुए पूर्वी, मध्य, उत्तर–पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में छह ज़ोनल बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें शिक्षा मंत्रियों और संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों / अधिकारियों ने भाग लिया। सीएबीई की अक्टूबर, 2016 में हुई 64 वीं बैठक में भी नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई।

6. मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए श्री टीएसआर सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में इसके सचिवालय के रूप में कार्यरत राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) के साथ 31 अक्टूबर 2015 को एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने 27 मई, 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की प्राप्त रिपोर्ट और विभिन्न विचार–विमर्शों के साथ ही साथ अन्य विचारों और टिप्पणियों के अवलोकन के बाद शिक्षा मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए है। इन दोनों दस्तावेजों को नीति के लिए इनपुट माना जाता है। शिक्षा मंत्री ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2016 पर 31 अक्टूबर, 2016 तक सुझाव देने के लिए सभी सांसदों और सरकार के संबंधित मंत्रालयों से विचार/टिप्पणियां/सुझाव देने के लिए लिखा है। इसके पश्चात, सुझावों पर चर्चा करने और इस पर अपने विचार प्रकट करने के लिए माननीय सांसदों के साथ 10 नवंबर, 2016 को 'शिक्षा संवाद' का भी आयोजन किया गया था।

7. सरकार ने मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 24 जून 2017 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक और अध्यापन राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएनएमटीटी)

देश में शिक्षा प्रणाली के विस्तार की तीव्र गति के साथ, स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर, शैक्षिक विकास में केंद्रीय स्तर पर गुणवत्ता में सुधार आया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी प्रयास की सफलता के लिए इस दिशा में शिक्षक काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शिक्षकों की तैयारी और कक्षाओं, स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कामकाजी

परिस्थितियों के साथ–साथ उनके सतत व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, 900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 25 दिसंबर 2014 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम **पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और शिक्षण मिशन** का शुभारंभ किया गया।

2. मिशन का उद्देश्य शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन, और प्रभावी शिक्षाशास्त्र के विकास में अनुसंधान और मूल्यांकन पद्धति, अनुसंधान से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से समाधान करना है। यह सरकार की कार्ययोजना के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। मिशन एक तरफ, वर्तमान और तत्काल मुद्दों जैसे योग्य शिक्षकों की आपूर्ति, पेशेवर शिक्षण में प्रतिभा को आकर्षित करने और स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने पर केन्द्रित है वहीं दूसरी ओर, यह मिशन प्रदर्शन मानकों की स्थापना और शिक्षकों के अभिनव शिक्षण और पेशेवर विकास के लिए शीर्ष श्रेणी की संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करके शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर कैडर के निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों का अनुसरण करेगा।

3. योजना के विभिन्न घटकों के तहत संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने के लिए देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों / संस्थानों के अब तक कुल 95 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। मिशन में निम्नलिखित घटक शामिल हैं: –

क्र. सं.	घटक का नाम	स्थापित किए जाने वालों की कुल संख्या	अब तक स्थापित की संख्या
1.	स्कूल ऑफ एजुकेशन (केंद्रीय विश्वविद्यालयों में)	30	25
2.	पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र	50	50
2.1	विज्ञान और गणित शिक्षा में उत्कृष्टता केंद्र	5	5
2.2	शिक्षण केंद्र	25	25
2.3	संकाय विकास केंद्र	20	20
3.	शिक्षकों की शिक्षा के लिए अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र	2	2
4.	शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केंद्र	1	1
5.	शैक्षणिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन के लिए केंद्र	5	4
6.	कार्यशाला और संगोष्ठी सहित नवाचार, पुरस्कार, शिक्षण संसाधन अनुदान	कोई विशिष्ट संख्या नहीं	9
7.	पाठ्यक्रम नवीकरण और सुधार के लिए विषय नेटवर्क	कोई विशिष्ट संख्या नहीं	4

क्र. सं.	घटक का नाम	स्थापित किए जाने वालों की कुल संख्या	अब तक स्थापित की संख्या
8.	उच्च शिक्षा में नई भर्ती फैकल्टी के प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	62 केंद्र	सब
9.	अर्पित के माध्यम से – राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी) I) 2018 II) 2019	 75 52	सब
10.	वरिष्ठ शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज के लिए शैक्षणिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम I) विदेशी घटक के बिना II) विदेशी घटक के साथ	 10 15	सब
	कुल		**95**

4. अब तक हुई बारह पीएबी बैठकों के माध्यम से 95 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018–19 के अंत तक कुल रु. 306.63 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं; बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और इस योजना के वास्तविक व्यय अब नीचे दिए गए हैं:

(रू. करोड़ में)

साल वर्ष	2014–15*	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
बजट बजट अनुमान (बीई)	100	100	120	120	120
संशोधित अनुमान (आरई)	15	63	110	110	120
वास्तविक व्यय	1.25	59.95	70.06	72.69	102.68

यह योजना दिसंबर, 2014 में शुरू की गई थी

योजना के अंतर्गत कई लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के बाद और शिक्षक, शिक्षण, शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यक्रम डिजाइन एवं मूल्यांकन और मूल्यांकन पद्धति के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए प्रभावी शिक्षाशास्त्र में अनुसंधान विकसित करने हेतु नई पहल शुरू की है। इससे मिशन को प्रदर्शन मानकों की स्थापना और शिक्षकों के अभिनव शिक्षण और पेशेवर विकास के लिए शीर्ष श्रेणी के संस्थागत सुविधाओं का निर्माण करके शिक्षकों के एक मजबूत पेशेवर संवर्ग के निर्माण के दीर्घकालिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है।"

❖ ❖ ❖

7

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियो का सारांश

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
1.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड	**पेंशन लाभ का अनियमित भुगतान** भारत सरकार की स्वीकृति के बिना कर्मचारियों को जीपीएफ–सह पेंशन योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप उचित स्वीकृति के बिना पेंशन लाभ के लिए रु. 61.20 लाख व्यय किए जा रहे हैं। (पैरा सं. 13.8) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	**निरर्थक व्यय** इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना और प्रतिबंधित क्षेत्र में बेली फार्म में निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप रु. 4.99 करोड़ रु का निरर्थक व्यय हुआ। (पैरा सं. 13.9) *2017 की रिपोर्ट सं. 12*
3.	महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	**यूपीएससीआईडीसीएल के माध्यम से निष्पादित किए गए निर्माण कार्य** एमजीएएचवी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (यूपीएससीआईडीसीएल) को निर्माण गतिविधियों को बिना प्राथमिकता निर्धारण के और निधियों की उपलब्धता के बिना रु. 138.41 करोड़ रुपये के 49 कार्यों का कार्य सौंपा गया जिसके कारण मार्च 2017 तक छह अपूर्ण कार्यों पर 22.65 करोड़ रु. व्यय हुए। (पैरा सं. 12.1) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
4.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	**निर्माण गतिविधियों में विलंब और लागत में वृद्धि** यूजीसी के दिशानिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी निर्माण नियमावली में निर्धारित प्रक्रियाओं का निर्माण कार्यों के निष्पादन में अनुपालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रु. 46.32 करोड़ की लागत वृद्धि के साथ पूर्ण होने में विलंब हुआ। 15.40 करोड़ रु. के आवर्ती व्यय और चार वर्ष के विलंब के बावजूद पुस्तकालय भवन आंशिक रूप से खाली और अपूर्ण है। इसके अलावा,अविवेकपूर्ण भूमि चयन और अतिरिक्त निर्माण के साथ–साथ मानदंडों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 19.82 करोड़ रु का व्यय हुआ। (पैरा सं. 12.2) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*
5.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महिला छात्रावास पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के निर्माण हेतु योजना का कार्यान्वयन** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं की स्थिति और जेंडर इक्विटी बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने हेतु एक योजना कियान्वित कर रहा है। 9.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मौजूदा योजना दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही जारी किया गया था और संवर्धित अनुमानों पर 56.11 लाख रु. के अनुदान का अतिरिक्त अनुमोदन भी था। इसके अलावा, 31 परियोजनाएं जिनमें 26.16 करोड़ रु. का भुगतान शामिल है, दो महीने और नौ साल से अधिक की अवधि के बाद भी अपूर्ण रह गए और जबकि दो छात्रावास 2.30 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए थे जो तीन वर्ष से अधिक समय तक अप्रयुक्त रहे। (पैरा सं. 12.3) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
6.	बीएचयू, वाराणसी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम, कोलकाता	**जीपीएफ/सीपीएफ सब्सक्राइबर को ब्याज का अधिक भुगतान** बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता ने मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुए भुगतान के लिए जीपीएफ / सीपीएफ सब्सक्राइबर को ब्याज की उच्च दरों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 6.28 करोड़ रु के अतिरिक्त भुगतान हुआ। (पैरा सं. 12.4) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	**निधियों का गैर–उपयोग और अनियमित भुगतान** विशिष्ट परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए रु. 3.30 करोड़ तक स्वीकृत किए गए अनुदान विश्वविद्यालय के लिए जिस उद्देश्य से स्वीकृत किए गए थे, अप्रयुक्त रह गए थे। रु. 35.39 लाख के जनजातीय क्षेत्र भत्ते का अनियमित भुगतान और रु. 22.09 लाख सेवा कर की अनियमित प्रतिपूर्ति थी। (पैरा सं. 12.5) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*
8.	आईआईटी, मुंबई	**विशेष भत्ते और मानदेय का अनियमित भुगतान** 9.76 करोड़ रु के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में विशेष भत्ता/मानदेय के भुगतान। (पैरा सं. 12.8) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*
9.	आईआईटी, मुंबई	**सेवा कर का अनियमित भुगतान** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई यथोचित सावधानी बरतने में असफल रहा और उनके द्वारा शुरू की गई निर्माण गतिविधियों पर 2.56 करोड़ रुपये की सेवाकर राशि का अनियमित भुगतान किया गया जिसे सेवा कर से छूट प्राप्त थी । (पैरा सं. 12.9) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
10.	आईआईटी (आईएसएम), धनबाद, निफ़्ट, रांची, एनआईटी, जमशेदपुर	**एलटीसी दावों का अनियमित भुगतान** तीन केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने अवकाश यात्रा छूट से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अप्राधिकृत एजेंटों से अपने कर्मचारियों द्वारा क्रय किए गए एयर फेयर के प्रति अनियमित रूप से रु. वर्ष 2011–16 के दौरान 1.28 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। (पैरा सं. 12.10) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*
11.	आईआईटी, चेन्नई	**सेवाकर की गैर–वसूली के कारण परिहार्य व्यय** रु. 1.19 करोड़ के अपरिहार्य व्यय के परिणामस्वरूप अपने संसाधनो से सेवाकर और ब्याज के बकाए के भुगतान में सेवा ग्राहक से सेवाकर संग्रह करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई की असफलता । (पैरा सं. 12.11) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*
12.	एनआईटी, तिरुचिरापल्ली	**इच्छित उद्देश्य के लिए स्कूल भवन का उपयोग नहीं किया गया** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली ने मंत्रालय का अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना केंद्रीय विद्यालय के लिए एक स्कूल भवन का निर्माण किया, जिसके परिणामस्वरूप रुपये 6.64 करोड़ की लागत से निर्मित भवन का इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हुआ। (पैरा सं. 12.12) *2018 की रिपोर्ट सं.4*
13.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर	**गैर–कार्यात्मक उपकरण** खराब अनुबंध प्रणाली और आपूर्ति आदेश की शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू करने के परिणामस्वरूप 2.22 करोड़ रुपये अप्रयुक्त रहे। (पैरा सं. 12.13) *2018 की रिपोर्ट सं.4*
14.	विश्वभारती, शांतिनिकेतन	**मानदेय का अनियमित भुगतान** वित्तीय नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में मानदेय का भुगतान करने पर 1.07 करोड़ रु. का अनियमित भुगतान हुआ। (पैरा सं. 12.14) *2018 की रिपोर्ट सं.4*

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
15.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	**शिक्षकों को अनुचित लाभ** तेज़पुर विश्वविद्यालय, असम ने वर्तमान विनियमों का उल्लंघन करते हुए 10 शिक्षकों को उच्चतर पद के लिए पदोन्नति/पुनःनामित करने की अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप 99.25 लाख रुपये के वेतन और भत्तों का अतिरिक्त भुगतान किया गया। (पैरा सं. 12.15) *2018 की रिपोर्ट सं.4*
16.	आईआईआईटी, इलाहाबाद	**पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद में अनियमित व्यय** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद ने इसकी स्वयं निर्धारित प्रक्रिया और जीएफआर के प्रावधानों के उल्लंघन में गैर–सूचीबद्ध प्रकाशक से 1,830 पुस्तकों/पत्रिकाओं की खरीद के लिए 1.50 करोड़ रु. का आवर्ती व्यय किया। इन 1,830 पुस्तकों/पत्रिकाओं में से, 801 पुस्तकों और 180 पत्रिकाओं के संबंध में लाइब्रेरी एक्सेशन रजिस्टर में न कोई रसीद है और न ही प्रविष्टि है जो 81.45 लाख जो व्यय को संदिग्ध बनाता है। (पैरा सं. 12.16) 2018 की रिपोर्ट सं.4
17.	एबीवीआईआईआईटीएम, ग्वालियर, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर, एनआईटीटीआर, भोपाल	**सेवाकर का अनियमित भुगतान** एबीवी–आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर और एनआईटीटीटीआर भोपाल ने इन संस्थाओं के माध्यम से आउटसोर्स सेवाओं पर 82 लाख रु. सेवाकर का भुगतान किया जिसे ऐसे कर के भुगतान से छूट प्राप्त थे। (पैरा सं. 12.17) *2018 की रिपोर्ट सं.4*
18.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	**पट्टा किराए की गैर–प्राप्ति** मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद 23 पट्टेदारों दोषी पट्टेदारों के संबंध में किराए के संग्रह या परिसर से बेदखल करने के लिए प्रभावी कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान से संबंधित शेडों पर अनधिकृत कब्जे के साथ–साथ 66.10 लाख रुपये के पट्टे के किराए की वसूली नहीं हो सकी। (पैरा सं. 12.18) *2018 की रिपोर्ट सं.4*

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
19.	एनआईटी, पटना	**केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम शुल्क का भुगतान** उपकरण के क्रय में 60.36 लाख रु. के परिहार्य भुगतान के परिणामस्वरूप दस वर्षों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कस्टम शुल्क से छूट हेतु आवेदन करने में संस्थान की विफलता (पैरा सं. 12.19) *2018 की रिपोर्ट सं.4*
20.	एनआईटी, गोवा	**ब्याज का नुकसान** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा ने बचत खाते में अतिरिक्त राशि रखी और कम से कम 51.87 लाख रुपये का अतिरिक्त ब्याज प्राप्त करने का अवसर खो दिया। (पैरा सं. 12.20) *2018 की रिपोर्ट सं.4*
21.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	**करनाल में क्षेत्रीय केंद्र के निर्माण में विलंब** इग्नू ने करनाल में क्षेत्रीय केंद्र के निर्माण के लिए हुड्डा से नवंबर 2007 में 5.29 करोड़ रु. के 7,235.4 वर्गमीटर की भूमि का अधिग्रहण किया। आबंटन के नियमों और शर्तों के अनुसार, भूमि पर अधिग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूरा होना था। हालांकि, इग्नू विभिन्न चरणों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में विफल रहा और भवन का निर्माण शुरू होना शेष है। इससे 46.41 लाख रु. की परिहार्य लागत खर्च हुई और परियोजना का परिकल्पित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। (पैरा सं. 12.21) *2018 की रिपोर्ट सं.4*

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सार

क्र. सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
1.	मध्यान्ह भोजन योजना	**प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, मिज़ोरम और तेलंगाना को छोडकर, के 113 जिलों और 3376 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना का निष्पादन लेखा परीक्षा संचालित किया था। इस निष्पादन परीक्षा में 2009–10 से 2013–14 की अवधि शामिल है। सीएंडएजी ने रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में 18 दिसंबर, 2015 को 2015 की रिपोर्ट सं. 36 के रूप में प्रस्तुत किया। 2015 का पीए 36

क्र. सं.	संस्था का नाम	पैरा का संक्षिप्त सार
2.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	मार्च, 2016 में समाप्त हुए वर्ष में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन *2017 की रिपोर्ट सं. 23*
3.	केंद्रीय विद्यालय, सिंधी	**स्कूल छात्रावासों के निर्माण पर निरर्थक व्यय** केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, सीधी, म.प्र. के लिए बिना इसकी आवश्यकता का आंकलन किए छात्रावास भवन, रसोई और डाइनिंग ब्लॉक का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप 1.70 करोड़ रु. का निरर्थक व्यय हुआ क्योंकि मई 2012 में इसके पूर्ण होने के बाद से भवन अप्रयुक्त रहे। (पैरा सं. 12.6) *2018 की रिपोर्ट संख्या 4*
4.	केंद्रीय मध्यमिक शिक्षा बोर्ड	**निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की संबद्धता** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबद्ध उपनियमों को संबद्धताओं के अनुमोदन प्रदान करने के संदर्भ में अनुपालन नहीं किया गया था। संबद्धता प्रदान करने में विलंब और निरीक्षण समितियों के गठन और निरीक्षण के संचालन में त्रुटियों के कारण उनका प्रयोजन निष्फल हो गया। स्कूलों को निरीक्षण के संचालन के बिना ही संबद्धता प्रदान की गई थी और अनुचित संबद्धता एवं आवेदनों पर अनुचित कार्रवाई के उदाहरण थे। (पैरा सं. 12.7) *2018 की रिपोर्ट सं. 4*

2017 और 2018 के दौरान लेखा परीक्षा पैरा की समग्र स्थिति

उच्चतर शिक्षा

	सीएजी रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा पैरा	के दौरान समाधान किए गए	शेष
2017	19	17	2
2018	19	6	13
कुल	**38**	**23**	**15**

स्कूल शिक्षा

	सीएजी रिपोर्ट के अनुसार लेखा परीक्षा पैरा	के दौरान समाधान किए गए	शेष
2017	2	1	1
2018	2	.	2
कुल	**4**	**1**	**3̣ 1’**

** 2015 से संबंधित*

❖ ❖ ❖

8

राज भाषा

राज भाषा

प्रस्तावना

इस मंत्रालय के दोनों विभाग राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर यथोचित ध्यान देते हैं। मंत्रालय के दोनों विभाग यथा उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित हैं।

मंत्रालय में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के साथ–साथ राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान अधिसूचित कार्यालय

उक्त अवधि के दौरान इस मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत 41 अन्य कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया। यह नोट किया जाए कि पिछले वर्ष के दौरान 54 कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय और स्कूल पहले ही अधिसूचित किए गए हैं।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी

क) उक्त अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा 25 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन बैठकों में भी समय–समय पर मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

ख) संयुक्त सचिव (भाषाएँ) की अध्यक्षता में मंत्रालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में समुचित कार्रवाई की जाती है।

ग) अधीनस्थ कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, संगठनो आदि में राजभाष हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की निगरानी के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टें और उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उनकी समीक्षा करके सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया जाता है।

हिन्दी सलाहकार समिति

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 14 मई, 2018 को आयोजित की गई।

प्रशिक्षण

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, इस मंत्रालय के जिन कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाना अभी बाकी है, उन्हे राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

कार्यशाला

कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और कर्मचारियों की उनके दैनिक कार्यालयीन कार्य

में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए इस मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा नियमित रूप से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग मंत्रालय द्वारा हिन्दी और अंग्रेज़ी, द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले सभी पत्रों, दस्तावेज़ों, रिपोर्टों आदि का अनुवाद करता है।

मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय में 10 सितम्बर से 24 सितम्बर, 2018 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री ने सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरक वीडियो संदेश दिया और सभी से विश्व में देश की राजभाषा का प्रसार करने का आग्रह किया। इस अवसर पर हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण, हिन्दी टंकण, हिन्दी वाद–विवाद, स्व–रचित कविता पाठ, हिन्दी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 123 कार्मिकों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में 50 विजेताओं को कुल 69 नकद पुरस्कार वितरित किए गए।

अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी

इस मंत्रालय और इसके कार्यालयों के राजभाषा अधिकारियों, हिन्दी अनुवादकों को एक मंच प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 31 जनवरी से 1 फ़रवरी, 2019 को दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कुलपति, निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत राजभाषा अधिकारियों, अनुवादकों के साथ चर्चा की गई और राजभाषा का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इस संगोष्ठी में कार्यालय प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का वीडियो संदेश भी प्रदर्शित किया गया।

वैबसाइट

इस मंत्रालय के दोनों विभागों की वेबसाइट द्विभाषी अर्थात हिन्दी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है। इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

इस मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों को अपनी–अपनी वेबसाइट द्विभाषी बनाने के निर्देश दिये गए हैं।

❖ ❖ ❖

9

बजट

बजट

बजट घोषणा

उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में बजट भाषण–2018–19 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	पैरा सं.	की गई घोषणा	स्थिति
1.	51	स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवस्थापना में निवेश। मैं आगामी चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ ''2022 तक शिक्षा में अवस्थापना और प्रणालियों को पुनरुज्जीवित करना'' नामक प्रमुख पहल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ।	यह प्रस्ताव सीसीईए द्वारा 04.07.2018 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया। उच्चतर शिक्षा निधीयन एजेंसी ने अब तक 31498. 47 करोड़ रुपये के प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं जिनमें से 17340.66 करोड़ रुपये की राशि पहली किश्त के रूप में स्वीकृत की गई है। **कार्रवाई की गई किन्तु कार्यान्वयनधीन है।**
2.	52	हमारी सरकार ने उत्कृष्टता संस्थानों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संस्थानों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। हमें 100 से अधिक आवेदन मिले हैं। हमने वडोदरा में एक विशेष रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।	सरकार/यूजीसी ने विश्वस्तरीय कक्षाशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) 20 संस्थानों जिन्हे 'उत्कृष्टता संस्थान' कहा जाएगा, की स्थापना/उन्नयन के लिए विनियामक ढांचा उपलब्ध करने की योजना अनुमोदित की है।विनियामक ढांचा सार्वजनिक संस्थानों के लिए यूजीसी (सरकारी संस्थानों को उत्कृष्टता संस्थान के रूप में घोषित करना) दिशानिर्देश, 2017 और निजी संस्थानों के लिए यूजीसी (सार्वजनिक संस्थान सम विश्वविद्यालय) विनियम, 2017 के रूप में उपलब्ध कराये गए हैं। इस योजना के तहत उत्कृष्टता संस्थानों के चयन के लिए मंत्रालय में 114 आवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र से 74 और निजी क्षेत्र से 40) प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों को इस प्रयोजनार्थ गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईईसी) को सौंपा गया था। ईईसी ने अपनी रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत की, यूजीसी ने रिपोर्ट अनुमोदित की और उत्कृष्टता

क्र. सं.	पैरा सं.	की गई घोषणा	स्थिति
			संस्थानों के रूप में केवल 6 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 3 और निजी क्षेत्र से 3) का चयन करने की सिफ़ारिश की। केंद्र सरकार ने अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की सिफ़ारिशों और ईईसी की रिपोर्ट पर यूजीसी के परामर्श को ध्यान में रखते हुए, उत्कृष्टता संस्थानों के रूप में 3 सार्वजनिक संस्थानों (आईआईटी दिदिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बंगलोर) को आदेश जारी किए। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने इन तीन सार्वजनिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन तीन संस्थानों को उत्कृष्टता संस्थान घोषित करते हुए अलग से अधिसूचनाएं जारी कीं। निजी क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय ने 3 निजी संस्थानों (मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एडुकेशन, मणिपाल, कर्नाटकः जियो संस्थान (रिलांस फ़ाउंडेशन), कजरात, पुणे और बिट्स, पिलानी, राजस्थान) को आशय पत्र जारी करने के तीन वर्ष के भीतर उत्कृष्टता संस्थान के बैनर के नीचे शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए इस मंत्रालय को अपनी तत्परता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आशय पत्र जारी किए। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चयनित प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान को योजना के तहत पाँच वर्ष की अवधि में 1000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। उपर्युक्त तीन सार्वजनिक संस्थानों को अनुदान सहायता की पहली किश्त जारी कर दी गई है। कार्रवाई की गई किन्तु कार्यान्वयनधीन है।

क्र. सं.	पैरा सं.	की गई घोषणा	स्थिति
3.	53	हम चुनौती विधि से चुने जाने वाले दो नए पूर्ण विकसित आयोजना और वास्तुकला स्कूलों के गठन का प्रस्ताव करते हैं। आईआईटी और एनआईटी में चुनौती विधि से स्वायत्त स्कूलों के रूप में 18 नए एसपीए स्थापित किए जाएंगे।	सक्षम प्राधिकारी ने एनआईटी/आईआईटी में वास्तुकला और आयोजना विभागों के रूप में 18 एसपीए स्थापित करने के ईएफसी प्रस्ताव को दोबारा तैयार करने की इच्छा व्यक्त की थी। सीईई ज्ञापन आईएफडी को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया था। आईएफडी ने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया जो सीईई ज्ञापन में किए गए और इसे माननीय शिक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। संशोधित सीईई ज्ञापन माननीय एचआरएम द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त, 2018 को ईएफसी पोर्टल पर अपलोड किया गया। आवासन और शहरी मामले मंत्रालय, नीति आयोग, व्यय विभाग और आर्थिक मामले विभाग से टिप्पणियाँ प्राप्त हुई। इनकी जांच की गई और तदनुसार सीईई ज्ञापन संशोधित किया गया। संशोधित सीईई ज्ञापन सीईई बैठक के आयोजन की तारीख प्राप्त करने के लिए ईएफसी पोर्टल पर अपलोड किया गया। सीईई–ईएफसी की बैठक 16 नवम्बर,2018 को सांय 3.00 बजे हुई जिसमें प्रस्ताव पर चर्चा की गई और सीईई ने मंत्रालय को प्रस्ताव की समग्र लागत कम करने के लिए प्रस्ताव दोबारा तैयार करने का परामर्श दिया। बैठक के प्रारूप कार्यवृत्त अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को भेजे गए। सचिव (व्यय) द्वारा यथानुमोदित बैठक के कार्यवृत्त 3.12.2018 को प्राप्त हुए। आईआईटी/एनआईटी के निदेशकों और राज्यों/संघशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। 7 आईआईटी और ग्यारह एनआईटी तथा सात राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनकी मंत्रालय में जांच की गई। पहले चरण में, 2 एसपीए और 14 डीपीए को चुना गया। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और महाराष्ट्र सरकार तथा आईआईटी और

क्र. सं.	पैरा सं.	की गई घोषणा	स्थिति
			एनआईटी से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इसकी प्रतीक्षा है। **कार्रवाई की गई किन्तु कार्यान्वयनाधीन है**
4.	54	सरकार इस वर्ष "प्रधानमंत्री शोध अध्येता स्कीम (पीएमआरएफ)**** प्रारम्भ करेगी। इसके अंतर्गत, प्रमुख संस्थानों से बीटेक के सर्वोत्तम 1000 छात्रों को चुना जाएगा और उन्हे आकर्षक अध्येतावृत्ति के साथ आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आशा है कि ये प्रतिभावान युवा अध्येता उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक सप्ताह में कुछ घंटे प्रदान करेंगे।	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7.2.2018 को आयोजित अपनी बैठक में 2018–19 से आरंभ करते हुए सात वर्ष की अवधि के लिए 1650 करोड़ रुपये की कुल लागत पर "प्रधानमंत्री शोध अध्येता (पीएमआरएफ)**** के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। तदनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) का गठन किया गया। पहले बैच में, प्राप्त 1887 आवेदनों में से 119 अध्येताओं को प्रवेश दिया गया। सभी मान्यताप्राप्त संस्थानों के लिए योजना लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आईआईएसईआर को मेजबान संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है। संशोधित दिशानिर्देश मई, 2019 में प्रवेश के लिए लागू होंगे। दिसम्बर, 2018 के दूसरे चरण में, 57 अध्येताओं का चयन किया गया है। कार्रवाई की गई किन्तु कार्यान्वयनधीन है।

बजट प्रावधान

उच्चतर शिक्षा विभाग

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
	केंद्र का व्यय			
	केंद्र का स्थापना व्यय			
1	सचिवालय–सामाजिक सेवाएं	103.23	105.00	128.82
2	हिंदी निदेशालय	46.30	41.67	46.30
3	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	12.10	10.89	12.10
4	केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय भाषा केंद्र	40.07	38.06	45.07
5	विदेश के शैक्षिक संस्थान'	7.27	7.27	7.30
	कुल– केंद्र का स्थापना व्यय	208.97	202.89	239.59
	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं			
	उच्चतर शिक्षा			
6	खेल और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय पहल	1.00	0.00	1.00
7	उच्च शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल	2.00	2.00	0.00
8	सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए राष्ट्रीय पहल	1.00	0.00	1.00
9	नेशनल रिसर्च प्रोफेसर	1.30	1.30	1.30
10	हिमालयन अध्ययन केंद्रीय विश्वविद्यालय (सी यू एच एस) सहित बहुविषयक अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना,उत्कृष्टता केंद्रों का सृजन और मानविकी में राष्ट्रीयउत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना	10.00	0.00	9.00
11	उच्चतर शिक्षा निधीयन एजेंसी (हेफा)	2750.00	2750.00	2100.00

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
12	विश्व स्तरीय संस्थान	250.00	128.90	400.00
13	प्रधानमंत्री महिला छात्रावास	30.00	27.00	13.00
	कुल–उच्चतर शिक्षा	3045.30	2909.20	2525.30
	छात्र वित्तीय सहायता			
14	ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड हेतु योगदान	2150.00	1800.00	1900.00
15	कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	339.00	339.00	355.00
16	विदेशी सरकार द्वारा प्रदान किए गए छात्रवृत्ति हेतु विदेश जा रहे भारतीय छात्र	1.00	1.00	1.00
17	प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप	75.00	15.00	50.00
18	शिक्षण सहायक एम–टेक कार्यक्रम	35.00	0.00	0.00
	कुल–वित्तीय सहायता प्राप्त छात्र	2600.00	2155.00	2306.00
	डिजिटल इंडिया ई लर्निंग			
19	आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	150.00	150.00	170.00
20	वर्चुअल क्लासरूम और व्यापक ओपन ऑनलाइन कोर्स (मूक) टकी स्थापना	90.00	130.00	130.00
21	ई शोधसिंधु	180.00	200.00	242.00
22	उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और लोक सूचना प्रणाली (एच ई एसपीआईएस)	16.00	16.00	17.00
23	राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी	10.00	7.80	10.00
24	नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी	10.00	7.50	10.00
	कुल–डिजिटल इंडिया ई लर्निंग	456.00	511.30	579.00
	अनुसंधान एवं नवाचार			
25	मुख्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	15.00	6.20	15.00

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
26	अंतर संस्थान केंद्रों की स्थापना,उत्कृष्ट क्लस्टर और नेटवर्क का निर्माण संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना	2.00	0.00	1.00
27	डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल	32.00	30.00	35.00
28	उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल/तकनीकी स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय पहल (एन आई टीटी)	84.23	75.00	95.47
29	उन्नत भारत अभियान	17.60	20.00	30.00
	स्वच्छता कार्य योजना	2.40	2.40	2.40
30	उच्चतर आविष्कार अभियान	95.00	0.00	95.00
31	इंप्रिंट अनुसंधान पहल (इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कार्यान्वयन	102.00	50.00	80.00
32	सामजिक विज्ञान में प्रभावी नीति अनुसंधान (इंप्रेस)	0.00	25.00	75.00
33	शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्धन की योजना (स्पार्क)	0.00	30.00	130.00
34	*फॉरट्रांसफॉरमेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस (स्टार्स) स्कीम*		5.00	50.00
	कुल –अनुसंधान एवं नवाचार	350.23	243.60	608.87
	चैंपियन सेवा क्षेत्र			
35	शिक्षा सेवाएं– उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय करण			0.20
	कुल चैंपियन सेवा क्षेत्र	0.00	0.00	0.20
36	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन पीएमएमएमएनएमटीटी	120.00	120.00	130.00
37	राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क संस्थान	3.00	2.70	2.00
38	शैक्षणिक नेटवर्क प्लस के लिए वैश्विक पहल	30.00	30.00	30.00

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
39	तकनीकी शिक्षा–भारत सरकार का गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (ई ए पी)	275.00	500.00	950.00
40	समुदाय कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्चतर शिक्षा हेतु सहायता	40.00	75.00	0.00
41	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम–छात्रवृत्ति एवं स्टाइपेंड	125.00	125.00	175.00
42	भारत में अध्ययन	0.00	50.00	65.00
43	शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशी कार्यक्रम (ईक्यूयूआईपी)			0.01
44	योजना, प्रशासनऔर वैश्विक कार्य	67.59	66.48	66.48
	कुल–केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	7112.12	6788.28	7437.86
	केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय			
	सांविधिक एवं विनियामक निकाय			
45	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता	4722.75	4687.23	4600.66
46	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	485.00	450.00	456.00
	नवाचार प्रकोष्ठ		2.00	2.00
	कुल– सांविधिक एवं विनियामक निकाय	5207.75	5139.23	5058.66
	स्वायत्त निकाय			
47	केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान	6398.55	6323.55	6713.40
	आई एम एस (बीएचयू) केंद्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान	46.68	175.00	130.00
48	केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश	10.00	8.00	13.00
49	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	20.00	1.00	8.00
50	केंद्र सरकार द्वारा संवर्धित समवत विश्वविद्यालय	60.00	54.00	350.00
	कुल– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय और सम वत विश्वविद्यालय	11742.98	11700.78	12273.06

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
51	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता	5613.00	5070.70	6329.95
52	आईआईटी आंध्र प्रदेश	50.00	86.00	
53	भारतीय खनन स्कूल धनबाद	240.00	238.00	
54	नए आईआईटी की स्थापना	338.00	310.00	
55	नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन टी ए)	10.00	10.00	
56	आईआईटी हैदराबाद,(ई ए पी)	75.00	0.00	80.00
	कुल–भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	6326.00	5714.70	6409.95
	भारतीय प्रबंधन संस्थान			
57	भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता	828.00	200.00	445.53
58	आई आई एम आंध्र प्रदेश	42.00	36.00	
59	नए आईआईएम की स्थापना	166.00	136.00	
	कुल – भारतीय प्रबंधन संस्थान	1036.00	372.00	445.53
	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
60	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएसटी को सहायता	3019.40	3493.01	3787.05
61	एनआईटी, आंध्र प्रदेश	54.00	98.00	
62	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईआईईएसटी) (बीईएसयू और सीयूएसएटी) का उन्नयन	130.00	130.00	
	स्कूल–राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	3203.40	3721.01	3787.05
	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर)			
63	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आईएसईआर) को ससहायता	640.00	580.00	899.22

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
64	आईआईएसईआर आंध्र प्रदेश	49.00	70.40	
	कुल–भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आईएसईआर)	689.00	650.40	899.22
65	भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससीको सहायता	447.00	480.45	552.10
	नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र सी ईएनएस ई	8.00	15.21	20.91
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी)			
66	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर,कांचीपुरम) को सहायता	214.47	236.03	208.16
67	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की पीपीपी मोड में स्थापना	119.45	177.38	166.60
68	आईआईआईटी आंध्र प्रदेश	30.00	27.00	
	कुल–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)	363.92	440.41	374.76
69	परिषदों/मानविकीऔर सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्ट संस्थानों को अनुदान	285.00	200.00	242.00
	भारतीय भाषा संवर्धन संस्थानों को अनुदान	351.00	420.60	425.70
70	भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पहल	1.00	0.00	1.00
71	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई	37.25	33.50	46.46
72	स्कूल आफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर	202.00	182.00	287.00
73	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	130.00	130.00	150.15
74	बोर्ड आफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मुंबई कोलकाता मद्रास और कानपुर	20.00	20.00	20.30

क्र. सं.	योजना का नाम/स्वायत्त निकाय	बीई 2018–19	आरई 2018–19	बीई 2019–20
75	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	100.00	90.00	136.00
76	अन्य संस्थानों को सहायता	396.65	380.70	468.37
	कुल–अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय	25339.20	24551.76	26539.56
	राज्य/ संघ राज्यों को स्थानांतरण			
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं			
77	राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1400.00	1500.00	2100.00
	अन्य अनुदान/ऋण स्थानान्तरण			
78	विश्वविद्यालय एवं कॉलेजके शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	950.00	469.18	2000.00
	कुल–योजनाएं	9462.12	8757.46	11537.86
	संपूर्ण योग	35010.29	33512.11	38317.01

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक

आकांक्षी जिलों/अनारक्षित और असेवित क्षेत्रों में स्थापित मॉडल डिग्री कॉलेजों की सूची

क्र. सं.	राज्य	संस्था का नाम	जिला
1	आंध्र प्रदेश	नए मॉडल कॉलेज	वाईएसआरकपाड़ा
2	आंध्र प्रदेश	नए मॉडल कॉलेज	विशाखापत्तनम
3	अरुणाचल प्रदेश	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	नामसाई
4	अरुणाचल प्रदेश	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	लोंगडिंग
5	असम	न्यू मॉडल कॉलेज,बक्सा	बक्सा
6	असम	न्यू मॉडल कॉलेज,बारपेटा	बारपेटा
7	असम	न्यू मॉडल कॉलेज,धुबरी	धुबरी
8	असम	न्यू मॉडल कॉलेज,दीमाहसाओ	दीमाहसाओ
9	असम	न्यू मॉडल कॉलेज,उदलगुरी	उदलगुड़ी
10	बिहार	सरकारीनए मॉडल कॉलेज	गया
11	बिहार	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	अररिया
12	बिहार	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	कटिहार
13	बिहार	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	पूनणया (पूर्णिया)
14	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,कोरबा	कोरबा
15	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,महासमुंद	महासमुंद
16	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
17	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,बीजापुर	बीजापुर
18	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,सुकुमा	सुकुमा
19	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,नारायणपुर	नारायणपुर
20	छत्तीसगढ	न्यू मॉडल कॉलेज,कोंडागांव	कोंडागांव
21	हरियाणा	मेवात	नूह

क्र. सं.	राज्य	संस्था का नाम	जिला
22	हिमाचल प्रदेश	मॉडल डिग्री कॉलेज,चंबा	चंबा
23	जम्मू और कश्मीर	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,बारामूला	बारामूला
24	जम्मू और कश्मीर	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,किश्तवाड़	किश्तवाड़
25	जम्मू और कश्मीर	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,कुपवाड़ा	कुपवाड़ा
26	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,चतरा	चतरा
27	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,दुमका	दुमका
28	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,गिरिडीह	गिरिध
29	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,गुमला	गुमला
30	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,गढ़वा	गढ़वा
31	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,लातेहार	लातेहार
32	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,पाकुड़	पाकुर
33	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,साहिबगंज	साहिबगंज
34	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,रामगढ़	रामगढ़
35	झारखंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,सिमडेगा	सिमडेगा
36	कर्नाटक	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	रायचुर
37	कर्नाटक	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	यादगीर
38	केरल	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,वायनाड	वायनाड
39	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,बड़वानी	बड़वानी
40	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,खंडवा	खंडवा
41	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	छतरपुर
42	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	दमोह
43	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	गुना
44	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	सिंगरौली
45	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	विदिशा
46	मध्य प्रदेश	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	राजगढ़

क्र. सं.	राज्य	संस्था का नाम	जिला
47	महाराष्ट्र	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	नंदुरबार
48	महाराष्ट्र	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज	वाशिम
49	मेघालय	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,पथरखम	रीबोई
50	मेघालय	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,रोंगजेंग	ईस्टगारोहिल्स
51	नागालैंड	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज,जूपकसा, मंगकोलेम्बासब डिवीजन	मोकोकचुंग
52	ओडिशा	एमडीसी,बोलनगीर	बोलंगीर
53	ओडिशा	एमडीसी,ढेंकनाल	ढेंकनाल
54	ओडिशा	एमडीसी,गजपति	गजपति
55	ओडिशा	एमडीसी,कालाहांडी	कालाहांडी
56	ओडिशा	एमडीसी,कंधमाल	कंधमाल
57	ओडिशा	एमडीसी,कोरापुट	कोरापुट
58	पंजाब	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	मोगा
59	राजस्थान	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	धौलपुर
60	राजस्थान	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	करौली
61	राजस्थान	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	बरन
62	राजस्थान	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	जैसलमेर
63	राजस्थान	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	सिरोही
64	सिक्किम	सरकारीन्यू मॉडल कॉलेज	पश्चिम सिक्किम
65	सिक्किम	सरकारी न्यू मॉडल कॉलेज	उत्तर सिक्किम
66	तेलंगाना	नए मॉडल कॉलेज	जयशंकर भूपालपल्ली
67	तेलंगाना	नए मॉडल कॉलेज	कोमारामभीमआसिफाबाद
68	तेलंगाना	नए मॉडल कॉलेज	खम्मम
69	उत्तराखंड	सरकारीमॉडल डिग्री कॉलेज, यूएस नगर	उधमसिंह नगर
70	उत्तराखंड	सरकारीमॉडल डिग्री कॉलेज,हरिद्वार	हरिद्वार

❖ ❖ ❖

समग्रशिक्षा 2018–19 के तहत कवर किए गए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	पीएबी में सीडबल्यूएसएन स्वीकृत 2018–19 प्राथमिक + माध्यमिक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	496
2	आंध्र प्रदेश	86730
3	अरुणाचल प्रदेश	3493
4	असम	62432
5	बिहार	183036
6	चंडीगढ़	4303
7	छत्तीसगढ	62475
8	दादरा और नागर हवेली	571
9	दामन और ड्यू	231
10	दिल्ली	18307
11	गोवा	2082
12	गुजरात	120144
13	हरियाणा	27862
14	हिमाचल प्रदेश	10800
15	जम्मू और कश्मीर	26809
16	झारखंड	64789
17	कर्नाटक	79082
18	केरल	131698
19	लक्षद्वीप	215
20	मध्य प्रदेश	103236

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	पीएबी में सीडबल्यूएसएन स्वीकृत 2018–19 प्राथमिक + माध्यमिक
21	महाराष्ट्र	307519
22	मणिपुर	4029
23	मेघालय	3946
24	मिजोरम	4568
25	नागालैंड	1276
26	ओडिशा	106615
27	पांडिचेरी	1443
28	पंजाब	63611
29	राजस्थान	114423
30	सिक्किम	1134
31	तमिलनाडू	149140
32	तेलंगाना	45882
33	त्रिपुरा	3537
34	उत्तरांचल/ उत्तराखंड	6345
35	उत्तर प्रदेश	181909
36	पश्चिम बंगाल	116750
	कुल	**2100918**

स्रोतः– प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) कार्यवृत्त 2018–19

समग्रशिक्षा 2018–19
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा प्रावधान

क्र.सं.	समावेशी शिक्षा कक्षा आठवी तक	वास्तविक (संख्या मे)	वित्तीय (लाख में रु।)
1	स्पोर्ट्स ईवेंट्स	5803	1104.48
2	सामाजिक समावेश कार्यक्रम	1385	346.25
3	अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम	1667	34.18
4	सीडबल्यूएसएन के लिए प्रशिक्षण	1050	34.07
5	ब्रेल बुक्स	4909	69.21
6	ऑडियो विजुअल और प्रिंटिंग सामग्री	22	2.2
7	विश्व विकलांगता दिवस	95	88.3
8	पाठ्यक्रम अपनाने पर शिक्षक प्रशिक्षण	2700	67.5
9	फिजियोथेरेपी/स्पीच थेरेपी	216	21.6
10	एक्सपोजर विजिट	27	27
11	संसाधन शिक्षक का वेतन	1	2.4
12	संसाधन केंद्र गतिविधियों के लिए सहायक उपकरण	150	225
13	कर्णावर्ती प्रत्यारोपण (स्क्रीनिंग, परीक्षण,सर्जरी, फॉलोअप और भाषण चिकित्सा)	43	258
14	दृष्टि बहाली सर्जरी	80	8
15	एक्सपोजर विजिट (अंजलि फेस्टिवल)	20	4
16	अंजलि चिल्ड्रन फेस्टिवल	300	6

क्र.सं.	समावेशी शिक्षा कक्षा आठवी तक	वास्तविक (संख्या मे)	वित्तीय (लाख में रु।)
17	अभिभावक/सामुदायिक परामर्श	3000	30
18	सीडबल्यूएसएन की पहचान और रूपरेखा	6391	3.2
19	त्वरित अध्ययन शिविर (एएलसी)	78	1383.64
20	निर्देशात्मक सामग्रियों का विकास/ खरीद	121348	840.94
21	व्यावसायिक/जीवन कौशल प्रशिक्षण	45	14.25
22	अतिरिक्त पाठयक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएँ	22	4.4
23	छात्रावास भत्ता	3360	1756.5
24	चिकित्सीय सेवाएं	47689	1926.22
25	हेल्पर /आया/ अटेंडेंट	2030	756.6
26	ब्रेल स्टेशनरी सामग्री, एम्बोस चार्ट, ग्लोब आदि समेत)	58070	804.18
27	सहायक उपकरण उपलब्ध कराना	198741	8136.38
28	पहचान और मूल्यांकन (चिकित्सा मूल्यांकन शिविर)	107530	1871.73
29	पाठक भत्ता	9404	158.7
30	सहायक उपकरण, उपकरण और टीएलएम	46286	1805.01
31	यातायात भत्ता	203984	7025.8
32	लड़कियों के लिए वजीफा	536536	10654.42
33	विशेष शिक्षकों का इन–सर्विस प्रशिक्षण	21760	308.66
34	पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम	4820	427.82

क्र.सं.	समावेशी शिक्षा कक्षा आठवी तक	वास्तविक (संख्या मे)	वित्तीय (लाख में रु।)
35	प्राचार्यों, शिक्षा प्रशासकों, अभिभावकों/अभिभावकों आदि का उन्मुखीकरण।	572610	3437.68
36	वेतन (पिछले विशेष शिक्षक)	7509	15299.57
37	वेतन (नये विशेष शिक्षक)	309	368.1
38	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	19654	149.48
39	अनुरक्षण भत्ता	201752	6814.11
40	गृह आधार शिक्षा	43236	898.72
41	चंगथ्य्कूथम/पदनाम मधुरम	1385	27.7
42	सर्जिकल सुधार	818	137.16
43	सुधारात्मक सर्जरी	1040	133.2
	समावेशी शिक्षा का कुल (उच्चतम कक्षा आठवीं तक)		67472.36
समावेशी शिक्षा (छात्र उन्मुख घटक) (उच्चतम कक्षा X या XII तक)			
1	निर्देशात्मक सामग्रियों की खरीद / विकास	62722	154.1
2	छात्रावास भत्ता	360	36.17
3	चिकित्सीय सेवाएं	3490	90.82
4	हेल्पर /आया/ अटेंडेंट	716	236.89
5	ब्रेल स्टेशनरी सामग्री एम्बोसेड चार्ट, ग्लोब आदि समेत	117969	777.44
6	सहायक उपकरण उपलब्ध कराना	44777	1064.43
7	पहचान और मूल्यांकन चिकित्सा मूल्यांकन शिविर)	12868	242.9
8	पाठक भत्ता	8932	135.61

क्र.सं.	समावेशी शिक्षा कक्षा आठवी तक	वास्तविक (संख्या मे)	वित्तीय (लाख में रु।)
9	यूनिफ़ोर्म	88143	431.97
10	सहायक उपकरण, उपकरण और टीएलएम	26555	436.8
11	अनुरक्षण भत्ता	43116	795.36
12	खेल और एक्सपोजर यात्रा	5999	314.02
13	लड़कियों के लिए वजीफा	115059	2301.18
14	यातायात भत्ता	71588	1072.09
15	गृह आधार शिक्षा (उच्चतम कक्षा बारहवीं)	760	23.7
16	ओरिएंटेशन कैंप	46	3.22
17	जिला और राज्य स्तर पर प्रतिभा खोज	1	0.12
	समावेशी शिक्षा का कुल (छात्र उन्मुख घटक) (उच्चतम कक्षा X या XII तक)		8116.82
समावेशी शिक्षा (आवर्ती) (उच्चतम कक्षा XII तक)			
1	प्रशिक्षण सामग्री का विकास	4574	53.59
2	पुस्तकें और स्टेशनरी (अन्धो के लिए ब्रैल पुस्तक और कम दृष्टि वालों के लिए बड़े प्रिंट पुस्तक समेत)	11222	89.89
3	प्रभाव का अध्ययन	1	5
4	बच्चों के लिए उपकरण (सुनवाई हानि)	75	15
5	अभिभावक शिक्षक और छात्रों की काउंसलिंग	5804	31
6	पाठ्यक्रम अनुकूलन	1	10

क्र.सं.	समावेशी शिक्षा कक्षा आठवी तक	वास्तविक (संख्या मे)	वित्तीय (लाख में रु।)
7	संसाधन कक्ष / शिक्षण केंद्रों के लिए शिक्षण सामग्री	500	50
8	विशेष शिक्षकों का इन–सर्विस प्रशिक्षण	6466	150.19
9	पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम	3911	366.87
10	प्राचार्यों, शिक्षा प्रशासकों, अभिभावकों / अभिभावकों आदि का उन्मुखीकरण।	44661	186.65
11	जनरल प्रशिक्षित प्रशिक्षण के लिए विशेष वेतन।	150	7.2
12	सामान्य प्रशिक्षित शिक्षक के लिए विशेष वेतन	5193	18921.01
13	वेतन (पिछले विशेष शिक्षक)	2597	6438.03
14	चिकित्सीय सेवाएं	23	16.1
15	बागवानी थेरेपी पर परियोजना	14	21
16	कौशल विकास कार्यक्रम	5	25
17	खेल बैठक – जिला स्तर	14	9.8
18	एक्सपोजर का दौरा	700	3.5
19	स्पोर्ट्स मीट – राज्य स्तर	1	3
20	कलौत्सव कासमापन	41	30.75
21	विश्व विकलांगता दिवस	64	11.1
22	बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए ओपन स्कूलिंग	30	1.38
23	अदायगी	3	4.73

क्र.सं.	समावेशी शिक्षा कक्षा आठवी तक	वास्तविक (संख्या मे)	वित्तीय (लाख में रु।)
24	सर्जिकल सुधार	68	13.6
25	सीडबल्यूएसएन के लिए व्यावसायिक	336	13.05
26	जिला स्तर पर विश्व विकलांगता दिवस	13	9.1
27	सुविधा बताइए	850	8.5
28	पूर्व व्यावसायिक / स्व–प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण	816	7.34
29	बौद्धिक विकलांग बच्चों का आकलन	29	21.75
30	जागरूकता अभियान	29	11.6
31	राष्ट्रीय स्तर का ओलंपिक	1	1
32	विशेष शिक्षकों की स्थिति में नहीं	300	225
	समावेशी शिक्षा का कुल (आवर्ती) उच्चतम कक्षा 12वी तक		26761.73
	कुल		102350.91

स्रोतः *प्रोजेक्ट मोनिटोरिंग सिस्टम*

❖ ❖ ❖

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

↓

मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)

↓

उच्चतर शिक्षा विभाग

↓

श्री आर. सुब्रह्मण्यम
आईएएस (एपी:85), सचिव (उच्चतर शिक्षा)

डॉ एन. श्रवणा कुमार, आईएएस (बीएचः 2000), जेएस (पी और आईसीसी)
आईसीसी, ईआई, स्वयम, एसआईआई, उन्नत, भारत अभियान, पीएमएमएमएनएमटीटी, नेस्को, राष्ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरी

कुमारी ईशिता रॉय, आईएएस (केएल: 91) जेएस (एचई और आईसीआर)
यूजीसी, रूसा, एचई–पॉलिसी, आईसीआर, प्रतिष्ठित संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, अनुसंधान परिषद

श्री संजय कुमार सिन्हा, आईएफ़ओएस (जेके:93) जेएस (प्रबंधन और भाषा)
प्रबंधन और आईआईएम, भाषा और राजभाषा

श्री गिरिश सी. होसुर, आईएफ़ओएस (एचपी: 1996), जेएस (सीयू)
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बुक प्रमोशन

श्री मदन मोहन, आईसीएएस, प्रधान सीसीए
लेखा संगठन

सुश्री दर्शना मोमया डबराल आईपी और टीए और एफ़एस (1990 जेएस और एफ़ए)
वित्तीय और लेखा

श्री मदन मोहन, डीडीजी (सांख्यिकी)
सांख्यिकी, सीएमआईएस, एनआईआरएफ़, अंतराष्ट्रीय रेंकिंग, एनआईटी

श्री .एलवी.एस.एस. सुब्बा राव, आईईएस (85) वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
आईआईएसईआर, आईआईएससी, जीआईएएन, एचईएफ़ए, कौशल विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एसबीए, एनईआर, पीडबल्यूडी, एससी/एसटी कक्ष, तकनीकी समन्वय

श्री मधु रंजन कुमार, आईआरएसएस (1985), जेएस (डीएल और ए)
प्रशासन, संसद, समन्वय, अल्पसंख्यक, बीओएटी, सीएफ़टीआई, डीएल, एसपीए, सभी छात्रवृत्ति, ब्याज सब्सिडी योजना

अनुलग्नक– V

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

↓

मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री

↓

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

↓

श्रीमती रीना राय,
आईएएस (एजीएमयूटी:1984), सचिव
(एसई और एल)

श्री मनीष गर्ग, आईएएस (एचपी: 96), जेएस, (एसएस–2)

समागम शिक्षा के अंतर्गत सभी मामले: नीति और योजना, वित्त, बजट, शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षक और प्रधानाध्यापक, एनसीटीई, व्यावसायिक शिक्षा, मॉडल स्कूल, डीबीटी और आधार, आरटीई से संबंधित कार्य, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (एएलटी) योजना अवसंरचना, पहुंच, स्वच्छ विद्यालय, जिसमें पुरस्कार, विश्व बैंक, यूनिसेफ, समन्वय, पीआईएसए, एनआईईपीए, समागम शिक्षा का कार्यान्वयन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में योजना शामिल है।

श्री संजय कुमार, आईएएस (एनएल:92) जेएस (संगठन)

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस),, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), सभी स्कूल बोर्ड, यूटी से संबंधित मामले, निजी स्कूल, इंडो मंगोलियाई स्कूल से संबंधित मामले।

श्री सचिन सिन्हा, आईएएस (एमपी: 1995), जेएस (एई और समन्वय)

प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता, साक्षर भारत मिशन, प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता के लिए योजना, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई) समन्वय और संसदीय कार्य विद्यालय शिक्षा और साक्षरता के लिए प्रगति, यूटी पोर्टल का नीति आयोग, ई–ऑफिस, नेशनल कंपोनेंट, पीएम द्वारा सभी समीक्षाएं, सचिवों का समूह, आदि। डी / ओ एसई एंड एल, ई–समिक्षा, एलआईएमबीएस से संबंधित प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

कुमारी लम्चोंघोई स्वीटी चांगसान, (आईएएस:1994), जेएस (एसएस–I)

समागम शिक्षा के अंतर्गत सभी मामले: प्रारंभिक बचपन शिक्षा (ईसीई)/ पूर्व–प्राथमिक, खेल/खेल/खेल का प्रचार, स्कूलों में पठन/पुस्तकालयों का संवर्धन, जीवन कौशल, समावेशी शिक्षा (लड़कियाँ, अलग–अलग, एससी /एसटी एसटीजी, केजीबीवी सहित), इक्विटी, प्रायोगिक शिक्षा जिसमें रंगोत्सव, भाषा महोत्सव, आदि, किशोर शिक्षा, महिला समाख्या, और भी, एसपीक्यूईएम, आईडीएमआई, राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना, बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना माध्यमिक शिक्षा के लिए, राज्यों में समागम शिक्षा योजना का कार्यान्वयन।

श्री रामचंद्रा मीणा, आईआरएस (आईटी) (1992), जेएस (एमडीएम)

मिड डे मील स्कीम, नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स (एनएटी), नेशनल बाल भवन (एनबीबी), नेशनल फाउंडेशन फ़ॉर टीचर वेलफ़ेयर (एनएफटीडबल्यू) स्वास्थ्य और पोषण घटक समाग्र शिक्षा, मीडिया, वाइस–चेयरपर्सन। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एमडीएम का कार्यान्वयन।

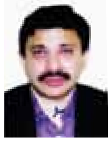

श्री राजीव कुमार सेन (आईईएस:1993) जेएस– ईए)

शिक्षा, संचालन डिजिटल बोर्ड, सभी डिजिटल पहल और समाग्र शिक्षा के आईसीटी घटक, विभाग में सभी पोर्टलों का समन्वय, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स, स्कूल शिक्षा पर जिला सूचना (यूडीआईएसई+) के लिए सभी संसाधनों की आर्थिक विश्लेषण और निगरानी।), दीक्षा, स्कूल शिक्षा में बड़ा डेटा, यूनेस्को, एनआईसी।

सुश्री आर सावित्री, (आईएसएस:1986), डीडीजी (सांख्यिकी)

स्कूल शिक्षा से संबंधित आंकड़े, यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिस्टिक्स (यूआईएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), प्रकाशन "परीक्षा परिणाम", "एक नजर में शैक्षिक सांख्यिकी", "स्कूल शिक्षा के लिए चयनित जानकारी" को डेटा की आपूर्ति, सेवा का सूचकांक (शिक्षा), उत्पादन, जनसंख्या प्रोजेक्शन, डेटा अभिसरण, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के संबंध में मंत्रालयों के साथ समन्वय कार्य, यूडीईएस + डेटा और पीजीआई डेटा का समवर्ती विश्लेषण, प्रमुख रिपोर्ट का विश्लेषण, शागुन रिपोजिटरी की सामग्री, आकांक्षात्मक जिले, शिक्षा सभी के लिए (ईएफए)।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग